

आधुनिक भारतीय शासन

[MODERN INDIAN ADMINISTRATION]

लेखक
गोरखनाथ चौबे एम

भूमिका लेखक
स्वर्गीय डाक्टर बेनीप्रसाद
एम० ए०, डी० एस-सी० (लंदन)

प्रकाशक
रामनारायण लाल
पब्लिशर और बुकसेलर
इलाहाबाद

तृतीय संस्करण]

१९४६

[मूल्य ४।।]

Printed by
RAMZAN ALI SHAH
at the National Press, Allahabad.

प्राक्थन

कई वर्षों से इच्छा थी कि भारतीय शासन-विधान पर एक पुस्तक लिखूँ। इस दृष्टिकोण के सामने रखकर शासन-विधान सम्बन्धी ग्रन्थों का अवलोकन आरम्भ किया। दो चार मित्रों की सलाहें भी लीं। कुछ लोगों की राय हुई कि वर्तमान परिस्थिति में भारतीय शासन-विधान बहुत ही डाँवाँडोल है। योरोप की मौजूदा लड़ाई को देखते हुये संसार की राजनीतिक परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। ऐसी दशा में भारतीय शासन-विधान इस समय कौन-सा रूप धारण करेगा, यह कठिन है। मेरा ग्रन्थों का अध्ययन जारी रहा। अँग्रेजी साहित्य में भारतीय शासन पर अच्छे और बुरे सभी तरह के ग्रन्थ मिले। १९३५ के संघ-शासन-विधान के ऊपर जो जो ग्रन्थ लिखे गये हैं उन्हें भी देखने का अवसर मिला। इन्हें समाप्त करने के बाद ग्रन्थ लिखने की अभिलाषा और भी बढ़ने लगी। विचार हुआ कि हिन्दी साहित्य में शासन-विधान के ऊपर ऐसे ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं जो अँग्रेजी में भी उपलब्ध न हों! इंग्लैंड, अमेरिका, जापान तथा स्विट्ज़रलैंड के शासन-विधान के ऊपर लिखे गये ग्रन्थों के मुक्ताविले में भारतीय शासन-विधान सम्बन्धी ग्रन्थ इतने अपूर्ण और अवैज्ञानिक मालूम पड़े कि मैंने अपना विचार दृढ़ कर लिया कि एक वर्ष के अन्दर हिन्दी साहित्य में एक ऐसा भारतीय शासन-विधान लिखने का प्रयत्न करूँगा जो राजनीतिक साहित्य के पाठकों के लिये सभी प्रकार से सहायक हो।

हिन्दी साहित्य में भारतीय शासन सम्बन्धी ग्रन्थों की खोज आरम्भ की। संख्या की दृष्टि से एक दर्जन से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हो सकीं। कुछ ग्रन्थ तो ऐसे मिले जिनसे हिन्दी साहित्य का गौरव रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ता। लेखक की कोटि में नाम लिखाने अथवा पैसे के प्रलोभन से ये ग्रन्थ लिखे गये हैं। मैं यह मानता हूँ कि किसी भी देश की शासन-पद्धति नीरस और अपूर्ण है। परन्तु लेखकों के हाथ में पढ़कर यह साहित्य इतना रोचक और सरस हो गया है कि पाठकगण इसे समाप्त किये बिना नहीं रह सकते। मुझे खेद है कि हिन्दी साहित्य में इस विषय के लिखने वालों ने उन ग्रन्थों

का अवलोकन नहीं किया। १९३५ के शासन-विधान पर हिन्दी में मुझे कुछ ऐसे ग्रन्थ मिले जिनके मुक्काबिले में सरकारी ऐक्ट कहीं सरस मालूम पड़ा। कोई भी ग्रन्थ ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश नहीं डालता। कुछ ग्रन्थों में ऐक्ट और कानूनों की सूची इतनी बुरी तरह भर दी गई है कि उन्हें देखने को भी चित्त नहीं करता। कुछ लेखक राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को शासन-विधान में इतना अधिक जोड़ देते हैं कि ग्रन्थ अपने असली विषय से दूर चले जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि १९०५ के बाद भारतीय शासन और राष्ट्रीय आन्दोलन दोनों की प्रगति साथ-साथ चल रही है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इन दोनों को एक में जोड़ दिया जाय। शासन-विधान स्वयं एक गम्भीर चीज है। प्रसंगवश हम अनेक राष्ट्रीय आन्दोलनों का हवाला दे सकते हैं। फिर भी हमारा विषय आइने की तरह साफ होना चाहिये।

भारतीय शासन-विधान घने जंगल की तरह उलझा हुआ है। इस पर वैज्ञानिक साहित्य इतना कम है कि पाठकों की जिज्ञासा पूरी नहीं होती। लोगों की यह आम शिकायत है कि हिन्दी साहित्य में ग्रन्थों का सर्वथा अभाव है। यदि अभाव से उनका तात्पर्य केवल पुस्तकों की संख्या से है तो उनका कहना ठीक है, वरन् अंग्रेजी साहित्य में भी भारतीय राजनीतिक साहित्य उतना विस्तृत नहीं है जिसकी आज हमें जरूरत है। अंग्रेजी भाषा में भारतीय शासन सम्बन्धी एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जिसके अनुवाद की जरूरत हमें महसूस हुई हो। हिन्दी साहित्य-सेवियों का यह सौभाग्य है कि वे निःसन्देह इस क्षेत्र में मौलिक ग्रन्थ लिख सकते हैं। अपने हाथों में लेकर मातृभाषा द्वारा यह साहित्य इतना विकसित किया जा सकता है कि अन्य साहित्य इसका मुक्काबिला नहीं कर सकता। इस देश का राजनीतिक इतिहास सेवकों और त्यागियों से ओत-प्रोत है। इसमें कुछ ऐसी विशेषताएँ मौजूद हैं जो अन्य देशों में नहीं पाई जातीं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, प्राचीन रस-मरवाज, भाषा की विभिन्नता, राजनीतिक उथल-पुथल तथा सामाजिक संगठन— इनके कारण इस देश के राजनीतिक साहित्य में जो सरसता लाई जा सकती है, वह योरप के अन्य देश को नसीब नहीं हो सकती। मेरा अनुमान है कि भारतीय शासन-विधान अच्छे लेखकों के हाथ में पड़ कर हितोपदेश और पंचतन्त्र की कहानियों से भी अधिक

रोचक बन सकता है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस ग्रन्थ में मुझे इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। जब तक शासन-विधान, कहानी, तथा उपन्यास तीनों एक समान सरस न हो जायँ तब तक मैं लेखक की प्रतिभा को पूर्ण नहीं समझता। योरप के कुछ राजनीतिज्ञों ने इसमें सफलता प्राप्त की है।

स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे परीक्षाओं में अपने विचार हिन्दी भाषा में स्पष्ट कर सकें। इधर राष्ट्रीय आन्दोलन की वृद्धि के कारण आम जनता भी राजनीतिक साहित्य में रस लेने लगी है। हिन्दी के लेखकों का यह कर्तव्य है कि वे इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इससे न केवल साहित्य की वृद्धि होगी, बल्कि राष्ट्रीय भावना का भी प्रचार होगा। लोगों में राजनीतिक विषय की जानकारी बढ़ेगी। राजनीतिक साहित्य के मूल में उस देश का शासन-विधान होता है। किसी देश की सामाजिक उन्नति अथवा अवनति की सच्ची कहानी वहाँ के शासन-विधान में मिलती है। यदि हिन्दू, मुसलमान और ब्रिटिश इन तीनों कालों का रोचक शासन-विधान हमारे सामने आ जाय तो हमारी जानकारी कहीं अधिक बढ़ सकती है। परन्तु भारतीय शासन-विधान के लिखने वालों ने इन्हें देने का कष्ट नहीं किया। समय के अभाव तथा किसी विशेष परिस्थिति के आ जाने के कारण मैं भी इस अपराध का भागी हूँ। प्रसंगवश स्थान-स्थान पर कुछ प्राचीन बातें आ गई हैं लेकिन मैं उतने से सन्तुष्ट नहीं हूँ। भारतीय शासन-विधान पर सभी ग्रन्थ ईस्ट इंडिया कम्पनी के जन्म से ही आरम्भ हों, मैं इसका कायल नहीं हूँ। इन तमाम राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद भारतीय संस्कृति वैसी ही बनी हुई है जो आज से २५०० वर्ष पहले थी। हमारा दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित है कि हम अपने सामाजिक संगठन का महत्व नहीं समझते। यदि शासन-विधान में इस विषय का समावेश न किया जाय तो कालेज और यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी एक बहुत ही उपयोगी विषय से वंचित रह जायँगे।

विचार गलत हों अथवा सही लेकिन वे साफ होने चाहिये। भारतीय शासन-विधान लिखते समय यदि लेखक ने इसे अपने सामने न रक्खा तो उनके विचारों में उलझन की भरमार दिखाई देगी। हिन्दोस्तान परतन्त्र होने के नाते कुछ ब्रटेन से और कुछ अपने आप शासित होता है। लेखक को अपनी दृष्टि दोनों देशों पर एक-

सी रखनी पड़ती है। यदि हम किसी भारतीय ऐक्ट का अध्ययन करना चाहें तो हमें तुरन्त ब्रिटेन की कैबिनेट तथा पार्लियामेंट पर नजर डालनी पड़ती है। कहने के लिये इस देश के राजनीतिक प्रश्न ब्रिटेन की राजनीति से अलग समझे जाते हैं, परन्तु कार्य रूप में ब्रिटेन की सारी राजनीतिक कार्रवाइयाँ हमारे देश को काफ़ी प्रभावित करती हैं। जिस राजनीतिक दल का पार्लियामेंट में बहुमत होता है उसी की सरकार भारतीय राजनीति को संभालती है। भारत-सरकार कोई स्वतन्त्र नीति नहीं रखती। इसका फ़ैसला ब्रिटेन की कैबिनेट में होता है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर जितनी कड़ी नजर गृह-सरकार की होती है उतनी भारत-सरकार की नहीं। भारत-सरकार जिन बातों का एलान करती है उसकी आज्ञा उसे भारत-मन्त्री से लेनी पड़ती है। तात्पर्य यह है कि भारतीय शासन-विधान लिखते समय ब्रिटेन की राजनीति की अच्छी जानकारी होनी चाहिये। आँख मूढ़ कर ऐक्ट के आधार पर जो ग्रन्थ लिखे जायेंगे वे सर्वथा नीरस और अपूर्ण होंगे। इसी प्रकार केन्द्रीय शासन की शक्ति को भी पहचानना नितान्त आवश्यक है। प्रान्तीय-स्वराज तथा स्वायत्त शासन के बावजूद केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम नहीं की गई है। वर्तमान संघ-शासन-विधान, जिसके अन्दर स्वराज विश्लेषण की ताईद की गई है, शासन-सूत्र के एकीकरण में कोई खास परिवर्तन नहीं करता। कार्यकारिणी विभाग के प्रधान शासकों के विशेषाधिकारों को देखते हुए एकीकरण की नीति भली भाँति स्पष्ट हो जाती है। लेखकों को इस राजनीतिक कौशल पर विचार कर कलम उठानी चाहिये। भारतीय संघ-शासन-विधान की शकल वैसी नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दिखाई पड़ती है।

भारतीय राजनीति इंग्लैंड के साथ मिली हुई है। या हम यह कह सकते हैं कि यहाँ के राजनीतिक प्रश्नों का सम्बन्ध सारे योरप की राजनीति से है। ब्रिटेन और जर्मनी की मौजूदा लड़ाई को देखते हुये इसमें किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता। एक छोटी-सी मिसाल से यह बात साफ़ हो जाती है कि वर्तमान तथा भविष्य में कोई भी स्वतन्त्र अथवा परतन्त्र देश अपनी अलग राजनीति नहीं रख सकता। यदि योरप की वर्तमान लड़ाई आरम्भ न हुई होती तो संघ-शासन विधान किसी न किसी शकल में पूरी तरह हिन्दोस्तान पर लागू हो गया होता। लेकिन इच्छा रखते हुये भी ब्रिटेन इसे

कार्यान्वित नहीं कर सकता। इसका परिणाम यह हुआ है कि केन्द्रीय शासन तथा स्वायत्त शासन की मशीन वही है जो १६१६ ई० में बनाई गई थी। इन दोनों के बीच में प्रान्तों का शासन १६३५ ई० के संघ-शासन-विधान के अनुसार हो रहा है। इतनी उलझनें होते हुये शासन-विधान लिखना बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना है। समूचे देश में कोई एक शासन-विधान कार्यान्वित नहीं हो रहा है। नदी के बहाव की तरह इसकी अनेक धारयें जगह-जगह पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। पाठकों को यह समझने के लिये इस बात का काफ़ी ध्यान रखना होगा कि किस ऐक्ट के अनुसार किस क्षेत्र का शासन-विधान चलाया जा रहा है।

भारतीय शासन-विधान में समय-समय पर जो परिवर्तन हुये हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन किये बिना शासन का विकास नहीं समझा जा सकता। भारतीय राजनीतिज्ञों में इस विषय में बड़ा मतभेद है कि किस ऐक्ट का कितना महत्व है। कुछ लोग १६१६ के शासन-सुधार को इंग्लैंड के महान् चार्टर (Magna Charta) से कम नहीं समझते। परन्तु एक दूसरी श्रेणी के लोग इसे कोई खास महत्व नहीं देते। इसी प्रकार नवीन संघ-शासन-विधान पर लोगों की विभिन्न रायें हैं। पक्षपात का दृष्टि से हम इसे अच्छा और बुरा दोनों कह सकते हैं। लेकिन जिसे शासन-विधान का गहराई के साथ निष्पक्ष भाव से अध्ययन करना है उसके सामने यह नीति काम नहीं दे सकती। साधारण लोग राजनीति को एक धोखे की टट्टी भले ही समझें, परन्तु यदि वे गहराई के साथ विचार करें तो उन्हें मालूम होगा कि मनुष्य के विचार की शृंखलाबद्ध सामग्री जितनी इस शास्त्र में मौजूद है उतनी साहित्य के किसी भी अंग में नहीं मिल सकती। शासन-विधान मनुष्य की सामाजिक मनोवृत्तियों का एक कोष है। ईस्ट इंडिया कम्पनी का जो उद्देश्य १६०० ई० में था वही उद्देश्य बृटेन आज भी हमारे देश में रखता है। दोनों की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में महान् अन्तर भले ही हो, लेकिन इनका सम्बन्ध आज हीन शताब्दियों से एक सा चला आ रहा है। राष्ट्रीय दथल-पुथल के कारण यदि बृटेन ने अपने उद्देश्य-पूर्ति में कुछ कमी की तो उसे किसी न किसी मार्ग से पूरा जरूर किया। भारतीय शासन-विधान इस बात का प्रमाण है कि हमारे देशवासियों को स्वतन्त्रता की कभी घोषणा नहीं की गई। संसार के प्रजातन्त्रवादी

देश बीसवीं सदी में इस अपमान को सहन नहीं कर सकते। यदि हिन्दोस्तान इसे सहन कर लेता है तो इसका कारण इस देश की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति है।

हमारे देश के शासन-विधान में एक ऐसी विशेषता है जो और देशों में नहीं पाई जाती। शासन के विकास का मुख्य उद्देश्य प्रजा की राजनीतिक स्वतन्त्रता की वृद्धि करना है। इस दृष्टि से जब हम अपने देश के शासन-विधान का अध्ययन करते हैं तो अपने आपको सदियों पीछे पाते हैं। यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारी सामाजिक उन्नति का स्रोत बहुत ही धीरे-धीरे बहता रहा है। राजनीतिक रुकावटों के कारण इसे वे अवसर प्राप्त नहीं हुये जो अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के मुक़ाबिले होने चाहिये। सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी हम घूम फिर कर उसी पुरानी जगह पर आ जाते हैं। अधिकारों का प्रलोभन दिखलाकर हमें संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब हम शांति-पूर्वक विचार करते हैं तो अपने आपको एक गोले चक्कर के चारों ओर घूमता हुआ पाते हैं। १९१६ में हमें यह आश्वासन दिलाया गया था कि अब हम स्वतन्त्रता की उस चोटी तक पहुँच गये हैं जहाँ से हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे दस वर्ष भी बीतने न पाये कि सारी आशाएँ मिट्टी में मिल गई। फिर वर्तमान संघ-शासन-विधान में वही पुरानी बात दुहराई गई। लेकिन देश के राजनीतिक वर्गों ने जब इसका अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि सेमर के फूल की तरह इसमें सुगन्धि का नाम भी नहीं है। यदि एक ओर से हिन्दोस्तानियों को कुछ अधिकार प्रदान किये जाते हैं तो दूसरी ओर से वे छीन लिये जाते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारा राजनीतिक विकास उस चोटी की चाल की तरह हो रहा है जो धीरे-धीरे कुमारी अन्तरीप से हिमालय की चोटी पर पहुँचना चाहती है।

इस पुस्तक के लिखने में मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करना है। शुरू से अन्त तक इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि भारतीय शासन-विधान के सम्बन्ध में ऊँची कक्षा के विद्यार्थियों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उन्हें यथास्थान उचित मात्रा में रक्खा जाय। साथ ही इसको भी ध्यान रक्खा गया है कि विषय नीरस और दुरूह न होने पायें। शासन-विधान को अधिक-से-अधिक रोचक बनाने का प्रयत्न किया गया है। जब तक कोई विषय कहानी की तरह पाठकों

के मस्तिष्क में नहीं बैठता तब तक वे उसके रस को नहीं समझते । इसीलिये प्रत्येक विषय को रोचक बनाने के लिये उसके ऐतिहासिक विकास का विशेष रूप से ध्यान रक्खा गया है । शासन-विकास की एक भी धारा ऐसी नहीं है जिसके पिछले इतिहास पर विचार न किया गया हो । विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य पाठकों की रुचि का भी ध्यान रक्खा गया है । पुस्तक को सरकारी ऐक्ट का संस्करण मात्र नहीं बनाया गया है । हर बात को पूरे प्रमाण के साथ भारतीय दृष्टि से समझने की कोशिश की गई है । किसी भी प्रकार का पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं किया गया है । निष्पक्ष भाव से जितनी सामग्री एकत्र हो सकी है उसी को अपनी बुद्धि-कौराल के अनुसार रख दिया गया है । भाषा के सम्बन्ध में आरम्भ से ही मेरी यह नीति रही है । कि वह इतनी पुष्ट हो कि गम्भीर विचारों को ग्रहण कर सके । कुछ लोग इसे सरल हिन्दी कहेंगे और कुछ हिन्दोस्तानी । इन दोनों में चाहे जो भी नाम पसन्द हो, भाषा के कारण विषय की गम्भीरता को मैंने नष्ट नहीं होने दिया है ।

पाठकों की सुविधा के लिये अन्त में छुगतकों की एक सूची जोड़ दी गई है । इन्हीं के आधार पर मैंने अपनी कुछ भेंट हिन्दी पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने का प्रयत्न किया है । इनके अतिरिक्त कुछ पत्र-पत्रिकाओं से भी सहायता ली गई है । मैं इन लेखकों तथा सम्पादकों का सर्वथा ऋणी रहूँगा । इनके विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों से मुझे जो सहायता मिली है उसका मैं अत्यन्त आभारी हूँ । अपने पूज्य गुरु डाक्टर बेनीप्रसाद का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस पुस्तक की भूमिका लिखने का कष्ट किया है, मैं सबसे अधिक ऋणी हूँ । इतने पर भी पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ मौजूद होंगी, जिन्हें पाठकगण खोज निकालने का कष्ट करेंगे । यदि मेरे इस प्रयत्न से पाठकों की रुचि भारतीय शासन-विधान के अध्ययन की ओर अग्रसर हुई तो इतने लेखकों के ऋण से मैं अपने आपको बहुत कुछ मुक्त समझूँगा ।

प्रयाग
१ मई, १९४१ ई० }

गोरखनाथ चौबे

भूमिका

आजकल के हिन्दोस्तान का शासन सम्बन्धी विकास इंग्लैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और दूसरे देशों के राजनीतिक संगठन से बहुत कुछ भिन्न है। राजनीतिक गहराई की दृष्टि—जो पश्चिमी देशों के सार्वजनिक जीवन की विशेषता थी, हममें न थी। हमारी 'पब्लिक लाइफ' (सार्वजनिक जीवन या खिदमते खल्क) पर जल्दी और बार-बार होने वाली तब्दीलियों का बैसा असर कभी नहीं पड़ा जैसा और देशों के लोगों पर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ की राजनीतिक तरक्की का ढंग नीरस या निस्सार रहा है। इसमें पूर्वी लोगों और पश्चिमी राष्ट्र के मिलन का अनुभव है। उनके आपस में मिलने-जुलने की तसवीर आइने की तरह साफ़-साफ़ दिखाई देती है। १८६१ के बाद हिन्दोस्तान को शासन-पद्धति का विकास साम्प्रदायिक ढंग पर हुआ है। हिन्दोस्तानी समाज के बहुत से हिस्सों के अलग-अलग बढ़ने की लगातार कहानी इसके अन्दर पाई जाती है।

जिसे हिन्दोस्तानी राजनीति की थोड़ी भी जानकारी हासिल करनी है और जिसके अन्दर राजनीतिक कामों में हाथ बँटाने की इच्छा है उसके लिये हिन्दोस्तान की शासन-पद्धति का पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस मुल्क में अब ३ करोड़ से ज्यादा लोगों को वोट देने का इख्तियार हासिल हो चुका है और राजनीतिक उन्नति इतनी हो चुकी है कि राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी और भी जरूरी हो जाती है। पं० गोरखनाथ चौबे एम० ए० ने इन दोनों जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। हमें विश्वास है कि हिन्दी जवान-

बालों की राजनीतिक जानकारी के लिए यह किताब सब तरह से मदद देगी। इसमें लेखक ने हिन्दोस्तानी इतिहास और राजनीति दोनों का इतनी खूबी के साथ बयान किया है कि शासन-पद्धति ऐसा कठिन मजमून हर पहलू से सहल और साफ हो गया है। राजनीतिक संस्थाओं की बारीकियों और उनकी कमजोरियों का इतना अच्छा वर्णन किया गया है कि पढ़ने वाले लेखक की मिहनत की तारीफ किये बगैर नहीं रह सकते। होम गवर्नमेंट, हिन्दोस्तान की सरकार और सूबों की सरकारों के काम करने के तरीके और इनके आपस के सम्बन्ध के बयान करने में लेखक को जो कामयाबी हासिल हुई है वह उसके बखूबी पढ़ने और समझने का नतीजा है। १९३५ के संघ शासन (फेडरेशन) विधान की जाँच-पड़ताल में किसी भी तरह की तरफदारी और खींचातानी नहीं की गई है।

लोगों का खयाल है कि आजकल की अन्तर्राष्ट्रीय उलझनों की वजह से मौजूदा शासन-विधान की कोई अहमियत नहीं है। केन्द्र और सात सूबों में शासन-विधान के स्थगित हो जाने से उनका ऐसा सोचना बहुत कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन आये दिन हमें इस पर विचार तो करना ही होगा। हुकूमत के मामले में कितनी ही तब्दीलियाँ, क्यों न हो जायँ, उसकी तवारीखी जानकारी के लिये तमाम पिछले तरीकों का जानना निहायत जरूरी है। ऐसी हालत में मौजूदा संघ-शासन की गहरी जानकारी हर हिन्दोस्तानी के लिये उसके राजनीतिक जीवन के वास्ते बहुत ही जरूरी है। आगे चल कर हुकूमत के जो तरीके काम में लाये जायेंगे उनकी बुनियाद बहुत कुछ इसी पर रखी जायगी। विद्यार्थियों और दूसरे लोगों के लिये इसीलिये यह जरूरी है कि वे इसकी जानकारी पूरी तरह हासिल करें, ताकि मौक़ा आने पर वे मुल्क की तरक्की में कन्धा टेक सकें।

स्थानिक शासन (Local self-government) और गाँव की पंचायतों के महत्व को लेखक ने पूरी तरह समझा है। पंचायत पर एक अलग बयान लिखकर इसके फ़ायदे पर अच्छी रोशनी डाली गई है। हिन्दोस्तानी हुकूमत के सभी पहलुओं पर नज़र डालते हुये ऐसा कोई सवाल नहीं उठता जिसका जवाब किताब के अन्दर मौजूद न हो। अगर कुछ पेचीदे सवाल पूरी तौर से बयान नहीं किये गये हैं तो इसकी वजह सिर्फ़ यही है कि हुकूमत का मजमून अपने दायरे से बाहर न जाने पाये। कोई भी लेखक बड़ी-से-बड़ी किताब के

अन्दर तमाम पेचीदगियों को हल नहीं कर सकता। कचहरियाँ, स्वास्थ्य और सफाई, सरकारी आमदनी और खर्च तथा नौकरियाँ इनका अलग-अलग बयान किया गया है। देशी रियासतों की मौजूदा राजनीतिक हालत, हिन्दोस्तानी सरकार से उनका सम्बन्ध और उनकी आगे आने वाली हालत पर भी रोशनी डाली गई है। मतलब यह है कि हिन्दोस्तान की राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी के लिये वे तमाम बातें इसमें मौजूद हैं जो हर एक हिन्दोस्तानी के लिये जरूरी हैं। यह सौभाग्य की बात है कि अब हिन्दी में भी इस तरह की गम्भीर राजनीतिक किताबें लिखी जाने लगी हैं। इसकी ज़बान बहुत ही साफ और सहल है। इसलिये पढ़ने वालों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़ेगा।

राजनीति विभाग
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
१ मई, १९४१ ई०

बेनीप्रसाद

द्वितीय संस्करण की भूमिका

“आधुनिक भारतीय शासन” के पहिले संस्करण की उपयोगिता को देखते हुये यह स्पष्ट है कि भारतीय शिक्षितवर्ग अपने देश के शासन-विधान में अधिक रुचि लेने लगा है। लोगों में शासन सम्बन्धी बातों की जिज्ञासा बढ़ रही है। मेरे पास कितने ऐसे पत्र आये जिनमें यह सुझाव दिया गया कि अमुक-अमुक अध्याय और बढ़ाकर पुस्तक अधिक विस्तृत कर दी जाय। मुझे खेद है कि राजनीति तथा नागरिक शास्त्र के विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखते हुये ऐसा न कर सका। कुछ विद्वानों का यही निर्णय रहा कि अपने क्षेत्र में पुस्तक परिपूर्ण है और इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

दूसरे संस्करण में पुस्तक को पूर्णरूप से सामयिक कर दिया गया है। भाषा सम्बन्धी त्रुटियों के सुधार पर विशेष ध्यान रखते हुये कितने ही नये वाक्य यथा स्थान घटाये बढ़ाये गये हैं। मूल विषय में कोई परिवर्तन नहीं है और अध्यायों के क्रम आदि पूर्ववत् रखे गये हैं। चूँकि भारतीय शासन-विधान की रूप-रेखा में पहले से कोई अन्तर नहीं है, इसीलिये नये अध्यायों को जोड़कर पाठकों को भ्रम में डालने के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं। आशा है पाठकगण को इस दूसरे संस्करण में कुछ नई बातें अवश्य मिलेंगी। पुस्तक को छपने में काफी देर हुई और विद्यार्थियों को इससे अनेक प्रकार की असुविधाएँ आईं। इसके लिये मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।

हिन्दू महिला विद्यालय

प्रयाग

जनवरी १९४५



गोरखनाथ चौबे

तीसरे संस्करण की भूमिका

भारतीय शासन के पठन-पाठन की जिज्ञासा लोगों में कितनी बढ़ रही है, इसका अनुमान लेखक पुस्तक के संस्करणों से करता है। 'आधुनिक भारतीय शासन' का दूसरा संस्करण एक वर्ष में ही समाप्त हो गया। इस तीसरे संस्करण में केवल इतना संशोधन किया गया है कि सब बातें सामयिक कर दी गई हैं। १९४६ तक की भारतीय राजनीति की जानकारी विद्यार्थी अच्छी तरह कर सकते हैं।

ऐसे समय में जब कि भारतीय शासन-विधान हर पहलू से डाँवाँ-डोल है और कोई बात निश्चित नहीं है, शासन की ठोस व्याख्या सर्वथा असम्भव है। संघ-शासन की बुनियाद क्या है इसका स्पष्ट उत्तर 'विधान-सम्मेलन' की सफलता पर निर्भर है। तब तक विद्यार्थी इसी शासन-विधान की रूप-रेखा का अध्ययन करें। राजनीतिक उथल-पुथल शासन-विधान पर क्या असर डालती है— इस कठिनाई को लेखक भलीभाँति महसूस करते हैं। यही वजह है कि भारतीय शासन-विधान कोई स्थाई रूप नहीं रखता।

महिला-शिक्षा-परिषद्

इलाहाबाद

अगस्त १९४६ ई०



गोरखनाथ चौबे

विषय-सूची

प्राक्कथन—भूमिका

अध्याय १

शासन का विकास

भौगोलिक स्थिति—अंगरेजों का आगमन—ऐतिहासिक विभाग—प्रथम काल—१७७३ ई० का चार्टर ऐक्ट—पिट्स इण्डिया बिल—१८१३ का चार्टर ऐक्ट—१८३३ का चार्टर ऐक्ट—१८५३ का चार्टर ऐक्ट—द्वितीय काल—१८५८ का चार्टर ऐक्ट—केन्द्रीय सरकार की वृद्धि—धारा-सभाओं का विकास—१८३३ का चार्टर ऐक्ट—१८६१ का चार्टर ऐक्ट—१८६२ का चार्टर ऐक्ट—१९०६ का मार्ले-मिन्टो सुधार—भारत में राजनीतिक असन्तोष और सहयोग की नीति—१९१७ का घोषणा-पत्र—तृतीय काल—१९१६ का शासन-सुधार—सत्याग्रह आन्दोलन—साइमन कमीशन—हरविन की घोषणा—साइमन कमीशन की रिपोर्ट—पहिली गोलमेज सभा—गाँधी हरविन समझौता—दूसरी गोलमेज सभा—साम्प्रदायिक निर्णय—तीसरी गोलमेज सभा—सफ़ेद पत्र और १९३५ का शासन-विधान—नये शासन-विधान का श्रीगणेश—कॉंग्रेसी सरकारों का इस्तीफ़ा—सत्याग्रह आन्दोलन—सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का आगमन—अगस्त की तोड़ फोड़ और ब्रिटिश सरकार की जिम्मेवारी—वर्तमान स्थिति ।

पृष्ठ १—२६

अध्याय २

शासन के गुण-दोष

संघ शासन की आवश्यकता—संघ-शासन क्या है—संघ-शासन की शर्तें—शासन की प्रधानता—शक्ति-विभाजन—संघ न्यायालय—भारतीय संघ-शासन का विकास—भारतीय संघ-शासन के गुण-दोष—संघ-शासन के भयंकर परिणाम—सीधा मार्ग ।

पृष्ठ ३०—४२

(२)

पहिला खंड

गृह सरकार

(Home Government)

अध्याय ३

सम्राट् तथा पार्लियामेंट

गृह सरकार—सम्राट्—सम्राट् और भारत सरकार—पार्लियामेंट—लार्ड सभा—प्रिवी कौंसिल—कामन सभा—कैबिनेट—कामन सभा और भारत सरकार ।

पृष्ठ ४३—१६

अध्याय ४

भारत-मन्त्री और इंडिया कौंसिल

भारत-मन्त्री की आवश्यकता—भारत-मन्त्री की नियुक्ति—भारत-मन्त्री की जिम्मेवारी—भारत-मन्त्री के अधिकार—१९३५ के शासन-विधान में भारत-मन्त्री का स्थान—इंडिया कौंसिल का विकास—१९३५ का शासन-विधान और भारत-मन्त्री के सलाहकार ।

पृष्ठ ५६—६६

अध्याय ५

हाई कमिश्नर

(The High Commissioner for India)

हाई कमिश्नर की नियुक्ति—इसके कर्तव्य—नागरिक और उसकी आवश्यकतायें—सरकार की आवश्यकतायें—भारत-सरकार की आवश्यकतायें—लन्दन में खरीद—स्वर्ण ख़ास—हाई कमिश्नर के कार्य और इसकी जिम्मेवारी—१९३५ के शासन-विधान में हाई कमिश्नर का स्थान ।

पृष्ठ ६७—७६

अध्याय ६

गृह-सरकार और भारत-सरकार का सम्बन्ध

राजनीतिक सम्बन्ध—आर्थिक सम्बन्ध—नैतिक सम्बन्ध—गृह-सरकार क्या करे ?

पृष्ठ ८०—९०

(३)

दूसरा खंड

केन्द्रीय सरकार

(Central Government)

अध्याय ७

गवर्नर-जनरल और वाइसराय

पदों का स्पष्टीकरण—गवर्नर-जनरल के पद का इतिहास—गवर्नर-जनरल की नियुक्ति, इसका काल और वेतन—गवर्नर-जनरल के अधिकार—गवर्नर-जनरल के निजी अधिकार—१९३५ के शासन-विधान में गवर्नर-जनरल के अधिकार ।

पृष्ठ ६१—१०३

अध्याय ८

केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा

(Central Executive)

कार्यकारिणी की आवश्यकता—आज और कल—वर्तमान केन्द्रीय कार्यकारिणी—कार्यकारिणी सभा की कार्य-पद्धति—विभाग प्रणाली—केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा के अधिकार—१९३५ के शासन-विधान में संघ-कार्यकारिणी—मन्त्रियों की सभा—सलाहकार—संघ-कार्यकारिणी के गुणदोष—राष्ट्रीय सरकार ।

पृष्ठ १०३—११३

अध्याय ९

केन्द्रीय धारा-सभा

(Central Legislature)

धारा-सभा की आवश्यकता—धारा-सभा के अधिकार और कर्तव्य—प्रस्ताव—अविश्वस का प्रस्ताव—स्थगित प्रस्ताव—प्रश्नोत्तर—भारतीय धारा-सभा का स्वरूप—कौंसिल आफ स्टेट—लेजिस्लेटिव असेम्बली—केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्यों की योग्यता—इनके निर्वाचकों की योग्यता—केन्द्रीय धारा-सभा की कार्य-पद्धति और कानून का बनना—केन्द्रीय धारा-सभा के

अधिकार—१९३५ के संघ-शासन-विधान में केन्द्रीय धारा-सभा की शकल—
कौंसिल आफ स्टेट—फ़ेडरल असेम्बली—दोनों सभाओं पर आलोचनात्मक
दृष्टि—कार्य-पद्धति और अधिकार—स्थानों का स्तर—केन्द्रीय धारा-सभा
और केन्द्रीय कार्यकारिणी का सम्बन्ध । पृष्ठ ११३—१३६

अध्याय १०

केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध

दोनों सरकारों का दर्जा—ऐतिहासिक सम्बन्ध—शक्ति-संचय-काल—
शक्ति-वितरण-काल—प्रान्तीय स्वराज । पृष्ठ १३६—१४८

तीसरा खंड

प्रान्तीय सरकार

अध्याय ११

गवर्नर

हिन्दोस्तान के राजनीतिक विभाग—नये शासन-विधान में प्रान्तीय
विभाजन—गवर्नर—गवर्नर के अधिकार—कानूनी अधिकार ।

पृष्ठ १४८—१५८

अध्याय १२

प्रान्तीय मन्त्रिमंडल

मन्त्रियों की आवश्यकता—मन्त्रियों की सभा—१९३५ के शासन-विधान
में प्रान्तीय मन्त्रिमंडल—मन्त्रिमंडल की कार्य-पद्धति । पृष्ठ १५८—१६८

अध्याय १३

प्रान्तीय धारा-सभा

ऐतिहासिक विकास—१९३५ के शासन-विधान में प्रान्तीय धारा-सभायें
लेजिस्लेटिव कौंसिल—लेजिस्लेटिव असेम्बली—प्रान्तीय धारा-सभाओं में
प्रतिनिधियों की योग्यतायें—लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्यों के लिये वोट
देंने का अधिकारी कौन है—लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों के लिये वोट

देने का अधिकारी कौन है—प्रान्तीय धारा-सभाओं के सभापति—प्रान्तीय धारा-सभाओं के अधिकार और कर्तव्य—प्रान्तीय धारा-सभा की कार्यवाही ।
पृष्ठ १७६—१६१

अध्याय १४

प्रान्तीय स्वराज

(Provincial Autonomy)

परिभाषा—प्रान्तीय स्वराज की माँग—प्रान्तीय स्वराज पर विभिन्न मत—
प्रान्तीय स्वराज का क्रियात्मक रूप—प्रान्तीय स्वराज और गवर्नरों के विशेषा-
धिकार—चीफ कमिश्नरों के सूबे और प्रान्तीय स्वराज—पिछड़े हुये भाग
और प्रान्तीय स्वराज—परिशिष्ट ।
पृष्ठ १६१—२१०

चौथा खंड

स्थानीय स्वायत्त-शासन

(Local Self-Government)

अध्याय १५

प्रान्तीय विभाग

प्रान्तों का विभाजन—कलेक्टर या ज़िलाधीश—कलेक्टर के न्याय-
सम्बन्धी अधिकार—कलेक्टर की अन्य जिम्मेदारियाँ—कलेक्टर के दोहरे
अधिकारों की मीमांसा—ज़िले का विभाजन तथा अन्य कर्मचारी ।
पृष्ठ २१०—२२३

अध्याय १६

स्थानीय स्वराज

स्थानीय स्वराज की आवश्यकता—स्थानीय स्वराज का तात्पर्य—
स्थानीय स्वराज में सुधार—स्वायत्त शासन की सीमा—प्राचीन भारत और
स्थानीय स्वराज—वर्तमान स्थानीय संस्थाओं का विकास । पृष्ठ २२३—२३६

अध्याय १७

स्थानीय संस्थाये

स्थानीय संस्थाये—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थापना—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का संगठन—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आय और व्यय—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्तव्य—ग्राम पंचायतें—शहरी स्थानीय संस्थाये—शहरों की वृद्धि और उनकी समस्याये—कारपोरेशन—कलकत्ता कारपोरेशन—बम्बई कारपोरेशन—मद्रास कारपोरेशन—म्युनिसिपल बोर्ड और उनका संगठन—म्युनिसिपल बोर्ड के कर्तव्य—म्युनिसिपल बोर्ड का आय और व्यय—इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट—पोर्ट ट्रस्ट—स्थानीय संस्थाओं पर आलोचनात्मक दृष्टि । पृष्ठ २४०—२६७

अध्याय १८

ग्राम-पंचायत

ग्राम की परिभाषा—गाँव और भारतीय शासन—ग्राम संगठन—गाँव की क्रिस्में—ग्राम पंचायत—ग्राम पंचायतों का चुनाव—गाँव और राजा—ब्रिटिश राज्य में ग्राम पंचायतें । पृष्ठ २६७—२८५

पाँचवाँ खंड

विभिन्न विषय

(Miscellaneous)

अध्याय १९

भारतीय रियासतें

रियासतों की संख्या और इनका विभाजन—नरेन्द्र मंडल—रियासतों में ज़िम्मेवार शासन—रियासतों के अधिकार—सर्वोच्च अधिकार—रियासतें और संघ-शासन—रियासतों का भविष्य । पृष्ठ २८६—२८५

अध्याय २०

स्वास्थ्य और सफ़ाई

सभ्यता की पहचान—गाँव और शहर—स्वास्थ्य और सफ़ाई की प्राचीन व्यवस्थाये—स्वास्थ्य सम्बन्धी वर्तमान सरकारी संगठन—अस्पताल और

(७)

श्रौषधालय—स्कूल और कालेजों में स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध—स्त्रियों की चिकित्सा—गैर सरकारी संस्थायें—अन्वेषण कार्य—नवीन योजनायें ।

पृष्ठ २८५—३१२

अध्याय २१

न्यायालय

(Judiciary)

न्यायालय का महत्व—न्याय की प्राचीन व्यवस्था—ब्रिटिश राज्य में न्यायालयों का विकास—प्रिवी कौंसिल—संघ-न्यायालय और इसकी आवश्यकता—संघ-न्यायालय का संगठन—संघ-न्यायालय के अधिकार और कर्तव्य—संघ-न्यायालय की कमजोरियाँ—हाईकोर्ट—हाईकोर्ट के अधिकार—जिला कोर्ट—थोरप निवासियों के मुकदमें ।

पृष्ठ ३१३—३३१

अध्याय २२

सरकारी नौकरियाँ

सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव—भारतीय सरकारी नौकरियों का इतिहास—१९१६ ई० का शासन सुधार और सरकारी नौकरियाँ—१९३५ का शासन-विधान और सरकारी नौकरियाँ—रक्षा सम्बन्धी नौकरियाँ—सिविल सर्विस—सरकारी नौकरियों में सुधार ।

पृष्ठ ३३१—३४३

अध्याय २३

शिक्षा

शिक्षा की आवश्यकता—उचित शिक्षा—भारत में शिक्षा का इतिहास—प्राचीन भारत में शिक्षा—मध्ययुग की शिक्षा-प्रणाली—आधुनिक शिक्षा का विकास—वर्तमान शिक्षा संगठन—प्रारम्भिक शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा—यूनिवर्सिटी शिक्षा—औद्योगिक शिक्षा—विदेशों में भारतीय विद्यार्थी—बुनियादी शिक्षा—स्त्री-शिक्षा—शिक्षा में सुधार की आवश्यकता ।

पृष्ठ ३४५—३६७

(८)

अध्याय २४

सरकारी आय-व्यय

(Indian Finance)

सरकार की आर्थिक आवश्यकतायें—भारत सरकार और भारतीय प्रजा—ब्रिटिश सरकार की टैक्स सम्बन्धी नीति का इतिहास—१९१९ का शासन-सुधार और सरकारी आय-व्यय—मेस्टन अवार्ड—संघ-शासन और आर्थिक संगठन—भारतीय संघ शासन-विधान और आर्थिक प्रबन्ध—आर्थिक बटवारा—संघ सरकार और देशी रियासतों का आर्थिक सम्बन्ध—गवर्नर-जनरल तथा गवर्नरों के आर्थिक अधिकार—प्रजा के धन का अपव्यय—भारत सरकार के आर्थिक कर्तव्य । पृष्ठ ३६३—३७५

अध्याय २५

पुलीस और जेल

पुलीस की उपयोगिता—अंगरेजी राज से पहले—भारतीय पुलीस का विकास - वर्तमान पुलीस संगठन—पुलीस की कुछ बेजा हरकतें—जेल का ऐतिहासिक विकास—वर्तमान संगठन—जेलों का सुधार । पृष्ठ ३७६—३८६

आधुनिक भारतीय शासन

अध्याय १

शासन का विकास

भारतवर्ष का क्षेत्रफल १८०८६७५ वर्ग मील है जिसमें ब्रिटिश भारत का क्षेत्रफल १०६६१७१ वर्ग मील और भारतीय भौगोलिक स्थिति रियासतों का ७१२५०८ वर्ग मील है। ब्रिटिश भारत में २६५८२७००० व्यक्ति तथा भारतीय रियासतों में ६२६७३००० व्यक्ति रहते हैं। उत्तर से दक्खिन तक इस देश की लंबाई २००० मील और चौड़ाई २५०० मील है। भारत-वर्ष स्वयं एक संसार है। सारे संसार का भ्रमण करने पर भी इस देश में कुछ नवीनता दिखलाई पड़ेगी। समूचे देश की जनसंख्या लगभग ४० करोड़ के है। पिछले दस वर्षों में यहाँ की आबादी १५ फी सदी बढ़ गई है। चीन के सिवाय यह देह संसार में सबसे बड़ा है। रूस को छोड़कर यह सारे योरुप के बराबर है। ब्रटेन के बराबर बराबर इसके १५ टुकड़े किए जा सकते हैं। समुद्र के किनारों की लंबाई ५००० मील के लगभग है। इतना लंबा किनारा बहुत कम देशों को नसीब होगा। इन्हीं किनारों पर कराँची, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता ऐसे बन्दरगाह हैं।

ब्रिटिश-साम्राज्य में दूसरे दर्जे का शहर कलकत्ता इसी देश में मौजूद है। इसकी जनसंख्या २१२०००० है। संसार की सबसे पवित्र नदी गंगा इसी देश में बहती है। इसकी प्रशंसा वेदों के अतिरिक्त यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक सुकरात ने भी की है। जिस बौद्ध धर्म को

आज भी संसार का आठवाँ भाग मान रहा है, उसका जन्मदाता भगवान बुद्ध इसी देश में पैदा हुए थे। कृष्ण ऐसे महापुरुष ने, जिसका दर्शन-शास्त्र संसार की सभी भाषाओं में अनुवादित हो चुका है, इसी देश में जन्म लिया था। आज भी संसार का सबसे महान् व्यक्ति महात्मा गाँधी यहीं निवास करते हैं। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि इस देश में कोई ऐसी विशेषता है जो महान् व्यक्तियों को उत्पन्न करती रहती है। समय के प्रवाह में यह देश आज पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, परन्तु इसका पिछला इतिहास सोने के अक्षरों में अभी तक हमारे सामने मौजूद है। विदेशियों ने भी मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है। फ्रान्सीसी यात्री बरनियर लिखता है, 'यह हिन्दोस्तान एक ऐसा अथाह गड्ढा है जिसमें संसार का अधिकांश सोना और चाँदी चारों ओर से अनेक रास्तों से आ आकर जमा होता है, और जिससे बाहर निकलने का उसे एक भी रास्ता नहीं मिलता।' सम्भव है हमें फिर वे दिन देखने को मिलें।

भौगोलिक दृष्टि से हिन्दोस्तान की स्थिति संसार के सभी देशों से अच्छी है। जापान की तरह यहाँ बार बार भूचाल और ज्वार भाटे नहीं आते। अफ्रीका की तरह यहाँ कोई रेगिस्तान नहीं है। इस देश की प्राकृतिक बनावट उस किले की तरह है, जिस पर दुश्मन का एक भी हमला काम नहीं कर सकता। उत्तर में २६००२ फीट ऊँचा हिमालय पर्वत है। इतना ऊँचा पहाड़ संसार के किसी भी देश में नहीं पाया जाता। बाकी तीन तरफ अथाह समुद्र है। इन्हीं से सारे देश को पानी मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से यह देश उस स्थान पर बसा हुआ है जहाँ से संसार के सभी रास्ते गुज़रते हैं। यही कारण है कि एक समय यह देश संसार भर से तिजारत करता था। यहाँ की बनी हुई चीज़ें दुनियाँ की बाज़ारों में चौगुनी कीमत पर बिकती थीं।* सड़कों का समूचे देश में एक जाल सा फैला हुआ है। नदियों के कारण व्यापार में और भी आसानी पड़ती है। कच्चे माल की जो सुविधा इस देश में पाई जाती है वह किसी और देश में नहीं मिलती। यदि यहाँ का कच्चा माल बाहर जाने से रोक दिया जाय तो योरुप के कितने ही देश गरीबी से तबाह हो जायेंगे। यह देश संसार भर को जूट प्रदान करता है। दुनिया में जितनी चाय की खपत है उसका ६० फीसदी यहीं पैदा

*Ruins of the Indian Trade and Industries—B. D. Basu.

होता है। ६० फ्रीसदी लाह संसार को यही देता है। इस देश को कच्चे माल का एक बहुत बड़ा कारखाना कहा जाय तो अनुचित न होगा।

सारा देश सूबों और रियासतों में बँटा हुआ है। प्रत्येक हिस्सा अपनी अपनी विशेषतायें रखता है। जिस प्रकार योरुप का एक निवासी अपने ही महाद्वीप में दूसरे देशवासियों की बोली नहीं समझता, उसी तरह हिन्दोस्तान के एक हिस्से का रहने वाला दूसरे प्रान्त की बोली नहीं जानता। समूचे देश में २२५ भाषाएँ बोली जाती हैं। इस देश की बदनसीबी यह है कि सब से उपजाऊ होते हुए भी यह सब से गरीब है। अमेरिका, रूस और हिन्दोस्तान—ये तीनों संसार के सबसे धनी देशों में गिने जा सकते हैं। हिन्दी इस देश की मातृ-भाषा है। चीनी भाषा को छोड़कर इसके बोलने वाले संसार में सब से अधिक हैं। सारे भारतवर्ष में १५०० संस्थायें हिन्दी प्रचार का कार्य कर रही हैं। लगभग २३ करोड़ आदमी हिन्दी बोलते हैं। इस देश की जलवायु न अधिक ठंडी है और न गर्म। मध्यम दर्जे की गर्मी और सर्दी दोनों ही पड़ती हैं। साल में चार चार महीने के तीन मौसम होते हैं। ये क्रमशः एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। मौसमों का इतना सुन्दर क्रम किसी और देश में नहीं पाया जाता।

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि इस देश की भौगोलिक परिस्थिति सर्वथा अनुकूल है। उन्नति के सभी साधन प्रकृति ने इसे दे रखे हैं। नदी, पहाड़, भूमि, समुद्र और जंगल, इनसे न केवल यहाँ के निवासी, बल्कि संसार के बहुत से लोग लाभ उठाते हैं। इस देश की अच्छी से अच्छी लकड़ी विदेशों में भेज दी जाती है। शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से इस देश की जलवायु व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुकूल है। यहाँ का वातावरण धार्मिक विचारों से ओत-प्रोत है। यहाँ के निवासियों का जीवन सरल और उनके विचार उच्च होते हैं। अधिकतर व्यक्ति गाँवों में निवास करते हैं। इन्हीं के अनुकूल इस देश का सामाजिक संगठन भी बनाया गया था, जो किसी न किसी रूप में आज भी दिखाई पड़ता है। ग्राम-पंचायतें इस देश की सब से पुरानी संस्थायें हैं। अंगरेजी राज के पहले केन्द्रीय शासन कभी भी स्थानीय संगठनों में बाधा नहीं डालता था। पंचायतें स्वतंत्र रूप से राज्य करती थीं। सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की भावना दिखाई पड़ती थी। भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के राष्ट्रीय जीवन को एक विशेष ढाँचे में ढाल दिया था।

सर टामस रो १६१५ ई० में जहाँगीर के दरबार में आया। तब से बराबर अँगरेजों के आने का एक ताँता आरम्भ हुआ।

अँगरेजों का आगमन १६०० ई० में एलिज़ाबेथ के समय में ईस्ट इंडिया-कम्पनी की स्थापना हुई। इस कम्पनी का उद्देश्य हिन्दोस्तान से व्यापार करना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तिजारती अँगरेज इस देश में लगातार आते रहे। उस समय इस देश की राजनीतिक परिस्थिति काफ़ी अच्छी थी। औरंगज़ेब की मृत्यु तक, अर्थात् सन् १७०७ ई० तक यहाँ का शासन-प्रबन्ध बहुत ही सुदृढ़ और सर्वप्रिय था। किसी विदेशी के दिल में यह खयाल तक नहीं आ सकता था कि मुग़ल राज्य का सितारा किसी दिन अस्त हो जायगा। पुर्तग़ीज़, फ़्रान्सीसी, डच और अँगरेज सभी अपनी अपनी तिजारत में लगे हुए थे। व्यापार में एक दूसरे को दबा देने के लिए इनमें आपस में छोटी-मोटी लड़ाइयाँ भी होती रहीं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ये लड़ाइयाँ औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद आरम्भ हुईं। मुग़लों में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े राज्य को चलाता। केन्द्रीय शासन कमज़ोर होने लगा। प्रान्तों के सूबेदार और नवाब मनमानी करने लगे।

इस बिगड़ती हुई राजनीतिक परिस्थिति से विदेशियों ने पूरा पूरा लाभ उठाया। इनके आपसी झगड़े दक्खिनी हिन्दोस्तान के कोने कोने में फैल गये। हिन्दोस्तानियों ने भी इनमें हिस्सा लिया। अन्त में अँगरेजों की विजय हुई। १७५७ ई० में प्लासी की लड़ाई ने इस बात का फ़ैसला कर दिया कि अँगरेज भारतीय व्यापार में सर्वोत्तम हैं। १७६५ ई० में अँगरेजों को बंगाल की दीवानी मिली। उन्हें यह अधिकार मिला कि वे बंगाल प्रान्त की मालगुजारी वसूल कर सरकारी ख़जाने में भेज दें। इसके बदले में उन्हें कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। अभी तक अँगरेज केवल व्यापारी समझे जाते थे, लेकिन १७६५ के बाद वे धीरे धीरे राजनीतिक मामलों में हाथ डालने लगे। ज्यों ज्यों इस देश का शासन प्रबन्ध कमज़ोर होता गया, अँगरेजों को राजनीतिक मामलों में हाथ बटाने का मौक़ा मिलता गया। परिणाम यह हुआ कि १८५७ ई० तक ईस्ट-इंडिया कम्पनी हिन्दोस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से का मालिक बन गई। हिन्दोस्तानियों ने होश सँभाला और १८५७ ई० में अपनी खोई हुई आज़ादी का हासिल करने का एलान किया। इसी को ग़दर के नाम से सूचित किया जाता है। हिन्दोस्तानी इसमें असफल रहे। १८५८ ई०

में ईस्ट-इंडिया कम्पनी तोड़ दी गई। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने भारतीय शासन का भार अपने हाथों में ले लिया। तब से आज तक यही पार्लियामेंट इस देश का शासन कर रही है। भारत की राजसत्ता इसी के हाथ में दी गई है।

अमेरिका की शासन-पद्धति की तरह भारतवर्ष का शासन-विधान एक या दो दिन में नहीं बनाया गया है। कहा जाता है ऐतिहासिक कि अमेरिका की शासन-पद्धति को २० मिनट में कोई विभाग भी पढ़ सकता है। १७८३ ई० में वहाँ की शासन-पद्धति का निर्माण किया गया था। भारतवर्ष की शासन-पद्धति इतनी सूक्ष्म नहीं है। इसे समझने के लिए काफ़ी समय और सामग्री की आवश्यकता है। इसका विकास क्रमशः हुआ है। हिन्दू और मुसलमानी ज़माने में जो शासन-पद्धति यहाँ थी उसका वर्णन करना हमारी इस पुस्तक के बाहर की चीज़ है। हमें केवल यही देखना है कि अंगरेज़ी राज में जो शासन-पद्धति बनी उसका विकास कैसे हुआ। किस समय यह शासन-पद्धति बनी, कब कब इसमें परिवर्तन किए गए और वर्तमान शासन-पद्धति किन सीढ़ियों से होकर आज स्थापित की गई है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि नये शासन-विधान का स्वरूप कैसा है। इसमें कौन कौन सी त्रुटियाँ हैं।

भारतीय शासन-पद्धति के विकास का वर्णन करते हुए १९०६ ई० में ३ दिसम्बर को ब्रिटिश सम्राट् की ओर से एक विवरण प्रकाशित किया गया था, जिसका आशय निम्नलिखित है :—

“१७७१ और १७८४ ई० में जो क़ानून पास किए गये थे, उनका आशय हिन्दोस्तान में ईस्ट इंडिया कम्पनी की मातहत में एक सुव्यवस्थित शासन पद्धति की स्थापना करना था। १८३३ ई० के क़ानून ने भारतवासियों के लिए नौकरी आदि का दरवाज़ा खोल दिया। १८५८ के क़ानून ने भारतवर्ष का शासन-प्रबन्ध कम्पनी के हाथ से सम्राट् के हाथ में दे दिया। उसी समय जनता को बहुत से अधिकार, जो अभी तक मौजूद हैं, दिए गये थे। १८६१ ई० के क़ानून ने प्रतिनिधित्व शासन की नींव डाली। १९०६ ई० के क़ानून के अनुसार भारतीयों के अधिकार की ओर भी वृद्धि हुई।” १९१६ के क़ानून ने भारतीय प्रतिनिधियों को शासन में बहुत बड़ा हिस्सा देकर यह स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार वे प्रान्तीय स्वराज से बढ़ते बढ़ते पूर्ण स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। १९३५

ई० के शासन-विधान ने भारतवासियों को प्रान्तीय स्वतंत्रता की पूरी बाग-डोर सौंप दिया है।

अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय शासन के विकास के हम तीन भाँगों में बाँट सकते हैं। पहले काल में कम्पनी केवल व्यापारिक संस्था थी। धीरे धीरे वह एक बहुत बड़े राज्य का मालिक बन बैठी। दूसरे काल में पार्लियामेंट ने शासन प्रबन्ध का भार अपने हाथ में ले लिया और एक दृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना की। तीसरे काल में भारतवासियों को शासन-प्रबन्ध में थोड़ा बहुत अधिकार दिया गया। यही अधिकार आज प्रान्तीय स्वराज के नाम से सूचित किया जाता है।

प्रथम काल (१७१७ — १८५८)

ऊपर कहा गया है कि ईस्ट-इंडिया-कम्पनी की स्थापना १६०० ई० में हुई थी। इसका उद्देश्य भारतवर्ष से केवल व्यापार करना था। कुछ लोगों की यह धारणा है कि आरम्भ में ही अँगरेजों का उद्देश्य एक राज्य की स्थापना करना था, लेकिन यह बात सरासर गलत है। इंग्लैंड और हिन्दोस्तान के इतिहास को देखते हुए, इस कथन को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। दक्षिणी हिन्दोस्तान में कम्पनी ने अपना व्यापार आरम्भ किया। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। प्रान्तों के हाकिम मनमानी करने लगे थे। कम्पनी ने शासन की कमजोरी से काफी लाभ उठाया। उसके नौकर राजनीतिक मामलों में हाथ डालने लगे। धीरे धीरे उनकी तिजारत भी बढ़ती गई। इसलिए कम्पनी का दबदबा दक्षिणी हिन्दोस्तान में बढ़ने लगा। उधर १७६५ ई० में बंगाल की दीवानी ले लेने से कम्पनी को काफ़ी मुनाफ़ा होने लगा। उसे अपनी तिजारत में उतना फ़ायदा नहीं दिखलाई देता था जितना बंगाल की लगान-वसूली में। प्रजा से मनमाना धन वसूल करने में कम्पनी ने कोई कसर बाक़ी न रखी। अब उसे इस बात का चस्का लगा कि इसी तरह और भी सूबों में अधिकार प्राप्त किए जाएँ। नतीजा यह हुआ कि दक्षिणी हिन्दोस्तान में वर्षों तक तिजारत का बहाना लेकर लड़ाइयाँ चलती रहीं।

राज्य की स्थापना तो कम्पनी ने कर दिया लेकिन उसके पास शासन प्रबन्ध की सामग्री काफ़ी नहीं थी। बंगाल के गवर्नर १७७३ ई० का ने ११ नवम्बर १७७३ ई० के एक पत्र में यह लिखा चार्टर ऐक्ट कि "जो कुछ भी जगह कम्पनी के अधिकार में आ

गई है उसके प्रबन्ध का कोई माकूल इन्तज़ाम नहीं है।' उसने यह भी प्रगट किया कि जल्दी से जल्दी एक ऐसी मशीन बनानी चाहिए जिससे शासन का कार्य चलाया जाय। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने १७७३ ई० में रेग्युलेटिंग ऐक्ट (Regulating Act) पास करके हिन्दोस्तान में एक गवर्नर जनरल और उसकी कौन्सिल के लिए विधान बनाया। कलकत्ते में फ़ोर्ट विलियम के स्थान पर एक न्यायालय भी इसी ऐक्ट के अनुसार स्थापित किया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर अपना सब काम गवर्नर-जनरल की सलाह से करने लगे। पार्लियामेंट को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह कम्पनी के मामलों में हाथ डाल सके। गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए ४ सदस्यों की एक सभा बनाई गई। इसका उद्देश्य यह था कि जो कुछ राज्य कम्पनी के हाथ में आ गया है उसे अच्छी तरह चलाया जाय। साथ ही और भी नई नई जगहें शामिल की जायँ।

१७८४ ई० में पिट इंडिया बिल पास किया गया। अब तक कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स कम्पनी के कामों की देख रेख करते थे, लेकिन इस ऐक्ट के अनुसार एक नये संगठन का जन्म हुआ जिसका नाम बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल रक्खा गया। अब से कम्पनी की कार्रवाइयों की देख रेख बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल और कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स दोनों करने लगे। यह भी कहा जा सकता है कि एक प्रकार से कम्पनी के लिए दोहरा शासन स्थापित किया गया। यह दोहरा प्रबन्ध १८५८ ई० तक चलता रहा। वैसे तो यह कहा गया कि १७८४ के कानून का उद्देश्य हिन्दोस्तान में अच्छे शासन की नींव डालना है, परन्तु इसका उद्देश्य हिन्दोस्तान में अँगरेज़ी राज को और दृढ़ करना था। कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स में थोड़े से सदस्यों की एक गुप्त सभा थी। हिन्दोस्तान के गहरे मामलों पर यही सभा विचार करती थी। शासन-प्रबन्ध का भार आने से कम्पनी की ज़िम्मेदारी हिन्दोस्तान में बढ़ती जा रही थी। गुप्त-सभा के काम बड़ी ज़िम्मेदारी के थे और वे क्रमशः बढ़ रहे थे। बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल को यह अधिकार दिया गया कि वह हिन्दोस्तान के राजनीतिक मामलों में गहराई के साथ विचार करे और अपनी राय गुप्त सभा को दे। कम्पनी के अधिकारी हिन्दोस्तान में किसी तरह की लड़ाई या सुलह तब तक नहीं कर सकते थे, जब तक वे बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल से इसकी आज्ञा प्राप्त न कर लें। इस सभा में ६ सदस्य थे। सम्राट् ने इन्हें इसलिए नियुक्त किया था कि वे हिन्दोस्तान

के सारे मामलों की जानकारी रखें और उन पर अपनी उचित राय दें। यह पहला ऐक्ट था जिसने पार्लियामेंट को हिन्दोस्तान के राजनीतिक मामलों में हाथ डालने का अवसर दिया। यदि बोर्ड आफ कन्ट्रोल और कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता तो सम्राट् इसका फ़ैसला करता था। इस ऐक्ट के अनुसार सम्राट् को यह अधिकार दिया गया कि वह गवर्नर जनरल को जब चाहे हिन्दोस्तान से वापस बुला ले। गवर्नर-जनरल और उसकी सभा को बहुत से अधिकार प्रदान किए गये।

१७१३ ई० में एक नया क़ानून पास किया गया। ईस्ट-इंडिया-कम्पनी को ही पूर्वीय देशों में व्यापार करने का अधिकार १८१३ का था। इस ऐक्ट में यह अधिकार कम्पनी को २० साल चार्टर ऐक्ट के लिए और दे दिया गया। गवर्नर-जनरल के अधिकारों में और वृद्धि की गई। वह अपनी कौन्सिल के फ़ैसले को रद्द कर सकता था। सूबों के गवर्नर बिना उसकी आज्ञा के कोई लड़ाई या सन्धि नहीं कर सकते थे। १८०० ई० तक गवर्नर-जनरल और उसकी कौन्सिल जो कुछ नियम बनाते थे, अन्य प्रान्त के गवर्नरों को उनका पालन करना पड़ता था। उन्हें कोई क़ानून बनाने का अधिकार न था। १८०० ई० में मद्रास प्रान्त के गवर्नर को यह अधिकार दिया गया कि वह शासन को चलाने के लिए एक छोटी सी कौन्सिल द्वारा क़ानून बना सकता है। इसी तरह का अधिकार बम्बई के गवर्नर को १८०७ में दिया गया। १८१३ ई० में एक दूसरा नियम पार्लियामेंट ने पास किया जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि भारतवर्ष में कम्पनी जो कुछ राज्य स्थापित कर रही है उसकी राज-सत्ता सम्राट् के हाथ में रहेगी। सारी अँगरेज़-जाति को यह आज्ञा दी गई कि जो चाहे हिन्दोस्तान से व्यापार कर सकता है। लेकिन चाय की तिजारत हिन्दोस्तान में कम्पनी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। कम्पनी को छोड़कर चीन से तिजारत करने की आज्ञा किसी को न थी। इसी क़ानून के अनुसार पहले पहल हिन्दोस्तान में बड़े पादरों का एक स्थान बनाया गया। पार्लियामेंट ने यह निश्चित किया कि कम्पनी अपनी आमदनी में से एक लाख रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए खर्च करे।

१८३३ ई० में ईस्ट इन्डिया कम्पनी को फिर बीस वर्ष के लिये अधिकार पत्र दिये गए। कम्पनी से चीन के साथ १८३३ का व्यापार की बपौती छीन ली गई। अब चीन के साथ चार्टर ऐक्ट व्यापार करने की आज्ञा सभी इंग्लैण्ड निवासियों को

दे दी गई । टी० वी० मेकाले लिखता है, “कम्पनी से इस बपौती को तोड़ कर यह आवश्यक कर दिया गया है कि उसके संगठन में परिवर्तन किया जाय ।” इस ऐक्ट में यह भी निश्चित किया गया कि अब से कम्पनी केवल एक ठेकेदार संस्था की तरह रहेगी । लार्ड मार्ले का कहना है कि, “१७८४ और १८५८ ई० के बीच में जितने भी ऐक्ट पास किए गये उनमें १८३३ ई० का नियम भारतीय सरकार के लिए सब से महत्वपूर्ण है ।” इसके अनुसार मुख्य ६ बातें निश्चित की गईं :—

- (१) चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार सभी अँगरेजों को एक समान मिल गया ।
- (२) कम्पनी जितनी भी भूमि हिन्दोस्तान में अपने अधिकार में रखेगी उस पर एक मात्र अधिकार बृटेन के सम्राट् तथा उनकी औलाद का होगा ।
- (३) बम्बई और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया । केवल गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल को यह अधिकार दिया गया कि वह सारे हिन्दोस्तान के लिये कानून बनाए ।
- (४) गवर्नर-जनरल की कौंसिल में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया । तीन के बदले अब उसमें चार सदस्य हो गये । नये सदस्य का कार्य यह था कि वह गवर्नर जनरल को कानून बनाने में मदद दे । इसका नाम कानूनी मेम्बर (Law Member) था । लार्ड मेकाले पहिला कानूनी मेम्बर बनाया गया ।
- (५) भारतीय कानूनों में संशोधन करने के लिये लार्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया ।
- (६) हिन्दोस्तानियों को यह आश्वासन दिया गया कि ईस्ट-इन्डिया कम्पनी की नौकरी के लिये रूप, रंग, धर्म, जाति इत्यादि का भेद-भाव नहीं किया जायगा ।

इङ्गलैण्ड से कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स और ईस्ट इन्डिया कम्पनी के बीच में कोई भी पत्र-व्यवहार बिना बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल की जानकारी के नहीं हो सकता था । बंगाल का गवर्नर-जनरल सारे हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल बना दिया गया । एक नई प्रेसीडेन्सी क्रायम करने के लिये, जिसकी राजधानी आगरे में हो, एक योजना बनाई गई । परन्तु दो वर्ष बाद यह विचार स्थगित कर दिया गया । बंगाल के गवर्नर-जनरल को, जो कि अब

सारे हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल हो गया था, बंगाल के लिए एक सहायक गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। मद्रास और बम्बई के लिए दो पादरी नियुक्त किए गए। कानून बनाने का अधिकार केवल गवर्नर-जनरल और उसकी कौन्सिल को देकर कानूनी अधिकार केन्द्रित कर दिया गया। केन्द्रीय शासन की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगी।

१८५३ ई० के ऐक्ट के अनुसार ईस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारी संस्था के बदले राज्य करने वाली शक्ति मान ली गई। इस ऐक्ट के अनुसार कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के चार्टर ऐक्ट १८ सदस्यों में से ६ सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार सम्राट् को दिया गया। गवर्नर-जनरल की कौन्सिल में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त कानून बनाने के लिए ६ विशेष सदस्यों की नियुक्ति की गई। बंगाल में एक लेफ्टीनेन्ट गवर्नर नियुक्त किया गया। इङ्ग्लैण्ड में भारतीय कानूनों पर विचार करने के लिए एक कमीशन बनाया गया। सिविल सर्विस का दरवाजा सबके लिये मुकाबले की बुनियाद पर खोल दिया गया।

उपरोक्त ऐक्ट को व्यतीत हुए अभी पूरे पाँच साल भी न हुए थे कि हिन्दोस्तान में एक बहुत बड़ी क्रान्ति आरम्भ हुई। यह १८५७ ई० के ग़दर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके विषय में ऐतिहासिकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ का कहना है कि यह एक सिपाही-विद्रोह था। लेकिन दूसरे लोग यह साबित करते हैं कि यह हिन्दोस्तान की आज़ादी की पहिली लड़ाई थी, जिसमें हिन्दोस्तानियों ने तलवार और बन्दूक की मदद से अपने मुल्क को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया था। जो कुछ भी हो हिन्दोस्तानियों को हारना पड़ा। हजारों देश-वासियों और विदेशियों की जानें गईं। ग़दर ने इङ्ग्लैण्ड की सरकार को चौकना कर दिया। उसे यह विश्वास हो गया कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी का शासन हिन्दोस्तानियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यहीं से भारतीय शासन का दूसरा युग आरम्भ होता है।

द्वितीय काल (१८५८—१९१८)

१८५८ ई० में पार्लियामेन्ट ने एक नया ऐक्ट पास किया। मुग़ल राज्य का सितारा हमेशा के लिए डूब गया। मुग़ल १८५८ का सम्राट् को वहिष्कृत कर दिया गया और उसकी सारी चार्टर ऐक्ट शक्ति बृटेन के सम्राट् को दे दी गई। ईस्ट इन्डिया

कम्पनी भारतीय शासन से अलग कर दी गई। इङ्गलैण्ड की पार्लियामेन्ट ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसने यह घोषणा की कि अब से हिन्दोस्तान का राज्य सम्राट् के हाथों में सुपुर्द कर दिया जाता है। एक भारत मन्त्री की नियुक्त की गई। बोर्ड-आफ़-कन्ट्रोल और कोर्ट-आफ़-डाइरेक्टर्स के सारे अधिकार उसे दे दिए गये। १५ सदस्यों की कौन्सिल-आफ़-इन्डिया नामक एक सभा बनाई गई जिसका कार्य भारतीय शासन को चलाना और भारत मन्त्री को सभी प्रकार से सहायता देना था। पार्लियामेन्ट हिन्दोस्तान के लिए सर्वेसर्वा बन बैठी। १८७६ ई० में जब महारानी विक्टोरिया हिन्दोस्तान की साम्राज्ञी हुईं तो यह बात और भी स्पष्ट कर दी गई।

वैसे तो पार्लियामेन्ट ने भारतीय शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली, परन्तु उसे भारतीय मामलों का तजुर्बा बिलकुल न था। उसे हिन्दोस्तान के मामलों में कोई ख़ास दिलचस्पी न थी। इङ्गलैण्ड स्वयम् अपने घरेलू मामलों में लगा हुआ था। पार्लियामेन्ट के सामने आयर-लैण्ड और योरप की समस्यायें पड़ी हुई थीं। ऐसी दशा में यह सम्भव नहीं था कि वह ६००० मील दूर हिन्दोस्तान के शासन में दिलचस्पी लेती। पार्लियामेन्ट के सदस्य भारतीय रहन-सहन से परिचित न थे। आवागमन की सुविधा भी आजकल जैसी न थी। हिन्दोस्तान में पाश्चात्य रहन-सहन अपना घर बना रही थी। इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए पार्लियामेन्ट ने भारत मन्त्री की नियुक्ति की, और उसे यह आज्ञा दी कि वह प्रति वर्ष हिन्दोस्तान के आर्थिक तथा सामाजिक विषयों पर एक रिपोर्ट पार्लियामेन्ट के सामने पेश करे। उसे यह भी आदेश दिया गया कि वह हर साल हिन्दोस्तान की आय-व्यय का पूरा व्योरा पार्लियामेन्ट के सामने रखे। भारत मन्त्री की सहायता के लिए जो १५ सदस्यों को एक कौन्सिल बनाई गई उसमें ८ सदस्यों को सम्राट् ने और बाकी को कम्पनी के डाइरेक्टर्स ने नियुक्त किया। यह भी तय किया गया कि यदि कौन्सिल (India Council) में कोई जगह ख़ाली हो तो उसकी भर्ती सम्राट् करेगा। कौन्सिल के सदस्य तब तक नहीं हटाये जा सकते थे जब तक पार्लियामेन्ट की दोनों सभाएँ इसके लिए सम्राट् के सामने नम्र निवेदन पेश न करतीं। सदस्यों को राजनीतिक मामलों से अलग रखने के लिए यह आज्ञा दी गई कि वे पार्लियामेन्ट में नहीं बैठ सकते।

कौन्सिल का काम भारत मन्त्री को सलाह देना था। यदि वह चाहता तो कौन्सिल के फैसले को रद्द कर सकता था। केवल भारतीय

एक साधारण सदस्य घोषित कर दिया गया। १८११ ई० में पार्लियामेन्ट ने एक नया कौंसिल ऐक्ट पास किया, जिसके अनुसार एक अर्थ-सदस्य की नियुक्ति की गई। १८७४ ई० में कौंसिल में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया जिसके जिम्मे सरकारी इमारतों की देखरेख का काम सौंपा गया। कौंसिल का प्रत्येक सदस्य किसी विभाग का प्रधान होता था। गवर्नर-जनरल को यह अधिकार था कि वह कौंसिल के फैसले को रद्द कर सके।

१७७३ ई० के रेग्युलेटिंग ऐक्ट से हिन्दोस्तान का शासन प्रबन्ध केन्द्रित होने लगा था। शासन का भार धीरे-धीरे केन्द्रीय सरकार के हाथों में आने लगा। प्रान्तीय सरकारों की शक्ति घटने लगी। प्रान्तों के गवर्नर केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट मात्र रह गये। शासन-प्रबन्ध में प्रान्तीय सरकारों को यह आज्ञा थी कि वे गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल के हुक्म की तामील करते रहें। साथ ही उन्हें हर मामले की सूचना केन्द्रीय सरकार को देनी पड़ती थी। प्रान्त की सरकारें, केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के बिना कर्ज़ नहीं ले सकती थीं। नये टैक्स लगाने के लिये उन्हें केन्द्रीय सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कोई भी बिल गवर्नर की कौंसिल में तब तक पेश नहीं हो सकता था जब तक गवर्नर-जनरल की आज्ञा न ले ली जाती। बिल पास हो जाने पर भी अन्तिम निर्णय गवर्नर-जनरल का ही होता था। एक राजनीतिज्ञ ने लिखा है, 'आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी सभी दृष्टियों से १६०६ ई० के पहले केन्द्रीय सरकार की शक्ति बड़ी ही ज़ोरदार थी।' प्रान्तों के शासक उसी की आज्ञा पर चलते थे। वह किसी भी समय उनके अधिकार छीन सकती थी।

धारा सभाओं का विकास

शासन के द्वितीय काल में (१८५८-१९१८) धारा सभाओं का भी विकास हुआ। आरम्भ में कार्य-कारिणी और धारा-१८३३ का सभा में कोई अन्तर न था। जब कभी कोई कानून चार्टर ऐक्ट बनाना होता तो गवर्नर-जनरल या प्रान्तों के गवर्नर कुछ विशेष व्यक्तियों से सलाह ले लिया करते थे। १८३३ ई० में पहिली बार एक कानूनी मेम्बर गवर्नर-जनरल की कौंसिल में भर्ती किया गया। यहीं से कानून बनाने का कार्य कार्यकारिणी से अलग समझा जाने लगा। १८५३ ई० में ६ मेम्बर गवर्नर-जनरल की कौंसिल में और भर्ती

किये गये । इनका एक मात्र काम कानून बनाने में उसकी मदद करना था । इनमें दो बंगाल की बड़ी कचहरी (Bengal Supreme Court) के जज थे और बाक़ी मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा की सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये थे । यही सभा बढ़ते बढ़ते केन्द्रीय सरकार की धारा सभा बन गई ।

१८६१ ई० के इंडियन कौंसिल ऐक्ट के अनुसार ६ सदस्य और भर्ती किये गये । अर्थात् कानूनी मामलों में गवर्नर-जनरल १८६१ का को सलाह देने के लिये सदस्यों की संख्या अब १२ कर चार्टर ऐक्ट दी गई । इनमें ६ सदस्य किसी सरकारी विभाग में काम नहीं कर सकते थे । कुछ हिन्दोस्तानियों को भी इसमें हिस्सा लेने का मौक़ा मिला । इस ऐक्ट के अनुसार मद्रास और बम्बई प्रान्तों की सरकारों को कानून बनाने का वह अधिकार, जो १८३३ ई० में उनसे छीन लिया गया था, पुनः प्रदान किया गया । लेकिन ये अधिकार नाम मात्र के थे । उन्हें कानूनी मामलों में बिलकुल स्वतंत्रता नहीं दी गई थी । गवर्नर-जनरल की आज्ञा लेकर वे कोई कानून धारा-सभा में पेश कर सकते थे और फिर उसकी पुष्टि केन्द्रीय सरकार से कराते थे । लार्ड मेकडानल्ड के शब्दों में “प्रान्तीय धारा सभाएँ कानून बनाने के लिये छोटी-छोटी कमेटियाँ थीं ।” उन्हें यह अधिकार न था कि वे कार्य-कारिणी के कामों में हस्तक्षेप करें ।

१८६२ ई० में फिर एक इंडियन कौंसिल ऐक्ट पास किया गया । इसके अनुसार केन्द्रीय धारा सभा में सदस्यों की संख्या १८६२ का १२ से १६ कर दी गई । ग़ैर सरकारी सदस्यों की संख्या चार्टर ऐक्ट बढ़ा दी गई । बड़ी-बड़ी संस्थाओं को इस बात का अवसर दिया गया कि वे अपनी इच्छानुसार धारा सभाओं के लिये लोगों के नाम सरकार के सामने पेश करें । यद्यपि सरकार उन्हें स्थान देने के लिये बाध्य न थी, फिर भी उन्हीं में से लोग नियुक्त किये जाते थे । उस समय “चुनाव” की प्रथा न थी । अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों की भरती में प्रजा की राय ले ली जाती थी ।

१९०६ ई० के मार्लेमिटो सुधार ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा-सभाओं में और भी परिवर्तन किया । सदस्यों की संख्या और १९०६ का मार्लेमिटो सुधार उनकी ज़िम्मेवारी पहले से अधिक कर दी गई । प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में ग़ैर सरकारी सदस्यों की संख्या

बढ़ा दी गई। धारा-सभा के सदस्यों को अधिकार दिया गया कि वे सरकार से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तथा बजेट के ऊपर वादाबिवाद कर सकते हैं। लार्ड कर्जन की नीति से भारतीय प्रजा बहुत ही नाराज़ थी। १९०५ में बंगाल को दो टुकड़ों में बाँटने का जो प्रश्न उठाया गया था, उससे न केवल बंगाल की बल्कि सारे हिन्दोस्तान की प्रजा असन्तुष्ट थी। १९०५ में अखिल-भारतीय काँग्रेस कमेटी का २१ वाँ वार्षिकोत्सव काशी में हुआ। इसमें बंगाल के टुकड़े करने की नीति का बुरी तरह खंडन किया गया। १९०६ ई० में काँग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव में यह पास किया कि सम्पूर्ण देश की आवाज़ ब्रिटिश शासन की नीति के विरुद्ध है।*

असन्तोष को दूर करने के लिये १९०६ ई० में ब्रिटिश सरकार को भारतीय शासन में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। चुनाव का सिद्धान्त भी इसी समय स्वीकार किया गया। मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन प्रदान किया गया। धारा-सभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वे सरकार के कामों की उचित टीका टिप्पणी कर सकते हैं। किन्तु अभी तक भारतीय प्रजा को शासन की वास्तविक जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। सुधार का जन्मदाता लार्ड माण्डेस्वर्थ इस बात की ताईद करता है कि ब्रिटिश सरकार की नियत यह कतई नहीं थी कि भारतीय प्रजा को शासन की जिम्मेवारी दी जाय।

इस सुधार के अनुसार वाइसराय की कार्यकारिणी सभा में एक हिन्दोस्तानी को भी स्थान दिया गया। सत्येन्द्रप्रसन्न सिनहा, जिन्हें आगे चल कर लार्ड की उपाधि दी गई, पहिले पहिले इसके सदस्य बनाये गये। प्रान्तों की कार्यकारिणी सभाओं में भी इसी प्रकार के स्थान निश्चित कर दिये गये। ऊपर कहा गया है कि भारतीय प्रजा के असन्तोष को दूर करने के लिये इस सुधार की योजना बनाई गई थी। परन्तु इसका परिणाम सन्तोष-जनक नहीं हुआ। कार्य-कारिणी पहिले की तरह कमज़ोर और विदेशी बनी रही। केन्द्रीय सरकार का दबदबा प्रान्तीय सरकारों पर कम न हुआ।

*यह देखते हुये कि देश के शासन में यहाँ के लोगों का कोई हाथ नहीं है और वे सरकार से जो प्रार्थनायें करते हैं उन पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है, इस काँग्रेस की राय है कि बंग-विच्छेद के विरोध में उस प्रान्त में जो अधिकार का आन्दोलन चलाया गया वह न्याय संगत था और है।

भारत-मंत्री के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। प्रान्तीय सरकारों को आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा भी हक प्राप्त न हुआ। अपने स्वर्च के लिये उन्हें केन्द्रीय सरकार का मुँह ताकना पड़ता था।

भारत में राजनीतिक असन्तोष और सहयोग की नीति :—

ब्रिटिश राज्य की जड़ धीरे-धीरे मज़बूत होती जा रही थी। शासन के सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की शक्ति बढ़ हो रही थी। इसका प्रभाव देश की आम जनता पर बहुत ही बुरा पड़ रहा था। हिन्दोस्तानियों के दिलों में अँग्रेज़ी राज्य के प्रति अश्रद्धा बढ़ती जा रही थी। देश में राष्ट्रीय भावना फैल रही थी। शासन की एकता, अँग्रेज़ी शिक्षा, अँग्रेज़ी साहित्य और इतिहास, आवागमन की सुविधा, तथा सबसे बढ़ कर अँग्रेज़ी भाषा ने राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाया। पश्चात्य देशों की प्रजातन्त्र भावना तथा योरप और अमेरिका आदि स्वतन्त्र देशों के इतिहासों ने हिन्दोस्तानियों के दिलों में वर्तमान राष्ट्रीय जीवन का संचार किया। आरम्भ में यह भावना एक छोटे से दायरे में सीमित थी, लेकिन अब उसका क्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ने लगा। जिस कांग्रेस की नींव अँग्रेज़ी सरकार से छोटी-छोटी बातों की माँग पेश करने के लिये डाली गई थी वही कांग्रेस अँग्रेज़ी सरकार से टक्कर लेने का दावा करने लगी।

अँग्रेज़ी शासन का प्रभाव हिन्दोस्तानियों पर क्या पड़ रहा था, इसका ज्ञान अँग्रेज़ों को पूरी तौर से न था। ज्यों-ज्यों अँग्रेज़ी शासन बढ़ होता जाता था, और शासन की मशीन शान्ति उत्पन्न करती जाती थीं, त्यों-त्यों हिन्दोस्तान में राष्ट्रीयता की लहर बढ़ती जा रही थी। देश में नई-नई समस्याएँ पैदा होने लगी थीं।

एक ओर देश में राष्ट्रीयता की लहर फैल रही थी, परन्तु दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार अपनी नीति को बदलने के लिये तैयार न थी। वह नहीं चाहती थी कि शासन में अधिक से अधिक हिन्दोस्तानियों का हाथ हो। इसलिये उसने 'सहयोग' की एक नई नीति का आश्रय लिया। इसका तात्पर्य यह था कि कुछ थोड़े से हिन्दोस्तानियों को शासन प्रबन्ध में शामिल कर लिया जाय। बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों में इने-गिने हिन्दोस्तानी भर्ती कर लिये गये। गवर्नरों तथा गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी सभाओं में हिन्दोस्तानियों की संख्या कुछ और बढ़ा दी गई। समय-समय पर धारा सभाओं में भी हिन्दोस्तानियों की संख्या बढ़ाई गई। परन्तु केवल 'सहयोग' की नीति से हिन्दोस्तानी सन्तुष्ट नहीं हो सकते थे। इस नीति की विफलता जाहिर भी होने लगी।

इसी बीच १६१४ में योरप में एक भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ। इस बड़ी लड़ाई ने सब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। १६१७ का हिन्दोस्तानियों ने दिल खोल कर ब्रिटिश सरकार की घोषणा पत्र मदद की। राजा-महाराजाओं ने भी धन और जन दोनों से सरकार की मदद की। हिन्दोस्तानी सिपाहियों ने इंग्लैंड और फ्रांस में जिस वीरता का परिचय दिया उसकी सराहना ऑप्रेणों ने भी की है। ब्रिटिश सरकार ने यह मान लिया कि हिन्दोस्तानियों ने ऐसे कठिन समय में उसकी मदद की। ब्रिटिश अधिकारी लड़ाई के ज़माने में यह एलान कर चुके थे कि “यह लड़ाई संसार में एकता, स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन के लिये लड़ी जा रही है।” इन शब्दों को सुन कर हिन्दोस्तानियों के दिलों में बड़ी-बड़ी आशाएँ पैदा हो रही थीं। मांटगू साहब ने, जो कि उस समय भारत मंत्री थे, अपनी सहायता दिखलाने के लिये २० अगस्त सन् १६१७ ई० को एक घोषणा की। इसका आशय यह था कि हिन्दोस्तानियों को क्रमशः स्वतन्त्रता की ओर बढ़ने का अवसर मिलता जायेगा। घोषणा पत्र इस प्रकार था :—

“ब्रिटिश सरकार की यह नीति है, और उससे भारत सरकार पूरी तरह सहमत है, कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क उच्चोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे-धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुये स्वशासन-प्रणाली भारत में स्थापित हो और वह ब्रिटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में रहे। उसने यह तै कर लिया है कि इस दिशा में, जितना शीघ्र हो, ठोस रूप से कुछ कदम आगे बढ़ाया जाय। मैं इतना और कहूँगा कि इस नीति में प्रगति सीढ़ी दर सीढ़ी होगी। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार ही जिनके ऊपर भारतीयों के हित और उन्नति का भार है, इस बात के निर्णायक होंगे कि कब और कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिये। वे एक तो उन लोगों के सहयोग को देखकर ही आगे बढ़ाने का निश्चय करेंगे जिन्हें इस तरह सेवा का नया अवसर मिलेगा, और दूसरे यह देखा जायगा कि किस हद तक उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को ठीक ठीक अदा किया है और उन पर कितना विश्वास किया जा सकता है। पार्लियामेंट के सामने जो प्रस्ताव पेश होंगे उन पर सार्वजनिक रूप में वाद-विवाद करने के लिये पर्याप्त समय दिया जायगा।”

हिन्दोस्तान के राजनीतिक इतिहास में इस घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यहाँ से भारतीय स्वतन्त्रता का आरम्भ आ० भा० शा०—३

माना जाता है। यद्यपि इसका अक्षय पालन नहीं किया गया, फिर भी भारतीय प्रजा का एक वर्ग इसमें काफी सन्तुष्ट रहा। यहीं से शासन के विकास का तीसरा युग आरम्भ होता है।

तृतीय काल (१९१६-१९४६)

भारत मंत्री मण्डल साहब हिन्दोस्तान आये और वाइसराय लार्ड चेम्सफोर्ड के साथ सारे हिन्दोस्तान का भ्रमण किया। १९१६ ई० का इसके बाद दोनों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसी शासन सुधार रिपोर्ट के आधार पर पार्लियामेंट ने १९१६ ई० में एक कानून पास किया, जिसके अनुसार भारतीय शासन में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये :—

१—धारा-सभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रजा के प्रतिनिधियों की संख्या नामज़द सदस्यों से अधिक कर दी गई। मताधिकार का क्षेत्र और भी व्यापक कर दिया गया। केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों धारा सभाओं को सरकार की टीका-टिप्पणी करने का अधिकार दे दिया गया। बजेट के ऊपर विचार करने का अधिकार भी उन्हें प्रदान किया गया।

२—प्रान्तों में दोहरे शासन (Dyarchy) की नींव डाली गई। केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय विषयों को फिर दो हिस्सों में बाँटा गया। एक कोटि में (Transferred subjects) वे विषय थे जिनमें भारतीय मंत्रियों की पूरी ज़िम्मेवारी थी। वे इन विषयों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते थे और अपने कार्य के लिये प्रान्तीय धारा सभा के प्रति उत्तरदायी थे। स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई इत्यादि विषय इनके अधिकार में दिये गये थे। दूसरे प्रकार के विषय (Reserved subjects) वे थे जो गवर्नर की कार्यकारिणी को सौंपे गये थे। इनके लिये कार्यकारिणी के सदस्य धारा-सभा की मातहत में न होकर गवर्नर के प्रति ज़िम्मेवार होते थे। शान्ति, कानून, भूमिकर, आय-व्यय इत्यादि आवश्यक विषय कार्यकारिणी के हाथों में दिये गये थे। इस ऐक्ट के अनुसार केन्द्रीय शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। इसकी शक्ति पहले की तरह बनी रही।

धरेलू सरकार पर भी इस कानून का असर पड़ा। इंडिया कौंसिल के सदस्यों की संख्या ८ और १२ के बीच में निश्चित कर दी गई। इसके आधे सदस्य ऐसे होने चाहिये जो कम से कम १० वर्ष तक हिन्दोस्तान में रह चुके हों। कौंसिल की आयु ५ वर्ष निश्चित कर दी गई। अब तक भारत

मंत्री की तनख्वाह भारतीय खजाने से दी जाती थी, परन्तु इस ऐक्ट के अनुसार यह निश्चित किया गया कि उसे अंग्रेज़ी खजाने से तनख्वाह दी जाय। उसके दफ़्तर का बाकी खर्च भारतीय खजाने से ही दिया जाना निश्चित किया गया। ऐसा इसलिये किया गया कि पार्लियामेंट भारतमंत्री की कार्यवाहियों पर कड़ी नज़र रखे। इंग्लैंड में एक नये अफ़सर की नियुक्ति की गई जिसे हाई कमिश्नर कहा जाता है। इस अफ़सर की ज़िम्मेवारी भारतीय सरकार के प्रति कर दी गई। इस ऐक्ट में यह भी बात साफ़ कर दी गई कि १० वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त किया जायेगा जो इस बात का पता लगायेगा कि अब हिन्दोस्तानियों को कितनी आजादी मिलनी चाहिये।

१९१९ ई० के सुधार से हिन्दोस्तानी सन्तुष्ट न थे। नरम दल वालों ने तो इसका स्वागत किया, परन्तु देश की सबसे बड़ी सत्याग्रह राजनीतिक संस्था, कॉंग्रेस ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया। आन्दोलन पिछली लड़ाई के कारण चीज़ों का दाम बढ़ने लगा। पानी न बरसने से फ़सल भी ख़राब हो गई थी। इधर हिन्दोस्तानी मुसलमानों को यह पूरी उम्मीद थी बड़ी लड़ाई में विजयी होने के पश्चात् मित्र सरकार (Allies) टर्की के सुल्तान को फिर वही दर्जा दे देगी जो लड़ाई के पहिले उसे प्राप्त था। तात्पर्य यह है कि हिन्दोस्तान में ब्रिटिश सरकार के प्रति असन्तोष के सारे कारण इकट्ठे हो गये थे। १९२१ में महात्मा गाँधी ने मुहम्मद अली और शौक़त अली को साथ लेकर सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया। ख़िलाफ़त आन्दोलन कॉंग्रेस सत्याग्रह के साथ जोड़ दिया गया। नरम दल वालों ने कौंसिल के चुनाव में हिस्सा लिया और शासन को चलाना आरम्भ किया। परन्तु सितम्बर १९२१ ई० में उन्होंने भी एक प्रस्ताव द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय शासन में पुनः सुधार होने चाहिये।

अहिंसा की नीति पर सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया गया। देश भर में इस बात का प्रचार किया गया कि सरकार को कोई टैक्स न दे; सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया जाय। इसका उद्देश्य यह था कि सरकार को हर प्रकार से असफल साबित कर दिया जाय। यद्यपि आन्दोलन की नीति में हिंसा का कोई स्थान न था, फिर भी परिणाम भयंकर हुआ। गोरखपुर ज़िले में चौरी-चौरा नामक स्थान पर सत्याग्रहियों ने २१ पुलिस के सिपाहियों को जान से मार डाला। कॉंग्रेस में एक ऐसा दल उठ खड़ा हुआ जो कौंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता था। इसका नाम 'स्वराज दल'

था। देशबन्धु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके नेता थे। यद्यपि केन्द्रीय धारा-सभा में इनका बहुमत न हो सका, परन्तु प्रन्तीय धारा-सभाओं में इन्हें अच्छी सफलता मिली। बंगाल और मध्यप्रान्त में इनका बहुमत रहा। फिर भी शासन में रोड़े अटकाने की नीयत से इन्होंने मन्त्रिपद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। एक ही प्रस्ताव में मन्त्रियों का वेतन घटा कर २ रुपया सालाना कर दिया गया। ऐसी दशा में शासन का कार्य रुक गया और विवश होकर गवर्नरों को १९१९ के द्वैध शासन प्रणाली का अन्त करना पड़ा।

पं० मोतीलाल नेहरू ने सरकार को इस बात की सलाह दी कि अंग्रेज और हिन्दोस्तानी दोनों प्रकार के कुछ राजनीतिज्ञ किसी गोलमेज सभा में बुलाये जायँ और उसमें इस बात का फ़ैसला हो कि हिन्दोस्तानियों को किस प्रकार ज़िम्मेवार शासन दिया जाय। ब्रिटिश सरकार अभी हाल के बने हुए शासन प्रबन्ध को बदलना नहीं चाहती थी। परन्तु वह इस बात के लिये तैयार थी कि एक कमेटी नियुक्त की जाय जो यह राय दे कि १९१९ के शासनविधान के अन्दर कौन-कौन सी तब्दीलियों की जा सकती हैं। मुद्दिमान कमीटी (Mudiman Committee) के बहुसंख्या सदस्यों ने यह राय ज़ाहिर की कि शासन प्रबन्ध अच्छी तरह चल रहा है और अभी इसमें तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। इसके विपरीत अल्पसंख्यक दल ने यह तै किया कि द्वैध शासन (Dyarchy) अत्यन्त दूषित है इसलिये सम्पूर्ण शासन विधान तब्दील होना चाहिये। १९२५ ई० के सितम्बर महीने में यह बात निश्चित की गई कि ब्रिटिश सरकार एक गोलमेज सभा बुलायेगी।

देश में शासन के प्रति असन्तोष बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने भी यह तै कर लिया कि भारतीय शासन में सुधार साइमन होने चाहिये। इस स्थान पर हमें यह याद रखना कमीशन चाहिये कि १९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार १९१९ ई० में स्वयं इस बात की जाँच करती कि हिन्दोस्तानियों को और कौन कौन से अधिकार देने चाहिये। परन्तु दो वर्ष पहले ही ८ नवम्बर सन् १९२७ ई० को हिन्दोस्तान के गवर्नर-जनरल लार्ड हरविन ने इस बात की घोषणा की कि पार्लियामेंट ने एक कमीशन नियुक्त किया है जो निम्नलिखित बातों की जाँच करेगा :—

१—१९१९ ई० का शासन विधान किस प्रकार काम कर रहा है।

२—हिन्दोस्तान में शिक्षा की प्रगति कैसी है ?

- ३—किस हद तक हिन्दोस्तानी इस बात के योग्य हैं कि उन्हें एक जिम्मेवार शासन दिया जाय ।
- ४—प्रान्तीय धारा सभाओं में बड़ी सभा का बनाना कहाँ तक अच्छा होगा ।
- ५—भारतीय रियासतों और ब्रिटिश प्रान्तों में सम्बन्ध कैसे स्थापित किया जाय ।

कमीशन को इन्हीं बातों की जाँच करके अपनी राय ज़ाहिर करनी थी । सर जान साइमन इस कमीशन के सभापति थे । जिस समय कमीशन की नियुक्त हुई थी उसी समय १९२७ ई० में काँग्रेस ने इस बात का एलान किया कि पूर्ण स्वराज्य इसका एक मात्र उद्देश्य है । देश के सभी राजनीतिक दलों ने यह निश्चय किया कि पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करनी चाहिये । जिस समय देश में राष्ट्रियता की लहर इतने जोरों पर थी उसी समय साइमन कमीशन ने अपना कार्य आरम्भ किया । सबसे बड़े मार्के की बात तो यह थी कि इसमें एक भी हिन्दोस्तानी शरीक नहीं किया गया था । एक सज्जन ने इसे “सफ़ेद कमीशन” घोषित किया है । हिन्दोस्तानियों के इस तिरस्कार से देश में खलबली सी मच गई । चारों ओर से इसका बायकाट आरम्भ हुआ । काँग्रेस के नरम और गरम दोनों दलों ने एक स्वर से इसका बायकाट किया । सर जान साइमन ने इस बात का आश्वासन दिया कि वे केन्द्रीय और प्रान्तीय कमीशनों से पूरा सहयोग करेंगे, फिर भी काँग्रेस की नीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा । लेजिस्लेटिव असेम्बली ने कमीशन के बायकाट का एक प्रस्ताव भी पास कर दिया ।

इस विकट राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए लार्ड इरविन ने ३१ अक्टूबर सन् १९२६ ई० को सम्राट् की ओर से एक घोषणा इरविन की की । इसमें उन्होंने यह कहा कि पार्लियामेंट ने यह निश्चय घोषणा किया है कि कमीशन की रिपोर्ट के बाद हिन्दोस्तान के राजनीतिक नेता एक गोलमेज़ सभा में बुलाये जायेंगे और वहाँ उनकी राय ली जायेगी । लिबरल दल वालों को इससे कुछ सन्तोस हुआ, परन्तु काँग्रेस सन्तुष्ट न रही । १६२९ ई० में दिसम्बर के महीने में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ । इसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि काँग्रेस गोलमेज़ सभा का बायकाट करती है और महात्मा गाँधी को इस बात का अधिकार देती है कि वे सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ कर दें । १९३० ई० के मार्च के महीने में सत्याग्रह की आग सारे देश में फैल गई । साल भर तक

आन्दोलन बड़े ज़ोरों से चलता रहा। महात्मा गाँधी तथा और बड़े बड़े नेता उठा कर जेलों में डाल दिये गये। इनके अतिरिक्त हज़ारों आदमी जेल भेज दिये गये।

जिस समय सत्याग्रह आन्दोलन इतने ज़ोरों पर था, उसी समय १९३० ई० के जून के महीने में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित साइमन कमीशन की रिपोर्ट में संघ शासन की आवश्यकता को निरर्थक साबित किया था। उसका यह विचार था कि फ़िलहाल हिन्दोस्तान में संघ शासन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने प्रान्तीय स्वराज्य (Provincial Autonomy) की एक योजना पेश की थी। केन्द्रीय शासन में परिवर्तन की चर्चा तक नहीं की गई। ९ जुलाई सन् १९३० ई० को वाइसराय लार्ड इरविन ने धारा सभा के सामने यह घोषित किया कि गोलमेज़ सभा एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है और हिन्दोस्तानियों को उसमें हिस्सा लेना चाहिये।

१२ नवम्बर सन् १९३० ई० को सम्राट् पंचम जार्ज ने गोलमेज़ सभा का उद्घाटन किया। रैम्ज़े मेकडानेल्ड, जो कि उस समय इंग्लैंड के प्रधान मंत्री थे, सभा के सभापति बनाये गये। पहली गो तमेज़ सभा पहली ही बैठक में भारतीय राजाओं ने इस बात की इच्छा प्रकट की कि वे सभी प्रकार से भारतीय संघ शासन के लिये तैयार हैं। सभा में बहुत सी कमेटियाँ बना दी गईं और अलग अलग मसलों पर उन्हें विचार करने का काम सौंपा गया। १९ जनवरी सन् १९३१ ई० को गोलमेज़ सभा का कार्य समाप्त किया गया। प्रधान मंत्री ने अपने अन्तिम व्याख्यान में यह कहा कि हिन्दोस्तान में एक संघ शासन की स्थापना होनी चाहिये।

गोलमेज़ सभा के सदस्य राज़ी खुशी अपने घर लौटे। लोगों ने उनका सम्मान किया। कुछ सदस्यों ने कॉंग्रेस से यह इच्छा प्रकट गाँधी-इरविन की कि वह ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का विश्वास करे और समझौता आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी उचित सलाह दे। इस प्रकार की चर्चाओं का प्रभाव कॉंग्रेस पर अच्छा पड़ा। १९३१ ई० के मार्च के महीने में महात्मा गाँधी और लार्ड इरविन में एक सुलहनामा हुआ। सत्याग्रह आन्दोलन बन्द कर दिया गया। सारे राजनीतिक

कैदी छोड़ दिये गये। काँग्रेस इस बात पर तैयार हो गई कि वह दूसरी गोलमेज सभा में हिस्सा लेगी।

[७ सितम्बर सन् १९३१ ई० को गोलमेज सभा की दूसरी बैठक लन्दन में आरम्भ हुई। काँग्रेस की ओर से प्रतिनिधि बन कर महात्मा **दूसरी गोलमेज सभा** गाँधी स्वयं इस सभा में उपस्थित हुए थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि इङ्ग्लैण्ड की सरकार में सहसा परिवर्तन न हो गया होता तो हिन्दोस्तान का इतिहास आज बहुत कुछ बदल गया होता। ब्रिटिश सरकार और काँग्रेस के बीच में कोई न कोई समझौता हो कर रहता। परन्तु इसी समय इंग्लैण्ड की सरकार बदल गई। मज़दूर दल ने इस्तीफा दे दिया। नया चुनाव किया गया जिसमें सरकार की बागडोर अनुदार दल के हाथ में आ गई। मज़दूर दल के भारत मंत्री हट गये और उनका स्थान अनुदार दल के भारत मंत्री ने ले लिया। गोलमेज सभा पर इस परिवर्तन का गहरा असर पड़ा। सभा ने अपना कार्य आरम्भ किया। साम्प्रदायिक मसले को सुलझाने का कोई मार्ग न निकल सका। प्रधान मंत्री ने यह घोषित किया कि उर्वी के हाथों में यह अधिकार दे दिया जाय कि वह इस मसले को हल कर दे। काँग्रेस बिलकुल ही असन्तुष्ट रही। महात्मा गाँधी लन्दन से हिन्दोस्तान के लिये रवाना हुये। अभी वे जहाज से उतरे भी नहीं थे कि रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। १९३२ ई० के आरम्भ में फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। मिस्टर बाल्डविन इस समय इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री थे। उनकी सरकार ने हिन्दोस्तान के सभी बड़े लीडरों को जेल में डाल दिया।

१६ अगस्त सन् १९३१ ई० को इङ्ग्लैण्ड के प्रधान मंत्री ने साम्प्रदायिक निर्णय घोषित किया। इसके अनुसार मुसलमान, अंग्रेज़, साम्प्रदायिक ईसाई, सिक्ख, अछूत तथा स्त्री—इन सब को अलग अलग निर्णय निर्वाचन का अधिकार दिया गया। महात्मा गाँधी ने Communal Award आमरण अनशन व्रत द्वारा इस साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध किया। उनकी दृष्टि में अछूतों को अलग निर्वाचन देकर भारतीय समाज को टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया था। उन्होंने यहाँ तक फैसला कर लिया कि यदि ब्रिटिश सरकार इस साम्प्रदायिक निर्णय को तर्कहीन न करेगी तो वे अनशन द्वारा अपना प्राण दे देंगे। उनका अनशन आरम्भ हो गया। इङ्ग्लैण्ड और हिन्दोस्तान दोनों देशों में खलबली सी मच गई। बहुत जल्दी सुलह की कार्रवाई आरम्भ की गई और पुना में

एक सुलहनामा (Poona Pact) किया गया । इसमें अछूत वर्ग को धारा-सभाओं में पहले से दूने स्थान दिये गये और उन्हें हिन्दू जाति का एक घनिष्ठ अंग मान लिया गया । ब्रिटिश सरकार ने भी पूना के इस सुलहनामें को स्वीकार कर लिया ।

१९३२ ई० केसितम्बर महीने में हिन्दोस्तान के वाइसराय लार्ड विलिंग्टन ने यह घोषित किया कि पार्लियामेंट हिन्दोस्तान के शासन तीसरी गोज़ विधान में परिवर्तन करने पर तैयार है । वह चाहती है कि मेज़ सभा हिन्दोस्तान में एक ऐसे संघ शासन की स्थापना की जाय जिसमें केन्द्र और प्रान्त दोनों जगह जिम्मेवार शासन कायम कर दिया जाय । इसी बुनियाद पर १७ नवम्बर सन् १९३२ ई० को तीसरी गोलमेज़ सभा का कार्य आरम्भ किया गया जो २४ दिसम्बर सन् १९३२ ई० को समाप्त भी हो गया ।

ब्रिटिश सरकार ने १९३३ ई० के मार्च के महीने में एक सफ़ेद पत्र (White Paper) प्रकाशित किया जिसमें भारतीय शासन सुधार की योजनायें घोषित की गई थीं । हिन्दोस्तान के भूतपूर्व वाइसराय लार्ड लिनलिथ गो की अध्यक्षता में १९३३ के अप्रैल के महीने में एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई गई । इसके ज़िम्मे यह काम सौंरा गया कि वह सफ़ेद पत्र पर अपना विचार प्रकट करे । कुछ भारतीय भी इसमें सम्मिलित किये गये थे । बड़ी छान बोन के बाद २२ नवम्बर सन् १९३४ ई० को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे दी । पार्लियामेंट की दोनों सभाओं ने इसे मंजूर कर लिया । ५ फरवरी सन् १९३५ ई० को पहिली बार यह रिपोर्ट पार्लियामेंट में पढ़ी गई । ६ जून सन् १९३५ को लार्ड सभा में इसकी पेशी हुई । २४ जुलाई सन् १९३५ ई० को कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लार्ड सभा ने इसे पास कर दिया । कामन सभा ने भी इन परिवर्तनों को मान लिया । २ अगस्त सन् १९३५ ई० को सम्राट् ने इस पर अपनी दस्तख़त कर दी और गवर्नमेंट इंडिया ऐक्ट इतनी मायायची के बाद पास हो गया । पार्लियामेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा ऐक्ट कहा जाता है । पूरे ऐक्ट में १६ बड़े बड़े हिस्से हैं और ४०० सुखियाँ हैं । इसके अन्दर बर्मा ऐक्ट भी शामिल हैं ।

१९३५ ई० के नये शासन विधान में मुख्य ४ बातें हैं :—

१—सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिये एक संघशासन विधान की योजना बनाई गई है ।

२—केंद्रीय शासन में दोहरे शासन विधान (Dyarchy) का सिद्धान्त माना गया है।

३—प्रान्तीय स्वराज्य का जन्म दिया गया है।

४—गवर्नरों तथा गवर्नर-जनरल को अनेक विशेषाधिकारों से सुसज्जित किया गया है।

वैसे तो संघशासन का विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया गया है, परन्तु यहाँ पर इतना कह देना काफी है कि इस नये शासन विधान में थोड़ा भी दम नहीं है। देश के किसी वर्ग ने इसे स्वीकार नहीं किया है। इसके विपरीत कुछ वर्गों ने इसे अत्यन्त भयंकर साबित किया है।

यह बात पहिले ही निश्चित कर दी गई थी कि नया शासन विधान पहले प्रान्तों से आरम्भ किया जायगा। इसी के अनुसार पहली नये शासन विधान का श्री गणेश अप्रैल सन् १९३७ ई० को प्रान्तों में यह शासन जारी किया गया। चुनाव में काँग्रेस ने दिल खोल कर हिस्सा लिया और ६ सूवों में इसका बहुमत रहा। जब मंत्रिपद ग्रहण करने का प्रश्न उठा तो काँग्रेस ने इसे इनकार कर दिया। इसका उद्देश्य शासन को चलाना न था बल्कि इसे तोड़ना था। काँग्रेस को यह डर था कि गवर्नरों के विशेषाधिकार के सामने उसका बहुमत कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मंत्रिपद सम्बन्धी झगड़ा चलता रहा तब तक शासन को चलाने के लिये गवर्नरों ने छोटे छोटे मंत्रिमंडल (Interim Ministries) बना कर अपना कार्य आरम्भ कर दिया। १९३७ ई० में जुलाई के महीने में भारतमंत्री और गवर्नर-जनरल के आश्वासन दिलाने पर काँग्रेस ने मंत्रिपद का भार स्वीकार कर लिया। बम्बई, मद्रास, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बरार, बिहार और उड़ीसा—इन सूवों में काँग्रेस सरकार कायम हो गई। बाद में पश्चिमोत्तर प्रदेश और आसाम में भी काँग्रेस ने संयुक्त मंत्रि-मंडल कायम कर लिया।

प्रान्तों में शासन का काम अच्छी तरह चलने लगा। काँग्रेस ने अपनी बुद्धि का अच्छा परिचय दिया। अनेक नये विभाग खोल कर उसने जनता के सामने यह सिद्ध कर दिया कि एक स्वतंत्र सरकार अपने देश की कहीं तक भलाई कर सकती है। विदेशी-राज्य का पर्दा थोड़े समय के लिये जनता के सामने से दूर कर दिया गया। संयुक्तप्रान्त तथा मध्यप्रान्त में कुछ ऐसी घटनायें उपस्थित हुईं जिनसे शासन में फिर रुकावट पड़ने के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। संयोग वश यह विपत्ति कुछ दिनों के लिये टल गई। प्रान्तीय आ० भा० शा०—४

शासन की सफलता को देखते हुए केन्द्रीय संघ शासन का समय भी धीरे धीरे निकट आ रहा था। परन्तु कोई वर्ग इस बात के लिये तैयार न था कि संघशासन अपने इसी रूप में जारी कर दिया जाय।

१९३६ के आरम्भ में योरप में एक भयंकर लड़ाई के आसार नज़र आने लगे। बृटिश सरकार की परिस्थिति नाजुक होने लगी।

कांग्रेसी १९३६ के सितम्बर के महीने में लड़ाई आरम्भ हो गई।

सरकारों का हिन्दोस्तान पर भी इस लड़ाई का तात्कालिक असर पड़ा।

इस्तीफ़ा बृटिश सरकार ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई का एलान किया और उसी में हिन्दोस्तान को भी अपने साथी करार दिया।

जीवन-मरण की इतनी बड़ी लड़ाई में हिन्दोस्तान शरीक तो कर दिया गया परन्तु हिन्दोस्तानियों की राय बिलकुल न ली गई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतवासियों की सहानुभूति बृटिश सरकार के प्रति थी। वे नहीं चाहते थे कि दुनियाँ में नाज़ी सरकार का दबदबा हो जाय। कांग्रेस ने बृटिश सरकार से इस बात की माँग पेश की कि लड़ाई के अन्त में वह हिन्दोस्तानियों को यह अधिकार दे दे कि वे विधान सभा (Constituent Assembly) द्वारा अपनी शासन पद्धति स्वयं बना सकें। इसको दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की माँग पेश की थी। इस पर भारत मंत्री ने घोषित किया कि हिन्दोस्तान में इतनी साम्प्रदायिक उलझनों हैं कि वह अभी आज़ादी के मुस्तद्क नहीं है। लड़ाई के समय शासन विधान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

इस कड़े जवाब को सुनते ही नवम्बर सन् १९३६ ई० में ८ प्रान्तों की कांग्रेस सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नरों ने इस बात की कोशिश की कि दूसरी पार्टियों शासन का भार ले लें, परन्तु आसाम को छोड़कर और किसी सूबे में उन्हें सफलता न मिल सकी। अन्त में विवश होकर उन्हें घोषित करना पड़ा कि शासन की मशीन फेल कर गई। १९३५ के शासन विधान की ६३ धारा के अनुसार गवर्नरों ने शासन की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली। धारा-समायें बर्ज़ास्त कर दी गईं, और गवर्नरों ने दो चार सरकारी अफ़सरों को अपना सलाहकार नियुक्त कर शासन को चलाना आरम्भ किया।

भारतीय जनता की अनुमति के बिना ही हिन्दोस्तान लड़ाई में शरीक कर दिया गया। बृटिश सरकार यह चाहती थी कि कांग्रेस

सत्याग्रह पिछली लड़ाई की तरह इसमें भी बृटेन का पूरा सहयोग दे

आन्दोलन। कांग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक हिन्दोस्तान स्वतन्त्र नहीं किया जाता, तब तक

वह मित्र राष्ट्रों की अच्छी तरह मदद नहीं कर सकता। अप्रैल १९४० ई० में रामगढ़ के काँग्रेस अधिवेशन में यह बात फिर दुहराई गई कि पूर्ण स्वराज्य से कम किसी भी तरह की चीज़ स्वीकार न की जायगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हुआ और हज़ारों आदमी जेल में डाल दिये गये। एक साल से अधिक सत्याग्रह चलता रहा और सरकार तथा काँग्रेस में समझौते का कोई रास्ता न निकला। २१ जुलाई सन् १९४१ ई० को वाइसराय ने यह घोषणा की कि केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जायेगी और एक 'राष्ट्रीय रक्षा समिति' का निर्माण किया जायगा। काँग्रेस को इस घोषणा से सन्तोष न हुआ और वह अपनी नीति पर डटी रही।

काँग्रेस के अपनी नीति पर डटे रहने के बावजूद ब्रिटिश सरकार एक एक करके सत्याग्रहियों को जेल से निकालने लगी। इसी बीच सर स्टैफोर्ड मार्च १९४१ में इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सर स्टेफ़ोर्ड क्रिप्स का क्रिप्स बृटेन के सम्राट की ओर से सुलह का एक पैगाम आगमन लेकर हिन्दोस्तान में आये। भारतीय नेताओं को निमन्त्रित किया गया कि वे उनसे दिल्ली में मिलें। बड़ी, बड़ी आशायें लेकर काँग्रेस तथा लीग के नेता दिल्ली को खाना हुये। क्रिप्स ने एक लम्बी योजना उनके सामने पेश की और उन्हें आश्वासन दिलाया कि सब लोग इस पर विश्वास कर अमल करें। वैसे तो इस योजना में बहुत सी कमजोरियाँ थीं परन्तु सबसे बड़ी कमजोरी रक्षा का प्रश्न था। इसके अनुसार रक्षा का पूर्ण अधिकार कमान्डर इन-चीफ़ को दिया गया था। काँग्रेस का कहना था कि, "रक्षा का पूरा भार किसी हिन्दोस्तानी को दिया जाय। हिन्दोस्तान इस समय खतरों में है और इसकी रक्षा का सवाल सबसे पहला सवाल है। हिन्दोस्तानियों को छोड़कर कोई और इसकी रक्षा नहीं कर सकता।" बात भी ठीक थी क्योंकि फ़रवरी १९४२ में सिंगापुर पर जापानियों का कब्ज़ा हो गया था और वे लगातार बढ़ते आ रहे थे। हिन्दोस्तानी अपने देश की रक्षा के लिये अपना खून पानी की तरह बहा सकते थे। सुलह का पैगाम फेल कर गया। लीग और काँग्रेस दोनों ने इसे नामंजूर कर दिया। क्रिप्स चुपचाप इंग्लैंड का वापिस चले गये।

सर स्टेफ़ोर्ड क्रिप्स हिन्दोस्तान के एक हितैषियों में गिने जाते थे, परन्तु सुलह के पैगाम ने उन्हें इतना बदनाम कर दिया कि उन पर तरह तरह की बौछारें फेंकी जाने लगीं। काँग्रेस का कहना था कि क्रिप्स को ऐसी निस्सार

योजना लेकर कभी नहीं आना चाहिये था। इस प्रस्ताव में केन्द्रीय राष्ट्रीयकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इससे हिन्दोस्तान के १३ या १४ छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाने का डर था। महात्मा गाँधी का कहना था कि 'क्रिष्ण साहब उस बैंक का एक चेक हिन्दोस्तान को देना चाहते थे जिसका दिवाला निकल चुका हो।' उनके प्रस्तावों का कुल लुब्धो लवाव यही था कि 'अपनी वर्तमान स्थिति पर ही सन्तोष करो और युद्ध के बाद तुम्हें औपनिवेशिक पद प्रदान किया जायगा।' मुसलिम लीग के एक सदस्य का कहना है कि "यदि क्रिष्ण के प्रस्ताव मान लिये गये होते तो १० करोड़ मुसलमानों की मिट्टी पलीद हो जाती।" हिन्दोस्तान से विदा होते समय करौंची में क्रिष्ण साहब ने कहा कि "काँग्रेस सब कुछ चाहती थी या कुछ नहीं, इसलिये उसे कुछ नहीं मिला।" उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि "महात्मा गाँधी अपने ही दल को सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्रदान करना चाहते हैं।" इन बातों से हिन्दोस्तान में वृटेन के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी।

क्रिष्ण के चले जाने के बाद हिन्दोस्तान के राजनीतिक आकाश में बादल सा छा गया। चारों ओर असन्तोष की ज्वाला अगस्त की बढ़ने लगी। काँग्रेस वर्किंग कमीटी ने यह प्रस्ताव पास तोड़ फोड़ और किया कि "अंग्रेज हमारे देश को छोड़ दें" (Quit वृटिश सरकार India)। इसी प्रस्ताव के समर्थन के लिये १९४२ की ज़िम्मेवारी १९४२ के बम्बई में काँग्रेस कमीटी की बैठक हुई। कमीटी का कार्य अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि रात में ही बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये। १० अगस्त १९४२ के भारत मन्त्री, लार्ड एमरी का वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि काँग्रेस वृटिश सरकार का अन्त करना चाहती थी और उसके कार्यक्रम में तार तोड़ना, स्टेशन जलाना, दफ्तर फूँकना इत्यादि इत्यादि बातें थीं। इस वक्तव्य ने मुल्क को चौकन्ना कर दिया और काँग्रेस तथा अन्य लोग जगह जगह सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने लगे। किसी किसी जिलों में तो रेल और तार के सारे खम्भे उखाड़कर फेंक दिये गये। अगस्त के महीने भर यही हाल रहा। सरकार ने भी अपना रुख बदला और बड़ी बेरहमी के साथ फ़ौजी सिपाही इसे दबाने लगे। कितने घर जला दिये गये और सैकड़ों आदमी बन्दूक के निशाने बने। अक्टूबर के अन्त तक सब मामला ठंडा हो गया। काफी लोग जेलों में डाल दिये गये और शहर तथा गाँव दोनों से नुकसान की सारी रकम सामूहिक जुर्माने के रूप में वसूल की गई। कहा जाता है कि इस तोड़ फोड़ की ज़िम्मेवारी

काँग्रेस के ऊपर है। परन्तु जब उसके बड़े बड़े नेता पहले ही जेल में डाल दिये गये तो उसकी ज़िम्मेवारी कैसे हो सकती है। लार्ड एमरी के १० अगस्त के वक्तव्य ने इस कार्य क्रम का प्रचार किया।

१९४६ ई० तक ब्रिटिश सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी वर्ष लड़ाई समाप्त हो जाने पर भारतीय राजनीति में फिर परिवर्तन की चर्चा होने लगी। मार्च १९४६ वृटिश मंत्रि-मण्डल का प्रस्ताव तक प्रान्तीय धारा सभाओं के चुनाव समाप्त हो गये और काँग्रेस का काफ़ी बहुमत रहा। काँग्रेस ने मंत्री पद स्वीकार कर शासन को चलाने का भार अपने ऊपर लिया। अप्रैल १९४६ में पार्लियामेन्ट ने एक मंत्री दल इस आशय से हिन्दोस्तान में मेजा कि हिन्दोस्तान के साथ एक स्थायी सुलह कर ली जाय। वृटिश मंत्री दल ने हिन्दोस्तान के सभी बड़े लीडरों से परामर्श करने के बाद १६ मई सन् १९४६ को पाँच हजार शब्दों की 'अखिल-भारतीय-यूनियन' बनाने की एक योजना प्रकाशित की। इसमें पाकिस्तान की योजना नामंजूर कर दी गई। प्रान्तों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई और और उन्हें समूह अथवा उपसंघ में संगठित होने की आजादी दी गई। इसके जवाब में २४ मई सन् ४६ को काँग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक हजार शब्दों का एक प्रस्ताव पास कर यह घोषित किया कि वृटिश मंत्रिदल का प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जायगा जब कि उसमें नीचे लिखी बातें साफ़ तौर से मान ली जायँ :—

- १—भारत की स्वाधीनता।
- २—यद्यपि सीमित किन्तु दृढ़ केन्द्रीय सरकार।
- ३—प्रान्तों को पूर्ण शासनाधिकार।
- ४—केन्द्र तथा प्रान्तों में लोकतन्त्र वादी व्यवस्था।
- ५—प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा।

मंत्रिदल के प्रस्तावों पर हिन्दोस्तान के सभी दल गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। प्रान्तों में काँग्रेस सुचारू रूप से वर्तमान स्थिति शासन को चला रही है। भारतीय राजनीति में कौन सी ठोस योजना निकट भविष्य में कार्यान्वित होगी, इस पर अभी कुछ नहीं जी सकता।

अध्याय २

शासन से गुण-दोष

प्रत्येक संघ सरकार के लिये दो चीजें आवश्यक हैं। एक तो बहुत सी रियासतें अथवा सूबे एक दूसरे के पड़ोसी हों। इनके **संघ शासन** इतिहास, इनकी परम्परा और इनकी रहन सहन में एकता **की** की भलक हो। दूसरी आवश्यकता इन सूबों के **आवश्यकता** एक ऐसी भावना की है जो इन्हें मिलाने के लिये प्रेरित करती हो। इनके अन्दर यह प्रबल इच्छा हो कि वे स्वतन्त्र रहते हुए एक केन्द्रीय सरकार बनावें। संघ सरकार की उत्पत्ति इन्हीं भावनाओं से होती है। भारतीय संघ शासन में ये दोनों भावनायें पाई जाती हैं। इस देश में १०० के लगभग छोटी छोटी रियासतें और १७ सूबे हैं। बहुत दिनों से इनकी इच्छा रही है कि एक संघ शासन बनाया जाय। वर्तमान शासन विधान इसी का फल है।

संघ शासन की परिभाषा राजनीतिज्ञों ने कई प्रकार से की है। यह राजनीतिक टुकड़ों का वह संगठन है जो सब की ओर से **संघ शासन** किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाया जाता है। संघ **क्या है ?** शब्द ही यह सूचित करता है कि बहुत से छोटे छोटे समूह इसमें सम्मिलित हैं। यदि किसी दबाव के कारण बहुत सी रियासतें एक सम्मिलित सरकार कायम कर लें तो उसे संघ नहीं कहा जा सकता। यद्यपि सबके लिये एक केन्द्रीय शासन की स्थापना हो जाती है, परन्तु इसमें उन्हें वह स्वतन्त्रता नहीं है जो एक सच्चे संघ शासन के अन्दर होनी चाहिये। संघ शासन के लिये यह आवश्यक है कि छोटे छोटे विभाग अपनी स्वतन्त्रता से एक सम्मिलित सरकार बनावें। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ४८ रियासतों ने अपनी इच्छा से एक केन्द्रीय शासन की स्थापना की है। इन्हें यह अधिकार है कि जब चाहे संघ से अपने को अलग कर लें। प्रत्येक रियासत को यह पूरी स्वतन्त्रता है कि वह अपनी शासन पद्धति जैसी चाहे रखे। वास्तव में संघ शासन एक प्रकार का सुलहनामा है, जो स्वतन्त्र रियासतें अपने लाभ की दृष्टि से करती हैं। वे अपना कर्त्तव्य अपने आप निश्चित करती हैं। प्रत्येक रियासत अपनी राजसत्ता को कायम रखती है। संघ शासन से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो सभी रियासतों की रक्षा और उन्नति की जिम्मेवार बन जाती है।

संघ शासन के लिये तीन बातों का होना आवश्यक है। इनकी अनुपस्थिति में इस शासन पद्धति का निर्माण नहीं हो सकता।

संघ शासन की शर्तें

(१) प्रत्येक संघ सरकार शासन से ही अपनी शक्ति प्राप्त करती है।

शासन विधान में यह बात स्पष्ट कर दी जाती है कि सुलह शासन की की कौन कौन सी शर्तें हैं। संघ सरकार की स्थापना के बाद प्रधानता रियासतें उन बातों को मानने के लिए बाध्य हैं, जिनकी प्रतिज्ञा उन्होंने की है। संघ सरकार और रियासतों की सरकारों दोनों के अधिकार की सीमा शासन विधान में निश्चित कर दी जाती है। इसीलिये ऐसे शासन विधान के लिये यह आवश्यक है कि वह लिखित हो और सरकार की साधारण मशीन उसे बदल न सके। रियासत और संघ सरकार किसी एक को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि वह शासन विधान में जैसा चाहे परिवर्तन कर दे। इसे बदलने का अधिकार केवल विशेष अधिकारियों को दिया जाता है। जब कभी इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो अनेक शक्तियों से राय लेनी पड़ती है। संघ शासन को बदलना उतना ही मुश्किल है, जितना किसी कानून को रद्द करना।

(२) संघ शासन के लिये दूसरी शर्त शक्तियों का विभाजन है।

अर्थात् प्रत्येक रियासत को यह अच्छी तरह मालूम हो शक्ति कि उसके क्या क्या अधिकार हैं। केन्द्रीय सरकार और विभाजन रियासती सरकारों के अधिकार एक दूसरे से अच्छी तरह अलग होने चाहिये। एक ऐसी सूची बननी चाहिये जिसमें विस्तार पूर्वक विषयों को बाँटा गया हो कि अमुक विषय केन्द्रीय सरकार के और शेष रियासतों के हाथ में हैं। इस विभाजन में कोई विशेष कठिनाई नहीं हो सकती। जो जो विषय स्थानीय हों वे रियासतों को दे दिये जायँ और जिन विषयों का सम्बन्ध सम्पूर्ण देश से हो वे केन्द्रीय सरकार को दिये जायँ। इससे आपस में मतभेद के अवसर उत्पन्न नहीं हो सकते। इसीलिये संघ शासन विधान बहुत ही स्पष्ट और सुलभा हुआ होना चाहिये।

(३) यद्यपि संघ शासन विधान में सारी बातें लिखित होती हैं ;

अधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है ; फिर भी ऐसे संघ न्यायालय अवसर पैदा हो जाते हैं जब कि शासन विधान में कुछ कमी दिखलाई पड़ने लगती है। कभी कभी दो रियासतें

आपस में उलझ जाती हैं। केन्द्रीय और रियासती सरकार में भी मतभेद उत्पन्न हो जाता है। शासन की किसी धारा के दोहरे अर्थ पैदा कर दिये जाते हैं। अधिकारों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता उत्पन्न होती रहती है। इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि एक प्रधान शक्ति बना दी जाय। इसी का नाम संघ न्यायालय कहा जाता है। यही न्यायालय शासन विधान सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करता है। जैसे वकील कचहरियों में कानून के अर्थ को स्पष्ट करता है, उसी तरह संघ-न्यायालय शासन को व्यक्त करता है। इस मशीन से सबसे बड़ा लाभ यह है कि किन्हीं भी दो शक्तियों में असन्तोष उत्पन्न नहीं हो पाता। संघ-न्यायालय को शासन का संरक्षक कहा गया है। सबसे प्रवीण राजनीतिज्ञ और कानून के ज्ञाता इस संघ न्यायालय के न्यायाधीश बनाये जाते हैं। इन्हें सभी प्रकार से निष्पक्ष और स्वतंत्र रखा जाता है।

भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष एक प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल लगभग १६ लाख वर्गमील है, और जनसंख्या ४० करोड़ के भारतीय संघ लगभग है। राजनीतिक दृष्टि से यह देश दो टुकड़ों में शासन का विभाजित किया गया है—भारतीय रियासतें और अंग्रेज़ी विकास सूबे। सूबों का क्षेत्रफल ८ लाख ६२ हजार वर्गमील और जनसंख्या ३० करोड़ के लगभग है। रियासतों का क्षेत्रफल ७ लाख वर्गमील और जनसंख्या ६ करोड़ से कुछ ऊपर है। सारे हिन्दोस्तान में ६०० के लगभग रियासतें हैं। इन रियासतों को अधिकार की दृष्टि से दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। पहिली श्रेणी में वे रियासतें हैं जो सभी प्रकार से खुद-मुस्तार हैं। केवल बाहरी मामलों में वे ब्रिटिश सरकार की मातहत हैं। बाकी रियासतें भीतरी और बाहरी दोनों दृष्टियों से परतंत्र हैं।

रियासतों का सम्बन्ध सीधे सम्राट् से है। सम्राट् ने अपनी शक्ति गवर्नर-जनरल को बाइसराय के रूप में दे रखी है। इस शक्ति को सर्वोच्चता (Paramount) कहा गया है। यह अधिकार सम्राट् को विभिन्न संघियों और सुलहनामें में प्राप्त हुये हैं। यद्यपि इस सम्बन्ध को स्थापित हुये लगभग १०० वर्ष हो रहे हैं, परन्तु अभी तक इसका स्पष्टीकरण ठीक नहीं है। बटलर कमेटी ने इसे स्पष्ट करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। यह सम्बन्ध समय समय पर बदलते रहे हैं। कभी कभी ब्रिटिश सरकार इनमें हस्तक्षेप की नीति चलाती रही है और कभी इन्हें स्वतंत्र भी रखा है। इन रियासतों को बाह्य रक्षा का पूरा आश्वासन दिया गया है। बाइसराय को यह अधिकार है कि वह जब चाहे इनके भीतरी मामलों में दखल दे।

रियासत को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विदेशी राज्य से अपना सम्बन्ध जोड़े। समय पड़ने पर ब्रिटिश सरकार उनसे मनमानी सहायता ले सकती है। अपने राज्य में शान्ति रखने के लिये ये रियासतें बाध्य हैं। आर्थिक, और राजनीतिक दृष्टि से भी इनमें बड़ा मतभेद है। ३० रियासतों में धारा सभायें पाई जाती हैं। ४० रियासतों में अंगरेजी ढंग के न्यायालय स्थापित किये गये हैं।

भीतरी मामलों में शासन चलाने के लिये इन रियासतों को काफ़ी स्वतंत्रता है। ये अपने तरीके पर अपना धन खर्च कर सकती हैं। बाहरी सम्बन्ध सम्राट् के हाथों में है। केन्द्रीय सरकार में एक राजनीतिक विभाग (Political Department) स्थापित किया गया है, जो इन रियासतों की देख रेख करता है। प्रत्येक रियासत में एक अंगरेज़ रेज़िडेन्ट रहता है। पहिली अप्रैल सन् १९३७ ई० से सम्राट् वाइसराय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ब्रिटिश प्रान्तों में सम्राट् का अधिकार पहले से ही कायम है। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से हिन्दोस्तान के दोनों विभाग एक ही राजसत्ता के अन्तर्गत हैं। ब्रिटिश परम्परा तथा स्वार्थ ने इन्हें एक दूसरे से अलग कर रक्खा है।

रियासतों और सूबों में चाहे जितना भी अन्तर हो, दोनों का हित एक दूसरे से मिला हुआ है। दोनों एक ही पेड़ की दो शाखायें हैं। एक की उन्नति-अवनति का प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं रह सकता। नकशे पर नज़र डालने से लाल और पीले रंग एक दूसरे से मिज़ मालूम पड़ते हैं, परन्तु उनके घनिष्ठ सम्बन्ध की छाया हमारी आँखों के सामने आ जाती है। भौगोलिक दृष्टि से रियासतों और सूबों में कोई भेद नहीं है। स्थान की दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से लिपटे हुये हैं। इनकी आवादी भी लगभग एक सी हैं। दोनों ही ग्रामीण और उपजाऊ प्रदेश हैं। ऊपर कहा गया है कि दोनों की राजसत्ता सम्राट् के हाथों में है। आर्थिक दृष्टि से समूचा हिन्दोस्तान एक है। देश की भलाई के सारे साधन एक दूसरे से मिले जुले हैं। राष्ट्रियता की दृष्टि से सम्पूर्ण भारतवर्ष एक ही राष्ट्र है, दोनों की संस्कृति एक है। धार्मिक आचार विचार सूबे और रियासतों दोनों में एक हैं। इतनी एकता होने हुये यदि संघ शासन की स्थापना की जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सभी दृष्टियों से यह देश संघशासन के योग्य है।

इधर कुछ वर्षों से भारतीय रियासतें इस बात की माँग पेश कर रही थीं
आ० भा० शा०—५

कि ब्रिटिश प्रान्तों के साथ उनका व्यापारिक सहयोग स्थापित हो जाय। बटलर कमेटी ने इस बात पर विचार किया था कि किस प्रकार रियासतें और सुबे एक प्लैटफार्म पर आ सकते हैं। मान्टेग्यू और चेम्स फ़ोर्ड के दिमाग में यह बात पूरी तरह आई थी कि सारे हिन्दोस्तान के लिये एक शासनविधान बनना चाहिये। यह बात मान ली गई थी कि हिन्दोस्तान में शासन-सम्बन्धी कठिनाइयाँ तभी दूर हो सकती हैं जब इस देश का शासन-विधान संघशासन के आधार पर बना दिया जाय। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सुबे और रियासतों में सहयोग उत्पन्न नहीं हो सकता। जिस समय मान्टेग्यू चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई उस समय रियासतें संघशासन के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के लिये तैयार न थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी टुकरा दी गई। कारण यह था कि उपरोक्त किसी भी सुधार में केन्द्रीय शासन में परिवर्तन की कोई चर्चा न थी। केवल प्रान्तों में थोड़े बहुत अधिकार देकर ब्रिटिश सरकार हिन्दोस्तानियों को सन्तुष्ट करना चाहती थी। ऐसी दशा में संघशासन की बातें करना अधिकार की एक हँसी उड़ाना था।

देशी राजाओं के मन में यह बात आने लगी कि ब्रिटिश प्रान्तों का प्रभाव उन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। उन्हें यह ध्यान आया कि प्रान्तों के निवासी उनके भाई हैं। साथ ही उन्हें यह भय था कि वे हिन्दोस्तान की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से अपने को अलग नहीं रख सकते। राष्ट्रीय भावनायें रियासतों में भी काम कर रही थीं। उनकी जनता सुबों की देखा देखी ज़िम्मेवार शासन की माँग पेश कर रही थी। इन बातों ने राजाओं को इस बात के लिये सचेत कर दिया कि उनका राजनीतिक भविष्य प्रान्तों से अलग नहीं है। इसलिये उन्होंने यह फ़ैसला किया कि वे संघशासन में प्रवेश करने के लिये तैयार हैं। पहली गोलमेज़ सभा में राजाओं ने अपने इस विचार को ब्रिटिश सरकार के सामने रक्खा। काँग्रेस ने पहली सभा की कार्रवाइयों को स्वीकार कर लिया और १९३१ ई० की दूसरी गोलमेज़ सभा में महात्मा गाँधी को अपना प्रतिनिधि चुन कर भेजा। तीनों गोलमेज़ सभायें समाप्त हो जाने के बाद २ अगस्त सन् १९३५ ई० को नया शासनविधान पास किया गया। इसके अनुसार हिन्दोस्तान में एक संघ शासन की स्थापना की गई। इस ऐक्ट ने गवर्नर-जनरल और वाइसराय दोनों के पदों को अलग अलग बाँट दिया। इस समय एक ही व्यक्ति दोनों शक्तियों को धारण किये हुए है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये पद अलग अलग दो व्यक्तियों को दिये जा सकते हैं।

भारतीय संघ-शासन-विधान संघ-शासन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सम्पूर्ण शासन-विधान लिखित कर दिया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। केन्द्रीय शासन के और प्रान्तीय विषयों का विभाजन भी कर दिया गया है। गुण दोष एक संघ-न्यायालय की भी स्थापना की गई है। फिर भी भारतीय संघ शासन-विधान अपनी एक विशेषता रखता है। इस विशेषता का बहुत कुछ कारण इस देश की राजनीतिक परिस्थिति है। इस शासन विधान में कुछ ऐसे दोष हैं जो इसकी उपयोगिता को कम कर देते हैं।

(१) संघ-शासन में यह आवश्यक है कि इसमें शामिल होने वाले सबे वा रियासतें पूर्ण स्वतंत्र हों। उनकी राजसत्ता उन्हीं के अन्दर मौजूद हों। किसी विशेष सामूहिक हित की दृष्टि से वे एक संघ की स्थापना करते हैं। भारतीय संघ-शासन में ये दोनों बातें नहीं पाई जातीं। रियासतें और सूबे दोनों ही परतन्त्र हैं। दोनों को राजसत्ता सम्राट् के हाथों में है। अंग्रेजी सूबे संघ-शासन में आने के लिये बाध्य हैं। ये दोनों बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि यह संघ शासन उनकी इच्छा के विरुद्ध है। इसकी स्थापना होने पर भी इस देश की राजसत्ता सम्राट् और पार्लियामेंट के हाथों में रहेगी। शासन के निर्माण में जनता की राय नहीं ली गई है। सारी कार्रवाई स्वयं पार्लियामेंट ने की है। इसीलिये कहा जाता है कि भारतीय संघ-शासन-विधान हिन्दोस्तानियों पर 'ज़बरदस्ती लादा गया है।'

(२) शासन की मशीन को देखते हुये यह स्पष्ट है कि यह संघ-शासन एक ऊपरी ढोंग है। ब्रिटिश सरकार की पुरानी नीति उसी प्रकार बनी हुई है। केन्द्रीय शासन की वागडोर ढीली नहीं की गई है। प्रान्तों के गवर्नरों तथा गवर्नर-जनरल को तरह तरह के विशेष अधिकार देकर पार्लियामेंट ने अपने अधिकारों को कम नहीं किया है। जिस लाभ की दृष्टि से सूबे और रियासतें एक स्थान पर आना चाहती हैं वह लाभ ही शायब है। इसका फ़ैसला पार्लियामेंट के हाथों में छोड़ दिया गया है।

(३) संघ-शासन में यह आवश्यक है कि जो इकाइयाँ इसमें शरीक हों उनमें काफ़ी समानता हो। उनके पद और अधिकार एक से हों। भारतीय संघ-शासन में इस नियम का अभाव है। रियासतें पद और अधिकार में सूबों से इतनी भिन्न हैं कि उनमें समानता का कोई भाव नहीं है। राजाओं की पुरानी दकियानूसी अभी तक जारी है। उनका शासन प्रजा के ऊपर इतना कड़ा होता है कि वह राजनीतिक अधिकारों का स्वप्न भी नहीं देखती। रियासतों में प्रजा

की दशा गिरी हुई है। उन्हें छोटे छोटे अधिकारों के लिये तरसना पड़ता है। कुछ रियासतों में प्रजा की दशा अच्छी है, परन्तु प्रश्न तो ६०० रियासतों का है। इसके विपरीत सूबे किसी हद तक शासन के लिये स्वतन्त्र हैं। वहाँ प्रजा को कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रान्तों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपना प्रतिनिधि चुन कर संघ धारा सभाओं में भेजें। चुनाव में केवल प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्य वोट देने के अधिकारी होंगे। रियासतों में प्रजा को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया है। वहाँ से जो सदस्य संघ-धारा सभाओं में जायेंगे वे राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे। इस प्रकार के भेद भाव से ब्रिटिश सरकार ने संघ शासन के महत्व को विगाड़ दिया है। जनता को समान नागरिक अधिकार नहीं दिये गये हैं।

(४) संघ धारा सभाओं द्वारा जो कानून पास किए जायेंगे वे हिन्दोस्तान पर एक से लागू न होंगे। प्रान्तों में वे समान रूप से अवश्य बतें जायेंगे, परन्तु रियासतों में उनका प्रभाव भिन्न भिन्न होगा। प्रत्येक रियासत के साथ ब्रिटिश सरकार की जैसी शर्त है, कानूनों का वैसा ही असर उस पर पड़ेगा। यह बात राजाओं की इच्छा पर छोड़ दी गई है कि वे कुछ विषयों में संघ धारा सभाओं की बातें मानें। इस प्रकार का भेद-भाव एकता के स्थान पर कटुता उत्पन्न करता है। जो शक्ति सारे हिन्दोस्तान के लिये बनाई गई है उसकी नीति सब जगह एक-सी न बर्ती जाय, यह बात कुछ समझ में नहीं आती।

(५) संघ सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह शासन-विधान में परिवर्तन करे। यह अधिकार केवल पार्लियामेंट को दिया गया है।

(६) ऊपर कहा गया है कि संघ धारा सभाओं में रियासतों के सदस्य राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे इसके विपरीत प्रान्तों के सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि होंगे। लेकिन प्रजा को यह अधिकार नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से वह अपना प्रतिनिधि चुने। प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्य इन्हें निर्वाचित करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र साम्प्रदायिकता के आधार पर बनाये गये हैं। प्रत्येक सम्प्रदाय को पृथक्-पृथक् निर्वाचन का अधिकार दिया गया है। इससे देश में साम्प्रदायिक भावनाओं का प्रचार होगा और राष्ट्रियता में बाधा पड़ेगी। प्रजा और धारा सभा के सदस्यों में सीधा सम्पर्क न होने से धारा सभा की जिम्मेदारी कम हो जाती है। संघ-शासनों में प्रायः छोटी धारा सभाओं के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं और बड़ी सभायें प्रत्येक रियासत के प्रतिनिधित्व की प्रतीक होती हैं। अर्थात् बड़ी सभा में रियासतें अपने आपको औरों के बराबर समझती हैं। क्षेत्रफल या जनसंख्या में कोई छोटी

हो अथवा बड़ी परन्तु उनका दर्जा बराबर होता है। भारतीय संघ में ऐसा नहीं किया गया है।

(७) वर्तमान शासन-विधान जनता को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। संघ धारा सभाओं की बनावट दोषपूर्ण है। उनके अधिकार बहुत ही सीमित हैं। कानून के क्षेत्र में धारा सभा के अधिकार नाम मात्र के लिये हैं। आर्थ-व्यय में भी उसके अधिकार कम हैं। पग पग पर गवर्नर-जनरल के विशेष अधिकारों से वह दबी हुई है। धारा सभा की इच्छा के विरुद्ध वह फर्मान जारी कर सकता है। उसकी अनुमति के बिना उसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि धारा सभा किसी मद के खर्च को बन्द कर देती है तो गवर्नर-जनरल उसे जारी कर सकता है। तात्पर्य यह है कि प्रजा के धन को उसके प्रतिनिधियों को खर्च करने का अधिकार नहीं है। शासन प्रबन्ध में संघ सरकार की आधी शक्ति एक मात्र गवर्नर-जनरल के हाथ में रक्खी गई है। बाकी मामलों में भी वह जब चाहे हाथ डाल सकता है। उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों (Special Responsibilities) इतनी अधिक हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है। उनके सामने भारतीय मन्त्रियों के अधिकार सूर्य के सामने चिराग की तरह हैं।

इन तमाम कमजोरियों को एकत्र करने पर यह पता चलता है कि भारतीय संघ-शासन-विधान से 'संघ' शब्द निकाल देना चादिए। पार्लियामेंट के अधिकार वैसे ही हैं जैसे १६१६ के पहिले थे। रियासतों में राजाओं के श्रत्याचार वैसे ही होते रहेंगे जैसे आज तक होते आये हैं। नये शासन विधान में इसकी कोई दवा नहीं की गई है। यह शासन विधान प्रजा के अधिकारों की घोषणा नहीं करता। संयुक्तराज्य अमेरिका अथवा रूस से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। शासन-विधान में यह बात बार बार कही गई है कि हिन्दोस्तान की राजसत्ता बृटिश सम्राट् के हाथ में है। संघ-शासन की मशीन को चलाने का अधिकार भारत मंत्री के हाथ में दिया गया है। वह इंजिन के ड्राइवर की तरह जैसे चाहेगा इमें ले चलेगा। गवर्नर-जनरल के अधिकार इतने अधिक हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वह सम्पूर्ण शासन-विधान को रद्द कर सकता है। उसे अधिकार है कि स्वतन्त्र रूप से हिन्दोस्तान पर राज्य करे। सरकार की आमदनी का ८० प्रतिशत उसे खर्च करने का अधिकार है। संघ सरकार के बजट में ५ हिस्से पर धारा सभा का कोई अधिकार नहीं है।

सूबों तथा रियासतों को यह अधिकार नहीं है कि वे जब चाहें संघ से अलग हो जायें। रियासतों को सूबों से कहीं अधिक स्वतन्त्रता दी गई है।

संघ में आना और न आना उनकी इच्छा पर है। एक ऐसी संख्या निश्चित कर दी गई है जिससे कम रियासतों के सम्मिलित होने पर संघ-शासन आरम्भ नहीं किया जा सकता। संघ-धारा-सभा की बड़ी सभा में यदि रियासतों के १२ प्रतिनिधि नहीं होंगे तो संघ की कार्रवाई आरम्भ नहीं की जायेगी। रियासतों की सम्राट् के साथ जो शर्तें हुई हैं वे उसी तरह बनी रहेंगी। संघ की आमदनी का ६० प्रतिशत प्रान्तों से लिया जायेगा और केवल १० प्रतिशत रियासतें देंगी। प्रत्येक राजा को यह अधिकार है कि वह जब और जैसे चाहे संघ शासन में शरीक हो।

रेलवे तथा बैङ्क की कार्रवाइयाँ संघ-शासन की मातहत से अलग रखी गई हैं। संघ-धारा सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह मंत्रियों को भर्ती करे तथा उन्हें निकाल सके। यह अधिकार गवर्नर-जनरल को दिया गया है। वही विभागों को बाँटेगा और जब चाहे मंत्रियों को निकाल सकेगा। इससे स्पष्ट है कि मंत्री अपनी कार्रवाइयों के लिये धारा सभा के प्रति जिम्मेदार न होंगे। सुरक्षित विभाग (Reserved Department) गवर्नर-जनरल की मातहत में रहेगा। इसके लिये उसे मंत्रियों और धारा सभा के सलाह की कोई ज़रूरत न होगी। धारा सभा को बुलाने और बर्खास्त करने का अधिकार उसी को होगा।

शासन-विधान की १२ वीं धारा में यह स्पष्ट कहा गया है कि गवर्नर जनरल प्रान्तीय मामलों में हाथ डाल सकता है। उसके विशेष अधिकार प्रान्तों में भी लागू होंगे। किसी भी संघ में संघ न्यायालय का फ़ैसला अंतिम माना जाता है। लेकिन भारतीय संघ शासन-विधान इससे बंचित रक्खा गया है। संघ न्यायालय के फ़ैसले के बाद कुछ मुकदमों की अपील प्रिन्सीपल कौंसिल में होगी। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियाँ भारत मंत्री की मर्ज़ी से दी जायेंगी। कहा जाता है कि संसार के इतिहास में इस प्रकार का संघ-शासन कहीं नहीं मिलता। इसके अन्दर अनेक वर्गों के स्वार्थ सुरक्षित रखे गये हैं। बृटिश साम्राज्य, भारतीय रियासतें, धनी वर्ग आदि के हितों का विशेष ध्यान रक्खा गया है। लार्ड लोथियन लिखते हैं, * "नया शासन विधान तमाम बुराइयों के बावजूद हिन्दोस्तान की मौजूदा हालत के इतने अनुकूल है कि इसकी

*The new Act, with all its defects and anomalies, corresponds far more closely to the present day realities in India than its Indian critics are willing to admit.

समालोचना करने वाले इसे स्वीकार नहीं कर सकते।” हिन्दोस्तानियों की राष्ट्रीय भावनाओं के विकास और उसकी रक्षा पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया। एक सज्जन लिखते हैंः शासन के बनाने वालों ने एक ऐसा ग़लत रास्ता इख्तियार किया कि वे ठीक रास्ते से सही उद्देश्य पर नहीं पहुँच सके।” डाक्टर अम्बेदकर के शब्दों में † “शासन-विधान का सर और पैर दोनों ग़लत है।”

एक विद्वान् संघ-शासन विधान की समालोचना करते हुए लिखते हैं “राजनीतिक आवश्यकताओं ने दो अजनबी आदमियों को एक ही चारपाई पर सुला दिया है। अब यह देखना है कि कितने दिन तक इन दोनों की बनती है।” समालोचक का उद्देश्य प्रान्तों और रियासतों से है। इसकी समालोचना करते हुए श्रीयुत सुवास चन्द्र बोस लिखते हैं, ‘भारतीय सरकारी ऐक्ट में जिस संघ-शासन की कल्पना की गई है वह एक धोखे की टट्टी है। इसमें ब्रिटिश राजनीतियों ने हिन्दोस्तान को गुलाम रखने की तरकीबें सोची हैं। यह शासन एक प्रकार से प्रजातन्त्रवाद और फ़्यूडल प्रथा दोनों को एक सूत्र में बाँधने की कोशिश करता है।”

१९१६ में ब्रिटिश प्रान्तों में जो दोहरे शासन की नींव डाली गई थी वह सर्वथा असफल रही, हिन्दोस्तान का कोई वर्ग इससे सन्तुष्ट न रहा। १९३५ के संघ-शासन-विधान में प्रान्तों का दोहरा शासन दूर कर दिया गया, परन्तु केन्द्र में फिर यही स्थापित किया गया है। केन्द्रीय सरकार के कुछ विषय गवर्नर-जनरल के हाथ में और कुछ मंत्रियों के हाथ में रहेंगे। अपनी विशेष जिम्मेवारियों को चलाने के लिये उसे यह अधिकार होगा कि वह तीन व्यक्तियों को नियुक्त कर ले। घन सम्बन्धी मामलों में राय देने के लिए वह एक आर्थिक सलाहकार (Financial Adviser) भी नियुक्त कर सकता है। शासन-विधान में मंत्रियों के आर्थिक अधिकारों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि हिन्दोस्तानियों को आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं है!‡

*The framers, therefore, started wrongly and could not go on the right road to reach the right goal.

†The federal constitution is wrong in its conception and wrong in its basis.

‡The political swaraj will be an empty husk without the economic swaraj, India, therefore, wants economic swaraj with the political swaraj. The Government of India Act, 1935, however, does not grant that.

१९१६ के शासन-विधान में ब्रिटिश सरकार ने यह वादा किया था कि १० वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त करके यह जांच की जायेगी कि सुधार की योजना कहाँ तक ठीक है। इससे स्पष्ट है कि शासन के बनाने वालों ने अपनी ईमानदारी में कोई कसर बाक़ी न रखी थी। परन्तु नये संघ-शासन विधान में कोई ऐसा मार्ग नहीं है। सभी चीज़ें भविष्य पर छोड़ दी गई हैं। उपनिवेशक स्वराज्य (Dominion Status) की इस विधान में चर्चा तक नहीं है। यह जिक्र कहीं नहीं आता कि हिन्दोस्तान को उपनिवेशिक स्वराज्य कब दिया जायगा। सर सेमुअल होर ने जो कि उस समय भारतमंत्री थे, कामन सभा में कहा था, हिन्दोस्तान को अगली बार भी इसे मिलने की उम्मीद नहीं है। श्री सत्यभूति ने इस शासन-विधान पर राय प्रकट करते हुए कहा है* “हिन्दोस्तान की बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं का देखते हुए यह शासन-विधान स्वीकार नहीं किया जा सकता।” भारत के राजनीतिक दलों में केवल हिन्दू सभा ने इसका समर्थन किया है। वह भी इसलिये कि इससे “अखंड हिन्दोस्तान” का समर्थन होता है। † “कॉंग्रेस ने इसे विदेशी कह कर ठुकरा दिया है।”

आधुनिक भारतीय संघ शासन अपनी निजी विशेषता रखता है। न तो हम इसे सच्चा संघ-शासन कह सकते हैं और न इसमें प्रजातन्त्रवाद की कोई झलक है। इस देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस तरह का शासन विधान उपयोगी नहीं हो सकता। प्रान्तों और रियासतों में इतना राजनीतिक भेद है कि दोनों एक सूत्र में नहीं बाँधे जा सकते। संघ-शासन का स्वरूप ऐसा विचित्र है जो कहीं सुना भी नहीं गया होगा। कारण यह है कि एक तरफ सूबों को और दूसरी तरफ रियासतों को बाँधा जायेगा ;

*Such a constitution cannot be accepted by India as a suitable dwelling-place for her new consciousness of nationhood.

‡ The Indian National Congress has rejected it because it is not a ‘Swadeshi’ constitution, having been forged in London by the combined efforts of the British Imperialists.

एक की सरकार प्रजातन्त्रवाद के आधार पर बनाई गई होगी और दूसरे में पूर्वीय एकतन्त्रवाद होगा।”

मुस्लिम लीग ने संघ-शासन की कड़े शब्दों में आलोचना की है। २० दिसम्बर सन् १९३८ ई० के बम्बई से एक वक्तव्य देते हुये मि० जिन्ना ने कहा था “नया शासन-विधान उस पौदे की तरह है जिसे लगाने की इजाजत हमें एक रेगिस्तान में दी गई है। मेरी समझ में ब्रिटिश सरकार ने इस शासन-विधान को बनाकर एक बहुत बड़ी विपत्ति हमारे सर पर वैसे ही ला दी है जैसे बर्साइल की सन्धि ने योरप के ऊपर।” साम्प्रदायिक दृष्टि से हिन्दुओं का यह कहना है कि संघ-धारा सभा में किसी भी प्रकार से उनका बहुमत नहीं हो सकता। यही डर मुसलमानों को भी है। काँग्रेस स्वयं डरी हुई है कि वह बहुमत नहीं प्राप्त कर सकती। एक वक्तव्य देते हुए सर ए० एच० गुज़नवी ने कहा था “छोटी सभा में काँग्रेस अधिक से अधिक ४० सीट प्राप्त कर सकती है।” अल्पसंख्यक वर्ग सभी प्रकार से असन्तुष्ट हैं।

संघ-शासन की योजना कुछ प्रान्तों में किसी किसी तरह २७ महीने तक चली। अन्त में काँग्रेस को इस्तीफा देना पड़ा।

**संघ-शासन
के भयंकर
परिणाम**

इस २७ महीने के शासन का प्रभाव राजनैतिक दृष्टि से देश पर बहुत ही बुरा पड़ा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि काँग्रेस सरकार बुरी थी, बल्कि संघ-शासन की कमजोरियाँ देश में भली भाँति स्पष्ट हो गईं। साम्प्रदायिक प्रश्न बढ़ने लगे। हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे को शत्रु समझने लगे। हिन्दू महासभा अपनी एक अलग राग अलापने लगी। स्वयं काँग्रेस में ३ दल बन गये। गाँधी जी के विचार वाले मंत्रिपद से सन्तुष्ट रहे। काँग्रेस-समाजवादी धारा सभाओं में चले तो गये किन्तु मंत्रिपद ग्रहण नहीं किया। अग्रगामी दल प्रान्तीय स्वराज्य का विरोध करता रहा। तात्पर्य यह

* “The Indian Federal System,” writes Mr. H. B. Lees Smith, “Will be of a kind hitherto unknown, for there will be one set of federal powers for the provinces and another for each of the Indian Native States. The government of one part of the Federation will be based upon Parliamentary principles, that of the other upon oriental absolutism.”

है कि अभी संघ-शासन पूरी तरह लागू नहीं हुआ लेकिन इसके भयंकर परिणाम दिखाई पड़ने लगे। जो प्रश्न राष्ट्रीय उत्थान में दबे हुये थे और जिनके उभड़ने की आशा निकट भविष्य में न थी, वे आज इतने भयंकर रूप धारण कर लिये हैं कि इन्हें हल किये बिना हमारी राष्ट्रीय उन्नति नहीं हो सकती। यदि संघ-शासन-विधान से यही परिणाम निकलना था तो इसे हम दूर से ही नमस्कार करते हैं। जो शासन-विधान हमें थोड़ा भी अधिकार प्रदान नहीं करता, और जिसे देश में अनेक दल पैदा होते हैं, उसके चलाने की चेष्टा हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिये। इसका बुरा प्रभाव यहाँ तक पड़ा है कि मुसलमान हिन्दोस्तान को दो राष्ट्रों में बाँटना चाहते हैं। उनकी 'पाकिस्तान' योजना देश के लिये घातक नहीं तो और क्या है ?

यह कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि संघ-शासन से बढ़कर हिन्दोस्तान के लिये दूसरी शासन-पद्धति नहीं हो सकती।

स्वीघा मार्ग इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि देश की राजनीतिक समस्या तभी सुलभ सकती है जब संघ-शासन-विधान जारी कर दिया जाय। यह तभी हो सकता है जब ब्रिटिश सरकार अपने हितों का कुछ त्याग करने पर तैयार हो। रियासतों के साथ जो उसके सुलहनामें हैं वे बदल दिये जायँ। राजाओं को सरकार इस बात के लिये बाध्य करे कि वे अपनी रियासतों में जिम्मेवार शासन स्थापित करें। साथ ही वह प्रान्तों को स्थानीय स्वराज्य दे दे। इसके बाद सूबों और रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी जाय कि वे अपनी इच्छानुसार एक संघ-शासन-विधान बना लें। काँग्रेस की विधान-समिति (Constituent Assembly) वाली माँग सभी दृष्टियों से मुनासिब है। इससे हिन्दोस्तान में प्रजातंत्र की स्थापना के साथ बृटेन के प्रति सच्ची सहानुभूति उत्पन्न होगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका मौजूद है। बृटेन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका ने हर विपत्ति में उसकी सहायता की है। पिछली लड़ाई में इंगलैंड के विजयी होने का बहुत कुछ श्रेय अमेरिका को है। वर्तमान विकट परिस्थिति में चारों ओर से निराश होकर इंगलैंड ने अमेरिका की शरण ली है। आज इंगलैंड की सरकार पैसे की कमी महसूस कर रही है। वह वर्तमान लड़ाई के खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अन्त में अमेरिका से उसे प्रार्थना करनी पड़ी है। अमेरिका ने धन और जन दोनों से बृटेन की सहायता का बीड़ा उठाया है। वर्तमान युद्ध की समाप्ति यह सिद्ध करती है कि लोकमत सरकार का बहुत बड़ा साथी है। ब्रिटिश सरकार अपनी नीति बदल कर भारतीय लोकमत से पूरी सहायता प्राप्त कर सकती है।

पहिला खंड

गृह-सरकार

(HOME GOVERNMENT)

अध्याय ३

सम्राट् तथा पार्लियामेन्ट

राजनीतिक दृष्टि से हिन्दोस्तान को स्वतन्त्र देशों का पद प्राप्त नहीं है। इस देश की राजनीतिक शक्ति आधी हिन्दोस्तान और गृह-सरकार आधी बृटेन में हैं। कोई कानून तब तक पास नहीं समझा जा सकता जब तक पार्लियामेंट और सम्राट् उसे मंजूर न कर दें। भारतीय सरकार की नीति का फ़ैसला पार्लियामेंट और सम्राट् ही करते हैं। हिन्दोस्तान में बड़ी-बड़ी नौकरियाँ सम्राट् तथा भारतमंत्री के हाथों में रखी गई हैं। वे जिसे चाहें नियुक्त कर सकते हैं। सम्राट्, पार्लियामेंट-भारतमंत्री और इंडिया कौंसिल इनकी शक्ति भारतीय सरकार में सबसे बड़ी है। इन्हीं का निर्णय भारतीय सरकार के लिये अन्तिम समझा जाता है। गवर्नर-जनरल को यह अधिकार नहीं है कि वह इनकी बात टाल सके। भारतीय स्वराज्य तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक पार्लियामेंट की शक्ति थोड़ी कम न कर दी जाय। ये सारी शक्तियाँ, जिनका विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा, 'गृह-सरकार' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बृटिश सरकार हिन्दोस्तान का शासन-प्रबन्ध कुछ अपने घर से और कुछ अपने प्रतिनिधियों के भेज कर करती है।

हिन्दोस्तान और इंग्लैंड में ६,००० मील का फ़ासला है। अतएव यह सम्भव नहीं है कि गृह-सरकार भारतीय शासन की छोटी छोटी बातों को अपने हाथ में रखे। यद्यपि आजकल आवागमन की सुविधा काफ़ी है। बेतार-बर्की, केबुल ग्राम, रेडियो, टेलीफ़ोन आदि से शीघ्र खबरें फैलाई जा सकती हैं फिर भी बृटेन के लिये यह असम्भव है कि वह इतनी दूर से हिन्दोस्तान में अमन व अमान कायम रखे। साथ ही हिन्दोस्तानी इस बात को सहन नहीं कर सकते कि उनकी राजकीय शक्ति सर्वथा दूसरों के हाथों में हो। काँग्रेस, जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है, बृटेन की 'गृह-नीति' से असन्तुष्ट है। स्वराज्य आन्दोलन का यही तात्पर्य है कि 'गृह-सरकार' हिन्दोस्तान को अपना प्रबन्ध करने के लिए आज्ञाद कर

दे। कारण यह है कि हिन्दोस्तान स्वयं एक महाद्वीप के बराबर है। इसकी जनसंख्या ब्रूटेन की सात गुनी है। दोनों देशों की संस्कृति और जलवायु एक दूसरे से भिन्न हैं। हमारी रहन-सहन तथा सामाजिक संगठन का महत्व ब्रूटेन निवासी तब तक नहीं समझ सकते जब तक वे इस देश में आकर बस न जायें। मुसलमान भी विदेशी थे, परन्तु उनके दिमाग में भूल कर भी यह बात नहीं आई कि अरब या फ़ारस से इस देश का शासन किया जाय। उन्होंने हिन्दोस्तान को ही अपना घर बना लिया। सरकारी खज़ाने की एक कौड़ी भी उन्होंने देश से बाहर न जाने दिया। यदि थोड़े से अंग्रेज़ मुसलमानों की तरह इस देश में आकर बस जायें और यहीं के निवासियों की मदद से शासन का भार चलावें तो वर्तमान शासन-प्रबन्ध से वह कहीं अच्छा होगा।

'गृह-सरकार' भारतीय शासन की वह मशीन है जो ब्रूटेन में काम कर रही है। इस सरकार की शक्ति स्थानीय सरकार से बड़ी है। वह अपने आपको भारतीय सरकार की संरक्षक समझती है। छोटी से छोटी बातें उसके सामने से होकर गुज़रती हैं। यद्यपि उसने कड़ी चेतावनी के साथ इस देश में अपने कर्मचारियों को भेज़ रक्खा है, फिर भी उनके कामों पर चौबीस घंटे नज़र रखती है। हिन्दोस्तान से प्रतिवर्ष ४७ करोड़ रुपया गृह-सरकार के खर्च को चलाने के लिए भेजा जाता है। और मदों में कमी भले ही पड़ जाय लेकिन गृह-सरकार का खर्च भोजना ज़रूरी है। इस खर्च को होमचार्ज (Home Charges) कहते हैं। इसमें बड़े-बड़े अंग्रेज़ अफसरों की पेन्शन और भारतमंत्री के दफ़तर का खर्च शामिल है। भारत सरकार की ओर से ब्रूटेन में एक हाई कमिश्नर रक्खा जाता है। इसका वेतन भी यहीं के खज़ाने से दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार की नीति से हिन्दोस्तान कर्ज़ के भार से दबा हुआ था। इसके ऊपर १३ सौ करोड़ रुपया कर्ज़ था। जिसके लिए हर साल १४ करोड़ रुपया सूद देनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त व्यापार में करोड़ों रुपया हर साल इंग्लैंड को जाता है। इन बातों से स्पष्ट है कि हिन्दोस्तान और इंग्लैंड का सम्बन्ध केवल राजनीतिक नहीं है। आर्थिक दृष्टि से दोनों देश एक दूसरे के इतने निकट हैं कि इनके सम्बन्ध को जाने बिना किसी भारतीय राजनीतिज्ञ को नहीं रहना चाहिये। 'गृह-सरकार' की मशीन के अन्दर जितने पुर्जें काम कर रहे हैं उनका अलग-अलग वर्णन करना अच्छा होगा। इससे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि वे पुर्जें किस प्रकार फ़िट किये गये हैं और उनकी गति का प्रभाव भारतीय शासन पर क्या पड़ता है।

१८५८ ई० के नियम के अनुसार हिन्दोस्तान की राजसत्ता सम्राट् के हाथों में रक्खी गई है। इनके शासन-काल का हिसाब सम्राट् लगाते हुए एक राजनीतिज्ञ लिखता है 'हर सम्राट् औसतन २० वर्ष राज्य करता है' अब तक केवल ४ ख्रियों ने सम्राट् के आसन को ग्रहण किया है। विक्टोरिया ने सबसे अधिक अर्थात् ६४ वर्ष तक राज्य किया। एडवर्ड पंचम ने जो कि १४८३ ई० में गद्दी पर बैठे थे, सब से कम दिन तक राज्य किया। इंग्लैंड के इतिहास में केवल ११ वर्ष ऐसे आते हैं, जब कि वह देश बिना सम्राट् के था। सम्राट् का पद उसकी मृत्यु के बाद सब से बड़े लड़के को दिया जाता है। यह नियम १७०१ ई० से अब तक चालू है। १६१० ई० तक सम्राट् को राज्याभिषेक के समय रोमनकैथोलिक चर्च के नियम के अनुसार शपथ खानी पड़ती थी; परन्तु अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। यह बात सदैव के लिये घोषित कर दी गई कि "सम्राट् एक सच्चा प्रोटेस्टेंट है।" सम्राट् की आयु १८ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। उसका खर्च इंगलैण्ड के खज़ाने से दिया जाता है। प्रतिवर्ष पार्लियामेंट यह निश्चित करती है कि सम्राट् तथा उसके कुटुम्ब को कितना खर्च दिया जाय। इस इम्दाद को 'सिविल लिस्ट' (Civil List) कहते हैं। आज कल सम्राट् को उसके कुटुम्ब के सहित ६ लाख रुपया महीना दिया जाता है।

कहा जाता है कि सम्राट् की शक्ति अनन्त है। इतनी शक्ति संसार के किसी अन्य शासक को नहीं दी गई है। वह आज ५० करोड़ व्यक्तियों पर राज्य कर रहा है। पार्लियामेंट को वही बुलाता है। इसे भंग करने का अधिकार उसी को है। बृटिश साम्राज्य में जितने कानून बनते हैं उन पर अन्तिम हस्ताक्षर उसी का होता है। बड़े-बड़े सरकारी नौकर उसी की आज्ञा से नियुक्त किये जाते हैं। सम्पूर्ण साम्राज्य की फौज उसी के हाथों में है। लड़ाई की आज्ञा वही देता है। सन्धि करने का अधिकार उसी को है। पार्लियामेंट का काम तब तक वैधानिक नहीं समझा जाता जब तक सम्राट् उसे स्वीकार न कर ले। किसी भी कानून को वह भंग कर सकता है। इंगलैण्ड का प्रधान मंत्री, जिसके हाथों में बृटिश साम्राज्य की बागडोर है, उसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बृटिश साम्राज्य में बड़ी-बड़ी पदवियाँ वही प्रदान करता है। लार्ड सभा के अधिकतर सदस्य उसी के बनाये हुये हैं। कच्चहरियों में उसी के नाम पर फ़ैसला किया जाता है। बृटिश साम्राज्य की सरकार उसी की सरकार कहलाती है।

उसके अधिकारों को देखते हुए किसी को भी यह सन्देह हो सकता है

कि इतनी बड़ी शक्ति को एक आदमी कैसे धारण कर सकता है ? ब्रिटेन का सम्राट् कोई देवता नहीं है। जापानियों के सम्राट् की तरह उसकी उत्पत्ति सूर्य भगवान से नहीं हुई है। वह हमी लोगों की तरह एक साधारण मनुष्य है। राजनीतिक परिपाटी ने उसे कुछ असाधारण अधिकार दे रक्खा है। कहने के लिये सम्राट् की शक्ति अनन्त है; लेकिन कार्य रूप में वह कुछ नहीं करता। केवल नाम के लिये वह साम्राज्य का प्रधान घोषित किया गया है। इंग्लैण्ड का प्रधान मंत्री और कैबिनेट सब कुछ करते हैं। यह एक स्वप्न है कि सम्राट् पार्लियामेंट के बनाये हुए कानूनों को रद्द कर सकता है। एक राजनीतिज्ञ तो यहाँ तक लिखता है “यदि पार्लियामेंट सम्राट् की फौसी के लिए कोई नियम पास कर दे तो सम्राट् को इसे भी मंजूर करना होगा।” ऐसी दशा में यह कैसे कहा जाय कि उसकी शक्ति पार्लियामेंट से बढ़ कर है। इंग्लैण्ड में यह प्रश्न उठाया गया था कि सम्राट् से कोई लाभ नहीं है। लेकिन यह बात सर्वसम्मति से मान ली गई है कि इतने बड़े साम्राज्य के लिए एक सर्वप्रधान व्यक्ति का होना आवश्यक है। सम्राट् का दैनिक जीवन नियमों से इस कदर बँधा हुआ है कि वह आज्ञादी का स्वप्न भी नहीं देख सकता; किसी सभा-सोसाइटी में वह तब तक भाग नहीं ले सकता जब तक प्रधान मंत्री इसकी अनुमति न दे दे। अपनी इच्छानुसार वह हर एक से नहीं मिल सकता। विदेशों में यात्रा करने के लिये उसे आज्ञादी नहीं है। किसी से मित्रता करने तक के लिये वह स्वतंत्र नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार वह विवाह तक नहीं कर सकता। स्वतन्त्रता के लिये आठवें एडवर्ड ने सम्राट् पद से त्याग पत्र दे दिया।

सम्राट् और भारत सरकार का सम्बन्ध घनिष्ठ है। सम्पूर्ण भारतीय सेना उसके हाथ में रक्खी गई है। भारतीय सरकार के उच्च पदाधिकारी उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत सरकार कमान्डर-इन-चीफ, जो कि भारतीय सेना का प्रधान है, उसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नये शासन विधान में यह बात स्पष्ट है कि “सरकारी विभाग में हर एक कार्यकर्ता तभी तक स्थायी समझा जायेगा जब तक सम्राट् की कृपा उस पर बनी रहेगी।” हाईकोर्ट के जजों को वही नियुक्त करता है। गवर्नर-जनरल और प्रान्तों के गवर्नर उसी के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। भारतीय सरकार जिन कानूनों को पास करती है वे तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक उन पर सम्राट् की दस्तखत न हो जाय। भारतीय रियासतों के साथ, ब्रिटिश सरकार के सुलहनामे सम्राट् के नाम से किये गये हैं। रियासतों में हस्तक्षेप करने का अधिकार

सम्राट् को छोड़ कर और किसी को नहीं है। इस अधिकार को उन्होंने वाइसराय को दे रक्खा है। किसी नये शासन विधान का श्रीगणेश हिन्दोस्थान में सम्राट् ही कर सकता है। १९३५ का संघ-शासन-विधान कब से काम में लाया जाय, इस का निश्चय करना सम्राट् के हाथों में था। इसीलिए कहा जाता है कि 'वर्तमान संघ-शासन सम्राट् की मातृदती में रहेगा।' यदि वह चाहे तो गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकार किये गये कानूनों को एक वर्ष तक लागू करने से रोक सकता है। हिन्दोस्तान के राजनीतिक विभाग तब तक नहीं किये जा सकते जब तक सम्राट् से इसकी आज्ञा न ले ली जाय। नये सूबों का निर्माण उसकी आज्ञा से किया जाता है। यदि एक सूबे के कुछ जिले दूसरे सूबों में मिलाये जायें तो इसकी आज्ञा सम्राट् से लेनी होगी।

भारतीय शासन में सम्राट् सब कुछ प्रधान मंत्री की सलाह से करता है। सम्राट् को भारतीय विषयों की जानकारी बहुत कम है। हमें तो यह भी शक है कि वह सब सूबों का नाम भी जानता है। व्यक्तिगत सहानुभूति रखते हुए भी यदि वह हिन्दोस्तान को आज़ाद करना चाहे तो नहीं कर सकता। भारत सरकार सम्बन्धी कार्रवाइयों में उसकी दिलचस्पी अधिक नहीं रहती। कैबिनेट तथा पार्लियामेंट के सदस्य हिन्दोस्तान के शासन सम्बन्धी बातों में विशेष जानकारी नहीं रखते। सब कुछ भारतमंत्रि और उसकी सहायक सभा (India Council) के हाथों में छोड़ दिया गया है। कार्य रूप में भारतीय सरकार और सम्राट् का कोई सम्बन्ध नहीं है। भारतीय सरकारी दफ्तरों में सम्राट् और साम्राज्ञी की तस्वीरें अवश्य दिखाई पड़ेंगी। भारतीय सिक्कों पर उसका नाम और उसकी तस्वीर मिलेंगी। जब से इस देश में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ तब से केवल दो सम्राटों ने यहाँ पदार्पण किया है। १७ नवम्बर सन् १६२१ ई० को प्रिंस आक्र वेलस जब हिन्दोस्तान आये उस समय राष्ट्रीय आन्दोलन की लहर देश में फैल रही थी और स्वागत के बदले उनका बहिष्कार किया गया। जब उन्होंने बम्बई में प्रवेश किया तो शहर के कोने कोने में अशान्ति आरम्भ हो गई। ४ दिन तक शहर में बेचैनी रही। ५३ आदमियों की मृत्यु हुई और ४०० आदमी घायल हुये। इसी के उपलक्ष में महात्मा गाँधी ने ५ दिन का अनशन व्रत किया था।

पार्लियामेंट इंग्लैण्ड की धारा सभा को कहते हैं जो न केवल ब्रटेन बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य भर के लिए क़ानून बनाती है।

पार्लियामेंट ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत जिन देशों को आजादी (Dominion Status) हासिल है वे पार्लियामेंट के बन्धन से बहुत कुछ मुक्त हैं। भारतीय सरकार से इसका इतना धर्म

सम्बन्ध है कि इसके अध्ययन के बिना भारतीय शासन-विधान का ज्ञान नहीं हो सकता। भारतीय शासन में पार्लियामेंट का कितना हाथ है, इस पर विचार करने के पहिले यह देखना चाहिये कि इसकी रूप रेखा कैसी है, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई, और इसमें कितने सदस्य हैं। साथ ही यह भी देखना चाहिये कि संसार की धारा-सभाओं में इसका क्या स्थान है।

एक साधारण विद्यार्थी के लिये 'पार्लियामेंट' शब्द कुछ मानी रख सकता है, लेकिन किसी राजनीति के विद्यार्थी के लिये

लार्ड सभा इसका कोई अर्थ नहीं है। पार्लियामेंट कोई एक सभा
House of नहीं है जिसका आभास एक ही शब्द से हो जाय।
Lords पार्लियामेंट में दो सभायें हैं। बड़ी सभा को 'लार्ड सभा'
 और छोटी सभा को 'कामन सभा' कहते हैं। ऐतिहासिक

दृष्टि से लार्ड सभा कामन सभा से पुरानी है। यह १००० वर्षों से चली आ रही है। केवल थोड़े समय के लिए इंग्लैण्ड के शासक क्रामवेल ने इसे तोड़ दिया था। आरम्भ में यह सभा सम्राट् के सभापतित्व में हुआ करती थी। इसके सदस्य बड़े बड़े ज़मींदार, सेठ-साहूकार और धर्मगुरु आदि होते थे। सारे अधिकार इसी सभा को प्राप्त थे। परन्तु ज्यों ज्यों लोकमत का मूल्य बढ़ता गया त्यों त्यों इसकी शक्ति क्षीण होती गई। आजकल इसकी दशा यह है कि इसके पास कोई अधिकार बाक़ी नहीं रह गये। सारी शक्ति कामन सभा के हाथों में आ गई है। वर्तमान समय में लार्ड सभा में लगभग ७०० सदस्य हैं। ये सदस्य प्रजा के चुने हुए नहीं होते। इनमें ६०० ग्रेट ब्रिटेन के, १६ स्काटलैंड के और २८ आयरलैंड के होते हैं। इनके अतिरिक्त २६ सदस्य वे हैं जो धर्मगुरु कहलाते हैं। इन सदस्यों में कई केाटि के सदस्य होते हैं। सबके लिये यह अनिवार्य है कि उन्हें लार्ड की पदवी दी गई हो। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें यह पैतृक अधिकार होता है कि वे लार्ड सभा के सदस्य रह सकें। उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े लड़के अपने आप लार्ड सभा के सदस्य हो जाते हैं। उन्हें निकालने का अधिकार किसी को नहीं है। इनके अतिरिक्त दूसरी श्रेणी के सदस्य वे हैं जो केवल अपने जीवन काल के लिये सदस्य बनाये जाते हैं।

'लार्ड' की उपाधि देने का अधिकार केवल सम्राट् को प्राप्त है। वह अनगिनत व्यक्तियों को यह उपाधि प्रदान कर सकता है। जब कभी सम्राट् किसी व्यक्ति को यह उपाधि देना चाहता है तो प्रधान मंत्री से इसकी सलाह लेता है। ऐसे अवसर बहुत कम आये हैं, जब कि सम्राट् ने बिना किसी की राय के लार्ड बना दिया हो। प्रतिवर्ष कुछ लार्ड बनाये जाते

सभा से पास किये हुये बिल को लार्ड सभा इनकार कर दे तो वह बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। कारण यह है कि सम्राट् अपने पक्ष के बहुत से व्यक्तियों को लार्ड की उपाधि देकर उस बिल को पास करा सकता है। १६०६ ई० में एक बिल के ऊपर दोनों सभाओं में गहरा मतभेद हो गया था। भविष्य में इस प्रकार के मतभेद को दूर करने के लिये १६११ ई० में एक नियम बना कर लार्ड सभा की शक्ति कम कर दी गई। लार्ड सभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता।

भारतीय शासन विधान में लार्ड सभा पर बहुत अधिक विचार करना किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं है। केवल 'पार्लियामेंट'

Privy शब्द के नाते इसका कुछ वर्णन कर दिया गया है।
Council कार्य रूप में यह सभा भारतीय सरकार के मामलों में कुछ नहीं करती। इसके सदस्य हिन्दोस्तान को ऊँची दृष्टि से नहीं देखते। उन्हें इस देश की बहुत कम जानकारी होती है। यहाँ तक सुना गया है कि लार्ड लोग इस देश में आना कम पसन्द करते हैं। हिन्दोस्तान के गवर्नर-जनरल के लिये यह आवश्यक है कि वह लार्ड की उपाधि प्राप्त किये हों। यह बात कानून में लिखी नहीं है, लेकिन परिपाटी ने इसे कानून से भी बंध कर बना दिया है। सूबों के गवर्नर भी लार्ड घराने के होते हैं। जहाँ तक गवर्नर-जनरल और गवर्नर का सम्बन्ध है, अगले अध्यायों में इन पर विचार किया जायेगा। यहाँ पर यह देखना है कि लार्ड सभा का सम्बन्ध भारतीय सरकार से क्या है। यह सम्बन्ध प्रिवी कौंसिल द्वारा अधिक आवश्यक और दृढ़ बनाया गया है। यदि प्रिवी कौंसिल का सम्बन्ध हिन्दोस्तान से तोड़ दिया जाय तो लार्ड सभा का सम्बन्ध अपने आप टूट जायेगा।

प्रिवी कौंसिल आरम्भ में आयरलैंड और ग्रेटब्रिटेन के लिए न्यायालय के रूप में स्थापित की गई थी। इसकी उत्पत्ति और विकास का इतिहास बहुत ही लम्बा है। उसका वर्णन करना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है। हिन्दोस्तान के लिये अपील का सबसे बड़ा न्यायालय प्रिवी कौंसिल है जो लार्ड सभा का एक अंग है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि लार्ड सभा के ७०० सदस्य मुकदमों का फ़ैसला करते हैं। कोई न्यायालय ऐसा नहीं हो सकता जिसमें ७०० न्यायाधीश एक साथ बैठ कर मुकदमों का फ़ैसला करें। प्रिवी कौंसिल में लार्ड सभा का सभापति और ६ अन्य लार्ड एक साथ बैठ कर मुकदमों का फ़ैसला करते हैं। 'इन्हें कानूनी लार्ड' (Law Lords)

कहा जाता है। ये ६ सदस्य अपने जीवन काल के लिये लार्ड की उपाधि प्राप्त किए होते हैं। क्रान्ती मामलों में ये विशेषज्ञ होते हैं। जब कभी ग्रेट बृटेन तथा उत्तरी आयरलैंड से लार्ड सभा में कोई अपील की जाती है तो उसका फ़ैसला करना इन्हीं सातों सदस्यों के हाथों में दिया जाता है। कुछ लोग यह समझते हैं कि हिन्दोस्तान के मुकदमों की अपील इन्हीं सातों सदस्यों के सामने पेश की जाती है; लेकिन यह बात ग़लत है।

लार्ड सभा में सदस्यों की एक दूसरी कमेटी होती है। इसी के सामने हिन्दोस्तान के मुकदमों पेश किये जाते हैं। इसी कमेटी को प्रिवी कौंसिल (Judicial Committee of the Privy Council) कहते हैं। हिन्दोस्तान, इंग्लैण्ड, आयरलैंड तथा बृटिश साम्राज्य के अन्तर्गत अन्य देशों से अपील के सारे मुकदमों प्रिवी कौंसिल में आते हैं। भौगोलिक दृष्टि से इस न्यायालय का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसकी तुलना किसी कचहरी से नहीं की जा सकती। इसमें लार्ड चांसलर, पिछले सभी लार्ड चांसलर, ६ क्रान्ती लार्ड, प्रिवी कौंसिल का लार्ड प्रेसीडेन्ट तथा हिन्दोस्तान तथा अन्य उपनिवेशों की बड़ी कचहरियों द्वारा नियुक्त किए हुए न्यायाधीश रहते हैं। कुल मिलाकर इसमें २० न्यायाधीश होते हैं। लेकिन कार्यरूप में लार्ड चांसलर, ६ क्रान्ती लार्ड और कुछ भारतीय जज मुकदमों का फ़ैसला करते हैं। जिस देश का मुकदमा होता है वहाँ के कुछ न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक है।

ऊपर कहा गया है कि प्रिवी कौंसिल तथा अन्य कचहरियों में भेद है। दूसरी कचहरियों में न्यायाधीश अपना अन्तिम फ़ैसला देते हैं, लेकिन प्रिवी कौंसिल के सदस्य-आखिरी फ़ैसला नहीं दे सकते। यह सम्राट् को सलाह के रूप में फ़ैसला देती है कि वह अमुक बात को मान ले या इनकार कर दे। हर फ़ैसले का अन्तिम वाक्य यही होता है कि "हम लोग सम्राट् को नम्रता पूर्वक यह सलाह दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि।" यह किसी फ़ैसले से कम नहीं होता। सम्राट् इसे मान लेता है। यह इसलिये किया जाता है कि इससे एक बहुत बड़े सिद्धान्त की रक्षा होती है। सम्राट् का दर्जा कानून से ऊपर माना गया है। उसे यह अधिकार है कि वह किसी फ़ैसले को रद्द कर दे। इंग्लैण्ड की कचहरियाँ इस नियम के विरुद्ध अपना फ़ैसला दे देती हैं, लेकिन हिन्दोस्तान तथा अन्य उपनिवेशों में सम्राट् के इस अधिकार की रक्षा की जाती है।

प्रिवी कौंसिल, दीवानी मुकदमों की सबसे बड़ी अदालत है। फ़ौजदारी के मुकदमों अधिक से अधिक हाईकोर्ट तक आ सकते हैं। इससे आगे उनकी अपील नहीं हो सकती। हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद माल के मुकदमों प्रिवी

कौंसिल में अपील किये जा सकते हैं, लेकिन इसके लिये दो शर्तें हैं। एक तो हाईकोर्ट अपील करने की इजाजत दे, और दूसरे वह अपील कम से कम १० हजार रुपये की हो। प्रिवी कौंसिल का कैसला अन्तिम होता है। किसी विशेष मामले में फ़ौजदारी की अपील इसमें हो सकती है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। संघ-न्यायालय से भी प्रिवी कौंसिल में अपील की जाती है। प्रिवी कौंसिल में कोई नया मुकदमा दायर नहीं किया जाता। संघ न्यायालय की स्थापना होने से कुछ लोग यह समझते हैं कि प्रिवी कौंसिल का अधिकार भारतीय मामलों में कुछ कम हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब भी प्रिवी कौंसिल हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी अदालत रहेगी। कुछ हिन्दुस्तानियों को प्रिवी कौंसिल के आजीवन सदस्य रहने की उपाधि दी गई है। इन्हें प्रिवी कौंसिलर (Privy Councillor) कहते हैं। आज तक इस देश में ७ या ८ व्यक्तियों को यह उपाधि दी गई है। इसी प्रिवी कौंसिल के नाते लार्ड सभा का सम्बन्ध भारतीय-सरकार के साथ माना जाता है। 'न्यायालय' नामक अध्याय में इस बात पर अच्छी तरह विचार किया जायगा कि प्रिवी-कौंसिल के इस अधिकार का भारतीय सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारतीय न्यायालयों की स्थिति पर इस कौंसिल का जो प्रभाव पड़ता है उस पर भी विचार किया जायगा। हिन्दोस्तान तथा अन्य उपनिवेशों की यह माँग है कि प्रिवी कौंसिल से उनका नाता छुड़ा दिया जाय, परन्तु यह सरकार इस पर कुछ भी ध्यान नहीं देती।

१९११ ई० के बाद लार्ड सभा की शक्ति क्षीण होती गई। आर्थिक मामलों में कामन सभा की सत्ता सर्व प्रधान मान ली गई। तब से कामन सभा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि **कामन सभा** House of साधारण बोलचाल में पार्लियामेंट का तात्पर्य इसी सभा Commons से समझा जाता है। कार्नाइल का कहना है कि "कामन सभा की शक्ति संसार की सभी धारा सभाओं से बढ़ कर है।" इसकी उत्पत्ति हुए ६०० वर्ष से ऊपर व्यतीत हो गये। कहा जाता है कि कामन सभा ही पार्लियामेंट है। इसकी कार्य पद्धति बड़ी ही प्रसिद्ध और मनोरंजक है। किसी भी धारा सभा में जाने के लिये लोग इतने लालायित नहीं रहते जितने कामन सभा में। इसकी बैठक वेस्ट मिन्स्टर में होती है। १८३४ ई० में एक भयंकर अग्नि कांड में जल कर यह भवन राख हो गया था। १५ वर्षों के कठिन परिश्रम से १८५२ ई० में पार्लियामेंट का वर्तमान भवन बनाया गया। टेम्स नदी के बायें किनारे पर ६ एकड़ की चौहद्दी में यह भवन बना हुआ है। इसमें १२०० से अधिक कमरे हैं। वैटिकन

(Vatican) को छोड़कर योरप में इतनी बड़ी इमारत कोई दूसरी नहीं है। एक बहुत बड़े हाल के दक्खिन तरफ कामन सभा भवन और इसके उत्तर लाई सभा भवन है।

कामन सभा में ६०० से कुछ अधिक सदस्य हैं। परन्तु केवल ४५० आदमियों के बैठने की जगह बनाई गई है। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब कि सभी सदस्य उपस्थित हो जायँ। २०० से अधिक सदस्य हमेशा गैर हाज़िर रहते हैं। सभी सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि होते हैं। कामन सभा का सभापति स्पीकर कहलाता है। प्रतिनिधि स्वयं इसे चुनते हैं, परन्तु सम्राट् से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। सभापति बनने के पहले स्पीकर किसी भी दल का क्यों न हो, परन्तु इसके बाद उसे निष्पक्ष भाव से कार्य करना पड़ता है। कामन सभा की बैठक सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वृहस्पतिवार को होती है। साढ़े ग्यारह बजे रात तक वाद-विवाद चलते रहते हैं। १८८१ ई० में एक बार सोमवार को दोपहर से बैठक शुरू हुई और बुध को प्रातः काल समाप्त हुई। शुक्रवार को ११ बजे दिन से लेकर साढ़े चार बजे सबेरे तक बैठक होती है। ४० सदस्य कोरम पूरा करते हैं।

स्पीकर वाद-विवाद में कभी भाग नहीं लेता। १३७६ ई० में पहिला स्पीकर चुना गया था। कार्य रूप में स्पीकर का चुनाव प्रधान मंत्री कैबिनेट की सलाह से करता है। यही चुनाव कामन सभा का चुनाव मान लिया जाता है। जो व्यक्ति एक बार स्पीकर चुन लिया जाता है वही बार-बार स्पीकर बनता रहता है। स्पीकर का पद बहुत ही ऊँचा है। उसे वेतन भी दिया जाता है। वेस्टमिन्स्टर भवन में उसे एक सरकारी बंगला रहने के लिये दिया जाता है। अपने पद से अलग होने पर उसे पेंशन दी जाती है और उसे लार्ड सभा का सदस्य बना दिया जाता है। आम तौर से कामन सभा में एक घंटे के व्याख्यान होते हैं। परन्तु यदि कोई सदस्य चाहे तो इससे अधिक भी बोल सकता है। कोई समय का निश्चित परिमाण नहीं रक्खा गया है। कामन सभा में अभी तक सबसे बड़ा व्याख्यान ब्रोगम (Brougham) ने दिया है। १८२८ ई० में वे लगातार ६ घंटे तक बोलते रहे। भारतीय धारा सभाओं में इससे अधिक लम्बे व्याख्यान दिये गये हैं। जलियान वाला बाग की घटना (१३ अप्रैल सन् १९१९) के बाद हिन्दोस्तान की केन्द्रीय धारा सभा में जब इनडेमनिटी बिल पेश हुआ तो पं० मदनमोहन मालवीय लगातार ३ दिन तक बोलते रहे। इतना लम्बा व्याख्यान संसार की किसी भी धारा सभा में अभी तक नहीं दिया गया है।

कामन सभा अपना सब काम विभिन्न कमीटियों द्वारा करती है। प्रत्येक कमीटी में ४० से ६० तक सदस्य होते हैं। कैबिनेट इस सभा की सबसे बड़ी कमीटी है। संख्या में कैबिनेट के सदस्य केवल २० या २१ होते हैं ; लेकिन इस कमीटी की शक्ति और कमीटियों से कहीं अधिक है। वास्तव में ब्रिटिस साम्राज्य का शासन इसी कमीटी के अधिकार में है। साम्राज्य की नीति यही निश्चित करती है। जब कामन सभा के सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो सम्राट् बहुसंख्यक दल के सबसे बड़े नेता को बुलाता है। उसी को वह प्रधान मंत्री घोषित करता है। उसे यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपनी इच्छानुसार २० या २१ सदस्यों का एक मंत्रिमंडल बना ले। यह प्रधान मंत्री की मर्जी पर है कि वह सारे मंत्रियों को अपने ही दल से चुने या और दलों से भी कुछ सदस्यों को भर्ती कर ले। लर्ड सभा से भी वह कुछ सदस्यों को भरती कर सकता है। इतना जरूर है कि अपने दल के अधिक से अधिक मंत्री मंत्रिमंडल में रखे जाते हैं। यही मंत्रिमंडल कैबिनेट कहलाता है। मंत्रिमंडल के बनने के बाद कामन सभा की सारी कार्रवाई इसी की इच्छानुसार होती है। कैबिनेट के मंत्रियों के लिये पार्लियामेंट का सदस्य होना आवश्यक है।

भारत सरकार का नाता कामन सभा के साथ बहुत घनिष्ठ है। इस देश की राजसत्ता नाम मात्र के लिये सम्राट् के हाथ में रक्खी गई है। पार्लियामेंट ही सब कुछ करती है। जो कामन सभा और भारतीय सरकार के साथ गृह-सरकार की नीति कामन सभा ही निश्चित करती है। भारतमंत्री, जिसके द्वारा कामन सभा भारतीय सरकार को चलाती है, इस सभा का एक सदस्य होता है। हिन्दोस्तान में होने वाली सभी घटनाओं के लिये वह इस सभा के प्रति उत्तरदायी है। उसकी जिम्मेवारी को बढ़ाने के लिये १९१९ ई० से पार्लियामेंट ने यह निश्चित किया कि इसका वेतन आंगरेज़ी खज़ाने से दिया जाय। कामन सभा में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो हिन्दोस्तान की विशेष जानकारी रखते हैं। इस सभा में ३ राजनीतिक दल हैं, उदार, अनुदार और मज़दूर। मज़दूर दल हिन्दोस्तान के प्रति अधिक ही सहानुभूति रखता है। अनुदार दल भारतीय स्वतंत्रता का कष्टर विरोधी है। इस दल के सभी सदस्य इस बात के विरोधी हैं कि हिन्दोस्तान को पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया जाय। इस देश में जो नीति बर्ती जाती है वह

कामन सभा की नीति होती है। यदि कामन सभा इस बात पर तुल जाय कि हिन्दोस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिये तो यह देश एक दिन में आज़ाद हो सकता है। इंग्लैण्ड के राजनीतिक दलों की नीति को देखते हुए मज़दूर दल से हमको बहुत कुछ आशा है। इस समय इंग्लैण्ड की सरकार इसी दल के हाथ में है।

अध्याय ४

भारत-मंत्री और इंडिया कौंसिल

१८५८ ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनी का अधिकार हिन्दोस्तान में समाप्त कर दिया गया। इस समय तक कम्पनी लगभग सारे भारतमंत्री की हिन्दोस्तान को अपने अधिकार में कर चुकी थी। आवश्यकता १७१७ से, जब कि प्लासी का युद्ध हुआ था, कम्पनी निरन्तर १०० वर्ष तक हिन्दोस्तान पर शासन करती रही। कम्पनी की नीति व्यापारिक थी। हिन्दोस्तान के राज्य को वह अपने व्यापार का एक अंग समझती थी। १०० वर्ष का इतिहास देखने से यह स्पष्ट है कि अनेक अनुचित तरीकों का प्रयोग करके कम्पनी के नौकर हिन्दोस्तान से पैसे वसूल करते रहे। इस बढ़ते हुए अत्याचार का परिणाम बड़ा ही भयंकर हुआ। १८५७ की राज्य क्रान्ति इसी का एक परिणाम था। हिन्दोस्तानी और अंग्रेज़ दोनों को एक चेतावनी मिली। बृटिश पार्लियामेंट ने हिन्दोस्तान का राज्य कम्पनी के हाथ से छीन लिया। उसने सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली और इंग्लैण्ड की तरह हिन्दोस्तान की राजसत्ता बृटिश सम्राट के हाथ में रख दी गई। इस परिस्थिति में यह आवश्यक था कि भारतीय सरकार की पूरी जिम्मेवारी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जाय जो सम्राट और पार्लियामेंट की मातहत में रहे। यह कार्य भारतमंत्री को सौंपा गया। लार्ड स्टैनली (Earl of Derby) पहिले पहल भारतमंत्री नियुक्त किये गये। इन्हें वे सारे अधिकार दे दिये गये जो अब तक कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स और बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल को प्राप्त थे। पार्लियामेंट के प्रति इसकी जिम्मेवारी कायम रखने के लिये यह निश्चित किया गया कि भारतमंत्री पार्लियामेंट का सदस्य हो। उसका स्थान बृटिश कैबिनेट में स्थायी कर दिया गया। एक प्रकार से वह पार्लियामेंट का नौकर नियुक्त किया गया। तब से आज तक उसके अधिकार एक समान चले आ रहे हैं। उसी के द्वारा

पार्लियामेंट भारत सरकार के ऊपर अपना अधिकार रखती है। गृह-सरकार के अन्तर्गत जितने अधिकारी भारत सरकार से सम्बन्ध रखते हैं, उनमें भारत-मंत्री का स्थान सबसे ऊँचा है। इसे ७५०००) सालाना वेतन दिया जाता है। १८५८ ई० से १९१९ तक यह वेतन भारतीय खज़ाने से दिया जाता था, परन्तु १९१९ से यह अँग्रेज़ी खज़ाने से दिया जाता है।

भारत-मंत्री की नियुक्ति के लिये कई शर्तें हैं। सभी व्यक्ति भारत-मंत्री नहीं बनाये जा सकते। सबसे पहली शर्त तो यह है कि भारत-मंत्री की वह अँग्रेज़ जाति का हो। कोई हिन्दोस्तानी, भारत-मंत्री नियुक्ति नहीं बन सकता। प्रत्येक भारत-मंत्री के लिये पार्लियामेंट का सदस्य होना आवश्यक है। जब पार्लियामेंट के सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो उन्हीं में से एक व्यक्ति भारत-मंत्री बनाया जाता है। कामन सभा या लार्ड सभा किसी का भी वह सदस्य रह सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति, जो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, भारत-मंत्री बना दिया जाता है; लेकिन ६ महीने के अन्दर उसे पार्लियामेंट का सदस्य बन जाना पड़ता है। यदि वह नहीं बन सका तो उसे हटा कर दूसरा भारत-मंत्री नियुक्त किया जाता है। जब कभी कोई बाहरी व्यक्ति भारत-मंत्री बना दिया जाता है तो वह दो तरीकों से ६ महीने के अन्दर पार्लियामेंट का सदस्य बन सकता है। या तो उसका कोई मित्र कामन सभा से इस्तीफा दे दे और अपनी जगह अपने मित्र के लिये खाली कर दे। उसी के निर्वाचन क्षेत्र से भारत-मंत्री अपना निर्वाचन करा लेता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सम्राट् उसे लार्ड की उपाधि देकर लार्ड सभा का सदस्य बना सकता है।

पार्लियामेंट के अतिरिक्त भारत-मंत्री ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता है। इससे वह उन राजनीतिज्ञों की श्रेणी में आ जाता है, जो ब्रिटिश साम्राज्य को चलाते हैं। ब्रटेन के सबसे बुद्धिमान्, नीतिज्ञ और योग्य व्यक्ति कैबिनेट के सदस्य होते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत-मंत्री ब्रटेन के सबसे योग्य व्यक्तियों में गिना जाता है। जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किये होते हैं उन्हीं को यह पद दिया जाता है। किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना उसे आवश्यक है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह हिन्दोस्तान के विषय में गहरी जानकारी रखता हो। इस देश के इतिहास, भूगोल तथा रस्म-रिवाज़ों से परिचित होना उसके लिये आवश्यक नहीं है। इससे हिन्दोस्तान को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। जो व्यक्ति इस देश से अनभिज्ञ है वह इसका योग्य शासक नहीं बन सकता। प्रश्न यह है कि

जानकारी न रखते हुए भारत-मंत्री किस प्रकार भारतीय सरकार को चलाता है ? इसके लिये उसे कई सहायक दिये गये हैं । इन्हीं की मदद से वह शासन की मशीन को चलाता है । इंग्लैंड का प्रधान मंत्री इस बात को निश्चित करता है कि कौन भारत मंत्री बनाया जाय । इसका अंतिम फैसला बृटिश सम्राट् करता है । कैबिनेट और पार्लियामेंट के अतिरिक्त वह प्रिवी कौंसिल का भी सदस्य होता है ।

यह कहना अत्यन्त कठिन है कि भारत-मंत्री कितने दिन के लिये नियुक्त किया जाता है । उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है । बृटिश कैबिनेट के साथ उसकी नियुक्त होती है । और जब कैबिनेट भंग होती है तो उसे भी अपने पद से हट जाना पड़ता है । कैबिनेट तब तक बनी रहती है जब तक पार्लियामेंट का बहुमत उसके पक्ष में होता है । पार्लियामेंट की अवधि ५ वर्ष है । लेकिन इसके बीच में सम्राट् उसे किसी भी समय भंग कर सकता है । यदि पूरे समय तक पार्लियामेंट बनी रहे और एक ही कैबिनेट में उसका विश्वास रह जाय तो कैबिनेट ५ वर्ष तक जीवित रह सकती है । इसके साथ भारत-मंत्री भी ५ वर्ष तक अपने पद पर आरुढ़ रह सकता है । लेकिन राजनीतिक दल बन्धियों के उलट फेर के कारण ऐसा बहुत कम होता है । १८५८ से १९४६ ई० तक ३१ भारत-मंत्री नियुक्त किये गये हैं । इसके प्रत्येक की अवधि ३ वर्ष से भी कम होती है ।

ऊपर कहा गया है कि पार्लियामेंट ने अपनी ज़िम्मेवारी को निवाहने के लिये भारत-मंत्री का पद निर्माण किया है । भारत-मंत्री की इसलिये वह सभी प्रकार से अपने कामों के लिये ज़िम्मेवारी पार्लियामेंट के प्रति ज़िम्मेवार है । कैबिनेट का एक सदस्य होने के नाते वह सबसे पहिले अपने साथियों के प्रति ज़िम्मेवार है । वह जो कुछ काम हिन्दोस्तान में कर रहा है, या करना चाहता है, उसकी पूरी सूचना अपने सहकारियों को देता है । कैबिनेट के अन्य सदस्य उसके प्रथम सहकारी हैं । उसकी नीति का फैसला सबसे पहिले कैबिनेट में होता है । हिन्दोस्तान के सम्बन्ध की सारी बातें वह कैबिनेट में विचार करता है । मेम्बरों के वाद-विवाद के पश्चात् जो नीति निर्धारित की जाती है वही भारत-मंत्री की नीति कहलाती है । कैबिनेट के सदस्यों की ज़िम्मेवारी अलग-अलग नहीं है । उसका प्रत्येक सदस्य सबकी गलती के लिये ज़िम्मेवार है । एक की गलती के कारण सभी सदस्य निकाल दिये जाते हैं । भारत-मंत्री के लिये भी यह आवश्यक है कि वह अपने सहकारियों (Colleagues) से मिल कर अपनी ज़िम्मेवारी को पूरा करे । यदि कभी

प्रधान मंत्री और दूसरे मन्त्रियों में मतभेद हो जाता है तो कैबिनेट को चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी दशा में दोनों में से किसी को त्याग पत्र देना पड़ता है। १९२२ ई० में मान्टेग्यू भारत मंत्री और सर सेमुअल होर प्रधान मंत्री थे। इनके विचारों में अन्तर पड़ने के कारण दोनों ने कैबिनेट से त्याग-पत्र दे दिया।

कैबिनेट के बाद भारत-मंत्री की जिम्मेवारी पार्लियामेंट के प्रति है। दोनों का सम्बन्ध स्वामी और सेवक की तरह है। पार्लियामेंट की सभी आज्ञाओं का उसे पालन करना पड़ता है। वह तभी तक अपने पद पर कायम है जब तक पार्लियामेंट की इच्छा होती है। जब वह इसका प्रीतिभाजन नहीं रह जाता, तो उसे अपने पद को छोड़ना पड़ता है। पार्लियामेंट कई प्रकार से भारत-मंत्री को अपने अधिकार में रखती है। कैबिनेट में अविश्वास का प्रस्ताव पास कर वह इसे अपने पद से हटा सकती है। जब तक इसका वेतन भारतीय खजाने से दिया जाता था तब तक पार्लियामेंट का इसके ऊपर पूरा अधिकार न था। अपनी जीविका के लिये स्वतंत्र रह कर वह पार्लियामेंट की अवहेलना कर सकता था। जिम्मेवारी को और दृढ़ बनाने के लिये १९१६ ई० में यह नियम बनाया गया कि भारत-मंत्री का वेतन भारतीय खजाने से बन्द करके इंगलैंड के खजाने से दिया जाय। तब से पार्लियामेंट और अधिक कड़ाई के साथ उसके कामों की देखरेख करती है। थोड़ी भी नाफरमानी होने पर वह उसका वेतन कम कर सकती है। इस भय से वह अपने कामों में अधिक चैतन्य रहता है।

जो अधिकार कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स और बोर्ड आफ कन्ट्रोल को दिये गये थे वे सब १८५८ में भारत-मंत्री को दे दिये गये। भारतीय

भारत-मंत्री शासन को चलाने का सारा अधिकार उसे दिया गया है।

के भारतीय मामलों में सम्राट् और पार्लियामेंट को सलाह
अधिकार देने का अधिकार उसी को दिया गया है। भारतीय सरकार
के जो महकमें इंगलैंड में काम कर रहे हैं उनका सारा
प्रबन्ध उसी के हाथों में दिया गया है। १९१६ ई० के ऐक्ट में उसके
अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। उसके अधिकार ४ श्रेणियों में
बाँटे जा सकते हैं :—

१—कैबिनेट तथा पार्लियामेंट के सदस्य को हैसियत से वह बहुत से अधिकार रखता है। सम्राट् जिन सरकारी अफसरों को हिन्दोस्तान में नियुक्त करता है उसकी सलाह वह भारत-मंत्री से लेता है। कमान्डर-इन-चीफ, प्रान्तों के गवर्नर तथा गवर्नर-जनरल की कौंसिल के सदस्यों की नियुक्त की सलाह भारत-मंत्री ही देता है। केवल गवर्नर-जनरल की नियुक्त में उसका

हाथ नहीं रहता। सम्राट् प्रधान मंत्री की सलाह से गवर्नर-जनरल को नियुक्त करता है।

२—१९१९ ई० तक भारत-मंत्री को भारत-सरकार की एजेन्सी का पूरा अधिकार प्राप्त था। भारत सरकार को जिन चीजों की ज़रूरत पड़ती उन्हें ख़रीदने का अधिकार भारत-मंत्री को था। १९१९ में यह अधिकार हाई कमिश्नर को दे दिया गया।

३—भारत-सरकार की सभी सम्पत्ति पर सम्राट् का अधिकार है। भारत भूमि सम्राट् की भूमि कहलाती है। इस पर निवास करने वाले व्यक्ति सम्राट् की प्रजा के नाम से पुकारे जाते हैं। 'सकल भूमि गोपाल की' के कथनानुसार सम्राट् ही इस देश का स्वामी है। उसकी शक्ति का उपयोग भारत-मंत्री करता है। हिन्दोस्तान में, अथवा इससे बाहर भारत-सरकार का जो धन खर्च होता है वह सब भारत-मंत्री के अधिकार से किया जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह भारतीय सरकारी आय को जैसे चाहे खर्च कर सकता है। इसके लिये पार्लियामेंट तथा अपनी कौंसिल से उसे सलाह लेनी पड़ती है। भारत-सरकार की कोई सम्पत्ति वह बेच सकता है तथा बन्धक रख सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह नई सम्पत्ति ख़रीद सकता है। परन्तु इसके लिये उसे अपनी कौंसिल से सलाह लेनी पड़ती है। भारतीय सरकार की मातहत में काम करने वाले अफसरों पर वह मुकदमें चला सकता है। परन्तु उस पर कोई मुकदमा नहीं चला सकता।

४—हिन्दोस्तान की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें उसकी मातहत में काम करती हैं। गवर्नर-जनरल को उसकी सारी आज्ञायें माननी पड़ती हैं। वह कोई काम बिना उसकी सलाह के नहीं कर सकता। प्रान्तों के गवर्नर उसके हुकुम की तामील करने के लिये बाध्य हैं। भारतीय धारा सभायें कोई कानून तब तक पास नहीं कर सकती जब तक भारत-मंत्री उसकी आज्ञा न दे दे। शासन की नीति में उसकी आज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत-सरकार अपने टैक्स को उसकी सलाह के बिना नहीं बढ़ा सकती।

यह-सरकार और भारत सरकार के बीच जो पत्र-व्यवहार होता है उस पर भारत-मंत्री की दस्तख़त आवश्यक है। कोई सरकारी कागज़ इंग्लैंड से उसकी दस्तख़त के बिना हिन्दोस्तान में नहीं आ सकता। उसकी कौंसिल के सदस्य उसी के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। अपनी सहायता के लिये वह दो सहायक मंत्रियों को भर्ती करता है। इनमें से एक कोई सरकारी अफसर रहता है जिसका पद स्थायी होता है और दूसरा पार्लियामेंट का सदस्य होता है।

पार्लियामेंट के साथ यह भी बदलता रहता है। आमतौर से वह दूसरा अनस्थायी मन्त्री पार्लियामेंट की उस सभा का सदस्य होता है जिस सभा का भारत-मंत्री सदस्य नहीं होता। इससे पार्लियामेंट की दोनों सभाओं का सम्पर्क भारतीय विषयों में बना रहता है। भारत-सरकार इसकी आज्ञा के बिना खर्च का कोई नया ज़रिया नहीं निकाल सकती। भारत-सरकार की ओर से कोई बड़ी इमारत, पुल तथा रेल आदि तब तक नहीं बनाये जा सकते जब तक भारत-मंत्री की आज्ञा प्राप्त न कर ली जाय। अपनी अनुपस्थिति में इंडिया कौंसिल का सभापति वही नियुक्त करता है। यदि कौंसिल के सदस्यों तथा उसके विचारों में कोई मतभेद हो जाय तो कौंसिल को भुङ्कना पड़ता है। हिन्दोस्तान में ब्रिटिश सरकार के लाभ हानि की जिम्मेवारी उसी के ऊपर है। भारत-सरकार के अन्तर्गत किसी बड़े पद का बनाना और बिगाड़ना उसी के हाथों में है। यदि भारत-सरकार १२०० रुपये मासिक के ऊपर का कोई नया स्थायी पद बनाना चाहती है तो इसकी मंजूरी भारत-मंत्री से लेनी पड़ती है। अनस्थायी पद के लिये ४००० रुपये मासिक तक का अधिकार गवर्नर-जनरल को दिया गया है। इससे अधिक के लिये भारत-मंत्री की आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है।

१९३५ का शासन-विधान पिछले शासन-विधानों से सर्वथा भिन्न है।

ब्रिटिश प्रान्तों को किसी दर्जे तक प्रान्तीय शासन की १९३५ के शासन जिम्मेवारी दे दी गई है। ब्रिटिश सम्राट् की छत्र-छाया में विधान में सूबों और देशी रियासतों को एक में जोड़ा गया है। कहने भारत-मंत्री का के लिए इस शासन विधान में भारत-सरकार की आज्ञादी स्थान बढ़ा दी गई है, परन्तु गहराई के साथ इसका अध्ययन करने पर पता चलता है कि घरेलू सरकार के अधिकार कम नहीं हुए हैं। भारत-मंत्री की शक्ति पहले की ही तरह बनी हुई है। जब कभी गवर्नर-जनरल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करेगा उस समय उसकी सलाह आवश्यक होगी। इन अधिकारों का प्रयोग होने की सम्भावना इतनी अधिक है कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति पहिले से भी अधिक बढ़ जाती है। सभी आवश्यक विषय—सेना, पुलिस, रेलवे, रिज़र्व बैंक, वाह्य संबंध—गवर्नर-जनरल के विशेषाधिकार के अन्तर्गत रखे गये हैं। यह कहा गया है कि नये शासन-विधान में भारत-सरकार ब्रिटिश सम्राट् की मातहतती में काम करेगी, भारत-मन्त्री के अन्दर नहीं। कानूनी दृष्टि से यह परिवर्तन ठीक हो सकता है, लेकिन कार्य रूप में इसका कोई अर्थ नहीं है। गवर्नर-जनरल और प्रान्तों के गवर्नर उसी की मातहतती में कार्य करेंगे। हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में

सम्राट् को वही सलाह देगा। सम्राट् द्वारा भारतीय धारा-सभाओं के किसी भी कानून को वह रद्द कर सकेगा।

सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत-मन्त्री की कौंसिल में किया गया है। इसका विस्तृत वर्णन आगे चल कर इसी अध्याय में किया जायेगा। इंडिया कौंसिल, जिसका काम भारत-मन्त्री को सलाह देना था, नये शासन-विधान के अनुसार तोड़ दी गई है। कौंसिल के सारे अधिकार भारत मन्त्री को दे दिये गये हैं। १ अप्रैल सन् १९३७ ई० से भारत-मन्त्री के अधिकार पहिले से कहीं अधिक बढ़ा दिये गये हैं। अब तक कौंसिल उसके कामों में किसी हद तक हस्तक्षेप कर सकती थी, परन्तु उसके हट जाने से उसकी आज्ञादी बढ़ गई है। १९३७ ई० से वह कुछ सलाहकारों की मदद से कार्य करता है। ये सलाहकार सभी प्रकार से उसकी मुट्ठी में रक्खे गये हैं। वह उनकी सलाह को ठुकरा सकता है। यह बात ठीक है कि भारत-मन्त्री उस मदारी की तरह है जो भारत-सरकार रूपी बन्दर को जैसे चाहे नचा सकता है।*

भारत-मन्त्री के साथ १९२८ ई० में इंडिया कौंसिल का जन्म हुआ। यह कौंसिल भारत-मन्त्री को हिन्दोस्तान के विषय में सलाह देती थी। आरम्भ में इसमें १५ सदस्य थे। इनमें से ८ को नियुक्ति सम्राट् द्वारा की गई और बाक़ी ७ को ईस्ट इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टरों ने नियुक्ति किया। इन सदस्यों में अधिकतर हिन्दोस्तान में कम से कम १० वर्ष तक रह चुके थे। यही उनकी नियुक्ति की शर्त थी। यह भी ज़रूरी था कि हिन्दोस्तान से लौटे उन्हें १० वर्ष से अधिक न हुये हों। कम से कम ६ सदस्य उपरोक्त शर्तों के साथ भर्ती किये गये। यह भी बात स्पष्ट कर दी गई कि जब कभी कोई स्थान खाली हो तो सम्राट् नये सदस्यों की भर्ती करेगा। इस कौंसिल की कोई निश्चित अवधि नहीं बनाई गई। जब तक इसके सदस्य सन्तोषजनक कार्य कर रहे हैं तब तक वे रह सकते थे। सदस्यों के ऊपर यह बन्धन लगा दिया गया कि वे पार्लियामेंट की किसी सभा के सदस्य नहीं हो सकते। उन्हें निकालने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया। प्रत्येक सदस्य का वेतन १५०० रुपया मासिक रक्खा गया। भारत-मन्त्री इसका सभापति बनाया गया। सभी कामों में कौंसिल भारत-मन्त्री को सलाह देती थी। जो काम अत्यन्त आवश्यक तथा गुप्त

* The Office of the Secretary of State is a pivot round which the whole Indian administration evolves.

होते उन्हें वह स्वयं करता था। कौंसिल की बैठक सप्ताह में एक बार होती थी।

१८६९ ई० में पार्लियामेंट ने इंडिया कौंसिल के विषय में एक नया कानून पास किया। इसमें नये सदस्यों को भर्ती करने का अधिकार भारत-मंत्री को दिया गया। यह भी निश्चित हुआ कि कौंसिल की आयु १० वर्ष रहा करेगी। आवश्यकता पड़ने पर भारत मंत्री इसकी आयु ५ वर्ष और बढ़ा सकता था। १८८९ ई० में कौंसिल के सदस्यों की संख्या १५ से घटा कर १० कर दी गई। १९०७ ई० में एक दूसरा कानून पास करके यह बात निश्चित की गई कि सदस्यों की संख्या कम से कम १० और अधिक से अधिक १४ हो। इसकी आयु १० वर्ष से घटा कर ७ वर्ष कर दी गई। सदस्यों का वेतन १५०० रुपया मासिक से घटा कर १२५० रुपया मासिक कर दिया गया। इसी साल इंडिया कौंसिल में २ हिन्दोस्तानी पहिले पहिल भर्ती किये गये।

१९१६ ई० के कानून ने भारतीय शासन-विधान में कुछ परिवर्तन किया। कौंसिल के सदस्यों की संख्या घटा दी गई। अब यह तै हुआ कि इसमें कम से कम ८ और अधिक से अधिक १२ सदस्य रहेंगे। इसका फ़ैसला भारत-मंत्री स्वयं करे कि सदस्यों की संख्या कितनी रखी जाय। कौंसिल में कोई जगह ख़ाली होने पर वह नये सदस्यों को भर्ती कर सकता था। इस ऐक्ट के अनुसार कौंसिल के अधिकतर सदस्य ऐसे होने चाहिये जो कम से कम १० वर्ष तक हिन्दोस्तान में रह चुके हों। नियुक्ति के समय उन्हें हिन्दोस्तान से लौटे अधिक से अधिक ५ वर्ष हुए हों। कौंसिल की अवधि ७ वर्ष से घटा कर ५ वर्ष कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया कि नये नये तजुर्वेकार सदस्यों को इसमें कार्य करने का अवसर मिलता रहे। सदस्यों की अवधि पूरी हो जाने के बाद भारत-मंत्री उन्हें फिर नियुक्त कर सकता था। परन्तु इसका कारण उसे पार्लियामेंट को बताना पड़ता था। कोई सदस्य कौंसिल से जब चाहे इस्तीफा दे सकता था। पार्लियामेंट सदस्यों को निकाल सकती थी। उनका वेतन १२५० रु मासिक से बढ़ा कर फिर १५०० रु मासिक कर दिया गया। कौंसिल में भर्ती होने के समय जो सदस्य हिन्दोस्तान के नागरिक होते उन्हें वेतन के अलावा ६००० रुपया सालाना भत्ता दिया जाता था। वह वेतन हिन्दोस्तान अथवा इंग्लैंड किसी भी खज़ाने से दिया जा सकता था। कौंसिल के सदस्यों को पार्लियामेंट में बैठने की इजाज़त न थी। हिन्दोस्तानी सदस्यों की संख्या २ से तीन कर दी गई। भारत-मंत्री और इंडिया कौंसिल की एजेन्सी का काम हाई कमिश्नर को दे

दिया गया। इससे कौंसिल का काम कुछ इल्का हो गया। वैसे तो भारत-मन्त्री कौंसिल के फैसले से बंधा नहीं था; परन्तु भारत-सरकार के खर्चे तथा कुछ बड़े सरकारी अफसरों की भर्ती में उसे इनकी बात माननी पड़ती थी।

कौंसिल अपना काम कमीटियों द्वारा करती रही। थोड़े-थोड़े सदस्यों की कमीटियाँ बना दी जाती थीं। जिस प्रकार वाइसराय की कौंसिल में प्रत्येक सदस्य को एक विभाग दे दिया जाता है उसी तरह इंडिया कौंसिल की प्रत्येक कमीटी को एक विभाग सौंप दिया जाता था। प्रत्येक कमीटी स्वतंत्र रूप से अपना काम करती थी। फिर सभी कमीटियों का काम पूरी कौंसिल के सामने रखवा जाता था। इंडिया कौंसिल में राजनीतिक, फौजी, हमारात, अर्थ, स्टोर, कर आदि विभाग बनाये गये थे। कौंसिल की बैठक महाने में एक बार होती थी। भारत मन्त्री इसका सभापति होता था। उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति उसका आसन ग्रहण करता था। यदि दोनों ही उपस्थित न हो सके तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को भी सभापति चुन लेते थे। सभापति को निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार था। भारत-मन्त्री की अनुपस्थिति में जो कुछ कौंसिल में पास होता वह तब तक पक्का नहीं समझा जाता था जब तक उसकी दस्तखत न हो जाती थी। १९१७ ई० में आन्ट्रेग्यू ने, जो उस समय भारत-मन्त्री थे, कमीटियों द्वारा काम करने की पद्धति को दोषपूर्ण ठहराया था। कैबिनेट के एक सदस्य होने की हैसियत से भारत-मन्त्री का स्थान बृटिश राजनीतिज्ञों में बहुत ही ऊँचा समझा जाता था। उसके प्रभाव से कौंसिल दबती रहती थी। वह इससे जब चाहता सलाह लेता अथवा मनमानी करता था। सलाह लेने पर भी वह उससे बाध्य नहीं था।

आरम्भ से ही भारतीय राजनीतिज्ञ इंडिया कौंसिल को नापसन्द करते रहे हैं। उनका कहना था कि यह सभा बेकार थी और उल्टे यह हिन्दोस्तान के मामलों में टाँग अड़ाया करती थी। वे शुरू से ही इसे तोड़ देने के पक्ष में थे। कारण यह है कि इसमें हिन्दोस्तानियों का हाथ नहीं के बराबर था। ये या १० अंग्रेज़ सदस्यों के सामने विचारे ३ हिन्दोस्तानी कुछ नहीं कर सकते। इसके खटकरने का एक और कारण था। जब हिन्दोस्तान के मामले में यही सभा अन्तिम निर्णय देती थी तो भारतीय स्वतन्त्रता का कोई अर्थ ही नहीं था। इन्हीं सब कारणों से १९३५ ई० के संव-शासन में इंडिया कौंसिल तोड़ दी गई है। १ अप्रैल सन् १९३७ ई० को यह सभा सदैव के लिये भंग कर दी गई। इसके स्थान पर कुछ सलाहकार भारत-मन्त्री को दिये गये हैं।

१९३५ के शासन-विधान की २७८ धारा के अनुसार इंडिया कौंसिल तोड़ दी गई। इसके स्थान पर भारत-मंत्री को कुछ सलाहकार नियुक्त १९३५ का करने का अधिकार दिया गया है। सलाहकारों की शासन-विधान भर्ती के विषय में चन्द नियमों का जानना आवश्यक और भारत है। १९३७ से ये सलाहकार भारत-मंत्री की सहायता मंत्री के कर रहे हैं।

सलाहकार

सलाहकारों की संख्या कम से कम ३ और अधिक से अधिक ६ होनी चाहिये। उन्हें नियुक्त करने का अधिकार भारत-मंत्री को दिया गया है। यदि वह उचित समझे तो इंडिया कौंसिल के पिछले सदस्यों को अपना सलाहकार नियुक्त कर सकता है। परन्तु इन्हें वह ५ वर्ष से अधिक के लिये नियुक्त नहीं कर सकता। शासन-विधान बनते समय यह बात निश्चित की गई थी कि जब तक यह हिन्दोस्तान पर पूरी तरह लागू न हो जाय तब तक सलाहकारों की संख्या कम से कम ८ और अधिक से अधिक १२ रहेगी। इसी के अनुसार इस समय इनकी संख्या ८ रखी गई है। इनमें ३ हिन्दोस्तानी हैं।

सलाहकारों की योग्यता के विषय में कुछ बातें निश्चित कर दी गई हैं। कम से कम आधे सलाहकार ऐसे होने चाहिये जो हिन्दोस्तान में सरकारी विभाग में कम से कम १० वर्ष तक कार्य कर चुके हों। इंगलैंड में उन्हें हिन्दोस्तान से गये दो वर्ष से अधिक न हुये हों। आमतौर से यह सलाहकार बड़े बड़े सरकारी ओहदेदार होंगे। वे भारत के राष्ट्रीय विचारों के हिमायती न होंगे। अपनी पेन्शन का ध्यान रखते हुए वे सरकार की नीति का विरोध नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखा गया है कि वही सलाहकार बनाये जायें जो हिन्दोस्तान के विषय में अच्छी जानकारी रखते हों। उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य होने की आज्ञा नहीं है। ऐसा इसलिये किया गया है कि वे दल-बन्धियों में न पड़ें। ऐसा न किया जाय तो वे पार्लियामेंट में भारत-मंत्री का विरोध कर सकते हैं। इससे कार्य में बाधा पड़ने की सम्भावना है। भारत-मंत्री इस बात को सहन नहीं कर सकता कि उसकी मातृहती में काम करने वाले पार्लियामेंट में उसका विरोध करें।

सलाहकार ५ वर्ष के लिये नियुक्त किये जायेंगे। कोई भी सलाहकार दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। सलाहकार को यह स्वतन्त्रता दी गई है कि वह जब चाहे अपने पद से इस्तीफा दे दे। भारत-मंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी सलाहकार को शारीरिक अथवा मानसिक आ० भा० शा०—६

दुर्बलताओं के कारण निकाल दे। प्रत्येक सलाहकार का वेतन १७०० रुपये मासिक के लगभग रक्खा गया है। यदि नियुक्ति के समय वह हिन्दोस्तान का नागरिक है तो उसे वेतन के अतिरिक्त ६००० रु० सालाना भत्ता दिया जायगा। इससे हिन्दोस्तानी सलाहकार अँग्रेज सलाहकारों से अधिक वेतन पाने के अधिकारी होंगे। सलाहकारों का वेतन इंग्लैंड के खजाने से दिया जायगा। अर्थात् इंडिया आफिस का पूरा खर्च इंग्लैंड बर्दास्त करेगा। वेतन आदि घटाने-बढ़ाने का अधिकार पार्लियामेंट को होगा। इस परिवर्तन से हिन्दोस्तान को इतना लाभ अवश्य हुआ है कि खर्च का एक बहुत बड़ा भार इसके सर से उतार दिया गया है।

यह बात भारत-मन्त्री की इच्छा पर छोड़ दी गई है कि वह अपने सलाहकारों से जब चाहे राय ले। वह चाहे तो उनसे एक साथ या अलग-अलग राय ले सकता है। उनकी राय से वह बँधा नहीं है। कुछ सरकारी नौकरियों, ठीकों, तथा जायदाद के मामलों में उनका बहुमत उसे मानना होगा। यदि उनके कार्यों की ओर दृष्टि-पात करें तो देखेंगे कि कानून बनाने, इन्साफ़ करने तथा किसी कानून को कार्यान्वित करने का उन्हें अधिकार नहीं है। उनका काम भारत-मन्त्री को हिन्दोस्तान के मामलों में केवल सलाह देना है। भारत-मन्त्री को यह अधिकार है कि वह इयकी सलाहों को टुकरा दे।

ऊपर कहा गया है कि आरम्भ से ही हिन्दोस्तानी इंडिया कौंसिल के विरोधी रहे हैं। भारतीय खजाने का जो रुपया इस पर खर्च होता रहा है वह एक फजूल सी चीज़ रही है। हिन्दोस्तान को उससे कोई लाभ न था। इंडिया कौंसिल के तोड़ देने से हिन्दोस्तान की एक बहुत बड़ी बला टल गई। परन्तु यह सभा तोड़ कर इसके स्थान पर सलाहकारों की नियुक्ति कर दी गई है। यद्यपि इनकी शक्ति कौंसिल के सदस्यों से कम है; परन्तु इससे हिन्दोस्तान को कोई लाभ नहीं पहुँचता। जिस सभा का नाम इंडिया कौंसिल था अब उसे सलाहकार के नाम से कर दिया गया है। हमें जो शिकायतें इंडिया कौंसिल की ओर से थीं वे सलाहकारों की ओर से रहेंगी। भारत-मन्त्री का स्थान यह सरकार के अन्दर महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव भारत-सरकार के ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। यदि नये शासन-विधान में इसके तथा इसकी कौंसिल के पद में कोई परिवर्तन न हुआ तो यह कैसे कहा जाय कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है।

अध्याय ५

हाई कमिश्नर

(The High Commissioner for India)

हाई कमिश्नर का पद पहले पहल १९१६ ई० के ऐक्ट के अनुसार बनाया गया। इसके पहिले भारत-मन्त्री इसके कार्य को हाई कमिश्नर करता था। १९१६ ई० में एक कमीटी (The Crew की नियुक्ति Committee) इस बात के लिये नियुक्त की गई थी कि वह इंडिया आफिस के पुनर्संगठन पर विचार करे। इसी कमीटी ने इस आफिसर के पद की आवश्यकता महसूस की। १९१६ के ऐक्ट के पश्चात् १९२० ई० में पहिला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। सर मेअर आई० सी० एस० ने पहिले पहिल इस पद को सुशोभित किया। इसके पश्चात् सर मर्वान जी दलाल १९२३ ई० में हाई कमिश्नर नियुक्त किये गये। २ वर्ष बाद अतुलचन्द चटर्जी हाई कमिश्नर बनाये गये। लगभग ६ वर्ष तक ये इस पद पर कार्य करते रहे। १९३१ ई० में सर भूपेन्द्र नाथ मित्रा हाई कमिश्नर हुए। जब वे १९३६ ई० में इस पद से अलग हुए तो सर फीरोज़ खॉं नून हाई कमिश्नर बनाये गये। आजकल एक भारतीय सुसलमान इस पद पर नियुक्त किये गये हैं। हाई कमिश्नर का आफिस लन्दन में है। मार्च १९३० ई० में इसका दफ्तर नये मकान में चला गया जो इसी दफ्तर के लिये ४८ लाख रु० की लागत से बनाया गया है। इसकी भीतरी बनावट में भारतीय कला दिखलाई पड़ेगी। यह मकान १२ मंजिल का बना हुआ है, जिसकी ऊँचाई १०० फीट के लगभग है। ज़मीन की सतह पर वाली मंजिल के बीच में एक बहुत बड़ा हाल बना हुआ है, जिसमें भारतीय कलाकारों की बनाई हुई चीज़ों की नुमाइश सदैव लगी रहती है। मकान में जगह-जगह लाल पत्थर लगाये गये हैं।

१९१६ के ऐक्ट की २६ अ धारा के अनुसार यह बात निश्चित की गई कि ब्रिटिश सम्राट् इंग्लैंड में एक हाई कमिश्नर नियुक्त करे। उसके अधिकार, उसकी तनख्वाह, उसकी पेन्शन और उसके कर्त्तव्य आदि का नियम वही निश्चित करे। उसके सहायकों की नियुक्ति भी वही करे। १३ अगस्त सन् १९२० ई० को सम्राट् ने सरकारी गज़ट में इसकी घोषणा करवाई। इसी

घोषणा के अनुसार हिन्दोस्तान के गवर्नर-जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह समय-समय पर भारत-मन्त्री की सलाह से हाई कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि वह जब चाहे उसे निकाल दे। यह तै किया गया कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति प्रत्येक ५ वर्ष के लिये की जायेगी और कोई व्यक्ति दूसरी बार नियुक्त किया जा सकता है। गवर्नर-जनरल अपनी कौंसिल की सलाह से उसे छुट्टी देगा और उसकी गैरहाज़िरी में किसी दूसरे को भर्ती कर सकेगा। उसकी तनख़ाह ४ हज़ार ६० मासिक निश्चित की गई, जो भारतीय ख़ज़ाने से आरम्भ से अब तक दी जाती है। हाई कमिश्नर की हैसियत से कोई पेंशन लेने का हक़दार नहीं है, परन्तु जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी से इस पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसे पेंशन दी जाती है।

आम तौर से हाई कमिश्नर के पद पर वे ही व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं जो सरकारी विभाग में किसी अच्छे पद पर काम इसके कर्तव्य करते हों। शुरू से अब तक आठ हाई कमिश्नर हो गुजरे हैं। सभी 'सर' की उपाधि प्राप्त-कर्ता हैं।

इसके मुख्य ३ कर्तव्य हैं :—

१—वह इंग्लैंड में गवर्नर-जनरल का एक एजेन्ट है।

२—ब्रिटिश प्रान्तों के कुछ कर्तव्य उसके हाथों में दिये गये हैं। गवर्नर-जनरल की आज्ञा के अनुसार वह इन्हें पूरा करता है।

३—१६१६ ई० तक भारत-मन्त्री हिन्दोस्तान की तिजारत के सम्बन्ध में कुछ कार्य करता था। १६२० ई० से ये कार्य हाई कमिश्नर को करने पड़ते हैं।

यह-सरकार भारत-सरकार से घनिष्ठ सम्बंध रखती है। इस देश के शासन-प्रबन्ध की बागडोर घरेलू सरकार के हाथ में है। घरेलू सरकार और भारत-सरकार के संबन्ध का विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया जायेगा। यहाँ इस बात पर विचार किया गया है कि हाई कमिश्नर की आवश्यकता क्या है। इंग्लैंड में हिन्दोस्तानियों की संख्या कम नहीं है। लगभग १० हज़ार हिन्दोस्तानी वहाँ निवास करते हैं। २ हज़ार के निकट तो विद्यार्थी हैं जो ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहाँ गये हुए हैं। इनकी देखरेख तथा सहायता का भार हाई कमिश्नर को दिया गया है। वर्तमान युग भौतिकवाद का युग है। अंग्रेज़ी कौम व्यापार में इतनी कुशल है कि उसे हमारे देश में 'बनियों की कौम' कहा जाता है। जिन-जिन देशों में अंग्रेज़

जाति ने पैर रक्खा है वहाँ इसकी पहली गरज तिजारत रही है। इसीलिये कहा जाता है कि* “व्यापार राष्ट्रीय झंडे से आगे-आगे चलता है।” यह सिद्धान्त योरप की सभी जातियों पर एक-सा लागू होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज़ी क्रौम ने राजनीति और अर्थ-शास्त्र दोनों को एक में जोड़ दिया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हाई कमिश्नर के पद से ज़ाहिर होता है। इस अफ़सर के आधे कर्त्तव्य राजनीतिक हैं और आधे व्यापारिक। अन्धा होगा कि इस दो अमली दफ़्तर की कहानी कुछ विस्तार से कही जाय। इसके लिये यह आवश्यक है कि सरकार के कर्त्तव्य सम्बन्धी सिद्धान्तों पर हम दृष्टिपात करें।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी आवश्यकताओं के वशीभूत होकर वह समाज में निवास करता है। एकान्त जीवन नागरिक और उसकी आवश्यकतायें न हों तो समाज नहीं बन सकता। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा और भी तरह-तरह की आवश्यकतायें व्यक्ति को प्रेरित करके एक दूसरे के सम्बन्ध में लाती हैं। केवल दो चार व्यक्तियों तक यह सम्पर्क सीमित नहीं रहता। इसका दायरा क्रमशः बढ़ता जाता है। इसी को समाज कहते हैं। यही बढ़ते-बढ़ते राष्ट्र अथवा राज्य का रूप धारण कर लेता है। एक दूसरे से आवश्यकताओं की इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि इसे जल्दी कोई नहीं तोड़ सकता। सहवास तथा व्यवहार और इढ़ होता जाता है। लाखों व्यक्ति एक प्रकार के रीति-रिवाज़ों द्वारा बाँध दिये जाते हैं। व्यक्तियों के इस पारस्परिक सम्बन्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिये राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है, जिससे सरकार की उत्पत्ति होती है। वही बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की शान्ति रखती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की उन्नति द्वारा राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। उन्नति शब्द के अन्दर उन सारे कर्त्तव्यों का समावेश हो जाता है जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक करता रहता है। नागरिक को उन्नति का पूर्ण साधन देने के लिये सरकार को बहुत सी सामग्रियाँ एकत्रित करनी पड़ती हैं। मनुष्य के अन्दर कुछ ऐसी पाशविक शक्तियाँ हैं, जिन्हें दबाये बिना उसकी उन्नति सम्भव नहीं है। इसीलिए सरकार को सेना, पुलिस, हथियार आदि रखने पड़ते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति के युग में इनकी मात्रा इतनी बढ़ गई है कि सरकार को विवश होकर अपनी आमदनी का

* Trade follows the flag.

एक बहुत बड़ा भाग लड़ाई के सामानों पर खर्च करना पड़ता है। नागरिक की सुविधा के लिये रेल, तार, डाक, टेलीफोन, तार घर, बेतार बर्की तथा रेडियो आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है। उसकी शिक्षा के लिये स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय आदि खोलने पड़ते हैं। स्वास्थ्य के लिये अस्पताल तथा औषधालयों की व्यवस्था करनी पड़ती है।

साधन के बिना व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता। राज्य व्यक्ति का ही एक बृहत् रूप है।* उसे अपने कर्त्तव्य सरकार की पालन के लिये नाना प्रकार की सामग्रियाँ एकत्रित आवश्यकतायें करनी पड़ती हैं। क्लम, कागज़, स्याही, टाइपराइटर, मोटर, मशीनें, बिजली की सामग्रियाँ, दवाइयाँ तथा और भी हजारों चीजें उसे सरकारी कामों के लिये तैयार करनी पड़ती हैं। यदि राज्य इतना उन्नतिशील है कि वह अपने यहाँ इन सामग्रियों को तैयार कर लेता है तो उसे बाहर अपने पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्यथा इनके लिये करोड़ों रुपया देश से बाहर भेज देना पड़ता है। उदाहरण के लिये हम अपने देश को सामने रख सकते हैं। हिन्दोस्तान में लगभग ६० करोड़ रुपये का कपड़ा बाहर से आकर बिकता है। १९वीं सदी के मध्य तक इस देश का माल योरप में जाकर ६० फ़ी सदी मुनाफ़े पर बिकता था। यहाँ कपड़ा इतना प्रसिद्ध था कि दुनिया के बड़े-बड़े लोग इसके लिये लालायित रहते थे। काश्मीर के दुशाले अभी तक प्रसिद्ध हैं। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि १८४६ ई० में अंग्रेजों की काश्मीर राज्य से जो सन्धि हुई है, उसमें एक शर्त यह भी रखी गई थी कि काश्मीर राज्य प्रतिवर्ष काश्मीर का बना हुआ एक शाल भारत-सम्राट् को भेजता रहेगा। यह शाल करीब ८ हजार रुपये का होता है। इसके सिवाय ३ ऊनी रुमालें शाल के साथ भेजी जाती हैं। इतना उन्नति-शील देश आज अपने पहिनने तक के लिये विदेशियों पर भरोसा करता है। इस महान् अवनति की जिम्मेवारी भारत सरकार के ऊपर है। बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ इस विषय में सहमत हैं कि प्रत्येक राज्य को स्वावलंबी होना चाहिये। यदि ऐसा हो जाय तो साम्राज्य-पिपासा बहुत कुछ अपने आप शान्त हो जायेगी। किसी देश की उन्नति तब तक सम्भव नहीं है जब तक वहाँ का व्यापार और व्यवसाय उन्नत दशा में न हो।

कमज़ोर से कमज़ोर राज्य अपने देश को धन-धान्य से पूर्ण रख सकता

* Individual is the State in Miniature.

है। जिस राज्य के अन्दर इतनी कार्य-कुशलता मौजूद है वह कमजोर नहीं कहा जा सकता। भौगोलिक दृष्टि से कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें खानपान की चीजें बाहर से मँगानी पड़ती हैं। इसके विपरीत कुछ राज्यों को अन्य बातों में अपने पड़ोसी राज्यों से सहायता की आवश्यकता होती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। देश की सरकार इस बात के लिये विदेशी राज्यों से उचित शर्त कर सकती है कि वह किन-किन वस्तुओं को बाहर भेजे और किन्हें बाहर से मँगाये। इसके लिये सरकार एक विभाग ऐसा बना सकती है जिसका काम विदेशों से खरीद-फ़रोख़्त करना हो। इससे उसकी आवश्यकतायें पूरी होंगी और नागरिक को लाभ भी होगा। बड़े पैमाने पर सुविधा के साथ सरकार इस कार्य को कर सकती है। अपनी जिम्मेवारी पर वह किसी विदेशी या स्वदेशी चीज़ को सस्ते मूल्य पर ले सकती है। किसी व्यक्ति के लिये इतनी तकलीफ़ ग़वारा करना सम्भव नहीं है। यदि हम दो पैसे की सूई के लिये जर्मनी से बात-चीत करें तो यह निरी बेवकूफी होगी। अच्छा तो यह होगा कि सरकार हमें यह श्रवसर न दे कि हम विदेशियों का मुँह ताकें। यदि किसी कार्य-विशेष से हमारे देश-वासियों को कुछ विदेशी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार उन्हें मँगाने का प्रबन्ध करे। यहाँ पर हमें याद रखना चाहिये कि सरकार एक राजनीतिक संगठन है। वह कोई तिजारती कम्पनी नहीं है। खरीद-ख़रोख़्त का काम वह इसलिये न करे कि उसे मुनाफ़ा हो। मुनाफ़े का ध्यान तो उसे रखना ही नहीं चाहिये। उसका उद्देश्य नागरिक को सुखी और प्रसन्न रखना है। उसके कार्यों का महत्व इन्हीं दोनों प्रकार के बाँटों से तौला जाता है।

सम्पर्क और सम्बन्ध कोई बुरी चीज़ नहीं है। यदि एच० जी० वेल्स विश्व संघ-शासन का विधान बनाना चाहते हैं तो उनका उद्देश्य मानव समाज का कल्याण करना है। संसार के राष्ट्र एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखें तो इससे उन्हें अनेक प्रकार के लाभ होंगे। एक के विचारों से दूसरों को लाभ पहुँचेगा; एक देश की अच्छी वस्तुयें दूसरे देशों को प्राप्त होंगी, एक के उन्नत विचार दूसरे को प्रभावित करेंगे; एक के सुख-दुख में दूसरा सहायक होगा। स्वावलम्बन की भावना तो अच्छी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों से स्तनी भर चीज़ का लेनदेन न रखें। यह तभी सम्भव है जब कोई देश किसी ऐसे विकट स्थान पर हो जहाँ किसी प्रकार से कोई दूसरा मनुष्य न जा सके। वह देश कितना भी स्वावलम्बी और उन्नति-शील क्यों न हो, उससे मानव-समाज को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। इतना ज़रूर है कि एक देश दूसरे से अच्छी नीयत के साथ सम्पर्क रखे।

यदि कोई देश अपने कमज़ोर सम्बन्धियों को दवाना और लूटना चाहता है तो ऐसे सम्पर्क से नमस्कार करना चासिये। वास्तव में सरकार की आवश्यकतायें उसके नागरिकों की आवश्यकतायें हैं। उन्हीं की भलाई का ध्यान रखते हुए वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे।

हिन्दोस्तान किसी महाद्वीप से कय नहीं है। चीन को छोड़ कर इस देश की आबादी संसार में सबसे अधिक है। इसलिये यह भारतीय सरकार स्वाभाविक है कि यहाँ के निवासियों की आवश्यकतायें भी अधिक हों। १६ वीं सदी तक हिन्दोस्तानियों की सारी आवश्यकतायें अपने देश में पूरी होती रही हैं। कपड़े के विषय में, 'सुलेमान' नाम का एक मुसलमान व्यापारी, जो १६वीं सदी के आरम्भ में हिन्दोस्तान आया था, लिखता है, "इस देश में रूई के वस्त्र इतने बारीक और कौशल के साथ तैयार किये जाते हैं कि उस वस्त्र का बना हुआ एक चोगा मुहर की अँगूठी में होकर निकल सकता है।" सूर्य नारायण राव ने अपनी एक पुस्तक में* इसका वर्णन किया है। पंडित गणेशदत्त शर्मा अपने 'खादी का इतिहास' नामक ग्रन्थ में लिखते हैं, "एक कारीगर जुलाहे ने एक अत्यन्त बारीक वस्त्र बाँस की छोटी सी नली में डालकर अकबर बादशाह को भेंट किया था। वह वस्त्र इतना लम्बा-चौड़ा था कि उससे एक हाथी हौदे सहित अच्छी तरह ढँक सकता था।" इतिहास लेखक हंटर लिखता है, "कलिंग देश के राजा ने अयोध्या के राजा को एक रेशमी वस्त्र भेजा था। राजकन्या के उसे पहिनने पर उस पर यह आक्षेप किया गया था कि वह नंगी तो नहीं है।" श्री तालचरेकर† लिखते हैं "भारतीय कारीगरों के हाथ का काता हुआ सूत इंग्लैंड के ३३० नम्बर के सूत से चौगुना बारीक होता था।"

तात्पर्य यह है कि १६वीं सदी के पहिले हिन्दोस्तान को बाहर के कपड़े की आवश्यकता न थी। वह स्वयं अपना माल विदेशों को भेजता था। इसके अतिरिक्त मसाले और हीरे जवाहिरात काफ़ी तादाद में विदेशों में जाकर बिकते थे। यह देश सभी तरह से स्वावलम्बी और समृद्धिशाली था। फ्राँसीसी यात्री बर्नियर लिखता है, "यह हिन्दोस्तान एक ऐसा अथाह गड्ढा है, जिसमें संसार का अधिकांश सोना और चाँदी चारों तरफ़ से अनेक रास्तों से आ आ कर जमा होता है, और जिससे बाहर निकलने का उसे एक भी रास्ता

*History of the never to be forgotten Empire.

† Charkha yarn.

नहीं मिलता ।” इतना स्वावलम्बी और समृद्ध होते हुये भी यहाँ के निवासी विदेशियों के साथ बहुत ही आदर का व्यवहार करते थे । जिस समय वास्कोडिगामा जहाँगीर के दरवार में आया उस समय सम्राट् जहाँगीर ने एक सोने के पत्ते पर यह लिख कर उसे दिया था कि “आप लोग हमारे देश में व्यापार कर सकते हैं ।” यह पहिला अवसर था जब कि एक योरप-निवासी को हिन्दोस्तान में व्यापार करने की आज्ञा दी गई थी । जिस समय यह समाचार पुर्तगाल पहुँचा उस समय लोगों की खुशी का वारापार न रहा । उस दिन लिस्बन नगर में दीवाली मनाई गई, जिसके प्रकाश से आकाश प्रज्वलित हो उठा था । इतना समृद्धशाली देश आज इस दशा को पहुँच गया है कि ५ करोड़ आदिमियों को भर पेट भोजन तक नहीं मिलता । विदेशी मालों के लिये यह बाज़ार का काम कर रहा है । आज यहाँ आस्ट्रेलिया का गेहूँ और डेनमार्क का बनावटी दूध बेचा जा रहा है । इस प्रकार का विदेशी सम्पर्क सर्वथा त्याज्य और निन्दनीय है ।

जो विदेशी चीज़ें हमारे देश में आती हैं उनकी सूची काफ़ी लम्बी है । १५ करोड़ रुपये से ऊपर का तो केवल तेल हम बाहर से ख़रीदते हैं । एक करोड़ रुपये से ऊपर का तम्बाकू प्रति वर्ष इस देश में आता है । जो देश किसी समय विदेशियों के मुँह मीठे करता था वही आज लगभग ४६ लाख रुपये की चीनी प्रति वर्ष बाहर से मँगाता है । ३८ लाख रुपये के लगभग का नमक हमें बाहर से मँगाना पड़ता है । १६ लाख रुपये हम केवल चाय के लिये विदेशों को भेज देते हैं । २४ लाख रुपये की दियासलाइयाँ हर साल हम अपने चूल्हों पर फूँक देते हैं । जिस हिन्दोस्तान के कोने-कोने में बबूल के पेड़ फैले हुए हैं ; जहाँ के जंगलों की लकड़ियाँ विदेशों में भेज दी जाती हैं, वही देश ३० लाख रुपये से ऊपर का गौद हर साल मँगाता है । तात्पर्य यह है कि हर साल हमारे देश से डेढ़ अरब रुपया बाहर चला जाता है । यद्यपि हम भी बहुत सी चीज़ें बाहर भेजते हैं, लेकिन इस अदल बदल में हमें इतना घाटा उठाना पड़ता है कि हम प्रति वर्ष ग़रीब होते जा रहे हैं । यदि हमारे देश की सरकार इस ओर थोड़ा ध्यान देती तो हमारी दशा आज इतनी गिरी हुई न होती । व्यवसायों के नष्ट होने से, हमें छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिये विदेशियों का आश्रय लेना पड़ता है । इस वैज्ञानिक युग में, जब कि वस्तुओं की अधिकता के कारण हमारी आवश्यकतायें रात दिन बढ़ती जा रही हैं, हमें दूसरों पर भरोसा करना पड़ता है । भारत-सरकार को विभिन्न वस्तुयें विदेशों से सबसे अधिक लेनी पड़ती हैं । ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि लेन-देन का सिद्धान्त देश के सर्वथा अनुकूल हो । बहुत सोच-विचार आ० भा० शा०—१०

के साथ आयात और निर्यात की नीति बनानी चाहिये, वरन् नागरिकों की गाढ़ी कमाई बेकार नष्ट हो जायगी। यह सभी स्वीकार करते हैं, कि सरकार के विदेशी होने से हमें सरासर घाटा उठाना पड़ता है। हर मामले में हमें लेने के देने पड़ते हैं; अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये डेढ़ अरब रुपया हमें विदेशी लोगों की जेब में डालना पड़ता है। हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारी रकम हर साल बाहर को न भेज दी जाय तो आज भी हम एक वर्ष की उपज १० साल तक बैठे खा सकते हैं। देश में शारीरिक शक्ति इतनी अधिक है कि मशीनें उसका मुक़ाबिला नहीं कर सकतीं। परन्तु उसके संगठन का अभाव है। इस देश का भाग्य कुछ ऐसा पलटा खाया है कि जो देश किसी समय 'सोने की चिड़िया' कहलाता था वही आज १३०० करोड़ रुपये के कर्ज़ से लदा हुआ है। भारतीय सरकार जो विदेशियों के हाथ में है कान में रुई डाले चुपचाप सो रही है। उसे पाँच करोड़ भूखों के आहत शब्द सुनाई नहीं पड़ते। इतने पर भी आयात और निर्यात की दूषित नीति बदली नहीं जाती।

भारतीय सरकार को जिन विदेशी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वह उन्हें लन्दन में ख़रीदती है। अधिकतर चीज़ें इंग्लैंड की बनी हुई होती हैं। थोड़ी सी चीज़ें योरप के अन्य मुल्कों से लेनी पड़ती हैं जो इंग्लैंड में नहीं मिल सकतीं। कारण यह है कि ब्रिटिश सरकार भारतीय मुनाफ़े को इंग्लैंड से बाहर क्यों भेजे। वह एक तिजारती सरकार है। लन्दन को हिन्दोस्तान की बाज़ार का केन्द्र बनाया गया है। अतएव यह आवश्यक है कि वहाँ पर भारत-सरकार की ओर से चीज़ें ख़रीदने का उचित प्रबन्ध हो। कोई ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति इस कार्य के लिये नियुक्त किया जाय जो भारतीय सरकार की मातहत में इस कार्य का करे; भारत सरकार समय-समय पर अपनी आवश्यकताओं की सूची उसे भेजती रहे और वह इस हुकूम की तामील चुपचाप करता रहे। इससे सरकार की परेशानी दूर हो जाती है। और इंग्लैंड को बहुत बड़ा मुनाफ़ा भी होता है। इतना अवश्य है कि लन्दन में जिस व्यक्ति को यह कार्य सौंपा जाय उसे भारत सरकार के अधिकार में रहना चाहिये।

यदि उपरोक्त ढंग पर ख़रीद की व्यवस्था की गई होती तो कोई हानि नहीं थी। परन्तु यह कार्य भारत-मन्त्री को सौंपा गया। जब कभी भारत-सरकार को किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती तो वह भारत-मन्त्री को सूचित करती और वह उन्हें ख़रीद कर भेज देता था। भारतीय दृष्टि से यह व्यवस्था

दोषपूर्ण थी। ऊपर कहा गया है कि खरीदने वाले व्यक्ति को भारत-सरकार की मातहतता में रहना चाहिये। भारत मन्त्री को यह कार्य नहीं मिलना चाहिये था। वह भारतीय सरकार का प्रधान है। उसकी आज्ञा भारत-सरकार को माननी पड़ती है। यह उससे प्रश्न नहीं कर सकती कि अमुक वस्तु महुँगी क्यों खरीदी गई। एक प्रकार से मालिक को ही नौकर का काम सौंप दिया गया। जिन लोगों के पैसे वह खर्च करता उनके प्रति वह ज़िम्मेवार न था। हिन्दोस्तान के पैसे का मूल्य वह जैसे चाहता लगाता। चीज़ों की आवश्यकता न होने पर भी वह अपने देश का हित सोचते हुए भारत-सरकार को इस बात के लिये वाध्य कर सकता था कि वह उन्हें खरीद ले। परिणाम यह हुआ कि इस आर्थिक सम्बन्ध से हिन्दोस्तान को गहरी हानि उठानी पड़ी। जिस समय ब्रिटिश सरकार ने यह विधान बनाया उस समय इंग्लैंड का व्यापार धीरे-धीरे बढ़ रहा था। १८५१ ई० में लन्दन नगर में एक बहुत बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी करने का आयोजन किया गया। सर थामस मनरो लिखता है “ब्रिटिश कारखानेदारों ने प्रदर्शनी के बहाने भारतीय कारीगरों के हुनर का रहस्य खोज निकालने का कमाल परिश्रम किया।”

ब्रिटिश सरकार को इस बात की चिन्ता थी कि अँग्रेज़ी माल की खपत कैसे की जाय। व्यावसायिक क्रांति के कारण माल की स्वर्ण आवसर खपत के लिये बाज़ार ढूँढ निकालना आवश्यक था। इसी समय भारत-मन्त्री को यह अधिकार दिया गया कि वह हिन्दोस्तान के लिये माल खरीद सकता है। इस अधिकार ने इंग्लैंड निवासियों को अपना व्यापार बढ़ाने का अच्छा अवसर प्रदान किया। इंग्लैंड की बनी हुई चीज़ें चींटी की बारात की तरह एक के बाद दूसरी हिन्दोस्तान में आने लगीं। यही कारण है कि योरप के और देश-वासी भारतीय व्यापार में अँग्रेज़ी से पीछे रहे। अँग्रेज़ी तिजारत के साथ अँग्रेज़ी राज्य भी हिन्दोस्तान में बढ़ने लगा। दोनों के मेल से ब्रिटिश सरकार की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ होती गई। इसके विपरीत, हिन्दोस्तान की तिजारत और राजा-महाराजाओं की शक्ति नष्ट होती गई। भारत-मन्त्री पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधिकार है। वह अपने कामों के लिये उसी के प्रति ज़िम्मेवार है। पार्लियामेंट के सदस्य इंग्लैंड के बड़े बड़े तिजारती अथवा आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनका उद्देश्य जनता की भलाई के लिये अँगरेज़ी तिजारत को बढ़ाना है। इसलिये यह स्वाभाविक था कि वे भारत-मन्त्री को इस बात के लिये प्रेरित करते कि वह इंग्लैंड का अधिक से अधिक माल हिन्दोस्तान में बेचने का प्रबन्ध करे।

भारतीय राजनीतिज्ञों ने इस कमज़ोरी को अच्छी तरह पहिचान लिया। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि भारत-मंत्री के हाथों में इस अधिकार के रहने से हिन्दोस्तान की बहुत बड़ी हानि है। यह बात साफ़ दिखलाई पड़ने लगी कि वह हिन्दोस्तान का अधिक से अधिक पैसा देकर अँग्रेज़ी माल ख़रीद लेता। उससे कम मूल्य में वही चीज़ जर्मनी या जापान से नहीं ख़रीदी जाती। इंग्लैंड के हित का इतना अधिक ध्यान किया जाता था कि हिन्दोस्तान को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ती। इस राजनीतिक विधान से हिन्दोस्तान को जो हानि उठानी पड़ी है उसकी पूर्ति निकट भविष्य में होने की सम्भावना नहीं है। यदि यही सिलसिला कुछ दिन और जारी रहता तो इस देश की और भी मिट्टी पलीद हुई होती। अँगरेज़ों तक ने इस नीति का विरोध किया। परन्तु वे कर ही क्या सकते थे। “जहाँ साँप का बिल वहीं पूत का सिरहान” वाला किस्सा था। जो भारत-मंत्री भारतीय सरकार का सर्वेसर्वा था उसी के प्रति आवाज़ कैसे उठाई जा सकती थी। कोई अन्याय बहुत दिनों तक चालू नहीं रह सकता।

उधरे अन्त न होहि निवाहू।

कालनेमि जिमि रावन राहू॥

राष्ट्रीयता की लहर हिन्दोस्तान में बढ़ती जा रही थी। १९१४ की लड़ाई में हिन्दोस्तान ने ब्रिटिश सरकार को १५ अरब रुपये का दान दिया। इज़ारों हिन्दोस्तानी लड़ाई में काम आये। लड़ाई के मध्य में ब्रिटिश सरकार ने अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिये भारत-मंत्री मान्टेग्यु को १९१७ ई० में हिन्दोस्तान भेजा। इसके फलस्वरूप १९१९ ई० का शासन-विधान बनाया गया। इसी विधान के अनुसार भारत-मंत्री से एजेन्सी का काम लेकर हाई कमिश्नर को सुपुर्द किया गया।

हिन्दोस्तान की एजेन्सी का काम ३२ वर्ष तक भारत-मंत्री के हाथ में रहने के बाद १९२० ई० में हाई कमिश्नर को दे दिया गया। इसकी नियुक्ति, अवधि तथा वेतन का वर्णन हाई कमिश्नर के कार्य और इसकी जिम्मे- सरकार की ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदना है। भारत-सरकार को जिन विदेशी चीज़ों की आवश्यकता होती है उनकी सूची हाई कमिश्नर के पास भेज दी जाती है। चीज़ों को ख़रीद कर कुछ तो वह हिन्दोस्तान में भेज देता है और कुछ अपने स्टोर में

जमा रखता है। आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें भेजता रहता है। इस प्रकार वह लन्दन में हिन्दोस्तान के एक बहुत बड़े स्टोर का मालिक है। जितनी चीज़ें वह खरीदता है उनका पूरा हिसाब, मय रसीद के भारत-मंत्री के गणक (Auditor) के सामने पेश करता है। गणक की रिपोर्ट के साथ हिसाब की पूरी नक़ल गवर्नर-जनरल के पास उसे भेजना पड़ता है। एक अक्टूबर सन् १९२० ई० को हाई कमिश्नर के जिम्मे स्टोर विभाग के अतिरिक्त भारतीय विद्यार्थी विभाग तथा और भी छोटे मोटे काम कर दिये गये। १ अप्रैल सन् १९२१ ई० को इंडिया आफिस से कुछ और कार्य अलग करके हाई कमिश्नर को दे दिये गये। १ वर्ष बाद १९२२ ई० में उसके अधिकारों में और वृद्धि की गई। इतने पर भी एजेन्सी का पूरा काम इंडिया आफिस से अभी अलग न हुआ।

ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत जितने उपनिवेश हैं वे सब अपना हाई कमिश्नर लन्दन में रखते हैं। इनका कर्तव्य खरीद-फ़रोख़्त के अतिरिक्त कुछ राजनीतिक जिम्मेवारियों को पूरा करना है। कहा जाता है कि ये उपनिवेशों की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। हिन्दोस्तान को भी स्वतंत्रता के प्रतीक के लिये एक हाई कमिश्नर रखने की आवश्यकता पड़ी। यह बात कुछ समझ में नहीं आती कि औपनिवेशिक स्वराज्य की अनुपस्थिति में इस देश का दर्जा अन्य उपनिवेशों के बराबर कैसे हो सकता है। केवल हाई कमिश्नर की नियुक्ति से स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो सकता। इसकी नियुक्ति गवर्नर-जनरल अपनी कौंसिल की सलाह से ५ वर्ष के लिये करता है। इसकी तनखाह भत्ता और इसके दफ़्तर का पूरा खर्च भारतीय खज़ाने से दिया जाता है। अपने कामों के लिये वह भारत-सरकार के प्रति जिम्मेवार है। गवर्नर-जनरल की सभी आज्ञायें उसे माननी पड़ती हैं।

यह बात ऊपर स्पष्ट कर दी गई है कि हाई कमिश्नर का काम व्यापारिक है। उसके जिम्मे कोई राजनीतिक कार्य नहीं सौंपा गया है। हिन्दोस्तान में रेल तथा बड़े पुल अदि बनाने के लिये जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन्हें भेजने का कार्य उसे सौंपा जाता है। इनका ठीका लन्दन में ही दिया जाता है। व्यापार सम्बन्धी सूचनार्यें वह भारत-सरकार को देता रहता है। हिन्दोस्तान के लगभग दो हज़ार विद्यार्थी इंग्लैण्ड में अध्ययन करते हैं। उनकी देख-रेख की जिम्मेवारी उसी को सौंपी गई है। विद्यार्थियों को सुविधायें देना तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना उसके जिम्मे किया गया है। जहाँ कहीं अन्तर्राष्ट्रीय सभाएँ होती हैं, उनमें भारत का प्रतिनिधित्व वही ग्रहण

करता है। साम्राज्यवादी महासभाओं में हिन्दोस्तान का नेता बन कर वही उपस्थित होता है।

१९३५ का संघ-शासन-विधान अभी पुस्तकों में सुरक्षित है। कार्य रूप में इसका थोड़ा सा अंश लाया गया है, परन्तु इसकी पूरी १९३५ के व्यवस्था नहीं हुई। कुछ तो इसकी कमी और कुछ विश्व शासन-विधान व्यापी युद्ध ने संघ-शासन को कुछ दिनों के लिये में हाई कमिश्नर स्थगित कर दिया है। नये शासन विधान की ३०२ का स्थान धारा के अनुसार गवर्नर-जनरल को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी निजी शक्ति द्वारा एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति करे। उसका वेतन और अवधि भी वही निश्चित करे। समय समय पर गवर्नर-जनरल उसे जो जो सलाह दे वह उन्हें करता रहे। अब तक हाई कमिश्नर गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल की आज्ञाओं का पालन करता था, परन्तु संघ-शासन की स्थापना के बाद गवर्नर जनरल अपनी निजी शक्ति द्वारा उस पर अधिकार रखेगा। संघ मंत्रि-मंडल को यह अधिकार न होगा कि वह हाई कमिश्नर के मामले में हस्तक्षेप करे। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति भारतीय खजाने का करोड़ों रुपया प्रति वर्ष खर्च करे, वही भारतीय मन्त्रियों के प्रति जिम्मेवार न हो। गवर्नर-जनरल अपने व्यक्तिगत अधिकार से हाई कमिश्नर पर शासन करेगा। भारत-मन्त्री सभी प्रकार से गवर्नर-जनरल पर अधिकार रखेगा। इसका तात्पर्य यह है कि वह गवर्नर-जनरल द्वारा हाई कमिश्नर पर भी हावी होगा। सीधी बात यह है कि जो कमी १९१९ ई० में अनुभव की गई थी और जिसके कारण हाई कमिश्नर का स्थान बनाया गया था वह फिर १९३५ ई० में जारी कर दी गई। हाई कमिश्नर के पद से जो लाभ हिन्दोस्तान को पहुँच सकता था वह अब नहीं पहुँच सकता।

अच्छा होता कि भारत-सरकार के इस कर्मचारी पर भारतीय धारा सभा का अधिकार होता। परन्तु नये शासन-विधान में इसकी गुंजाइश नहीं है। यह बात सच्चाई से कोसों दूर है कि जो स्थान उपनिवेशों के कमिश्नरों को प्राप्त है वही हिन्दोस्तान के हाई कमिश्नर को दिया गया है। हाई कमिश्नर भारत-सरकार, ब्रिटिश प्रान्तों, देशी रियासतों, तथा बर्मा सबके लिये चीजें खरीद कर हिन्दोस्तान में भेजेगा। एक ओर तो उसके अधिकार इतने अधिक हैं, परन्तु दूसरी ओर उसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता के हाथों से अलग कर दी गई है। सर तेजबहादुर सप्रू का कहना है कि हाई कमिश्नर पर भारतीय सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिये। उसके कर्तव्यों का वर्णन करते हुए

सर सेमुअल होर ने पार्लियामेंट में यह कहा था कि अच्छा होगा कि यह अफसर केवल गवर्नर-जनरल के प्रति जिम्मेवार रहे।*

नये शासन-विधान में हाई कमिश्नर के कर्तव्य और उसके दर्जे में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई है। उसका दर्जा अभी तक अन्य हाई कमिश्नरों से छोटा है। इसका कारण यह है कि हिन्दोस्तान का वह राजनीतिक पद प्राप्त नहीं है जो अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों का प्राप्त है।

मन्त्रीदल के नये सुझाव में तथा हिन्दोस्तान के भावी शासन विधान में इस पद में क्या परिवर्तन होगा, यह कुछ नहीं कहा जा सकता ! इतना ज़रूर है कि कोई भी स्वतन्त्र देश इस प्रकार का पद सहन नहीं कर सकता। देश की आवश्यकता देश में पूरी होनी चाहिये, हाई कमिश्नर की खरीद से नहीं।

* The High Commissioner will have two kinds of duties, one for the Federal Government and the Provincial Government in India, and the other for the Governor-General acting in his discretion for the reserved departments and for the sphere of Government that does not come within the Federal Government of India. As the High Commissioner will have to act in these two capacities it was thought that the proper method of action was that it should be the individual judgment of the Governor-General, namely, that the initiative in suggesting names will be with the Ministers, but that the final word should be with the Governor-General.

अध्याय ६

गृह-सरकार और भारत-सरकार का सम्बन्ध

(Relation of Home Government with
the Government of India)

गृह-सरकार और भारत-सरकार के राजनीतिक सम्बन्ध पर पिछले अध्यायों में प्रकाश डाला गया है। पार्लियामेंट, सम्राट् राजनीतिक तथा भारत मन्त्री और उसकी कौंसिल का भारतीय सरकार से जो सम्बन्ध है इस पर पिछले अध्याय में अलग अलग विचार किया जा चुका है। उसे ध्यान में रखते हुए यह बात साफ़ है कि भारत-सरकार गृह-सरकार की मातहत की काम करती है। गृह सरकार की आज्ञा अन्तिम समझी जाती है। भारत सरकार उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। केन्द्रीय धारा सभा को कानून बनाने का अधिकार ज़रूर है, लेकिन शासन-विधान में उसकी शक्ति नहीं के बराबर है। शासन में सुधार करने तथा इसे बदलने का अधिकार केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट को है। गवर्नर-जनरल, जो भारत का सम्राट् है, भारत-मन्त्री की सलाह के बिना कोई काम नहीं कर सकता। यह बात ग़लत है कि भारत-सरकार अपनी कोई नीति रखती है। यद्यपि हिन्दोस्तान के राजनीतिक मामले ब्रिटिश राजनीति से अलग रखे जाते हैं, परन्तु इस देश की नीति ब्रिटिश सरकार ही निश्चित करती है। भारत सरकार राजनीतिक मामलों में थोड़ी भी स्वतन्त्र नहीं है। १९३१ ई० में जब दूसरी गोलमेज़ सभा की बैठक हो रही थी उस समय महात्मा गाँधी ने यह कहा था कि, “अंग्रेज़ों और हिन्दोस्तानियों के अधिकारों में बराबरी की बातें करना वैसे ही बेतुका है जैसे एक महाकाय धारी व्यक्ति और एक बौने का मुक़ाबिला करना।”

१९१६ के पहिले भारत-सरकार और गृह-सरकार में जो सम्बन्ध था उस पर विचार प्रकट करते हुए जॉन स्ट्रेची लिखता है, “यह बात ग़लत है कि भारत-मन्त्री भारतीय सरकार के छोटे छोटे मामलों में हस्तक्षेप करता है।” जॉन स्टुअर्ट मिल लिखता है, “भारत की असली सरकार हिन्दोस्तान में ही निवास करती है। गृह-सरकार का काम भारतीय सरकार

को चलाना नहीं है, बल्कि शासन की नीति निर्धारित करना है।" यह बात आमतौर से कही जाती है कि भारत-मंत्री भारत सरकार के कामों में अनायास हस्तक्षेप नहीं करता। परन्तु यह बात निर्विवाद है कि उसकी मूर्खी के खिलाफ़ भारत-सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती। प्रति सप्ताह गवर्नर-जनरल और उसमें जो गुप्त-पत्र व्यवहार होता है वह छोटी छोटी बातों से सम्बन्ध रखता है। गृह-सरकार भारत-सरकार के दैनिक कार्यों से भली भाँति परिचित रहती है। उसे यह अच्छी तरह पता है कि अमुक क्षेत्र में क्या हो रहा है। हिन्दोस्तान के ४० करोड़ व्यक्तियों की डायरी वह भले ही न रखे, परन्तु इस देश का कोई संगठन ऐसा नहीं है जिस पर वह कड़ी नज़र न रखती हो। वर्तमान आवागमन तथा सम्बन्ध की सुविधाओं को देखते हुए यह बात असम्भव नहीं है। राजनीतिक भावना की वृद्धि के कारण भारत-सरकार को थोड़ी बहुत ज़िम्मेवारी गृह सरकार से प्राप्त है। प्रान्तीय स्वतन्त्रता तथा स्वायत्त शासन (Local Self-Government) इसी भावना के परिणाम हैं। केन्द्रीय सरकार में जो ज़िम्मेवारी हिन्दोस्तानियों को दी गई है वह किसी से छिपी नहीं है। पार्लियामेंट ने गवर्नर-जनरल तथा वाइसराय को अपनी ज़िम्मेवारियों के लिये बहुत कुछ स्वतंत्र कर रक्खा है; परन्तु उसके अधिकार इतने अधिक हैं कि उनके रहते हुए भारत-सरकार एक ज़िम्मेवार सरकार नहीं कही जा सकती।

सर तेज बहादुर सप्रू अपने एक लेख में लिखते हैं,* "यह बात भली भाँति स्पष्ट है कि भारत-सरकार एक स्वतंत्र सरकार नहीं है। हम इससे कितना भी इनकार करें; परन्तु सभी क्षेत्रों में हिन्दोस्तान की नीति दिल्ली और शिमला में निर्धारित नहीं होती। इसका निर्माण सफ़ेद भवन (Whitehall)† में किया जाता है।" मांटैग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत-सरकार और गृह-सरकार का सम्बन्ध बदलता रहता है। यह सम्बन्ध भारत-मंत्री तथा गवर्नर-जनरल की योग्यता पर निर्भर है। यदि गवर्नर-जनरल प्रभावशाली तथा योग्य है तो यह स्वाभाविक है कि गृह-सरकार उसके कामों में कम से कम हस्तक्षेप करेगी। लार्ड कैनिंग, लार्ड रीडिंग तथा कुछ अन्य वाइसरायों के कामों में बहुत कम हस्तक्षेप किये गये हैं। परन्तु गवर्नर-जनरल के अयोग्य होने पर गृह-सरकार उसे अपनी मुट्ठी में रखेगी। चूँकि

*Contemporary Review, November, 1923.

† पार्लियामेंट का दूसरा नाम सफ़ेद भवन है।

हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में अपना सब काम वह भारत-मन्त्री द्वारा करती है, इसलिये भारत-मन्त्री की योग्यता का प्रभाव इस देश पर गहरा पड़ता है।

कहा जाता है कि जब तक हिन्दोस्तान में कम्पनी का राज्य था तब तक भारत-सरकार की आज्ञादी बहुत कुछ सुरक्षित थी। उस समय न तो भारत-मन्त्री था और न उसकी कौंसिल। कम्पनी के डाइरेक्टर्स पार्लियामेंट को इस बात के लिये कम अवसर देते थे कि वह भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करे। हिन्दोस्तान के गवर्नर तथा गवर्नर-जनरल के जो आज्ञायें मिलतीं उन्हें वे अपनी जिम्मेवारी से काम में लाते थे। ६००० मील की दूरी पर बैठे हुए कम्पनी के डाइरेक्टर्स हिन्दोस्तान के मामलों से सर्वथा अनभिज्ञ थे। वे इच्छा रखते हुए भी गवर्नर-जनरल के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उन्हें इस देश के रसम-रवाज़ तथा सामाजिक नियम मालूम न थे। उनके दिमाग में हिन्दोस्तान के सामाजिक संगठन का सही नकशा न था। जो कुछ जानकारी वे इस देश के सम्बन्ध में रखते थे, वह सब गवर्नर-जनरल द्वारा उन्हें पहुँचाई जाती थी। ऐसी दशा में वे गवर्नर-जनरल को अपने हाथ का लट्टू नहीं बना सकते थे। किसी श्वास गलती के कारण वे उसे पदच्युत भले ही कर दें, परन्तु उसके कामों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता उन्हें कम महसूस होती थी। १८५८ ई० में जब कम्पनी का राज्य हिन्दोस्तान में समाप्त हो गया और पार्लियामेंट ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली तो भारत-मन्त्री और उसकी कौंसिल का निर्माण किया गया। कौंसिल के सदस्यों के लिये हिन्दोस्तान के मामलों की जानकारी रखना आवश्यक था। यह इसी दृष्टि से किया गया कि जब तक ब्रटेन में कोई संस्था भारत-सरकार के विषय में पूरी जानकारी न रखेगी, तब तक वह उसे अपने अधिकार में नहीं रख सकती। भारत-मन्त्री और इंडिया कौंसिल ने इस कमी को पूरा किया।

आवागमन की सुविधाये, बेतार बरक्री तथा टेलीफोन, अंग्रेजों की भारतीय मामलों में अधिक दिलचस्पी, ब्रिटिश पार्लियामेंट का भुकाव, ब्रिटिश व्यापार की हिन्दोस्तान में वृद्धि, तथा अंग्रेज़ी क्रौम का व्यक्तिगत स्वार्थ— ये बातें ब्रटेन और हिन्दोस्तान के सम्बन्ध को दृढ़ करने में सहायक हुई हैं। एक दूसरे के विचार दोनों को प्रभावित करते हैं। कितने ही भारतीय विद्यार्थी इंग्लैंड में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ लोग शौकिया वहाँ जाकर बस गये हैं। प्रतिवर्ष अनेक राजे महाराजे तथा धनीमानी ब्रटेन की यात्रा के लिये जाते हैं। इसके विपरीत ब्रटेन निवासी रोज़ी या नौकरी की तलाश में हिन्दोस्तान आते हैं। वे यहाँ तरह तरह के व्यापार करते हैं।

उनकी सुविधा तथा रक्षा का ध्यान भारत-सरकार को रखना पड़ता है। ये सम्बन्ध ऐसे हैं जिनका दोनों सरकारों को ध्यान रखना पड़ता है। गृह-सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि भारत सरकार ब्रिटेन के हित में कोई बाधा न डाले। परन्तु इसके साथ ही वह यह भी ध्यान रखती है कि कोई विदेशी सरकार भारत-सरकार के कामों में दखल न दे। विदेशी हमले के समय ब्रिटेन हिन्दोस्तान की रक्षा के लिये सब कुछ कर सकता है। इसमें दोनों का लाभ है, ब्रिटेन का स्वार्थ और हिन्दोस्तान की रक्षा।

जेम्स स्टुअर्ट मिल लिखता है, “गृह-सरकार का मुख्य काम भारतीय शासन को छोटी-छोटी बातों को चलाना नहीं है। वह भारतीय-सरकार के पास किये गये कानूनों की केवल टीका टिप्पणी करती है, शासन के बड़े वसूलों को निर्धारित करती है तथा उसे अपनी नीति के अनुसार चलाने के लिये खास-खास सलाहें देती है। भारत-सरकार आर्थिक और राजनीतिक कार्यवाहियों की सलाह गृह-सरकार से लेती है। गृह-सरकार उन्हें मंजूर या नामंजूर कर सकती है।” कहने के लिये मिल का कथन भले ही ठीक हो, परन्तु गृह-सरकार इतने से ही संतुष्ट नहीं रहती। वह भारत-सरकार का विश्वास वहीं तक करती है, जहाँ तक वह ऐसा करने के लिये विवश है। चूँकि, हिन्दोस्तान ब्रिटेन से काफी दूर है, और यह सम्भव नहीं है कि एक ही मशीन दोनों जगह काम करे, इस लिये गृह-सरकार विवश होकर उस नीति का आश्रय लेती है जो उसके कानों में छोटी-छोटी बातों की खबरें पहुँचाती रहे। किसी असाधारण परिस्थिति की बात तो दूर रही, साधारण परिस्थिति में भी वह अपने कान खड़े किये रहती है। यह लिखना कोई बेजा न होगा कि गृह-सरकार भारत-सरकार की ओर से सदैव शंकित रहती है। गवर्नर-जनरल के अधिकारों तथा भारत-मंत्री से उसके सम्बन्ध का ध्यान में रखते हुए कोई भी अनुमान कर सकता है कि पार्लियामेंट भारत-सरकार की ओर से कितनी शंकित रहती है।

यदि गहराई के साथ देखा जाय तो पता चलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अपने उद्देश्य पर तब तक नहीं पहुँच सकता जब तक गृह-सरकार और भारत-सरकार के सम्बन्ध बदल न जायँ। कुछ लोग समझते हैं कि ग्राम पंचायतों तथा प्रजा-तंत्रवादी संस्थाओं के स्थापित कर देने से हिन्दोस्तान एक आज़ाद मुल्क हो जायेगा। प्रान्तीय स्वराज्य उनके लिये एक बड़ी चीज़ मालूम पड़ती है। गवर्नर तथा कुछ सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को थोड़ा कम करके वे आज़ादी का स्वप्न देखते हैं। मताधिकार की वृद्धि, धारा सभाओं के अधिकार, तथा शासन में हिन्दोस्तानियों का अधिक हाथ—ये

बातें ऐसी मालूम पड़ती हैं मानों उन्हें सभी तरह की आज़ादी हासिल हो गईं। ये बातें हमारे दिमाग को चक्कर खिलाने के लिये बनाई गई हैं। हमारी नज़र जब तक गृह-सरकार और भारत-सरकार के सम्बन्ध पर न जायेगी तब तक भारतीय राजनीति हमारी समझ में नहीं आ सकती। हम अपने मंज़िले मक़सूद पर तभी पहुँच सकते हैं जब इस सम्बन्ध को बदल दें। क्या यह सम्भव है कि गृह-सरकार अपने स्वार्थ और अधिकारों को एक तरह बनाये रखें और साथ ही हमें आज़ादी भी हासिल हो जाय ? हम स्वतंत्रता की ओर तभी क्रदम बढ़ा सकते हैं जब गृह-सरकार और भारत-सरकार का सम्बन्ध मिश्रवत हो जाय। जब तक इनका सम्बन्ध मालिक और नौकर अथवा शेर और बकरी की तरह बना रहेगा तब तक हिन्दोस्तान आज़ादी का स्वप्न नहीं देख सकता।

लार्ड माले ने लार्ड मिन्टो को एक पत्र लिखते समय यह लिखा था कि "शिमला में यह बात प्रचलित है कि गृह-सरकार मूर्ख है।" इस कथन में माले का जो कुछ विचार रहा हो, परन्तु एक बात स्पष्ट है कि इससे गृह सरकार की कमज़ोरी का पता चलता है। वह भारतीय रस्म-रिवाज़ों तथा विचारों की उतनी परवाह नहीं करती जितनी अपने स्वार्थ सिद्धि की। यदि शिमला में भारतीय प्रतिनिधियों की राय गृह सरकार से असंतुष्ट रहती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। शासन की ऊपरी सीढ़ी पर पहुँचने पर यह पता चलता है कि गृह-सरकार का बन्धन कितना सख्त है। केन्द्रीय शासन के अन्दर जिस हद तक वह अपना हाथ रखती है उससे किसी स्वाभिमानी प्रतिनिधि को वेदना उत्पन्न हो सकती है।

हिन्दोस्तान और वुटेन के आर्थिक सम्बन्ध का इतिहास अत्यन्त हृदय विदारक है। आरम्भ से ही ईस्ट-इंडिया कम्पनी भारतीय आर्थिक सम्बन्ध व्यापार पर अपनी धाक जमाना चाहती थी। धीरे-धीरे इस देश के घरेलू कारोबार नष्ट होते गये। आज हम उस दशा को पहुँच गये हैं जबकि हमें भर पेट भोजन तक नहीं मिलता। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया इस देश से वुटेन को भेजा जाता है। यहाँ का कच्चा माल हम बाहर भेजते हैं और उसके बदले में बना बनाया माल बाहर से भेगाते हैं। यह हमारी अवनति की सबसे बड़ी सीमा है। यहाँ पर हमारा तात्पर्य हिन्दोस्तान का आर्थिक इतिहास लिखना नहीं है। हम यह दिखलाना

*The view seems to be profanely current at Simla
 † at the Home Government is always a dammed fool.

चाहते हैं कि बृटेन को हिन्दोस्तान से जो आर्थिक लाभ होते हैं वे इतने अधिक हैं कि गृह-सरकार को उनकी रक्षा का सदैव ध्यान रखना पड़ता है। एक अंग्रेज़ महोदय का कहना है—“हम हिन्दोस्तान को कैसे छोड़ सकते हैं, जब कि हमारा चौथाई भोजन उसी देश से आता है।” इसी से हम अनुमान कर सकते हैं कि आर्थिक मामलों में बृटेन हिन्दोस्तान के ऊपर कितना आश्रित है। इस देश की रकम कई लरियों से होकर बृटेन को पहुँचती है। बड़ी-बड़ी तनखवाहें, पेन्शनों, व्यापारिक मुनाफ़े, होम सरकार का खर्च, क्रज़ों की सूद तथा अन्य तरीकों से प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपया यहाँ से बाहर भेजा जाता है।

गृह-सरकार की ओर से इंगलैंड में भारतीय दफ़्तर (India Office) की स्थापना की गई है। भारत-मन्त्री इस, दफ़्तर का प्रधान है। वास्तव में बृटिश साम्राज्य की रक्षा और उसे एक सूत्र में बाँधने के लिये इस संस्था का जन्म दिया गया है। जितने भी उपनिवेश हैं उनके मन्त्री बृटेन में निवास करते हैं। उन मन्त्रियों का वेतन तथा पूरा खर्च बृटिश सरकार स्वयं बर्दाश्त करती है। कारण यह है कि इनसे उपनिवेशों को कोई ख़ास लाभ नहीं पहुँचता। गृह-सरकार को उपनिवेशों की जानकारी रखने के लिये ये स्थापन बनाये गये हैं। १९१९ ई० तक भारत मन्त्री का वेतन हिन्दोस्तान के ख़ज़ाने से दिया जाता था। इस पर बहुत दिनों तक आक्षेप किया गया और अन्त में उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत-मन्त्री का वेतन भारतीय ख़ज़ाने से नहीं आना चाहिये। भारतीय दफ़्तर के ऊपर हर साल लगभग ३५००००० रुपया खर्च किया जाता है। इतने बड़े खर्च को १८५८ ई० से लेकर १९१९ तक हिन्दोस्तान बर्दाश्त करता रहा। जो मशीन बृटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिये बनाई गई थी और जिससे हिन्दोस्तान को कोई फ़ायदा नहीं था, उसके लिये हर साल इस ग़रीब देश का इतना रुपया खर्च किया जाय, यह अन्याय नहीं तो और क्या है !

१९१९ ई० में पार्लियामेंट ने यह निश्चित किया कि भारत-मन्त्री का वेतन अंग्रेज़ी ख़ज़ाने से दिया जाय। इसके अलावा भारतीय दफ़्तर (India Office) का कुछ खर्च बृटेन के जिम्मे कर दिया गया। आज कल इस दफ़्तर का आधा खर्च इंगलैंड और आधा हिन्दोस्तान के ख़ज़ाने से दिया जाता है। गृह-सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि हिन्दोस्तान से बृटेन के आर्थिक लाभ में बढ़ा न पड़ने पायें। बड़े बड़े सरकारी पदों पर बृटेन निवासी नियुक्त किये जाते हैं। चन्द वर्षों में ही वे पेंशन लेकर अपने देश को चले जाते हैं। जब तक वे हिन्दोस्तान में रहते हैं तब तक मुश्किल से

अपनी आमदनी का छुड़वाँ हिस्सा इस देश में खर्च करते हैं। यदि उनकी लम्बी तनख्वाहें इस देश में खर्च की जाती तो हमें उतनी हानि उठानी न पड़ती। लेकिन वे अधिकतर विदेशी चीज़ें खरीद कर अपने ही देश को लाभ पहुँचाते हैं। जब वे पेशन लेकर अपने देश को वापिस जाते हैं उस समय उनकी आमदनी का एक पाई भी हिन्दोस्तान में खर्च नहीं होती। इससे हमारे देश को दो बड़ी हानियाँ होती हैं। एक तो बड़े सरकारी पदों पर पहुँचने का हमें अवसर नहीं दिया जाता, दूसरे तनख्वाहों की लम्बी रकम उस देश में खर्च की जाती है जहाँ से हमारे देश को थोड़ा भी लाभ नहीं पहुँचता। मुग़ल राज्य में यदि नव्वाबों तथा कर्मचारियों को बड़ी जागीरें और वेतन दिया जाता था तो वे इसे देश से बाहर खर्च नहीं करते थे। यही वजह है कि आर्थिक दृष्टि से हिन्दोस्तान को मुसलमानी राज्य से कोई घाटा नहीं पहुँचा। इसके अतिरिक्त साहित्य और कला में विशेष उन्नति हुई।

शासन सम्बन्धी मामलों में जो धन हिन्दोस्तान को खर्च करना पड़ता है वह आवश्यकता से अधिक है। प्रजा से टैक्स इसलिये नहीं वसूल किया जाता कि उसे जैसे चाहे खर्च किया जाय। यदि १०० रुपये वसूल करने में ७५ रुपया खर्च कर दिया तो शेष २५ रुपये में कोई सरकार अपनी प्रजा को सन्तुष्ट नहीं कर सकती। शासन-कार्य में कम से कम खर्च करना चाहिये। सरकारी वेतनों तथा फ़ौज़ के ऊपर ८० प्रतिशत रुपया खर्च कर देना भारत-सरकार के लिये उचित नहीं कहा जा सकता। भारतीय सेना का खर्च इतना अधिक है कि सरकार की आधी आमदनी इसी पर खर्च कर दी जाती है। यही वजह है कि शिक्षा तथा सुधार सम्बन्धी कामों के लिये उसके पास पैसे की कमी रहती है। जिस समय उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिये पैसों की माँग पेश की जाती है उस समय सरकार यह जवाब देती है कि रुपया नहीं है। कहा जाता है कि गृह-सरकार ने भारत-सरकार को विशेष रूप से इस बात की चेतावनी दे रखी है कि भारतीय उद्योग-धन्धे बनाने न पायें। केन्द्रीय धारा सभा के एक सदस्य ने इस आशय का प्रश्न किया था और इसे सिद्ध करने के प्रमाण भी एकत्र किये थे। यदि सरकारी बजट पर ध्यान दिया जाय तो यह साफ़ दिखलाई पड़ेगा कि प्रजा की भलाई के लिये कम से कम रुपया खर्च किया जाता है। इसके लिये हम भारत-सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। गृह-सरकार ने पहले से ही गृह लम्बे खर्च का विधान बना रखा है। उन मामलों में भारत-सरकार हाथ नहीं डाल सकती। जिन सरकारी पदाधिकारियों को भारत-मंत्री तथा सम्राट् नियुक्त करते हैं उनमें भारतीय केन्द्रीय सरकार का कोई हाथ नहीं है।

भारत-सरकार उन विषयों की रक्षा पर अधिक ध्यान देती है जो ब्रिटिश साम्राज्य की दृढ़ता के लिये आवश्यक हैं। वे विषय भारतीय प्रजा की भलाई से बढ़ कर समझे जाते हैं। यदि भारत-सरकार को इन मामलों में आज्ञा दी होती तो वह ऐसा नहीं करती परन्तु गृह-सरकार भारतीय प्रजा की भलाई से बढ़ कर ब्रिटिश साम्राज्य को समझती है। भारतीय इतिहास में कितने ही उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि भारत-सरकार से गृह-सरकार ने अनुचित लाभ उठाया है। अफ़गानिस्तान की लड़ाई के लिये हिन्दोस्तान से जो रुपया खर्च किया गया था उसमें एक मात्र ब्रिटिश साम्राज्य का हित था। यदि भारत-सरकार गृह-सरकार की मातहत में न होती तो वह अपनी फ़ौज को बिना किसी लाभ के विदेशों में लड़ने को न भेजती। जब कभी हिन्दोस्तान और ब्रटेन की भलाई का प्रश्न उपस्थित होता है तो दूसरे का हित बड़ा समझा जाता है। गृह-सरकार की नीति से हिन्दोस्तान क्रमशः दरिद्र होता गया है। अर्थशास्त्र के किसी विद्वान् ने साबित किया है कि ब्रिटिश राज्य की वृद्धि के साथ खाने की चीज़ें हिन्दोस्तान में महँगी और इंग्लैंड में सस्ती होती गई हैं। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में १ रुपये का ३० सेर घी और २ आने को ब्रैल बिकता था। किसान और मज़दूर सबको अच्छी तरह भोजन और वस्त्र मिलता था; परन्तु ब्रिटिश सरकार के समय में लाखों आदमी इस देश में ऐसे हैं जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता। गृह-सरकार आर्थिक शोषण की नीति न बर्तती तो यह देश इतना दरिद्र क्यों होता? इस मामले में हम केन्द्रीय सरकार से कैसे लड़ सकते हैं। जो आज्ञाएँ उसे सफ़ेद भवन (Whitehall) से मिलती हैं उनका वह पालन करती है।

सरकार का मुख्य कर्तव्य प्रजा की भलाई करना है। हिन्दू ज़माने में यह ज़िक्र अक्सर मिलता है कि राजा रात के समय नैतिक संबन्ध अपनी प्रजा की दशा देखने के लिये भ्रमण करते थे। कभी-कभी वे अपना वेश बदल कर महीनों अपने राज्य में दौड़ा करते थे। इससे उन्हें प्रजा की वास्तविक दशा मालूम होती रहती थी। राजा भोज की कितनी ही कहानियाँ प्रचलित हैं कि वह किस प्रकार अपनी प्रजा की अमीरी और ग़रीबी का पता लगाता था। प्रजा की भलाई का दर्जा इतना ऊँचा रक्खा गया था कि राज्य में कोई व्यक्ति भूखा और नंगा नहीं रह सकता था। जिस राज्य में ऐसा नहीं होता वहाँ का राजा पानी समझा जाता था। मुसलमानी ज़माने में शासक अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखते थे। औरंगज़ेब, जो बहुत ही सख्त बादशाह कहा गया है सरकारी ख़ज़ाने को प्रजा की सम्पत्ति समझता था। वह टोपियाँ बना

कर अपना गुज़र करता था। मुसलमान भी विदेशी शासक थे, लेकिन उनकी जानकारी में हिन्दोस्तान का पैसा अरब और फ़ारस को नहीं जा सकता था। इसके विपरीत दुनिया की रकम इसी मुल्क में आ आकर जमा होती थी।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के ज़माने से भारतीय राजनीति ने अपना पहलू बदल दिया। यहाँ का धन-दौलत मिट्टी की तरह विदेशों को जाने लगी। पहले तो यह धन बतौर लूट के देश से बाहर जाता था, परन्तु जब कम्पनी की स्थिति कुछ दृढ़ हो गई तो इसे क़ानून का रूप दे दिया गया। धन के अलावा इस देश की संस्थायें भी बदल दी गईं। जो प्रजातंत्र-राज्य ग्राम-पञ्चायतों के रूप में अनादि काल से चला आ रहा था उसे तोड़ कर केन्द्रीय शासन की नींव डाली गई। जनता के राजनीतिक अधिकार, जिन्हें किसी भी सरकार ने छीनने का साहस न किया था, धीरे-धीरे कम होते गये। पूर्वोक्त सभ्यता के ऊपर पार्श्वीय रहन-सहन का प्रभाव बढ़ता गया। यदि यह चीज स्वाभाविक ढंग से हुई होती तो हम इसे बुरा नहीं समझते, परन्तु इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि पश्चिम की सभी चीज़ों को तरजीह देकर हमारे देशवासियों को उन्हें अपनाने के लिये उत्साहित किया गया। अपने देशवासियों की सुविधा के लिये ब्रिटिश सरकार ने उस नीति का आश्रय लिया जो इस देश के लिये घातक सिद्ध हुई। अंग्रेज़ों के सम्पर्क से हमारे देश को कुछ लाभ ज़रूर हुए हैं; परन्तु दुनिया के मुक़ाबिले में हमारी हालत इतनी बदतर है कि हम उन चन्द भलाइयों का ख़याल नहीं कर सकते। यदि अंग्रेज़ी भाषा से हमारे देश की राष्ट्रियता में उन्नति हुई है तो अपनी मातृभाषा को खोकर हम उससे चौगुनी हानि उठा रहे हैं। आवागमन की सुविधा ने हमारे देश को एक सूत्र में अवश्य बाँधा है, परन्तु इससे ब्रिटिश राज्य की नींव इतनी दृढ़ हो गई है कि इन चीज़ों ने हमारे देश को लोहे की जंजीर की तरह बाँध रखा है।

ब्रिटिश सरकार ने अपने देश की भलाई के लिये जो कुछ किया है उनकी टीका-टिप्पणी हम नहीं कर सकते। सरकार को यह अधिकार है कि वह जैसे चाहे अपने देश को आगे बढ़ाये। परन्तु दूसरे देशों को दरिद्र और जाहिल बना कर अपने देश की उन्नति करना उचित नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह-सरकार ने हिन्दोस्तान को वह स्थान देने का प्रयत्न किया है जो अन्य स्वतंत्र देशों को प्राप्त है। लेकिन यह बात सच्चाई से कोसों दूर है कि हिन्दोस्तान एक स्वतंत्र देश है। किसी भी मानी में हम दुनिया की बराबरी के हिमायती नहीं हैं। इसकी इच्छा रखते हुए भी हम अपनी परिस्थिति से

मजबूर हैं। यदि गृह-सरकार सचमुच हमें इसका अवसर देना चाहती, तो आज यह देश स्वतंत्र और उन्नतिशील देशों में गिना जाता।

गृह-सरकार की शक्ति और नेकनीयती दोनों में हमें विश्वास है। यदि पार्लियामेंट इस देश को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहे तो गृह-सरकार किसी भी दिन कर सकती है। भारतीय स्वतन्त्रता की क्या करे ! लड़ाई आज ६० वर्षों से चल रही है। इस बीच गृह-सरकार की नीति रुढ़िवाद पर क्रायम रही है। यदि इसी तरह धीरे धीरे मुल्क आज़ादी की ओर बढ़ता गया और अन्त में विवश होकर पार्लियामेंट को इसे छोड़ना पड़ा तो ब्रटेन और हिन्दोस्तान दोनों के सम्बन्ध में कोई विशेषता नहीं रह जायेगी। पिछली नेकियाँ भी भूल जायेंगी। इससे श्रेयस्कर एक दूसरा मार्ग दोनों देशों के सामने मौजूद है। हिन्दोस्तान का दोहरा शासन हटा दिया जाय। १९१६ ई० में ब्रिटिश प्रान्तों में जब दोहरे शासन की नींव डाली गई थी तो लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ समय बाद इसकी असफलता अपने आप जाहिर हुई। १९३५ ई० के संघ-शासन विधान में प्रान्तों से दोहरा शासन हटाकर केन्द्र में स्थापित किया गया है। यद्यपि संघ-शासन अभी पूरी तरह कार्यान्वित नहीं है, परन्तु इसकी टीका-टिप्पणी काफ़ी की गई है। हिन्दोस्तान के राजनीतिक दलों ने एक स्वर से इसका विरोध किया है।

हर देश में एक ही सरकार होती है, परन्तु हिन्दोस्तान ऐसा अभाग है कि यहाँ दो सरकारें हैं। एक तो इसी देश में निवास करती है, परन्तु दूसरी यहाँ से ६००० मील दूर है। जो सरकार यहाँ से दूर है, जिसे इस देश का बहुत कम ज्ञान है और जो इसकी भलाई को गौण समझती है, वही बड़ी सरकार कहलाती है। जो २४ घंटे यहाँ मौजूद रहती है और जिसे इस देश का सबसे अधिक ज्ञान है, वह हर मामले में दबकू बन कर अपना काम करती है। पार्लियामेंट इस देश की भलाई के लिये इस दोहरे शासन को सदैव के लिये तोड़ दे। सरकारी बन्धन के टूट जाने से हिन्दोस्तान और ब्रटेन के सम्बन्ध में कोई कमी नहीं पड़ सकती। दोनों देशों में एक ऐसी गहरी दोस्ती रह सकती है जो संसार के अन्य दो मुल्कों में नहीं हो सकती। यह तभी सम्भव है जब ब्रटेन खुशी खुशी हमारी माँगों को पूरा कर दे। दोनों देशों का सम्बन्ध ज़राबरी के आधार पर किया जाय। भारतीय शासन की मशीन इसी देश में रक्खी जाय। ब्रिटिश पार्लियामेंट, सम्राट्, प्रिवी कौंसिल, हाई कमिश्नर, इंडिया कौंसिल, भारत मंत्री आदि जितने गृह-सरकार के अंग हैं उनका सम्बन्ध भारत-सरकार से तोड़ दिया जाय।

इसके बदले में, यदि आवश्यकता महसूस हो तो हिन्दोस्तान में ही गवर्नर-जनरल से ऊपर कोई कौंसिल बना दी जाय। देश-हित की दृष्टि से यह प्रबन्ध कहीं अच्छा होगा। कोई सरकार जनता के प्रति तब तक जिम्मेवार नहीं हो सकती, जब तक वह उसी देश में निवास न करे।

गृह-सरकार के लिये ये बातें बृटेन के दृष्टि-कोण से काफ़ी हानि-प्रद प्रतीत होगी। लेकिन गहराई से देखा जाय तो इससे बड़ कर कोई दूसरा रास्ता बृटेन के सामने मौजूद नहीं है। हिन्दोस्तान को कभी न कभी आज़ादी ज़रूर मिलेगी। यदि इसे हासिल करने में इस देश को कठिन तपस्या करनी पड़ी तो इसमें बृटेन का कोई एहसान न होगा। ऐसे अवसर पर, जब कि आज़ादी के लिये हम इतने लालायित हैं और गुलामी का धब्बा दुनिया की नज़रों से मिटाना चाहते हैं, बृटेन हमारा सर्व-प्रिय बन सकता है। भारत-सरकार पर इस देश की पूरी जिम्मेवारी दे देना उसके लिये गौरव की बात है। अन्तिम समय तक दोनों देश एक दूसरे की नेकी को नहीं भूल सकते। कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्खिनी अफ्रीका आदि देशों को बृटिश साम्राज्य के अन्तर्गत जो स्थान प्राप्त हैं वे हिन्दोस्तान को दिये जा सकते हैं। संयुक्त-राज्य अमेरिका की तरह पार्लियामेंट इस देश को एक स्वर से आज़ाद कर दे तो वह घाटे में नहीं रह सकती। अमेरिका और बृटेन के सम्बन्ध को देखते हुए किसी को भी इसका ज्ञान हो सकता है।

गृह-सरकार और भारत-सरकार का सम्बन्ध बृटेन और हिन्दोस्तान का सम्बन्ध है। यही वजह है कि इसका वर्णन कुछ विस्तार के साथ करना पड़ा है। इन दोनों देशों के सम्बन्ध में जो साहित्य लिखा जा सकता है वह अभी नहीं के बराबर है। पक्षपात छोड़कर इनके सम्बन्ध में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों मौजूद हैं। दोनों देशों की सरकारें अपने-अपने देश के हित का ध्यान रखती हैं। इनका स्थायी संबन्ध तब तक अच्छा नहीं रह सकता जब तक दोनों बराबरी के दर्जे से आपस में न मिलें। गृह-सरकार एक विदेशी सरकार है। अच्छी से अच्छी विदेशी सरकार हितकर नहीं होती। कुछ समय के लिये इसकी उपयोगिता भले ही हो, परन्तु इसे स्थायी क्रार देना हानिकर होता है। गुलाम देशों के इतिहास इस बात के प्रमाण हैं कि स्वतन्त्र सरकार का मुकाबिला अच्छी से अच्छी विदेशी सरकार नहीं कर सकती।*

—:०:—

* A good foreign government is not an alternative to self-government.

दूसरा खंड

केन्द्रीय सरकार

(CENTRAL GOVERNMENT)

अध्याय ७

गवर्नर-जनरल और वाइसराय

भारत-सरकार के अन्दर सबसे प्रधान व्यक्ति गवर्नर-जनरल और वाइसराय है। १७७४ ई० में वारेन हेस्टिंग्स पहिला गवर्नर-जनरल हुआ। तब से १८५८ ई० तक कुल १७ गवर्नर-जनरल हुए। जब हिन्दोस्तान का शासन-प्रबन्ध कम्पनी से पार्लियामेंट के हाथ में चला गया तो गवर्नर-जनरल वाइसराय कहलाने लगा। १८५८ से १९४६ तक कुल ३३ वाइसराय अब तक हुये हैं। गवर्नर-जनरल और वाइसराय के पद अलग-अलग नहीं है। पार्लियामेंट ने १९३५ तक अपने किसी विधान में वाइसराय शब्द का प्रयोग नहीं किया था। वह गवर्नर-जनरल शब्द का ही प्रयोग करती रही है। सम्राट् का प्रतिनिधि होने के नाते वह वाइसराय कहलाता है, वर्ना कानून में अभी तक वह गवर्नर-जनरल के नाम से घोषित किया जाता है। १९३५ के शासन-विधान में गवर्नर-जनरल और वाइसराय के अलग अलग दो पद बना दिये गये हैं। सम्राट् को यह अधिकार है कि वह दो व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त करे। यह बात कुछ समझ में नहीं आती कि दो प्रधान शासक साथ ही साथ किस प्रकार कार्य करेंगे। अभी एक ही व्यक्ति दोनों पदों पर काम कर रहा है।

१७७३ ई० तक हिन्दोस्तान में केवल गवर्नर होते थे। एक कौंसिल की मदद से ये अपना काम स्वतंत्रता-पूर्वक करते थे। गवर्नर-जनरल प्लासी की लड़ाई के बाद जब कम्पनी की ज़िम्मेवारी बढ़ने लगी तो उसने व्यापार को बढ़ाने की नीयत से संक्षिप्त इतिहास कुछ छोटे-मोटे कानूनों को बनाने तथा नौकरों की देख-रेख करने का काम इन्हें सौंप दिया। कुछ सदस्यों की एक सभा उसकी सहायता के लिये बना दी गई। सभी गवर्नर

अधिकारों में समान समझे जाते थे और बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स से सीधा सम्बन्ध रखते थे। अभी तक कम्पनी को इस बात की ज़रूरत न थी कि गवर्नर के ऊपर वह कोई नया शासक बनाये। मुग़ल राज्य की कमज़ोरियों के कारण उसके मुनाफ़े बढ़ रहे थे। नई नई फैक्ट्रियाँ बढ़ने लगीं और उनकी रक्षा के लिये छोटे-मोटे किले बनाये जाने लगे। इनकी देख-रेख के लिये कम्पनी ने फ़ौज़ का भी इन्तज़ाम किया। कुछ तो योरोप के अन्य व्यापारियों का मुक़ाबिला करने और कुछ अपने राज्य को बढ़ाने के लिये इसकी संख्या बढ़ा दी गई।

अहातों के गवर्नरों की ज़िम्मेवारी काफ़ी बढ़ गई थी। व्यापारिक कामों की देख-भाल के अतिरिक्त उन्हें शासन का भी कार्य देखना पड़ता था। अतएव यह डर था कि ये भिन्न भिन्न स्थानों में अपने तरीक़े पर कोई ऐसा काम न करें जिससे कम्पनी को हानि हो। उसे सारे हिन्दोस्तान में एक वसूल बर्तना था। व्यापार और राज्य के एकीकरण (unity) के लिये एक नये पद की ज़रूरत महसूस हुई। इन गवर्नरों के ऊपर एक ऐसा शासक चाहिये था जो इनमें मेल रखने के अतिरिक्त कम्पनी के डाइरेक्टर्स से सीधा सम्बन्ध रखता। १७७३ ई० में रेग्युलेटिंग ऐक्ट पास करके इस कमी को पूरा किया गया। बंगाल का गवर्नर गवर्नर-जनरल बना दिया गया। उसे और उसकी कौंसिल को यह अधिकार दिया गया कि मद्रास, बम्बई और बंगाल अहातों के गवर्नरों की देख-रेख करे। गवर्नरों को उसकी सलाह के बिना लड़ाई और सुलह करने का अधिकार नहीं रह गया। हिन्दोस्तान में कम्पनी की आमदनी और खर्च की ज़िम्मेवारी उसे दे दी गई। फिर भी अहातों के गवर्नर उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करते रहे। इसीलिये वारेनहेस्टिंग्स को, जो हिन्दोस्तान का पहिला गवर्नर-जनरल था, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

गवर्नर-जनरल के कामों में परिवर्तन की आवश्यकता थी। अभी तक उसके अधिकार अधूरे थे। १७८४ ई० में पिट का इंडिया बिल पास करके यह कमी किसी हद तक दूर की गई। उसकी शक्ति और बढ़ा दी गई। लड़ाई और सुलह करने का एक मात्र अधिकार इसे दे दिया गया। कार्नवालिस और लार्ड वेलेजली के व्यक्तित्व ने इस िद के महत्व को और भी बढ़ा दिया। गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल को कम्पनी के राज्यों का सर्वप्रधान घोषित किया गया। १८३३ ई० के ऐक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर-जनरल सारे हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल घोषित

कर दिया गया। कम्पनी के फ़ौजी और दीवानी अधिकार उसे दे दिये गये। परन्तु सारे हिन्दोस्तान की जिम्मेवारी के साथ उसे बंगाल का शासन-प्रबन्ध भी चलाना पड़ता था। ऐसी दशा में वह देख-रेख का काम अच्छी तरह नहीं कर सकता था।

१८५४ ई० में बंगाल के शासन के लिये एक लेफ़्टनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। इसे गवर्नर-जनरल का भार कुछ हलका हो गया। अब उसे देख-रेख का अधिक अवसर मिलने लगा। उसे चीफ़ कमिश्नरों की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया। इसी के अनुसार मध्य-प्रान्त, ब्रह्मा तथा आसाम आदि प्रान्तों में चीफ़ कमिश्नर नियुक्त किये गये। नये जीते हुए राज्यों का भार सीधे गवर्नर-जनरल के सिर पर आता था। चीफ़ कमिश्नरों की भर्ती के बाद भी वह उसके लिये जिम्मेवार था। चूँकी कम्पनी का राज्य काफ़ी बढ़ रहा था इसलिये उसकी जिम्मेवारी इस मामले में कम नहीं की जा सकती थी। लार्ड डलहौज़ी इन दिनों हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल था। उसकी नीति ने कम्पनी के राज्य को इतना बढ़ाया कि छोटे छोटे कितने ही राज्य अपनी स्वतंत्रता सदैव के लिये खो बैठे। इसी का परिणाम था कि १८५७ ई० में एक महान् क्रान्ति हुई। पार्लियामेंट ने भारतीय शासन का भार अपने हाथों में ले लिया। महारानी विक्टोरिया ने लार्ड कैनिंग को, जो उस समय हिन्दोस्तान के गवर्नर-जनरल थे, वाइसराय घोषित किया।

गवर्नर-जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश-सम्राट् इंग्लैंड के प्रधान मंत्री की सलाह से करता है। यह व्यक्ति ब्रटेन के प्रसिद्ध गवर्नर-जनरल राजनीतिज्ञों में होता है। व्यक्ति की योग्यता ही इस की नियुक्ति, स्थान के लिये काफ़ी नहीं है। इसके लिये किसी ऊँचे इसका काल ख़ानदान का होना आवश्यक है। अभी तक जितने और वेतन गवर्नर-जनरल और वाइसराय हुए हैं वे सब लार्ड ख़ानदान के हैं। यद्यपि इस पद के लिये किसी निश्चित उपाधि की आवश्यकता नहीं है; परन्तु प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा योग्य शासक ही इस पर नियुक्त किये जाते हैं। आमतौर से ये इंग्लैंड के चुने हुए चन्द कुटुम्बों से भर्ती किये जाते हैं। नियुक्ति के पहिले यह आवश्यक है कि वह कहीं शासन का कार्य कर चुका हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में विशेषज्ञ हो। अधिकतर वाइसराय तथा गवर्नर-जनरल कैबिनेट के मंत्री रहे हैं। लार्ड कर्ज़न, लार्ड चेम्सफोर्ड, लार्ड रीडिंग तथा लार्ड हर्विन ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री

थे। गवर्नर जनरल का स्थान किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखता। यद्यपि यह व्यक्ति बृटेन के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से होता है, परन्तु इस पद पर उसे निष्पक्ष भाव से काम करना पड़ता है। बृटेन की सरकार और भारत-मंत्री बदल जाते हैं, परन्तु वह अपनी अवधि तक कार्य करता है। ऐसा भी देखा गया है कि दलबन्दी के कारण उसमें और भारत-मंत्री में मतभेद हो जाय। ऐसी हालत में उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। यह प्रथा राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त सराहनीय है। हिन्दोस्तान के लिये यह सौभाग्य का विषय है कि यहाँ के प्रश्न बृटिश दल बन्दीयों से अलग समझे जाते हैं। परन्तु कार्य रूप में ऐसा कम होता है।

गवर्नर-जनरल ५ वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते हैं। पहले इन्हें इस अवधि के अन्दर छुट्टी लेकर हिन्दोस्तान से बाहर जाने की आज्ञा न थी। यदि किसी कारण विशेष से ये बाहर जाना चाहते, तो इन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ता था। १६२४ ई० में इस नियम में परिवर्तन किया गया। उस समय से उन्हें छुट्टी देने का विधान बनाया गया। भारत-मंत्री को यह अधिकार दिया गया कि अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें अधिक से अधिक ४ महीने की छुट्टी दे सकता है। यह केवल एक बार और एक ही साथ ली जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर पार्लियामेंट उसके समय को बढ़ा सकती है। पिछले गवर्नर-जनरल की अवधि ५ वर्ष से बढ़ा कर ७ वर्ष कर दी गई थी। लार्ड डलहौजी ८ वर्ष तक हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल था। लार्ड कार्नवालिस ने ७ वर्ष तक इस पद पर कार्य किया। आरम्भ से अब तक जितने गवर्नर-जनरल और वाइसराय हुए हैं इनमें लार्ड डलहौजी का समय सबसे बड़ा है। सर एल्फ्रेड ब्लार्क, जान स्टेची और लार्ड नेपियर सबसे कम दिन तक इस पद पर काम कर सके। प्रत्येक का समय एक साल के अन्दर ही समाप्त हो गया।

गवर्नर-जनरल संसार में सबसे अधिक वेतन पाने वाला व्यक्ति है। जितनी तनखाह इसे दी जाती है उतनी अमेरिका का प्रेसीडेंट भी नहीं पाता। गवर्नर-जनरल को २,५०,८०० रुपया सालाना वेतन दिया जाता है, जो २,५६,००० रु० सालाना तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे एक लम्बा भत्ता दिया जाता है। उसका अधिकतर समय एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में आने जाने में व्यतीत होता है। ये सब खर्चें भारतीय सरकारी खजाने से दिये जाते हैं। वेतन और भत्ता सब जोड़ने

पर उसे हर साल लगभग १८ लाख रुपया मिलता है। इतनी लम्बी रकम इंग्लैंड का प्रधान मंत्री भी नहीं पाता। हिन्दोस्तान संसार के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। ऐसी दशा में यहाँ के प्रधान शासक को इतनी लम्बी तनख्वाह देना उचित नहीं है।

गवर्नर-जनरल के अधिकार के विषय में हमें एक बात का ध्यान रखना होगा। १६३५ ई० तक इसके अधिकार कुछ गवर्नर-जनरल कम थे परन्तु नये शासन-विधान में काफ़ी वृद्धि कर दी के अधिकार गई है। इसलिये पहिले हम उसके अधिकारों का वर्णन नये शासन-विधान का ध्यान छोड़ कर करेंगे। ये अधिकार अब भी उसे प्राप्त हैं। १६३५ में जो अधिकार बढ़ा दिये गये हैं उनका वर्णन इसी अध्याय के अन्त में किया गया है।

गवर्नर-जनरल की जिम्मेवारी के विषय में यह कहा जाता है कि इतने बड़े स्तरे का दर्जा ब्रिटिश साम्राज्य में कोई दूसरा नहीं है।*

रैम्जमेकडानेल्ड लिखते हैं—“ यह हिन्दोस्तान में एक सम्राट् से कम नहीं है ; शासन की जिम्मेवारी इसी को दी गई है ; यही सब कुछ है।†

जिस समय वह हिन्दोस्तान में पदार्पण करता है अथवा यहाँ से विदा होता है उस समय बड़ी शान शौकत के साथ उसका स्वागत और अलविदा होता है। हाईकोर्ट तक उस पर मुक़दमा नहीं चला सकती। वह हिन्दोस्तान में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अमेरिका का प्रेसीडेन्ट लावेल लिखता है, “ रूस का ज़ार और हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल दोनों वर्तमान युग के बहुत बड़े स्वच्छन्द शासकों (autocrats) में से हैं ” ‡ यही वजह है कि बुटेन के अच्छे से अच्छे लोग इस पद के लिये लालायित रहते हैं।

* He occupies the most responsible as it is the most picturesque and distinguished office in the overseas service of the British Crown.

† He is the crown visible in India, the ceremonial head of the sovereignty, the great lord.

‡ The Governor-General or Viceroy of India, and The Czar of Russia are said to be the two great autocrats of the modern world.

गवर्नर-जनरल के अधिकारों को दो श्रेणियों में बाँटा गया है। पहिली श्रेणी में वे अधिकार हैं जिन्हें वह स्वयं कार्यान्वित करता है। दूसरी श्रेणी के अधिकारों को वह अपनी कौंसिल के साथ प्रयोग में लाता है। पहिले हम उन अधिकारों का वर्णन करेंगे जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लाता है।

१६३५ के शासन-विधान में गवर्नर-जनरल के निजी अधिकार इतने अधिक हैं कि इसकी शक्ति पहिले से दूनी हो गई है। गवर्नर-जनरल आवश्यकता पड़ने पर शान्ति और भारतीय हित की के निजी दृष्टि से वह अपनी इच्छानुसार फ़रमान (Ordinance) अधिकार जारी कर सकता है। इसका प्रभाव अधिक से अधिक ६ महीने तक होगा। इसे जारी करने के पहिले वह भारत-मंत्री से इसकी सलाह लेता है। ६ महीने बाद वह इसी फ़रमान को फिर ६ महीने के लिये जारी कर सकता है। १६२४ ई० में लार्ड रीडिंग ने बंगाल में फ़रमान जारी किया था। असहयोग आन्दोलनों के समय कितनी ही बार ये फ़रमान जारी किये गये हैं। आज भी लड़ाई के ज़माने में दर्जनों फ़रमान जारी किये गये हैं। गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह अपनी कौंसिल के बहुमत को रद्द कर सके। उसके हाथ में तीन शब्दों के हथियार (Safety, Tranquillity and interests of British India) ऐसे दिये गये हैं कि वह सब कुछ कर सकता है। १८७६ ई० में लार्ड लिटन ने अपनी कौंसिल के बहुमत को टुकरा दिया था।

१७८६ ई० से गवर्नर-जनरल को निजी अधिकारों से सुसज्जित करने का ताँता आरम्भ हुआ। तब से यह बराबर जारी है। जब वह दौरे पर रहता है और उसकी कौंसिल उसके साथ नहीं रहती, उस समय वह अपनी निजी शक्ति का प्रयोग करता है। इस दशा में वह उन सारे कामों को करने का अधिकारी है जिन्हें वह अपनी कौंसिल के साथ करता है। प्रान्तीय गवर्नरों तथा सरकारी कर्मचारियों को वह कोई भी हुक्म दे सकता है। इस प्रकार के हुक्मों की एक प्रति उसे भारत मन्त्री को भेजनी पड़ती है। वाह्य और राजनीतिक विभाग (Foreign and Political Departments) उसी के हाथों में दिये गये हैं। हिन्दोस्तान से बाहर सरकारी पत्र व्यवहार उसी के अधिकार से होते हैं। चेङ्गी का कदना है कि “यह विभाग सबसे महत्वपूर्ण और कठिन है।” भारतीय रियासतों में उसे दखल देने का पूरा अधिकार है।

लार्ड कर्ज़न लिखता है : 'संसार में भारत सरकार के राजनीतिक विभाग से बड़ कर कोई दूसरा जिम्मेवार महकमा नहीं है ।'*

इन दोनों विभागों को चलाने के लिये गवर्नर-जनरल दो सहायक मंत्रियों से काम लेता है। इनके अतिरिक्त सात और मंत्री इसमें काम करते हैं। इस विभाग का विस्तृत वर्णन गवर्नर-जनरल की कौंसिल के साथ किया जायेगा।

गवर्नर-जनरल को बड़ा से बड़ा आराध क्षमा करने का अधिकार है। यदि किसी को फाँसी की सज़ा दी गई है तो वह अपने निजी अधिकार से उसे मुक्त कर सकता है। बंगाल, मद्रास और बम्बई अहातों के गवर्नरों को छोड़ कर बाक़ी सूबों के गवर्नर सम्राट् द्वारा गवर्नर-जनरल की सलाह से नियुक्त किये जाते हैं। उसे अधिकार है कि किसी सूबे के एक हिस्से पर शासन करने के लिये डिप्टी-गवर्नर नियुक्त कर सके। सम्राट् की सलाह से लेफ़्टिनेंट गवर्नर और उनकी कौंसिल के सदस्यों को वह भर्ती करता है। अपनी कौंसिल की सहायता के लिये लेजिस्लेटिव असेम्बली से कौंसल सेक्रेटरी नियुक्त करने का अधिकार उसे प्राप्त है। नई-नई पदवियाँ— महाराजा, नवाब, राजा, महामहोपाध्याय, अगमपण्डिता, दीवान बहादुर, सरदार बहादुर, राय साहेब, ख़ाँ साहेब, शमशुल उल्मा—प्रदान करने का उसे अधिकार है। वह इन्हें ख़ान्दानी अधिकार के रूप में किसी को प्रदान कर सकता है।

कहने के लिये वह सारा काम अपनी कौंसिल की सहायता से करता है, परन्तु वह जब चाहे इसकी अवहेलना कर सकता है। केन्द्रीय धारा सभा की अवधि वह बढ़ा सकता है। उसे जब चाहे बर्खास्त भी कर सकता है। धारा-सभा द्वारा पास किये गये क़ानूनों को वह रद्द कर सकता है। यदि कोई क़ानून-धारा सभा द्वारा पास करने से इनकार कर दिया जाता है तो वह अपने निजी अधिकारों से उसे पास कर सकता है। केन्द्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा वह अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकता है। धारा सभा किसी मद में रुपया खर्च करने से इनकार कर दे तो गवर्नर-जनरल अपनी ताक़त से उस मद में खर्च

* There is no more varied or responsible service in the world than the Political Department of the Government of India.

कर सकता है। केन्द्रीय धारा-सभा में कुछ बिल तब तक पेश नहीं किये जा सकते, जब तक गवर्नर-जनरल की आज्ञा प्राप्त न कर ली जाय। प्रान्तों के गवर्नर उसकी मर्जी के बिना अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।

भारतीय रियासतों में हाथ डालने का अधिकार गवर्नर-जनरल और वाइसरॉय को दिया गया है। इन कामों के लिये वह भारत-मंत्री से सलाह लेता है। प्रति सप्ताह उसके तथा भारत मंत्री के बीच में हिन्दोस्तान की छोटी-छोटी घटनायें लिखी जाती हैं। भारत-मंत्री एक गुप्त पत्र द्वारा हर सप्ताह उसे नई नई बातों की सूचना देता रहता है। इन्हीं पत्रों द्वारा गवर्नर-जनरल को अपनी नीति निर्धारित करनी पड़ती है। कहने के लिये वह भारत-मंत्री की मातहत में कार्य करता है, परन्तु ६००० मील की दूरी से किस मात्रा में भारत-मंत्री उस पर अपना अधिकार रख सकता है, यह हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो सुविधायें और अधिकार उसे प्राप्त हैं वे किसी को शायद ही नसीब होते हों। यह कथन सर्वथा ठीक है कि अमेरिका का प्रेसीडेन्ट केवल शासन करता है, राज्य नहीं; इसके विपरीत इंग्लैंड का सम्राट् केवल राज्य करता है शासन नहीं; परन्तु फ्रांस का प्रेसीडेन्ट राज्य और शासन कुछ भी नहीं करता।* हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल शासन और राज्य दोनों करता है।

१९३५ के संघ शासन-विधान में गवर्नर-जनरल के अधिकार और बढ़ा दिये गये हैं। इस शासन-विधान में उसकी शक्ति की १९३५ के शासन-कोई सीमा नहीं रक्खी गई है। निजी अधिकारों के विधान में गवर्नर-अतिरिक्त उसे बहुत से विशेष अधिकार दिये गये हैं। जनरल के अधि-उसकी शक्ति का विश्लेषण करने पर उसके अधिकार कार ७ कोटि में रक्खे जा सकते हैं।

१—वे अधिकार जो संरक्षित विभागों (Reserved Departments) में काम में लाये जायेंगे।

* The constitutional monarch of the United Kingdom reigns but does not rule, the President of the United States of America rules, but does not reign; the President of the French Republic neither reigns nor rules; The Governor-General of India both reigns as well as rules.

- २—वे अधिकार जिन्हें वह मनमाना प्रयोग में ला सकता है ।
- ३—वे अधिकार जो उसके निजी फ़ैसले पर काम में लाये जा सकते हैं ।
- ४—वे अधिकार जिन्हें मंत्रियों की सलाह द्वारा वह काम में लायेगा ।
- ५—प्रान्तीय शासन में उसके विशेषाधिकार ।

६—रक्षा, वाह्य विभाग, तथा पिछड़े हुए भागों (Excluded Areas) में उसके अधिकार ।

७—वे अधिकार जिन्हें वह वाइसराय की हैसियत से देशी रियासतों में प्रयोग में लायेगा ।

इससे स्पष्ट है कि वह उन तमाम अधिकारों से सुसज्जित किया गया है जिनके सामने सरकारी क़ानून तुच्छ जान पड़ते हैं । केन्द्रीय सरकार की आमदनी का ८० प्रतिशत खर्च उसके हाथों में रहेगा । बाकी २० प्रतिशत में भी वह अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकता है । संघ-शासन-विधान की १२६ धारा के अनुसार प्रान्तीय धारा सभाओं पर उसका पूरा अधिकार होगा । नये शासन-विधान में उसके अधिकार दो प्रकार के होंगे । एक को वह अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायेगा और दूसरे प्रकार के अधिकार वे होंगे जिन्हें वह मंत्रियों की सलाह से प्रयोग करेगा । वाह्य सम्बन्ध, रक्षा, धार्मिक विषय तथा पिछड़े हुए विभागों में उसके अधिकार स्वतन्त्र रूप से बर्ते जायेंगे । मंत्रियों को उनमें दखल देने का कोई अधिकार न होगा । इस शासन-विधान में वह अपने कुछ अधिकारों का प्रयोग गवर्नर-जनरल की हैसियत से करेगा और कुछ का प्रयोग वाइसराय की हैसियत से । १९१६ के शासन-विधान के अनुसार ब्रिटिश प्रान्तों में दोहरा शासन स्थापित किया गया था । इसके अन्तर्गत गवर्नर की शक्ति इतनी अधिक थी कि प्रान्तों का शासन बहुत ही दोष-पूर्ण साबित हुआ । १९३५ के शासन-विधान में प्रान्तों का दोहरा शासन तोड़कर केन्द्रीय शासन में लागू कर दिया गया है । इससे गवर्नर-जनरल की शक्ति दूनी बड़ा दी गई है । अपने कौंसिल के सदस्यों को भर्ती करने का उसे पूर्ण अधिकार है । उनकी जिम्मेवारी धारा सभ के प्रति न होकर उसके प्रति होगी । कौंसिल सम्बन्धी बातों का विशेष वर्णन अगले अध्याय में किया गया है ।

गवर्नर-जनरल के विशेषाधिकारों के सामने और अधिकार फीके पड़ जाते हैं । ये विशेषाधिकार ८ प्रकार के हैं :—

१—यदि हिन्दोस्तान के किसी हिस्से में अमन चैन में कमी पड़ जाय तो वह अपने विशेषाधिकारों द्वारा उसे शान्त कर सकता है ।

२—यदि संघ सरकार की आर्थिक शक्ति ड़ाँवाडोल हो जाय तो वह अपने विशेषाधिकारों द्वारा उसे ठीक कर सकता है ।

३—अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिये वह अपने विशेष अधिकारों को काम में ला सकता है ।

४—सरकारी नौकरों तथा अफ़सरों के अधिकारों की रक्षा के लिये विधान बनाने का उसे विशेष अधिकार दिया गया है ।

५—अँग्रेज़ी व्यापार की रक्षा के लिये वह अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकता है ।

६—यदि ब्रूटेन की बनी हुई चीज़ों पर हिन्दोस्तान में कोई प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, तो उनकी रक्षा के लिये वह अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करेगा ।

७—देशी रियासतों तथा राजाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये वह अपने विशेष अधिकारों को काम में ला सकता है ।

८—यदि किसी प्रकार से शासन में कोई बाधा उत्पन्न हो जाय तो उसे दूर करने का उसे विशेष अधिकार दिया गया है ।

इन विशेष अधिकारों से ज़ाहिर है कि गवर्नर-जनरल संघ शासन में एकतंत्र राज्य करेगा । इन अधिकारों के शब्द इतने गोलमाल हैं कि हम इन्हें रपष्ट नहीं कर सकते । गवर्नर-जनरल जब और जहाँ चाहेगा दखल दे सकेगा । अशान्ति, आर्थिक ड़ाँवाडोल, कुप्रबन्ध, शान्ति इत्यादि ऐसे गोल शब्द हैं कि इनका अर्थ मनमाना लगाया जा सकता है । इनके लिये कोई कोष अथवा लोगद नहीं है । गवर्नर-जनरल इनका जो अर्थ चाहेगा निकाल लेगा । यह बात विचारणीय है कि संघ-शासन-विधान में गवर्नर-जनरल को इतने अधिकार क्यों दिये गये हैं । इस शासन-विधान में थोड़े बहुत अधिकार हिन्दोस्तानियों को भी प्राप्त हैं । वे इन अधिकारों का प्रयोग किसी सीमा के अन्दर करते रहें । इसीलिये विशेषाधिकारों की रचना की गई है । कीथ का कहना सर्वथा ठीक है कि, “गवर्नर-जनरल के विशेष अधिकार मंत्रियों की ज़िम्मेवारी को कुचल सकते हैं ।”

फ़ौज पर एकमात्र अधिकार गवर्नर-जनरल का रहेगा । हिन्दोस्तान की आमदनी का ५७ फ़ी सदी केवल फ़ौज पर खर्च किया जाता है । १९३८ ई० में भारत-सरकार की कुल आमदनी ७७ करोड़ रुपये थी । इसमें ४१ करोड़ रुया फ़ौज पर खर्च किया गया था । यह फ़ौज गवर्नर-

जनरल के हाथों में रहेगी। वह अपनी इच्छानुसार इसे हिन्दोस्तान से बाहर भेज सकेगा। यद्यपि इसके लिये उसे मन्त्रियों से सलाह लेनी होगी, परन्तु वह अपने विशेष अधिकारों द्वारा इसका मनमाना उपयोग करेगा। अपने विशेषाधिकारों में वह मन्त्रियों से सलाह ले सकता है, परन्तु इससे वह बाध्य नहीं है। उसके तथा गवर्नर के विशेष अधिकार पूरी तरह प्रयोग में लाये जायँ, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। १९३५ के ऐक्ट की १५ वीं धारा के अनुसार गवर्नर-जनरल अपनी इच्छानुसार एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उसे आर्थिक विषयों में सलाह देगा। उसका समय और वेतन वही निश्चित करेगा। यह व्यक्ति अपने कार्यों के लिये उसी के प्रति जिम्मेवार होगा। संघ न्यायालय के जजों में से वह किसी को भी ऐडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। उसका वेतन निश्चित करने का अधिकार उसी को दिया गया है। उसका कार्य संघ सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना होगा, लेकिन वह सभी प्रकार से गवर्नर-जनरल के अधिकार में होगा। ऐडवोकेट-जनरल दोनों धारा सभाओं में बैठने तथा बोलने का अधिकारी होगा, परन्तु वोट नहीं दे सकता।

डिप्टी गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों, कौंसिल आफ स्टेट के सभापति तथा अपनी कौंसिल का उपसभापति—इन्हें नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर-जनरल को दिया गया है। धारा-सभा के सदस्यों के चुनाव की आज्ञा वही देगा। बैठक तथा विदाई उसी की आज्ञा से होगी। वह अपनी कौंसिल के बहुमत को ठुकरा सकेगा तथा बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर सकेगा। सरकारी आय-व्यय के सम्बन्ध में उसकी आज्ञा के बिना कोई सभा विचार नहीं कर सकती। धारा-सभा के विरोध करने पर भी वह जनता के ऊपर टैक्स लगा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह सरकारी आमदनी को जैसे चाहे खर्च कर सकता है। खर्च के सम्बन्ध में धारा सभा के सदस्यों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय तो उसका फैसला सब को मानना होगा। श्रीमान् डेविड ग्रेनफ़ाल लिखते हैं, “संघ सरकार की आर्थिक स्थिति की रक्षा के लिये गवर्नर-जनरल सर्व-प्रधान है।”* यह निश्चित नहीं है कि गवर्नर-जनरल आर्थिक विषयों में

*In safeguarding the financial stability of the Federal Government the Governor-General is the supreme authority.

एक विशेषज्ञ होगा। ऐसी दशा में ८० प्रतिशत खर्च की जिम्मेवारी उसके हाथ में दे देना उचित नहीं है।

यदि गवर्नर-जनरल कोई क़ानून पास कराना चाहे तो वह इस आशय का बिल एक पत्र के साथ धारा-सभा में भेज देगा। यह बिल एक महीने बाद क़ानून का रूप धारण कर लेगा। यह क़ानून 'गवर्नर-जनरल के क़ानून' के नाम से पुकारा जायेगा। ऐसे क़ानून की सूचना वह तुरन्त भारत मन्त्री को देगा, जो उसे पार्लियामेंट के सामने रखेगा। यदि पार्लियामेंट चाहे तो उस क़ानून को रद्द कर सकती है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा-सभाओं द्वारा पास किये गये क़ानून तब तक पक्के न समझे जायेंगे, जब तक गवर्नर-जनरल उस पर अपना हस्ताक्षर न कर देगा। ऐसे बिलों को गवर्नर-जनरल ६ महीने तक अपने पास रोक सकता है। किसी भी बिल को, जो धारा-सभाओं में पेश है और जिस पर वादविवाद हो रहा है, वह अपने अधिकार से रोक सकता है।

भारतीय रियासतों में गवर्नर-जनरल वाइसराय की हैसियत से हस्तक्षेप करता है। हिन्दोस्तान की २३ प्रतिशत जनता देशी रियासतों में निवास करती है। प्रत्येक रियासत के साथ ब्रिटिश सरकार ने सम्राट् के नाम पर एक मुलहनामा किया है। राजाओं के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेवारी उसी के ऊपर है। वाइसराय को उसके प्रतिनिधि की हैसियत से यह अधिकार है कि वह रियासतों में जब चाहे दखल दे। यदि कोई राजा सम्राट् की शर्तों के विरुद्ध काम करता है तो वाइसराय उसे दण्ड दे सकता है। किसी रियासत की प्रजा राजा के विरुद्ध आवाज़ उठाये तो वह राजा को निकाल बाहर कर सकता है। कहा जाता है कि देशी रियासतों के साथ सम्राट् की जो शर्तें वाइसराय काम में लायेगा उसके ग़मानान्तर इतिहास में कोई दूसरा अधिकार नहीं है।

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि गवर्नर-जनरल के अधिकार अनन्त और असीमित हैं। उनके सामने प्रान्तीय-स्वराज्य एक धोखे की टट्टी है। यह प्रान्तीय कॉंग्रेस मन्त्रि मण्डलों के इस्तीफ़े के समय ज़ाहिर हो गया था। गवर्नर-जनरल को यहाँ तक अधिकार दिया गया है कि वह शासन की मशीन के फेल होने पर एक घोषणा द्वारा संघ सरकार की सारी शक्ति अपने हाथों में ले ले। ३ वर्ष तक बिना किसी कौंसिल तथा धारा सभा के वह अकेले शासन कर सकता है। उस बीच में जिन जिन क़ानूनों की इरूरत पड़ेगी उन्हें वह स्वयं बनायेगा। जे० एच० मार्बन लिखता है "इस

बीच में गवर्नर-जनरल का अधिकार हिन्दोस्तान के ऊपर किसी तानाशाह से कम न होगा ।*#

अध्याय ८

केन्द्रीय कार्यकारिणी

(Central Executive)

पिछले पाठ में गवर्नर-जनरल और वाइसराय की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। यह सम्भव नहीं है कि वह इतनी बड़ी कार्यकारिणी जिम्मेवारी को अकेले निवाहे। इसके लिये आवश्यक है कि उसे कुछ ऐसे सहायक दिये जायँ जो सरकारी कामों की आवश्यकता को आपस में बाँट कर करें। वह केवल उनकी देख-रेख रखे। उसे आरम्भ से ही एक छोटी सी कौंसिल सहायता के लिये दी गई है। इसी को केन्द्रीय कार्यकारिणी कहते हैं। वास्तव में यही सभा गवर्नर-जनरल की सलाह से भारतीय शासन को चलाती है। परन्तु इसमें तथा ब्रिटेन की कैबिनेट में अन्तर है। यद्यपि कार्य की दृष्टि से दोनों का स्थान एक है, परन्तु इनके अधिकारों की कोई तुलना नहीं हो सकती। कैबिनेट के सदस्य सरकारी नौकर नहीं होते। वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में से होते हैं। वे वकील, डाक्टर, व्यापारी, मजदूर, किसान तथा इसी प्रकार के अनेक पेशे वाले होते हैं। न केवल पार्लियामेंट, बल्कि समूचे राष्ट्र के वे नेता होते हैं। इसके विपरीत गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में अधिकतर संख्या सरकारी नौकरों की होती है। कुछ सरकारी नौकर जब पेंशन के करीब होते हैं तो उन्हें इस सभा में स्थान दे दिया जाता है। बड़ा से बड़ा सरकारी अफसर इस पद के लिये लालायित रहता है। इन्हें अभिलाषा रहती है कि सरकार के किसी खास मदकर्मों को हाथ में लेकर अपने यश का प्रदर्शन करें। भारतीय जनता के लिये उनके कार्य उतने लाभदायक नहीं होते जितने सरकारी मशीन को चलाने के लिये। ब्रिटिश कैबिनेट की शक्ति इतनी अधिक है कि इसके सदस्य आज ब्रिटिश-साम्राज्य को चला रहे हैं। गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी उसके हाथ की एक कठपुतली है। भारतीय

*During this period the whole of India be subject to the dictatorial power of the Governor-General.

राजनीति में गवर्नर-जनरल का स्थान वह नहीं है जो ब्रिटिश राज-नीति में प्रधानमन्त्री का है। गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों को वह स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त नहीं है जो कैबिनेट के सदस्यों को है। इसीलिये केन्द्रीय कार्यकारिणी और ब्रिटिश कैबिनेट का मुकाबला नहीं किया जा सकता।

वैसे तो केन्द्रीय कार्यकारिणी के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला जायगा, परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वर्तमान **शासन और कज** परिस्थिति में भारतीय शासन बड़ी ही डावाँडोल परिस्थिति में है। किसी भी क्षेत्र में हम आँख मूँद कर प्रवेश नहीं कर सकते। शासन की मशीन के कुछ पुर्जे १९१९ ई० के और कुछ १९३५ के ढले हुये हैं। मौजूदा केन्द्रीय कार्यकारिणी का डौंचा अभी १९१९ ई० के शासन-विधान के अनुसार काम कर रहा है। संघ-शासन के कार्यान्वित होने पर इसकी शकल काफी बदल जायेगी। हमारा शासन-विधान इतना अनिश्चित है कि हम नित्य इसके परिवर्तन का स्वप्न देखते हैं। इसका दारोमदार अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर है। कार्यकारिणी के वर्णन में पहले इसकी वर्तमान कार्यपद्धति, तथा अधिकारों का वर्णन किया जायगा। इसके बाद इसकी उस शकल का वर्णन किया जायगा जो १९३५ के संघ शासन-विधान के अनुसार होगी। इसके बाद नई कार्यकारिणी का बयान किया जायगा।

१९१६ ई० में लार्ड हार्डिंज के चले जाने के बाद लार्ड चेम्सफोर्ड हिन्दोस्तान के वाइसराय नियुक्त किये गये। जर्मनी की वर्तमान केन्द्रीय लड़ाई ज़ोरों पर चल रही थी। हिन्दोस्तान ने ब्रिटिश कार्यकारिणी सरकार की काफी मदद की थी। इसी के फलस्वरूप मान्टेग्यू, जो उन दिनों भारत-मंत्री थे, १९१७ ई० में हिन्दोस्तान आये। यहाँ के वाइसराय चेम्सफोर्ड के साथ उन्होंने सारे हिन्दोस्तान का भ्रमण किया और इस बात की जाँच की कि हिन्दोस्तानियों को कहाँ तक शासन में अधिकार दिया जा सकता है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर १९१९ ई० में भारतीय शासन विधान में कुछ परिवर्तन किये गये। यह तै किया गया कि गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित न की जाय। हाईकोर्ट के उन वकीलों के लिये जो कप से कम १० वर्ष तक वकालत कर चुके हों, बौंसिल का दरवाज़ा खोल दिया गया। पहले प्रान्तीय गवर्नरों को यह अधिकार था कि जब कभी बौंसिल की बैठक उनके

सूत्रों में होती तो वे असाधारण सदस्य की हैसियत से उसकी बैठक में हिस्सा लेते थे। १९१६ के कानून के अनुसार उनका यह अधिकार छीन लिया गया। सम्राट् को यह अधिकार दिया गया कि वह जितने सदस्यों को उचित समझे नियुक्त करे। इनमें ३ सदस्य ऐसे होने चाहिये जो कम से कम १० वर्ष तक हिन्दोस्तान में कोई सरकारी नौकरी किये हों। १ सदस्य या तो इंग्लैंड या आयरलैंड में १० वर्ष तक बैरिस्टरी, या स्काटलैंड अथवा किसी हिन्दोस्तानी हाईकोर्ट में १० वर्ष तक वकालत किया हो। यदि कमान्डर-इन-चीफ़ कौंसिल का सदस्य हो तो उसका दरजा अन्य सदस्यों से ऊँचा समझा जाय।

सदस्यों में साधारण और असाधारण का भेद हटा दिया गया। वाइसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह धारा-सभा के ग़ैर सरकारी सदस्यों में से कुछ कौंसिल-सेक्रेटरीज़ अपनी कार्यकारिणी सभा के लिये चुन ले। इन सेक्रेटरीज़ की तनख़्वाह धारा-सभा निश्चित करती। जब तक वाइसराय चाहे इन्हें सदस्य रख सकता था। मालूम नहीं क्यों अभी तक कोई कौंसिल-सेक्रेटरी नियुक्त नहीं किया गया। कार्यकारिणी सभा में हिन्दोस्तानी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का विधान बनाया गया। १९२१ ई० से हिन्दोस्तानी सदस्यों की संख्या एक से बढ़ाकर ३ कर दी गई। कौंसिल के सभी सदस्य भारतीय हो सकते हैं। इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है।

गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में आमतौर से ८ सदस्य होते हैं। विभाजन प्रणाली द्वारा ये सरकारी कामों को आपस में बाँटकर चलाते हैं। वर्तमान युद्ध के आरम्भ होने पर शासन की कार्यवाहियाँ कुछ विशेष नियम के अनुसार चलाई जा रही हैं, इसलिये सदस्यों की संख्या १५ तक बढ़ा दी गई है। युद्ध को संचालित करने के लिये नये सदस्यों की आवश्यकता ज्यों ज्यों बढ़ती गई उसी प्रकार नये विभाग खोलकर सरकार एक एक को इनका

(1) Political (2) War Department (3) Defence
 (4) Law (5) Home (6) Labour (7) War Transport
 (8) Finance (9) Post and Air (10) Civil
 Defence (11) Education, Health and Lands (12)
 Commerce (13) Indians Overseas (14) Supply
 (15) India's Information and Broadcasting Department.

प्रधान नियुक्त करती गई। युद्धकालीन कार्यकारिणी में ५ अंग्रेज़ और १० भारतीय सदस्य रहे हैं। साधारणतया सदस्यों की संख्या इतनी नहीं होती और इसकी जो काय पद्धति होती है उसका वर्णन आगे चलकर किया गया है।

१८६१ ई० के पहिले कार्य-कारिणी सभा सम्मिलित रूप से कार्य करती थी। कार्य विभाजन की प्रणाली अभी तक निर्धारित नहीं की गई थी। गवर्नर-जनरल तथा उसकी कौंसिल के सभी मेम्बर एक साथ बैठ कर हर बात का फ़ैसला बहुमत से करते थे। इसी कार्य में बहुत देर होती थी। विभाजन प्रणाली (Departmental System) न होने से काम में उलझन रहती थी। १८३३ ई० में ला मेम्बर तथा १८६१ ई० में फ़िनान्स मेम्बर नियुक्त करके पिछली प्रणाली को दोषपूर्ण सिद्ध किया गया। लार्ड कैनिंग के ज़माने में वर्तमान कार्य पद्धति का श्रंगणेश हुआ। उसने यह निश्चित किया कि कार्य-कारिणी के सदस्य अपना अपना काम बाँट कर करें। केवल आवश्यक कार्यों पर वे एकत्र होकर विचार करें। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। प्रत्येक सदस्य के ज़िम्मे एक या दो विभाग दे दिये गये हैं। सरकार का पूरा काम चन्द विभागों में बाँट दिया गया है। केवल आवश्यक विषयों पर उसे पूरी कौंसिल की सलाह लेनी पड़ती है। यदि एक ही बात दो विभागों में आ जाती है तो इसका विचार कौंसिल की पूरी बैठक में किया जाता है।

कार्य-कारिणी की नियुक्ति ५ वर्ष के लिये की जाती है। प्रत्येक सदस्य को ८०,००० रुपया सालाना वेतन दिया जाता है। कमान्डर-इन-चीफ़, को जो इसी सभा का एक सदस्य होता है, १००,००० रुपया सालाना वेतन दिया जाता है। यह खर्च भारतीय खज़ाने से दिया जाता है। भारत-मन्त्री और उसकी कौंसिल को अधिकार है कि वह गवर्नर-जनरल, उसकी कार्य-कारिणी के सदस्यों तथा कमान्डर-इन-चीफ़ को आवश्यकता पड़ने पर छुट्टी दे सके। ऊपर कहा गया है कि यह छुट्टी अधिक से अधिक ४ महीने तक केवल एक बार दी जा सकती है। यदि भारत-मंत्री चाहे तो छुट्टी की अवधि बढ़ा सकता है, परन्तु पार्लियामेंट के सामने उसे इसका कारण बतलाना पड़ता है। गवर्नर-जनरल कार्य कारिणी का सभापति होता है। इसका उपसभापति वही नियुक्त करता है। सभा की कार्रवाई और उसका स्थान वही निश्चित करता है।

कौंसिल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है। सभापति को निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार है। गवर्नर-जनरल अपनी ज़िम्मेवारी से उसके फैसले को रद्द कर सकता है। ऐसी हालत में कौंसिल के कोई भी दो सदस्य उससे इस बात की माँग पेश कर सकते हैं कि वह मतभेद वाले मामले को भारत-मंत्री के सामने भेज दे। गवर्नर-जनरल ऐसा करने के लिये बाध्य है। कौंसिल को जो अधिकार दिये गये हैं उनमें वह दखल नहीं दे सकता। उसकी तथा उपसभापति की अनुपस्थिति में कौंसिल का कोई भी मेम्बर सभापति का आसन ग्रहण कर सकता है। इस पद पर उसे सभापति के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। कमान्डर-इन-चीफ़ सभापति का आसन नहीं ग्रहण करता।

ऊपर कहा गया है कि कार्य-कारिणी के काम ८ विभागों में बाँटे गये हैं। वास्तव में ये विभाग समूचे केन्द्रीय सरकार के कामों के विभाग हैं। कौंसिल का प्रत्येक सदस्य एक या दो विभागों का प्रधान है। ये विभाग निम्नलिखित हैं :—

१—वाह्य तथा राजनीतिक विभाग, और भारतीय रियासतें। इन विभागों को गवर्नर-जनरल स्वयं अपने हाथों में रखता है।

२—सेना तथा रक्षा विभाग। कमान्डर-इन-चीफ़ इसका प्रधान होता है।

३—सरकारी नौकरियों, पुलिस, जेल, कानून, न्याय, तथा भीतरी राजनीति—इन विभागों की ज़िम्मेवारी होम-मेम्बर के हाथ में होती है।

४—अर्थ तथा बजेट विभाग। फ़िनान्स मेम्बर इसका प्रधान होता है।

५—रेलवे, सड़कें, पोस्ट, टेलिग्राफ़, ब्राडकास्ट, हवाई जहाज़, बन्दरगाह इत्यादि की ज़िम्मेवारी एक सदस्य के ज़िम्मे होती है। इसे यातायात सदस्य कहते हैं।

६—धारा विभाग। ला मेम्बर इसका प्रधान होता है।

७—शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि—ये विभाग एक सदस्य के ज़िम्मे किये गये हैं, इसका कोई ख़ास नाम नहीं होता।

८—व्यापार, उद्योग-धन्धे, उद्योग सम्बन्धी सम्पत्ति, बीमा, मज़दूर, इमारत विभाग, विन्चाई, खनिज पदार्थ तथा लिखने पढ़ने की चीज़ें—ये विभाग एक सदस्य के ज़िम्मे किये गये हैं। इसे व्यापार तथा मज़दूर विभाग का सदस्य कहते हैं।

प्रत्येक विभाग का एक प्रधान मंत्री होता है, जिसका दर्जा कार्य-कारिणी के सदस्य से, जो उस विभाग का प्रधान है, छोटा होता है। इस मंत्री का स्थान इंग्लैंड में भारत-मंत्री की कौंसिल के सहायक मंत्री के समान कहा जाता है। परन्तु इसमें कुछ अन्तर है। हिन्दोस्तान में कार्य-कारिणी की बैठक में मंत्री को हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया है। हर सप्ताह प्रत्येक मन्त्री गवर्नर-जनरल से मिलकर अपने विभाग की पूरी कार्रवाई का दास्तान उसके सामने पेश करता है। उसे यह अधिकार है कि वह गवर्नर-जनरल का ध्यान किसी बात की ओर, जो उसके विभाग से सम्बन्ध रखती है, विशेष रूप से दिला सके। इसके विपरीत भारत-मंत्री के सहायक-मंत्री को इंडिया कौंसिल की बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। वेन्द्रीय कार्य-कारिणी सभा के प्रत्येक विभाग का मंत्री ३ वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता है। कहने के लिये वह कार्य-कारिणी सभा के सदस्य की मातहतता में कार्य करता है, परन्तु वह वाइसराय को उन बातों में भी प्रभावित कर सकता है जिनका सदस्य को पता तक नहीं है। यह चीज इसलिये बनाई गई है कि कौंसिल के सदस्य अपनी आज़ादी की सीमा को पार न कर जायँ। मंत्रियों की सलाह से गवर्नर-जनरल प्रत्येक विभाग के कामों की जानकारी रखता है। राष्ट्रीय सरकार की दृष्टि से यह प्रबन्ध दोषपूर्ण है। इसके मानी यह है कि कौंसिल के सदस्यों का विश्वास नहीं किया जाता।

ऊपर कहा गया है कि लार्ड कैनिंग के ज़माने से कार्य-कारिणी सभा का काम कई विभागों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक विभाग प्रणाली सदस्य एक या दो विभागों का प्रधान होता है। Departmental System अञ्छा होगा कि प्रत्येक की ज़िम्मेवारी का संक्षिप्त विवरण कर दिया जाय। इससे यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि प्रत्येक विभाग में किस प्रकार का कार्य किया जाता है।

१—गवर्नर-जनरल स्वयं इन विभागों का प्रधान है। यह विभाग सब से महत्वपूर्ण माना गया है। भारत सरकार का विदेशों वाहा और राज- नीतिक विभाग से क्या सम्बन्ध है तथा भारतीय, रियासतों में कैसा प्रबन्ध हो रहा है। इनकी देख रेख इसी विभाग के अन्दर की जाती है। गवर्नर-जनरल ७ मंत्रियों के साथ इस विभाग को सँभालता है।

२ - इस विभाग का कार्य फ़ौज़ का प्रबन्ध करना है। फ़ौज़ सम्बन्धी क्या नीति हो इसकी जिम्मेवारी इस विभाग के प्रधान पर रहती **सेना विभाग** है स्थल सेना, जल सेना तथा हवाई जहाज़ सब इस विभाग के अन्दर शामिल हैं। कमान्डर-इन-चीफ़ इसका प्रधान है। यह अपना कार्य ५ मंत्रियों की सहायता से करता है।

३—इस विभाग के अन्दर देश की भीतरी राजनीति का कार्य किया जाता है। आजन्म कारावास के कैदियों की देख रेख यही **होम विभाग** विभाग करता है।

४—इस विभाग का प्रधान ला मेम्बर कहलाता है। किसी क़ानूनी मामले पर विचार करने के लिये धारा-सभा जब कोई **क़ानून विभाग** कमीटी बनाती है तो यह उसमें हिस्सा लेने का अधिकारी है। धारा-सभाओं में पेश होने वाले सरकारी बिलों का मसौदा यही बनाता है। प्रान्तीय धारा-सभायें जो क़ानून पास करती हैं उन पर केन्द्रीय सरकार की राय देने का अधिकार इसी को है।

५—यह विभाग हिन्दोस्तान की रेलों पर अधिकार रखता है। रेल तथा जहाज़ द्वारा इस देश में तथा विदेशों से जो व्यापार **रेलवे और** होता है उसकी देख रेख यही करता है। बीमा करने **व्यापार विभाग** वाली कम्पनियाँ इसी के आधीन होती हैं।

६—यह विभाग मज़दूरों के संगठन, फैक्ट्रियों के क़ानून, अन्तर्राष्ट्रीय-मज़दूर-संगठन, बिजली, पोस्ट और टेली-**उद्योग धन्धे तथा** ग्राफ़, सिंचाई, सरकारी इमारतों—इन बातों पर अधिकार **मज़दूर विभाग** रखता है।

७—यह विभाग शिक्षा, भूमि कर, खेती, जंगल तथा भूमि सम्बन्धी नई नई खोज़ें, अकाल, खान पान की चीज़ें, विदेश यात्रा, **शिक्षा स्वास्थ्य** देश की नाप पड़ताल, अस्पताल, स्वास्थ्य, स्वायत्तशासन, **और भूमि विभाग** लाइब्रेरी अजायब-घर तथा सरकार के खोदाई विभाग पर अधिकार रखता है।

८—इस विभाग का प्रधान फ़िनान्स मेम्बर कहलाता है। यह केन्द्रीय सरकार की आय-व्यय का व्यौरा रखता है। प्रान्तीय **अर्थ विभाग** सरकार के आय-व्यय इसी की मातहत में होते हैं। सरकारी कर्मचारियों को तनज़ाहें, पेन्शन तथा उनकी छुट्टियाँ इसी के अधिकार में रखे गए हैं। सिकके ढालना, बैंक, टकसाल

घर तथा भारतीय ऋण पर इसी का अधिकार है। इसकी एक शाखा फ़ौज़ सम्बन्धी खर्च का हिसाब रखती है। दूसरी शाखा, चुंगी, नमक कर, अफीम कर, तथा नशे के सम्बन्ध के अन्य कर और रसीदी टिकट-- इनकी देख रेख करती है। फ़िनान्स मेम्बर का वर्तव्य है कि वह खर्चों को आमदनी से बढ़ने न दे। जब कभी गवर्नर-जनरल के सामने आमदनी और खर्च सम्बन्धी कोई बात आती है तो फ़िनान्स मेम्बर से सलाह लेता है। प्रति वर्ष वह बजट को पेश करते समय अपना एक वक्तव्य देता है, जिसे सुनने के लिये लोग लालायित रहते हैं।

वास्तव में कार्यकारिणी सभा स्वयं कोई अधिकार नहीं रखती। गवर्नर-जनरल से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह केन्द्रीय कार्य-सभा उसी की सहायता के लिये बनाई गई है। जो कुछ कारिणी थोड़े बहुत अधिकार इसे प्राप्त हैं, वे तभी तक हैं जब के अधिकार तक गवर्नर-जनरल उन्हें चुपचाप मान लेता है। गवर्नर-जनरल को यह अधिकार है कि वह कौंसिल के बहुमत को रद्द कर सके। चन्द विषय ऐसे हैं जिनमें उसे इसकी राय माननी पड़ती है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर इनमें भी वह मनमानी कर सकता है। जब कोई लड़ाई अथवा सुलह करनी होती है तो वह कौंसिल से राय लेता है। प्रान्तीय सरकारों को यह आज्ञा है कि वे अपने कार्यों की सूचना कौंसिल को देते रहें। उसकी राय से गवर्नर-जनरल हिन्दोस्तान के लिये कर्ज़ ले सकता है, नई ज़मीन ख़रीद सकता है, तथा कोई सम्पत्ति बँच या धरोहर रख सकता है। इसकी सलाह से वह कोई नया सूबा क़ायम कर सकता है। किसी सूबे के एक हिस्से को वह पिछड़ा हुआ विभाग घोषित कर सकता है। इसकी सलाह से वह प्रान्तीय गवर्नरों की कार्यकारिणी सभा बना सकता है। इसी की राय से वह किसी सूबे की सीमा बदलता है।

गवर्नर-जनरल चाहे तो अपनी कौंसिल की सलाह से गवर्नरों अथवा कमिश्नरों के सूबों में धारा-सभा का निर्माण कर सकता है। हाईकोर्ट के अधिकारों का क्षेत्र उसे कम करने का अधिकार है। यदि किसी हाईकोर्ट में नये जज की आवश्यकता महसूस हो तो कौंसिल की सलाह से वह अधिक से अधिक २ वर्ष के लिये उसे नियुक्त कर सकता है। किसी जज को वह प्रधान जज के स्थान पर कुछ अवधि के लिये रख सकता है। एशिया महा-द्वीप में स्थित देशों के साथ वह कौंसिल की सलाह से कोई सुलह अथवा सम्बन्ध क़ायम कर सकता है। तात्पर्य यह है कि लगभग सभी आवश्यक

विषयों में गवर्नर-जनरल कौंसिल की सलाह लेता है। परन्तु विशेष परिस्थिति में वह इससे बाध्य नहीं है।

१९३१ के संघ शासन विधान में केन्द्रीय सरकार में दोहरा शासन (Dyarchy) स्थापित किया गया है। गवर्नर-जनरल

१९३५ के शासन-विधान में संघ कार्य-कारिणी के दो प्रकार के अधिकार दिये गये हैं। कुछ तो वे हैं जिन्हें वह थोड़े से मंत्रियों की सलाह से करेगा। इनके अतिरिक्त उसे बहुत से विशेषाधिकार दिये गये हैं जिनके लिये वह कुछ सहायक रख सकता है। इन दोनों प्रकार के सहायकों की सभायें अलग अलग होंगी और इनका निर्माण भी दो प्रकार से किया जायगा। इनके अधिकारों में काफ़ी अन्तर होगा। तात्पर्य यह है कि संघ शासन-विधान में केन्द्रीय कार्यकारिणी की वही शकल होगी जो १९१६ के शासन-विधान में प्रान्तीय कार्यकारिणी की थी। इनका अलग अलग वर्णन करना अच्छा होगा। संघ शासन में केन्द्रीय सरकार के विषय दो भागों में बाँटे गये हैं। एक भाग में वे विषय हैं जिन पर एक मात्र अधिकार गवर्नर-जनरल का होगा। दूसरे भाग में वे विषय हैं जो मंत्रियों के हाथ में रखे गये हैं। रक्षा, वाह्य विषय, धार्मिक विषय, तथा पिछड़े हुए भागों का शासन-प्रबन्ध, गवर्नर-जनरल के हाथ में दिया गया है। इन्हें वह अपनी इच्छानुसार चलायेगा। बाकी विषय मंत्रियों की एक सभा के हाथ में रहेंगे। परन्तु इसमें भी उसे दखल देने का अधिकार होगा।

जो ४ विभाग गवर्नर-जनरल के विशेष अधिकार के अन्तर्गत रखे गये हैं उन्हें छोड़कर बाकी विषयों में सलाह लेने के लिये जो मंत्रियों की सभा सभा होगी उसका नाम मंत्रियों की सभा (Council of Ministers) होगा। ये मंत्री गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। इन्हें तब तक कार्य करने का अधिकार होगा जब तक उसकी इच्छा होगी। सभी मंत्री संघ धारा-सभा (Federal Legislature) के सदस्य होंगे। यदि गवर्नर-जनरल चाहे तो वह किसी बाहरी आदमी को मंत्री नियुक्त कर सकेगा परन्तु उसे ६ महीने के अन्दर धारा सभा का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा। यदि वह न बन सका तो मंत्रियों की सभा से हटा दिया जायेगा। मंत्रियों की सभा में अधिक से अधिक १० मंत्री होंगे। इनका वेतन संघ धारा-सभा निर्वाचित करेगी; परन्तु वह घटाया बढ़ाया नहीं जायेगा। गवर्नर जनरल को अधिकार

होगा कि वह जब चाहे इन्हें निकाल दे। जब तक धारा-सभा इनका वेतन निश्चित न करेगी तब तक गवर्नर-जनरल इसे निश्चित करेगा।

मंत्रियों को भर्ती करने के लिये गवर्नर-जनरल संघ धारा-सभा की बहुमत पार्टी से सलाह लेगा। सभी प्रकार से मन्त्रिगण उसकी सुट्टी में होंगे। कुछ विषयों में वह इनसे कोई सलाह न लेगा। इनका काम थोड़े से विषयों में गवर्नर-जनरल को सलाह देना होगा। रक्षा, बाह्य कार्य, धार्मिक विषय तथा पिछड़े हुए विभागों का प्रबन्ध—इन्हें छोड़ कर बाकी विषयों को गवर्नर जनरल भिन्न भिन्न विभागों में बाँट देगा। प्रत्येक मंत्री के जिम्मे एक या दो विभाग कर दिये जायेंगे। इसकी बैठक में वह स्वयं सभापति का आसन ग्रहण करेगा। इसकी कार्य पद्धति वही निश्चित करेगा।

रक्षा, बाह्य विभाग, धार्मिक विषय, तथा पिछड़े हुए विभागों का प्रबन्ध—ये विषय एकमात्र गवर्नर-जनरल के हाथ में सलाहकार रखे गये हैं। इनमें सलाह लेने के लिये उसे अधिकार (Counsellors) है कि वह अधिक से अधिक ३ व्यक्तियों को नियुक्त कर ले। ये व्यक्ति सलाहकार (Counsellors) कहलायेंगे। उपरोक्त चारों विषयों के लिये गवर्नर-जनरल भारत मंत्री तथा पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेवार होगा। इन सलाहकारों का वेतन तथा इनकी अवधि सम्राट् निश्चित करेगा। इन्हें संघ धारा-सभाओं में बैठने का अधिकार होगा, परन्तु ये वोट न दे सकेंगे। धारा सभाओं के वाद-विवाद में ये अच्छी तरह हिस्सा ले सकेंगे। सलाहकार धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी न होंगे। गवर्नर-जनरल इनकी सलाहों से बाध्य नहीं है।

१९३५ के शासन-विधान के अनुसार प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की गई है। इससे केन्द्रीय सरकार की शक्ति में स्वभावतः संघ कार्य-कमी होगी। जो कुछ अधिकार उसके पास शेष रहे, कारिणी के उन्हें गवर्नर-जनरल के विशेष अधिकारों से दबा दिया गया है। कुछ विषयों में वह मूनमानी करेगा और गुण दोष बाकी में अपने सलाहकारों तथा मन्त्रियों से सहायता लेगा जो उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सकते। यद्यपि सलाहकारों तथा मंत्रियों के कार्य अलग अलग हैं, परन्तु यह दोहरा प्रबन्ध दोष से खाली नहीं है। सलाहकार और मंत्री एक दूसरे को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकते। वास्तव में केन्द्रीय कार्यकारिणी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। एक प्रकार के सलाहकार धारा-सभा के प्रति और दूसरे प्रकार के भारत

मंत्री तथा सम्राट् के प्रति जिम्मेवार होंगे। विभाजित कार्यकारिणी सभी प्रकार दोषपूर्ण मानी गई है। जो कठिनाई १९३५ के पहिले भारतीय सूत्रों में उपस्थित हुई थी वही केन्द्रीय कार्यकारिणी में उपस्थित होगी। साहमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस खतरे की चेतावनी दे दी है। कोई राजनीतिज्ञ संघ कार्यकारिणी को जिम्मेवार कार्यकारिणी नहीं कह सकता। देश के लिये यह हितकर सिद्ध नहीं हो सकती।

राष्ट्रीय सरकार का तात्पर्य कार्यकारिणी के भारतीयकरण से है। अर्थात् इसके सभी सदस्य भारतीय होने चाहिये। लेकिन यदि राष्ट्रीय वे सरकारी पदों से नियुक्त किये जाते हैं तो इसे राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। सच्ची राष्ट्रीय सरकार वह है जिसकी कार्यकारिणी के सदस्य गैर सरकारी हों और जो धारा सभा के प्रति उत्तरदायी हो।

कैबिनेट मिशन ने केन्द्र में जिस अस्थायी कार्य कारिणी की स्थापना की है वह भी भारतीय नहीं है। उसमें ८ स्थानों में ६ स्थान अंग्रेजों को दिये गये हैं। लगभग सभी सदस्य आई० सी० यस० हैं। इसे तो नौकरराशाही कार्य-कारिणी कहना अधिक उचित है। जिस राष्ट्रीय सरकार की माँग भारतवासी कर रहे हैं वह इससे भिन्न है। सम्भव है विधान सम्मेलन के प्रतिनिधियों के चुनाव के बाद जो केन्द्रीय कार्यकारिणी बनेगी वह राष्ट्रीय कहलाने की हकदार होगी।

अध्याय ६

केन्द्रीय धारा-सभा

(Central Legislature)

किसी देश के शासन विधान में धारा-सभा का स्थान महत्वपूर्ण है। यहीं से शासन की मशीन आरम्भ होती है। कार्यकारिणी धारा सभा विभाग इसी के बनाये हुए कानूनों की देख रेख करता है। न्यायालयों में फ़ैसले के उसूल इसी के बनाये हुये आवश्यकता हैं। धारा-सभा का मुख्य कार्य कानून बनाना है। कानून के बिना कोई शासन नहीं चल सकता। जब तक समाज अपनी शैशव अवस्था में था तब तक रसम रवाज काम दे देते थे। सभी
आ० भा० शा०—१५

सम्प्रदाय अपने अपने रसम रवाज़ रखते थे। सामाजिक विकास के साथ राजनीतिक संगठन की आवश्यकता हुई और क़ानून आदि बनाये गये। आरम्भ में राजा अपने थोड़े से सलाहकारों के साथ कुछ नियम बना कर राज्य का कारोबार चला लेता था। राज्यों का विस्तार छोटा होता था। इनमें जो देश अधिक उन्नतिशील होता, और जहाँ के निवासी अधिक सम्य और सुशिक्षित होते, वह सम्पूर्ण प्रजा की सम्मति द्वारा शासन का कार्य चलाता था। यूनान के प्रजातंत्र राज्य इसी प्रकार के थे। हमारे देश में हिन्दू काल में प्रजातंत्र अपनी चरम सीमा को पहुँच गये थे। चाणक्य ने अपने कौटिल्य-शास्त्र में इनका वर्णन किया है। राज्यों का विस्तार बढ़ने से इनकी व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा। क़ानून बनाने के लिए अलग विभाग बना। आज प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि धारा सभाओं में आकर सम्पूर्ण देश के लिये क़ानून बनाते हैं।

क़ानून बनाने के अतिरिक्त धारा-सभायें और भी कार्य करती हैं।

राज्य की आमदनी और खर्च पर इसका अधिकार धारा सभा के होता है। विभिन्न मदों में इमदाद यही सभा देती अधिकार और है। मंत्रियों को नियुक्त करने, उन्हें निकालने तथा कर्त्तव्य उनकी नीति निर्धारित करने का अधिकार इसी का है।

यद्यपि यह सभा शासन के छोटे छोटे कार्यों को नहीं चलाती, परन्तु सरकारी उसूल यही निर्धारित करती है। यह सरकार को अपने अधिकार में रखती है। एक ज़िम्मेवार सरकार का तात्पर्य यह है कि कार्य-कारिणी धारा सभा की मातहत ही में कार्य करे। धारा-सभा के कार्यों को हम श्रेय? बाँट सकते हैं :—

१—क़ानून बनाना।

२—शासन की नीति निर्धारित करना।

३—सरकारी आय व्यय पर अधिकार रखना।

जहाँ तक पहिले प्रकार के कर्त्तव्य का सम्बन्ध है, यह बात स्पष्ट है कि क़ानून बनाने की ज़िम्मेवारी धारा-सभा को दी गई है। राज्य में कोई नियम तब तक वैधानिक नहीं समझा जा सकता, जब तक धारा-सभा उसकी मंजूरी न दे दे। कचहरियाँ उन उसूलों का प्रयोग नहीं कर सकतीं जिनकी आज्ञा धारा सभा की ओर से उन्हें प्राप्त नहीं है। दूसरे प्रकार का कर्त्तव्य शासन की नीति निर्धारित करना है। इसी के द्वारा धारा-सभा सरकार को अपने अधिकार में रखती है। इस कर्त्तव्य को पूरा करने के लिये उसे ४ प्रकार के अधिकार दिये गये हैं :—

१—धारा-सभा को अधिकार है कि वह राज्य में घटित होने वाली सारी घटनाओं पर अपनी राय ज़ाहिर करे। उसके प्रस्ताव सदस्य किसी घटना पर अपना विचार प्रगट कर सकते (Resolutions) हैं। इसका प्रत्येक सदस्य सरकार से शासन-सम्बन्धी प्रश्न पूछ सकता है। यद्यपि इससे सरकार बँध नहीं जाती, फिर भी वह इसके महत्व को मानती है। जनता के प्रतिनिधियों की राय को ठुकरा कर वह अपना काम सुचारु रूप से नहीं कर सकती। धारा-सभा जब सरकार को किसी बात की चेतावनी देनी चाहती है तो वह उसी विषय का कोई प्रस्ताव पास करती है। इससे सरकार का यह फ़र्ज़ होता है कि वह इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करे। वास्तव में ये प्रस्ताव जनता के विचार होते हैं।

२—कार्यरूप में देश की कार्यकारिणी शासन को चलाती है। धारा-सभा केवल नीति निर्धारित करती है। ऐसी दशा में उसे अविश्वास अधिकार दिया गया है कि वह कार्यकारिणी को अपने का प्रस्ताव वश में रखे। यदि वह धारा-सभा की इच्छा के विरुद्ध कार्य करे और उसकी टीका-टिप्पणी पर कुछ ध्यान न दे, तो धारा सभा को अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करे। अर्थात् वह जनता में इस बात की घोषणा कर दे कि मौजूदा शासन प्रबन्ध उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। इसका असर तात्कालिक होता है। या तो कार्यकारिणी भंग कर दी जाती है, अथवा धारा-सभा का नये सिरे से निर्माण होता है।

३—धारा-सभा की कार्यवाहियों में कुछ विशेष घटनायें पेश की जाती हैं। अर्थात् जिस समय धारा-सभा की बैठक हो रही स्थगित प्रस्ताव हो उस समय भूचाल आ जाय, कोई ट्रेन गिर जाय (Adjourn- अथवा किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाय, इत्यादि ments) इत्यादि, तो धारा-सभा का कोई सदस्य उठ कर सरकार से प्रार्थना कर सकता है कि सब काम बन्द कर विशेष घटना पर ही विचार किया जाय। हो सकता है सरकार इसकी मंजूरी न दे। ऐसी दशा में यह कहा जायेगा कि स्थगित-प्रस्ताव नामंजूरी कर दिया गया। यदि यह इसे मंजूर कर लेती है तो वर्तमान सभी कार्यवाहियों को कुछ घंटों के लिये स्थगित कर दिया जाता है और उतनी देर तक उसी विशेष घटना पर विचार किया जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है कि

बड़ी बड़ी घटनाओं पर सरकार का ध्यान तुरन्त आकर्षित कर दिया जाय। इससे उस घटना का महत्त्व बढ़ जाता है और सरकार की जिम्मेवारी उसके प्रति लाजमी हो जाती है।

४—धारा-सभा की बैठक में सदस्यों को इस बात की आज्ञा दी है कि वे किसी विषय पर सरकार से प्रश्न पूछ सकें। इससे वे इस

प्रश्नोत्तर
Inter-
pellation

बात का अनुमान करते हैं कि सरकार कहीं तक शासन सम्बन्धी जानकारी रखती है। इसके अतिरिक्त प्रश्नों से सरकार का ध्यान शासन की कमजोरियों की ओर आकर्षित कराया जाता है। जिस विषय पर कोई प्रश्न

पूछ दिया जाता है उससे सम्बन्ध रखने वाला विभाग अपने कार्यों में अधिक सावधान हो जाता है। यदि धारा-सभा के किसी सदस्य ने किसी सरकारी अफसर की नाजायज़ हरकतों के विषय में सरकार से कोई प्रश्न पूछ दिया तो उस अफसर को या तो अपने को पाक-साफ़ साबित करना होगा, अन्यथा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इन प्रश्नों का इतना महत्त्व है कि सरकारी कर्मचारी इससे डरते हैं। इसीलिये धारा-सभा की बैठक में पहला घंटा केवल प्रश्न पूछने के लिये निर्धारित किया गया है।

शासन की नीति निर्धारित करने के लिये धारा-सभा ऊपर लिखे किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकती है। उसका महान कर्त्तव्य सरकारी आय-व्यय को संभालना है। वास्तव में यह उसके हाथों में एक ऐसी कुञ्जी दी गई है जिससे सरकार के सभी विभाग उसकी मुट्ठी में रहते हैं। यह एक साधारण कहावत है कि जिसके हाथ में धन है उसी का नियम मानना होगा। धारा-सभा को यह अधिकार देकर उसे ऐसी अवस्था में रख दिया गया है कि राज्य का कोई कर्मचारी उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य न करे। नागरिकों पर तब तक कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता जब तक धारा-सभा इसकी अनुमति न दे। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई सरकारी कर्मचारी प्रजा से एक कौड़ी वसूल नहीं कर सकता। किसी देश को ऋण लेने और देने का अधिकार धारा-सभा द्वारा दिया जाता है। साल भर की आम-दनी और खर्च का व्यौरा वही मंजूर करती है। जिस देश में उसे यह अधिकार नहीं है, वह प्रजातंत्रवादी कहलाने का दावा नहीं कर सकता। जनता का धन उसके प्रतिनिधियों को खर्च करने का अधिकार होना चाहिये। इसी के लिये इंग्लैंड के इतिहास में कई वर्ष तक राजा और पार्लियामेंट में लड़ाई चलती रही जिसमें राजा को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा और पार्लियामेंट की विजय हुई।

हमें देखना चाहिये कि भारतीय धारा-सभा कहाँ तक जनता की प्रतिनिधि है। हिन्दोस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। इस देश की भारतीय धारा- धारा-सभा ब्रिटिश पार्लियामेंट की मातहत में काम करती सभा का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त गवर्नर-जनरल को इतने अधिकार दिये गये हैं कि वह इसे उपेक्षा की दृष्टि से देख सकता है। उसे स्वयं बहुत से सदस्यों को नामज़द करने का अधिकार है। सदस्यों का निर्वाचन साम्प्रदायिक आधार पर किया जाता है। इससे भारत की राष्ट्रीयता विभाजित हो जाती है। निर्वाचन की कोई एक पद्धति ऐसी नहीं है जिससे साम्प्रदायिक भाव पैदा न हो। चुनाव सम्बन्धी प्रश्नों पर एक सम्प्रदाय दूसरे को अपना शत्रु समझती है। १९३७ ई० के बाद जब प्रान्तीय शासन की बागडोर हिन्दोस्तानियों के हाथ में आई तो हिन्दू और मुसलमानों की समस्या में और उलझने पैदा हुईं। कोई भी राजनीतिज्ञ साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अच्छा नहीं समझता। धार्मिक और जातीय सवालात राजनीति को गन्दा कर देते हैं। भारतीय धारा-सभा के निर्वाचक तथा सदस्य दोनों के लिये सम्पत्ति की रुकावट लगाई गई है। नागरिकता का क्षेत्र इतना संकुचित है कि धारा-सभाओं में प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि जाने से वंचित रह जाते हैं। अधिकतर संख्या ज़मींदारों, तालुकेदारों तथा धनी मानी लोगों की होती है। भारतीय धारा-सभा कार्यकारिणी को अपने अधिकार में उस प्रकार नहीं रखती जैसे योरप तथा अमेरिका के प्रजातंत्र राज्यों में रखती है। कार्यकारिणी विभाग का प्रधान, अर्थात् गवर्नर-जनरल अनेक अधिकारों से विभूषित किया गया है।

बड़ी धारा सभा अर्थात्—कौंसिल आफ़ स्टेट में कुल ६० सदस्य होते हैं। इनमें ३३ जनता द्वारा चुने जाते हैं और बाक़ी को कौंसिल आफ़ गवर्नर-जनरल नामज़द करता है। नामज़द मेम्बरों में स्टेट सरकारी सदस्यों की संख्या २० से अधिक नहीं रहती। (Council of सिक्ख, मुसलमान तथा अँग्रेज़—इनके लिये विशेष स्थान State) सुरक्षित रखे गये हैं। ग़ैरसरकारी सदस्य कौंसिल की पूरी अवधि तक काम करते हैं। सरकारी सदस्यों के लिये भी यही नियम है, परन्तु गवर्नर-जनरल चाहे तो उन्हें थोड़े समय के लिये इसका सदस्य बना सकता है। नामज़द मेम्बरों की जगहें जब ख़ाली होती हैं तो वे गवर्नर-जनरल द्वारा भरी जाती हैं। लगभग सभी प्रजातंत्रवादी देशों में बड़ी धारा-सभा कभी बर्खास्त नहीं की जाती। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रान्स, इंग्लैंड आदि देशों में इसकी अवधि की कोई

सीमा नहीं है। परन्तु हमारे देश में कौंसिल आफ-स्टेट की अवधि ५ वर्ष रक्की गई है। इतने में भी गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह जब चाहे इसे बर्खास्त कर दे। किसी विशेष परिस्थिति में वह इसकी अवधि को बढ़ा सकता है।

कौंसिल-आफ-स्टेट का सभापति इसी के सदस्यों में से गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। जब इसकी बैठक आरम्भ होती है तो गवर्नर-जनरल इसके सदस्यों में से ४ आदमियों को नामज़द कर देता है। सभापति की अनुपस्थिति में इन चारों में से कोई भी उसका स्थान ग्रहण करता है। आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका में बड़ी धारा-सभा का सभापति सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है; परन्तु हमारे देश में बड़ी सभा को यह अधिकार नहीं दिया गया है। सरकारी ऐक्ट में कौंसिल आफ स्टेट के सभापति का वेतन निश्चित नहीं है। परन्तु कामन सभा के एक ज़िम्मेवार व्यक्ति के वक्तव्य से यह मालूम पड़ता है कि उसका वेतन ५०,००० रुपया सालाना है। कौंसिल-आफ-स्टेट का मंत्री तथा उसके सहायक गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

केन्द्रीय धारा-सभा की छोटी सभा का नाम लेजिस्लेटिव असेम्बली है।

इसमें कुल १४५ सदस्य होते हैं। इनमें १०४ जनता द्वारा लेजिस्लेटिव चुने जाते हैं और शेष गवर्नर-जनरल द्वारा नामज़द किये असेम्बली जाते हैं। नामज़द मेम्बरो में २६ सरकारी सदस्यों का होना आवश्यक है। असेम्बली की अवधि ३ वर्ष है। गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह इसकी अवधि घटा बढ़ा सके। अधिकतर प्रजातंत्र राज्यों में छोटी धारा-सभा की अवधि ५ वर्ष रक्की गई है। यदि हम अन्य देशों की छोटी धारा-सभा से असेम्बली का मुकाबिला करें तो देखेंगे कि शायद ही कोई देश ऐसा मिले जहाँ इसके सदस्य नामज़द किये जाते हों। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, इंगलैंड, फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों में छोटी सभा के सभी सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। हिन्दोस्तान ही एक ऐसा देश है, जहाँ इस सभा के एक तिहाई से अधिक सदस्य नामज़द किये जाते हैं। इससे नागरिक की राजनीतिक स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है। चुने हुए सदस्य विभिन्न सूबों से आते हैं। उनकी संख्या निम्नलिखित प्रकार से विभाजित की गई है:—मद्रास, १६; बम्बई, १६; संयुक्प्रान्त, १६; बंगाल, १७; पंजाब, १२; बिहार व उड़ीसा, १२; मध्यप्रान्त, ५; आसाम, ४; ब्रह्मा, ४; दिल्ली, १; अजमेर मारवाड़ा, १; संयुक्प्रान्त से १६ सदस्यों में ८ हिन्दू, ६ मुसलमान, १ अंग्रेज़ और

१ जमींदार हैं। इससे स्पष्ट है कि बड़ी सभा की तरह असेम्बली में भी साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति है।

नामजुद सदस्य २ प्रकार के होते हैं, सरकारी अफसर और गैरसरकारी व्यक्ति। गैर सरकारी सदस्य असेम्बली की पूरी अवधि तक इसका सदस्य रहता है। परन्तु सरकारी सदस्य को गवर्नर-जनरल जब चाहे हटा सकता है। गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा के सदस्य लेजिस्लेटिव असेम्बली या कौंसिल आफ-स्टेट के सदस्य होते हैं। वे जिस धारा-सभा के सदस्य हैं उसी में वोट दे सकते हैं। परन्तु उन्हें यह अधिकार है कि छोटी और बड़ी दोनों सभाओं में जब चाहें बैठ और बोल सकते हैं। यद्यपि गवर्नर-जनरल असेम्बली का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह इसकी कारवाइयों में हिस्सा ले सकता है। असेम्बली का सभापति इसके सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुना जाता है। परन्तु गवर्नर-जनरल से उसकी मञ्जूरी लेनी पड़ती है। इसी तरह एक उपसभापति भी गवर्नर-जनरल की स्वीकृति से चुना जाता है। सभापति को आसन ग्रहण करने पर निष्पक्ष भाव से काम करना पड़ता है। जब तक वह इस पद पर रहता है तब तक किसी राजनीतिक दल से उसका सम्बन्ध नहीं होता। उसका स्थान उसी प्रकार का है जैसे इंग्लैंड में कामन्स सभा के सभापति का है। मत बराबर होने पर उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। इससे ज़ाहिर है कि असेम्बली में सभापति के स्थान की नकल इंग्लैंड की कामन्स सभा से की गई है। सभापति को ४००० रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। इंग्लैंड में कामन्स सभा के सभापति को ६२५० रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसे एक सुन्दर बंगला और मुफ्त रोशनी प्रदान की जाती है। उसके वेतन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता। भारतीय असेम्बली के सभापति को वेतन के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया जाता।

लेजिस्लेटिव असेम्बली का मंत्री तथा उसके सहायक गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। वे तब तक कार्य कर सकते हैं जब तक गवर्नर-जनरल की इच्छा होती है।

छोटी और बड़ी दोनों धारा-सभाओं के सदस्यों की योग्यता अलग अलग ठहराई गई है। परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जो केन्द्रीय धारा-सभा दोनों के लिये एक समान लागू हैं। प्रान्तीय धारा-सभा के सदस्यों सभाओं के सदस्यों पर भी ये लागू होती हैं। सदस्यों की योग्यता के लिये ब्रिटिश भारत का नागरिक होना आवश्यक है। स्त्रियाँ इसकी सदस्य नहीं हो सकतीं। कोई व्यक्ति

दोनों धारा-सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता। किसी कचहरी से निकाला हुआ वकील इसका सदस्य नहीं बन सकता। पागल तथा दिवालिये भी इसके सदस्य नहीं बन सकते। २५ वर्ष से नीचे की आयु का कोई व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता। रियासतों के राजा तथा प्रजा इसके सदस्य नहीं बन सकते। जिस व्यक्ति को कालेरानी अथवा १ वर्ष से अधिक जेल की सज़ा हुई है, वह अपनी सज़ा की पूर्ति से ५ वर्ष तक इसका सदस्य नहीं हो सकता। सरकारी कर्मचारी इसके सदस्य नहीं बन सकते। यदि नामज़द ग़ैर सरकारी सदस्यों में से अपनी अवधि के बीच में कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है तो वह धारा-सभा से हटा दिया जाता है। परन्तु मंत्रियों पर यह नियम लागू नहीं होता। उपरोक्त बाधाओं में से कुछ को हटाने का अधिकार गवर्नर-जनरल तथा उसकी कौंसिल और प्रान्तीय गवर्नरों को दिया गया है।

उपरोक्त योग्यता के अतिरिक्त कौंसिल-आफ़-स्टेट तथा लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों के लिये कुछ अलग अलग शर्तें हैं। ये शर्तें निर्वाचन पद्धति से अनुसार लगाई गई हैं। साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति होने के कारण निर्वाचन क्षेत्रों से सभी व्यक्ति चुनाव के लिये खड़े नहीं हो सकते। धारा-सभाओं का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने का अधिकारी है।

केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार सभी व्यक्तियों को नहीं है। इनके चुनाव में वह व्यक्ति वोट नहीं दे सकता इनके निर्वाचकों जो ब्रिटिश भारत का नागरिक नहीं है। कोई स्त्री वोट की योग्यता नहीं दे सकती। पागल अथवा दिवालिये वोट देने के अधिकारी नहीं है। २१ वर्ष से नीचे की आयु के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति दो निर्वाचन क्षेत्रों में वोट नहीं दे सकता। इनके अतिरिक्त कौंसिल-आफ़-स्टेट तथा लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों के चुनाव में मत देने वालों के लिये अलग अलग शर्तें हैं। प्रत्येक सूबे की शर्तें भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। जो व्यक्ति संयुक्तप्रान्त में कौंसिल-आफ़-स्टेट के सदस्यों के लिये मत देने का अधिकारी है उसके लिये निम्नलिखित योग्यतायें रखना आवश्यक है :—

- १—सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में वह निवास करता हो।
- २—कम से कम ५००० रुपया सरकारी मालगुज़ारी देता हो।
- ३—अथवा उसे कम से कम ५००० रुपये तक की मालगुज़ारी की जमीन माली में दी गई हो।

४—कम से कम १०,००० रुपये सालाना की उसे आमदनी हो ।

५—वह भारतीय धारा-सभा का सदस्य रहा हो ।

६—किसी यूनिवर्सिटी की कोर्ट या सीनेट का सदस्य हो । अथवा किसी यूनिवर्सिटी का फ़ेलो या अवैतनिक फ़ेलो रहा हो ।

७—उसे महामहोपाध्याय या शमशुलउल्मा की उपाधि दी गई हो ।

८—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन रह चुका हो ।

९—संयुक्त प्रान्त में चैम्बर-ऑफ़ कामर्स का सभापति हो या रहा हो ।

१०—कोऑपरेटिव सेन्ट्रल सोसाइटी का सभापति या उप-सभापति हो ।

११—इनके अतिरिक्त मुसलमानी निर्वाचन क्षेत्र में केवल मुसलमान वोट दे सकते हैं ।

लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों के चुनाव में वोट देने के लिये मतदाताओं की योग्यता विभिन्न सूचों में भिन्न भिन्न प्रकार की है । संयुक्तप्रान्त में दो प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र बनाये गये हैं । ग्राम और ख़ास । ग्राम निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण दो विभाग किये गये हैं । शहरी निर्वाचन क्षेत्र में उसी व्यक्ति को मत देने का अधिकार है जो शहर के २ मील के घेरे में निवास करता हो । अथवा १८० रुपया सालाना मकान का किराया या उसका टैक्स देता हो । अथवा कम से कम १००० रुपया म्युनिसिपैलिटी को आयकर देता हो । ग्रामीण-निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का अधिकार उसी को है जो १८० रुपया सालाना किसी शहर में, जो उस निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर हो, टैक्स देता हो । अथवा १५० रुपये का मालगुज़ार हो । ख़ास निर्वाचन क्षेत्र में वही व्यक्ति मत देने का अधिकारी है जो कम से कम ५००० रुपया सालाना सरकारी मालगुज़ारी देता हो अथवा इतनी ही लगान की भूमि माफ़ी में जोतता हो ।

धारा-सभा के सदस्यों का चुनाव हो जाने के पश्चात् गवर्नर-जनरल इस बात की घोषणा करता है कि कब और कहाँ इसकी पहिली कैन्द्रीय धारा-सभा की कार्य-पद्धति और कानून का बनना और बड़ी दोनों धारा-सभाओं की बैठक ११ बजे दिन से ४ बजे शाम तक होती है । कार्यवाही आरम्भ करने के लिये छोटी सभा (Legislative-Assembly) में कम से कम २५ आ० भा० शा०—१६

सदस्य और बड़ी सभा (Council of State) में १५ सदस्य अवश्य उपस्थित होने चाहिये । यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो बैठक दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दी जाती है । दोनों धारा-सभाओं की पहली बैठक के आरम्भ में प्रत्येक सदस्य को एक प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है । धारा-सभा का कार्य अंग्रेजी भाषा में होता है; परन्तु सभापति को अधिकार है कि वह किसी सदस्य को हिन्दी या उर्दू में बोलने की आज्ञा दे सके । सभापति की आज्ञा सबको माननी पड़ती है । बाहरी लोग उसकी आज्ञा से सदस्यों से अलग बैठकर इसकी कार्यवाही सुन सकते हैं ।

प्रत्येक बैठक (Session) आमतौर से ३ या ४ महीने चलती है । बैठक के आरम्भ में कार्यवाही का पूरा व्यौरा बना लिया जाता है । किस कार्यवाही के लिये कितने दिन खर्च किये जायेंगे यह भी तय कर लिया जाता है । प्रत्येक धारा-सभा का मंत्री रोज की कार्यवाही का व्यौरा तैयार करता है और इसकी नक़ल हरेक सदस्य के पास भेज देता है । सारी कार्यवाही दो भागों में बाँट दी जाती है—सरकारी और ग़ैर सरकारी (Official and Nonofficial) । रोज की बैठक का पहिला घंटा प्रश्न पूछने के लिये निश्चित रहता है । हर सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकता है । सरकार का तात्पर्य गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा के सदस्यों से है । प्रश्न पूछने के लिये प्रत्येक सदस्य को १० दिन पहले इसकी सूचना सभा के सभापति को देनी पड़ती है । इससे कार्यकारिणी सभा के सदस्य ठीक समय पर उत्तर देने के लिये तैयार रहते हैं । इंग्लैंड की कामन सभा में सदस्यों को प्रश्न पूछने की सूचना केवल एक दिन पहले देनी पड़ती है । सभापति को अधिकार है कि वह किसी प्रश्न को नामंजूर कर दे । कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता । भारतीय सरकार का विदेशों से सम्बन्ध, भारतीय रिशासतें, हाईकोर्ट में किसी मुक़दमें की सुनाई आदि विषय इस कोटि में गिने जाते हैं । किसी सरकारी पदाधिकारी के चरित्र के विषय में भी वेई प्रश्न नहीं पूछ सकता ।

यह सम्भव नहीं है कि धारा-सभा अपनी सभी कार्यवाही पूरी बैठक के सामने कर सके । न तो इसके लिये समय है और न सभी सदस्य इन पर राय देने की योग्यता रखते हैं । इसलिये विभिन्न कार्य के लिये धारा-सभा की प्रत्येक सभा में अनेक कमीटियाँ होती हैं । सेलेक्ट कमीटी, सम्मिलित कमीटी, बिल के लिये दस्तावेज़ सम्बन्धी कमीटी, सरकारी हिसाब-किताब सम्बन्धी कमीटी, इत्यादि कमीटियाँ हैं । प्रत्येक कमीटी में सदस्यों की संख्या कमवेश होती है । जब कभी धारा-सभा किसी विषय पर विचार करना चाहती है तो वह चन्द

सदस्यों की एक कमीटी उसके लिये बना देती है। जो सदस्य जिस विषय का जानकर होता है वह उससे सम्बन्ध रखने वाली कमीटी में रक्खा जाता है। छोटी या बड़ी धारा-सभा इस विषय का प्रस्ताव पास करती है कि अमुक बिल सम्मिलित कमीटी (Joint Committee) को सुघुर्द कर दिया जाय। यदि यह प्रस्ताव दूसरी सभा को मंजूर है तो दोनों धारा-सभायें बराबर सदस्यों को चुन कर एक सम्मिलित कमीटी बना देती हैं। कमीटी स्वयं अपना सभापति चुनती है। कार्य करने का स्थान तथा समय, सब कुछ बड़ी धारा-सभा (Council of State) का सभापति निश्चित करता है।

क्रानून किस प्रकार बनते हैं इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिये। इसके बनने का तरीका बहुत ही पेचीदा है। यह कई सीढ़ियों से होकर गुज़रता है। ये सीढ़ियाँ दोनों सभाओं में एक सी हैं। जब कोई क्रानून धारा-सभा में पेश किया जाता है तो इसे बिल कहते हैं। जब दोनों धारा सभायें इसे पास कर देती हैं तो यह ऐक्ट कहलाने लगता है। जब गवर्नर-जनरल इस पर अपना हस्ताक्षर कर देता है तो यह क्रानून कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि बिल कैसे पेश होते हैं और किस प्रकार वे क्रानून बन जाया करते हैं। बिलों को दो केटि में बाँट सकते हैं—सरकारी और ग़ैर सरकारी। जब सरकार स्वयं कोई क्रानून पास कराना चाहती है तो अपने सदस्यों द्वारा उस आशय का कोई बिल पेश करवाती है। इसे सरकारी बिल कहते हैं। जो बिल धारा सभा के अन्य सदस्य पेश करते हैं वे ग़ैर सरकारी बिल कहे जाते हैं।

बिल दोनों धारा-सभाओं में आरम्भ किया जा सकता है। धारा-सभा का कोई सदस्य इसे पेश कर सकता है। जो सदस्य बिल पेश करना चाहता है उसे इसकी सूचना एक महीना पहिले अपनी धारा-सभा के सभापति को देनी पड़ती है। साथ ही उसे बिल का उद्देश्य भी पेश करना पड़ता है। जब सभापति इसकी आज्ञा दे देता है तो सदस्य एक निश्चित तिथि पर धारा-सभा की बैठक में इसे पेश करता है। इसके बाद वह सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। यदि गवर्नर-जनरल की राय में बिल भारतीय नियम और शान्ति को भंग करता है, तो वह अपने अधिकार से इसे उसी जगह रोक सकता है। यदि ऐसा न हुआ तो बिल की कार्यवाही आगे को चलती है। बिल पेश करते समय सदस्य धारा-सभा से अनुरोध करता है कि बिलकट भविष्य में इस पर विचार करने के लिये कोई दिन निश्चित कर दिया जाय। यदि धारा-सभा के पास समय हो तो वह उसी दिन से उस पर विचार करना आरम्भ कर सकती है। जैसा निश्चित हो,

पहिली बार बिल पर मोटे तौर से विचार किया जाता है। इस अवस्था में उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता। उसकी अथवा अन्य सदस्यों की राय से उसे सेलेक्ट कमीटी को सुपुर्द कर दिया जाता है।

सेलेक्ट कमीटी इस पर अच्छी तरह विचार कर इसकी रिपोर्ट धारा-सभा को देती है। ३ महीने के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकती। धारा-सभा चाहे तो तीन महीने के अन्दर इसकी रिपोर्ट ले सकती है। टैक्स सम्बन्धी बिलों पर यह ३ महीने वाला नियम लागू नहीं होता। रिपोर्ट मिल जाने पर बिल पेश करने वाला सदस्य इसे धारा-सभा की बैठक में पेश करता है। परन्तु उस पर किसी तरह के बहस सुवाहिसे नहीं किये जा सकते। सिलेक्ट कमीटी के संशोधन और उसकी रिपोर्ट सरकारी गजट में प्रकाशित कर दी जाती है। इसकी छपी हुई एक एक प्रति धारा-सभा के प्रत्येक सदस्य के पास भेज दी जाती है। इसके बाद बिल पेश करने वाला सदस्य धारा-सभा से अनुरोध करता है कि वह इस पर विचार करे। संशोधन पेश करने के लिये सदस्यों को दो दिन पहिले से सभापति को सूचित करना पड़ता है। सभी संशोधनों पर क्रम पूर्वक विचार किया जाता है। बिल की एक एक धारा पर अलग अलग विचार होता है। कोई संशोधन न हुआ तो बिल पेश करने वाला इसे पास करने का प्रस्ताव कर सकता है। बिल पास हो जाने पर सभापति उस पर अपनी दस्तखत करता है। जब यह क्रिया एक सभा में समाप्त हो जाती है तो बिल दूसरी सभा में भेज दिया जाता है। वहाँ भी इसी क्रम से होकर उसे गुज़रना पड़ता है।

दूसरी सभा में बिना किसी संशोधन के बिल पास हो जाने पर गवर्नर-जनरल के हस्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता है। परन्तु दूसरी धारा-सभा में अक्सर कुछ संशोधन किये जाते हैं। यदि ये पहिली धारा-सभा को मंजूर है तब भी बिल पास समझा जाता है और वह गवर्नर-जनरल के हस्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता है। गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह उसे नामंजूर कर दे। उसके मंजूर कर देने पर वह बिल कानून कहलाता है।

बजट को पेश करने और उसे पास कराने का तरीका निम्नलिखित है। हमारे देश में सरकारी आमदनी और खर्च का साल पहिली अप्रैल से ३१ मार्च तक माना जाता है। हर साल जाड़े के महीने में केन्द्रीय सरकार अपनी आमदनी और खर्च का ब्यौरा तैयार करती है। धारा-सभा के सामने यह चिन्ता पेश किया जाता है। इसी को बजट कहते हैं। इस पर विचार करने के लिये धारा-सभा कोई दिन तै करती

है। जो बात बहुमत से तै होती है वह दोनों सभाओं को माननी पड़ती है। बड़ी सभा का सभापति इसका सभापति होता है।

३—जब कोई बिल धारा-सभा में पेश होता है तो कुछ सदस्य इस बात का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं कि दूसरी धारा-सभा सम्मिलित निर्वाचक कमीटी के सदस्य अपने कुछ प्रतिनिधि सिलेक्ट कमीटी में भेज दें। इससे दूसरी सभा को बिल की प्रगति मालूम होती रहेगी। उसके प्रतिनिधियों को इस पर राय देने का Joint Select Committee मौका मिलता रहेगा। इससे दोनों सभाओं में मतभेद उत्पन्न होने की सम्भावना कम होगी। बिल पर विचार करने के लिये पहिली सभा में जो ज्वार्येंट कमीटी बनाई जाती है उसमें दोनों सभाओं के बराबर सदस्य होते हैं। इसका सभापति इसी कमीटी द्वारा चुना जाता है, और उसे केवल एक वोट देने का अधिकार है। कमीटी का फ़ैसला दोनों सभाओं को मान्य होता है।

इसके अलावा एक और तरीका मतभेद को दूर करने के लिये बनाया गया है। दोनों सभाओं में मतभेद होने पर गवर्नर-जनरल अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है। वह बिल को तसदीक (Certify) कर सकता है। इससे वह बिल अपने आप पास समझा जाता है। १९३४ ई० में लार्ड रीडिंग ने नमक-कर पर अपने इसी अधिकार का प्रयोग किया था।

धारा-सभा के सदस्यों को कौंसिल चैम्बर के भीतर बोलने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। कोई कचहरी इसके लिये उस पर केन्द्रीय धारा सभा मुक़दमा नहीं चला सकती। परन्तु उन्हें सभा की कार्य-के अधिकार पद्धति का ध्यान रखना पड़ता है। इरेक सदस्य को बैठक की पूरी अवधि तक लगभग १६½ रोजाना भत्ता तथा अपने स्थान से दिल्ली तक आने जाने का रेल का किराया दिया जाता है। बैठक के बीच में कोई सदस्य किसी अपराध के लिये गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता।

हिन्दोस्तान की राजसत्ता पार्लियामेंट के हाथ में होने से केन्द्रीय धारा-सभा की सारी कार्रवाई अंतिम नहीं समझी जाती। इसके द्वारा पास किये गये क़ानून गवर्नर-जनरल अथवा पार्लियामेंट द्वारा रद्द किए जा सकते हैं। फिर भी किसी एक दायरे के अन्दर केन्द्रीय धारा-सभा को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। हिन्दोस्तान की सीमा के अन्दर जितने व्यक्ति अथवा संस्थाएँ हैं, उनके लिये वह क़ानून बनाने की अधिकारिणी है। आवश्यकता-

नुसार नये क़ानूनों को बनाने तथा पुराने क़ानूनों को हटाने का उसे अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके लिये उसे पार्लियामेंट की अनुमति लेनी होती है। पार्लियामेंट के विरुद्ध उसे कोई कार्य करने का अधिकार नहीं है। भारतमंत्री की आज्ञा के बिना केन्द्रीय धारा-सभा किसी न्यायालय को यह अधिकार नहीं दे सकती कि वह किसी योरप-निवासी को प्राणदंड दे सके। गवर्नर-जनरल की इच्छा के विरुद्ध आर्थिक विषयों से सम्बन्ध रखता हुआ कोई बिल पेश नहीं किया जा सकता। धारा-सभा धार्मिक विषयों पर तब तक विचार नहीं कर सकती, जब तक गवर्नर-जनरल की आज्ञा प्राप्त न हो जाय। फौज सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार उसे उसी हालत में है जब गवर्नर-जनरल इसकी आज्ञा दे दे। देशी रियासतों के मामलों में वह गवर्नर-जनरल की आज्ञा के बिना हाथ नहीं डाल सकती। गवर्नर-जनरल के आर्डिनेन्स को समाप्त करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है।

यदि कोई बिल केन्द्रीय धारा-सभा में पेश है तो गवर्नर-जनरल अपने अधिकार से उसे रोक सकता है। परन्तु उसे यह सिद्ध करना होगा कि उपरोक्त बिल शान्ति में बाधक होगा। कोई क़ानून धारा-सभा द्वारा तब तक पास नहीं समझा जाता जब तक गवर्नर-जनरल उस पर अपनी अनुमति न दे दे। गवर्नर-जनरल की अनुमति प्राप्त होने पर भी पार्लियामेंट उसे रद्द कर सकती है। इस अधिकार से भारतीय धारा-सभा का स्थान एक कठपुतली की तरह है। उसे पार्लियामेंट और गवर्नर-जनरल की इच्छा पर नाचना पड़ता है। इंग्लैंड के इतिहास में ऐसे अवसर बहुत कम मिलेंगे जब कि सम्राट् ने पार्लियामेंट की कार्यवाहियों को रद्द कर दिया हो। इसके विपरीत हिन्दोस्तान का इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है। गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह बने हुये क़ानूनों को रद्द तथा नये क़ानून पास कर सके। वह जब चाहे एलान कर सकता है कि अमुक क़ानून हिन्दोस्तान की बेहतरी के लिये ज़रूरी है। धारा-सभा इससे सहमत न हो, लेकिन वह क़ानून पास समझा जायेगा। १६२२ ई० में लार्ड रीडिंग ने अपने विशेष अधिकारों द्वारा ऐसा क़ानून पास किया था। धारा-सभा की इच्छा के विरुद्ध बिल (Princes Protection Bill) पास कर दिया गया। १६२३ ई० में उन्होंने दूसरा बिल भी अपने अधिकार से पास कराया। धारा-सभा विरोध करती रही लेकिन नमक कर १ रुपया ४ आने से बढ़ा कर २ रुपये ८ आना फ़ी मन कर दिया गया।

प्रजातंत्रवादी देशों में सरकार की आमदनी और खर्च का अधिकार

धारा-सभा को दिया गया है। यह अधिकार छोटी सभा के हाथों में इसलिये रक्खा गया है कि वही प्रजा की सच्ची प्रतिनिधि है। परन्तु हिन्दोस्तान में उसे इस अधिकार से वंचित रक्खा गया है। यहाँ तो किसी सदस्य को गवर्नर-जनरल की आज्ञा के बिना बजट में कोई रद्दोबदल का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार नहीं है। केन्द्रीय सरकार में खर्च के कुछ ऐसे मद बनाये गये हैं, जिन पर धारा-सभा अपना मत प्रकट नहीं कर सकती। भारतीय सरकार के कर्जों की सूद, बड़े बड़े सरकारी अफसरों का वेतन, वे खर्च जो राजनीतिक प्रबन्ध, सेना तथा मजदूरी मद में खर्च किये जाते हैं—इन पर केन्द्रीय धारा-सभा की राय की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं मदों में लगभग एक चौथाई रकम खर्च की जाती है, परन्तु धारा-सभा इसमें हाथ नहीं डाल सकती। यदि वह अपने अधिकार से किसी मद का खर्च घटा बढ़ा देती है तो उसे रद्द करने का अधिकार गवर्नर-जनरल को किया गया है। वह किसी भी मद में जितना चाहे खर्च कर सकता है। बृटिश साम्राज्य के अन्तर्गत कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा दक्खिनी अफ्रीका में गवर्नर-जनरल को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इसलिये कहा गया है, कि १९१६ के शासन-विधान में आर्थिक तथा शासन सम्बन्धी अधिकार की दृष्टि से केन्द्रीय धारा-सभा अत्यन्त कमज़ोर है। कहने के लिये शासन के सभी क्षेत्रों में उसे अधिकार प्राप्त हैं परन्तु वे दिखलाने के लिये हैं।

नये शासन-विधान में केन्द्रीय धारा-सभा का नाम संघ धारा-सभा होगा। पहिले की तरह अब भी इसमें छोटी और १९३५ के संघ बड़ी दो सभायें होंगी। बड़ी सभा का नाम कौंसिल-शासन-विधान में आफ्र-स्टेट और छोटी का फ़ीडरल असेम्बली होगा। केन्द्रीय धारा-सभा बड़ी सभा (Council of State) में अधिक से की शकल - अधिक २६० सदस्य होंगे। इनमें १५६ बृटिश प्रान्तों से चुनकर और बाकी १०४ सदस्य देशी-रियासतों से राजाओं द्वारा नामजद होकर आयेंगे।

सदस्यों की ठीक ठीक संख्या इसलिये नहीं बताई जा सकती कि यह मालूम नहीं है कि कितनी देशी रियासतें संघ शासन में कौंसिल-आफ्र शामिल होंगी। जो १५६ सदस्य बृटिश प्रान्तों से चुनकर आयेंगे उनमें केवल १४० जगहें प्रान्तों को दी गई हैं। बाकी १६ सदस्यों के लिये प्राप्तीयता की कैद नहीं है। इन १६ सदस्यों में ७ अंग्रेज, १ अंग्रेजी ईसाई, २ भारतीय ईसाई तथा ६ गवर्नर-जनरल द्वारा नामजद किये जायेंगे। नामजद सदस्यों

में अछूत और स्त्रियाँ होगी। १४० सीटें निम्न-लिखित प्रकार से बाँटी गई हैं :—

मद्रास	...२०	पश्चिमोत्तरप्रदेश	...५
बम्बई	...१६	उड़ीसा	...५
बंगाल	...२०	सिन्ध	...५
यू० पी०	...२०	ब्रिटिश बिलोचिस्तान	...१
पंजाब	...१६	दिल्ली	...१
बिहार	...१६	अजमेरमारवाड़ा	...१
सी० पी० और बरार	...--८	कुर्ग	...१
आसाम	...५	जोड़	१४०

जो १०४ सीटें देशी रियासतों को दी गई हैं उनका ठीक ठीक व्यौरा तब तक मालुम नहीं हो सकता जब तक संघ धारा समा बन कर तैयार न हो जाय। कुछ बड़ी बड़ी रियासतों को जो निश्चित सीटें दी गई हैं उनका व्यौरा इस प्रकार है :—हैदराबाद ५, मैसूर ३, काश्मीर ३, ग्वालियर ३, बड़ौदा ३, और ट्रावनकोर २।

कौंसिल आफ्-स्टेट में जो १४० सदस्य सूबों से चुन कर आयेंगे, उनका चुनाव प्रत्यक्ष (Direct) रूप से होगा। नागरिक उन्हें स्वयं चुन कर भेजेंगे। इस बड़ी सभा को कोई निश्चित अवधि नहीं है। यदि गवर्नर-जनरल इसे बर्खास्त न करे तो यह सभा स्थाई रूप से काम करेगी। हर तीसरे साल एक तिहाई सदस्य बदलते रहेंगे। इस प्रकार प्रत्येक ६ वर्ष पर सभा के सभी सदस्य बदल जाया करेंगे। इस सभा को एक सभापति तथा एक उपसभापति चुनने का अधिकार होगा। १४ दिन की इत्तला देकर इसके सदस्य इन्हें बहुमत से हटा सकते हैं। संघ धारा-सभा उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों का वेतन निश्चित करेगी। सदस्यों का वेतन अथवा भत्ता वही तै करेगी।

फ्रेडरल असेम्बली संघ धारा-सभा की छोटी सभा होगी। इसमें अधिक से अधिक ३७५ सदस्य होंगे। इसमें २५० सूबों फ्रेडरल असेम्बली से चुन कर और शेष १२५ देशी रियासतों से राजाओं द्वारा नामज़द होकर आयेंगे। यद्यपि देशी रियासतों की Federal Assembly जनसंख्या हिन्दोस्तान की जनसंख्या की एक चौथाई है, लेकिन उन्हें फ्रेडरल असेम्बली में एक तिहाई सीटें दी गई हैं। जो २५० सदस्य ब्रिटिश प्रान्तों से चुन कर आयेंगे उनमें ४ का स्थान प्रान्तीयता के आधार पर नहीं बनाया गया है। इन ४ सदस्यों में ३

व्यापार के प्रतिनिधि होंगे, और १ मज़दूरों का प्रतिनिधि होगा। असेम्बली के सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जायेंगे। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष (Indirect) रूप से होगा। प्रान्तीय-धारा सभाओं के सदस्य इन्हें चुन कर भेजेंगे। इस सभा की बनावट में यह सबसे बड़ा दोष माना गया है। जो २४६ सीटें विभिन्न प्रान्तों में विभाजित की गई हैं उनका व्यौरा निम्नलिखित है :—

मद्रास	... ३७	पश्चिमोत्तर प्रदेश	... ५
बम्बई	... ३०	उड़ीसा	... ५
बंगाल	... ३७	सिन्ध	... ५
यू० पी०	... ३७	बृटिश बिलोचिस्तान	... १
पंजाब	... ३०	दिल्ली	... २
बिहार	... ३०	अजमेर मारवाड़ा	... १
सी० पी० और बरार	... १५	कुर्ग	... १
आसाम	... १०	जोड़	२४६

जो १२५ सीटें देशी रियासतों को दी गई हैं उनकी ठीक ठीक संख्या तभी मालूम होगी जब संघ शासन-विधान कार्यान्वित होगा। कुछ बड़ी बड़ी रियासतों को निम्नलिखित प्रकार से सीटें दी गई हैं :—

हैदराबाद १६, मैसूर ७, द्रावनकोर ५, खालियर ४, काश्मीर ४ और बड़ौदा ३। जो रियासतें बहुत छोटी हैं उन्हें दो दो या तीन तीन को शामिल करके एक सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया है।

१९१६ के शासन-विधान में केन्द्रीय धारा-सभा की छोटी सभा की अवधि ३ वर्ष रखी गई थी। नये शासन-विधान में छोटी धारा-सभा (Federal Assembly) की अवधि ५ वर्ष रखी गई है। गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह जब चाहे इसे बर्खास्त कर दे। परन्तु ५ वर्ष से अधिक, जो कि इसकी निश्चित अवधि ठहराई गई है, वह इसका समय नहीं बढ़ा सकता। इसका सभापति स्पीकर और उसका सहायक डिप्टी-स्पीकर होगा। यदि किसी कारणवश ५ वर्ष से पहिले यह बर्खास्त कर दी गई तो स्पीकर अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक दूसरी फेडरल असेम्बली की पहली बैठक न हो।

कोई व्यक्ति कौंसिल-आफ़-स्टेट का तब तक सदस्य न होगा जब तक उसकी उम्र कम से कम ३० वर्ष की न हो। फेडरल दोनों सभाओं असेम्बली के सदस्य के लिये कम से कम २५ वर्ष पर आलोचनात्मक का होना आवश्यक है। कौंसिल आफ़-स्टेट के सदस्य द्विष्टि का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और फेडरल-असेम्बली के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कौंसिल-आफ़-

स्टेट के चुनाव में मताधिकार का क्षेत्र इतना संकुचित रक्खा गया है कि सारे हिन्दोस्तान में इसके लिये केवल १,००,००० मताधिकारी होंगे। मत-दाताओं के लिये बहुत बड़ी जायदाद का रखना आवश्यक ठहराया गया है। कोई व्यक्ति दोनों धारा-सभा का सदस्य नहीं रह सकता। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा स्वित्ज़रलैंड की तरह बड़ी धारा-सभा में प्रान्तों के समानाधिकार का ध्यान नहीं रक्खा गया है। कौंसिल-आफ़ स्टेट में देशी रियासतों को अनुपात से अधिक हिस्सा दिया गया है। फेडरल असेम्बली की अवधि ५ वर्ष रखने से धारा-सभा के सदस्यों की ज़िम्मेवारी बहुत कुछ कम हो जाती है। इससे राजनीतिक वातावरण में शिथिलता उत्पन्न हो सकती है। नये शासन-विधान में कौंसिल-आफ़-स्टेट के ६ सदस्य को छोड़ कर, नामज़दगी का तरीका हटा दिया गया है। राजनीतिक अधिकार की दृष्टि से यह तरीका अत्यन्त सराहनीय है, परन्तु देशी रियासतों के आये हुए सदस्य जनता के प्रतिनिधि न होकर राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे, अर्थात् अब तक केवल दस बीस सदस्य नामज़द होते थे परन्तु नये शासन विधान में १०० से अधिक सदस्य नामज़द किये जायेंगे।

सत्र धारा-सभा की सबसे बड़ी कमज़ोरी साम्प्रदायिक आधार पर सदस्यों का निर्वाचन है। इससे विभिन्न सम्प्रदाय अपने अपने अधिकारों के लिये आपस में टक्कर खायेंगे। इससे यह देश एक सुसंगठित राष्ट्र नहीं बन सकता। राजनीतिक दलबन्धियों के स्थान पर साम्प्रदायिक गुट बनाये जायेंगे। जिससे सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना में बाधा पड़ेगी। स्त्रियों को अलग मताधिकार देकर भारतीय समाज को और कमज़ोर कर दिया गया है। आश्चर्य तो यह है कि स्त्रियों के विरोध करने पर भी शासन-विधान में यह बात घुसेड़ दी गई है। फेडरल असेम्बली के लिये अ-प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति बना कर भारतीय जनता का राजनीतिक प्रभाव कम कर दिया गया है। १९३४ ई० में स्वयं ज्वाइंट पार्लियामेन्टरी कमीटी ने इसकी कमज़ोरियों को तसदीक किया था। कौंसिल-आफ़-स्टेट के चुनाव के लिये निर्वाचन क्षेत्र इतने बड़े रक्खे गये हैं कि कुछ का क्षेत्रफल वेल्स से भी बड़ा होगा। ऐसी दशा में किसी सदस्य के लिये यह सम्भव नहीं होगा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का पूरा पूरा अध्ययन करे। किसी भारतीय राजनीतिज्ञ ने यह सलाह दी है कि ये बुराइयाँ फेडरल असेम्बली में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा देने से बहुत कुछ कम हो सकती हैं। उनका कहना है कि इसके सदस्यों की संख्या कम से कम ६०० कर दी जाय। ब्रूटेन की जनसंख्या हिन्दोस्तान की $\frac{1}{3}$ है, फिर भी कामन सभा में ६१५ सदस्य हैं।

मताधिकार भी और बढ़ना चाहिये। परन्तु केवल संघ धारा-सभा के चन्द्र सुधारों से तब तक काम नहीं चल सकता जब तक समूचे संघ शासन-विधान में परिवर्तन न किया जाय।

संघ धारा-सभा की कार्यपद्धति उसी प्रकार की होगी जो वर्तमान धारा-सभा की है। जब तक दोनों सभाओं में कम से कम कार्य-पद्धति ३ सदस्य उपस्थित न हों, तब तक कोई कार्यवाही और अधिकार शुरू नहीं की जा सकती। संघ धारा-सभा को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह ब्रिटिश भारत तथा संघ में आने वाली देशी रियासतों के लिये कानून बना सके। परन्तु ब्रिटिश पार्लियामेंट की मातहत में वह कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह इसके पास किये गये कानूनों को रद्द कर सके। गवर्नर-जनरल के विशेषाधिकारों तथा व्यक्तिगत ज़िम्मेवारियों के सामने इसके अधिकार नाम मात्र को रह जायेंगे। सरकारी आय की ८० प्रतिशत ज़िम्मेवारी धारा-सभा के हाथों से बाहर रक्खी गई है। आवश्यकता पड़ने पर संघ धारा-सभा प्रान्तों के लिये कानून बना सकती है। कानून बनाने के सभी विषय ३ भागों में बाँटे गये हैं। कुछ विषय केन्द्रीय धारा-सभा को, कुछ प्रान्तीय धारा-सभा को और कुछ दोनों को सम्मिलित रूप से दिये गये हैं। सारांश यह है कि भारतीय संघ धारा-सभा को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जो दुनियाँ के और संघ शासन के अन्दर उसे दिये गये हैं।

स्थानों का खाका

कौंसिल ग्राफ़ स्टेट

बृटिश भारत के प्रतिनिधि

१	२	३	४	५	६	७
सूबा या सम्प्रदाय	कुल स्थान	साधारण स्थान	हरिजनों के स्थान	सिखों के स्थान	मुसलमानों के स्थान	स्त्रियों के स्थान
मदरास	२०	१४	१	—	४	१
बम्बई	१६	१०	१	—	४	१
बंगाल	२०	८	१	—	१०	१
संयुक्त प्रान्त	२०	११	१	—	७	१
पंजाब	१६	३	—	४	८	१
बिहार	१६	१०	१	—	४	१
मध्य प्रान्त और बरार	८	६	१	—	१	—
आसाम	५	३	—	—	५	—
पश्चिमोत्तर प्रदेश	५	१	—	—	४	—
उड़ीसा	५	४	—	—	१	—
सिन्ध	५	५	—	—	३	—
बृटिश बिलोचिस्तान	१	—	—	—	१	—
दिल्ली	१	१	—	—	—	—
अजमेर मेरवाड़ा	१	१	—	—	—	—
कुर्ग	१	१	—	—	—	—
अंग्रेज़ी ईसाई	१	—	—	—	—	—
यूरोपियन	७	—	—	—	+	—
देशी ईसाई	२	—	—	—	×	—
कुल जोड़	१५०	७५	६	४	४९	६

स्थानों का खाका

फ़ेडरल असेम्बली

ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
प्रान्त	कुल स्थान	साधारण स्थानों का जोड़	हरिजनों के सुरक्षित साधारण स्थान सिक्कों के स्थान	मुसलमानों के स्थान	अंग्रेजी ईसाइयों के स्थान	इरोपियन के स्थान	भारतीय ईसाइयों के स्थान	व्यापार और व्यवसाय के स्थान	जमींदारों के स्थान	मजदूरों के स्थान	स्त्रियों के स्थान	
मदरास	३७	१८	४	—	८	८	२	२	२	२	२	३
बम्बई	३०	१३	३	—	६	८	२	२	२	२	२	३
बंगाल	३७	१०	३	—	१७	१	२	२	३	२	२	२
संयुक्त प्रान्त	३७	१८	३	—	१२	१	२	२	—	२	२	१
पंजाब	३०	६	१	—	१४	—	२	२	—	२	—	२
बिहार	३०	१६	२	—	८	—	२	२	—	२	२	२
मध्य प्रान्त व बरार	१५	८	२	—	३	—	—	—	—	२	२	२
आसाम	१०	४	१	—	३	—	२	२	—	—	२	—
पश्चिमोत्तर प्रदेश	५	२	—	—	३	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	५	४	१	—	१	—	—	—	—	—	—	—
सिन्ध	५	२	—	—	३	—	२	—	—	—	—	—
ब्रिटिश बिलोचिस्तान	१	—	—	—	१	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	२	२	—	—	१	—	—	—	—	—	—	—
अजमेर मेरवाड़ा	१	१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुर्ग	१	१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
प्राभतीयता से भिन्न स्थान	४	—	—	—	—	—	—	—	३	—	१	—
कुल जोड़	२५०	१०५	१८	६	८२	४	८	८	११	७	१०	८

यह बात निर्विवाद है कि अभी तक हिन्दोस्तान में एक जिम्मेवार शासन (Responsible Government) की केन्द्रीय धारा सभा स्थापना नहीं हुई है। इस देश का राजनीतिक इतिहास और केन्द्रीय कार्य-इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की सरकार जनता कारिणी सभा की आवाज़ की परवाह कम करती है। सर सुरेन्द्रनाथ का सम्बन्ध बनजों के शब्दों में, “कार्य-कारिणी सभा उस पत्थर की चट्टान की तरह है जिस पर कोई भी अपना सर तोड़ सकता है।” १९१६ के शासन-विधान में कार्यकारिणी सभा और धारा सभा के सम्बन्ध में कोई खास अन्तर नहीं पड़ा। कार्यकारिणी पहले की तरह ग़ैर जिम्मेवार बनी रही। १९३५ के संघ शासन-विधान में भी इसकी ग़ैर जिम्मेवारी वैसी ही बनी हुई है।

गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल अपने कामों के लिये पूरी तरह आज़ाद हैं। धारा-सभा उनमें अविश्वास का प्रस्ताव पास करे, तो भी वे अपने पद से हटाये नहीं जा सकते। उसे यह अधिकार नहीं है कि वह उनके वेतन तथा भत्ते के विषय में कोई परिवर्तन करे। कार्यकारिणी सभा की सलाहों को मानने के लिये वह बाध्य है। अपनी ग़लतियों के लिये इस देश की कार्यकारिणी बृटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। पार्लियामेंट की इच्छा से असीम काल तक वह अपने स्थान पर बनी रहेगी। धारा-सभा की इच्छा के विरुद्ध गवर्नर-जनरल क़ानून बना सकता है, आर्डिनेंस जारी कर सकता है, बने हुए क़ानूनों को रद्द कर सकता है तथा उसे बर्खास्त भी कर सकता है। इससे ज़ाहिर है कि, इस देश की केन्द्रीय सरकार धारा-सभा के अधिकार में नहीं है या दूसरे शब्दों में इस देश की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसे प्रजातन्त्र कहना ग़लत है। जब तक जनता के प्रतिनिधि शासन में पूरा अधिकार नहीं रखते तब तक एक जिम्मेवार शासन की स्थापना नहीं हो सकती।

संसार में प्रजातंत्र की भावना बढ़ रही है। धारा-सभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक कर दी गई है। इसके आर्थिक अधिकार भी पहले से बढ़ा दिये गये हैं। कार्य-रूप में यह सम्भव नहीं है कि गवर्नर-जनरल और वाइसराय बार बार उसके बनाये हुए क़ानूनों को रद्द करते रहें। सरकार जनता की आवाज़ को अधिक काल तक नहीं टुकरा सकती। यह बात ठीक है कि हमारे देश की धारा-सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह कार्यकारिणी को भंग कर सके, परन्तु उसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में कम नहीं है। साधारण परिस्थिति में वह सब कुछ कर सकती है, परन्तु असाधारण

परिस्थिति उत्पन्न होने पर उसके अधिकारों की अवहेलना की जाती है। कानूनी दृष्टि से भारत सरकार धारा-सभा से पूर्णतया स्वतंत्र है, परन्तु कार्य रूप में वह जनता के विचारों से बँधी हुई है। सर मलकम हेली ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा था कि, “यद्यपि भारत सरकार जनता के प्रति ज़िम्मेवार नहीं है फिर भी वह उसकी आवाज पर विचार करती है।” धारा-सभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अथवा प्रस्ताव पेश होते हैं, उनका प्रभाव कार्यकारिणी विभाग पर कम नहीं पड़ता।

धारा सभा का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकारिणी सभा के ऊपर अधिक पड़ता है। १९१९ के मान्टेग्यू चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि अप्रत्यक्ष प्रभाव महत्वपूर्ण है। कार्यकारिणी सभा धारा-सभा के प्रति ज़िम्मेवार न होते हुए भी मनुष्यत्व से दूर नहीं जा सकती। जनता के प्रतिनिधियों के विचारों को ठुकराने में उसे वहीं तक सफलता मिलेगी जहाँ तक जनता इसे बर्दाश्त कर सकती है। २० वीं सदी प्रजातंत्र-वाद का युग है। स्वतंत्रता और समानता के शब्द चारों ओर गूँज रहे हैं। ऐसी दशा में जनता की आवाज़ को ठुकराना ख़तरा से खाली नहीं है। भारतीय जनता की आवाज़ अभी सुसंगठित नहीं है, यही कारण है कि अब भी यहाँ ग़ैर ज़िम्मेवार शासन चलाया जा रहा है। जब तक कार्य-कारिणी अपने कामों के लिये धारा सभा के प्रति पूरी तरह ज़िम्मेवार न होगी, तब तक सच्चे प्रजातन्त्रवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। संसार के सभी प्रजातन्त्रवादी देशों में यह धारा-सभा की मातहत में काम करती है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि शासन में अनेक परिवर्तन करने पर भी हम अभी उस श्रेणी तक नहीं पहुँच सके हैं।

अध्याय १०

केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध

आरम्भ से ही बृटिश सरकार की यह नीति रही है कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति अधिक से अधिक बढ़ाई जाय। बृटेन को दोनों सरकारों राजनीतिक शक्ति केन्द्रित करने में सबसे बड़ी सुविधा का दरजा यह थी कि जनता के अधिकार नाममात्र को शेष रह जावेंगे। प्रान्तीय सरकारों को छोटे मोटे अधिकार देकर केन्द्रीय सरकार उन्हें अपनी इच्छानुसार चलाती रहती है। बृटिश सरकार की

दूसरी नीति हिन्दोस्तान को अधिक से अधिक टुकड़ों में बाँटने की रही है। १९०५ ई० में जब बंगाल को २ टुकड़ों में बाँटने की व्यवस्था की गई तो यह बात और भी स्पष्ट हो गई थी। लोगों ने इसका पूरी तरह विरोध किया और बंगाल विभाजित न हो सका। केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों का सम्बन्ध एक सा नहीं रहता। इनके सम्बन्ध को अच्छी तरह समझने के लिये हम इसे ३ भागों में बाँट सकते हैं। इनका वर्णन आगे चल कर किया जायेगा। एक बात हमें स्मरण रखनी चाहिये कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को कम से कम शक्ति प्रदान करती है। जिस वैज्ञानिक ढंग पर और स्वतन्त्र देशों में शक्ति विभाजन किया गया है, उस ढंग पर हमारे देश में इसे नहीं बाँटा गया है। भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार में इस विषय पर बहुत बड़ा मतभेद है। जनता ब्रिटिश प्रान्तों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहती है, परन्तु ब्रिटिश सरकार केन्द्रीय सरकार की शक्ति को किसी भी तरह कम करने पर तैयार नहीं है।

ऊपर कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध एक सा नहीं रहता। वह समय समय पर ऐतिहासिक बदलता रहता है। यह सम्बन्ध ३ कालों में बाँटा जा सकता है :—

१—शक्ति संचय काल (१७७२—१८७०)

२—शक्ति वितरण काल (१८७०—१९३७)

३—प्रान्तीय स्वराज (१९३७ से आरम्भ)

१—ब्रिटिश सरकार की योजना राजनीतिक शक्तियों को एक सूत्र में

बाँधकर एकात्मक राज्य स्थापित करने की रही है। प्रजा

शक्ति संचय काल के विरोध के कारण यह नीति बहुत कुछ बदल गई है, १७७२ से १८७० परन्तु इसका सर्वथा परित्याग नहीं किया गया है। इस

तक देश का राजनीतिक विभाजन किसी वैज्ञानिक ढङ्ग पर

नहीं किया गया है। शासन की सुविधा का ध्यान रख

कर इसे चन्द टुकड़ों में बाँट दिया गया है। सूबों की संख्या घटाने बढ़ाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया था। प्रान्तीय सरकारों को सब

काम गवर्नर-जनरल और उसकी कौन्सिल से पूछ कर करना पड़ता था। केन्द्रीय सरकार सारे हिन्दोस्तान के लिये कानून बनाती थी। इसके लिये वह ब्रिटिश

पार्लियामेंट के प्रति ज़िम्मेवार थी। १७७४ के पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई तीनों अहातों को अपना अपना शासन कार्य चलाने का अधिकार दिया

आ० भा० शा०—१८

गया था। वारेन हेस्टिंग्स के जमाने में १७७३ ई० में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के पास होने पर केन्द्रीय सरकार की शक्ति बढ़ी। कम्पनी ने धीरे-धीरे राजनीतिक शक्ति गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल को सौंप दिया। कुछ दिनों तक प्रान्तों के गवर्नर मनमानी करते रहे, लेकिन उनकी ताकत घटती गई। १७६८ ई० में जब लार्ड वेलेज़ली हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल हुआ, तो केन्द्रीय सरकार का रुतवा और भी बढ़ा। उसने स्पष्ट कर दिया कि हिन्दोस्तान की रक्षा, टैक्स, लड़ाई और सन्धि, शासन, फौज—इन मामलों में एक मात्र अधिकार गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल को है।

वेलेज़ली की नीति ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने की थी। उसके समय में संयुक्तप्रान्त, कर्नाटक, कनारा, बुन्देलखंड, दिल्ली, उड़ीसा आदि सूबे ब्रिटिश राज्य में शामिल किये गये। नये सूबे सीधे केन्द्रीय सरकार की मातहत में आते थे। वह अपना मज़ी से शासन की सुविधा के लिये लेफ़्टिनेंट गवर्नरों तथा चीफ़ कमिश्नरों को नियुक्त करती थी। १८५४ ई० में बंगाल के शासन के लिये एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। शासन की बड़ी बड़ी बातें मसलन, रक्षा, बाह्य सम्बन्ध, देशी रियासतों से सम्बन्ध इत्यादि विषय केन्द्रीय सरकार के हाथों में रखे गये। इनके अतिरिक्त टकसाल, विनिमय, पोस्ट ब्राफ़िस, रेल, तार, डाक भी उसे सुपुर्द किये गये। बाकी विषय प्रान्तीय सरकारों को इस शर्त पर दिये गये कि गवर्नर-जनरल जब चाहे उनमें हाथ डाल सकता है। क़ानून, न्याय, पुलिस, जेल, घरेलू राजनीति, स्वास्थ्य, सफ़ाई, नौकरी इत्यादि विषय प्रान्तीय सरकारों को दिये गये। शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का बहाना लेकर केन्द्रीय सरकार जब चाहती प्रान्तीय विषयों में हाथ डाल सकती थी। कहा जाता था कि छोटे छोटे कामों में लगे रहने के कारण प्रान्तीय सरकारों का ध्यान उन बातों की ओर नहीं जा सकता था जिन्हें केन्द्रीय सरकार आसानी से सोच सकती थी। वह प्रान्तीय सरकारों का निरीक्षण भली भाँति कर सकती थी। इन्हीं कारणों से प्रान्तीय मामलों में उसका हस्तक्षेप बुरा नहीं माना जाता था। आज भी इन्हीं कारणों को लेकर वह प्रान्तीय मामलों में हाथ डालती है। परन्तु इन हस्तक्षेपों को जनता अच्छा नहीं समझती।

क़ानूनी मामलों में भी शक्ति संचय की नीति बर्ती गयी। १८०७ ई० के नियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों को क़ानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने शक्ति संचय की नीति में इसे बाधक समझ कर उनसे १८३३ ई० में इस अधिकार को वापिस ले लिया। गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल को अधिकार दिया गया कि वे सारे सूबों

के लिये कानून बनावें। प्रान्तीय सरकारें अपने लिये कोई कानून नहीं बना सकती थीं। यद्यपि १८६१ ई० में कानून बनाने का अधिकार प्रान्तों को पुनः प्रदान कर दिया गया, फिर भी केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम न की गई। स्थानीय मामलों में प्रान्तीय सरकारों को थोड़ी स्वतंत्रता मिली। किन्तु यह सब शक्ति वितरण की दृष्टि से नहीं किया गया। केन्द्रीय सरकार के भार को हलका करने के लिये उसे ऐसा करना पड़ा। प्रान्तीय धारा-सभाओं को इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिये गये जिनसे वे केन्द्रीय सरकार की मर्जी के बगैर कोई बड़ा काम कर सकें। १९१६ के पहले ये धारा-सभायें गवर्नर की कार्यकारिणी सभा की एक बृहत् रूप मात्र थीं।

केन्द्रीय सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था कि वह हिन्दोस्तान के शासन प्रबन्ध को एक स्थान से चला सके। उसे प्रान्तीय सरकारों की आवश्यकतायें पूरी तरह मालूम नहीं होती थीं। स्थानीय विषयों में जितनी जानकारी प्रान्तीय सरकारों को थी उतनी उसे नहीं हो सकती थी। इसीलिये उसने कानून बनाने के छोटे मोटे अधिकार प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया। प्रान्तीय धारा-सभाओं को* यह अधिकार न था कि वे पार्लियामेंट तथा केन्द्रीय धारा-सभा के बनाये हुए कानूनों में कोई उलट फेर कर सकें। जब कभी प्रान्तीय धारा-सभायें धार्मिक तथा देशी रियासतों सम्बन्धी कानून बनाना चाहतीं तो उन्हें गवर्नर-जनरल से इसकी आज्ञा लेनी पड़ती थी। कार्यरूप में ये आज्ञायें हर समय प्राप्त हो जाती थीं, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इन बातों को अपने ही हाथ में रख रक्खा था।

केन्द्रीय सरकार ने पहले से ही इतने कानून बना रखे थे कि प्रान्तीय सरकारों को इसका अवसर बहुत कम मिलता था। छोटी से छोटी बातों के लिये केन्द्रीय सरकार ने पहिले से ही कानून बना रक्खा था। अधिकार रखते हुए भी प्रान्तीय धारा-सभायें कुछ नहीं कर सकती थीं। जेल, विवाहशादी, ठीके, सुलहनामें, व्यवसाय, नापतौल, बीमा, दिवाला, खदानें, मिलें, बिजली, मजदूर, आवागमन, स्वास्थ्य, जहर, कोद, पागलपन, सफाई, धर्म, दान देने वाली संस्थायें, खेल कूद, सिनेमा थियेटर, मोटर, प्राचीन स्मारक—इन सबके लिये वह कानून बना चुकी थी। प्रान्तीय सरकारों को इन्हें चुपचाप मानना पड़ता था। इनके अतिरिक्त सारे हिन्दोस्तान से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर उसका एक मात्र अधिकार था। जिन छोटी छोटी बातों का ऊपर जिक्र

*बहुत ही साधारण अर्थ में इन्हें धारा-सभा कहा जा सकता है।

किया गया है उनमें प्रान्तीय और केन्द्रीय दोनों सरकारें हाथ डालने की सुस्तहक थीं ।

प्रान्तीय सरकारों के ऊपर केवल केन्द्रीय सरकार का हुकम चलता तो भी ग़नीमत थी । लेकिन यहाँ तो भारत-मन्त्री की भी आज्ञा मागनी पड़ती थी । क़ानून बनाने के पहिले दोनों से आज्ञा लेनी पड़ती थी । कार्यकारिणी विभाग का अधिकार इतना अधिक था कि छोटा से छोटा बिल प्रान्तीय धारा-सभाओं में पेश नहीं हो सकता था । यदि किसी प्रान्तीय धारा सभा में कोई बिल पेश रहता और केन्द्रीय सरकार उसे पसन्द न करती तो वह प्रान्तीय सरकार को इस बात के लिये मज़बूत करती थी कि वह धारा-सभा की अमुक-कार्रवाई को रोक दे । कर सम्बन्धी बिल धारा सभाओं में केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के बिना पेश नहीं हो सकते थे । प्रान्तीय धारा-सभा द्वारा पास किये गये क़ानूनों की आखिरी मंजूरी गवर्नर-जनरल से लेनी पड़ती थी । इसका नतीजा यह हुआ कि प्रान्तीय सरकार स्थानीय बातों का ज्ञान रखते हुए भी जनता की भलाई के लिये कुछ नहीं कर सकती थी ।

शासन और क़ानून के मामले में प्रान्तीय सरकारों को स्वतंत्रता न थी । सरकारी आय-व्यय पर एकमात्र अधिकार केन्द्रीय सरकार का था । ईस्ट-इंडिया-कम्पनी के समय से ही रुपये-पैसे के मामले में वह सब कुछ समझी जाती थी । हिन्दोस्तान से जितने टैक्स वसूल किये जाते वे सब केन्द्रीय सरकार के खज़ाने में आकर जमा होते थे । इसके बाद उसकी आज्ञा से खर्च किये जाते थे । कुछ समय तक प्रान्तीय सरकारों को टैक्स वसूल करने का अधिकार न था । लेकिन बाद में उन्हें यह अधिकार दिया गया कि चन्द छोटे-मोटे टैक्स वे वसूल करके केन्द्रीय सरकार में भेज दें । इसके लिये एक कौड़ी भी वे खर्च नहीं कर सकती थीं । तात्पर्य यह है कि प्रान्तीय सरकारें नौकर के मानिन्द सब कुछ वसूल करके केन्द्रीय सरकार को दे देती थीं । वह जितना चाहती प्रान्तीय सरकारों से वसूल कराकर माँग लेती । प्रान्तीय सरकारों को न इसमें कोई घाटा था और न सुनाफ़ा । शासन सम्बन्धी खर्च के लिये केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से प्रान्तीय सरकारों को इमदाद देती थी । इस इमदाद में इस बात का ख़याल नहीं रखा जाता था कि किस प्रान्त से कितने रुपये की आमदनी हुई है । केन्द्रीय सरकार जितनी ज़रूरत समझती उतनी प्रान्तीय सरकारों को अलग अलग दे देती थी । सभी विषयों की तरह आर्थिक विषय में भी शक्ति संचय अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका था ।

इतने बड़े देश में शक्ति का इतना अधिक संचय जनता के लिये हानिकारक सिद्ध हुआ। प्रजा से मनमाना धन वसूल तो किया जाता लेकिन इसके बदले में उसे बहुत कम लाभ होता था। कारण यह है कि प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी केवल केन्द्रीय सरकार के हुकुम की तामील करते थे। आर्थिक शक्ति संचय की हानियाँ कुछ ही दिनों में प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने लगीं। प्रजा की शारीरिक, मानसिक और विचार सम्बन्धी शक्तियाँ कमजोर होती गईं। केन्द्रीय सरकार की आज्ञा मानने के कारण प्रान्तीय सरकारें जनता की भलाई की ओर से आँख चुराने लगीं। उसका बोलवाला इतना अधिक था कि प्रान्तीय सरकारी कर्मचारी उसे चुपचाप मान लेते थे। ब्रिटिश सरकार की यह शक्ति-संचय वाली नीति अपनी चरम सीमा को पहुँच गई थी। १८७० ई० तक इस नीति के दुष्परिणाम ज़ाहिर होने लगे थे। शासन के सूत्र को एक के हाथ में देकर ब्रिटिश सरकार हिन्दोस्तान की तरफ से निर्द्वन्द्व ज़रूर हो गई थी, लेकिन शक्ति-संचय की इतनी सख्त नीति बहुत दिनों तक काम में नहीं लाई जा सकती थी। १८५७ ई० का शरद बहुत कुछ इसी का परिणाम था।

२—१८६६ ई० में लार्ड मेयो वाइसराय के पद पर नियुक्त किये गये।

शक्ति संचय के दुष्परिणाम उन्हें खटकने लगे। उन्होंने शक्ति-वितरण देखा कि न तो इससे कोई आर्थिक लाभ है और न काज़ १८७० से शासन में ही कोई खास सुविधा होती है। इसके १६३७ तक विपरीत प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार से असन्तुष्ट रहती हैं। उन्हें इतना भी अधिकार नहीं है कि केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के बिना थोड़ा भी धन खर्च कर सकें। लार्ड मेयो के प्रयत्न से प्रान्तीय सरकारों को कुछ आर्थिक अधिकार सौंप दिये गये। शिक्षा, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, सफ़ाई, कुछ नौकरियाँ, छापाखाना, रजिस्ट्री, सड़कें, आवगमन, इमारतें, इत्यादि, इत्यादि, विषयों का प्रबन्ध कुछ शर्तों के साथ उन्हें दे दिया गया। इनकी आय को वे अपने सूबों में खर्च कर सकती थीं। इनके अतिरिक्त कुल सूबों को मिला कर ४६८८७११० रुपये की इमदाद केन्द्रीय सरकार से निश्चित की गई। इस रुपये को वे अपनी इच्छानुसार उपरोक्त मदों में खर्च कर सकते थे। इसके अलावा वे अपने खर्च के लिये नये नये टैक्स भी लगा सकते थे। शेष मदों की आमदनी केन्द्रीय सरकार को भेजनी पड़ती थी।

लार्ड मेयो की योजना का यह तात्पर्य नहीं था कि ब्रिटिश प्रान्तों को आर्थिक मामलों में स्वतन्त्र कर दिया जाय। शासन की सुविधा के लिये कुछ

थोड़े से अधिकार इसलिये दे दिये गये कि केन्द्रीय सरकार की परेशानियाँ थोड़ी हलकी हो जायें। जिन विभागों का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों को दिया गया वे केन्द्रीय सरकार की मातहत से एकदम अलग न थे। गवर्नर-जनरल को यह अधिकार था कि वह प्रान्तीय विषयों में हाथ डाल सके। यद्यपि थोड़ी सी शक्ति वितरण से प्रान्तीय सरकारों की आज्ञादी पूरी नहीं हुई, परन्तु किसी हद तक उनके अधिकारों में वृद्धि अवश्य हो गई। केन्द्रीय सरकार से उनका नाता बराबरी के दर्जे की ओर बढ़ने लगा। प्रान्तीय सरकारें स्थानीय विषयों में दिलचस्पी लेने लगीं। उन्हें यह धीरे-धीरे विश्वास होने लगा कि यदि वे शासन में योग्यता दिखलायेंगी तो उन्हें और भी अधिकार मिलते जावेंगे।

लार्ड लिटन के समय में (१८७७ ई०) प्रान्तीय सरकारों को कुछ और अधिकार प्रदान किये गये। १८७० ई० में जो विषय उन्हें प्रबन्ध करने के लिये दिये गये थे, उनमें वृद्धि कर दी गई। आवकारी, टिकट, कानून और न्याय तथा कुछ और नये विषय उनकी मातहत में दे दिये गये। ये अधिकार सभी प्रान्तों में एक से नहीं थे। नये विभागों के प्रबन्ध के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों की इमदाद में कोई वृद्धि नहीं की। उसने उन्हें यह अधिकार दे दिया कि इन मदों से जो आय हो उसे वह खर्च करे। कमी पड़ने पर केन्द्रीय सरकार कुछ रुपये उन्हें मंजूर कर देती। लेकिन एक निश्चित आय से ऊपर यदि प्रान्तीय सरकारों की आमदनी होती तो उसका आधा हिस्सा केन्द्रीय सरकार के पास भेज देना पड़ता था। वास्तव में प्रान्तीय सरकारों को यह कोई अधिकार न था। बजाय इसके कि केन्द्रीय सरकार सीधे अपने कर्मचारियों से इन महकमों का प्रबन्ध कराती, उसने इन्हें प्रान्तीय सरकारों की देख-रेख में छोड़ दिया। केन्द्रीय सरकार के अधिकार बहुत कुछ उसी के हाथों में थे। उपरोक्त नये विभागों की आमदनी के लिये प्रत्येक सूबे के साथ हर ५ वर्ष के लिये एक ठोका होता था। यदि ठीके की रकम से अधिक आय होती तो वह केन्द्रीय सरकार की आय समझी जाती थी। आसाम और बर्मा के ऊपर ये नियम लागू न थे। ये दोनों सूबे पिछड़े हुए समझे जाते थे। आसाम में भूमि कर से जो आय होती उसका कुछ हिस्सा उसके खर्च के लिये दे दिया जाता था। इसी तरह बर्मा में भूमि कर के हिस्से के अतिरिक्त जंगल-आय, चावल का निर्यात कर तथा नमक-कर की आमदनी का एक हिस्सा उसे दे दिया जाता था। केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया कि प्रान्तीय सरकारों को इमदाद न देकर उन्हें यह अधिकार दे दिया जाय कि चन्द विभागों की आमदनी वे खर्च कर सकें। लार्ड लिटन तथा जान स्ट्रेची के ये विचार क्रमशः लागू किये गये।

लार्ड रिपन जो सबसे नेक वाइसराय गिने जाते हैं, प्रान्तीय सरकारों की स्वतन्त्रता के पूर्ण पक्षपाती थे। अब तक प्रान्तीय सरकारों से केंद्रीय सरकार का सम्बन्ध विभिन्न वसूलों पर कायम था। लार्ड रिपन की यह इच्छा हुई कि इस प्रकार का भेद-भाव हटा देना चाहिये। लार्ड मेयो के समय से जो हमदाद देने की रकम चली आ रही थी वह बन्द कर दी गई। प्रान्तीय सरकारों को अधिकार दिया गया कि वे कुछ विभागों की आमदनी केंद्रीय सरकार को न भेज कर खुद खर्च करें। यदि इस पर भी कुछ कमी पड़े तो वह प्रान्तीय सरकारी की आमदनी का कुछ और हिस्सा उनके खर्च के लिये छोड़ देते। लार्ड रिपन के समय में (१८८२ ई०) एक नई योजना बनाई गई। सरकारी महकमे ३ श्रेणियों में बाँट दिये गये। रक्षा, वाह्य सम्बन्ध, जुझी, टक्साल इत्यादि केंद्रीय सरकार के हाथों में दे दिये गये। इनका पूरा प्रबन्ध, आमदनी और खर्च सब कुछ केंद्रीय सरकार के जिम्मे किया गया। भूमि-कर, रजिस्ट्री तथा जंगल—इनकी आमदनी केंद्रीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों में बाँट दी जाती थी। इन विभागों का प्रबन्ध दोनों सरकारों को करना पड़ता था। कुछ छोटे-मोटे विभाग एकमात्र प्रान्तीय सरकारों के जिम्मे छोड़ दिये गये। प्रान्तीय सरकारें उन जिम्मेदारियों से बरी कर दी गईं जो उनकी सीमा से बाहर थीं। स्थानीय विषयों में रुचि बढ़ाने का मौका उन्हें अच्छी तरह दे दिया गया। फिर भी उनकी अवस्था स्थाई नहीं थी।

१९०४ ई० में लार्ड कर्जन ने इसकी ओर ध्यान दिया। उनके दिल में यह बात आई कि जब तक प्रान्तीय सरकारों को काफ़ी रकम खर्च करने का मौका न मिले तब तक वे बड़े पैमाने पर कोई काम नहीं कर सकतीं। विषयों की विभाजन प्रणाली में उलट-फेर किया गया। केंद्रीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों की आमदनी और खर्च के विषय फिर से निश्चित किये गये। उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस प्रबन्ध में किसी विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त कोई उलट फेर नहीं किया जायेगा। आर्थिक मामलों में प्रान्तीय सरकार किसी हद तक स्वतंत्र कर दी गईं, लेकिन और मामलों में केंद्रीय सरकार की शक्ति बनी रही। १९१० ई० में जब लार्ड हार्डिंग हिन्दोस्तान के वाइसराय हुए तो ब्रिटिश प्रान्तों को कुछ और अधिकार प्रदान किये गये। १९०४ ई० के प्रबन्ध को १९१२ में स्थाई करार दिया गया। प्रान्तीय सरकारें अपनी आमदनी और खर्च का जो व्योरा तैयार करतीं उनमें केंद्रीय सरकार को दखल देने का अधिकार न था। दोनों सरकारों में संघर्ष के अवसर कम कर दिये गये। १९१९ ई० के पहिले केंद्रीय और प्रान्तीय सरकारों का सम्बन्ध निम्नलिखित प्रकार से था:—

जिन विषयों का सम्बन्ध सारे हिन्दोस्तान से था वे केन्द्रीय सरकार के हाथों में रखे गये। रक्षा, वाह्य सम्बन्ध, चुङ्गी, तार, डाक, टक्साल, अक्राल, रेलवे तथा आवपासी—ये विषय उसके जिम्मे रखे गये। इनकी आमदनी और खर्च की जिम्मेदारी उसी पर थी। वह जैसी चाहती इन विभागों पर शासन करती। शिद्दा, पुलीस, जेल, छापाखाना, सड़कें, इमारत, स्वास्थ्य और सफ़ाई—ये विषय प्रान्तीय सरकारों को दिये गये। इनकी आमदनी और खर्च उसके जिम्मे की गई। जब कभी कोई नीति चलानी होती अथवा प्रान्तीय सरकारों की ग़लतियों को सुधारना होता तो वह उनमें दखल दे सकती थी। इन दोनों प्रकार के विषयों से परे कुछ ऐसे भी विषय थे जिनमें दोनों सरकारों को सम्मिलित अधिकार दिये गये। भूमि-कर, टिकट, आवकारी, आय-कर, जंगल, रजिस्ट्री, सिंचाई—ये विषय दोनों की मातहत में सम्मिलित रूप से रखे गये। इन मदों की आमदनी दोनों सरकारों में अनुपात से बाँट दी जाती थी। इनके खर्चें दोनों सरकारों को देने पड़ते थे। स्थानीय प्रबन्ध में प्रान्तीय सरकारें हिस्सा लेती थीं। शेष बातें केन्द्रीय सरकार के हाथों में थीं। इससे स्पष्ट है कि १८७० से १९१९ तक अर्थात् लगभग ५० वर्षों में प्रान्तीय सरकारों को बहुत थोड़ी शक्ति प्रदान की गई। नये-नये टैक्स लगाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथों में था। प्रान्तीय सरकारें अपनी आमदनी को नहीं बढ़ा सकती थीं। उन्हें टैक्स सम्बन्धी बिल पर विचार करने का अधिकार न था। इसके लिये गवर्नर-जनरल की आज्ञा लेनी पड़ती थी। सलाह देने की गरज़ से केन्द्रीय सरकार जब चाहती दखल दे सकती थी। प्रान्तीय सरकारों को अपनी आमदनी और खर्च की सूची पहिले केन्द्रीय सरकार को भेजनी पड़ती थी, इसके बाद प्रान्तीय धारा-सभाओं में इस पर विचार किया जाता था।

प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से काम करती थीं। अपनी उन्नति के लिये वे उधार या कर्ज़ नहीं ले सकती थीं। यदि प्रान्तीय सरकारों को इस प्रकार का अधिकार दे दिया जाता तो इससे हानि के बदले लाभ की सम्भावना अधिक थी। केन्द्रीय सरकार को भय था कि ऐसा करने से प्रान्तीय सरकारों की शक्ति बढ़ जावेगी। प्रान्तीय नौकरियाँ केन्द्रीय सरकार के हाथों में रखी गई थीं। सूबों के बड़े बड़े कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की सलाह से काम करते थे। जनता प्रान्तीय सरकारों से सन्तुष्ट न थी। आर्थिक कमी के कारण उनको सन्तुष्ट रखना असम्भव था। आमदनी और खर्च के मामलों में उनके हाथ इतने बाँध दिये गये थे कि वे इच्छा रखते हुए भी कोई योजना

अमल में नहीं ला सकती थीं। शासन, आय-व्यय तथा कानून—इन तीनों मामलों में प्रान्तीय सरकारों को बहुत थोड़े अधिकार दिये गये थे।

जर्मनी की बड़ी लड़ाई में हिन्दोस्तानियों ने बृटिश सरकार की इतनी सहायता की कि उसके बदले में उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार मिलना लाज़मी था। भारत-मंत्री की घोषणा के अनुसार यह बात निश्चित ठहराई गई कि “जहाँ तक हो सके स्थानिक संस्थाओं में जनता का पूर्ण अधिकार हो। उनका नियंत्रण उन्हीं के द्वारा और बाह्य नियंत्रण से उनको अधिक-धिक स्वाधीनता प्राप्त हो। प्रान्त ही वह क्षेत्र है जहाँ से उत्तरदायी शासन की ओर क्रमशः पद रखना आरंभ किया जा सकता है। कुछ उत्तरदायित्व के काम जनता को तुरन्त दे दिये जाने चाहिये और हमारा उद्देश्य यह है कि राज्यकार्य में शत्रु ही जनता को पूर्ण उत्तरदायित्व दे दिया जाय। इसका अर्थ यह है कि भारत-सरकार प्रान्तों को अपने धर्म निर्माण, शासन, तथा अर्थ सम्बन्धी अधिकारों का उतना अंश दे दे जिससे इसको अपनी ज़िम्मे-वारियों के पालन में किसी प्रकार की बाधा न पड़े।” पार्लियामेंट के वर्तमान रुझ से यह बात निर्विवाद है कि इस प्रकार की घोषणाओं में कोई तथ्य न था (राष्ट्रीय भावनाओं के उद्गार इतने बढ़ रहे थे कि बृटिश सरकार को कोई ऐसा बहाना नहीं था जो हिन्दोस्तानियों को बहुत दिनों तक चक्रमे में डालता। काँग्रेस इस बात पर तुली हुई थी कि स्थानीय क्षेत्रों में जनता को राजनीतिक अधिकार अधिक से अधिक मिलाने चाहिये। स्वयं बृटेन में कितने ही अंग्रेज़ हिन्दोस्तान की राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्ष में थे। इसी के फल-स्वरूप १९३६ ई० में भारतीय शासन में परिवर्तन किया गया। इससे केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में भी अन्तर पड़ा।

केन्द्रीय सरकार का दवाव प्रान्तीय सरकारों पर कम कर दिया गया। इनके बजट एक दूसरे से अलग कर दिये गये। जिस आधार पर दोनों सरकारों में विषय-विभाजन किया गया था वह बदल दिया गया। संयुक्त ज़िम्मेवारी के विषय तोड़ दिये गये। रक्षा, बाह्य सम्बन्ध, देशी रियासतों से सम्बन्ध, रेलवे, जहाज़, तार, डाक, चुंगी, आवकारी, नमक-कर, आय-कर, टक्साल, ऋण, अफीम, लेलन अधिकार, आवागमन, अन्वेषण, अनुसन्धान, धर्म, सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, आवादी की गणना इत्यादि विषय केन्द्रीय सरकार के ज़िम्मे रखे गये। शिक्षा, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य और सफाई, दवा, सिंचाई, भूमिकर, अकाल, खेती, जंगल, व्यवसाय, पुलिस और न्याय, तोल बाँट आदि विषय प्रान्तीय सरकारों को दिये गये। प्रान्तों में दोहरे शासन (Dyarchy) का विधान जारी किया गया। अर्थात् कुछ

आ० भा० शा०—२६

विषय गवर्नर और उसके सलाहकारों के हाथ में रखे गये और बाक़ी भारतीय मंत्रियों को दे दिये गये। जो विषय भारतीय मंत्रियों को दिये गये उनमें केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। यद्यपि केन्द्रीय सरकार देश की शान्ति-रक्षा तथा सुव्यवस्थित शासन प्रबन्ध के लिये जिम्मेवार थी, फिर भी शासन की सुविधा का ध्यान रखते हुए वह भारतीय मंत्रियों के कामों में दखल देना पसन्द न करती। जो विषय गवर्नरों के हाथ में रखे गये थे उनमें वह हाथ डाल सकती थी।

१९१६ के शासन-सुधार में भारतवासियों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिये गये। जनता को प्रान्तीय शासन में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। यह स्वाभाविक था कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय विषयों की जिम्मेवारी से बहुत कुछ हाथ खींच लेती प्रान्तीय धारा-सभाओं में चुने हुए सदस्यों का बहुमत हुआ। ये धारा-सभायें जो कानून बनाती उन्हें केन्द्रीय सरकार टुकरा नहीं सकती थी। जनता में अधिकार और कर्त्तव्य की भावना बढ़ रही थी। कांग्रेस के प्रयत्न से लोग स्वतंत्रता के मूल्य को समझने लगे थे। ऐसी दशा में केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार के कामों को टुकरा नहीं सकती थी। उसे जनता की मनोवृत्ति का ध्यान रखते हुए प्रान्तीय सरकारों की कार्यवाहियों का आदर करना पड़ता था। लोकमत के विरुद्ध वह प्रान्तीय मामलों में हस्तक्षेप करती रही, लेकिन इसके विरुद्ध देश में जो आन्दोलन हुआ उसका महत्व राजनीतिक दृष्टि से कम नहीं रहा। यह कहना बुरा न होगा कि १९१६ के बाद भारतीय जनता को जो राजनीतिक अधिकार मिला वह उसके गाढ़े पसीने की कमाई थी।

प्रान्तीय सरकारों को कर वसूल करने के कितने ही अधिकार दे दिये गये। कुछ विषयों पर टैक्स लगाने के लिये उन्हें गवर्नर-जनरल से आज्ञा लेने की ज़रूरत न थी। कचहरियों में टिकट की फ़ीस बढ़ा दी गई। कुछ नये टैक्स जारी किये गये। इससे प्रान्तीय सरकारों को शासन में उन्नति करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन केन्द्रीय सरकार के दवाव अब भी कम न थे। खर्च के मामले में वह बहुत बड़ा हाथ रखती थी। केन्द्रीय मदों से जो आमदनी होती वह उसके खर्च के लिये काफ़ी न थी। इसे पूरा करने के लिये वह प्रान्तीय सरकारों से धन माँगती थी। प्रान्तीय सरकारों को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उसे देना पड़ता था। आमतौर से लगभग १० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार प्रान्तों से लेती थी। यदि यह लम्बी रकम प्रान्तीय सरकारें जनता की भलाई के लिये अपने अपने क्षेत्र में खर्च करती तो शासन की व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होती। परन्तु केन्द्रीय सरकार

इस रुपये को लिये बिना नहीं रह सकती। प्रत्येक प्रान्त की हैसियत के अनुसार यह धन वसूल किया जाता था। लार्ड मेस्टन के सभापतित्व में एक कमीटी ने इस बात का फ़ैसला किया कि किस प्रान्त से कितना धन लिया जाय। संयुक्तप्रान्त को २४० लाख रुपया देने के लिये निश्चित किया गया। सभी प्रान्तों ने लार्ड मेस्टन की इस योजना का विरोध किया। अन्त में १९२६ ई० में यह योजना बदल दी गई।

१९१६ के शासन विधान में जिस हद तक प्रान्तों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की गई वहाँ तक केन्द्रीय सरकार का अधिकार उनके ऊपर कम हो गया। आर्थिक और शासन-प्रबन्ध में उन्हें कुछ निश्चित अधिकार मिल गये। यद्यपि प्रान्तों को पूर्ण स्वतंत्रता हासिल न हुई लेकिन उनका भुकाव उस ओर कर दिया गया कि केन्द्रीय सरकार किसी न किसी रूप में प्रान्तीय सरकार की कार्यवाहियों पर कड़ी नज़र रखने लगी। दोनों सरकारों के इस सम्बन्ध से भारतीय जनता सन्तुष्ट न थी।

३—कॉंग्रेस की राजनीतिक माँगों को पूरा किये बिना ब्रिटिश सरकार शान्ति से काम नहीं कर सकती थी। सत्याग्रह आन्दोलन प्रान्तीय स्वराज के कारण देश के कोने कोने में एक ऐसी लहर फैली कि १९३७ से उसकी माँग टुकराई नहीं जा सकती थी। इन्हें पूरा करने के लिये १९३५ ई० में संघ शासन-विधान का निर्माण किया गया। इस शासन-विधान के अन्दर कहाँ तक कॉंग्रेस की पूर्ण आज़ादी की माँग पूरी की गई यह एक दूसरा प्रश्न है। प्रान्तीय स्वतन्त्रता (Provincial-Autonomy) का जन्म हुआ। यह प्रान्तीय स्वतंत्रता क्या चीज़ है और कहाँ तक अपने नाम को सार्थक करती है, इन दोनों बातों का विचार अगले अध्याय में किया जायेगा। २७ महीने इसे अमल में लाने के बाद इसकी सारी भीतरी कमजोरियाँ ज़ाहिर होने लगीं। इसका विस्तृत वर्णन एक स्वतंत्र अध्याय में किया गया है। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में परिवर्तन किये गये। यद्यपि प्रान्तीय सरकारों को आज़ादी दे दी गई लेकिन शासन-विधान की बारीकियों को देखते हुए यह मानना पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार कम नहीं हैं। दोनों सरकारों में मालिक और गुलाम का जो सम्बन्ध था वह अब भी है। यदि ऐसा न होता और स्वतन्त्रता का तथ्य रहता तो कॉंग्रेस सरकारों को इस्तीफ़ा देने की नौबत न आती। गवर्नर-जनरल तथा केन्द्रीय कार्य-कारिणी सभा के अधिकारों को देखते हुए प्रान्तीय स्वराज की बातें व्यर्थ

है) यदि राष्ट्रीय सरकार की योजना सफल हुई तो केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध भी बदल जायेंगे। दोनों अपने अपने क्षेत्र में लोकमत के अनुसार कार्य करेंगी। इसकी सफलता का बहुत कुछ दारोमदार विधान सम्मेलन पर निर्भर है।

तीसरा खंड

प्रान्तीय सरकार

(PROVINCIAL GOVERNMENT)

अध्याय ११

गवर्नर

हिन्दोस्तान राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है।

एक भाग में देशी रियासते हैं, जिनकी संख्या ६०० के लगभग है। दूसरे भाग में अंग्रेजी सूबे हैं जिन्हें बृटिश राजनीतिक भारत कहते हैं। सूबों की संख्या कुल १७ है, जिनमें ११ विभाग गवर्नरों के सूबे और ६ चीफ कमिश्नर के सूबे हैं।

बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त और बरार, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, आसाम, सिन्ध तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश गवर्नर के सूबे कहलाते हैं। इनमें प्रधान शासक गवर्नर होता है। दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, बृटिश बिलोचिस्तान, अंडमन और निकोबार तथा पंथ पिपलौदा चीफ कमिश्नर के सूबे कहलाते हैं। इन दोनों प्रकार के सूबों में राजनीतिक भेद हैं। नये शासन-विधान में गवर्नर के सूबों को प्रान्तीय स्वराज दिया गया है, परन्तु चीफ कमिश्नर के सूबे स्वतन्त्र नहीं हैं। चीफ कमिश्नर द्वारा गवर्नर-जनरल उन पर शासन करता है। चूँकि गवर्नर-जनरल चीफ कमिश्नरों की नियुक्ति करता है, इसलिये वे सभी प्रकार से उसकी मात-हती में रहते हैं।

गवर्नर के सूबों में छोटी और बड़ी दो धारा सभाएँ हैं। शेष सूबों में एक ही धारासभा है। प्रान्तों का विभाजन वैज्ञानिक नहीं है। उनकी सीमा निर्धारित करते समय भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषा सम्बन्धी परिस्थिति का ध्यान नहीं रक्खा गया है। बृटिश सरकार को हिन्दोस्तान जीतने में लगभग

एक शताब्दी व्यतीत करने पड़े। जो जो स्थान उसकी मातहत में आते गये वे प्रान्तों में परिवर्तित होते गये। लड़ाई के ज़माने में बृटिश सरकार को इतना अवसर न था कि वह शान्ति पूर्वक बैठ कर इनका वैज्ञानिक विभाजन करती। कई वर्षों में टुकड़े टुकड़े करके बनाया हुआ यकान उतना अच्छा नहीं होता जितना एक निश्चित अवधि के अन्दर, एक खास नकशे के आधार पर, बनाया हुआ होता है। यदि बृटिश सरकार हिन्दोस्तान को एक बार फ़तह कर लिये होती तो प्रान्तों का विभाजन आज किसी और तरह पर किया गया होता। परन्तु वह ऐसा न कर सकी। जो ज़िले किसी एक सूबे में शरीक होने चाहिये वे आज दूसरे सूबे में इसलिये शामिल किये गये हैं कि वे बंद में फ़तह किये गये। शासन की सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार को ऐसा करना पड़ा। परन्तु विजय समाप्त होने के पश्चात् बृटिश सरकार उनका विभाजन नये सिरे से कर सकती थी। सिद्धान्त के विरुद्ध केवल शासन की सुविधा का ध्यान रखते हुए किसी देश का विभाजन करना उसकी राष्ट्रीयता को नष्ट करना है।

कुछ सूबे भाषा और समाज की दृष्टि से इतने उलभे हुए हैं कि वहाँ लोकमत का अभाव है। सिन्ध प्रान्त जो १८३६ ई० में फ़तह किया गया बम्बई में इसलिये शामिल कर लिया गया कि वह उसके क़रीब पड़ता था। विजय की धुन में बृटिश सरकार को उन्नति-अवनति का ध्यान न था। सरकार की नीति बहुत दिनों तक “बाँटो और राज्य करो” (Divide and Rule) की रही है। राष्ट्रीयता को कमज़ोर बनाने के लिये ये अधूरे विभाजन बहुत कुछ ज़िम्मेवार हैं। कितने ही सूबों में एकता का अभाव है। यह प्रश्न कई बार उठाया गया है कि प्रान्तों का विभाजन नये सिरे से किया जाय। आन्ध्र को एक स्वतन्त्र प्रान्त बनाने की माँग बहुत ही प्राचीन है। कॉंग्रेस ने भाषा-प्रयुक्त विभाजन को सबसे उत्तम ठहराया है, परन्तु बृटिश सरकार इसे स्वीकार नहीं करती। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि १७ की जगह हिन्दोस्तान के ४० टुकड़े कर दिये जाँय। सूबों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। राजनीतिक भावना के प्रचार के साथ प्रान्तीय विभाजन का प्रश्न बढ़ रहा है। जो व्यक्ति भाषा, जाति, संस्कृति, तथा रहन सहन में किसी दूसरे प्रान्त के निवासियों से मिलते जुनते हैं वे उसी प्रान्त से राजनीतिक सम्बन्ध रखना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि उनकी आर्थिक तथा मानसिक अवनति का कारण राजनीतिक विभाजन है।

केवल भाषा और जातीयता के आधार पर सूबों का विभाजन ठीक नहीं है। सूबों की वृद्धि से राष्ट्रीय एकता में बाधा होगी और सरकारी खर्च

बढ़ेगा। राजनीतिक विभाजन वहीं तक बढ़ना चाहिये जहाँ तक शासन की उपयोगिता हो। यदि प्रान्त की सीमा छोटी है और वह स्वावलम्बी नहीं है तो इससे देश को हानि होगी। इसके विपरीत यदि एक ही प्रान्त के अन्दर ऐसे विभाग मौजूद हैं, जो स्वावलम्बी होने के अतिरिक्त अपनी अलग संस्कृति रखते हैं तो उसे रूँ या टुकड़ों में बाँट देना चाहिये। १९१७ ई० में कलकत्ता काँग्रेस के अध्यक्ष पर लोकमान्य तिलक ने कहा था कि “भाषा के वसूल पर देश का राजनीतिक विभाजन प्रान्तीय स्वराज से कहीं आवश्यक है।” वहीं काँग्रेस ने यह भी फ़ैसला किया कि सिन्ध एक अलग सूबा बना दिया जाय। काँग्रेस की नीति के अनुसार हिन्दोस्तान के २१ राजनीतिक विभाग होने चाहिये। अर्थात् हिन्दोस्तान में कुल २१ सूबों की आवश्यकता है। अस्वावलम्बी जगहों को स्वतन्त्र सूबा करार देने से उसका सारा खर्च केन्द्रीय सरकार को बर्दाश्त करना पड़ता है। १९३५ के संघ शासन विधान के अनुसार सिन्ध और उड़ीसा दोनों ऐसे स्वतंत्र सूबे बनाये गये हैं जो स्वावलम्बी नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार सिन्ध को प्रतिवर्ष लगभग १ करोड़ रुपया और उड़ीसा को ५० लाख रुपया देती है।

कुछ लोगों की धारणा है कि देश का वर्तमान राजनीतिक विभाजन उपयोगी है। किसी भी वसूल को लेकर हम देश के टुकड़े करें तो अनगिनत हिस्से करने पड़ेंगे। ऐसा करने से वे उन लाभों से वंचित हो जावेंगे जो उन्हें आज मिल रहे हैं। अधिक प्रान्तों से प्रान्तीय भावना बढ़ेगी। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण मौजूद हैं। बंगाली और बिहारी प्रश्न अभी तक हल न हो सका। काँग्रेस के अथक परिश्रम करने पर भी इन दोनों प्रान्तों में प्रान्तीयता का भाव इतना अधिक है कि एक प्रान्त के निवासी दूसरे को विदेशी समझते हैं। राष्ट्रहित की दृष्टि से प्रान्तीयता का भाव हानिकर है। प्रान्तों के विभाजन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनमें राजनीतिक एकता के साथ सहयोग की और बातें बनी रहें। दो प्रान्तों के बीच दीवाल खड़ी करना निरी मूर्खता है। मुस्लिम लीग ने इस देश की राजनीतिक और साम्प्रदायिक समस्याओं को सुलझाने के लिये पाकिस्तान योजना का निर्माण किया है। अर्थात् वह हिन्दोस्तान को हिन्दू और मुसलमान दो टुकड़ों में बाँट देना चाहती है। कार्य रूप में यह बात जितनी असम्भव है, राष्ट्रहित की दृष्टि से उतनी ही घातक है। हिन्दू और मुसलमान नेताओं में कट्टर मतभेद भले ही हो जाय किन्तु दोनों सम्प्रदायों की आम जनता को एक दूसरे से अलग करना उतना ही मुश्किल है जितना चीनी और बालू को।

१६३५ के शासन-विधान के पहिले हिन्दोस्तान में कुल १५ सूबे थे। परन्तु नये शासन-विधान के अनुसार कुल १७ सूबे बनाये गये हैं। सिन्ध को बम्बई से अलग करके एक नया विधान में प्रान्तीय सूबा मान लिया गया है। इसी तरह मद्रास, मध्यप्रान्त विभाजन तथा बिहार उड़ीसा के कुछ हिस्सों को लेकर एक नया उड़ीसा प्रान्त बनाया गया है। १६३५ के ऐक्ट के अनुसार सम्राट् नये सूबे बना सकता है। उसे यह भी अधिकार है कि सूबे की सीमा घटा बढ़ा सके। इस परिवर्तन से संघ धारा सभा के प्रतिनिधियों में उलटफेर होगी। परन्तु उनकी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। चीफ कमिश्नरों के सूबों की सीमा भी इसी तरह बदली जा सकती है। वर्तमान सूबों में बंगाल प्रान्त की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसमें ५ करोड़ से कुछ अधिक मनुष्य निवास करते हैं। आबादी में दूसरा नम्बर संयुक्तप्रान्त का है। लगभग ५ करोड़ व्यक्ति इस प्रान्त में रहते हैं। गवर्नर के सूबों में सबसे कम जनसंख्या पश्चिमोत्तर प्रदेश की है। २४२५००३ मनुष्य इस प्रान्त में निवास करते हैं। क्षेत्रफल में मद्रास प्रान्त सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल १२६६६३ वर्ग मील है। क्षेत्रफल में दूसरा दर्जा संयुक्तप्रान्त का है। गवर्नरों के सूबों में सबसे कम क्षेत्रफल पश्चिमोत्तर प्रदेश का है। केवल १३५१८ वर्ग मील के घिराव में यह घिरा हुआ है। चीफ कमिश्नरों के सूबों में दिल्ली का क्षेत्रफल सबसे कम है। परन्तु इसकी आबादी सबसे अधिक है। इसका क्षेत्रफल केवल ५७३ वर्ग मील और जनसंख्या सवा ३ लाख के करीब है। ब्रिटिश बिलोचिस्तान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इसका क्षेत्रफल ५४ हज़ार वर्ग मील और जनसंख्या साढ़े चार लाख की है। पंजाब की जनसंख्या संयुक्तप्रान्त की आधी है। पंजाब का क्षेत्रफल ग्रेट ब्रटेन के बराबर है। मध्यप्रान्त और बरार भी इतना ही लम्बा चौड़ा है। बिहार की भी जनसंख्या ग्रेट ब्रटेन के बराबर है।

गवर्नर का पद गवर्नर-जनरल से प्राचीन है। यह पद ३०० वर्षों से चला आ रहा है। आरम्भ में गवर्नरों के कार्य थोड़े थे।
-गवर्नर वे कम्पनी के व्यापार की देख-रेख के लिये सूबों में नियुक्त किये जाते थे। लेकिन इनकी जिम्मेवारियाँ बढ़ती गईं। आज इसकी जिम्मेवारी अपने प्रान्तों में उतनी ही है जितनी गवर्नर-जनरल तथा वाइसराय की सारे हिन्दोस्तान में। गवर्नर की नियुक्ति सम्राट् द्वारा ५ वर्ष के लिये की जाती है। सम्राट् भारत मंत्री से इसकी सलाह लेता है। उपनिवेशों के गवर्नरों की नियुक्ति वहाँ की कैबिनेट की सलाह से

की जाती है। सिविल सर्विस के सदस्य आमतौर से इस पद के लिये चुने जाते हैं। हिन्दोस्तानियों को यह पद बहुत कम दिया जाता है। बंगाल, मद्रास और बम्बई अहातों के गवर्नरों का दर्जा और सूबों के गवर्नरों से ऊँचा समझा जाता है। ये बृटेन की राजनीति में काफ़ी हिस्सा लिये हुए रहते हैं। इनके वेतन अन्य प्रान्तीय गवर्नरों से अधिक होते हैं। जब कभी गवर्नर-जनरल अबकाश प्रदण करता है तो इन्हीं अहातों के गवर्नरों में से किसी को उसके स्थान पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है।

हिन्दोस्तानियों में केवल लार्ड सिनहा को यह पद दिया गया था। वे थोड़े समय के लिये बिहार प्रान्त के गवर्नर नियुक्त किये गये थे। किसी गवर्नर के छुट्टी लेने पर अस्थायी रूप से कार्य करने का अवसर कई भारतीयों को प्राप्त हुआ है। अहातों के गवर्नरों को छोड़ कर शेष ८ प्रान्तों के गवर्नरों को सम्राट् गवर्नर-जनरल की सलाह से नियुक्त करता है। उनकी नियुक्ति में इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि वे शासन सम्बन्धी कार्यों में अनुभव-शील हों। कुछ व्यक्ति कलेक्टर के पद से उन्नति करके गवर्नर हो जाते हैं। नियुक्ति के समय इन्हें कुछ खास सलाहें दी जाती हैं जिनमें उन्हें खास हिदायत की जाती है कि वे शान्ति तथा प्रजा की भलाई के साथ बृटेन के हित का ध्यान रखें। उन्हें नेकनीयती तथा आज्ञा-पालन की शपथ लेनी पड़ती है। यह शपथ गवर्नर-जनरल और गवर्नर दोनों के लिये एकसी होती है।

ऊपर कहा गया है कि अहातों तथा अन्य सूबों के गवर्नरों के वेतन में अन्तर होता है। संयुक्तप्रान्त, मद्रास, बम्बई और बंगाल प्रान्त के गवर्नरों में १२०००० रु० हरेक को सालाना वेतन दिया जाता है। पंजाब तथा बिहार के गवर्नरों को १००००० रुपया तथा मध्यप्रान्त और उड़ीसा के गवर्नर को ७२००० रुपया सालाना वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बाकी सूबों के गवर्नरों का सालाना वेतन ६६००० रुपया है। वेतन के अतिरिक्त प्रत्येक गवर्नर को भत्ते दिये जाते हैं। भारतमन्त्री इस भत्ते को निश्चित करता है। ये भत्ते कई शकल में दिये जाते हैं। रहने के लिये बंगला, यात्रा के लिये अक्वल दर्ज़े की गाड़ी अथवा हवाई जहाज़, मोटरकार तथा अपने बंगले को सजाने के लिये उसे जिन जिन सामानों की ज़रूरत होती है वे सब उन्हें दिये जाते हैं। लेकिन इसकी एक सीमा है। मसलन पंजाब प्रान्त के गवर्नर को ३०००० रुपये से अधिक भत्ता नहीं दिया जा सकता। नियुक्ति के समय यदि वह इंग्लैंड में है तो वहाँ से हिन्दोस्तान आने का उसे पूरा खर्च दिया जाता है। जब एक सूबे से दूसरे सूबे को उसकी बदली होती है उस समय उतना ही खर्च आने जाने का खर्च दिया जाता है। यह सारा खर्च प्रान्तीय खजाने

से दिया जाता है। वेतन और भत्तों के अलावा कुछ और भी सुविधायें उन्हें दी जाती हैं। भत्ते सहित संयुक्तप्रान्त के गवर्नर को कुल ३२८५०० रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है।

गवर्नर के गवर्नर के अधिकार ३ कोटि में बाँटे गये हैं.—
अधिकार

- १—स्वतंत्र अधिकार
- २—निजी अधिकार
- ३—मंत्रियों से सम्मिलित अधिकार

अपने सूत्रों में शान्ति तथा रक्षा की पूरी जिम्मेवारी गवर्नर को दी गई है। प्रान्तीय शासन का कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें उसे हाथ डालने का अधिकार न हो। जिन विषयों में वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करने का अधिकारी है उनमें मंत्रियों से सलाह लेने की उसे आवश्यकता नहीं है। ये स्वतंत्र अधिकार प्रान्तीय स्वराज के भाव को बिगाड़ देते हैं। मंत्रिगण इसमें कुछ नहीं बोल सकते। इन स्वतंत्र अधिकारों के अतिरिक्त उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिये गये हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें वह मंत्रियों से सलाह लेते हुए भी उनसे बाध्य नहीं है। उनके विरोध करने पर भी वह मनमानी कर सकता है। उसके विशेष अधिकारों की संख्या १६ के लगभग है। प्रान्त में शान्ति की रक्षा के बहाने वह जब चाहे मंत्रियों के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा के लिये उसे विशेष अधिकार दिये गये हैं।

प्रान्तीय सरकारी कर्मचारियों की रक्षा का भार उसे दिया गया है। प्रान्त में स्थित देशी रियासतों के शासक और शासित दोनों के अधिकारों की रक्षा करना उसका कर्त्तव्य है। इन विशेष अधिकारों के अतिरिक्त मध्य-प्रान्त और बरार के गवर्नर को एक और अधिकार दिया गया है। वह यह है कि प्रान्त का पूरा कर बरार की भलाई के लिये ठीक ठीक खर्च हो रहा है अथवा नहीं। इसी तरह शकर में कनाल स्कीम तथा लाडवैरेज के प्रबन्ध का अधिकार सिन्ध प्रान्त के गवर्नर को दिया गया है। प्रान्त के जो विभाग पिछड़े हुए करार दिये गये हैं उनकी देख-रेख उसे सुपुर्द की गई है। इन विषयों में वह अपने मंत्रियों से सलाह ले सकता है परन्तु उसे मानने के लिये वह बाध्य नहीं है। इन विशेष अधिकारों में जो बुराईयाँ मौजूद हैं उनका वर्णन गवर्नर-जनरल के विशेष अधिकारों में किया गया है। जिस समय १९३७ ई० में प्रान्तों में मंत्रिपद ग्रहण का प्रश्न उठा था उस समय आ० भा० शा०—२०

कांग्रेस का भय ठीक था कि गवर्नर मंत्रियों की सलाह को टुकरा सकता है। संयुक्त प्रान्त तथा विहार में राजनीतिक क्राइदियों के प्रश्न पर गवर्नरों और मंत्रियों में मतभेद उत्पन्न हुआ। गवर्नर-जनरल की आज्ञानुसार गवर्नरों ने कुछ क्राइदियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों प्रान्तों के मंत्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दे दिया। अन्त में सुलह की बात तै हो गई और मंत्रियों ने अपना इस्तीफा वापिस ले लिया।

गवर्नर अपने सूबे का प्रधान शासक है। प्रान्तीय स्वराज उसके हाथ की कठपुतली है। लोगों का यह अनुमान था कि गवर्नर जनता के बहुमत को टुकराने का साहस न करेगा। लेकिन यह आशा बेकार सिद्ध हुई। मंत्रियों को चुनने, उन्हें बुलाने तथा बर्खास्त करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया है। यद्यपि इसके लिये वह बहुमत पार्टी के प्रधान से सलाह लेता है, परन्तु फिर भी मंत्रियों के चुनाव में उसकी राय सबसे ऊपर समझी जाती है। मंत्रियों की सभा में सभापति का आसन वह ग्रहण कर सकता है। मंत्रियों के ज़िम्मे विभिन्न विभागों को वही करता है। मंत्री तथा उसके सहायक मंत्री के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने विभाग की पूरी सूचना समय समय पर गवर्नर को देते रहें। इसका तात्पर्य यह है कि शासन के प्रत्येक विभाग उसके प्रभाव से खाली नहीं रह सकता। सभी प्रजातंत्रवादी देशों में कैबिनेट की बैठक का प्रधान प्रधान मंत्री होता है। यदि हमारे देश में इस प्रथा को लाना है तो गवर्नरों को मंत्रिमंडल के वादविवाद में हिस्सा नहीं लेना चाहिये। १९३५ के शासन-विधान में यह बात गवर्नरों की इच्छा पर छोड़ दी गई है कि वे मंत्रिमंडलों में बैठें अथवा न बैठें। यदि वे उपस्थित नहीं हैं तो प्रत्येक सूबे का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सभापति होगा। प्रान्तीय स्वराज के अन्दर क़ानून और व्यवस्था विभाग एक मंत्री को सुपुर्द किये गये हैं। पार्लियामेंट भारतीयों को यह अधिकार देने के पक्ष में न थी। वह यह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि पुलिस विभाग की इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी भारतीय मंत्रियों को दे दी जाय। इस कठिनाई को दूर करने के लिये गवर्नर को यह विशेष अधिकार दिया गया है कि वह पुलिस विभाग के नियमों में उलट फेर कर सकता है। विशेष अवसरों पर अपने अधिकार से इस विभाग में दखल दे सकता है। इस विभाग की कार्रवाइयों की जानकारी के लिये वह जैसा चाहे नियम बना सकता है।

संघ शासन-विधान में बड़ी बड़ी नौकरियाँ हिन्दोस्तानियों के हाथों से बाहर रक्खी गई हैं। यहाँ तक कि रवयं प्रान्त के बड़े बड़े कर्मचारी मंत्रियों के अधिकार से अलग रक्खे गये हैं, वे भारतमंत्री की मातहतती में कार्य करते

हैं। यद्यपि इन कर्मचारियों का वेतन प्रान्तीय खज़ाने से दिया जाता है फिर भी इनकी जिम्मेवारी मंत्रियों से अलग रखी गई है। गवर्नर को विशेष अधिकार है कि वह इन कर्मचारियों की भर्ती, इनके तबादिले तथा इनके वेतन वृद्धि का फैसला करे। ज़िले के न्यायाधीश उसी के व्यक्तिगत अधिकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। प्रान्त में पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रधान को वही नियुक्त करता है। कमीशन के सदस्यों की संख्या, समय तथा उसकी शर्तें वही निश्चित करता है। इन उदाहरणों से यह भली भाँति स्पष्ट है कि गवर्नर के अधिकार स्वच्छन्द और सर्वप्रधान हैं।

अपने प्रान्त की धारा-सभा को बुलाने का अधिकार गवर्नर को दिया गया है। वह जब चाहे उसे स्थगित तथा भंग कर क़ानूनी अधिकार सकता है। प्रान्तीय स्वतंत्रता के विधान में वह प्रधान-मंत्री से सलाह ले सकता है। उसे दोनों धारा-सभाओं में भाषण देने का अधिकार है। किसी बिल के सम्बन्ध में अथवा अपनी स्वतंत्र इच्छा से वह कोई सूचना धारा-सभा को दे सकता है। जिन प्रान्तों में दो धारा-सभाओं का विधान बनाया गया है उनमें यदि दोनों सभाओं में कोई मतभेद हो जाय तो गवर्नर को अधिकार है कि वह उनकी सम्मिलित बैठक बुला सके। प्रान्तीय धारा-सभाओं में जितने भी बिल पास होते हैं उनकी स्वीकृति गवर्नर से लेनी पड़ती है। वह उसे मंजूर या नामंजूर कर सकता है। यदि वह चाहे तो किसी बिल को पुनः विचार करने के लिये धारा-सभा को वापिस कर सकता है। स्वीकर अथवा सभापति की सलाह से धारा-सभा की कार्यवाहियों का नियम बनाने का अधिकार उसी को है। जब दोनों धारा सभाओं की सम्मिलित बैठक होती है तो उसकी कार्यवाही का नियम वही निर्धारित करता है।

गवर्नर को विशेष अवसरों पर क़ानून बनाने के अधिकार दिये गये हैं। जिन विषयों की जिम्मेवारी उसे दी गई है उनके लिये वह अपनी इच्छानुसार क़ानून बना सकता है। इस प्रकार के क़ानून के दो तरीके हैं। या तो वह बिना किसी की सलाह के स्वयं क़ानून बनायेगा; अथवा क़ानून का आशय लिख कर धारा-सभा में भेज देगा। एक महीने के अन्दर धारा-सभा उसके पास इस प्रकार के बिल पर अपनी राय पेश करेगी। इसके पश्चात् वह इसे क़ानून का रूप दे सकता है। उसके बनाये हुए क़ानून उसी प्रकार लागू समझे जायेंगे जैसे धारा-सभा के। अन्तर इतना ही है कि उसे अपने बनाये हुए क़ानूनों की सूचना गवर्नर-जनरल द्वारा भारत-मंत्री को देनी होगी। भारत-मंत्री इन्हें पार्लियामेंट की दोनों सभाओं में पेश करेगा। यदि धारा-

सभा उसके बनाये हुए कानूनों में कुछ परिवर्तन करना चाहे तो नहीं कर सकती। गवर्नर की आज्ञा के बिना वह इन पर विचार भी नहीं कर सकती। १९३५ ई० तक गवर्नर को आर्डिनेंस जारी करने का अधिकार न था। केवल गवर्नर-जनरल इसे जारी कर सकता था। परन्तु नये शासन-विधान के अनुसार उन्हें आर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दे दिया गया है। ये आर्डिनेंस २ प्रकार के होते हैं। एक तो वह अपने मंत्रियों की सलाह से जारी करता है और दूसरे अपने अधिकार से। जिस समय धारा सभा की बैठक नहीं हो रही है और गवर्नर कोई आर्डिनेंस जारी कर देता है तो उसे धारा-सभा की बैठक आरम्भ होते ही उस आर्डिनेंस को उसके सामने रखना होगा। धारा-सभा की बैठक के ६ सप्ताह बाद आर्डिनेंस की शक्ति समाप्त समझी जायेगी। गवर्नर को एक प्रकार का और भी आर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है। जिसे धारा-सभा के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। ६ महीने के लिए वह इन्हें जारी कर सकता है और फिर अगले ६ महीने के लिये बढ़ा सकता है।

धारा-सभा द्वारा पास किये गये कानूनों को गवर्नर रद्द कर सकता है। यह अधिकार उसे १९१६ ई० से दिया गया है। नये शासन विधान में यह और भी सरल बना दिया गया है। बिना किसी रोक-टोक के वह ऐसे कानूनों को रद्द कर सकता है। आर्थिक क्षेत्र में उसे बहुत से अधिकार दिये गये हैं। प्रति वर्ष आय-व्यय का चिट्ठा प्रान्तीय धारा-सभा के सामने पेश किया जाता है। धारा सभा को खर्चों के घटाने बढ़ाने का अधिकार तभी तक है जब तक गवर्नर शान्त रहता है। यदि वह चाहे तो धारा सभा द्वारा इनकार की गई रकम को भी स्वीकार कर सकता है। किसी मद के लिये तब तक इमदाद नहीं माँगी जा सकती जब तक गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय। बजेट में कुछ ऐसे मद रखे गये हैं जिन पर धारा-सभा को वोट देने का अधिकार नहीं है। वह अपने प्रान्त में गवर्नर की आज्ञा के बिना कोई नया टैक्स नहीं लगा सकती। पहले के टैक्सों को बढ़ाने का भी उसे अधिकार नहीं है। कोई प्रान्त गवर्नर की आज्ञा के बिना कर्ज़ नहीं ले सकता।

गवर्नरों को अपने प्रान्त में कुछ सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। वह अपने प्रान्त में एक एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। इसकी योग्यता इतनी ज़रूर होनी चाहिये कि वह हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सके। यह अपने पद पर तब तक काम कर सकता है जब तक गवर्नर की इच्छा होती है। इसका वेतन भी वही निश्चित

करता है। गवर्नर जब चाहें इसे निकाल सकता है। ऐडवोकेट जनरल का काम कानूनी मामलों में प्रान्तीय सरकार को सलाह देना है। प्रान्तीय धारा-सभा में बैठने तथा बहस में भाग लेने का इसे पूरा अधिकार है। परन्तु वह धारा-सभा में किसी विषय पर वोट नहीं दे सकता। केन्द्र तथा प्रान्त दोनों में किसी ऐसे पदाधिकारी की आवश्यकता है जो शासन सम्बन्धी कानूनों में निपुण हो। इसके कामों को गवर्नर स्वयं निश्चित करता है। ब्रिटेन में जो स्थान अटार्नी जनरल का है वही प्रान्त में ऐडवोकेट जनरल का। मंत्रि मंडल से इसका कोई राजनौतिक सम्बन्ध नहीं है। ऐडवोकेट जनरल को अधिकार है कि वह प्रान्त की दोनों धारा-सभाओं में भाषण दे सके।

अपने प्रान्त में शान्ति की व्यवस्था के लिये गवर्नर अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है। यदि वह आवश्यक समझे तो सरकारी पदाधिकारी को अधिकार दे सकता है कि वह प्रान्तीय धारा-सभाओं तथा इनकी किसी कमेटियों में भाग ले सके। लेकिन उसे वोट देने का अधिकार न होगा। यदि कोई व्यक्ति क्रान्ति द्वारा अथवा किसी दूसरे तरीके से प्रान्तीय सरकार के अस्तित्व को मिटाना चाहे तो उससे बचने की कार्रवाई करने का अधिकार गवर्नर को है। वह पुलिस विभाग के अफसरों को यह सूचित कर सकता है कि यह समाचार किसी से न कहे। केवल इन्स्पेक्टर जनरल या पुलिस कमिश्नर या कोई दूसरा पदाधिकारी जिसे गवर्नर-जनरल आज्ञा दे, ऐसा कर सकता है। ऐसे अधिकार यह सूचित करते हैं कि सरकार जनता में कितना कम विश्वास रखती है। अपने दफ्तर के कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया है। उनका वेतन वही निश्चित करता है। प्रान्तीय धारा-सभा इस सूचने पर वोट नहीं दे सकती।

इन अधिकारों से स्पष्ट है कि गवर्नर का स्थान नये शासन-विधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शासन बनाने वालों का उसल यह भली भाँति व्यक्त है कि वे कार्यकारिणी विभाग को पूर्ण स्वतन्त्र रखना चाहते थे। इसीलिये गवर्नर को इतने अधिक अधिकार दिये गये हैं। शासन की पूरी वागडोर इसके हाथ में रक्खी गई है। आर्थिक, कानूनी तथा शासन सम्बन्धी सभी विषयों में वह हाथ डाल सकता है। मंत्रियों के होते हुए भी वह अपने विशेष अधिकारों द्वारा पूर्ण स्वतन्त्र है। उसके इन अधिकारों के सामने प्रान्तीय स्वराज कोई अर्थ नहीं रखता। कांग्रेस ने जब मन्त्रिपद ग्रहण किया तो उसे यह आशा थी कि गवर्नर इन अधिकारों

का प्रयोग जल्दी नहीं करेंगे। योरप की लड़ाई छिड़ते ही केन्द्रीय सरकार के हुकम गवर्नरों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य करने लगे। ऐसी दशा में कांग्रेस ने उचित समझ कर त्यागपत्र दे दिया। गवर्नर और गवर्नर-जनरल के स्थान अपने अपने क्षेत्र में एक से हैं। दोनों विशेषाधिकार से सुसज्जित हैं। केन्द्रीय सरकार में एक सुदृष्ट विभाग बनाया गया है जिस पर एकमात्र अधिकार गवर्नर-जनरल का है। प्रान्तीय सरकार में पिछड़े हुए विभागों (Excluded Areas) को छोड़ कर ऐसा कोई भी विभाग नहीं है। प्रान्तों में गवर्नर को धन सम्बन्धी मामले में वे विशेष अधिकार नहीं दिये गये हैं, जो केन्द्र में गवर्नर-जनरल को हैं। इन थोड़े से अन्तर को छोड़ कर शेष कार्यों में दोनों का पद एक सा है। दोनों ही प्रजा के अधिकारों से ऊपर रखे गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोनों अपने स्वतन्त्र विचार से शासन का कार्य चलाते हैं।

अध्याय १२

प्रान्तीय मंत्रि मंडल

यद्यपि गवर्नर अपने प्रान्त का सर्वप्रधान शासक है, फिर भी उसे सलाह देने के लिये मंत्रियों की एक सभा बनाई गई है। शासन मंत्रियों की को चलाने के लिये केवल एक व्यक्ति समर्थ नहीं हो आवश्यकता सकता। केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन में केवल दर्जे का अन्तर है सिद्धान्त दोनों के एक हैं। जो आवश्यकता गवर्नर-जनरल को अपने सलाहकारों की है वही आवश्यकता गवर्नर को मंत्रियों की है। शासन में कोई सरकार जनता के विचारों को बहुत दिनों तक नहीं टुकरा सकती। कुछ समय तक वह इसकी अवहेलना भले ही कर ले; लेकिन यह शासन सर्वप्रिय तभी बन सकता है जब जनता के प्रतिनिधियों की राय मान ली जाय। यद्यपि यह अवस्था ब्रिटिश-प्रान्तीय जनता को अभी तक प्राप्त नहीं है परन्तु शासन के ऐतिहासिक विकास को देखते हुए इसकी उन्नति क्रमशः इसी मार्ग पर हुई है। नये शासन-विधान में प्रान्तीय स्वराज अभी अधूरा है, फिर भी इसकी असलियत में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये। जब हम वर्तमान प्रान्तीय शासन की तुलना १६०६ अथवा १६१६ के शासन-विधानों से करते हैं तो हमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जनता

के अधिकार किस प्रकार क्रमशः बढ़ते गये हैं। इस वृद्धि का मापदंड धारा-सभाओं में जनता के प्रतिनिधियों की संख्या है। दो प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रान्तीय शासन में कहाँ तक हमें अधिकार दिये गये हैं। एक तो यह कि धारा-सभाओं में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है। दूसरे यह कि इन प्रतिनिधियों को शासन में कहाँ तक हाथ डालने का अधिकार है।

प्रान्तीय शासन की उपयोगिता वहीं तक है जहाँ तक वह स्थानीय समस्याओं को दूर कर सके। इसके लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय जनता की पूरी पूरी राय ली जाय। प्रान्तीय शासन को चलाने के लिये गवर्नरों को एक एक मंत्रि-मंडल दिये गये हैं। कुछ तो शासन-प्रबन्ध में उसे सहायता पहुँचाने के लिये और कुछ जनता के अधिकारों की रक्षा के लिये ऐसा किया गया है। मंत्री धारा-सभाओं के सदस्य होते हैं। प्रजा का उनमें पूर्ण विश्वास होता है। वे अपने कार्यों के लिये सरकार तथा जनता दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जिस देश की प्रान्तीय कार्य-कारिणी सभा धारा-सभा के प्रति जिम्मेवार नहीं होती वह प्रजा-तन्त्रवादी होने का दावा नहीं कर सकता। यदि मन्त्री न हों तो एकतन्त्रवाद की स्थापना हुये बिना नहीं रह सकती। गवर्नर के स्वतन्त्र कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ सकती। मन्त्री शासन का पूरा भार अपने ऊपर लेकर जनता की भलाई की चिन्ता करते हैं। एक ओर वे गवर्नर की निरंकुशता को रोकते हैं और दूसरी ओर उत्तरदायी शासन को दृढ़ करते हैं। यदि प्रान्तीय धारा-सभाओं के सदस्य जनता के प्रतिनिधि हों किन्तु कार्य-कारिणी सभा से उनका कोई सम्बन्ध न हो तो जनता का निर्वाचन अधिकार निरर्थक सिद्ध होगा। इन्हीं कारणों से हरेक प्रान्त में एक ऐसे मंत्रि-मंडल की आवश्यकता पड़ती है जो सभी प्रकार से शासन-प्रबन्ध के लिये जिम्मेवार हो।

१६१६ के पहिले ब्रिटिश भारत १५ प्रान्तों में विभक्त था। बंगाल, मद्रास और बम्बई अहातों के गवर्नरों को तीन तीन मंत्रियों की एक कौंसिल उनकी सहायता के लिये दी गई थी। ये सदस्य सरकारी कर्मचारियों में से चुन लिये जाते थे। शासन के प्रत्येक काम में गवर्नर इनसे सलाह लेता था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह मनमानी भी कर सकता था। इन तीन प्रान्तों के अतिरिक्त ४ प्रान्तों के प्रधान लेटिनेंट गवर्नर कहलाते थे। ये अपने सूबे का प्रबन्ध बिना कौंसिल के भी कर सकते थे। तीन प्रान्त ऐसे थे जिनका प्रधान

कमिश्नर कहलाता था। ये पूर्णतया भारत सरकार के अधीन कार्य करते थे। शेष प्रान्तों का प्रबन्ध भारत सरकार की देख-रेख में होता था। इनमें जनत के अधिकार शून्य के बराबर थे। १९१२ ई० के शासन-विधान के अनुसार गवर्नर के प्रान्तों की संख्या ६ कर दी गई। शेष प्रान्तों का दर्जा वही बन रहा। इस शासन-विधान में प्रान्तों में दोहरे शासन (Dyarchy) का नींव डाली गई। प्रान्तीय विषय दो श्रेणियों में विभाजित करके कुछ विषय भारतीय मंत्रियों को दे दिये और शेष गवर्नर और उसकी कौंसिल के हाथों में छोड़ दिये गये। गवर्नर की कौंसिल में ४ सदस्य होते थे। इनकी नियुक्ति सम्राट् द्वारा होती थी। इसके आधे सदस्य भारतीय होते थे। इनमें एक ऐसे सदस्य का होना आवश्यक था जो कम से कम ११ वर्ष तक सरकारी नौकरी में रहा हो। कौंसिल की बैठक में गवर्नर सभापति का आसन प्रथम करता था। आमतौर से उसे बहुमत का फैसला मानना पड़ता था। परन्तु वोट बराबर होने पर अथवा किसी विशेष परिस्थिति में वह इसके विरुद्ध भी कर सकता था।

कौंसिल के सदस्यों के अतिरिक्त गवर्नर के प्रान्तों में एक मन्त्रिमण्डल होता था। जो विषय जनता की जिम्मेवारी पर दिये गये थे। उनका प्रबन्ध इन्हीं मन्त्रियों के जिम्मे था। मन्त्री गवर्नर द्वारा चुने जाते थे। ये प्रान्तीय धारा-सभा के चुने हुए सदस्यों में से होते थे। यद्यपि ये मन्त्री कार्यकारिणी सभा (Executive Council) के सदस्य नहीं होते थे परन्तु शासन की सुविधा के लिये कुछ विषयों में कौंसिल के सदस्यों के साथ बैठकर विचार करते थे। मन्त्रियों तथा कौंसिल के सदस्यों की सम्मिलित बैठक में गवर्नर सभापति होता था। सम्मिलित बैठक का फ़ैसला कौंसिल तथा मन्त्रिमंडल दोनों को मानना पड़ता था। दोनों विषयों के प्रबन्ध के लिये एक सम्मिलित रकम रकवी गई थी परन्तु सुरक्षित विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता था। गवर्नर को यह अधिकार था कि वह मंत्रियों की सलाह को माने या ठुकरा दे। मन्त्री उसकी इच्छानुसार कार्य करने के लिये बाध्य थे। वह जब चाहता उन्हें हटा सकता था। उनका वेतन धारा-सभा द्वारा निश्चित किया जाता था। कौंसिल के सदस्य धारा-सभा के सदस्य नहीं होते थे, लेकिन उन्हें यह अधिकार था कि वे उसकी बैठक में शरीक हो सकें। ये ५ वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते थे। उनका वेतना सभी प्रान्तों में एक सा नहीं होता था। बंगाल, मद्रास, बम्बई तथा संयुक्तप्रान्त में प्रत्येक सदस्य को ६५००० रुपये सालाना; पंजाब, बर्मा, बिहार उड़ीसा, में ६०००० रुपये सालाना; तथा

अन्य प्रान्तों में ४२००० रुपये सालाना दिया जाता था [मन्त्रियों का वेतन निश्चित नहीं था]

[प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार की मातहत में काम करती थी। कुछ विषयों में प्रत्यक्ष रूप से और कुछ में अप्रत्यक्ष रूप से वह हाथ डाल सकती थी। प्रान्तीय कार्यकारिणी के दो हिस्से करने से शासन प्रबन्ध की जिम्मेवारी दो जगह बँट गई थी। अर्थात् कौंसिल के सदस्य और मन्त्री किसी को भी पूरा उत्तरदायित्व प्राप्त न था। साथ ही एक की जिम्मेवारी धारा-सभा के प्रति और दूसरे की गवर्नर के प्रति थी। यह दोहरा प्रबन्ध सर्वथा दूषित था। १६ वर्ष तक किसी तरह यह शासन प्रबन्ध चलता रहा। जिन मन्त्रियों को कुछ विषयों की जिम्मेवारी दी गई थी उन्हें निकालने और भर्ती करने का अधिकार गवर्नर को था। ऐसी दशा में वे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि १९१६ के शासन-विधान से भारतीय समाज का कोई वर्ग सन्तुष्ट न था। शासन-विधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि १० वर्ष बाद अर्थात् १९२६ ई० में शासन की सफलता और असफलता पर विचार किया जायेगा। किसी तरह ८ वर्ष व्यतीत हुए थे कि १९२७ ई० में इसकी जाँच पड़ताल आरम्भ हो गई। इसके पश्चात् १९३५ ई० में एक संघ-शासन की योजना बनाई गई। प्रान्तों की संख्या में उलट-फेर किया गया और उन्हें प्रान्तीय स्वराज अर्पण कर दिया गया। यह प्रान्तीय स्वराज कहाँ तक भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। प्रान्तों से दोहरा शासन तोड़ कर एक मन्त्रि-मंडल की स्थापना की गई है।

[१९३५ का शासन-विधान हमारे देश के लिये एक नई देन है] जिस संघ-शासन की योजना पर हम वर्षों से विचार कर रहे थे १९३५ के वह हमें दी गई है। इसके गुण-दोषों पर हम पिछले शासन-विधान अध्याय में विचार कर चुके हैं प्रान्तीय शासन में इसका क्या प्रभाव है इस पर विचार करना है [नये संघ शासन-मन्त्रि-मंडल विधान में प्रजातंत्रवाद की नक़ल की गई है। प्रान्तीय स्वराज इसका पहिला क़दम है] अब प्रश्न यह है कि क्या प्रान्तों में एक निर्वाचित धारा-सभा बनाई गई है तथा प्रान्तीय मन्त्रिमंडल इस सभा के प्रति उत्तरदायी है? यदि ये दोनों बातें ठीक हैं तो हमें प्रान्तीय स्वराज की असलियत में कोई सन्देह नहीं है। प्रान्तीय मन्त्रिमंडल का अध्ययन करने पर ये दोनों प्रश्न हल हो जायेंगे।

नये शासन विधान में गवर्नर को सलाह देने के लिये मन्त्रियों की एक सभा बनाई गई है। दोहरा शासन दूर कर दिया गया है। कुछ विषयों में उसकी इच्छा सर्वप्रधान है, परन्तु बाकी के लिये वह मन्त्रियों से सलाह ले सकता है। परन्तु उस सलाह से वह बाध्य नहीं है। प्रान्त की रक्षा और शासन को चलाने की जिम्मेवारी के नाते वह सब कुछ करने का अधिकारी है। दोनों विषय एक दूसरे से सर्वथा अलग कर दिये गये हैं कि किन विषयों में मन्त्री सलाह दे सकते हैं और किन में नहीं। दूसरे प्रकार के विषयों में वह जो वसूल चाहेगा बर्तेगा। इसलिए मन्त्रियों की सलाह का कोई मूल्य नहीं रह जाता।

नये शासन-विधान में मन्त्रियों को चुनने का अधिकार गवर्नर को दिया गया है। कार्य रूप में वह छोटी धारा-सभा (Legislative Assembly) की बहुमत पार्टी के नेता को बुलाता है। एक जिम्मेवार शासन की दृष्टि से यह प्रथा सराहनीय है। लगभग सभी प्रजातन्त्रवादी देश इस सिद्धान्त को काम में लाते हैं। धारा-सभा में अनेक राजनीतिक दल हैं। सबके अलग अलग वसूल और कार्य क्रम रहते हैं। इस उलभन को दूर करने का सरल मार्ग यही है कि प्रधान राजनीतिक दल के हाथों में सरकार का कार्य दिया जाय। यदि यह दल अन्य दलों के साथ सहयोग प्राप्त करके शासन को चलाये तो और भी अच्छा है। गवर्नर प्रधान दल के नेता को बुलाकर यह आज्ञा देता है कि वह कुछ सदस्यों का एक मन्त्रिमंडल बना ले। नेता आमतौर से अधिक से अधिक मन्त्री अपने दल से चुनता है। मन्त्रियों के लिये यह आवश्यक है कि वे छोटी या बड़ी धारा-सभा के सदस्य हों। यदि नेता चाहे तो अन्य दलों को सन्तुष्ट रखने के लिये उनमें से भी एक या दो मन्त्री चुन सकता है। मन्त्रियों की संख्या निश्चित नहीं है। केन्द्रीय संसद कार्यकारिणी सभा में तो अधिक से अधिक १० मंत्री हो सकते हैं, परन्तु प्रान्तों में इनकी संख्या पर कोई रोक नहीं है। नेता द्वारा इस प्रकार जो सदस्य चुने जाते हैं उनसे जो सभा बनती है उसे मन्त्रिमंडल कहते हैं। ब्रिटिश प्रान्तों में आज इसी प्रकार के मन्त्रिमंडल शासन का कार्य चला रहे हैं।

मन्त्रियों के चुनाव में नेता को अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को मन्त्रिमंडल में शामिल करे जो धारा-सभा का सदस्य नहीं है। परन्तु ६ महीने के अन्दर उसे प्रान्तीय धारा-सभा का सदस्य बन जाना आवश्यक है। ये मंत्री ऐसे होने चाहिये जिनमें धारा-सभा का पूर्ण विश्वास

हो। गवर्नर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अल्पसंख्यक दल को मंत्रि-मंडल में उचित स्थान प्राप्त हो। यह हो सकता है कि मंत्रि-मंडल में उसे कोई स्थान न दिया जाय। ऐसी दशा में यह सम्भव नहीं है कि गवर्नर प्रधान दल की इच्छा के विरुद्ध अल्प-संख्यक वर्ग के किसी सदस्य को मन्त्रिमंडल में शामिल कर सके। ऐसा करने से वह अनेक कठिनाइयों में पड़ सकता है। जो दल शासन को चला रहा है उसके विरुद्ध कोई कार्य करके वह शान्तिपूर्वक शासन नहीं कर सकता। इतनी छोटी-सी बात के लिये वह अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा। यदि किसी दल का बहुमत इतना प्रभावशाली नहीं है कि वह उसे प्रसन्न रखने की चिन्ता करे तो एक सम्मिलित मंत्रि-मंडल बनाया जा सकता है। २ या ३ दलों के सदस्य मन्त्रिमण्डल में शरीक किये जा सकते हैं। यहाँ पर गवर्नर अपेक्षाकृत लोगों का उपयोग कर सकता है। कोई भी एक दल उसका विरोध नहीं कर सकता। अल्प संख्यक वर्गों की सहायता से वह साधारण बहुमत दल के विरोध से बच सकता है।

शासन विधान में मन्त्रियों की योग्यता का कोई विधान नहीं बनाया गया है। इतनी शर्त जरूर है कि उन्हें प्रान्तीय धारा-सभा का सदस्य होना चाहिये। ये मंत्री धारा-सभा के चुने हुए अथवा नामजद सदस्यों में से हों। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रान्तीय धारा-सभा की छोटी अथवा बड़ी सभा से ये चुने जाते हैं। इनका व्यक्तित्व साधारण सदस्यों से ऊँचा समझा जाता है। जनता पर प्रभाव डालने के लिये यह आवश्यक है कि वे प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अपने दल के प्रमुख नेताओं में से हों। चरित्र और बुद्धि दोनों में उन्हें ऊँचा होना आवश्यक है। तभी वे अपनी जिम्मेवारी को निबाह सकते हैं। केवल पुस्तकीय ज्ञान रखने वाले व्यक्ति इस पद पर सफल नहीं हो सकते। पुस्तक से बढ़कर सामाजिक विषयों का ज्ञान आवश्यक है। इंग्लैंड की कैबिनेट में कितने ही मंत्रियों का वर्णन मिलता है जो कालेज तथा यूनिवर्सिटी का मुँह भी नहीं देखे हुए थे। परन्तु उन्हें अपने समय की राजनीतिक परिस्थिति का इतना अधिक ज्ञान था कि वे बड़ी योग्यतापूर्वक अपने काय को संभालते रहे। मन्त्री को किसी विषय का विशेष ज्ञान भले ही न हो किन्तु उसकी बुद्धि सर्वव्यापी और विस्तृत होनी चाहिये। उसका दृष्टिकोण इतना व्यापक हो कि वह विषयों को तुरन्त समझ जाय। उसमें विचार करने का प्रचुर शक्ति होनी आवश्यक है।

प्रान्तों में मन्त्रियों की संख्या निश्चित नहीं है। उन्हें अपनी सुविधानुसार मंत्री नियुक्त करने का अधिकार है। आमतौर से बड़े सभों में इनकी संख्या

७ और १० के बीच में तथा छोटे सूत्रों में ३ और ६ के बीच में रखी गई है। जब तक प्रजा के प्रतिनिधियों का उनमें विश्वास है तब तक वे अपने पद पर कार्य करेंगे [इनका समय निश्चित नहीं है। वे तब तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं जब तक प्रान्तीय धारा-सभा उनके दल में विश्वास करती रहेगी। यदि छोटी सभा भंग न की गई तो मन्त्री ५ वर्ष तक अपने स्थान पर बने रहेंगे] १९१९ के शासन-विधान में इनके वेतन का नियम वर्तमान तरीके से भिन्न था। जब सालाना आय-व्यय का चिट्ठा प्रान्तों में पास किया जाता तो प्रत्येक मन्त्री का वेतन भी निश्चित कर दिया जाता था। प्रान्तीय धारा सभा को यह अधिकार था कि वह इसे घटा-बढ़ा सके। यहाँ तक कि वह उसे बिल्कुल बन्द कर सकती थी। धारा-सभा और मंत्रिमंडल उत्पन्न होने पर मंत्रियों के वेतन पर आघात किया जाता था। एक प्रकार से धारा सभा के सदस्य मंत्रियों को जब चाहें हटा सकते थे; क्योंकि कोई मन्त्री अपना वेतन बन्द होने पर कार्य नहीं कर सकता था। नये शासन-विधान में वेतन का ढग बदल दिया गया है। अब वह प्रान्तीय धारा-सभा के ऐक्ट के अनुसार निश्चित किया जाता है। जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार है कि वे जब चाहें इस ऐक्ट में संशोधन करें। इससे जनता को प्रान्त के सबसे बड़े पदाधिकारियों का वेतन निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है।

[नये शासन-विधान के अनुसार मन्त्रियों का वेतन प्रति वर्ष निश्चित नहीं किया जाता। धारा-सभा उनके पूरे समय के लिये एक बार इसे निश्चित कर देती है। जब तक मन्त्री अपने पद पर कार्य करते हैं तब तक उन्हें यह वेतन एकसा मिलता रहता है। यद्यपि प्रति वर्ष धारा-सभा के सामने यह खर्च पेश किया जाता है लेकिन इस पर किसी प्रकार का वोट नहीं लिया जाता। धारा-सभा मन्त्रियों के वेतन को घटाने-बढ़ाने पर विचार नहीं कर सकती। उसे यह अधिकार नहीं है कि वह उसका वेतन कम करके उन्हें अपने पद से हटा दे। यदि वह मन्त्रिमण्डल में विश्वास नहीं करती तो अविश्वास का प्रस्ताव करके उसे जब चाहे हटा दे। इस प्रस्ताव के पास होने पर मन्त्रियों को स्वयं अपने पद से हट जाना पड़ता है।] यह नियम सभी प्रजातन्त्रवादी देशों में एक सा पाया जाता है। यह इसीलिये बनाया गया है कि जनता अपनी इच्छानुसार अपना राजनीतिक प्रबन्ध करे [नये शासन-विधान में प्रान्तीय जनता यह इतराज्र नहीं कर सकती कि सरकार उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रही है। साधारण परिस्थिति में उसे यह कहने का अवसर नहीं दिया गया है।]

प्रान्तीय शासन के कार्य कई विभागों में बाँट दिये जाते हैं। प्रत्येक मंत्री एक या दो विभाग का प्रधान होता है। गवर्नर को यह मंत्रिमण्डल की अधिकार है कि वह मन्त्रियों का कार्य विभाजन कर कार्य-पद्धति सके। मंत्रिमंडल की सभा का सभापति गवर्नर-जनरल होता है। उसे यह अधिकार है कि वह इसकी कार्य-प्रणाली को जैसा चाहे बनाये। आमतौर से वह मन्त्रियों की सलाह को मान लेता है, परन्तु उसे स्वतंत्रता है कि वह जब चाहे अपने व्यक्तिगत अधिकारों का प्रयोग करे। उसकी अनुपस्थिति में प्रधान मन्त्री (Prime Minister) सभापति का आसन ग्रहण करता है। साधारणतया कार्यपद्धति आदि यही निश्चित करता है। मन्त्री अपने विभाग का प्रबन्ध अपनी इच्छानुसार करते रहते हैं। कोई गम्भीर बात आ जाने पर पूरे मन्त्रिमण्डल से सलाह लेनी पड़ती है। जहाँ तक शासन की नीति का सम्बन्ध है, कोई भी मन्त्री पूरे मन्त्रिमण्डल की सलाह के बिना मनमानी नहीं कर सकता। सभी विभागों की नीति मन्त्रिमंडल की बैठक में अच्छी तरह विचार की जाती है। उसी के अनुसार विभागों का प्रबन्ध करना पड़ता है। इससे शासन की नीति एक समान बनी रहती है। किसी एक विभाग का मन्त्री इस बात के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसकी नीति हानिकर सिद्ध हुई। पूरा मन्त्रिमंडल इसके लिये उत्तरदायी होता है। प्रधान मन्त्री इस बात का ध्यान रखता है कि सभी विभागों में एक ऐसी नीति बर्ती जाय जिससे प्रान्तीय शासन की एकता टूट बनी रहे। विभागों का उत्तरदायित्व देते समय मन्त्रियों की योग्यता का ध्यान रक्खा जाता है। जिस विभाग को चलाने की योग्यता जो सबसे अधिक रखता है उसे वही सुपुर्द किया जाता है। यदि प्रधान मन्त्री इस बात का ध्यान न रखे तो शासन का कार्य ठीक तरह नहीं चल सकता। तात्पर्य यह है कि प्रान्तीय मन्त्रिमंडल की कार्य पद्धति वही है जो केन्द्रीय कार्यकारिणी की है। इसकी तुलना ब्रिटिश कैबिनेट से भी की जा सकती है। अन्तर इतना ही है कि ब्रिटिश कैबिनेट की जो शक्ति प्राप्त है वह प्रान्तीय मन्त्रिमंडल को नहीं है।

मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी विशेषता इसका सम्मिलित उत्तरदायित्व है। यदि प्रत्येक मन्त्री अपने विभाग का शासन प्रबन्ध किसी ऐसे ढंग से करे जो और मन्त्रियों को पसन्द न हो तो यह निश्चित है कि मन्त्रिमंडल में एकता नहीं रह सकती। इसके साथ ही शासन-प्रबन्ध ढीला पड़ जायेगा। इसीलिये प्रजातन्त्रवादी देशों में सम्मिलित उत्तरदायित्व की प्रथा प्रचलित है। सभी मन्त्री एक दूसरे के कार्य के लिये उत्तरदायी समझे जाते हैं।

बुटेन की कैबिनेट में २१ के लगभग मन्त्री हैं। इनमें से यदि एक कोई भूल करता है तो इसकी ज़िम्मेवारी पूरे मन्त्रिमंडल पर रखी जाती है [एक की ग़लती के कारण सारा मन्त्रिमण्डल बर्खास्त कर दिया जाता है। ऐसा इसलिये किया गया है कि सारा मन्त्रिमंडल सरकार को एक इकाई मानकर शासन का कार्य करे। मन्त्रियों की एकता से शासन के सभी विभाग एक दूसरे से मिले हुए कार्य करते हैं] इससे जनता को अधिक लाभ पहुँचता है। किसी देश की सरकार कई नीति नहीं रख सकती। यही बात सूबों में भी पाई जाती है। यदि सभी मन्त्री मनमानी करने लगेँ और मन्त्रिमंडल की नीति एक न हो तो प्रान्तीय व्यवस्था शान्तिपूर्वक नहीं चल सकती। मन्त्रिमंडल के सदस्य धारा-सभा की बहुमत पार्टी से इसीलिये नियुक्त किये जाते हैं कि उनकी नीति को दूसरे दल वाले विफल न कर सकें। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मन्त्री अपने कार्यों के लिये चारों ओर से बँधा रहता है। इतनी रुकावटें होने पर भी उसे काफ़ी स्वतन्त्रता प्राप्त है। कभी कभी मंत्रियों में भेदभाव उत्पन्न हो जाने पर वह आसानी से दूर कर दिया जाता है [यदि कोई मन्त्री मन्त्रिमंडल की नीति से सहमत नहीं है तो वह त्याग-पत्र देकर उससे अलग हो जाता है]।

[साधारणतया मन्त्री अपने स्थान से तभी पदच्युत किये जाते हैं जब धारा-सभा उनमें अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है। परन्तु गवर्नर का अधिकार है कि वह जब चाहे मन्त्रिमण्डल को तोड़ दे। साधारण परिस्थिति में वह ऐसा नहीं करता। जब प्रान्तीय शासन प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्त पर बनाया गया है तो यह आवश्यक है कि मन्त्रिमण्डल अपने कार्यों के लिये धारा-सभा के प्रति ज़िम्मेवार हो। जब धारा-सभा पूरे मन्त्रिमण्डल अथवा किसी एक मन्त्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है और वे अपने स्थान पर बने रहना चाहते हैं तो गवर्नर विवश होकर उस मन्त्रिमंडल अथवा मन्त्री को अलग कर देता है। मध्य प्रान्त और बरार में इसी प्रकार की एक घटना काँग्रेस मन्त्रिमण्डल के समय घटी थी। डाक्टर खरे इस प्रान्त के प्रधान मन्त्री थे। उन्होंने अपने सहकारी मन्त्रियों को यह सलाह दी कि वे मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दें। साथ ही वे स्वयं त्याग-पत्र दे देना चाहते थे। उनका विचार एक दूसरा मन्त्रिमंडल बनाने का था। दो मन्त्रियों ने त्याग-पत्र देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि काँग्रेस के जिन महाप्रभुओं ने उन्हें यह स्थान दिया है उनकी आज्ञा के बिना वे त्याग-पत्र नहीं दे सकते। डाक्टर खरे ने त्याग-पत्र दे दिया। ऐसी परिस्थिति उपस्थित होने पर गवर्नर ने इन दोनों मन्त्रियों को बर्खास्त कर दिया और डाक्टर

खरे को यह अधिकार दिया कि वे दूसरा मन्त्रि-मंडल बना लें। इस पर काँग्रेस का रुख कुछ अच्छा न रहा। डाक्टर खरे के विरुद्ध काँग्रेस ने अनुशासन भंग करने का दोष लगा कर उन्हें मन्त्रि मंडल से निकाल दिया। साथ ही उन्हें यह भी आज्ञा दी गई कि वे ३ वर्ष तक काँग्रेस के सदस्य नहीं बन सकते। वहाँ के गवर्नर को भी इस मामले में काँग्रेस ने दोषी ठहराया।

यदि शासन की दृष्टि से “खरे की घटना” (Khare Episode) का अवलोकन करें तो हम गवर्नर को दोषी नहीं ठहरा सकते। जब कि मन्त्रि-मंडल के सभी सदस्य त्याग-पत्र दे देते हैं तो एक या दो सदस्य प्रधान मन्त्री की इच्छा के विरुद्ध अपने स्थान पर कैसे बने रह सकते हैं। गवर्नर का यह कर्त्तव्य था कि वह उन्हें हटा दे। वह बहुमत पार्टी को, चाहे वह काँग्रेस हो या कोई और, अपने ध्यान में रखते हुए मन्त्रि-मंडल के कार्यों को देखता है। डाक्टर खरे के काँग्रेस पार्टी का लीडर होने में कोई भी सन्देह नहीं कर सकता। यदि गवर्नर ने उन्हें ऐसा मान कर दोबारा मन्त्रि-मंडल बनाने का अधिकार दिया तो कोई बुरा नहीं किया। इसमें उसने शासन की अवहेलना न की। जहाँ तक डाक्टर खरे के कामों का सम्बन्ध है उन्हें भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते। शासन का कार्य और अच्छी तरह चलाने के लिये यदि वे कोई नया मन्त्रि-मंडल बनाना चाहते थे तो उनका ऐसा करना सर्वथा उचित था। अपनी पार्टी के एक नेता की हैसियत से मन्त्रि मंडल बनाने का उन्हें पूरा अधिकार था। परन्तु उन्हें यह कार्य काँग्रेस की आज्ञा से करना चाहिये था। काँग्रेस के सभी मन्त्रि-मंडल उसकी एक कमीटी (Congress Parliamentary Sub Committee) के अधिकार में रखे गये थे। उन्हें यह मुनासिब था कि उस कमीटी की राय से सब कुछ करें। डाक्टर खरे ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया इसलिये उनके ऊपर लगाया गया दोष सर्वथा उचित था।

इसी प्रकार की एक दूसरी घटना बंगाल में हुई। वहाँ के प्रधान-मंत्री मिस्टर फजलुलहक़ ने मिस्टर नवशेर अली को आज्ञा दी कि वे मन्त्रि-मंडल से इस्तीफ़ा दे दें। प्रधान-मंत्री की आज्ञा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। गवर्नर ने भी इस मामले में हाथ डालना मुनासिब न समझा। इस पर प्रधान मन्त्री ने पूरे मन्त्रिमंडल का त्यागपत्र पेश कर दिया। धारा-सभा को बहुमत पार्टी का फजलुलहक़ में विश्वास था। उसने उन्हें दूसरा मन्त्रि-मंडल बनाने की आज्ञा दे दी। नये मन्त्रि-मंडल में मिस्टर नवशेर अली शामिल नहीं किये गये।

यह हो सकता है कि धारा-सभा मन्त्रिमंडल में विश्वास करे, लेकिन गवर्नर का उससे मतभेद हो। ऐसी दशा में वह मन्त्रिमंडल को भंग कर सकता है। संयुक्तप्रान्त और बिहार में राजनीतिक क़ैदियों के छोड़ने के विषय में उसमें तथा मंत्रियों में कुछ मतभेद हुआ। मन्त्री यह चाहते थे कि सभी राजनीतिक क़ैदी एक साथ छोड़ दिये जायँ परन्तु वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। काँग्रेस के मन्त्रियों ने इस पर त्यागपत्र दे दिया। अन्त में सुलह का एक रास्ता निकाला गया। गवर्नरों ने यह वादा किया कि धीरे धीरे राजनीतिक क़ैदी छोड़ दिये जायेंगे।

मन्त्रियों के अधिकार और कर्त्तव्य का बहुत कुछ आभास उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है। फिर भी इसका विस्तृत वर्णन 'प्रान्तीय स्वराज' नामक अध्याय में किया गया है। यदि काँग्रेसी मंत्रियों को सूबों में कुछ दिन और शासन करने का अवसर मिलता तो यह बात और स्पष्ट हो जाती कि उनके अधिकारों की सीमा क्या है। यह बात निर्विवाद है कि गवर्नर मंत्रियों के कामों में जल्दी दखल नहीं डाल सकते। मंत्री अपने क्षेत्र में काफ़ी अंश तक स्वतन्त्र रखे गये हैं। लेकिन इस कमी की पूर्ति उसके विशेषाधिकारों से कर दी गई है। बड़े हौसले के साथ काँग्रेस ने मन्त्रियद स्वीकार किया था, परन्तु अन्त में उसे निराश होकर इससे त्यागपत्र देना पड़ा। उसे यह भी अनुभव हुआ कि उनके पद और अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक तेली के बैल की तरह वे शासन के छोटे छोटे कामों में जुते हुए हैं। अपनी चाल को कम करते ही तथा कोई लम्बा क्रदम बढ़ाते ही उन्हें रोकने की व्यवस्था बनी हुई है। यही सोच-विचार कर गत महायुद्ध के आरम्भ होने पर काँग्रेस ने शासन से अपने को अलग कर लिया था। युद्ध के बाद आज फिर काँग्रेस प्रान्तीय शासन चला रही है।

अध्याय १३

प्रान्तीय धारा-सभा

ऊपर कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार की नीति आरम्भ से ही शासन को केन्द्रीभूत करने की रही है। प्रान्तीय गवर्नरों तथा पेटिहासिक धारा सभाओं को बहुत थोड़े से अधिकार दिये गये विकास थे। हर मामले में उन्हें केन्द्रीय सरकार से आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती थी। प्रान्तीय धारा-सभाओं के पिछले इतिहास से यह ज़ाहिर होता है कि वे केवल बड़े बड़े लोगों की एक दल विशेष रही हैं। १८०७ ई० के पहिले प्रान्तीय सरकार को क़ानून बनाने का अधिकार न था। किसी भी प्रान्त में धारा सभा न थी। १८०७ ई० में मद्रास तथा बम्बई अहातों के गवर्नर और उसकी कौंसिल को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने शासन की सुविधा के लिये छोटे-मोटे क़ानून बना सकते हैं। १८३३ ई० में यह अधिकार उनसे छीन लिया गया। जब गवर्नरों को किसी क़ानून की ज़रूरत महसूस होती तो वे गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल को इसकी सूचना देते थे। केन्द्रीय सरकार उसके लिये क़ानून बना कर भेज देती थी। इसके उपरान्त ३० वर्ष तक प्रान्तीय सरकारों को क़ानून बनाने का किसी तरह का अधिकार नहीं दिया गया। १८६१ ई० में इंडिया कौंसिल ऐक्ट के अनुसार मद्रास तथा बम्बई प्रान्तों को क़ानून बनाने का अधिकार फिर दे दिया गया। लेकिन यह शर्त लगाई गई कि इसकी आज्ञा वे गवर्नर-जनरल से ज़रूर ले लें। अब भी उपरोक्त प्रान्तों में धारा-सभाओं की स्थापना नहीं की गई थी। प्रान्तीय कार्यकारिणी सभायें (Provincial Executive Council) क़ानून बनाने का कार्य करती थीं। इन्हीं में कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ा कर उनसे यह कार्य ले लिया जाता था।

१८६२ ई० में इंडिया कौंसिल ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय धारा सभाएँ कुछ और बढ़ा दी गईं। परन्तु सरकारी सदस्यों का बहुमत रक्क़ा गया। माले मिंटो-सुधार के अनुसार १९०६ ई० में प्रान्तीय धारा-सभाओं में सदस्यों की संख्या और बढ़ाई गई। यह निश्चित किया गया कि बड़े प्रान्तों में आ० भा० शा०—२२

५० तथा छोटे प्रान्तों में ३० सदस्य और बढ़ा दिये जायँ। गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रक्खा गया। अभी तक धारा-सभाओं के सदस्यों का चुनाव नहीं होता था। प्रान्तों के गवर्नर जिन्हें चाहते नामज़द कर देते। मार्ले-मिटो-सुधार में अप्रत्यक्ष निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पहिले पहल जारी किया गया। प्रान्तों के गवर्नर इन धारा-सभाओं के सभापति होते थे। क़ानून बनाने में इनका विशेष प्रभाव पड़ता था। गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी की सलाह से ही कोई क़ानून बन सकता था। एक प्रकार से कार्यकारिणी ही क़ानून बनाने का कार्य करती थी। इस प्रकार का शासन विधान बहुत दिन तक नहीं चल सकता था। एक ही सभा क़ानून बनाने और उसे कार्यान्वित करने का काम बहुत समय तक नहीं कर सकती थी। देश में राष्ट्रीय भावना का प्रचार इतने ज़ोरों से हो रहा था कि जनता पर किये गये इस राजनीतिक कुठाराघात की योजना आगे की नहीं चल सकती थी।

१९१८ ई० में मार्ग्रेथ्यू चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की गई कि प्रान्तीय कौंसिल अपने दिमाग को खाली कर चुकी है। अब उनसे लाभ की आशा रत्ती भर नहीं है। १९१६ ई० में हिन्दोस्तान के लिये एक नया शासन विधान बनाया गया। प्रान्तीय धारा-सभाओं की बनावट तथा उन्नके कर्तव्यों में महान् परिवर्तन किये गये। सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत १७ प्रान्तों में बाँटा गया। मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त-प्रान्त, पंजाब, ब्रह्मा, बिहार और उड़ीसा, बरार तथा मध्य प्रान्त बड़े बड़े सूबे ठहराये गये। इन सूबों को गवर्नर का सूबा कहा गया। १९१६ के शासन-विधान के अनुसार बर्मा प्रान्त गवर्नरों के सूबों में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन २ जनवरी सन् १९२३ ई० से वह एक गवर्नर का सूबा मान लिया गया। उपरोक्त ६ गवर्नरों के सूबों के अतिरिक्त ब्रिटिश विलोचिस्तान, दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग, मानपुर का परगना, पन्त पिपलौदा, अदन तथा अंडमन और नीकोबार ८ चीफ़ कमिश्नरों के सूबे ठहराये गये। प्रत्येक गवर्नर के सूबे में एक धारा-सभा (Legislative Council) बनाई गई। प्रान्तीय कार्य-कारिणी सभा के सभी सदस्य कौंसिल के सदस्य होते थे। प्रान्त का गवर्नर वहाँ की धारा-सभा का सदस्य नहीं बन सकता था। लेकिन उसे यह अधिकार था कि वह इसमें उपस्थित हो और व्याख्यान दे सके। धारा-सभा के सदस्य स्वयं अपना सभापति चुनते थे परन्तु उसे स्वीकार करने का अधिकार गवर्नर को था। ७० प्रतिशत सदस्य जनता द्वारा चुने हुए होते थे। सरकारी सदस्यों की संख्या २० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती थी। संयुक्त प्रान्त में धारा-सभा के

सदस्यों की संख्या १२३ ठहराई गई। इनमें १०० सदस्य जनता द्वारा चुने हुए होते थे और २३ गवर्नर द्वारा नामजद किये जाते थे। प्रान्तीय धारा-सभा की अवधि ३ वर्ष रखली गई लेकिन गवर्नर को यह अधिकार था कि वह इसकी अवधि घटा-बढ़ा सके। मताधिकार बढ़ा दिया गया। साम्प्रदायिक निर्वाचन भी पहिले से अधिक कर दिया गया था। मटिग्यू चेम्ब्रोड रिपोर्ट में साम्प्रदायिक निर्वाचन दूषित ठहराया गया था। उनका कहना था कि राष्ट्रीयता में बाधा पड़ेगी और विभिन्न सम्प्रदाय एक दूसरे को अपा शत्रु समझने लगेंगे। किन्तु रिपोर्ट में पंजाब प्रान्त में सिक्खों के लिये अलग निर्वाचन दिया गया था।

१९१६ के शासन-विधान के अनुसार सभी प्रान्तों में निर्वाचन क्षेत्र हिन्दू और मुसलमान दो भागों में बाँट दिये गये। कुछ वर्गों के लिये धारा सभाओं में स्थान सुरक्षित कर दिये गये। अछूतों को यह अधिकार दिया गया कि वे मुसलमान निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्र में वोट दे सकते हैं। उनके अधिकारों की रक्षा के लिये गवर्नर उन्हें नामजद भी कर सकता था। मज़दूरों को नामजद करने का विधान बनाया गया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्गों तथा संस्थाओं को पृथक् निर्वाचन के अधिकार दिये गये। प्रान्तीय धारा-सभाओं के अधिकार पहिले से अधिक कर दिये गये। अपने प्रान्त की रक्षा तथा उसमें शान्ति रखने के लिये उन्हें बहुत से अधिकार प्रदान किये गये। परन्तु चन्द विषयों की एक ऐसी सूची बनाई गई जिनमें गवर्नर-जनरल की आज्ञा के बिना वे हाथ नहीं डाल सकते थे। इनके विषय में कानून बनाने का उन्हें कोई अधिकार न था। प्रान्तीय धारा-सभाएँ जो बिल पास करतीं उसकी स्वीकृति गवर्नर तथा गवर्नर-जनरल दोनों से लेनी पड़ती थी। जो बिल धर्म, भूमि कर आदि से सम्बन्ध रखते थे उन्हें गवर्नर-जनरल को विचार करने के लिये रोका जा सकता था। गवर्नर को किसी कानून के रद्द करने का पूरा अधिकार था। यदि धारा-सभा कानून को बनाने से इनकार कर देती तो वह अपने अधिकार से उसे पास कर सकता था। इस प्रकार के कानूनों तथा धारा-सभा द्वारा पास किये कानूनों का प्रभाव एक सा होता था। सम्पूर्ण प्रान्तीय व्यय मतदायक और मतनिषेध (Votable and Non votable) दो भागों में बाँट दिया गया था। ७५ प्रतिशत व्यय पर प्रान्तीय धारा-सभा को मत देने का अधिकार न था। केवल २५ प्रतिशत व्यय उसके अधिकार में रखा गया था। इसमें भी गवर्नर जब चाहे हस्तक्षेप कर सकता था। प्रान्त की रक्षा और शान्ति आदि के लिये वह मनमाना धन व्यय कर सकता था। इससे यह स्पष्ट है कि गवर्नरों के प्रान्तों में

धारा सभाएँ तो ज़रूर थीं लेकिन उनके अधिकार नहीं के बराबर थे। उन्हें गवर्नर की इच्छानुसार चलना पड़ता था।

चीफ कमिश्नरों के आठों सूबों में केवल कुर्ग में धारा-सभा बनाई गई थी। इसमें कुल २० सदस्य रखे गये। १५ सदस्य जनता द्वारा चुने गये थे और बाकी ५ के चीफ कमिश्नरों ने नामज़द किया था। चीफ कमिश्नर गवर्नर-जनरल की मातहत में इन प्रान्तों का शासन करते थे। १९१९ ई० के शासन-विधान से इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ।

१९३५ के शासन विधान में प्रान्तीय धारा-सभाओं में कुछ परिवर्तन किया गया। कुछ प्रान्तों में छोटी बड़ी दो धारा-१९३५ के शासन-सभाएँ बनाई गई हैं। मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त-विधान में प्रान्तीय प्रान्त, विहार तथा आसाम में दो धारा सभाएँ हैं। धारा-सभायें उपरोक्त प्रत्येक प्रान्त में— बड़ी धारा सभा का नाम लेजिस्लेटिव कौंसिल और छोटी का लेजिस्लेटिव-असेम्बली रखा गया है। पंजाब, मध्यप्रान्त और बरार, पश्चिमोत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा सिन्ध इनमें केवल एक एक धारा-सभा बनाई गई है। इसका नाम लेजिस्लेटिव असेम्बली रखा गया है।

१९३५ के पहिले प्रान्तों में दो सभाएँ नहीं थीं। केवल केन्द्रीय सरकार में दो सभाओं का विधान था। संघशासन-विधान में ६ प्रान्तों को छोटी और बड़ी दो धारा-सभाएँ दी गई हैं। १९१९ ई० में मान्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने प्रान्तों में दो धारा-सभाओं की योजना पर विचार किया था। उनकी समझ में इसकी कोई आवश्यकता न थी। लेकिन संघ-शासन में इसकी उपयोगिता मान ली गई है। यह कहा गया है कि नये शासन-विधान में प्रान्तीय धारा-सभाओं के अधिकार बढ़ जाने से एक सभा काफ़ी न होगी। इसमें आम जनता के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि एक बड़ी धारा-सभा का निर्माण करके विशेष वर्गों के अधिकार सुरक्षित रखे जायँ। यह भी सम्भव है कि बड़ी-धारा सभा के न होने से छोटी सभा जल्दी में क्रान्ती महत्व को न समझे। जो कुछ भी हो, शासन-विधान के बनाने वालों ने यह स्वीकार किया है कि बड़ी धारा-सभा के जो जो गुण हैं उन सब की आवश्यकता कुछ बड़े ब्रिटिश प्रान्तों को है। भारतीय जनता की आवाज़ प्रान्तों की दो धारा-सभाओं के पक्ष में नहीं है। लोगों का कहना है कि गवर्नर के विशेषाधिकारों के सामने इसका कोई महत्व नहीं है।

सम्भवतः बड़ी धारा-सभा प्रान्तीय स्वराज में रोड़े अटकाने के लिये बनाई गई है। लार्ड हैलिफेक्स ने इसे निर्र्थक साबित किया है। बड़े बड़े ज़मींदारों तथा सेठ साहूकारों के हितों की रक्षा के लिये इसका निर्माण किया गया है।

कुछ भारतीय राजनीतिज्ञों का अनुमान है कि बृटिश सरकार को यह भय था कि एक धारा-सभा रहने से काँग्रेस को बहुमत प्राप्त करने का अवसर आसानी से मिल जायेगा। यह भय बहुत कुछ ठीक था। आठ प्रान्तों की छोटी धारा-सभा में काँग्रेस ने जो बहुमत प्राप्त किया है उसे देखते हुए यह बात स्पष्ट हो जाती है। सर तेजबहादुर सप्रू ने बृटिश राजनीतिज्ञों का ध्यान इस ओर दिलाया था कि प्रान्तों में दो धारा सभाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट के कितने ही सदस्यों ने दो धारा सभाओं की योजना का विरोध किया था। लार्ड स्ट्रेबोगी (Lord Strabogi) का कहना है कि हिन्दो-स्तान की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इसे एक ऐसी नीति की ज़रूरत है जो शंकित और दबू न हो। भारतीय राज-नीतिज्ञ भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बृटिश प्रान्तों में बड़ी धारा-सभा से हानि के बदले कोई लाभ नहीं है। अभी तक दोनों धारा-सभाओं में कोई गहरा भेदभाव उत्पन्न नहीं हुआ। फिर भी दोनों की बनावट को देखते हुए यह बहुत सम्भव है कि दोनों सभाएँ एक दूसरे की विरोधी बन जायँ। छोटी धारा-सभायें आम जनता के प्रतिनिधियों से बनी हुई हैं। इसके विपरीत बड़ी धारा-सभायें धनी मानी लोगों की रक्षा के लिये बनाई गई हैं। पिछले चुनाव में ८ प्रान्तों में छोटी धारा-सभाओं में काँग्रेस का परन्तु बड़ी धारा-सभाओं में ग़ैर काँग्रेसी सदस्यों का बहुमत रहा। कचहरियों की प्रीस में सुधार होने वाले ऐक्ट में संयुक्तप्रान्त की धारा सभाओं में भेदभाव उत्पन्न हुआ था। संयोगवश बात आगे को नहीं बढ़ सकी। प्रान्तों को बड़ी धारा-सभा की कोई ज़रूरत नहीं है। धनीमानी सदस्य सामाजिक सुधार के पक्षपाती नहीं हो सकते। ऐसा करने से उनके स्वार्थ में बड़ा पड़ेगा।

ऊपर कहा गया है कि केवल ६ प्रान्तों में दो धारा-सभाओं का विधान बनाया गया है। बड़ी धारा-सभा का नाम लेजिस्लेटिव कौंसिल है। इसके सदस्यों की संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अलग अलग है :—

संयुक्तप्रान्तः—कम से कम ५८ और अधिक से अधिक ६०।

बम्बई :— ,, ,, ,, २६ ,, ,, ,, ३०।

मद्रास	:—	कम	से	कम	१४	और	अधिक	से	अधिक	५६ ।
बंगाल	:—	”	”	”	६३	”	”	”	”	६५ ।
बिहार	:—	”	”	”	२६	”	”	”	”	३० ।
आसाम	:—	”	”	”	२१	”	”	”	”	२२ ।

ये सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि होते हैं। नये शासन विधान में मताधिकार का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। १९१६ के शासन-विधान में प्रान्तीय धारा-सभाओं के प्रतिनिधियों के लिये वोट देने का अधिकार ८७४४००० व्यक्तियों को था। ३९८००० स्त्रियाँ थीं। अर्थात् केवल ३ प्रतिशत स्त्रियाँ मताधिकारिणी थीं। सम्पत्ति और शिक्षा की रुकावट लगाकर मताधिकार बहुत थोड़े से लोगों को दिया गया था। साइमन कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि मताधिकारियों की संख्या कम से कम १० प्रतिशत रखी जाय। पहली गोलमेज़ सभा का फैसला था कि २५ प्रतिशत लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी गोलमेज़ सभा ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कमीटी नियुक्त किया जिसने वर्तमान मताधिकार को निश्चित किया है; १४ प्रतिशत जनता को—२६,०००,००० पुरुष और ६,०००,००० स्त्रियाँ—वोट देने का अधिकार दिया गया है।

लेजिस्लेटिव काउंसिल में और भी सदस्य भर्ती किये जा सकते हैं। गवर्नर को यह अधिकार है कि वह किसी वर्ग विशेष की रक्षा के लिये, खासकर स्त्रियों के लिये, कुछ सदस्यों को नामज़द कर सके। निम्नलिखित संख्या में वह इन्हें नामज़द कर सकता है। ऐसा इसलिये किया गया है कि प्रतिनिधित्व में विषमता उत्पन्न न हो और सब वर्गों के अधिकार बड़ी सभा में सुरक्षित रहें। बड़ी सभा में नामज़दगी इस प्रकार होती है :—

संयुक्तप्रान्त	:—	कम	से	कम	६	और	अधिक	से	अधिक	८ ।
बम्बई	:—	”	”	”	३	”	”	”	”	४ ।
मद्रास	:—	”	”	”	८	”	”	”	”	१० ।
बंगाल	:—	”	”	”	६	”	”	”	”	८ ।
बिहार	:—	”	”	”	३	”	”	”	”	४ ।
आसाम	:—	”	”	”	३	”	”	”	”	४ ।

सब धारा-सभा में बड़ी सभा की तरह प्रान्तीय बड़ी धारा-सभा (Legislative Council) कभी बर्खास्त नहीं की जा सकती। एक तिहाई सदस्य हर तीसरे साल निकलते रहेंगे। जिन निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य निकलेंगे उन्हीं में से नये सदस्य चुन लिये जायेंगे। इस प्रकार काँसिल

स्थायी रूप से काम करती रहेगी। लार्ड सभा की तरफ इसके सदस्य स्थायी नहीं हैं। इस व्यवस्था को दोषपूर्ण माना गया है। वर्तमान युग में इतनी तेज़ी के साथ लोगों के विचार बदल रहे हैं कि किसी संगठन वा समाज को स्थायी करार देना उचित नहीं है। जनता अपने प्रतिनिधियों में तब तक विश्वास करती है जब तक वे उसके विचार को कार्यान्वित करते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव जल्दी होने से जनता अपनी आवश्यकता को बदल सकती है। आज वह किसी प्रकार के विचार वालों में विश्वास करती है, कल किसी और में विश्वास करेगी। इस अवसर से लाभ उठाने का उसे पूरा मौक़ा मिलना चाहिये। निर्वाचन को भार समझ कर धारा-सभाओं के प्रतिनिधि सदैव के लिये चुन लिये जायँ तो राजनैतिक अधिकारों का महत्व कम हो जाता है। प्रजातंत्रवाद का तात्पर्य है कि जनता अपनी इच्छानुसार सरकारी नति को बदलती रहे। जब धारा-सभा के प्रतिनिधियों को ६ वर्ष तक कोई निकाल नहीं सकता तो वे नवीन विचारों को ग्रहण न कर अपने पुराने विचारों से जनता के ऊपर शासन करने की कोशिश करेंगे। लेजिस्लेटिव कौंसिल में सदस्यों का कोरम १० रक्खा गया है। बंगाल और बिहार में इसके कुछ सदस्य असेम्बली के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं।

प्रान्तीय लेजिसलेटिव

स्थानों का

प्रान्त	कुल स्थान	साधारण स्थान	मुसल-मानी स्थान
१—मद्रास	कम से कम १४ } अधिक से अधिक ५६ }	३५	७
२—बम्बई	कम से कम २६ } अधिक से अधिक ३० }	२०	६
३—बंगाल	कम से कम ६३ } अधिक से अधिक ६५ }	१०	१७
४—संयुक्तप्रान्त	कम से कम ५८ } अधिक से अधिक ६० }	३४	१७
५—बिहार	कम से कम २६ } अधिक से अधिक ३० }	६	४
६—आंध्रप्रान्त	कम से कम २२ } अधिक से अधिक २२ }	६	६

कौंसिलें

खाका

यूरोपियन स्थान	भारतीय ईसाइयों के स्थान	असेम्बली द्वारा भरे जाने वाले स्थान	गवर्नर द्वारा नामजुदगी के स्थान
१	३	...	{ कम से कम ८ अधिक से अधिक १०
१	{ कम से कम ३ अधिक से अधिक ४
३	...	२७	{ कम से कम ६ अधिक से अधिक ८
१	{ कम से कम ६ अधिक से अधिक ८
१	...	१२	{ कम से कम ३ अधिक से अधिक ४
२	{ कम से कम ३ अधिक से अधिक ४

प्रान्तीय लेजिसलेटिव

स्थानों का

प्रान्त	कुल स्थान	कुल साधारण स्थान	हरिजनों के स्थान	पिछड़े हुये विभागों तथा जातियों के स्थान	सिकखों के स्थान	मुसलमानों के स्थान
१—मदरास	२१५	१४३	३०	१	...	२५
२—बम्बई	१७५	११४	१५	१	...	२९
३—बंगाल	२५०	७८	३०	११७
४—संयुक्तप्रान्त	२२८	१४०	२०	६४
५—पंजाब	१७५	४२	५	...	३१	८४
६—बिहार	१५२	८३	१५	७	...	३९
७—मध्यप्रान्त व बरार	११२	८४	२०	१	...	१४
८—आसाम	१०८	४७	७	९	...	३४
९—पश्चिमोत्तर प्रान्त	५०	३	३	३३
१०—उड़ीसा	६०	४४	६	५	...	४
११—सिन्ध	६०	१५	३३

११ प्रान्तों में लेजिसलेटिव असेम्बली बनाई गई है। इनके सदस्यों लेजिसलेटिव की संख्या निम्नलिखित है :—

असेम्बली

बङ्गाल	...२५०
संयुक्तप्रान्त	...२२८
मदरास	...२१५
बम्बई	...१७५
पंजाब	...१७५
बिहार	...१५२
मध्य प्रान्त और बरार	...११२
आसाम	...१०८
उड़ीसा	...६०
सिन्ध	...६०
पश्चिमोत्तर प्रदेश	...५०

ये सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इनमें एक भी सदस्य नामज़द नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ये चुने जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र साम्प्रदायिक आधार पर बनाये जाते हैं। एक साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी दूसरी सम्प्रदाय वालों को वोट देने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक सम्प्रदाय अपना अलग अलग प्रतिनिधि चुनती है। स्त्रियों को अलग सम्प्रदाय मान लिया गया है। ४ अगस्त सन् १९३२ ई० को ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक निर्वाचन की जो घोषणा की थी उसमें पूना पैक्ट में कुछ परिवर्तन किया गया। उसी आधार पर मौजूदा निर्वाचन विधान बनाया गया है। पूना पैक्ट में अछूतों को भी धारा-सभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। उनके लिये धारा-सभाओं में कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। यह काम इतनी कुशलता-पूर्वक किया गया है कि हिन्दू समाज में कोई कमज़ोरी नहीं आने पाई है। कई प्रान्तों में स्त्रियों को धारा-सभाओं में स्थान दिया गया है। बङ्गाल में त्वास तौर से एक अँगरेज़ी ईसाई महिला के लिये, पंजाब में एक सिख स्त्री के लिये और मदरास में एक ईसाई स्त्री के लिए असेम्बली में स्थान सुरक्षित रक्खे गये हैं। असेम्बली का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का १/५ रक्खा गया है।

लेजिसलेटिव असेम्बली की अवधि ५ वर्ष रक्खी गई है। इस अवधि

के समाप्त होने पर यह सभा अपने आप बर्खास्त हो जायगी । गवर्नर चाहे तो इसकी कार्यवाहियों को अनिश्चित काल तक स्थगित अथवा ५ वर्ष पहले इसे बर्खास्त कर सकता है । लेकिन किसी भी दशा में वह इसकी आयु बढ़ा नहीं सकता । ५ वर्ष की अवधि सभी प्रकार से ठीक है । असेम्बली का सभापति स्पीकर कहलाता है । यह असेम्बली के सदस्यों द्वारा चुना जाता है । इसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर सभापति का काम करता है । स्पीकर का पद स्थायी है । यदि किसी कारणवश असेम्बली ५ वर्ष से पहले बर्खास्त कर दी जाती है तो वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक दूसरी नई असेम्बली की बैठक में दूसरा स्पीकर चुन न लिया जाय । धारा-सभा इनका वेतन निश्चित करती है । प्रान्तीय मन्त्रियों को ५००० रुपया महीना वेतन देने का आम रवाज़ है । लगभग यही वेतन स्पीकर को भी दिया जाता है । कांग्रेस मन्त्रियों ने केवल ५०० रुपया महीना वेतन लेना स्वीकार किया था और स्पीकर भी इतना ही वेतन लेते थे । इसके अतिरिक्त उन्हें मुफ्त मकान और एक एक मोटर दिये गये थे । इस वार यह वेतन कुछ बढ़ा दिया गया है ।

प्रत्येक देश में धारा-सभाओं का सदस्य बनने के लिये कुछ शर्तें लगाई गई हैं । जो व्यक्ति इन शर्तों को पूरा कर सकते हैं वे ही इनके सदस्य बन सकते हैं । यदि कोई धोखा देकर किसी धारा-सभा का सदस्य बन जाता है तो उसे एक बहुत बड़ी रकम जुर्माने के रूप में देनी पड़ती है । जो लोग शर्तों को पूरा करते हैं और धारा सभाओं के लिये उम्मीदवार खड़े होते हैं उन्हें कुछ रुपया बतौर जमानत के सरकारी खज़ाने में जमा करना पड़ता है । यदि एक निश्चित फ़ीसदी से कम मतदाता उन्हें वोट देते हैं तो उनका रुपया सरकार जब्त कर लेती है । ऐसा इसलिये किया गया है कि वे ही व्यक्ति उम्मीदवार खड़े हों जिनका जनता में विश्वास और प्रभाव हो । उम्मीदवारों को यह ख़ास हिदायत कर दी जाती है कि वे एक निश्चित रकम से अधिक प्रचार कार्य में खर्च नहीं कर सकते । चुनाव हो जाने के बाद सफल सदस्यों को अपने चुनाव का पूरा खर्च लिख कर सरकार को दे देना पड़ता है । यदि किसी सदस्य का खर्च अधिक है तो वह अपने पद से हटा दिया जाता है । सभी व्यक्ति धारा-सभाओं के सदस्य नहीं बन सकते । उनके लिये निम्न-लिखित शर्तें लगाई गई हैं :—

१—प्रत्येक सदस्य या तो ब्रिटिश प्रजा हो अथवा देशी नरेश हो । रिया-

सतों की प्रजा भी धारा-सभाओं में शामिल की जा सकती है, परन्तु इसकी व्यवस्था सरकार को विशेष रूप से करनी पड़ती है।

२—३० वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति लेजिस्लेटिव कौंसिल का सदस्य नहीं हो सकता। इसी तरह २५ वर्ष से कम आयु का लेजिस्लेटिव असेम्बली का सदस्य नहीं बन सकता।

३—सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में मताधिकारी होना आवश्यक है।

४—कोई व्यक्ति प्रान्तीय और संघ दोनों धारा-सभाओं का सदस्य नहीं रह सकता। प्रान्तीय धारा-सभाओं में भी दोनों का सदस्य रहना अवैध है।

५—यदि धारा-सभा का कोई सदस्य बिना किसी सूचना के ६० दिन तक लगातार इसकी बैठक से ग़ैरहाज़िर रहे तो वह अपने स्थान से हटा दिया जाता है।

६—धारा-सभा का सदस्य कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता।

७—यदि कोई ग़ैर व्यक्ति धारा-सभा की बैठक में हिस्सा लेता है तो पता चलने पर उसे ५०० रुपया रोज़ के हिसाब से जुर्माना किया जाता है। यह रकम प्रान्तीय सरकार की आमदनी समझी जाती है।

८—वैतनिक सरकारी कर्मचारी सरकारी आज्ञा के बिना धारा-सभाओं के लिये उम्मीदवार नहीं खड़े हो सकते।

९—पागल और दिवालिये धारा-सभाओं के सदस्य नहीं बन सकते।

१०—जो फ़ौज़दारी के जुर्म में सज़ा काट चुका है अथवा जिसे आजन्म काले पानी की सज़ा दी गई है, वह धारा-सभा का सदस्य नहीं बन सकता।

११—प्रान्तीय स्वराज की स्थापना के पहले जिन्हें दो वर्ष की जेल की सज़ा दी गई है अथवा जो काले पानी की सज़ा भोग चुके हैं वे अपनी रिहाई के ५ वर्ष बाद तक प्रान्तीय धारा-सभाओं के सदस्य नहीं बन सकते।

१२—प्रत्येक सदस्य को चुनाव के पश्चात् अपने निर्वाचन का व्यय सम्बन्धी व्यौरा सरकार को देना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करता वह धारा-सभा का सदस्य नहीं रह सकता।

जैसे धारा-सभाओं के लिये सभी व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकते, वैसे ही सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं है। केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभाओं में सदस्यों के चुनाव में वोट देने की शर्तें भिन्न भिन्न हैं। प्रान्तीय धारा-सभाओं में भी छोटी और बड़ी सभा के लिये वोट देने वालों में भेद किया गया है। जो व्यक्ति कौंसिल के सदस्यों को वोट देने के अधिकारी हैं उनकी योग्यता सभी प्रान्तों में एक-सी नहीं है। संयुक्तप्रान्त में उनकी योग्यता निम्नलिखित है :—

१—मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र में निवास करना आवश्यक है। या तो वह निश्चित रूप से वहाँ रहता हो अथवा कभी निवास सम्बन्धी कभी निवास करता हो। वहाँ उसका निजी मकान होना योग्यतायें जरूरी है।

२—साधारण योग्यतायें :—

अ—जिसने पिछले वर्ष ४००० रुपये या इससे अधिक आय पर सरकार को टैक्स दिया हो।

ब—जिसे राय बहादुर, खँ बहादुर, दीवान बहादुर, सरदार बहादुर या इसी तरह का कोई और खिताब मिला हो।

स—जो २५० रुपया मासिक सरकारी पेंशन पाता हो।

द—जो ब्रिटिश भारत की किसी धारा-सभा के सदस्य हों अथवा रहे हों। जो ब्रिटिश भारत की किसी इक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य अथवा मन्त्री हों। जो किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, चांसलर, फेलो, प्रो० वाइस चांसलर कोर्ट या सीनेट के सदस्य हों अथवा रहे हों। जो संघ न्यायालय, हाईकोर्ट, चीफ कोर्ट अथवा जुडीशियल कमिश्नर की कोर्ट के न्यायाधीश हों या रहे हों। जो कलकत्ता, बम्बई और मदरास कारपोरेशन के मेयर और शरीफ हों या रहे हों। जो संयुक्तप्रान्त की किसी म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के गैर सरकारी सभापति हों या रहे हों। जो किसी सेन्ट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गैर सरकारी सभापति हों या रहे हों।

य—जो १००० रुपया या इससे अधिक सालाना मालगुजारी देते हों।

र—जो १००० रुपया सालाना तक की ज़मीन माफ़ी में जोतते हों।

ल—जो कम से कम १५०० रुपया सालाना तक के काश्तकार हों।

३—वोट देने के लिये स्त्रियों को कुछ विशेष सुविधायें दी गई हैं। जिन स्त्रियों के पतियों में निम्नलिखित योग्यतायें पाई जाती

स्त्रियों की हैं वे वोट दे सकती हैं :—

विशेष योग्यतायें

अ—जो गत वर्ष १०००० रुपये या इससे अधिक आय पर इन्कम टैक्स दिये हों।

ब—जो ५००० रुपया सालाना सरकारी मालगुजारी देते हों।

स—जो ५००० रुपये सालाना मालगुजारी की ज़मीन माफ़ी में रखते हों।

द—जिसे राय बहादुर, ज़ॉ बहादुर, सरदार बहादुर, दीवान बहादुर या इसी तरह की कोई पदवी मिली हो।

य—जो २५० रुपया या इससे अधिक सरकारी पेंशन पाता हो।

४—हरिजनों के लिये भी कुछ विशेष योग्यतायें निश्चित की गई हैं।

हरिजनों की वे निम्नलिखित हैं :—

विशेष योग्यतायें

अ—जिसने गत वर्ष २००० रुपये या इससे अधिक आमदनी पर इन्कम टैक्स दिया हो।

ब—जो २००० रुपये सालाना मालगुजारी की ज़मीन माफ़ी में रखता हो।

स—जो ५०० रुपये या इससे अधिक का कार्तकार हो।

द—जिसे गवर्नर की ओर से कोई उपाधि मिली हो।

प्रान्तीय कौंसिल की तरह असेम्बली के निर्वाचकों की योग्यतायें विभिन्न प्रान्तों में अलग अलग ठहराई गई हैं। निर्वाचन के पहले एक सूची बनाई जाती है। जिनका नाम **लेजिसलेटिव असेम्बली के सदस्यों के लिये वोट देने का अधिकारी कौन है ?** इस सूची में रहता है वे ही वोट दे सकते हैं। सूची में उन्हीं का नाम शरीक किया जाता है जो चन्द्र शतों को पूरा कर सकते हैं। वोटों की सूची में शामिल होने के लिये ६ प्रकार की शर्तें बनाई गई हैं। इनमें से किसी एक शर्त को अवश्य पूरी करनी पड़ती है। यदि ऐसा न हो तो अयोग्य व्यक्ति निर्वाचक बन जायेंगे। वे अपने सच्चे प्रतिनिधियों को नहीं पहचान सकते। शर्तों की मात्रा उतनी ही रखी गई है जिससे निर्वाचक भले और बुरे को पहचान सकें। लगभग

सभी प्रान्तों में ये शर्तें किसी न किसी रूप में लगाई गई हैं। ये शर्तें निम्नलिखित हैं :—

- १—निवास सम्बन्धी योग्यता।
- २—टैक्स सम्बन्धी योग्यता।
- ३—सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता।
- ४—शिक्षा सम्बन्धी योग्यता।
- ५—सरकारी नौकर सम्बन्धी योग्यता।
- ६—स्त्रियों की विशेष योग्यतायें।

संयुक्तप्रान्त में इन योग्यताओं का माप क्या है इसका वर्णन नीचे किया गया है :—

अ—प्रत्येक निर्वाचक के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में निवास करता हो। अर्थात् वहाँ उसका निजी घर हो जिसमें वह स्थायी रूप से रहता हो।

ब—अथवा जो म्युनिसिपैलिटी को कम से कम १५० रुपया सालाना आमदनी पर टैक्स देता हो।

स—अथवा जो सरकार को इन्कम टैक्स देता हो। यानी उनकी आमदनी २००० रुपया सालाना से ऊपर हो।

द—अथवा जो २४ रुपया सालाना किराये के मकान में रहता हो या ऐसा उसका निजी मकान हो।

य—अथवा जो कम से कम ५ रुपये का सरकारी मालगुजार या १० रुपये का काश्तकार हो।

र—अथवा जो कम से कम दर्जा ४ या इसी के बराबर कोई दूसरी परीक्षा पास हो।

ल—अथवा जो सम्राट् की स्थायी (Regular) सेना से अवकाश गृहीत हो, या पेंशन पाते हो, या बिना कमीशन के अफसर या सिपाही हों।

ऊपर कही गई ७ योग्यताओं में कम से कम एक की पूर्ति किये बिना कोई असेम्बली के लिये निर्वाचक नहीं बन सकता। स्त्रियों को कुछ खास सुविधायें दी गई हैं। यदि ऊपर लिखी योग्यताओं का कोई स्त्री पूरा करती है तो वह निर्वाचक बन सकती है। इनके अतिरिक्त कुछ और भी योग्यतायें उनकी सुविधा के लिये निश्चित की गई हैं। वे निम्नलिखित हैं :—

आ० भा० शा०—२४

अ—जो सम्राट् की स्थायी (Regular) सेना के अफसर या बिना कमीशन के अफसर या सैनिक की विधवायें अथवा मातायें हों।

ब—जो निर्भारित सीमा तक साक्षर हों।

स—जो ऐसे व्यक्तियों की पत्नियाँ हों जिनमें निम्नलिखित योग्यतायें हों :—

१—जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम ३६ रुपया सालाना मकान-किराया देता हो या ऐसा एक निजी मकान रखता हो।

२—जो २०० रुपये सालाना आमदनी पर म्युनिसिपैलिटी को टैक्स या सरकारी इन्कम टैक्स देता हो।

३—जो कम से कम २५ रुपया सालाना सरकारी मालगुजारी देता हो।

४—जो कम से कम ५० रुपये का कार्तकार हो।

५—जो सम्राट् की स्थायी सेना से अवकाश प्राप्त किये हो या पेंशन पाता हो। या बिना कमीशन का अफसर या सिपाही हो।

ऊपर कहा गया है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। यह सभा स्थायी रूपसे कार्य करती है।

प्रान्तीय धारा- असेम्बली की अवधि ५ वर्ष रखी गई है। यदि गवर्नर

सभाओं के चाहे तो इससे पहले ही बर्खास्त कर सकता है।

सभापति दोनों धारा सभाओं की सालाना बैठक आवश्यक है।

प्रत्येक धारा-सभा की बैठक ६ महीने से अधिक के

लिये स्थगित नहीं की जा सकती। गवर्नर जब चाहे दोनों धारा-सभाओं में

व्याख्या दे सकता है। कौंसिल का सभापति प्रेसीडेन्ट कहलाता है। इसकी

अनुपस्थिति में सहायक-प्रेसीडेन्ट सभापति का आसन ग्रहण करता है। असे-

म्बली का सभापति स्पीकर कहलाता है। इसकी अनुपस्थिति में सहायक-स्पीकर

सभापति का आसन ग्रहण करता है। ये चारों पदाधिकारी क्रमशः अपनी-

अपनी धारा-सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जब कभी प्रेसीडेन्ट का

स्थान खाली होता है तो कौंसिल के सदस्य अपने में से किसी को प्रेसीडेन्ट

चुन लेते हैं। स्पीकर तथा सहायक स्पीकर अपने पद पर तब तक कार्य कर

सकते हैं जब तक वे असेम्बली के सदस्य हैं। वे किसी भी समय अपने पदों से

इस्तीफा दे सकते हैं। इसकी सूचना गवर्नर को देनी पड़ती है। यदि असेम्बली

के सदस्य स्पीकर से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो वे बहुमत से इसे हटाकर इसकी जगह

दूसरा स्पीकर चुन लेते हैं। असेम्बली बर्खास्त होने पर भी स्पीकर अपने पद

पर बना रहता है। वह अपने पद पर तब तक आरूढ़ रहता है जब तक नई असेम्बली की पहली बैठक न हो जाय। स्पीकर और प्रेसीडेन्ट दोनों पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है। इनका वेतन मन्त्रियों के बराबर होता है। प्रान्तीय धारा-सभा इसे निश्चित करती है। स्पीकर के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने पद पर आते ही किसी पार्टी से सम्बन्ध न रखे। उसे निष्पक्ष भाव से कार्य करना पड़ता है।

संघ शासन-विधान में सभी विषय ३ कोटि में बाँट दिये गये हैं। कुछ विषयों में कानून बनाने का अधिकार केवल संघ प्रान्तीय धारा-सभा को है। प्रान्तीय धारा-सभायें उनमें हाथ नहीं डाल सकतीं। कुछ विषय प्रान्तीय सरकारों की मातहत में दिये गये हैं। उनसे सम्बन्ध रखने वाले कानून प्रान्तीय धारा-सभाओं में बनते हैं। तीसरी कोटि में वे विषय हैं जिन पर दोनों सरकारें अपना विचार प्रकट करती हैं। दोनों धारा-सभायें इनके लिये कानून बना सकती हैं। संघ सरकार जब चाहे प्रान्तीय धारा-सभाओं की कार्यवाहियों में दखल दे सकती है। जब कभी संघ और प्रान्तीय कानूनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय तो संघ धारा-सभा के कानून को मानना होगा। प्रान्तों में कानून बनाने का अधिकार प्रान्तीय धारा-सभाओं को है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर संघ धारा-सभा भी इनके लिये कानून बना सकती है। साधारण परिस्थिति में वह प्रान्तीय धारा-सभाओं की कार्यवाहियों में हाथ नहीं डाल सकती परन्तु यदि गवर्नर-जनरल को किसी अशान्ति या कुञ्चवस्था का भय हो तो वह संघ धारा-सभा को प्रान्तों के लिये कानून बनाने की आज्ञा दे सकता है।

प्रान्तीय धारा-सभायें अनेक बन्धनों से बँधी हुई हैं। उन्हें वह स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है जो स्वित्ज़रलैंड के कैंटन्स तथा संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की रियासतों को प्राप्त है। गवर्नर के विशेष अधिकारों के सामने उनकी एक नहीं चलती। जो कुछ भी सीमित क्षेत्र उन्हें कानून बनाने के लिये दिये गये हैं उनमें भी गवर्नर को दखल देने का अधिकार है। कुछ मामलों में प्रान्तीय धारा-सभाओं को विचार करने की मुमानियत है। कोई भी प्रान्तीय धारा-सभा फेडरल कोर्ट अथवा हाईकोर्ट के जज के चरित्र पर वादविवाद नहीं कर सकती। यदि कोई बिल प्रान्तीय धारा-सभा में पेश है और उस पर विचार हो रहा है तो गवर्नर अपने अधिकार से उस वादविवाद को रोक सकता है। धारा-सभा के सदस्यों को विवश होकर सारी कार्यवाही उसी जगह रोक

देनी पड़ती है। गवर्नर के विशेष अधिकारों पर विचार करने का अधिकार प्रान्तीय धारा सभाओं को प्राप्त नहीं है। पार्लियामेंट द्वारा पास किये गये कानूनों पर तथा गवर्नर-जनरल के कानूनों पर कोई भी प्रान्तीय धारा-सभा गवर्नर-जनरल की आज्ञा के बिना विचार नहीं कर सकती। गवर्नर-जनरल द्वारा जारी किये गये क्रमानों (Ordinances) पर प्रान्तीय धारा-सभाओं को विचार करने का अधिकार नहीं है। इसी तरह गवर्नर के क्रमान भी उनके हाथ से बाहर रखे गये हैं। पुलिस सम्बन्धी किसी कानून को बदलने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं है। गवर्नर की अनुमति के बिना प्रान्तीय धारा-सभाओं में किसी नये कर लगाने की चर्चा नहीं उठ सकती। यदि कोई नवीन कर-सम्बन्धी बिल पेश करना है तो पहले गवर्नर की आज्ञा लेनी पड़ती है। प्रान्तीय सरकार को कर्ज़ लेने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक गवर्नर इसकी आज्ञा न दे दे। आमदनी और खर्च सम्बन्धी सभी बिल गवर्नर की अनुमति से प्रान्तीय धारा-सभाओं में पेश किये जाते हैं।

जब कोई बिल दोनों प्रान्तीय धारा-सभाओं द्वारा पास हो जाता है तो इसका अन्तिम निर्णय गवर्नर के हाथ में रहता है। वह चाहे तो बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर सकता है। ऐसी हालत में वह बिल नामंजूर समझा जाता है और धारा-सभाओं का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। किसी बिल को वह इस बात के लिये अपने पास रोक सकता है कि उस पर गवर्नर-जनरल की राय ज़रूरी है। पार्लियामेंट जब चाहे प्रान्तों के लिये कानून बना सकती है या किसी प्रान्तीय कानून को हटा सकती है। प्रान्तीय धारा-सभाओं को संघ धारा-सभा की तरह कोई ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है जिसका प्रभाव सम्राट्, पार्लियामेंट अथवा गृह सरकार के किसी उच्च पदाधिकारी पर पड़ता है। फौज़, सेना, जहाज़ी बेड़ा, वैदेशिक विभाग आदि से सम्बन्ध रखने वाले कानून प्रान्तीय धारा-सभाओं में नहीं बन सकते। प्रान्तीय धारा-सभा ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जिससे अंग्रेज़ी तिजारत को धक्का लगे। इससे स्पष्ट है कि प्रान्तीय धारा-सभाओं के अधिकार बहुत ही संकुचित हैं। प्रान्तीय स्वराज नामक अध्याय में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है कि जनता को कहाँ तक अपने लिये कानून बनाने का अधिकार है।

प्रान्तीय धारा-सभायें अपनी कार्य-पद्धति स्वयं बनाती हैं। जब कभी गवर्नर के निजी अधिकारों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर विचार करने की आवश्यकता होती है तो गवर्नर स्वयं स्पीकर की सलाह से इसकी कार्य-पद्धति

का निर्माण करता है। प्रान्तीय धारा सभायें किसी देशी रियासत के मसले पर तब तक विचार नहीं कर सकतीं जब तक गवर्नर की राय में इसकी आवश्यकता न हो। भारत-सरकार तथा गृह-सरकार के सम्बन्ध अथवा किसी देशी राजा के चरित्र के विषय में ये विचार नहीं कर सकतीं। प्रान्तों के जो विभाग पिछड़े हुये (Excluded or Partially Excluded areas) करार दिये गये हैं उन पर एकमात्र अधिकार गवर्नर का है। प्रान्तीय धारा-सभाओं द्वारा पास किये गये कानून इन क्षेत्रों में तभी लागू होते हैं जब वह इसकी आवश्यकता समझता है। प्रान्तीय धारा-सभाओं की कार्य-पद्धति को कोई कचहरी दोषपूर्ण नहीं ठहरा सकती। इसके सदस्यों को १९३७ ई० तक वेतन न देकर रोजाना के हिसाब से भत्ता दिया जाता था। धारा-सभा स्वयं इसे निश्चित करती थी। धारा-सभा के स्थान तक जाने का रेल का किराया भी सदस्यों को दिया जाता था। कांग्रेस मन्त्र-मण्डलों ने भत्ते की रकम घटा कर प्रत्येक सदस्य को २०० रुपया मासिक वेतन देना निश्चित किया है। नियम की पाबन्दी करते हुये प्रान्तीय धारा-सभाओं में प्रत्येक सदस्य को बोलने की पूरी इजाजत दी गई है। इसके लिये उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त सदस्यों को और भी थोड़ी बहुत सुविधायें दी गई हैं।

प्रान्तीय धारा-सभा की सभी कार्रवाई अंग्रेज़ी भाषा में की जाती है।

परन्तु यदि कोई सदस्य चाहे तो अपनी मातृ-भाषा में

प्रान्तीय धारा सभा की कार्रवाई अपना विचार प्रकट कर सकता है। आर्थिक बिल को छोड़कर कोई बिल छोटी या बड़ी धारा-सभा में पेश किया जा सकता है। जब तक कोई बिल दोनों धारा-

सभाओं द्वारा पास नहीं हो जाता तब तक वह पास नहीं

समझा जाता। यदि कोई बिल किसी धारा-सभा में पेश है और उस पर वादविवाद हो रहे हैं; परन्तु किसी कारणवश बीच में ही वह सभा बर्खास्त कर दी जाती है तो वह बिल खतम नहीं समझा जाता। जब कभी इस धारा-सभा की बैठक होती है तो इस पर विचार किया जाता है। मान लीजिये कोई बिल लेजिसलेटिव कौंसिल में पड़ा हुआ है और अभी तक वह लेजिसलेटिव असेम्बली में पेश नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच में असेम्बली बर्खास्त हो जाती है, तो वह बिल वहीं खतम नहीं हो सकता। जब कभी असेम्बली की बैठक होगी तो उस बिल पर विचार किया जायगा। यदि कोई बिल प्रान्तीय असेम्बली में पेश है या यहाँ से पास होकर प्रान्तीय कौंसिल में भेज दिया गया है परन्तु इसी बीच में असेम्बली बर्खास्त कर दी जाती है तो वह बिल

उसी जगह इतम हो जाता है। फिर उस पर विचार नहीं किया जाता। यदि कोई बिल गवर्नर के विशेष अधिकारों से सम्बन्ध रखता है तो गवर्नर दोनों प्रान्तीय धारा-सभाओं की सम्मिलित बैठक बुला सकता है। बहुमत का निर्णय मान्य समझा जाता है। धारा-सभा द्वारा पास किये गये कानून को गवर्नर फिर उसे विचार करने के लिये धारा-सभा में भेज सकता है। धारा-सभा को उस पर विचार करना पड़ता है। गवर्नर-जनरल को यह अधिकार है कि वह गवर्नर को इस बात की आज्ञा दे कि अमुक बिल प्रान्तीय धारा-सभा में पुनः विचार करने के लिये वापिस कर दिया जाय। यदि बिल धारा-सभा द्वारा फिर उसी रूप में पास कर दिया जाता है तो वह गवर्नर-जनरल के पास विचार करने के लिये भेज दिया जाता है। वह उसे सम्राट् की अनुमति के लिये भेज देता है। इन सीढ़ियों से गुजरने में बिल को वर्षों बीत जाते हैं। प्रान्तीय धारा-सभाओं द्वारा पास होने पर यदि बिल गवर्नर-जनरल के हाथों से बच गया तब भी सम्राट् उसे नामंजूर कर सकता है। परन्तु गवर्नर या गवर्नर-जनरल की मंजूरी से १२ महीने के अन्दर सम्राट् को अपना निर्णय देना पड़ता है।

आर्थिक बिल केवल लेजिसलेटिव असेम्बली में पेश किये जाते हैं। प्रतिवर्ष प्रान्तीय धारा-सभा अथवा सभाओं के सामने अगले वर्ष के आय-व्यय का ब्यौरा (Budget) पेश किया जाता है। असेम्बली के सदस्यों को अधिकार है कि वे इसके हर एक मद पर विचार करें। परन्तु ब्यौरे में कुछ ऐसी भी मदें शामिल रहती हैं जिन पर उन्हें अपना मत देने का अधिकार नहीं है। वे इन्हें घटा बढ़ा नहीं सकते। वे मद निम्न-लिखित हैं :—

- १—गवर्नर का वेतन तथा इसके आफिस का खर्च।
- २—कृर्ज की सूद, जिसे प्रत्येक प्रान्तीय सरकार को देना लाज़मी है।
- ३—मन्त्रियों तथा ऐडवोकेट जनरल का वेतन और इनका भत्ता।
- ४—हाईकोर्ट के जजों का वेतन और इनका भत्ता।
- ५—पिछड़े हुये विभागों का खर्च।
- ६—किसी न्यायालय के निर्णय के अनुसार दी जाने वाली रकम।
- ७—कोई और खर्च जो शासन-विधान और प्रान्तीय धारा-सभा द्वारा घोषित किया गया हो।

ऊपर की सात मदों पर प्रान्तीय धारा-सभायें (Legislative Assemblies) विचार कर सकती हैं; लेकिन इन पर अपना मत प्रकट नहीं कर सकतीं। वे इनके लिये वोट नहीं दे सकतीं। बाक़ी आमदनी असेम्बली की

इच्छानुसार खर्च की जाती है। यदि ये सभायें किसी खर्च को घटा बढ़ा दें तो उसे नामंजूर करने का अधिकार गवर्नर को है। धारा-सभा की इच्छा के विरुद्ध वह जो रकम चाहे खर्च कर सकता है। यदि प्रान्तीय धारा-सभाओं में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय तो वह केन्द्रीय धारा-सभाओं की तरह दूर किया जाता है।

अध्याय १४

प्रान्तीय स्वराज

(Provincial Autonomy)

प्रान्तीय स्वराज का ठीक अर्थ बहुतों की समझ में नहीं आता। यदि सभी सूत्रों को पूरी आज्ञा दी दे दी जाय तो पूर्ण परिभाषा स्वतन्त्रता का कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता। यहाँ पर प्रान्तीय स्वराज और पूर्ण स्वराज का तात्पर्य एक है। साधारण तौर पर प्रान्तीय स्वराज के दो अर्थ लगाये जाते हैं। दोनों में इतना कम फरक है कि कोई बात साफ़ ज़ाहिर नहीं होती। एक अर्थ तो यह है कि प्रान्तों में केन्द्रीय सरकार का कुछ हाथ न हो, तभी उन्हें स्वतन्त्र कहा जा सकता है। केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय विषयों में तब तक दखल न दे जब तक प्रान्तीय सरकार किसी ऐसी नीति का आश्रय न ले जो राष्ट्रीय दृष्टि से हानिकारक हो। जब इतनी स्वतन्त्रता प्रान्तों को मिल जाय तब हम कह सकते हैं कि हमारे देश में प्रान्तीय स्वराज की स्थापना की गई है। प्रान्तीय स्वराज का यह अर्थ बहुत कुछ ठीक है, परन्तु इसमें एक कमी है। यदि भारतीय प्रतिनिधियों को कोई अधिकार न दिया जाय और प्रान्तीय शासन ग़ैर जिम्मेवारी के वसूल पर काम करता रहे तो केन्द्रीय सरकार के हाथ खींचने पर भी जमता को कोई लाभ नहीं हो सकता। प्रान्तीय स्वराज का दूसरा अर्थ है 'एक जिम्मेवार शासन।' अर्थात् प्रान्तीय मन्त्रिमंडल प्रान्तीय धारा-सभा के प्रति जिम्मेवार हो। धारा-सभाओं में जनता के प्रतिनिधि होते हैं यदि शासन की बागडोर उनके हाथ में रहे, तो एक जिम्मेवार शासन की स्थापना होगी। जनता को यह कहने का अधिकार नहीं रह जाता कि प्रान्तों में उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो रहा है। ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमीटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रान्तीय स्वराज का अर्थ यह है, "प्रान्तीय स्वराज का तात्पर्य शासन-विधान की उस शकल से है जिसके अन्दर गवर्नरों के

सूत्रों में कार्यकारिणी तथा धारा-सभा केन्द्रीय सरकार से स्वतन्त्र होकर अपनी सीमा के अन्दर शासन का कार्य चलायेंगी।”* यह परिभाषा इतनी अस्पष्ट है कि कोई साफ़ बात दिमाग़ में नहीं बैठती। मालूम नहीं प्रांतीय सरकार की निहित सीमा क्या है ? इसके अन्दर कहीं भी एक ज़िम्मेवार शासन की चर्चा नहीं की गई है।

प्रान्तीय स्वराज का ठीक अर्थ एक ज़िम्मेवार शासन से है। प्रांतीय जनता स्वयं अपना राजनीतिक प्रबन्ध करे और अपने प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी अफ़सरों पर अधिकार रखे—इसका नाम प्रांतीय स्वराज है। कार्यकारिणी सभा के सदस्य धारा-सभा के प्रति ज़िम्मेवार हों। अतएव प्रान्तीय स्वराज का दोहरा अर्थ ठीक नहीं है। एक का तात्पर्य केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार के सम्बन्ध से है और दूसरे का तात्पर्य एक स्वतन्त्र शासन (Self Government) है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रान्तों में एक ज़िम्मेवार शासन तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक केन्द्रीय सरकार का दबाव कम न हो जाय। यदि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय मामलों में हाथ डालती रहे तो स्वतन्त्र शासन का कोई अर्थ ही नहीं है। यह हो सकता है कि शासन की कोई कड़ी मशीन बनाकर केन्द्रीय सरकार अपने दख़ल को कम कर दे और इसी का नाम प्रान्तीय स्वराज रख दिया जाय। जनता के प्रति कोई ज़िम्मेवार शासन न बनाकर केवल केन्द्रीय सरकार के दख़ल को कम कर दिया जाय। शाब्दिक अर्थों में इसे कोई प्रान्तीय स्वराज कह ले, परन्तु स्वराज तो वही है जिसके अन्दर प्रजा स्वयं अपना शासन करे। यदि प्रान्तों में एक ज़िम्मेवार शासन स्थापित कर दिया जाय और केन्द्रीय सरकार दख़ल देती रहे तो एक ऐसा समय आ सकता है जब सरकारी मशीन फ़ौज़ कर जाय। या तो सरकार प्रान्तीय स्वराज को ख़तम कर दे या अपने दख़ल को कम करे। वर्तमान ८ प्रान्तों में शासन के फ़ौज़ होने का यही कारण है। ऊपर से दिखलाने के लिये प्रान्तीय स्वराज की स्थापना कर दी गई, परन्तु भीतर से केन्द्रीय

*Provincial autonomy means freedom from central control, the institution of a form of government “Whereby each of the Governor’s Provinces will pass an Executive and a Legislature having exclusive authority within the province in a precisely defined sphere, and in that exclusively provincial sphere broadly free from control by the Central Government and Legislature.”

सरकार की शक्ति वैसी ही थी। २७ महीने के काँग्रेस मंत्रिमंडलों से यह बात साफ़ हो गई थी।

काँग्रेस की स्थापना की गई थी तो लोगों का यह अनुमान था कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे हमारी राष्ट्रीय माँगों को पूरा प्रान्तीय स्वराज कर देगी। पूर्ण स्वराज की कल्पना किसी को भी न थी। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति का पता चलने लगा। वे हिन्दोस्तानियों को कोई अधिकार देने पर राज़ी न थे। उनके आर्थिक लाभ की अभिलाषा इतनी अधिक थी कि किसी भी क्षेत्र में हिन्दोस्तानियों को आज़ाद करके वे अपने स्वार्थ पर धक्का नहीं पहुँचा सकते थे। इधर हिन्दोस्तान में राष्ट्रीय भावनाओं की वृद्धि हो रही थी। १९०४ ई० में काँग्रेस ने इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया कि शासन की मशीन में भारतीय कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक हिस्सा लेना चाहिये। १९०५ ई० में फिर यह प्रस्ताव दोहराया गया। इसका तात्पर्य यह था कि बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों तथा धारो-सभाओं में काम करने का मौक़ा हिन्दोस्तानियों को भी मिले। १९०६ ई० में काँग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हिन्दोस्तान को एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाना है। बंग-भंग के प्रश्न ने आग में घी का काम किया। सारे हिन्दोस्तान में स्वतन्त्रता की लहर फैल गई। काँग्रेस अपनी नीति पर डटी रही। उसकी माँग उपयुक्त थी। देश की राजनीतिक पार्टियों ने यह स्वीकार किया कि मुल्क की बेहतरी के लिए आज़ादी से बढ़कर कोई दूसरी दवा नहीं है। इस समय काँग्रेस दल में दो बड़ी कमज़ोरियाँ उत्पन्न हो गई थीं। सूरत की काँग्रेस के बाद वह दो दलों में विभाजित होगई। दूसरे मुसलमान अभी तक उससे अलग थे। १९१० ई० में इलाहाबाद काँग्रेस में सर विलियम वेडरवर्न ने इस बात का प्रयत्न किया कि काँग्रेस के आपसी भेदभाव मिटा दिये जायँ और मुसलमान भी इसके उद्देश्य में शामिल हों। १९३५ ई० तक इसमें सफलता प्राप्त न हो सकी। परन्तु इसके कुछ ही दिन बाद लीग और काँग्रेस दोनों ने अपना उद्देश्य एक बना लिया कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर हिन्दोस्तान में एक स्वतन्त्र सरकार स्थापित करना है। तब से बराबर दोनों की यह माँग जारी है कि हिन्दोस्तान को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिये। किसी कारणवश दोनों दलों में कुछ मतभेद ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक आज़ादी का प्रश्न है, दोनों एक हैं। अब यह माँग कुछ और स्पष्ट कर दी गई है। आज़ादी के लिये वह ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में बने रहें।

पूरी आज़ादी मिल जाने के बाद हम इस बात का फ़ैसला करेंगे कि हमारा सम्बन्ध विदेशों से क्या हो। इसके लिये हम पहले से कोई वादा नहीं कर सकते [१६१६ ई० से ब्रिटिश सरकार इस बात का आश्वासन दे रही है कि हिन्दोस्तान को क्रमशः आज़ाद किया जायगा। पहले नीचे से हमें अधिकार मिलेंगे, फिर बढ़ते बढ़ते सरकार की पूरी मशीन हमारे हाथों में सौंप दी जायेगी] यह दिन कब आयेगा इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। इस अध्याय में यह विचार किया जायेगा कि कहाँ तक हमें राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं।

१६३० ई० तक हिन्दोस्तान की आज़ादी का सवाल एक था। इस पर दो विचार पैदा नहीं हुये थे। लेकिन गोलमेज़ सभा के प्रान्तीय स्वराज बाद प्रान्तीय स्वराज पर दो विभिन्न मत वाले दल उठ पर विभिन्न मत खड़े हुये। यह भेदभाव लन्दन में ही उत्पन्न हो गया था। एक दल का कहना था कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति कमज़ोर नहीं होनी चाहिये [प्रान्तों पर इसका प्रभाव वैसे ही डढ़ रहना चाहिये जैसे आज है] इस दल के नेताओं ने दक्षिणी अफ्रीका तथा अमेरिका का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति डढ़ रखते हुये भी प्रान्तीय स्वराज की स्थापना हो सकती है। इस दल वालों को यह सन्देह था कि यदि प्रान्तों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, और केन्द्रीय सरकार का हाथ उनके ऊपर से जाता रहा तो बहुत मुमकिन है कि हिन्दोस्तान की राष्ट्रीय एकता नष्ट हो जाय। इससे स्पष्ट होता है कि यह दल ब्रिटिश सरकार की 'शक्ति एकीकरण' (Centralised power) में विश्वास करता था। इसका कहना था कि ब्रिटिश सरकार इस बात का ध्यान न रखेगी तो हिन्दोस्तानियों की लगभग एक सदी की कमाई मिट्टी में मिल जायेगी [हिन्दोस्तान में मौजूदा मतभेद का हवाला दे देकर यह साबित किया गया कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम करने से आपसी झगड़ों में वृद्धि होगी और तरह तरह के निफ़ाक़ पैदा होंगे] [उपरोक्त विचार से यह साफ़ ज़ाहिर है कि इस दल को हिन्दोस्तानियों की राजनीतिक कुशलता में विश्वास नहीं है] इस डर से कि कहीं आपस में कुछ भेद उत्पन्न न हो जायँ, हमेशा गुलामी की जंज़ीर में बँधे रहना उन्हें अच्छा है।

[दूसरे दल ने इस केन्द्रीय शक्ति के संचय पर प्रकाश डालते हुये यह साबित किया कि जब तक केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम न होगी तब तक प्रान्तीय स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती] यह सम्भव नहीं है कि ब्रिटिश

सरकार की सारी शक्ति अपने हाथों में रक्खे और साथ ही सूबों को आज्ञादी भी दे दे। ऐतिहासिक उद्धरणों से यह बात साबित की गई कि शासन की वागडोर को एक सूत्र में बाँधने से जो देश को हानि पहुँची है वह जल्दी पूरी नहीं हो सकती। इससे जनता के अधिकार का अस्तित्व मिटा दिया गया है। वह भीगी बिल्ली की तरह कूपमंडूक हुये बैठी है। उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि उसके नमक की असली क्रीमत क्या है। प्रान्तीय सरकारों को कठपुतली की तरह नचाने से जनता का आत्म-विश्वास जाता रहा और अब वह हरगिज़ पसन्द नहीं कर सकती कि उसे अग्धे की तरह कोई लाठी पकड़ा कर ले चले। प्रजा के व्यक्तित्व पर इस नीति से बड़ा आघात पहुँचा है। जब तक मशीन के पुलें आज्ञादी के साथ अपनी जगह पर काम नहीं करते, तब तक वह ठीक तौर पर काम नहीं कर सकती। केन्द्रीय सरकार ने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में लेकर हमारे पिछले परिश्रम को व्यर्थ कर दिया। जो भारतीय जनता किसी समय अपना शासन स्वयं करती थी और बड़ा से बड़ा अफसर उसके कामों में दखल नहीं दे सकता था, वह आज कौंसिल में थोड़े से प्रतिनिधि भेजने के लिये तरस रही है। जो अपनी सारी कमाई अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती थी वही आज छोटे छोटे कामों के लिये केन्द्रीय सरकार की इमदाद पर मुँह ताकती है [यह दल चाहता था कि प्रान्तीय सरकार एक जिम्मेवार सरकार करार दी जाय। गवर्नर केवल नाम-मात्र के लिये कार्यकारिणी का प्रधान रहे। प्रान्तीय विषय हिन्दोस्तानी मंत्रियों को दे दिये जायँ। आमदनी और खर्च की पूरी जिम्मेवारी उन्हें दे दी जाय। प्रान्तों में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रान्तीय सरकार की मर्जी से भर्ती किये जायँ। उन्हें हटाने का भी अधिकार इसी को हो तात्पर्य यह है कि इस दल की माँग एक सच्चा प्रान्तीय स्वराज स्थापित करने की थी।]

प्रान्तीय स्वराज के हिमायती उपरोक्त दोनों दल अपनी अपनी माँग की पूरी कोशिश करते रहे। केन्द्रीय शासन की शक्ति को दृढ़ रखने के पक्षप्रतियों को यदि ब्रिटिश सरकार का सहायक कहें तो कोई अनुचित न होगा। अब इन दोनों दल वालों की बातों पर ब्रिटिश सरकार को विचार करना था। पार्लियामेंट यह नहीं चाहती कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम हो। उसे संघ-शासन-विधान बनाने की उतनी चिन्ता न थी जितनी केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों के विभाजन की। इसी पर उसकी राजसत्ता का सारा दारोमदार था। वह अपने ही हाथों से अपना अहित कैसे कर सकती थी। साथ ही वह हिन्दोस्तानियों को सन्तुष्ट भी करना चाहती थी। इसी

उधेड़बुन में ३ वर्ष बीत गये । अन्त में तमाम विषयों की एक सूची बनी और वह केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों में बाँट दी गई । बहुत से आवश्यक अधिकार जो प्रान्तीय सरकारों को मिलने चाहिये थे, केन्द्रीय सरकार को दे दिये गये । फ़ौज और खज़ाने पर हर देश का भाग्य निर्भर रहता है । वे केन्द्रीय विषयों की सूची में शामिल कर दिये गये । यदि पार्लियामेंट चाहती तो बृटिश राजनीतिज्ञों की इस भावना को बदल सकती थी, परन्तु उसने ऐसा करना सुनासिब न समझा । प्रत्येक अँग्रेज़ स्वभाव से ही हिन्दोस्तान में एक दृढ़ केन्द्रीय शासन को पसन्द करता है । पार्लियामेंट ने अपने जीवनकाल में कुछ देशों को स्वतन्त्रता प्रदान की है । इसी तरह वह हमारे देश को भी उसी दिशा में ले जा सकती थी ।

कनाडा कई सूबों से मिलकर बना है । स्वयं कनाडा एक प्रान्त भी है । १८४० ई० में उसे अकेले स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी । धीरे धीरे अन्य प्रान्तों को भी स्वतन्त्रता दे दी गई । अर्थात् समूचे कनाडा में कई स्वतन्त्र सरकारें कायम हो गईं । सबको जिम्मेवार शासन दे दिया गया । परन्तु बहुत दिनों तक यह व्यवस्था कायम न रह सकी । अँग्रेज़ और फ़्रांसीसी दोनों जातियों के लोग इसमें निवास करते थे । घरेलू झगड़ों के कारण वे आपस में मिलकर न रह सके । सभी प्रान्तों में ये दोनों जातियाँ आपस में लड़ने लगीं । दोनों अपने को विभिन्न राष्ट्रवादी समझने लगीं । इस बुराई को दूर करने के लिये १८८७ ई० में समूचे कनाडा के लिये एक संघ शासन-विधान बनाया गया । इस उद्देश्य से हमारे दो तात्पर्य हैं; एक तो यह कि दो या दो से अधिक राष्ट्रवादी किसी संघ-शासन की स्थापना कर सकते हैं । शासन-विधान की बुराइयों के कारण वे थोड़े समय तक आपस में भले ही लड़ते रहें, परन्तु अन्त में दोनों एक हो सकते हैं । दूसरा यह है कि संघ-शासन के लिये यह आवश्यक है कि इसकी इकाइयाँ पूरी तरह स्वतन्त्र कर दी जायँ । यदि हमारे देश में सच्चे संघ-शासन की स्थापना करनी है तो प्रान्तीय स्वराज निहायत ज़रूरी है । हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि विभिन्न सम्प्रदाय इसमें बाधक नहीं हो सकते ।

आस्ट्रेलिया में भी अलग अलग सूबे आबाद होते गये । ज्यों ज्यों उनकी आबादी बढ़ती गई और उनके निवासियों की योग्यता का परिचय मिलता गया, त्यों त्यों उन्हें आज़ादी मिलती गई । १८२५ से १८६६ ई० तक यह सिलसिला जारी रहा । इसके पश्चात् स्वार्थ और सम्पर्क में मतभेद होने के कारण उनमें आपसी झगड़े आरम्भ हुए । सबने फ़ैसला किया कि एक संघ सरकार बनाई जाय जो सबको एक सूत्र में बाँधकर चलावे । १८६६ ई० में

सभी प्रान्तों के नुमाइन्दों ने इकट्ठे होकर एक संघ-शासन-विधान का निर्माण किया। बृटिश पार्लियामेंट ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। बृटिश साम्राज्य का एक अंग होते हुये भी यह देश आज पूरी तरह आज़ाद है। इन दोनों देशों पर नज़र डालते हुये यह स्पष्ट है कि संसार में कोई संघ-शासन-विधान ऐसा नहीं है जिसकी इकाइयाँ परतन्त्र हों और केन्द्रीय सरकार की कड़ी देख-रेख में रखी गई हों।

(भारतीय राजनीतिज्ञों में चाहे जितना भी मतभेद हो, परन्तु हर एक इस बात से सहमत है कि हिन्दोस्तान को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये) जब बृटिश सरकार ने इस बात का वादा किया कि वह प्रान्तीय क्षेत्रों में उसे तजुरवा करेगी तो फिर इसमें गोलमाल की बातें ठीक नहीं हैं। प्रान्तीय स्वराज की शकल का उतना महत्व नहीं है जितना शासकों की सच्चाई और नेक नीयती का।* (कांग्रेस का चुनाव में हिस्सा लेने का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रान्तीय सरकार को अच्छी तरह चलाया जाय) वह शासन में कोई रुकावट पैदा करना नहीं चाहती थी। मन्त्रिपद ग्रहण करने के बाद भी जब जब अड़चनें आईं, उसने उन्हें बड़ी खूबी के साथ निवाहा। जिन प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत नहीं था वहाँ की भी सरकारों ने कांग्रेस की नीति का अनुसरण किया। तात्पर्य यह है कि सभी बृटिश प्रान्तों में नया प्रान्तीय स्वराज बड़ी तत्परता से चालू किया गया। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी मिलकर इसे चलाने की सच्ची नीयत रखते थे। लेकिन हर समय उन्हें यह भय रहता था कि गवर्नर तथा गवर्नर-जनरल से उनकी मुँठभेड़ न हो जाय।

[१९३७ ई० में संघ शासन-विधान प्रान्तों में कार्यान्वित किया गया। चुनाव में कांग्रेस ने दिल खोल कर हिस्सा लिया। प्रान्तीय स्वराज नतीजा यह हुआ कि ६ प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत का क्रियात्मक रूप के १३८ सदस्य चुने गये। कुल जगहें २२८ थीं। इसी प्रकार शेष पाँचों सूबों में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बहुमत से कहीं ज्यादा थी। संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त और बरार, बम्बई, मद्रास, बिहार और उड़ीसा—इन सूबों में छोटी सभा में कांग्रेस का बहुमत रहा। पंजाब, बंगाल, सिंध, आसाम, और पश्चिमोत्तर प्रदेश, इनमें इसका

*For forms of Government let fools contest;
Whatever is best, administered is best.

बहुमत न हो सका। कुछ समय बाद आसाम और पश्चिमोत्तर प्रदेश में भी काँग्रेस का मन्त्रिमंडल स्थापित हो गया।

चुनाव फ़रवरी में समाप्त हो गया। अब प्रश्न यह उठा कि मन्त्रिमंडल बनाये जायँ। काँग्रेस ने चुनाव में विजय तो प्राप्त की परन्तु अभी तक उसने यह तै नहीं किया था कि मन्त्रिमंडल ग्रहण करे या नहीं। काँग्रेस में इस विषय में दो रायें थीं। कुछ लोग मन्त्रिमंडल ग्रहण करने के पक्ष में थे और दूसरे इसका विरोध करते थे। उनका कहना था कि जो संस्था ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिये बनाई गई है, और जो शुरू में उसका विरोध करती आ रही है, वह सरकार की मातहत में काम नहीं कर सकती। साथ ही उसे शासन-विधान की कमज़ोरियाँ दिखलाई पड़ रही थीं। उसका कहना था कि प्रान्तीय स्वराज एक निरा ढोंग है और काँग्रेस उसे चला कर कोई लाभ नहीं उठा सकती। परन्तु पक्षपाती दल इन तमाम दलीलों के बावजूद मन्त्रिमंडल ग्रहण करने के पक्ष में था। उसकी यह दलील थी कि यदि सरकार को चलाने की नीयत न थी तो चुनाव में हिस्सा लेने की क्या ज़रूरत थी। शासन को चलाकर उसे यह तज़रबा करना था कि कहाँ तक इसके अन्दर आज़ादी की दम है। यदि दूसरी पार्टियाँ धारा-सभा में बहुमत प्राप्त कर लेतीं और अपनी इच्छानुसार शासन को चलातीं, तो मुमकिन है प्रजा की आँख बहुत दिनों तक बन्द रक्खी जाती। सरकार को चलाने में एक और भी लाभ था। प्रान्तीय जनता के दिलों में यह भाव उत्पन्न करना था कि यदि राष्ट्रीय सरकार हो जाय तो वह विदेशी सरकार से किन मामलों में भिन्न हो सकती है। २७ मईने तक, अर्थात् जब तक काँग्रेस ने प्रान्तीय सरकार को चलाया, जनता के दिमाग से विदेशी राज का पर्दा हट गया था। चारों ओर प्रेम और सहायभूति के भाव दिखलाई पड़ने लगे थे। जिन कामों को ब्रिटिश सरकार अपने १५० वर्ष के जीवन में नहीं कर पाई थी, उसे काँग्रेस ने २ वर्षों में कर दिखाया। परन्तु शासन की कमज़ोरियों को वह कैसे दूर कर सकती थी।

मन्त्रिमंडल ग्रहण करने में एक और कठिनाई थी। संघ-शासन को काँग्रेस पहले ही इनकार कर चुकी थी। कड़े से कड़े शब्दों में उसने इसे बेकार और दोषपूर्ण ठहराया था। इतनी बुराई करने के बाद यदि वह उसी शासन को कार्यन्वित करती तो इससे बढ़कर शर्म की बात कोई दूसरी न थी। राजनीति उलट फेर का घर है। इसलिये इसे कूटनीति का दूसरा भाई कहा गया है। काँग्रेस की अक़ल उस जगह पर आकर रुक जाती थी कि गवर्नर के विशेष अधिकारों के सामने वह कर ही क्या सकती है। इसका काँग्रेस का एक

वर्ग इस बात के लिये लालायित था कि कुछ समय तक प्रान्तीय शासन को चलाना चाहिये। पद का लोभ सबसे बड़ा होता है। अन्त में काँग्रेस ने एक राजनीतिक बहाना ढूँढ निकाला। चन्द शर्तों के साथ उसने मन्त्रिपद ग्रहण करना स्वीकार किया, परन्तु साथ ही उसने यह भी एलान किया कि वह शासन को चलाने नहीं वल्कि उसे तोड़ने जा रही है।* पक्षपात छोड़कर आज हम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि काँग्रेस शासन को चलाने के लिये गई थी, तोड़ने के लिये नहीं। जो कुछ भी हो, वह इस बात पर कमर बाँध चुकी थी कि प्रान्तीय सरकार को चलाना चाहिये। १५ मार्च सन् १९३७ ई० को दिल्ली में काँग्रेस की वर्किंग कमीटी की बैठक हुई। महात्मा गाँधी के विचारों के अनुसार यह तै किया गया कि काँग्रेस प्रान्तीय सरकार को इस शर्त पर चलावे कि गवर्नर उसके कार्यों में अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग तब तक न करें जब तक मन्त्री अपनी सीमा के अन्दर कार्य करते रहें। अर्थात् गवर्नर इस बात का आश्वासन दें कि वे मन्त्रियों के कामों में अनायास हस्तक्षेप न करेंगे। वे अपने व्यक्तिगत अधिकारों को तभी काम में लायें जब कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाय। इस आश्वासन से प्रान्तीय स्वराज की सीमा नहीं बढ़ी, परन्तु रुकावट की बहुत बड़ी शंका जाती रही।

संघ-शासन का प्रधान, गवर्नर-जनरल, काँग्रेस को असंतुष्ट नहीं करना चाहता था। उसने अपने एक व्याख्यान में यह ज़ाहिर किया कि नये शासन-विधान की रचना भारतीय प्रजा की भलाई के लिये की गई है। किसी के दिल में इस बात की शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिये कि कोई कर्मचारी मंत्रियों के कामों में दखल देगा। कारण यह है कि ब्रिटिश सरकार अपनी सहयोग वाली नीति से अलग नहीं रह सकती।

जिन प्रान्तों में काँग्रेस का बहुमत था वहाँ के गवर्नरों ने काँग्रेस के नेताओं को निमन्त्रित किया। शासन की नीति के अनुसार वे इन्हें बुलाने के लिये बाध्य थे। नेताओं ने आश्वासन की माँग पेश की। इस प्रकार को सुलहनामा संसार के किसी भी देश में अब तक नहीं हुआ था। गवर्नरों को ऐसा करने का कोई अधिकार न था। अतएव अपना कर्तव्य समझकर उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया कि इस प्रकार का आश्वासन देने में वे सर्वथा असमर्थ हैं। संयुक्तप्रान्त के गवर्नर की ओर से एक घोषणा प्रकाशित

*We do not go to run the constitution but to wreck it.

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गवर्नरों को आदेश पत्रों (Instrument of Instructions) के अनुसार ऐसा करने का अधिकार दिया गया था, परन्तु प्रान्तीय स्वराज और प्रजातंत्रवाद की दृष्टि से यह कार्य सर्वथा निन्दनीय था। यदि गुड़िया-मन्त्रिमंडलों की स्थापना के बाद प्रान्तीय असेम्बली की बैठक बुला ली जाती तो सरकार का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता। कॉंग्रेस बहुमत से उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करती और मन्त्रियों को हटाना पड़ता। परन्तु शासन-विधान के अनुसार गवर्नरों ने इसे रोकने का प्रयत्न किया। ६ महीने तक प्रान्तीय धारा सभाओं की बैठक नहीं बुलाई गई। इससे कॉंग्रेस को अविश्वास का प्रस्ताव पास करने का अवसर न भिन्न सका। ६ माह व्यतीत होने पर धारा-सभा को बुलाना ज़रूरी था, अन्यथा शासन-विधान फ़ेल कर जाता।

२६ मार्च सन् १९३७ ई० को लंदन में रेडियो पर भाषण देते हुये लार्ड लोथियन ने कॉंग्रेस को यह सलाह दी कि वह बिना किसी आश्वासन के मन्त्रिपद ग्रहण कर ले। इधर ८ अप्रैल सन् १९३७ को भारत-मन्त्री लार्ड ज़ेटलैंड ने लार्ड सभा में एक वक्तव्य देते हुये गुड़िया मन्त्रिमंडल की खूब तारीफ़ की। १० अप्रैल सन् १९३७ को महात्मा गाँधी ने सुलह का एक रास्ता वृत्ति सरकार के सामने रक्खा। उनका कहना था कि इस बात के लिये ३ न्यायाधीश नियुक्त कर दिये जायँ कि गवर्नर इस प्रकार का आश्वासन दे सकते हैं अथवा नहीं। पार्लियामेंट में एक वक्तव्य देते हुये बटलर ने इस सलाह को ठुकरा दिया। ६ मई सन् १९३७ ई० को लार्ड ज़ेटलैंड ने इस बात की घोषणा की कि नये शासन-विधान की मनशा प्रान्तीय शासन का सूत्र भारतीय मन्त्रियों के हाथों में देना है। इससे कॉंग्रेस को कुछ तसल्ली हुई और उसने यह स्वीकार किया कि यदि मन्त्रियों और गवर्नर में हद दर्जे का मतभेद उत्पन्न हो जाय तो गवर्नर उन्हें निकाल दें। महात्मा गाँधी ने भी यही माँग पेश की। २१ जून सन् १९३७ को वाइसराय का जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ उससे सुलह का रास्ता काफ़ी साफ़ हो गया। जुलाई के पहिले सप्ताह में कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी ने यह तै किया कि कॉंग्रेस अब मन्त्रिपद स्वीकार कर ले। इसके फल स्वरूप ६ प्रान्तों में कॉंग्रेस मन्त्रिमंडल की स्थापना हुई।

गुड़िया मन्त्रिमंडल बर्खास्त कर दी गई। कॉंग्रेस शासन का कार्य चलाने लगी। रकावट की पहली सीढ़ी किसी तरह समाप्त हुई। यद्यपि कॉंग्रेस की माँग पूरी नहीं हुई थी, फिर भी गवर्नर मन्त्रियों की कार्यवाहियों में जल्दी दखल नहीं दे सकते थे। इससे प्रान्तीय स्वराज की सीमा कुछ

और विस्तृत मालूम पड़ने लगी। कहा जाता है कि [गवर्नरों के आशवासन से काँग्रेस ने प्रान्तीय स्वराज के अर्थ को एकदम बदल दिया।* काँग्रेस और गवर्नर दोनों को एक दूसरे के प्रति अधिक अद्वा उत्पन्न हो गई। शासन की वागडोर काँग्रेस के हाथ में आते ही हिन्दोस्तान का राजनीतिक वातावरण बदल गया। जो काँग्रेस आरम्भ से ही ब्रिटिश सरकार का विरोध करती आ रही थी वही अब शासन को कार्यान्वित करने लगी) उसके लिये यह ज़रूरी था कि वह सभी सूबों में एक प्रकार की नीति को चलाती (विभिन्न प्रान्तों के मंत्रिमंडल मनमानी न करके उसके उद्देश्य को सामने रखें) — इसकी देख-रेख के लिये सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुलकलाम आज़ाद और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, इन तीन आदमियों की एक कमीटी (The Parliamentary Sub-Committee) बना दी गई। शासन को चलाने में काँग्रेस ने अपने सामने ३ उद्देश्य रखे :—

१—शासन का खर्च घटाना और नौकरशाही की बेजा हरकतें दूर करना।

२—दीन-दुखियों को आर्थिक सहायता देना; हरिजनों और गिरी हुई जातियों को उठाना।

३—जनता को अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान करना और उसके दिमाग में स्वदेशी सरकार का नकशा खींचना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नये नये कार्यक्रम बनाये गये। इनमें अधिक से अधिक रकम लगाने के लिये काँग्रेसी मन्त्रियों ने अपना वेतन केवल १०० रुपया मासिक निश्चित किया। हमें याद रखना चाहिये कि इसके पहिले मन्त्रियों को लगभग ५००० रुपया वेतन दिया जाता था। यदि काँग्रेस के मन्त्री चाहते तो इतना ही वेतन ले सकते थे, परन्तु आम जनता की भलाई का ध्यान रखते हुये उन्होने केवल ५०० रुपया मासिक लेना स्वीकार किया। हिन्दोस्तान के सभी सूबों की समस्या एक है। सबके सामने एक ही प्रकार के प्रश्न उपस्थित थे। अर्थात् किसानों की उन्नति, बेकारी को दूर करना, धरेलू कारोबार की वृद्धि, साक्षरता का प्रचार, आमसुधार, मद्य-निषेध, दलितोद्धार, स्वायत्त शासन का सुधार आदि विषयों की ओर सबका ध्यान

*Mahatma Gandhi changed the whole meaning of Provincial Autonomy.

आकर्षित था। परन्तु काँग्रेस सरकार जल्दी से जल्दी इन्हें आरम्भ करना चाहती थी।

काँग्रेस सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव पास किया। कितने ही कैदी जेलों से बाहर निकाले गये। जो शेष रहे उन्हें भी धीरे धीरे छोड़ने की व्यवस्था की गई। ग्राम-उद्योग-संघ की स्थापना की गई। इससे गाँवों की उन्नति पर विचार किया जाने लगा। घरेलु कारोबार की वृद्धि की गई। तरह तरह के काम-धन्धों की खोज हुई। कितने ही बेकार आदिमियों को काम दिया गया। हरिजनों की भलाई के लिये अलग स्कूल और कारखाने खोले गये। उनके लड़कों को सरकारी वजीफे दिये गये। कालेजों और विश्वविद्यालयों में उनकी फ्रीस माफ़ कर दी गई। किसानों की उन्नति के लिये हर ज़िले में बीज गोदाम खोले गये। उनकी खेती के लिये सरकार की ओर से अधिक से अधिक इमदाद दी जाने लगी। उनके लिये तरह तरह के कानून पास किये गये। लगान में कमी कर दी गई; कर्ज़ अदा करने का तरीका बदल दिया गया और पिछले कर्ज़ माफ़ कर दिये गये। ज़मींदारों को हिदायत की गई कि वे रिआया पर किसी प्रकार का बेजा दबाव न डालें। हरी, बेगार, इथियावन आदि सब बन्द कर दिये गये। सरकारी अफसरों को चेतावनी दी गई कि वे दावत और डालियाँ न लें। सरकारी महकमों में घूसखोरी को रोकने का प्रयत्न किया गया। पुलिस की बेजा हरकतों को हर तरह से कम किया गया। शिक्षा-प्रचार के लिये तरह तरह की योजना काम में लाई गई। सतानों को साक्षर करने का विधान बनाया गया। गाँवों में स्कूल, रात्रि पाठशालाएँ, तथा लाइब्रेरियाँ खोली गईं। बेसिक शिक्षा का प्रचार, पुरानी शिक्षा-प्रणाली में सुधार तथा नशीली चीज़ों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। मज़दूरों की उचित मज़दूरी का विधान बनाया गया। साम्प्रदायिकता का भाव कम किया गया। तात्पर्य यह है कि काँग्रेस सरकार ने जनता की भलाई के लिये कोई कसर बाकी न रखी। जहाँ तक उसकी शक्ति थी और जितनी अधिक रकम वे इन कार्यों में खर्च कर सकते थे वहाँ तक करने का प्रयत्न किया। इतनी माथापच्ची करने पर भी जनता में असन्तोष की मात्रा कम न हुई। इसका कारण काँग्रेस की कमी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे कारण पहले से ही उपस्थित कर दिये गये थे जो जनता के दिमाग से नहीं निकल सकते थे।

काँग्रेस जनता की भलाई के लिये जितना कर सकती थी उससे कहीं अधिक किया। शासन-विधान के अन्दर जितनी गुंजाइश थी और उसके पास जितना रुपया था, सब भली भाँति प्रयोग में लाये गये। थोड़े समय

तक लोगों का विचार बदल गया था। जिन सरकारी कर्मचारियों को लोग काटू समझते थे, वे ही उन्हें झुककर सलाम करने लगे। जिन व्यक्तियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी और जिनके ऊपर डंडों की चोट पड़ी थी, उन्हीं की आवाज़ पर प्रान्तीय सरकार का काम होने लगा। जिन दफ़्तरों में लोगों को जाने की आज्ञा मुश्किल से मिलती थी वे आम जनता के लिये खोल दिये गये। प्रान्तीय धारा-सभा की कार्यवाहियों का व्यौरा सुनने के लिये धारा-सभा के बाहर कितने ही सूबों में लाउड स्पीकर लगा दिये गये। इक्केवान और मजदूर भी थोड़ी देर विश्राम करके “अपनी सरकार” की कार्यवाहियाँ सुन सकते थे। लोगों के मुँह से विदेशी सरकार की आवाज बन्द हो गई थी और ‘अपनी सरकार’ तथा ‘हमारी सरकार’ इस प्रकार के शब्द सुनाई पड़ने लगे थे। काँग्रेस आन्दोलन सरकार को भले ही खटके, परन्तु उसके नेताओं तथा कर्मचारियों से सलाह मशविरा लेना पड़ता था। इसमें थोड़ा भी सन्देह नहीं कि सरकारी ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को गवर्नर तथा मन्त्री चलाते थे, लेकिन कार्यरूप में यह बात नहीं थी। ऊपर से काँग्रेस इन सरकारों को चलाती रही। बर्किङ्ग कमीटी का फ़ैसला काँग्रेस मन्त्रियों को मानना पड़ता था। सरकारी ऐक्ट में काँग्रेस का नाम भले ही न हो परन्तु २७ महीने तक उसी की तूती बोलती रही। लोगों को यह विश्वास हुआ कि काँग्रेस कोई हुल्लड़बाज़ी की संस्था नहीं है, बल्कि इसके अन्दर शासन चलाने का पूरा माहदा मौजूद है [मन्त्रियों ने जिस योग्यता का परिचय दिया उसकी प्रशंसा पार्लियामेंट तक में की गई। १६ अप्रैल सन् १९३८ ई० के पेशावर में भाषण देते हुये हिन्दोस्तान के वाइसराय ने यह कहा कि, “प्रान्तीय स्वराज का पहला वर्ष निहायत अच्छाई के साथ व्यतीत हुआ है। प्रान्तीय धारा-सभाओं ने अपनी योग्यता का आश्चर्यजनक परिचय दिया है।”*]

इन सारी नेकनीयती के बावजूद काँग्रेस सरकार की टीका-टिप्पणी होती रही। इसकी वजह यह थी कि उसका एक दल सरकार चलाने के पक्ष में नहीं था। जगह जगह पर सभाओं तथा मीटिंगों में उसके मुँह से ये शब्द निकलते रहे कि काँग्रेस अपने आदर्श से नीचे गिर गई। पार्लियामेंट की मातहत में काम करना उनके लिये एक बहुत बड़ा अपमान था।

* The first year of Provincial Autonomy has worked well and that the provincial legislatures have shown imagination and responsibility in a high degree.

लेकिन जो दल शासन को चला रहा था उसने भी कुछ ऐसी गलतियों की थीं जिनका परिणाम उसी के लिये घातक सिद्ध हुआ। जिस समय असेम्बली के सदस्यों के चुनाव हो रहे थे उस समय काँग्रेस सदस्य अपनी पूरी ताकत से विजय प्राप्त करना चाहते थे। कितने ही अनुचित तरीक़े काम में लाये गये। ग़लत बातों का प्रचार किया गया। नागरिकों को व्यर्थ के आश्वासन दिये गये। कुछ काँग्रेस उम्मीदवारों ने तो यहाँ तक कह डाला की चुनाव से एक वर्ष के अन्दर जनता को पूर्ण स्वराज प्राप्त हो जायगा। साथ ही उनकी सारी आर्थिक कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी। किसानों की सभी तकलीफ़ों को दूर करने का मानों काँग्रेस ने ठीका सा ले लिया था। उसे यह ख्याल न था कि शासन की मशीन कहाँ तक उन्हें इन वादों को पूरा करने का मौक़ा देगी। बड़ी बड़ी आशाएँ लेकर लोगों ने काँग्रेस को वोट दिया और चुपचाप उनकी पूर्ति की बाट जोहते रहे।

जब चुनाव समाप्त हो गया और काँग्रेस को शासन का भार चलाना पड़ा तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी प्रतिज्ञायें भूठी थीं। उनके हाथों में इतनी रक़म न थी कि मालगुज़ारी और लगान को वह एक दम माफ़ कर देती। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। थोड़े समय के अन्दर बेकारी और अशिक्षा दूर नहीं की जा सकती थी। शान्ति को स्थापना के लिये सरकार को सभी तरह के उपायों का आश्रय लेना पड़ा। जगह जगह पर गोलियाँ चलाई गईं और लोगों को सज़ायें दी गईं। लोग भौचक्के से रह गये। उन्हें यह उम्मीद थी कि उनका क़र्ज़ एक दम माफ़ कर दिया जायगा; साथ ही वे कुछ भी करें लेकिन काँग्रेस सरकार चुपचाप देखती रहेगी। ये दोनों बातें असम्भव थीं। न तो जनता को ऐसी उम्मीद करनी चाहिये थी और न काँग्रेस को इस प्रकार की आशाएँ दिलानी चाहिये थी। तात्पर्य यह है कि लोग काँग्रेस सरकार को स्वर्ग का फ़रिश्ता समझ बैठे थे। उनका अनुमान था कि सरकार की बाग़डोर हाथ में लेते ही वह सभी प्रकार की तकलीफ़ों को छू मन्तर से हटा देगी। कितनी ग़लत धारणा थी! लेकिन इसकी ज़िम्मेवारी स्वयं काँग्रेस पर है। उसने विजय प्राप्त करने के लिये प्रान्तीय स्वराज को स्वर्ग की सीढ़ी करार दिया था। यही वजह है कि काँग्रेस के साधारण उम्मीदवारों के सामने बड़े बड़े ज़मींदारों और राजनीतिज्ञों का मुँह की खानी पड़ी।

काँग्रेस सरकार के समय में लड़ाई-भूगड़ों की एक हवा बह चली थी। इसका कारण यह नहीं था कि सरकार की नीति भयंकर थी, बल्कि स्वतन्त्रता

की भावना का यह एक जीता जागता नमूना था। अब तक लोग आशाहीन होकर सरकारी कर्मचारियों की धौंस को बर्दास्त करते रहे। बेचारे किसान और मज़दूर निराश होकर ज़मींदारों और मिल मालिकों के सामने चूँ तक नहीं कर सकते थे। उनकी आवाज़ सरकारी दफ़्तरों तक नहीं पहुँच सकती थी। लेकिन कांग्रेस सरकार के आते ही उनके दिलों में आशा का संचार हुआ। वर्षों से सोई हुई भावना पुनः जागृत हो उठी। इसलिये यह स्वाभाविक था कि वे अपने अधिकारों की माँग पेश करते। बेजा हरकतों से लाभ उठाते रहने के कारण उनके विरोधी दल इस अपमान को नहीं सहन कर सकते थे। उन्हें यह ख़याल न था कि दलित जातियाँ भी किसी समय अधिकार और समानता की माँग पेश करेंगी। ऐसी दशा में यदि कांग्रेस को एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विदेशी सरकार की धाक कुछ समय के लिये दूर हो गई थी। इसलिये वह किसी के अत्याचार को अब सहन नहीं कर सकती थी। रही बात हिन्दू और मुसलमानों के साम्प्रदायिक झगड़ों की। दोनों सम्प्रदायों में बैर विरोध की भावना बढ़ने लगी। जगह जगह पर साम्प्रदायिक दंगे उठ खड़े हुये। इसके लिये भी कांग्रेस सरकारें ज़िम्मेवार नहीं ठहराई जा सकतीं। इसके मूल में अधिकारों और आशाओं की वही भावना छिपी हुई थी जो अन्य वर्गों में थी। मुसलिम लीग गलत बातों से कांग्रेस को दोषी ठहराना चाहती थी, परन्तु उसे इस बात का मौक़ा नहीं मिला। कांग्रेस सरकारों की नीयत शुरू से आख़ीर तक सच्चाई और ईमानदारी की रही।

प्रान्तीय स्वराज में अनेक अड़चनें उपस्थित हुईं। मध्यप्रान्त में डाक्टर खरे (Khare Episode) की चन्द ग़लतियों से कांग्रेस मन्त्रियों को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा। यह प्रश्न इतना बढ़ा कि सारे हिन्दुस्तान में सनसनी सी फैल गई। ख़ैर किसी तरह मामला बाल बाल बच गया और कांग्रेस सरकारों को इस्तीफ़ा देने की नौबत न आई। इसी प्रकार राजनीतिक क़ैदियों को छोड़ने के विषय में गवर्नरों और मन्त्रियों में मतभेद उपस्थित हुआ। मालूम पड़ा कि अब कांग्रेस सरकारी ज़िम्मेवारी से हाथ खींच लेगी, परन्तु यह प्रश्न भी किसी तरह टल गया। अन्त में य़ोरप की लड़ाई आरम्भ होते ही कांग्रेस सरकारों के सामने कुछ ऐसे मसले पेश हुये कि उन्हें विवश होकर त्यागपत्र देना पड़ा। प्रान्तों के गवर्नर अपने निजी अधिकारों द्वारा शासन को चलाते रहे। कुछ थोड़े से सलाहकार उनकी सहायता के लिये नियुक्त कर दिये गये। लड़ाई के बाद आज फिर कांग्रेस प्रान्तीय शासन को चला रही है। उसकी पिछली सब योजनायें काम में लाई जा रही हैं।

१९३५ के संघ शासन-विधान में प्रान्तीय स्वराज की व्यवस्था तो की गई है परन्तु इसका महत्व दूसरी ओर से कम कर दिया गया है। गवर्नरों को इतने विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं कि उनके सामने मन्त्रियों के अधिकार सूर्य के सामने दीपक की तरह हैं। गवर्नर जब चाहें उनके विशेषाधिकार कामों में हस्तक्षेप कर सकेंगे। यहाँ पर उनके विशेषाधिकारों की चर्चा विस्तृत रूप से नहीं की जा सकती। पिछले अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। ये अधिकार इतने अधिक हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वह अकेले ही शासन को अपनी इच्छानुसार चला सकता है। यदि मन्त्री निकाल दिये जायँ और धारा सभायें बर्खास्त कर दी जायँ तो उसकी शकल किसी तानाशाह से कम न होगी।* उन्हें जो आदेश पत्र (Instrument of Instrucrions) दिये गये हैं उनकी सहायता से वे प्रान्तीय शासन को चलाने के लिये एह-मात्र जिम्मेवार हैं। मन्त्रियों की कार्य-कुशलता पर उतना विश्वास नहीं किया गया है जितना उसकी अकेली इच्छा पर। मन्त्री अपने कामों के लिये धारा-सभा के प्रति जिम्मेवार ज़रूर होंगे, परन्तु गवर्नर की जिम्मेवारी केन्द्रिय सरकार तथा पार्लियामेंट के प्रति होगी। जिस प्रान्त का प्रधान शासक अपने कार्यों के लिये धारा-सभा के प्रति जिम्मेवार नहीं है वह स्वराज प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता। जब तक जनता की आवाज का शासन में मूल्य नहीं है तब तक एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना नहीं हो सकती। मौजूदा प्रान्तीय स्वराज शर्तों और रुकावटों से घिरा हुआ है। शासन-विधान को देखते हुए प्रजा के अधिकार नहीं के बराबर हैं। जब कभी प्रान्तीय सरकारें किसी बड़ी योजना को कार्यान्वित करना चाहेंगी तो उनके हाथ पैर बाँध दिये जा सकते हैं। के० टी० शाह लिखते हैं "शासन की महत्वपूर्ण बातें भारतीय मन्त्रियों के हाथों से छीन ली गई हैं।"†

*While his new ministers lack knowledge of the working of the administrative machine, or even of general policy, he, the Governor, will have marvellous opportunities to be a defect as well as de jure head of the executive government of his province.

†(a) Substantially the most important part of the executive work is removed from the sphere of the Governor's constitutional advisers.

प्रान्तीय सरकार की मातहत में काम करने वाले अफसर मन्त्रियों के अधिकार से बाहर रखे गये हैं। यदि मन्त्री किसी अफसर के विरुद्ध कोई कार्रवाई करें तो वह गवर्नर के पास इसकी क्रियाद कर सकता है। ऐसी नाजुक परिस्थिति में मन्त्री अपने ही आधीन कर्मचारियों को इस बात के लिये प्रेरित नहीं कर सकते कि वे अमुक तरीके पर काम करें। प्रान्तीय विभाग की बड़ी-बड़ी नौकरियाँ केन्द्रीय सरकार की मुट्ठी में रखी गई हैं। खर्च के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों को पूरी आजादी हासिल नहीं है। यहाँ तक कि सामाजिक सुधारों तक में गवर्नर दखल दे सकता है। मन्त्रियों की सलाहें वह जब चाहे ठुकरा सकता है। किसी भी दृष्टि से प्रान्तीय स्वराज की योजना पूर्ण नहीं है ॥

ऊपर कहा गया है कि ब्रिटिश भारत दो प्रकार के सूबों में विभाजित किया गया है। गवर्नर के सूबों की संख्या ११ है और चीफ कमिश्नरों वाक़ी ६ चीफ कमिश्नर के सूबे कहलाते हैं। ब्रिटिश के सूबे और बिलोचिस्तान, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, अंडमन, प्रान्तीय स्वराज नीकोवार और पंथ पिपलौदा चीफ कमिश्नर के सूबे कहलाते हैं। और इनका प्रधान चीफ कमिश्नर कहलाता है। वह सीधे गवर्नर-जनरल के प्रति ज़िम्मेवार है। प्रत्येक प्रान्त में एक चीफ कमिश्नर रहता है जो अपनी इच्छानुसार शासन करता है। शासन सम्बन्धी सलाहें उसे गवर्नर-जनरल से लेनी पड़ती हैं। कुर्ग को छोड़कर अन्य चक्र कमिश्नरों के सूबों में कोई धारा-सभा नहीं बनाई गई है। सारी ज़िम्मेवारी चीफ कमिश्नर को दी गई है। इन सूबों में प्रान्तीय स्वराज की कोई चर्चा ही नहीं है। संघ-कार्यकारिणी तथा संघ धारा-सभा द्वारा जितनी आज्ञायें प्राप्त होंगी वे सब चीफ कमिश्नरों के सूबों में लागू की जायंगी। केवल ब्रिटिश बिलोचिस्तान में गवर्नर-जनरल की निजी आज्ञा के बिना वे लागू न हो सकेंगी। दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा को केन्द्रीय धारा-सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। कुर्ग की लॉजस्लेटिव कौंसिल को अधिकार दिया गया है कि वह केन्द्रीय धारा-सभाओं में दो सदस्य चुन कर

(b) The Governor continues to be the main spring of action and the real motor force in driving the machinery of provincial government,

(c) The Government of the province will literally be the government by the Governor.

भेज सके। अंडमन और नीकोबार को एक भी प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं है।

चीफ कमिश्नरों के सूत्रों को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतन्त्रता नहीं दी गई है। हिन्दोस्तान पहले से ही दो भागों में विभाजित किया गया है। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में जो राजनीतिक भेदभाव किया गया है उसके दुष्परिणाम हमारी नजरों के सामने मौजूद हैं। रियासतों में ज़िम्मेवार शासन का नाम भी नहीं है। वहाँ की प्रजा राजनीतिक अधिकार को नहीं जानती। ब्रिटिश सरकार उनके मामलों में दखल देने से इसलिये इनकार करती है कि उसके सुलहनामों में फरक पड़ेगा। ब्रिटिश सूत्रों को तो उसने थोड़ी बहुत आज्ञा दी है, लेकिन रियासतों के मामलों में हाथ डालकर वह अपनी शर्तों को भंग करना नहीं चाहती। देशी रियासतों की बात तो छोड़ दीजिये, स्वयं ब्रिटिश प्रान्तों को सरकार ने दो श्रेणियों में बाँट रक्खा है। गवर्नरों के सूत्रों में जनता को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन चीफ कमिश्नरों के सूत्रे अभी तक केन्द्रीय सरकार की मर्जी पर चलाये जाते हैं। उनमें रहने वाले निवासी राजनीतिक स्वतंत्रता के उतने ही प्यासे हैं जितने गवर्नरों के सूत्रों में। उनकी संख्या भले ही कम हो, परन्तु उनकी आज्ञा की भावना को कुचला नहीं जा सकता।

इसी तरह हिन्दोस्तान के कुछ हिस्से 'पिछड़े हुए' (Backward areas) करार दिये गये हैं। ये हिस्से मद्रास, बंगाल,

पिछड़े हुए
भाग और
प्रान्तीय
स्वराज

पंजाब, आसाम, पश्चिमोत्तर प्रदेश, संयुक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त व बरार, तथा उड़ीसा प्रान्तों में पाये जाते हैं। इनका शासन प्रबन्ध गवर्नर अपने अधिकारों द्वारा करते हैं। इन विभागों में निवास करने वाली जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। यद्यपि ये भाग किसी

न किसी प्रान्तीय सरकार की मातहत में रखे गये हैं, फिर भी प्रान्तीय-मंजि-मंडल इनके कामों में हाथ नहीं डाल सकते। इनमें रहने वाले व्यक्तियों की आज्ञा की का लेश मात्र भी नहीं दिया गया है। यदि इन विभागों के निवासी अनपढ़ और असभ्य हैं तो ब्रिटिश सरकार अपने १५० वर्ष के जीवन में इन्हें सभ्य बना सकती थी। इनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता की ज़िम्मेवारी ब्रिटिश सरकार के ऊपर है।

यदि कोई विदेशी इस देश का भ्रमण करे और उसे यह मालूम न हो कि सभी सूत्रे ब्रिटिश सरकार के अधिकार में हैं तो उसे

परिशिष्ट

यह सन्देह होगा कि ब्रिटिश भारत में दो विदेशी सरकारें

का राज्य है। एक का अधिकार गवर्नर के सूबों पर है और दूसरी का कमीशनर के सूबों पर। यह दलील बहुत ही नाजुक है कि अन्य प्रान्तों की सहानुभूति उनके साथ है। हमारी सहानुभूति, इटली, इंग्लैंड, अबीसीनियाँ, स्पेन आदि सभी देशों से है। जब तक वे हमारी बराबरी में खड़े नहीं होते तब तक उन्हें हम अपना भाई नहीं समझ सकते। प्रान्तीय स्वराज को चलाकर इस बात की काफ़ी परीक्षा कर ली गई कि इससे हिन्दोस्तान अपने मन्जिले मकसूद पर नहीं पहुँच सकता। प्रान्तीय सरकारों तथा लोकमत की परवाह न कर इस देश को विश्वव्यापी युद्ध में शामिल कर देना प्रान्तीय स्वराज्य के सर्वथा प्रतिकूल था। इन बातों को भुलाकर भावी शासन-विधान की आशा से कामिब फ़िर शासन को चलाने लगी है। विधान सम्मेलन की सफलता पर सब की दृष्टि लगी हुई है।

चौथा खंड

स्वायत्त-शासन

(LOCAL SELF-GOVERNMENT)

अध्याय २५

प्रान्तीय विभाग

(Provincial Division)

प्रत्येक प्रान्त कमीशनरियों में बाँटा गया है। शासन की सुविधा के लिये इसका विभाजन नितान्त आवश्यक है। भारतीय सूबे प्रान्तों का इतने बड़े हैं कि इनका शासन-प्रबन्ध इन्हें एक इकाई विभाजन मान कर नहीं किया जा सकता। कुछ प्रान्त तो यूरोप के कितने ही देशों से कई गुने बड़े हैं। बंगाल का क्षेत्रफल फ़्रान्स के बराबर है। प्रत्येक का क्षेत्रफल लगभग २००००० वर्ग मील है। मद्रास का क्षेत्रफल ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड से १ गुना बड़ा है। दोनों १४०००० वर्ग मील में फैले हुये हैं। पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध का क्षेत्रफल फ़्रान्स से आधा है। पंजाब की जनसंख्या जर्मनी तथा बर्म्बई और सिन्ध प्रान्त की स्पेन के बराबर है। प्रत्येक प्रान्त लगभग ८ या ९ कमीशनरियों में और कमीशनरियों ज़िलों में विभाजित की गई है।

हिन्दोस्तान में कुल २६६ ज़िले हैं। इनका क्षेत्रफल तथा जनसंख्या अलग अलग है। कुछ ज़िले बहुत ही बड़े और कुछ बहुत छोटे हैं। बंगाल प्रान्त के मैमनसिंह ज़िले में स्विटज़रलैंड से अधिक आदमी रहते हैं। विजगापट्टम ज़िले का क्षेत्रफल और आबादी डेन्मार्क से अधिक है। संयुक्त प्रान्त के कुछ ज़िले न्यूज़ीलैंड से बड़े हैं। तिरहुत कमिश्नरी की जनसंख्या कनाडा से अधिक है। हिन्दोस्तान में सबसे बड़ा ज़िला विजगापट्टम है। इसका क्षेत्रफल १७१६८ वर्गमील है। दूसरा नम्बर थारपारकर (बम्बई) ज़िले का है। सम्पूर्ण ज़िलों का औसत क्षेत्रफल ४०७५ वर्गमील और औसत जन-संख्या १०००००० है। बहुत कम ज़िले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल १५०० वर्गमील से कम है। शायद किसी ज़िले की आबादी ५००००० से कम है। इन ज़िलों की जलवायु तथा पैदावार एक सी नहीं है। एक ज़िले में कुछ भाग उपजाऊ और कुछ ऊसर हैं। हर ज़िले में शहर और देहात की बोलचाल में फरक मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से कुछ ज़िले सम्पन्न और कुछ गरीब हैं। कुछ ज़िले इतने घने बसे हैं कि हर व्यक्ति को २ एकड़ तक भूमि खेती के लिये नहीं मिलती।

ज़िले का प्रधान ज़िलाधीश कहलाता है। कुछ प्रान्तों में यह कलेक्टर और कुछ में डिप्टी कमिश्नर कहलाता है। अपने कलेक्टर या ज़िले में वह ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि है। आम ज़िलाधीश तौर से वह इन्डियन सिविल सर्विस के सदस्य का एक सदस्य होता है। प्रान्तीय सिविल सर्विस के सदस्य भी इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं। वेतन की दृष्टि से कलेक्टर का स्थान अपने ज़िले में सबसे बड़ा नहीं है, परन्तु अधिकार की दृष्टि से इससे बड़ कर कोई दूसरा पदाधिकारी नहीं होता। इसे दोहरे अधिकार प्राप्त हैं। कलेक्टर की हैसियत से उसे अपने ज़िले में मालगुज़ारी वसूल करने का अधिकार दिया गया है, परन्तु वह भूमिकर को घटा-बढ़ा नहीं सकता। भूचाल, आकाल, महामारी आदि विपत्तियों के समय मालगुज़ारी घटाने की सिफ़ारिस वह प्रान्तीय सरकार से कर सकता है। मजिस्ट्रेट के नाते वह ज़िले की छोटी कचहरियों का निरीक्षक होता है। पुलिस के कामों की देख-रेख तथा उन्हें संलाह आदि देने का उसे पूरा अधिकार प्राप्त है। अपने ज़िले की सम्पूर्ण भूमि से वह परिचित होता है। मालगुज़ारी वसूल करते समय उसे छोटे-बड़े सभी लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। ज़िले में शान्ति रखने की एकमात्र जिम्मेवारी इसी पर है। इसीलिये साल के कई महीने वह अपने ज़िले का दौड़ा करता है। इस दौड़ान में वह ज़िले की हर तहसील में

लोगों से मिलता है, उनकी हालतें पूछता है और वहाँ से सब प्रकार की जानकारी हासिल करता है।

ज़िले में शासन के लिये कई विभाग बनाये गये हैं। उनका सम्बन्ध प्रान्तीय सरकार से है। पुलिस, आवपाशी, सड़कें तथा इमारतें, खेती, व्यवसाय, अस्त्राल, तथा फैक्टरी आदि विभिन्न पदाधिकारियों की मातहतों में रखी गई है, लेकिन इसके प्रधान कलेक्टर की राय से अपना कार्य करते हैं। अपने अपने कार्यों की सूचना ये उसे देते रहते हैं। यदि ऐसा न हो तो वह इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी को नहीं निवाह सकता। प्रत्येक विभाग का प्रधान अपने कार्यों के लिये स्वतंत्र होते हुये भी अपने आपको कलेक्टर से नीचे समझता है। कलेक्टर की मातहतों में काम करने वाले पदाधिकारी सीधे जनता के सम्पर्क में रहते हैं। इनकी देख-रेख के लिये उसे बहुत ही सचेत रहना पड़ता है। कुछ तो इनके कार्यों की देख-रेख के लिये और कुछ अपने ज़िले का अध्ययन करने के लिये वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमता रहता है। यद्यपि उसका निश्चित निवास-स्थान शहर में होता है, फिर भी वह ग्रामीण बातों से अनभिज्ञ नहीं रहता। साल के ६ महीने उसे इन्हीं देहातों में बिताने पड़ते हैं। ज़िले के ररम-रवाज वहाँ की बोली, उसकी आर्थिक परिस्थिति तथा लोगों की सभ्यता—इन सब से वह भली भाँति परिचित होता है। पालाडे के कथनानुसार वह प्रान्तीय सरकार रूपी शरीर का विभिन्न अंग है।*

कलेक्टर का स्वभाव अपने ज़िले में इतना बड़ा होता है कि साधारण लोग इसे सरकार के नाम से सूचित करते हैं। उनका यह खयाल है कि वही इनका एक मात्र शासन करता है। किसी तरह की सहायता या छूट की आवश्यकता पड़ती है तो वे इसी का आश्रय लेते हैं। किसी ज़िले में सरकार छूट अथवा सहायता वहाँ के कलेक्टर की बिना सिफारिस के नहीं दे सकती। किसानों की मालगुज़ारी में कठिन से कठिन परिस्थिति में तब तक कोई छूट नहीं दी जा सकती जब तक वह इसकी सिफारिस न करे। विभागों की वृद्धि के कारण तथा आवागमन की सुविधा होने से उसके कर्त्तव्य आजकल और भी बढ़ गये हैं। कागज़ी कार्रवाइयाँ इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि उसे बाहर जाने का मौक़ा बड़ी कठिनाई से मिलता है। इससे उसके अधिकारों पर कुछ

* He is the eyes, the ears, the mouth and the hand of the Provincial Government within his district and serves as its general representative.

आघात पहुँचा है। कहा जाता है कि कलेक्टर के अन्धे दिन अब चले गये।* लेकिन अब भी वह अपने जिले का सम्राट् है। अधिकारों से बढ़कर उसका प्रभाव अपने जिले पर कहीं अधिक पड़ता है। ज़िले का बड़ा से बड़ा ज़मींदार अथवा सेठ-साहूकार उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। यदि कलेक्टर का व्यक्तित्व बड़ा है और वह अपने चरित्र तथा आन्तरिक गुणों से पूर्य है तो अपने जिले में किसी देवता से कम नहीं माना जाता। कुछ कलेक्टर के नाम जनता में इतने अधिक प्रसिद्ध हैं कि लोग उनकी अनुपस्थिति को अभी तक महसूस करते हैं। गाँव में अभी तक यह कहावत प्रचलित है कि 'क्या तुम कलेक्टर हो?' इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामीण जनता के लिये कलेक्टर से बढ़कर कोई दूसरा पदाधिकारी नहीं जान पड़ता।

सरकारी विभाग में यही एक ऐसा पदाधिकारी है जिसे जनता और बड़े अफसर दोनों के सम्पर्क में आने का अवसर मिलता है। अपने जिले की असलियत से यह भली भाँति परिचित रहता है। जिले की उन्नति के लिये इसे सब कुछ करने का अधिकार है। यदि यह शासक अद्वितीय योग्यता का हुआ तो अपने जिले की अद्भुत उन्नति कर सकता है। आजमगढ़ जिले में एन० सी मेहता का नाम तब तक अमर रहेगा जब तक मेहता पुस्तकालय की एक एक ईंट बाकी रहेगी। इससे भी बढ़कर उनकी प्रखर बुद्धि से जो लाभ वहाँ के किसानों को पहुँचा वह सर्वदा स्मरणीय है। कुछ अंगरेज़ कलेक्टरों ने भी इसी प्रकार की अमर कीर्ति से अपने जिलों को लाभ पहुँचाया है। उसके क्षेत्र बहुमुखी हैं। अपने जिले में भूमि विभाजन, ऊर्ज़ किसानों की छूट, भूगड़े का निपटारा, अकाल पीड़ितों की सेवा, इत्यादि इत्यादि कार्य उसे करने पड़ते हैं। ग्रामीण जीवन में उसका व्यक्तित्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।† पुलिस, जेल, म्युनिसिपलटीज़, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफ़ाई, दवा, टैक्स, इत्यादि इत्यादि कार्यों की देख-रेख उसे करनी पड़ती है। इन कार्यों को देखते हुये उसे कई प्रकार की जानकारी रखनी होती।‡ केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चल सकता। एक और

* The golden days of the civil service, when the Collector of a district was the monarch of all he surveyed are definitely gone.

† The Collector is a strongly individualised worker in every department of rural economy.

‡ He should be 'a lawyer, an accountant, a financier,

उसे लोगों की जानमाल की रक्षा के लिये शान्ति की व्यवस्था करनी पड़ती है, और दूसरी ओर ध्यापार, शासन, न्याय तथा धनधान्य की वृद्धि का उपाय सोचना पड़ता है।

१९१६ ई० तक कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सभापति होता था। परन्तु अब ऐसा नहीं होता। स्वायत्त शासन (Local Self-Government) की स्थापना के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अधिकार जनता को दे दिया गया। इससे कलेक्टर को बहुत-सी छोटी-छोटी बातों से अवकाश मिल गया। अब उसे इन कार्यों की ओर एक साधारण नजर रखनी पड़ती है। जब कभी प्रान्तीय सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा म्युनिसिपल बोर्ड के कार्यों से असंतुष्ट होती है तो इनका भार कलेक्टर को सुपुर्द कर दिया जाता है। इन बोर्डों की मीटिंगों में वह जब चाहे बैठ सकता है। इसके लिये उसे किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह उनके कार्यों से असंतुष्ट है और उसकी समझ में इनकी कारवाहियों से जिले की शान्ति तथा उन्नति में बाधा पड़ती है, तो वह इसकी सूचना प्रान्तीय सरकार को दे सकता है। यदि कलेक्टर का कार्य अपने जिले में अत्यन्त सराहनीय है और उसे शासन के अनेक अनुभव प्राप्त हैं, तो वह कमिश्नर अथवा गवर्नर का पद प्राप्त कर सकता है।

ज़िले का कलेक्टर अपने हृद् में किसी बादशाह से कम नहीं है। उसकी प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान का जिसने अध्ययन किया है वह इसे अच्छी तरह समझ सकता है। यदि उसकी योग्यता अद्वितीय हुई तो वह अपने जिले की हालत में काफ़ी सुधार कर सकता है। उसके सरकारी अधिकार भले ही सीमित हों; परन्तु ज़िले की जनता उसके साथ रहती है। बड़े बड़े धनीमानी लोग उसकी सुट्टी में होते हैं। किसानों की हालत वह भली-भाँति अध्ययन कर उसमें काफ़ी उन्नति कर सकता है। छोटे छोटे ग्राम-व्यवसाय को वह उन्नति दिला सकता है। अपने रचनात्मक विचारों को कार्यान्वित करने के लिये वह सामग्री एकत्र कर सकता है। लेकिन साथ ही यदि वह आराम-तलब हुआ, और रात दिन अपने बंगले में पड़ा रहा, तो उसके विचारों से ज़िले को कोई लाभ नहीं हो सकता। उसे अत्यन्त परिश्रमी और दृढ़ विचार वाला होना पड़ता है। कागज़ी कारवाहियाँ

a ready writer of state-papers. He ought also to possess no mean knowledge of agriculture, political economy and engineering.

उतनी महत्व-पूर्ण नहीं हैं जितनी बाहरी देख-रेख। उसे हर समय इस बात पर नज़र रखनी पड़ती है कि ज़िले में कोई खास दलबन्दी अथवा बैर-भाव तो नहीं पैदा हो रहे हैं। विशेष कर वर्तमान राष्ट्रीय-उत्थान के युग में उसे और भी सचेत रहना पड़ता है। एक ओर तो उसे जनता की सेवा का ध्यान होता है और दूसरी ओर अपने बड़े अफसरों के हुकुम तामील करनी पड़ती है। उसे हर प्रकार के लोगों से मिलने का अवसर पड़ता है। सबके मानसिक अध्ययन की छाप उसके मस्तिष्क पर गहरी पड़ती है।

राजनीतिक संगठन की मशीन उसके हाथ से बाहर है। ज़िले की सीमा में वह कमी-वेशी नहीं कर सकता। शासन-प्रबन्ध के ढाँचे को बदलने का उसे अधिकार नहीं है। फिर भी अपने प्रभाव से वह जिले में बहुत कुछ कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर उसके व्यक्तिस्व का गहरा प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के सहयोग से ज़िले की शिक्षा, सफ़ाई, सड़कें तथा शान्ति में विशेष रूप से वृद्धि की जा सकती है। ज़िले के सभी सरकारी कर्मचारियों पर अधिकार होने से वह जिस प्रकार की व्यवस्था चाहे कर सकता है। इंजीनियर, डाक्टर, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट खजानची इत्यादि सब उसकी सलाह से काम करते हैं। यदि वह किसी वस्तु में खास रुचि रखता है तो उसके प्रचार के लिये वह बहुत कुछ कर सकता है। अगर उसके दिमाग में कोई लाभदायक योजना आवे तो बड़ी आसानी से वह काम में लाई जा सकती है।

अपने जिले में प्रधान कार्यकारिणी के अतिरिक्त उसे न्याय विभाग का भी कुछ कार्य करना पड़ता है। वह पहिले दर्जे का कलेक्टर के मजिस्ट्रेट कहलाता है। जिले में जितने मजिस्ट्रेट हैं वे सब न्याय सम्बन्धी इसकी मातहत में कार्य करते हैं। मजिस्ट्रेट की हैसियत अधिकार से उसे यह अधिकार है कि किसी अपराधी को दो वर्ष जेल और १००० रुपया जुर्माना कर सके। ऐसा इसलिये किया गया है कि अपनी सीमा के अन्दर वह पूर्ण शान्ति रख सके। यदि लोगों को इसका भय न हो, तो कोई इससे प्रभावित नहीं हो सकता। ज़िले की सारी पुलिस इसके अधिकार में है। वह जिसे चाहे गिरफ़्तार कर उस पर कोई अभियोग लगाकर मुक़दमें चला सकता है। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट उसे इस बात की सूचना देता रहता है कि ज़िले में शान्ति की क्या व्यवस्था है, या अपराधियों की मात्रा कितनी है। थानों की मदद से गाँव गाँव की रिपोर्ट उसे हर समय मिलती रहती है।

यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गुनाहगार ठहराये तो कलेक्टर तुरन्त उस पर मुकदमा चलाकर बड़ी आसानी से उसे जेल में डाल सकता है। ऊपर कहा गया है कि कलेक्टर की हैसियत से उसका काम सारे ज़िले की मालगुजारी वसूल करना है। लेकिन इसके अलावे उसे प्रान्तीय सरकार को भूमि तथा खेती सम्बन्धी और भी सलाहें समय समय पर देनी पड़ती हैं। किसानों की समस्या बृटिश भारत की समस्याओं की १/२ है। इसी से हम अनुमान कर सकते हैं कि हिन्दोस्तान की बेहतरी में कलेक्टर का कितना हाथ है। किसानों और ज़मींदारों के बीच में जितने झगड़े पैदा होते हैं उनका निपटारा यही करता है।

पुलिस और जेल दोनों उसके हाथ में रखे गये हैं। उसके न्याय सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा अन्य न्यायाधीशों से अधिक हो सकती है। गाँवों के लोग पुलिस को सरकार का दाहिना हाथ समझते हैं। लाल पगड़ी उनके लिये काल के समान है। राष्ट्रीय भावना के कारण यह भय बहुत कुछ कम हो चला है, लेकिन फिर भी इस विभाग की सकृतियों से हर आदमी डरता रहता है। जहाँ तक जेल की बात है, राजनीतिक कैदियों को छोड़कर बाक़ी सभी लोग इसे नरक समझते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा न होगा जो खुशी खुशी जेल का जीवन पसन्द करे। अपराध करने पर भी लोग जेलों में जाने से डरते हैं। कलेक्टर इन दोनों कुंजियों को अपने हाथ में रखता है। किसी की हिम्मत नहीं है जो उसकी आशाओं का उलंघन करे।

कलेक्टर को न्याय सम्बन्धी अधिकार पहले पहल लार्ड कार्नवालिस के समय में दिये गये। उसने पहले इसे बंगाल प्रान्त में आरम्भ किया और फिर बाद में इसकी नक़ल और सुबों में की गई। न्यायाधीश और कलेक्टर के पद एक में जोड़ दिये गये। कलेक्टर का पद वारेन हेस्टिंग्स के समय से आरम्भ किया गया है। जब कम्पनी ने बंगाल की दीवानी अपने हाथ में ली तो उसे इस पद की आवश्यकता महसूस हुई। बहुत दिनों तक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के स्थान एक दूसरे से भिन्न थे। कलेक्टर को आरम्भ में कोई मुकदमा फ़ैसल करने का अधिकार न था। अपने जिले में उसका पद मजिस्ट्रेट से बड़ा होता था। उसकी तनख़वाह भी अधिक थी। मजिस्ट्रेट तरकी करके कलेक्टर हो जाया करते थे। मजिस्ट्रेट को उतना अनुभव नहीं होता था जितना कलेक्टर को। इससे काम में असुविधा होती थी। इस कमी को दूर करने के लिये दोनों का पद एक में शामिल कर दिया गया। तब से बराबर ये दोनों पद एक के हाथों में चले आ रहे हैं। कहा जाता है

कार्य रूप में वह मुकदमें फैसल करने का काम कम करता है, उसका कार्य अन्य मजिस्ट्रेटों की कारवाइयों की देखभाल करना है। सारांश यह है कि कलेक्टर स्वयं किसी सरकार से कम नहीं है।*

ज़िले में सरकारी इज्जाने पर उसका अधिकार होता है। भूमिकर सम्बन्धी रुपये-पैसे की अपील उसके पास की जाती है। यद्यपि उसे अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट का अधिकार दिया गया है, परन्तु उसकी इजलास में बहुत कम नये मुकदमें पेश किये जाते हैं। कारण यह है कि उसके पास इतने अधिक काम हैं कि वह दफ्तर में बैठकर उन्हें पूरा नहीं कर सकता। अक्सर अपने ज़िले में उसे इधर उधर जाने की आवश्यकतायें पड़ती हैं। उसके इजलास में अपील के मुकदमें अधिक आते हैं। तहसीलदारों तथा अन्य मजिस्ट्रेटों के फैसलों की अपील इसके यहाँ की जाती है।

कलेक्टर की ज़िम्मेदारियों की कोई सूची नहीं बनाई जा सकती। ज़िले की मालगुज़ारी और न्याय के अतिरिक्त उसे और भी काम करने पड़ते हैं। चीज़ों का भाव उसे समझना पड़ता है और इसी हिसाब से वह खेती की आमदनी का अनुमान ज़िम्मेदारियाँ करता है। प्रान्तीय सरकार को अच्छे और बुरे मौसमों की उसे सूचना देनी पड़ती है। खेती के लिये किसानों को वह कर्ज़ देता है। अपने जिले की एक एक बात उसे प्रान्तीय सरकार को बतानी पड़ती है।† किसी किसी ज़िले में उसे छोटी छोटी रियासतों का भी प्रबन्ध करना पड़ता है। यदि किसी ताल्लुकेदार की हैसियत नाबालिग के हाथ में है तो कलेक्टर को उसे सँभालना पड़ता है। बड़े बड़े विशेषज्ञ अपनी जानकारी को पुष्ट करने के लिये उससे सलाहें लेते हैं। जिले में अनेक सभायें तथा संगठन बनते रहते हैं। वह इनकी कारवाइयों में शरीक हो सकता है। फिर भी किसी न किसी प्रकार से इनके कामों की ओर उसे नज़र

* In short, the Collector-Magistrate is the eye and ear of the Provincial Government and to the people, who have to look up to him in everything, he is Government itself.

† He must keep the Government informed of the condition of his district, and of all notable occurrences therein, from meetings of the Indian National Congress to cattle fairs.

रखनी पड़ती है। उसे यह अधिकार है कि वह किसी भी सभा-सोसाइटी में हिस्से ले सके। कोई संगठन उसे निर्मात्रित भले ही न करे, परन्तु वह अपने अधिकार से उसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकता है। जब कोई विशेष व्यक्ति किसी ज़िले में पदार्पण करता है तो उसकी सूचना सबसे पहले कलेक्टर को दी जाती है। उसका स्वागत करने का अधिकार उसे पूरा पूरा दिया गया है। यदि वह खाली नहीं है तो अपनी इच्छा से इस कार्य को किसी और को सुपुर्द कर सकता है। ज़िले में जो कुछ भी आपत्तियाँ आयें उन सबको उसे निवारण करना पड़ता है। रोम-निवासियों की एक कहावत के अनुसार सरकार की सारी ज़िम्मेवारी उसके ऊपर रखी गई है।* वह कामों को भले ही कुछ सहायकों में विभाजित कर दे, परन्तु अपनी ज़िम्मेवारी को वह नहीं बाँट सकता।

रजिस्ट्रार की हैसियत से कलेक्टर को शादी के लिये बुलाया जा सकता है। कोई स्त्री या पुरुष विवाह करने पर राज़ी हैं तो वे उसके बंगले पर जाकर अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। एक और उसे फौजो पोशाक में चोर और डाकुओं का पीछा करना पड़ता है, लड़ाई और दंगों को शान्त करना पड़ता है, और दूसरी ओर किसानों की बेहतरी सोचनी पड़ती है, ज़िले के सभी समुदायों की भलाई का ध्यान रखना पड़ता है, अकाल और महापारी में उन्हें सहायता पहुँचानी पड़ती है तथा शान्त और गम्भीर भाव से बड़े से बड़े लोगों की खुशी में शरीक होना पड़ता है। हर अदना आला से उसे तरह तरह की बातें दरियाफ्त करनी पड़ती है।

प्रातःकाल वह लोगों से मिलने जुलने में अपना समय व्यतीत करता है। यदि अवसर मिला तो कुछ बाहरी जाँच पड़ताल भी करता है। रोज़ वह कचहरी जाता है, लेकिन न्याय विभाग के अन्य कर्मचारियों की तरह वह १० से ४ तक वहाँ नहीं बैठ सकता। अधिक से अधिक ३ या ४ घंटे वह कचहरी में मुकदमों की कार्रवाई सुनता है। कचहरी के बाद वह डाक पर नज़र डालता है। जितनी चिट्ठियाँ आई रहती हैं उन सबके जवाब की व्यवस्था करता है। वह स्वयं उनका जवाब भले ही न लिखे, परन्तु उन्हें समझने की ज़िम्मेवारी उसे दी गई है। इनके अलावा उसे स्वयं कुछ

* Whatever the trouble may be, the district officer must see to it. In the old Roman Formula, he must take care that the state suffer no harm. He may divide the work, but he cannot divide the responsibility.

अपनी निजी चिट्ठियाँ भेजनी पड़ती हैं। जब इससे कुरसत मिली तो निमंत्रण-पत्रों की ओर उसकी नज़र जाती है। कई जगहों से सभा-सुसाइटियों में शरीक होने के लिए निमंत्रण पत्र आये रहते हैं। यदि उसे आवश्यकता महसूस होती है तो सब काम बन्द करके एक दो जलसों में शरीक होता है। कलेक्टर के लिये यह असम्भव है कि वह सब में शरीक हो सके। सरकारी क्रमानों के अतिरिक्त, जनता की इत्तला पर भी उसे नज़र रखनी पड़ती है। उसका टेलीफोन सबेरे से ११ बजे रात तक फँसा रहता है। उसकी चिट्ठियों की टोक़रियाँ भरी रहती हैं। कानूनों में रद्दोबदल की सूचनायें इतनी अधिक आती हैं कि उस पर उसे घंटों विचार करना पड़ता है। ज़िले में हर समय सरकार की ओर से कोई न कोई नई योजनायें कार्यान्वित होती रहती हैं। इन सब में उसे अपनी सलाह देनी पड़ती है। धारा-सभाओं में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं अथवा प्रस्ताव पास किये जाते हैं उनमें बहुतों का जवाब उसे देना पड़ता है।

इन तमाम बातों से स्पष्ट है कि कलेक्टर को कागज़ी कार्रवाइयाँ अधिक करनी पड़ती हैं। ज़िले की दौड़ान में भी चिट्ठियों का पुलिन्दा उसका पीछा नहीं छोड़ता। इससे शासन में मदद भले ही मिले, लेकिन जनता की वास्तविक भलाई में बाधा पड़ती है। अपनी दौड़ान में ही उसे जनता से सम्पर्क प्राप्त करने का अवसर मिलता है। वहीं उसे अपने मातहत कर्मचारियों की देख-रेख करनी पड़ती है। अच्छा होता कि उसका अधिकतर-समय जनता की भलाई और सरकारी कर्मचारियों की कार्य कुशलता में व्यतीत होता। परन्तु सरकारी कागज़ात वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसका ध्यान गाँवों की ओर कम जाने पाता है। यदि उसकी दौड़ान में कागज़ी कार्रवाइयाँ किसी और को सुपुर्द कर दी जायँ तो वह ज़िले को अधिक लाभ पहुँचा सकता है। दौड़ान में ही उसे हर प्रकार की स्वतन्त्रता रहती है।* एक बार किसी कलेक्टर ने एक फ़ौज़ी पेन्शनर से पूछा, 'तुम्हारे पड़ोस में शान्ति तो है।' पेन्शनर ने जवाब दिया, 'चारों ओर अशान्ति है। आप समझते हैं कि ज़िला आपकी बपौती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि आजकल दरिद्र नारायण का राज्य

* In camp, he sees with his own eyes, hears with his own ears, and smells with his own nose, and there by gains much useful information.

है।" इस जवाब से कलेक्टर भौचकका सा रह गया और पेन्शनर को साथ लेकर दौड़ा आरम्भ कर दिया।

इस प्रकरण को समाप्त करने के पहले यह आवश्यक है कि कलेक्टर के दोहरे अधिकार पर एक दृष्टि डाली जाय। आज कलेक्टर के लगभग ८० वर्षों से इस विषय पर वादविवाद हो रहे हैं, परन्तु अभी तक इसका अन्तिम निर्णय नहीं हुआ। यह कहा जाता है कि कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पद एक व्यक्ति को नहीं मिलने चाहिये। इससे प्रजा की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है, साथ ही उसके अधिकारों पर आघात होता है। जो व्यक्ति कार्यकारिणी विभाग का प्रधान हो वही अन्तिम फ़ैसला भी दे यह बात कुछ समझ में नहीं आती। भारतीय और अंगरेज दोनों इस बात से सहमत हैं कि ये दोनों पद एक दूसरे से अलग होने चाहिये। १८६६ ई० में बृटेन के कुछ प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों ने, जिनमें लार्ड हावहाउस, सर रीचर्ड गार्थ, सर चार्ल्स सारजेन्ट के नाम उल्लेखनीय हैं, भारतमन्त्री से यह प्रार्थना की थी कि कलेक्टर और मजिस्ट्रेट पद एक दूसरे से अलग कर दिये जायँ। इन दोनों प्रकार के कर्तव्यों को एक के हाथ में रहने से जो हानियाँ हो सकती हैं उनका वर्णन किया गया था। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तबसे बराबर इस पर वादविवाद होते रहते हैं और जितनी बातें पक्ष और विपक्ष में कही जा सकती हैं, लगभग सभी कही जा चुकी हैं। उन सबके उल्लेख की यहाँ आवश्यकता नहीं है। जो लोग इसके पक्षपाती हैं वे कहते हैं कि इन दोनों पदों को एक के हाथ में रहने देना चाहिये। इससे न्याय में सुविधा होती है और ज़िले का शासन अधिक मज़बूती और कुशलता-पूर्वक किया जाता है। कलेक्टर की शक्ति इससे दूनी बड़ जाती है। यदि ये दोनों प्रकार के कार्य अलग कर दिये जायँ तो बेकार का खर्च बढ़ेगा। लेकिन ये दलीलें ग़लत ठहराई गई हैं और बहुमत से यह बात निश्चित की गई है कि ये दोनों पद दो व्यक्तियों को मिलने चाहिये।

किसी राजनीतिज्ञ का कहना है कि थोड़े समय तक एक सीमित क्षेत्र में इन दोनों पदों को अलग करके यह अनुभव कर लिया जाय कि कहाँ तक इस प्रश्न में जान है। १९०८ ई० में सर हारवे एडमसन ने वाइसराय की कौंसिल में यह घोषित किया था कि सरकार इन पदों को अलग करने पर विचार करेगी। कुछ ग़ैरसरकारी सदस्यों ने एक प्रस्ताव भी पास किया था कि सरकार उन्हें अलग कर दे। परन्तु सरकार की नीति में कोई फ़रक न पड़ा।

२४ फरवरी सन् १९३६ ई० को संयुक्तप्रान्त के न्याय विभाग के मंत्री डाक्टर कैलाशनाथ काटजू ने प्रान्तीय असेम्बली में यह प्रस्ताव पेश किया कि ये दोनों पद एक दूसरे से अलग होने चाहिये। असेम्बली के कुछ सदस्यों ने इसका काफी विरोध किया। एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह डाला कि 'यह योजना एक खिचड़ी है।'* परन्तु काँग्रेस के सदस्यों ने इसका पूरा पूरा समर्थन किया। वे इस बात पर ज़ोर देते रहे कि 'न्याय और हुकूमत का प्रबन्ध अलग कर दिया जाय।' सदस्यों का यह भी कहना था कि "जिस तरीके पर अदालत में फ़ैसले किये जाते हैं उनमें हर हालत में ग़ैर इन्साफी होती है। पुलिस के चालानी मुक़दमों में मजिस्ट्रेट को आजादी के साथ फ़ैसला करना कठिन हो जाता है। एक कान्स्टेबुल की बात रखने के लिये मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस तक इन्साफ का गला घोटने के लिए तैयार हो जाते हैं। न्याय सम्बन्धी मामलों का फ़ैसला मुन्सफ़ी की अदालतों द्वारा कराया जाय। क्योंकि वे कलेक्टर के असर से बाहर रहते हैं। जो अदालत वारंट जारी करती है, और जिसके ज़रिये से गिरफ़्तारियाँ होती हैं, उसे फ़ैसले का अधिकार नहीं मिलना चाहिये।"

सच्ची बात यह है कि एक्जीक्यूटिव और न्याय को एक में शामिल करने से एक बहुत बड़ी बेइंसाफी की गई है। ब्रिटिश सरकार की नीति अधिकार को एक सूत्र में बाँधने की रही है। कलेक्टर को यह अधिकार देकर यह बात आसन्न कर दी गई है कि जब जिसे ज़रूरत समझी जाय कानून के शिकंजे में फँसा लिया जाय। एक ओर दो कलेक्टर पुलिस से गिरफ़्तारी करवाता है और दूसरी ओर खुद उसका फ़ैसला करता है। अर्थात् जो व्यक्ति मुक़दमा चलाता है वही स्वयं जज बन कर उसे फ़ैसला भी करता है। इससे पुलिस के अधिकारों की वृद्धि होती है और इंसाफ़ में फ़रक पड़ता है। कलेक्टर के सभी मुक़दमों ईश्वर के वाक्य समझे जाते हैं। काँग्रेस आरम्भ से ही इस बात की माँग पेश करती रही है कि ये दोनों पद एक दूसरे से अलग कर दिये जायँ। १९२२ ई० में स्टुअर्ट कमीटी इसी कार्य के लिये नियुक्त की गई थी कि वह इस पर गहराई के साथ विचार करे। कमीटी ने यह फ़ैसला किया

* It seems to me that the scheme, as put forward, is a kind of Khichari palatable in some parts but distasteful in others. It is neither fish nor fowl nor good red berry. It is a jumble of executive and judicial functions.

कि इन दोनों प्रकार के अधिकारों को अलग करना निहायत ज़रूरी है। कमीटी के कथनानुसार सरकार का खर्च इससे ३ या ३½ लाख रुपया सालाना बढ़ जाता है, परन्तु प्रान्तीय सरकार इतने खर्च को बर्दाश्त कर सकती है। जब यह बात सर्वसम्मति से मान ली गई है कि सरकार के तीनों विभाग—कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका और न्याय—अलग अलग रहने चाहिये तो फिर उन्हें एक में मिलाने की क्या आवश्यकता है? संयुक्तप्रान्त की छोटी धारा-सभा में किसी सदस्य ने इसका उत्तर देते हुए कहा था कि ‘बृटिश गवर्नमेंट और कॉंग्रेस गवर्नमेंट के तर्ज़ में ज़मीन व आसमान का फ़रक है। अब तक जो क़ानून बने हैं वे सब के सब बृटिश गवर्नमेंट के बनाये हुये हैं और उनमें ख़ास तौर से इस बात का खयाल रक्खा गया है कि वे कौन कौन से ज़रिये अथवा क़ानून हो सकते हैं, जिनसे हम अपनी रिश्ताया को क़ानूनी शिकंजों में जकड़ कर उनको किसी क्रिस्म की आज़ादी न दें।’

स्वयं बृटिश सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि अब हिन्दो-स्तानियों को सभी प्रकार की आज़ादी मिलनी चाहिये। वर्तमान प्रान्तीय स्वराज उसका पहला क़दम है। इसलिये उन तमाम क़ानूनों में संशोधन होने चाहिये जिनसे हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता में बाधायेँ पड़ती हैं। देश और विदेश के प्रमुख राजनीतिज्ञों का यह मत है कि ‘ज़िले का शासन-प्रबन्ध सम्पूर्ण भारतवर्ष के शासन प्रबन्ध की बुनियाद है।’* इतना स्वीकार करते हुये भी यदि ज़िले के प्रधान शासक के अधिकारों में सुधार नहीं किया जाता तो यह हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। इधर कुछ वर्षों से कागज़ी कारवाइयों की वृद्धि के कारण ज़िले का शासन और भी लापरवाही से किया जाता है। कलेक्टर को दौड़ा लगाने की कुरसत कम मिलती है। इससे वह जनता की असली दशा से अनभिज्ञ रहता है। अतएव उसके पद में दो प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है। एक तो उसे मजिस्ट्रेट का काम न दिया जाय। मुक़दमों फैसल करने के लिये दूसरे पदाधिकारी नियुक्त किये जायँ। दूसरे प्रकार का सुधार यह होना चाहिये कि उससे कागज़ी काम कम कराया जाय। उसे ज़िले का दौड़ा करने का अधिक से अधिक मौक़ा मिलना चाहिये, ताकि वह जनता के सुख-दुख की हालत से परिचित हो सके। इन

The efficient administration of the district is the first condition for the proper Government of India.

सुधारी के अतिरिक्त ज़िले का प्रधान शासक केवल हिन्दोस्तानियों को बनाना चाहिये। विदेशी हमारे रस्म-रवाज़ों को उतना नहीं समझ सकते जितना एक हिन्दोस्तानी। कलेक्टर को अकसर अंग्रेज़ी भाषा से अनभिज्ञ किसानों और ज़मींदारों से मिलने का मौक़ा मिलता है। वह किसी तरह अपना काम भले ही चला ले, परन्तु रस्म-रवाज़, रहन-सहन, संस्कृति, धर्म, जाती भाषा संगठन आदि से अनभिज्ञ रह कर कोई पदाधिकारी जनता की सच्ची भलाई नहीं कर सकता।

प्रत्येक जिले में ३ से ८ तक तहसीलें होती हैं। इनकी जिम्मेवारी तहसीलदार को रहती है। उसे सहायक मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। इनका काम मालगुजारी वसूल करके कलेक्टर के पास भेजना होता है। इसके अलावे ये मुकदमों में भी फैसल करते हैं। हर तरह से ये कलेक्टर की मातहत ही काम करते हैं। कुछ मुकदमों को फैसल करने का अधिकार अवैतनिक मजिस्ट्रेट को है जो हर तहसील में चार होते हैं। तहसील को परगना भी कहते हैं। तहसीलदार परगना हाकिम भी कहलाता है। तहसील का विभाजन थानों में किया गया है। थाने का मालिक थानेदार कहलाता है। हर गाँव की ख़बर थानेदार को रखनी पड़ती है। गाँवों के प्रबन्ध के लिये हर गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है। इसमें ५ या ७ सदस्य होते हैं। गाँव का मुखिया इसका प्रधान होता है। रात में गाँव की रखवाली करने के लिये चौकीदार रखे गये हैं। एक चौकीदार ५ या ६ गाँवों की रखवाली करता है। इसका पद पैत्रिक होता है। सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों में यही एक ऐसा कर्मचारी है जिसका पद पैत्रिक (Hereditary) है। गाँवों की खेती का ब्यौरा रखने तथा खेतों की पड़ताल आदि करने के लिये पटवारी होता है। इसका पद कभी कभी पैत्रिक होता है। एक पटवारी के मर जाने पर उसके लड़के को आमतौर से यह पद दे दिया जाता है। पटवारी को गाँव का ख़ज़ानची (Village accountant) भी कहते हैं। किसी समय में यह हर गाँव की आमदनी और खर्च का हिसाब रखता था, परन्तु अब ऐसा नहीं है। आरम्भ में इसे वेतन नहीं दिया जाता था। गाँव के प्रत्येक घर से इसे अन्न और कुछ पैसे दिये जाते थे। लेकिन अब इसे १२ या १३ ६० मासिक वेतन दिया जाता है। इस प्रकार गाँव से लेकर ज़िले का शासन-प्रबन्ध किया जाता है। इन विभिन्न पदाधिकारियों का सूक्ष्म वर्णन इसलिये किया गया है कि यथास्थान फिर इनका विस्तृत वर्णन किया जायगा।

अध्याय १६

स्थानीय स्वराज

(Local Self-Government)

स्थानीय स्वराज अथवा स्वायत्त-शासन का स्वरूप सभी देशों में एक सा नहीं मिलता । कहीं कहीं तो एक ही देश में स्थानीय स्थानीय स्वराज संस्थाओं को सभी जगह एक से अधिकार नहीं दिये गये हैं । प्रत्येक व्यक्ति वा संगठन की आज्ञादी उसकी आवश्यकता योग्यतानुसार दी जाती है । साथ ही यह भी निश्चित है कि जब तक स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की जाती तब तक कोई संस्था अपने आपको उन्नतिशील नहीं बना सकती । इन्हीं दोनों कारणों से स्थानीय स्वराज की व्यवस्था की गई है । यदि सभी कार्य सरकारी कर्मचारी करते रहें, और जनता को किसी प्रकार की जिम्मेवारी न दी जाय, तो शासन में अनेक बुराइयाँ पैदा हो जावेंगी । नौकरशाही से हमें काफ़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं । जनता जितनी ही कूप-मंझक होती है उतनी ही नौकरशाही उसके लिये घातक सिद्ध होती है । कोई सरकार, चाहे वह जनता की ही क्यों न हो, अपने आपको इससे वंचित नहीं रख सकती । राज्य का विस्तार काफ़ी बड़ा होता है । खास कर वर्तमान युग में राज्यों की सीमा इतनी बड़ी है कि नौकरशाही की धौंस से बचना मुश्किल है । कुछ तो इसकी बुराइयों से बचने के लिये और कुछ राज्य की उन्नति के लिये स्थानीय स्वराज की व्यवस्था की गई है । यदि ज़िले का शासन प्रबन्ध कलेक्टर और तहसीलदारों को सौंप दिया जाय तो सरकार की शक्ति कमज़ोर नहीं हो सकती लेकिन जनता को इस बात का अवसर नहीं मिल सकता कि वह अपनी घरलू बातों को अपने आप देखे ।

राज्य की सीमा बड़ी होने से सरकार एक स्थान-से उसका प्रबन्ध अच्छी तरह नहीं कर सकती । हर समय सतर्क रहने के अतिरिक्त उसे व्यय भी अधिक करना पड़ेगा । इतने पर भी जनता तब तक सन्तुष्ट नहीं रह सकती जब तक उसे शासन सम्बन्धी कुछ अधिकार न दिये जायँ । अधिकारों के प्रयोग के लिये उसे एक ऐसा क्षेत्र मिलना चाहिये जिसमें वह उन्हें कार्यान्वित कर सके । उदाहरणतः डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोर्ड का प्रबन्ध जनता को इसीलिये दिया गया है कि वह इन्हें अपने अधिकारों का

क्षेत्र बनाये। साथ ही सरकार को भी कुछ आसानी हो। जिन कामों के लिये सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते, और सैकड़ों नौकर रखने पड़ते, उन्हीं कामों को इन बोर्डों के अन्दर लोग अपने शौक से करने के लिये तैयार रहते हैं। मुहल्लों तथा गाँवों की सफ़ाई रखना सरकार के लिये उतना जरूरी नहीं है जितना वहाँ के निवासियों के लिये। यदि लोग सफ़ाई के महत्व को समझ जायँ तो वे अपने आप गन्दगी से परहेज करने लगेंगे। सफ़ाई-इन्स्पेक्टर की कोई खास जरूरत न होगी। यदि लोग गन्दगी के दास हों तो सैकड़ों इन्स्पेक्टर उन्हें साफ़ नहीं रख सकते। स्थानीय स्वराज इसी आत्म-निर्भरता की शिक्षा देता है। दैनिक जीवन की आवश्यकतायें सबको मालूम हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में इतनी जिम्मेवारी आ जाये कि वे बिना किसी डर भय से उन्हें पूरा करने लगें। इस प्रकार के भाव तभी पैदा होंगे जब जनता को धीरे धीरे सभी राजनीतिक जिम्मेवारियों सौंप दी जायँ। जहाँ तक स्थानीय विषयों का सम्बन्ध है, यह बात निर्विवाद है कि जनता इनका प्रबन्ध अच्छी तरह कर सकती है। अपनी शिक्षा, सफ़ाई, दवा, तथा इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिये उसे पूरी आजादी मिलनी चाहिये। सरकार स्थानीय संस्थाओं को इतनी रकम दे कि वे अपने क्षेत्र को एक सुसंगठित राष्ट्र के मानिन्द बना सकें। यदि राज्य का कोना कोना इसी प्रकार के शासन के अन्तर्गत आ जाय तो सरकार की चिन्तायें बहुत कुछ दूर हो जायँ।

सरकार को सबसे बड़ी चिन्ता आन्तरिक व्यवस्था और वाह्य-आक्रमण की होती है। पहली चिन्ता को दूर करने के लिये उसे तरह तरह के क़ानून बनाने पड़ते हैं, कचहरियों की स्थापना करनी पड़ती है और अनेक कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं। वाह्य आक्रमण तो कभी कभी होते हैं, और इसके लिये उसका फ़ौजी विभाग काफ़ी होता है। किसी असाधारण परिस्थिति में जनता की मदद लेनी पड़ती है, परन्तु ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। राज्य की नींव आन्तरिक व्यवस्था पर क़ायम है। यह व्यवस्था तब तक नहीं की जा सकती जब तक जनता और सरकार दोनों का सहयोग प्राप्त न हो। कुछ कामों को सरकार अपने कर्मचारियों से कराये और इसके लिये वह प्रजा से टैक्स वसूल करे। लेकिन स्थानीय कामों को वह वहीं के निवासियों को सुपुर्द कर दे। इसके लिये जितने पैसे की जरूरत हो सरकार उतने की व्यवस्था करे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत कुछ काम बिना पैसे के ही हो सकता है। सरकार को इसके लिये बेगार कराने की आवश्यकता न होगी। लोग अपनी खुशी से इन कामों को करेंगे। मान लीजिये गाँवों के मामूली

भूगडों को फैसल करने के लिये पञ्चायतें बना दी जाती हैं। इसके अलावे पंचायत को गाँव की सफाई तथा पूरे प्रबन्ध की जिम्मेवारी सौंप दी जाती है। उसे उचित साधन भी प्रदान कर दिये जाते हैं। ऐसा करने से कचहरियों की आवश्यकता कम होगी। ५० प्रतिशत मुकदमों गाँवों में ही तै हो जाया करेंगे। वकील, मुक़्तार, मुहरिर तथा न्यायालयों के अन्य कर्मचारी को जो पैसे मिलते हैं वे जनता की ही जेब में रहेंगे। इससे बढ़ कर शासन की उपयोगिता हो ही क्या सकती है। इसी तरह की और भी जिम्मेवारियाँ स्थानीय संस्थाओं को सौंप कर सरकार आन्तरिक प्रबन्ध से बहुत कुछ निश्चिन्त रह सकती है।

स्थानीय स्वराज सुसंगठित राष्ट्र की पहचान है। जिस मात्रा में सरकार जनता का विश्वास करेगी उसी हद तक वह उसे शासन प्रबन्ध में आज्ञादी प्रदान करेगी। जो सरकार जनता की भलाई से उदासीन है वह शासन की उपयोगिता पर ध्यान नहीं दे सकती। स्थानीय स्वराज की स्थापना से सरकार का खर्च घटाया जा सकता है। कम से कम खर्च करके वह अधिक से अधिक लोकप्रिय बन सकती है। बहुत से टैक्स जो प्रजा से वसूल किये जाते माफ़ कर देने होंगे। एक पन्थ दो काज होगा। प्रजा का धन बचेगा और उसकी जिम्मेवारी बढ़ेगी। तीसरे, देश की आन्तरिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। जनता को इस बात का अवसर मिलेगा कि वह अपने विचारों का प्रदर्शन करे। शासन का भार संभालने से उसे अनेक प्रकार की ट्रेनिंग हासिल होगी। छोटी छोटी बातों से हटकर उसका ध्यान बड़ी बातों की ओर आकर्षित होगा। जनता के अन्दर आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन के भाव पैदा होंगे। तात्पर्य यह है कि जनता और सरकार के बीच में सहयोग की एक ऐसी दीवार खड़ी होगी जिससे अशान्ति और कुव्यवस्था का प्रश्न जाता रहेगा। स्थानीय स्वराज का क्षेत्र कम है ; लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक है। बड़ी से बड़ी बातों को जनता अपने सहयोग से सुलभता सकती है। स्थानीय संस्थाओं का जाल देश के कोने कोने में फैला हुआ है। सच्चे प्रजातन्त्रवाद की उन्नति तभी हो सकती है। जब सरकार के आन्तरिक प्रबन्ध इन्हीं संस्थाओं द्वारा कराये जायें। वह केवल इस बात की देख-रेख रखे कि ये आपस में मिल कर काम करती रहें। जब कभी इनमें मतभेद उत्पन्न हो जाय तो वह इसे दूर कर दे। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार का कार्य जनता की जिम्मेवारी के रूप में परिणत हो जायगा। सरकार स्वयं गौण हो जायगी। चारों ओर स्थानीय संस्थायें दिखाई पड़ेंगी।

स्थानीय स्वराज सरकार की परीक्षानियाँ कम करने के अतिरिक्त जनता

के अन्दर स्वाभिमान और लोक लज्जा का भाव पैदा करता है। हर काम में लोगों की यह आशा शिकायत रहती है कि यह और अच्छी तरह किया जा सकता है। जब वही काम उन्हें सुपुर्द कर दिया जाता है तो फिर उन्हें टीका-टिप्पणी का अवसर नहीं रह जाता। जनता को सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में रुचि दिलाने के लिये स्थानीय स्वराज निहायत ज़रूरी है। उदासीनता पतन की जड़ है। जहाँ की सरकार जनता की इस मनोवैज्ञानिक चित्तवृत्ति का ध्यान नहीं रखती, वह सदैव असफल रहती है। किसी क्षेत्र के निवासी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा-सभाओं से उतना सम्पर्क नहीं रखते जितना अपनी स्थानीय संस्थाओं से। स्थानीय बातों का प्रभाव उनके जीवन पर तत्काल पड़ता है। हर बात उनकी नज़रों के सामने रहती है। कोई किसी को धोका नहीं दे सकता। प्रत्येक ज़िले के निवासी आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक तथा व्यावहारिक सम्बन्ध के कारण आपस में मिले जुले रहते हैं। सबकी रहन सहन का पता चलता रहता है। सरकार उन बातों को सैकड़ों रुपये खर्च करके नहीं जान सकती, जिन्हें वहाँ के निवासी रोज देखते रहते हैं। अतएव न्याय की दृष्टि से भी स्थानीय स्वराज नितान्त आवश्यक है। किसी स्थानीय घटना का अध्ययन सरकार उतनी अच्छाई के साथ नहीं कर सकती, जैसे ग्राम पंचायतें अथवा ज़िला व म्युनिसिपल बोर्ड कर सकते हैं। सरकारी महकमों में कभी कभी घूसखोरी का ज़िक्र आता है। छोटी छोटी बातों में सरकारी कर्मचारी घूम लेकर बातों को इधर से उधर कर देते हैं। लेकिन ग्राम संस्थाओं के अधिकारों की वृद्धि करने से इस तरह की बुराइयाँ पैदा नहीं हो सकतीं। यदि किसी म्युनिसिपलिटी के अन्दर कोई सदस्य घूस लेकर काम करता है तो वह शीघ्र निन्दा का पात्र समझा जाता है, और उसे सार्वजनिक कामों में स्थान नहीं दिया जाता। दुश्चरित्र और अन्यायी व्यक्ति स्थानीय कार्यों के लिये आयोग्य समझे जाते हैं। सरकार उन्हें इतनी बारीकी से नहीं पहचान सकती जितनी जनता उन्हें पहचानती है। इसीलिये कहा जाता है कि सरकारी कामों को शुद्ध रखने का एकमात्र इलाज स्थानीय स्वराज है।

स्थानीय स्वराज एक ऐसा विषय है जिस पर कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस स्थानीय स्वराज शब्द का कुछ अर्थ नहीं है। जिस भाग को पूर्ण का तात्पर्य स्वतन्त्र कर दिया जाय उसे स्थानीय और प्रान्तीय कहने की क्या आवश्यकता है और यदि उसका सम्बन्ध ऊपर की शक्ति से है तो फिर उसे स्वराज कैसे कहा जाय। इसीलिये कहा जाता

है कि किसी स्थानीय संस्था को पूर्ण स्वराज नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऊपरी शक्ति उन स्थानीय बातों में हाथ न डाले जिन्हें स्थानीय संस्थायें करने की योग्यता रखती हैं। जो संस्था व संगठन जिस कार्य को अधिक कुशलता-पूर्वक कर सकता है उसे उसका शासन-प्रबन्ध मिलना चाहिये। इससे कार्य सुगम हो जाता है और जनता को अपनी बुद्धि लगाने का अवसर मिलता है। किसी देश में स्थानीय संस्थाओं का क्षेत्रफल निश्चित नहीं किया जा सकता। भौगोलिक परिस्थिति इसका फैसला करती है। फ्रांस में ३८००० के लगभग स्थानीय संस्थायें (Communes) हैं। जो स्थान म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को प्राप्त हैं वही इन्हें भी मिला हुआ है। सब का क्षेत्रफल अलग अलग है। कुछ संस्थाओं (Communes) का क्षेत्रफल केवल १० एकड़ है और कुछ ४०० वर्ग मील के घेरे में फैली हुई हैं। हमारे देश में भी इसी तरह का फ़रक दिखाई पड़ेगा। सभी शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड हैं। कुछ की आबादी लाखों में है और कुछ हजार तक ही सीमित हैं।

स्थानीय स्वराज की परिभाषा करते हुये एक राजनीतिज्ञ लिखता है, “स्थानीय स्वराज का तात्पर्य उस सरकार से है जिसके अन्दर सारी जनता को प्रतिनिधित्व द्वारा शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो।” यह परिभाषा बहुत ही व्यापक है। जब सभी स्थानीय विषयों में जनता को पूरी आज़ादी मिल जायगी तो पूर्ण स्वतन्त्रता इससे कोई अलग चीज़ नहीं रह जाती। स्थानीय स्वराज की दूसरी परिभाषा इस प्रकार की गई है, “कुछ विषयों में स्थानीय संस्थाओं को अपनी इच्छानुसार शासन करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। इस सीमित क्षेत्र के अन्दर जनता स्वयं अपना प्रबन्ध करती है। इसी का नाम स्थानीय स्वराज है।” वास्तव में स्थानीय स्वराज का तात्पर्य घरेलू स्वतन्त्रता से है। जैसे हर आदमी अपने घर में खाने, पीने, पहनने के लिये स्वतंत्र है, उसी तरह स्थानीय विषयों में भी उसे कुछ सुविधायें दे दी जाती हैं। जिस क्षेत्र में कुछ व्यक्ति निवास करते हैं वह उनका एक वृद्ध कुटुम्ब बन जाता है। वहाँ की छोटी छोटी बातों से वे अच्छी तरह परिचित रहते हैं। इसीलिये प्रजा की हितैषी सरकार उन्हें यह अधिकार दे देती है कि वे चन्द विषयों का प्रबन्ध अपने आप कर लें। केन्द्रीय सरकार भी उन्हें कर सकती है, परन्तु वह एक विदेशी मशीन की तरह करेगी। बहुत सम्भव है उस क्षेत्र के लोग उससे सर्वथा असन्तुष्ट रहें।

इससे भी बढ़कर स्थानीय स्वराज एक बहुत बड़े मज़सद को पूरा करता

है। जनता की यह प्रबल इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकार उसे प्राप्त हों। वर्तमान प्रजातन्त्रवाद के अन्दर चाहे जितनी भी कमजोरियाँ मौजूद हों, परन्तु इसका अन्तिम उद्देश्य यही है। लेकिन कोई भी सरकार प्रजा को वहीं तक जिम्मेवारी दे सकती है जहाँ तक वह इसे निवाहने की क्षमता रखती है। स्थानीय स्वराज इसकी पहली सीढ़ी है। इसी से प्रजा की जिम्मेवारी तथा कार्य-कुशलता की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति १० रुपये को अच्छी तरह खर्च कर सकता है उसे ५० रुपये खर्च करने का अवसर मिल सकता है, परन्तु जिसके अन्दर ४ पैसे सँभालने की ताकत नहीं है वह किसी बड़ी रकम की जिम्मेवारी कैसे ले सकता है। यदि वह चाहे तब भी उसे कोई नहीं दे सकता। इसी तरह जब स्थानीय विषयों का अधिकार जनता को दिया जाता है तो यह आशा की जाती है कि वह इन्हें अच्छी तरह चलायेगी। कुछ दिन व्यतीत होने पर इसके कार्य अपने आप जाहिर होने लगते हैं। जनता को स्वयं इस बात का पता चल जाता है कि शासन के कार्य में कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें दूर करने की कहाँ तक योग्यता उसके अन्दर मौजूद है।

स्थानीय स्वराज का तात्पर्य जनता को अधिक से अधिक संतुष्ट करना है। दूसरे लोग हमारी आवश्यकताओं को उतना नहीं समझ सकते जितना हम स्वयं समझते हैं। इसलिये यह अच्छा होगा कि हम अपने पड़ोसियों की सलाह से अपना प्रबन्ध स्वयं करें। घरेलू बातें छोटी होती हैं, लेकिन वे बड़ी बड़ी बातों से कम महत्व नहीं रखतीं। यदि किसी कुटुम्ब का संगठन बिगड़ जाय और सब लोग अलग अलग होकर मनमानी करने लगें तो सम्भव है अन्य कुटुम्बों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़े। गाँव के गाँव इस उदाहरण से बुरे बन सकते हैं। यह बात सरकार के वश से बाहर है कि जनता की इच्छा के विरुद्ध वह उसे बाँध कर रखे। इसीलिये स्थानीय संगठनों का महत्व किसी बड़े राजनीतिक संगठन से कम नहीं है। धारा-७भा के बर्लास्त हो जाने से, तथा किसी फ़रमान के जारी कर देने से हमारे जीवन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना घरेलू झगड़ों तथा स्थानीय घटनाओं से। हिन्दो-स्तान के प्राचीन सामाजिक अथवा राजनीतिक संगठन की ओर आँख उठाकर देखें तो पता चलेगा कि सभी बातें स्थानीय समझी जाती थीं। जब कभी कोई फैसला होता तो स्थानीय रसम-रवाज़ का ध्यान रक्खा जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। इसकी व्यवस्था आज दूसरे ढंग पर की गई है। यही वजह है कि न्याय और सच्चाई की अनेक व्यवस्था करने पर भी जनता असन्तुष्ट रहती है। स्थानीय जनता को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि

वह अपनी शिक्षा का उचित प्रबन्ध कर सके, अपनी सुविधा के अनुसार सड़कें बना सके, तथा अपनी उन्नति के लिये तरह तरह के कार्य कर सके। इन कामों में लगे रहने के कारण शासन में अधिक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा। राजा और प्रजा का भेद भाव नाम मात्र को बाकी रहेगा। स्थानीय स्वराज ही पंचायती राज कहलाता है। इस प्रकार की सरकार अधिक दृढ़ और स्थायी समझी जाती है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर बहुत सी बुराइयों मौजूद हैं। पिछले वर्षों में इनका इतिहास बड़ा ही हृदय स्थानीय स्वराज विदारक रहा है। १९३७ ई० में जब काँग्रेस ने प्रान्तीय में सुधार शासन को अपने हाथों में लिया तो उसका ध्यान इन बुराइयों की ओर आकर्षित हुआ। सुधार की अनेक योजनायें पेश की गईं। सबने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय संस्थाओं का संगठन बदलना चाहिये। मध्यप्रान्त के स्वायत्त शासन-विभाग के मन्त्री श्रीयुत् डी० पी० मिश्र ने जो योजना पेश की वह विचार करने योग्य है। खेद है कि काँग्रेस अभी उसे कार्यान्वित न कर सकी थी कि उसे इस्तीफा दे देना पड़ा। संयुक्तप्रान्त, बम्बई तथा अन्य प्रान्तों में भी सुधार की नई नई योजनायें पेश की गई थीं। सब में इस बात पर जोर दिया गया था कि जब तक स्थानीय संस्थाओं का रूप न बदल दिया जायगा तब तक जनता अपने अधिकार से लाभ नहीं उठा सकती। श्रीयुत् डी० पी० मिश्र लिखते हैं, “सारे हिन्दोस्तान में स्थानीय संस्थाओं की दशा अत्यन्त शोचनीय है। कुछ इने गिने दो चार बोर्डों को छोड़कर बाकी सब की आर्थिक दशा बड़ी ही डारवाडोल है। स्थानीय संस्थायें ताने की निशान बन गई हैं। व्यक्तिगत लड़ाई-भगड़े इनमें आमतौर से पाये जाते हैं। सदस्यगण जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के साथ ही साथ अपना अमूल्य समय व्यर्थ की बातों में खोते हैं। दलबन्धियों में पड़कर योग्य से योग्य कर्मचारी निकाल बाहर कर दिये जाते हैं। परिणाम यह है कि स्थानीय संस्थायें बड़ी ही ग़ौर जिम्मेवारी के साथ काम कर रही हैं।” काँग्रेस सरकार का विचार है कि स्थानीय बोर्डों में सम्मिलित निर्वाचन पद्धति जारी कर दी जाय, जिससे साम्प्रदायिक कटुता दूर हो।

संयुक्तप्रान्त में स्वायत्त शासन के सुधार के लिये जो कमीटी बनाई गई थी उसने वर्तमान संगठन पर शोक प्रकट किया। कमीटी की राय में ‘स्थानीय संस्थाओं की दशा, विशेषकर गाँवों और छोटे कस्बों में, बहुत ही निराशाजनक है। जो मशीन इन्हें चला रही है उससे जनता की सार्वजनिक उन्नति

नहीं हो सकती। इसके विपरीत लोगों की रहन-सहन में उन्नति करने के लिये यह सभी प्रकार से असफल रही है।" स्थानीय संस्थाओं ने जितनी लापरवाही और ग़ैर ज़िम्मेवारी से काम किया है उसका बुरा प्रभाव आम जनता पर साफ़ दिखाई पड़ता है। लोग कर्मचारियों के व्यवहार से अत्यन्त असन्तुष्ट हैं। किसी भी ज़िले में चेयरमैन तथा बोर्ड के मेम्बरों की हालत दरियाफ़ज़ की जाय तो पता चलेगा कि सभी लोग उनसे असन्तुष्ट हैं। जो संस्थायें जनता की अधिक भलाई के लिये बनाई गई थीं, और जिनके प्रबन्ध की पूरी शक्ति उन्हीं के हाथों में सौंप दी गई थी, उन्हीं के कारण आपस में बैर विरोध की वृद्धि हो, यह बात कुछ उलटी सी जान पड़ती है। कमीटी ने यहाँ तक कहा था कि "जिला और म्युनिस्पल बोर्ड की कार्रवाइयों में रत्ती भर भी दम नहीं है। दोनों ही अकर्मण्य तथा भगड़े के घर हैं।"

बम्बई में जो कमीटी इस कार्य के लिये बनाई गई थी, उसकी आवाज़ कुछ नम्र रही। उसने यह जाहिर किया कि संसार के सभी देशों में स्वायत्त शासन की दशा शोचनीय है। हिन्दोस्तान भी उसी लहर में बह रहा है। ऐसा एक भी देश दिखाई नहीं पड़ता जिसकी स्थानीय संस्थायें पाक साफ़ हों, और जिनकी कार्रवाइयों से जनता सन्तुष्ट हो। कमीटी का यह विचार है कि स्थानीय संस्थाओं में पैसे की कमी के कारण अनेक बुराइयाँ अपना घर कर गई हैं। यदि आज इनकी आर्थिक दशा ठीक कर दी जाय तो इनका कार्य सुचारु रूप से चलने लगेगा।

इन तमाम योजनाओं और कमीटियों के विचारों से यह साफ़ जाहिर है कि कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता नितान्त ज़रूरी है। इन सबका लुब्धे लवाब यह है कि :—

१—मौजूदा स्थानीय संस्थाओं की मशीन दोषपूर्ण है। इसका पुनर्संगठन होना चाहिये।

२—इन संस्थाओं के कर्मचारी अयोग्य और अनभिज्ञ हैं। इनकी उचित ट्रेनिंग होनी चाहिये।

३—इनकी आर्थिक सुधार होना चाहिये।

यदि ये तीनों बुहाइयाँ दूर कर दी जायँ तो स्वायत्त शासन अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या स्थानीय संस्थायें इस कमी को दूर करने की शक्ति रखती हैं? क्या उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने संगठन को जैसा चाहें बना लें? क्या अपने कर्मचारियों को नियुक्त

करने तथा निकालने के अधिकार उन्हें प्राप्त है? क्या वे अपनी आर्थिक परिस्थिति को ठीक करने के लिये मनमाना टैक्स लगा सकती हैं, अथवा कर्ज़ ले सकती हैं? ये प्रश्न जब तक हल न होंगे तब तक यह कहना अत्यन्त कठिन है कि स्थानीय स्वराज की मौजूदा बुराइयों के लिये दोषी कौन है। इन्हें जानने के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय संस्थाओं की ताकत और उनके अधिकार पर दृष्टि डाली जाय।

स्थानीय संस्थाओं के अधिकार सीमित हैं। वे अपनी परिस्थिति ठीक करने तथा अपने को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिये **स्वायत्त शासन** आज़ाद नहीं हैं। उन्हें कर्ज़ लेने का अधिकार नहीं **की सीमा** है। जहाँ तक संगठन की बात है, वे रत्ती भर भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकतीं। जनता की यह आम शिकायत रहती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा म्युनिसिपल बोर्ड उनके लिये स्कूल नहीं खोलते। हर गाँव को यह आशा रहती है कि वहाँ कोई न कोई स्कूल खोल दिया जाय। छोटे छोटे कस्बों के लिये बिजली और सीमेंट की सड़कें चाहिये। सड़कों के दोनों किनारों पर पेड़ होना जरूरी है। ये आशायें बुरी नहीं हैं, और जनता की माँग के लिये बहुत कुछ यथार्थ हैं। इससे पता चलता है कि वह अपने जीवन को उठाना चाहती है। अब वह दबू और अपने अधिकारों से अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि स्थानीय संस्थायें कहाँ तक इन माँगों को पूरा कर सकती हैं। जब तक हम उनकी शक्ति का अन्दाज़ न कर लें तब तक हम उन्हें दोषी नहीं ठहुरा सकते। काँग्रेस सरकारों ने इसे स्वीकार किया था कि इन संस्थाओं के अधिकार इतने कम हैं कि ये जनता की माँग को पूरा नहीं कर सकतीं। वर्तमान समय में जनता में जो असन्तोष इनकी ओर से फैले हुये हैं उन्हें दूर करने की शक्ति इनमें नहीं है। यही सोचकर काँग्रेस ने यह विचार प्रकट किया था कि स्थानीय प्रबन्ध की सारी बातें इन संस्थाओं को दे दी जायँ। जब तक ऐसा न होगा तब तक इनकी जिम्मेवारी बँटी रहेगी। और जिम्मेवार रह कर कोई संगठन अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता।

स्थानीय स्वराज का क्षेत्र अत्यन्त संकीर्ण है। शिक्षा, सफ़ाई और आवागमन इन तीनों बातों को छोड़कर उनके हाथ-पैर बँधे हुये हैं। परिदृष्ट मिश्र का कहना है कि जिस प्रकार प्रान्तों के विषय २१ विभागों में बाँटे गये हैं, उसी प्रकार प्रत्येक ज़िले का कार्य २१ विभागों में बाँट दिया जाय। जिले की एक काँसिल इन विभागों का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार की देख-रेख में करे। इससे कार्य में सुविधा होगी और संस्थायें अपनी जिम्मेवारी को अधिक

महसूस करेंगी। प्रान्तीय धारा-सभा स्थानीय संस्थाओं के लिये कोई कानून पास करने का कष्ट न करे। इन मामलों में वे अपना व्यर्थ का समय और रुपया बर्बाद न करें। स्थानीय कौंसिल (District Council) अपनी सुविधानुसार इन नियमों को बना लें। मंत्रिमंडल तथा धारा-सभा का जो स्थान प्रान्त में है वही जिले की कौंसिल, कार्यकारिणी कमीटी तथा इसके सभापति को हो। संयुक्तप्रान्त की कमीटी ने भी इस योजना की सराहना की थी। उसने इस बात की सिकारिश की थी कि यदि स्थानीय संस्थाओं को सफल बनाना है तो उनका संगठन प्रान्तीय सरकार के ढंग पर होना चाहिये। जिले की कौंसिल छोटे पैमाने पर उन तमाम कामों को करने के लिये आज्ञाद हो जो प्रान्तीय सरकार आज कर रही है।

१९१६ से लेकर १९३७ ई० तक स्थानीय संस्थाओं की असफलता पर दृष्टिपात करते हुये पंडित मिश्र लिखते हैं कि संस्थाओं की आजादी के बावजूद इन्हें चन्द बातों से इस कदर दूर रक्खा गया कि हर क्रम पर इन्हें सुँह की खानी पड़ी। ये संस्थायें किसी योग्य व्यक्ति की मातहतता में नहीं। प्रान्तीय सरकार का दोहरा शासन उन्हें इस बात का अवसर नहीं देता था कि वे अपने अन्दर से योग्य व्यक्तियों को खोज निकालें। जिले में इस प्रकार के विभाजन की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सिद्धान्त ग़लत है कि कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारी अपना हाथ रक्खें और बाक़ी जनता के हाथों में रहें। इस दो अमली हुकूमत से प्रजा की जो हानि हुई है उसका जीता जागता उदाहरण प्रजा के असन्तोष रूप में हमारे सामने मौजूद है। सारे अधिकार जिले की कौंसिल को हों। वही योग्य से योग्य कर्मचारियों को खोज कर अपना कार्य कराये।

स्थानीय स्वराज अभी तक पूर्ण नहीं है। नागरिक शिक्षा के अभाव के कारण स्थानीय जनता में उन बातों की कमी है जो शासन को चलाने के लिये आवश्यक हैं। यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोर्ड की कार्यवाहियों से लोग असन्तुष्ट रहते हैं। इनकी भीतरी कमजोरियों की बहुत कुछ जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है। उसका यह फ़र्ज है कि वह जनता को अधिक योग्य और कार्य-कुशल बनाये। स्थानीय संस्थाओं के सुधार के लिये चन्द बातें निहायत जरूरी हैं। पहली चीज तो यह है कि सरकार सबके लिये नागरिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध करे। छोटी कक्षा से ही नागरिकता की शिक्षा दी जाय। कोरे किताबी ज्ञान से भोले भाले बच्चे अच्छे नागरिक तथा योग्य शासक नहीं बन सकते। हर गाँव में अनेक प्रकार की पञ्चायतें स्थापित की जायँ। ग्राम के सभी तयुरबेकार और योग्य व्यक्तियों की एक

कौंसिल बनाई जाय। वही इन कमीटियों के कामों की देख-भाल करे और मुकदमों का फैसला करे। सरकारी कर्मचारी स्थानीय संस्थाओं की आज्ञा के बिना किसी कार्य में दखल न दे। यदि संस्थायें किसी काम में लापरवाही करें तो सरकार उन्हें चेतावनी दे सकती है। सरकार जैसे से इनकी पूरी मदद करे। हर ज़िले का शासन वहीं के निवासियों को सुपुर्द कर दिया जाय। थोड़े से सरकारी कर्मचारी उनकी देख-रेख के लिये रख दिये जायँ। जिन विषयों में सरकार कुछ सुधार करना चाहे उन्हें वह सलाह के रूप में स्थानीय संस्थाओं को दे सकती है। योग्य और विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को वह इस कार्य के लिये नियुक्त कर सकती है कि वे स्थानीय बातों की खोज करके शासन को अधिक सुविधा-जनक तथा सरल बनावें। स्थानीय संस्थायें सरकार के इस कार्य में काफ़ी मदद दे सकती हैं। इससे ग्राम-व्यवसायों तथा अनेक ऐसी बातों में उन्नति हो सकती है जिनकी ओर सरकार को ध्यान देने का अवसर नहीं मिलता। साथ ही इन संस्थाओं में सम्मिलित निर्वाचन पद्धति भी आवश्यक है।

स्थानीय स्वराज के लिये हिन्दोस्तान प्रसिद्ध है। बृटिश राज्य से पहिले हिन्दू और मुसलमान दोनों कालों में यहाँ पञ्चायती राज प्राचीन भारत की व्यवस्था थी। इसका विस्तृत वर्णन उन्नीसवें अध्याय और में किया गया है। ग्राम और शहर दोनों के लिये दो स्थानीय प्रकार की संस्थायें थीं। शहरों के प्रबन्ध के लिये कई स्वराज कमीटियाँ होती थीं। सबके ऊपर एक प्रधान कमीटी होती थी। महेन्जोदारो और हरप्पा नामक शहरों की खुदाई से पता चलता है कि शहरों का प्रबन्ध कितनी उत्तमता-पूर्वक किया जाता था। उनमें सफ़ाई, रोशनी, सड़कों आदि की व्यवस्था आजकल से अच्छी थी। शहर एक खास नक़्शे के अनुसार बसाये जाते थे। घरों की बनावट में इस बात का ध्यान रक्खा जाता था कि हर प्रकार की सुविधायें इनमें मौजूद हों। दूकानों की व्यवस्था एक नियम के अनुसार की जाती थी। एक प्रकार की चीज एक ही जगह विक्रि सकती थी। चारों ओर ऊँची और मज़बूत दीवारें थीं। पाटलिपुत्र के वर्णन में इस प्रकार की दीवारों का जिक्र किया गया है। शहर में प्रवेश करने के लिये एक या दो फाटक होते थे। इन पर पहरे की व्यवस्था रहती थी। रात में पहरेदार इनकी रखवाली करते थे। आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के न होते हुये भी यह व्यवस्था आजकल से कहीं अच्छी थी। शहर विभिन्न प्रकार के बगीचों

और वाटिकाओं से भरे होते थे। कोई आदमी बिना प्रयोजन शहरों में नहीं रह सकता था। हर नये यात्री का नाम और पूरा पता लिख लिया जाता था। शहरी लोगों का जीवन नियमित था। रात और दिन दोनों समय घंटे बजाये जाते थे। विशेष ख़तरे के समय एक खास घंटे से लोगों को इसकी सूचना दी जाती थी। चीजों का भाव ठीक करने के लिये अलग अलग कमीटियाँ होती थीं। सड़ी गली चीज़ें बेचने की सख्त सुमानियत थी। दूकानदार अपनी चीज़ें उचित भाव से महंगा नहीं बेच सकता था। हर शहर में एक केतवाल और कुछ सिपाही रहते थे। प्रबन्ध का सारा काम शहर के निवासियों के सुपुर्द किया गया था। आम तौर से शहर नदियों के किनारे हुआ करते थे। इससे व्यापार में सुविधा होती थी।

गाँवों के प्रबन्ध के लिये स्थानीय पञ्चायतें बनी हुई थीं। हर गाँव में एक बड़ी पञ्चायत होती थी। इसके नीचे कमीटियाँ होती थीं। इन्हीं का सब काम सुपुर्द किया गया था। प्रत्येक गाँव में एक बलक, एक मुखिया, दो पहरेदार, तथा तरह तरह के पेशे वाले रहते थे। सबको अपने अपने काम की जिम्मेवारी दी गई थी। गाँवों का जीवन सामूहिक था। नाई, धोबी, दर्जी, बड़ई, सुनार आदि पेशे वाले सबकी भलाई के लिये काम करते थे। ग्राम पञ्चायतें इनकी देख-रेख करती थी। प्रत्येक गाँव स्वावलम्बी और सुखी था। बादशाह तक को गाँव के मामलों में हाथ डालने की इजाजत न थी। सरकारी कर्मचारी ग्राम-पञ्चायतों की इज्जत करते थे। सरकारी महकमें में इन पञ्चायतों की बात बड़े गौर से सुनी जाती थी। पुलिस को यह अधिकार न था कि वह गाँव के किसी निवासी पर मुकदमें अथवा जुर्माना कर सके। जब तक ग्राम पञ्चायत आज्ञा न देती, तब तक गाँव के मामलों में किसी को दखल देने का अधिकार न था। उनके प्रबन्ध के लिये पंचायतों का घेरा नीचे से ऊपर तक फैला हुआ था। हर गाँव के अतिरिक्त १०, २०, ५०, १००, २००, ५००, तथा १००० गाँवों की अलग अलग पञ्चायतें थीं। जब कोई बड़ा मामला पेश होता तो सैकड़ों गाँवों की पञ्चायतों से राय ली जाती थी। राज्य परिवर्तन के समय भी इन पञ्चायतों का ढाँचा एक-सा बना रहता है।

ब्रिटिश राज्य के पहले हमारे देश में शासन की नीति भिन्न थी। शासक प्रजा के सन्तुष्ट और सुखी रखना चाहते थे। प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिये तरह तरह की व्यवस्थाएँ बनाई गई थीं। यह कहना ग़लत है कि आवागमन की सुविधा की कमी के कारण शासन की बागडोर

एकत्र नहीं की जा सकती थी। अशोक, शेरशाह और अकबर के शासन प्रबन्ध को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय आवागमन की सुविधायें कम थीं। हर गाँव की रिपोर्ट बादशाह के कान तक पहुँचाई जाती थी। यहाँ तक कि वे गाँव के मुखियों को पहचान सकते थे और किसी किसी का नाम तक याद रखते थे। शासन की देख-रेख के लिये सरकारी कर्मचारी घोड़े पर चढ़कर गाँवों का दौड़ा करते थे। उनका उद्देश्य आज कल की पुलिस की तरह गाँव वालों को डरवाना न था। वे चुपचाप मुखिया के दरवाजे पर जाते और गाँव की सारी बातें दरियाफ्त कर बादशाह को इसकी खबर देते थे। ग्राम निवासियों को यह पता भी नहीं चलता था कि पञ्जायतों से ऊपर उनका कोई दूसरा भी शासक है। बादशाहों को इस बात का अभिमान था कि उनकी प्रजा अपने आप अपना शासन-प्रबन्ध कर सकती है। परन्तु ब्रिटिश राज्य की नीति कुछ और है। इसके अन्दर प्रजा के अधिकार कम होते गये और स्थानीय संस्थायें नष्ट हो गईं। सारा दारोमदार इनेगिने सरकारी कर्मचारियों पर छोड़ दिया गया है। यदि एक मामूली सिपाही ज़िले के अफसर से कुछ फरियाद करे तो उसका मूख्य सारे गाँव वालों की फरियाद से अधिक समझा जाता है।

मुगल साम्राज्य के अन्दर स्थानीय स्वराज की महिमा कम न थी।

यह कहना गलत है कि अंग्रेज़ी राज के पहले वर्तमान स्थानीय स्थानीय संस्थायें दोषपूर्ण थीं। साइमन कमीशन ने संस्थाओं का अपनी रिपोर्ट में यह ज़ाहिर किया है कि “प्राचीन विकास ग्रामीण संस्थाओं की रचना संकुचित दृष्टिकोण से की गई थी। इनका कर्तव्य बहुत ही साधारण था और इनके अन्दर जातीयता की प्रधानता थी। इनका काम प्रजा से टैक्स वसूल करना, और जानमाल की रक्षा करना था। इससे नागरिक शिक्षा में कुछ भी सहायता नहीं मिलती थी और न शासन का ही भार हलका होता था।”

इस प्रकार के कथन में कोई दम नहीं है। प्राचीन स्थानीय संस्थाओं की प्रशंसा विदेशियों तक ने की है। जो संगठन हज़ारों वर्षों से चला आ रहा था, और जिसे तोड़ने की हिम्मत शेरशाह और अकबर ऐसे योग्य शासकों ने नहीं की, उसे संकुचित और बेकार कहना एक घोर अन्याय है। मैं यह मानता हूँ कि ब्रिटिश राज्य के अन्दर स्थानीय संस्थाओं का संगठन किसी और तरह का है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मौजूदा सभी चीज़ें पहले से

अच्छी हैं। राजनीतिक स्वतन्त्रता की आवाज़ आज काफ़ी तुलन्द है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ब्रिटिश राज्य के पहिले हिन्दोस्तान में गुलाम बसते थे और उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त न थे। इस तरह की धारणायें ग़लत हैं और जो लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से परिचित नहीं है उन्हें सभी चीज़ें ब्रिटिश राज्य की देन मालूम पड़ती हैं।

ऊपर कहा गया है कि ब्रिटिश राज्य की नीति कुछ और रही है। हर मामले में विदेशीयन की बू हमारे देश में मौजूद है। यह स्वाभाविक है कि “यथा राजा तथा प्रजा”। अँग्रेज़ों का आगमन समुद्री मार्गों से हुआ। व्यापार की सुविधा के लिये उनका ध्यान शहरों की ओर आकर्षित हुआ। १६८७ ई० में कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को यह आज्ञा दी कि वह मद्रास शहर में एक कारपोरेशन की स्थापना करे। इस कारपोरेशन के सभी सदस्य नामज़द किये गये थे। इसमें हिन्दोस्तानी और अँग्रेज़ दोनों थे। इसके बाद १७२६ ई० में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में मेयर्स कोर्ट की स्थापना की गई। इनका काम शासन प्रबन्ध करना न था, बल्कि न्याय करने के लिये इनकी रचना की गई थी। १७७२ ई० में रेग्युलेटिंग ऐक्ट के अनुसार स्थानीय अफ़सरों तथा संस्थाओं को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने आधीन हिस्सों से टैक्स वसूल कर सकते हैं। १७९२ ई० में गवर्नर-जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास में शान्ति जज (Justices of the Peace) की स्थापना करे। इनका काम शहर की सफ़ाई, सड़कों की रक्षा तथा इसी तरह की स्थानीय बातों की देख-रेख करना था।

१८५६ ई० में बम्बई की म्युनिसिपलिटि में कुछ तबदीलियाँ की गईं। १८६२ ई० में फिर इसमें कुछ परिवर्तन किये गये। पहिले के अनुसार शहर के प्रबन्ध का भार शान्ति जज और एक वैतनिक कमिश्नर को दिया गया था। परन्तु दूसरे ऐक्ट में दो निर्वाचित सभाओं को शासन का भार सौंप दिया गया। पहिली सभा में ६४ सदस्य थे। आधे जनता द्वारा निर्वाचित किये गये और बाक़ी शान्ति जज तथा सरकार ने नामज़द किया था। एक सभा का नाम कारपोरेशन और दूसरी का शहर कौंसिल (Town Coucil) था। इसमें कुल १२ सदस्य थे। इसमें ८ कारपोरेशन द्वारा चुने गये थे और बाक़ी को सरकार ने नामज़द किया था। म्युनिसिपल कमिश्नर के अधिकार पहिले की तरह बने रहे। आर्थिक विषयों में शहर कौंसिल प्रधान ठहराई गई थी। १८५० तथा १८५६ ई० में गवर्नर-जनरल की कौंसिल ने दो ऐसे कानून पास किये जिनका सम्बन्ध अन्य शहरों की

म्युनिसिपलिटियों से था। लार्ड मेयो के समय में स्थानीय संस्थाओं पर अधिक ध्यान दिया गया। उसका विचार था कि इन्हें अपना प्रबन्ध करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिये।

स्थानीय स्वराज की स्थापना लार्ड रिपन के समय से मानी जाती है। १८८२ ई० में उसके एक प्रस्ताव के फलस्वरूप म्युनिसिपलिटियों का ढाँचा और उनका कर्तव्य बदल दिया गया। उसने अपना उद्देश्य ज़ाहिर करते हुये यह कहा कि, “स्थानीय संस्थाओं का उद्देश्य जनता को राजनीतिक शिक्षा देना है। इससे योग्य व्यक्ति अपने आप आगे बढ़कर शासन में हाथ बँटायेंगे।” यहाँ तक तो म्युनिसिपलिटि की बात रही। रिपन का ध्यान ग्राम पञ्चायतों तथा जिला बोर्डों की तरफ भी गया। १८७० ई० तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थापना नहीं हुई थी। शहरों में म्युनिसिपलिटियाँ काम करती थीं, परन्तु गाँवों के प्रबन्ध की कोई स्थानीय व्यवस्था न की। पञ्चायतें तो थीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार उन्हें पुनः जीवित करने के पक्ष में न थी। उसका हर काम शहर से ही आरम्भ होता है। कमीठियाँ, दफ्तर, कचहरियाँ, स्कूल, लाइब्रेरी आदि सब कुछ शहर में ही होने चाहिये। यही वजह है कि गाँव की पंचायतें ब्रिटिश राज्य में टूटती गईं। १८७० ई० में लार्ड मेयो के समय में यह प्रस्ताव पास किया गया कि विभिन्न प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं को कुछ शासन प्रबन्ध के अधिकार दे दिये जायँ। आर्थिक क्षेत्र में उन्हें छोटे मोटे अधिकार दिये गये थे। परन्तु अभी तक इनका कोई ठीक रूप नहीं बना था। लार्ड रिपन के समय में सबका पुनर्संगठन किया गया। सारे हिन्दोस्थान में ज़िला बोर्डों की स्थापना की गई। समय समय पर नये नये क़ानून पास किये गये और इन बोर्डों की बनावट में सुधार होते गये।

ज़िला बोर्डों में ग़ैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्रमशः बढ़ती गई और इनके अधिकार और कर्तव्य भी धीरे धीरे बदलते गये। निर्वाचन की प्रथा चलाई गई। उन्हें आर्थिक मामलों की कुछ स्वतन्त्रता देकर स्वावलम्बी बनने का अवसर दिया गया। कुछ विभागों के टैक्स उन्हीं की मज़ी पर छोड़ दिये गये। उन्हें खर्च करने का अधिकार इन्हीं बोर्डों को दिया गया। प्रान्तीय सरकारों ने अपने अपने प्रान्तों में इनकी स्थापना और वृद्धि की। भारत सरकार इसमें हाथ नहीं डालती थी। इसीलिये विभिन्न प्रान्तों की स्थानीय संस्थाओं का स्वरूप अलग अलग दिखाई पड़ता है। उनके अधिकार और कर्तव्यों में भी फरक दिखाई पड़ते हैं। १९१६ ई० तक इतने क़ानून पास करने पर भी इन संस्थाओं का संगठन सन्तोष-जनक न था। १९०६ ई० में

इनकी जाँच के लिये एक कमीशन (Decentralization Commission) नियुक्त किया गया। उसकी रिपोर्ट में यह बात ज़ाहिर की गई कि स्थानीय संस्थाओं की शक्ति कम है और इन्हें अधिक स्वतन्त्र रखने की आवश्यकता है। भारतीय शासन का विकास इतना धीरे धीरे हुआ है कि छोटे छोटे अधिकारों को प्राप्त करने में जनता को वर्षों इन्तजार करना पड़ा है। जिला बोर्डों की हालत १९१६ ई० तक पहले की तरह बनी रही।

१९१८ ई० में भारत सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई जिसका उद्देश्य यह था कि ज़िला बोर्डों से सरकारी अफसरों का हाथ हटा दिया जाय। अब तक ज़िले का कलेक्टर बोर्ड का सभापति होता था और हर मामले में जनता को दबना पड़ता था। टैक्स लगाने तथा सफ़ाई रखने में भी सरकारी कर्मचारियों की मर्जी पर निर्भर रहना पड़ता था। कहने के लिये जिला बोर्ड की स्थापना की गई थी, लेकिन हर मामले में सरकारी कर्मचारियों की बातें माननी पड़ती थीं। उनकी मर्जी के खिलाफ चलने का साहस जनता को नहीं होता था। १९१८ ई० के सुधार में इस बात की सिफारिश की गई कि बोर्डों का कुछ अधिकार प्रदान किये जायँ। निर्वाचकों की संख्या बढ़ा दी जाय और सरकारी अफसरों की घौंस दूर कर दी जाय। अब तक बोर्डों के चेयरमैन सरकार द्वारा नामजद किये जाते थे, (जो आमतौर से कलेक्टर होता था) लेकिन अब यह सिफारिश की गई कि बोर्ड के सदस्य स्वयं इन्हें निर्वाचित करें। इसी के फलस्वरूप १९१९ ई० के शासन सुधार में स्वायत्त शासन का विभाग प्रान्तीय सरकार की मातहत में एक मन्त्री को सौंप दिया गया। कलेक्टर का हाथ बोर्ड के कामों से हटा दिया गया।

प्रान्तीय सरकारें स्वायत्त शासन में अधिक रुचि लेने लगीं। जब से यह विभाग भारतीय मन्त्रियों को सौंप दिया गया तब से इसकी उन्नति बराबर होती गई है। १९२२ ई० में संयुक्त प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल पास किया गया। इसके अनुसार बोर्डों का टैक्स लगाने की अधिक शक्ति प्रदान की गई। पैजाब प्रान्त में ग्राम पंचायत या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम किये गये। बिहार तथा उड़ीसा में भी इसी तरह के सुधार किये गये। मध्यप्रान्त, आसाम, बंगाल, बम्बई आदि प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं में अनेक सुधार हुये।

अध्याय १७

स्थानीय संस्थाएँ

स्थानीय संस्थाये' दो प्रकार की हैं। कुछ तो शहरों के लिये और कुछ ग्रामों के लिये। चूँकि दोनों की समस्याये' और भौगोलिक स्थानीय परिस्थिति भिन्न भिन्न है इसलिये इनके संगठन, कार्य तथा संस्थाये' दृष्टिकोण में भी भेद है। ग्रामों में कार्य करने वाली संस्थाओं का नाम सभी सूबों में एकसा नहीं है। बृटिश प्रान्तों में हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्थापित किये गये हैं, परन्तु आसाम में इसका नाम तालुका बोर्ड है। संयुक्तप्रान्त में ग्रामों के लिये दो प्रकार की स्थानीय संस्थाये' बनाई गई हैं :—

१—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और

२—ग्राम पंचायतें

इसी प्रकार शहरों के प्रबन्ध के लिये ४ प्रकार की स्थानीय संस्थाये' हैं :—

१—कारपोरेशन

२—ग्युनिसिपैलिटी

३—इम्प्रूभमेंट ट्रस्ट और

४—पोर्ट ट्रस्ट

जहाँ तक इन संस्थाओं की संख्या का प्रश्न है इनमें किसी प्रकार के उलट फेर की ज़रूरत नहीं है और न गाँवों तथा शहरों में दस बीस अन्य संस्थाओं की आवश्यकता है। यदि इन्हीं ६ संस्थाओं का संगठन और इनके कार्य ठीक हो जायँ तो स्थानीय जनता को इनसे काफ़ी भलाई हो सकती है। अभी तक इन संस्थाओं में अनेक कमज़ोरियाँ हैं। जब तक हम इन्हें दूर न करेंगे तब तक इनके महत्व को समझना कठिन है। हमारे ही भाई और पड़ोसी इनमें काम करते हैं। वे हमारी समस्याओं से भली भाँति परिचित हैं। उनकी और हमारी दोनों की समस्याये' एक हैं। फिर भी उनसे हमें लाभ नहीं पहुँचता। इसका कोई न कोई कारण ज़रूर है। व्यक्तियों को हम दोषी इसलिये नहीं ठहरा सकते कि बारी बारी से सबको इनमें काम करने

के अन्वसर मिलते हैं। यदि दो चार व्यक्ति जुरे हुये तो यह सम्भव हो सकता है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन संस्थाओं में आते ही लोगों की दृष्टि बदल जाती है। सबसे बड़ी कमजोरी मशीन की होती है। जैसा संगठन होगा वैसा ही कार्य-पद्धति होगी। इन संस्थाओं के संगठन में कुछ ऐसे सुधार होने चाहिये जिससे इनमें आने वाले व्यक्तियों को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने का अन्वसर मिले। आरम्भ में इनमें काम करने वाले कर्मचारी सरकार द्वारा नामज़द किये जाते थे। उनका काम प्रान्तीय सरकार के हुकमों की तामील करना था। परन्तु अब यह जुराई दूर कर दी गई है। लगभग सभी सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक संस्था का अलग-अलग वर्णन करने से इनके संगठन और कार्य-पद्धति की ठोक ठीक जानकारी हो सकती है। पहले ग्राम संस्थाओं पर विचार किया जायगा।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की स्थापना १८७० ई० के बाद हुई है। पहले गाँवों का शासन पञ्चायतों द्वारा होता था। शासन की बागडोर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को एकत्र करने के लिये, हर ज़िले में गाँवों के प्रबन्ध के की स्थापना लिये एक संस्था बनाई गई। इसी का नाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है। बोर्ड शब्द से तीन बोर्डों का आभास होता है। किसी भी संगठन का नाम बोर्ड रक्खा जा सकता है, परन्तु यहाँ पर ज़िले में जो बोर्ड स्थापित किये गये हैं वे तीन प्रकार के हैं :—

१.—प्रत्येक ज़िले में गाँवों का प्रबन्ध करने वाली सबसे बड़ी संस्था जिला बोर्ड कहलाती है। जिला बोर्ड को मध्यप्रान्त में जिला-ज़िला बोर्ड या कौंसिल कहते हैं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

२—इसे सब-डिवीजनल बोर्ड भी कहते हैं। इसका दर्जा जिला बोर्ड से छोटा होता है। ताल्लुका बोर्ड सभी प्रान्तों में नहीं पाये ताल्लुका बोर्ड जाते हैं। ५० या १०० गाँवों के संगठन से इनकी उत्पत्ति होती है।

३—प्रत्येक गाँव अथवा दो चार गाँवों के देख-रेख के लिये लोकल बोर्ड बनाये जाते हैं। वास्तव में इन्हें ग्राम पञ्चायत कहा लोकल बोर्ड जाय तो कोई ग़लती न होगी।

संयुक्तप्रान्त में जिला बोर्ड और ग्राम पञ्चायतें पाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा संगठन गाँवों के शासन-प्रबन्ध के लिये नहीं बनाया गया है। हिन्दोस्तान गाँवों का देश कहा जाता है। लगभग ७ लाख गाँव आ० भा० शा० — ३१

ब्रिटिश भारत में पाये जाते हैं। ६० प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में निवास करते हैं। केवल नौकरी पेशे वाले तथा व्यापारी शहरों में रहते हैं। यदि पता लगाया जाय तो उनका भी स्थान थोड़े दिन पहले किसी न किसी गाँव में मिलेगा। हमारे देशवासियों का मुख्य पेशा खेती है। ७३ प्रतिशत जनता खेती करके अपना गुज़र करती है। खेती की सुविधा गाँवों में ही है, क्योंकि खेत शहरों में, नहीं लाये जा सकते। शहरों में तो रहने तक को ज़मीन नहीं मिलती खेती करना तो दूर रहा। इसीलिये लोगों को गाँवों में रहना पड़ता है। कोई भी भारतीय सरकार गाँवों की अवहेलना नहीं कर सकती। उसकी आमदनी का मुख्य ज़रिया मालगुज़ारी है। किसानों की ही आय पर सरकार का खर्च निर्भर है। इन्हीं की देख-रेख तथा भलाई के लिये ज़िला बोर्डों की स्थापना की गई है।

ब्रिटिश भारत में कुल २०७ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है। इनमें ४८ केवल संयुक्तप्रान्त में हैं। संयुक्तप्रान्त को छोड़ कर कुछ प्रान्तों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नीचे ताल्लुका बोर्ड स्थापित किये गये का संगठन हैं। इनकी संख्या ५८४ है। मद्रास प्रान्त में इन दोनों बोर्डों के अलावे यूनियन बोर्ड बनाये गये हैं, जिनकी संख्या ४५५ है। जिला बोर्ड स्थापित करने का अधिकार प्रान्तीय सरकार को है। बिना उसकी आज्ञा के कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपना काम बन्द नहीं कर सकता।

१९१६ ई० के शासन सुधार में स्वायत्त शासन (Local Self-Government) का महकमा प्रान्तीय सरकार के एक भारतीय मन्त्री को दे दिया गया। तब से इसके संगठन में और भी सुधार होते गये। वर्तमान समय में इसका संगठन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। प्रान्तीय स्वराज के स्थापित होने से जिला बोर्ड में नामजदगी का तरीका दूर कर दिया गया है। केवल ११ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल किये जाते हैं। शहरों को छोड़कर प्रत्येक जिला कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है। हर क्षेत्र से दो या तीन सदस्य चुन लिये जाते हैं। इस प्रकार ४० या ४५ के लगभग जो चुने हुए सदस्य आते हैं उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य कहते हैं। इन्हीं की कमीटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहलाती है। सदस्य अपने में से किसी को बोर्ड का सभापति चुन लेते हैं जिसे चेयरमैन कहते हैं। यदि वे चाहें तो जिले के किसी अन्य प्रतिष्ठित तथा योग्य व्यक्ति को चेयरमैन चुन सकते हैं। चेयरमैन के अतिरिक्त एक सहायक चेयरमैन भी चुना जाता है। वे अविश्वास का प्रस्ताव पास करके इन्हें अपने पद से हटा सकते हैं। ज़िला बोर्ड का चुनाव ३ वर्ष के लिये होता है, परन्तु प्रान्तीय

सरकार इसकी अवधि को बढ़ा सकती है। वर्तमान समय में प्रान्तीय स्वराज की विफलता तथा युद्ध के कारण बोर्डों की अवधि बढ़ा दी गई है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों का चुनाव साम्प्रदायिकता के आधार पर किया जाता है। हिन्दू और मुसलमानों के लिये निर्वाचकों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। संयुक्तप्रान्त, आसाम तथा बम्बई में मुसलमान सदस्यों के लिये कुछ स्थान निश्चित कर दिये गये हैं। इन्हें चुनने का अधिकार केवल मुसलमान निर्वाचकों को है। किसी हिन्दू के लिये इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। अन्य प्रान्तों में उनके निर्वाचकों की संख्या अलग नहीं है। केवल सदस्यों के लिये कुछ स्थान निश्चित कर दिये गये हैं कि इतने हिन्दू और इतने मुसलमान होंगे। बम्बई प्रान्त में मुसलमान निर्वाचकों का यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे चाहें तो सम्मिलित रूप से सदस्यों का निर्वाचन कर सकते हैं। स्त्रियों, अछूतों तथा मुसलमानों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। साम्प्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रथा सर्वथा दूषित है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गाँवों के प्रबन्ध के लिये बनाये गये हैं। अभी तक गाँवों में साम्प्रदायिक भावनाएँ नहीं हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों आपस में मिलकर रहते हैं। उन्हें यह खयाल नहीं होता कि ये क्योंकर आपस में लड़ सकते हैं। यह समस्या केवल शहरी है। गाँवों में तो हिन्दू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के त्योंहारों में शरीक होते हैं और सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। ऐसी दशा में साम्प्रदायिक निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चा और ईमानदार मनुष्य चाहे वह हिन्दू हो अथवा मुसलमान, सबके बहुमत से चुना जा सकता है। कितने ही हिन्दुओं के गाँवों के मुखिये मुसलमान हैं और मुसलमानों के गाँवों के हिन्दू हैं। किसी को इसमें इतराज नहीं होता।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपना सब काम कमीटियों द्वारा करता है। जब बोर्ड की पहली बैठक होती है तो विभिन्न कार्यों के लिये अलग अलग कमीटियाँ बना दी जाती हैं। हर कमीटी में ३ या ४ सदस्य रख दिये जाते हैं। बोर्ड के सभी सदस्य बैठकर कमीटियों का निर्माण करते हैं। हर कमीटी अपना एक सभापति रखती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सड़क, पानी इत्यादि इत्यादि कमीटियाँ होती हैं। इन सबमें शिक्षा कमीटी बड़ी समझी जाती है। इसका सभापति शिक्षा विभाग का चेयरमैन कहलाता है। जिले भर के अपर तथा मिडिल स्कूल इसी की देखरेख में कार्य करते हैं। प्रतिवर्ष कितने ही नये नये स्कूल और सैकड़ों अध्यापक इसकी मर्जी से खोले तथा भर्ती किये जाते हैं। इसीलिये शिक्षा विभाग का चेयरमैन जिले के कामों में बहुत बड़ा हाथ रखता है। यदि यह योग्य और अनुभवी हो तो अपने जिले की काफ़ी उन्नति कर

सकता है। इसी तरह हर विभाग की देखरेख के लिये एक कमीटी होती है। चेयरमैन इन सबका प्रधान होता है। बोर्ड के सदस्यों की बैठक महीने में एक बार होती है। आवश्यकता पड़ने पर यह किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

प्रत्येक बोर्ड का एक मन्त्री होता है। वास्तव में सब कामों की देखरेख यही करता है। बोर्ड के कर्मचारी इसकी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इसका स्थान वैतनिक होता है। इसके अतिरिक्त एक इंजीनियर, एक डाक्टर और एक स्वास्थ्य निरीक्षक इत्यादि कर्मचारी बोर्ड द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। बोर्ड के दफ्तर में अनेक क्लर्क और चपरासी भी भर्ती किये जाते हैं। चेयरमैन और सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी वैतनिक होते हैं। जिले में दौड़ा करने के लिये इन्हें वेतन के अतिरिक्त भत्ते भी दिये जाते हैं। यद्यपि चेयरमैन को वेतन नहीं दिया जाता फिर भी दौड़े के समय इसे प्रति मील के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। जो भी व्यक्ति इस पद पर आते हैं उनकी इच्छा धन की नहीं होती है। केवल पद के लोभ से अथवा काम करने की इच्छा से लोग चेयरमैन बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके चुनाव के समय बोर्ड में काफ़ी चहल पहल रहती है। कभी कभी तो इसके लिये भगड़े फ़साद तक हो जाया करते हैं। दलबन्धियों का होना तो एक साधारण सी बात है। वास्तव में इन पदों पर पहुँच कर योग्य व्यक्ति ज़िले की काफ़ी सेवा कर सकते हैं, परन्तु कुछ लोग इससे अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से वहाँ जाते हैं। उनका उद्देश्य अपने मिश्रों अथवा सम्बन्धियों को नौकरी तथा ठेकेदारी दिलाना होता है। हर साल बोर्ड में लाखों रुपये के ठीके दिये जाते हैं। इनमें काफ़ी मुनाफ़े और बचत की गुंजाइश रहती है। यद्यपि बोर्ड का यह नियम है कि कोई सदस्य स्वयं ठीका नहीं ले सकता, फिर भी दूसरों के नाम पर लोग इससे अनुचित लाभ उठाते हैं। चेयरमैन को अपने पद की रक्षा के लिये सदस्यों को खुश रखना पड़ता है। इन्हीं कारणों से बोर्डों के काम बड़ी ग़ैर ज़िम्मेवारी से किये जाते हैं। कभी कभी तो प्रान्तीय सरकार को इन्हें सचेत करना पड़ता है। फिर भी यदि कोई सुधार न हुआ तो वह इसे जिले के कलेक्टर की मातहत में दे देती है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य बनने के लिये हर उम्मीदवार को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। उसके लिये अपने निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक होना आवश्यक है। कुछ ऐसी भी शर्तें रखी गई हैं जिनसे कुछ व्यक्ति अयोग्य ठहराये गये हैं। बोर्ड के सदस्यों के लिए निम्नलिखित शर्तें ठहराई गई हैं:—

१—प्रत्येक निर्वाचक के लिये बृटिश प्रजा का होना आवश्यक है।

- २—उसकी आयु कम से कम २१ वर्ष होनी चाहिये ।
- ३—उसे अपने जिले का स्थायी निवासी होना चाहिये ।
- ४—वह कम से कम २५ रुपये का मालगुजार हो । या
- ५—५० रुपये का काश्तकार हो । या
- ६—जो सरकार को इनकम टैक्स देता हो । या
- ७—जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को टैक्स देता हो । या
- ८—जो हिन्दी या उर्दू की मिडिल परीक्षा अथवा अंग्रेजी की इन्ट्रेंस परीक्षा पास हो ।

आमतौर से सदस्यों के लिये जो निषेध बनाये गये हैं वे निर्वाचकों पर भी लागू होते हैं । पागल और दिवालिये इसके चुनाव में वोट नहीं दे सकते । जो पिछले साल का जिले का टैक्स न दिया हो वह वोट नहीं दे सकता । जिन्हें ६ महीने से अधिक की सजा मिली हो अथवा देश निकाल दिया गया हो वे वोट नहीं दे सकते । जिन्हें नम्बर १० के जुर्म में अपराधी ठहराया गया है वे वोट नहीं दे सकते । प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार है कि वह इन प्रतिबन्धों को हटा कर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्रदान कर सके । निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त बोर्ड में कुछ विशेष वर्गों के लोग नामजद भी किये जाते हैं । काँग्रेस सरकार चुनाव के मामले में अनेक परिवर्तन करना चाहती थी । उसका यह विचार था कि जिले की जनता जैसे बोर्ड के सदस्यों को चुनती है वैसे ही वह चेयरमैन को भी चुने । इसी प्रकार के अन्य सुधारों पर विचार हो रहा था । इसीलिये बोर्डों का चुनाव कुछ समय के लिये रोक दिया गया था । परन्तु मन्त्रियों के इस्तीफा दे देने के कारण वे सारे सुधार जहाँ के तहाँ पड़े रह गये ।

कोई संस्था अपने कार्य में तभी सफल हो सकती है जब उसके पास काफ़ी पैसे हों । खास कर वह संस्था जिसे सभी काम पैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से करने हैं, गुरीब रह कर जनता की सेवा नहीं कर सकती।
की आय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़िम्मेवारी का क्षेत्र बहुत बड़ा है ।
और व्यय ज़िले में रहने वाले सभी प्रकार के लोगों की उन्नति की उसे ध्यान रखना पड़ता है । सबके स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रबन्ध करना पड़ता है । ऐसी दशा में बोर्ड के पास एक लम्बी आय होनी चाहिये । वर्तमान समय में इसकी आय के निम्नलिखित ज़रिये हैं :—

१—सरकारी इमदाद—प्रान्तीय सरकार जितना रुपया भूमिकर के रूप में ज़िले से वसूल करती है उस पर फी रुपया एक आना के हिसाब से यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे देती है । मालगुजारी के साथ ही यह रकम वसूल कर

ली जाती है और बाद में सरकार इसे बोर्ड के पास भेज देती है। संयुक्तप्रान्त के ज़िला बोर्ड अपनी आमदनी का ४६.५८ भाग सरकारी सहायता से पाते हैं।

२—कभी कभी प्रान्तीय सरकार किसी विशेष योजना को कार्यान्वित करने के लिये ज़िला बोर्डों को कुछ रकम दे दिया करती है। इस तरह की सहायता स्थायी नहीं होती।

३—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ज़िले के ज़मींदारों अथवा काश्तकारों पर कर लगा सकते हैं। कुछ निश्चित रकम से ऊपर जिनकी आय होती है उनसे बोर्ड सालाना कुछ टैक्स वसूल करती है।

४—देहात के बाजारों तथा नुमायशों पर कुछ टैक्स लगाया जाता है।

५—देहातों में चलने वाली सवारियों पर टैक्स लगाये जाते हैं। मोटर गाड़ी, इक्का तथा अन्य सवारियों पर कुछ निश्चित दर से टैक्स लगा दिया जाता है।

६—नदी, तालाब, घाट आदि की आमदनी बोर्ड की आय समझी जाती है।

७—ज़िले भर के स्कूलों से जो फ़ीस आती है वह बोर्ड की आमदनी समझी जाती है।

८—सड़कों के किनारे जो पेड़ होते हैं उनसे जो आमदनी होती है वह बोर्ड की आय समझी जाती है।

९—इन आमदनियों के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़िले से कुछ और भी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करती है। हर सूबे में तथा हर ज़िले में इस प्रकार के ज़रिये भिन्न भिन्न होते हैं।

इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को अपने आधे खर्च के लिये प्रान्तीय सरकार पर निर्भर करना पड़ता है और बाक़ी के लिये ज़िले की ग्रामीण जनता पर। प्रकृति भी इन बोर्डों की आमदनी में काफ़ी सहायक हो सकती है। यदि ज़िले में बहुत सी नदियाँ, तालाब अथवा जंगल हैं तो इनसे उसकी आमदनी बढ़ सकती है। बृटिश भारत में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या २२ करोड़ से कुछ अधिक है। परन्तु इन बोर्डों की कुल वार्षिक आमदनी केवल १७ करोड़ रुपये हैं। अर्थात् ज़िला बोर्ड को प्रत्येक व्यक्ति लगभग १३ आना पैसे प्रति वर्ष देता है। खर्च को देखते हुये यह आमदनी बहुत थोड़ी है। वैसे तो लोगों ने बोर्ड की आमदनी बढ़ाने के लिये तरह तरह के ज़रिये सोचा है, लेकिन हर मामले में जनता की ज़ेब ख़ाली

करना ठीक नहीं है। कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों पर टैक्स लगाकर बोर्ड की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह सिद्धान्त गलत है। गाँवों में रहने वाले किसान और मज़दूरों की हालत आज ऐसी नहीं है कि अप्रत्यक्ष टैक्स लगाकर उनसे कुछ और लिया जाय। अच्छा होगा कि प्रान्तीय सरकार ज़िला बोर्डों का एक आना फ़ी रुपया भूमिकर न देकर दो आना फ़ी रुपया देवे। इससे बोर्डों की आय लगभग ड्योढ़ी हो जायेगी। इसके अलावे जब ज़िला बोर्ड सभी प्रकार की सवारियों पर टैक्स लगाती है तो रेलवे पर भी एक लम्बी रकम टैक्स के रूप में लगाई जा सकती है। जिस ज़िले में जितनी कम या বেশ रेलें हैं। उसी हिसाब से बोर्ड रेलवे कम्पनियों से टैक्स वसूल करे। प्रान्तीय सरकार को रेलवे बोर्ड से इस रकम को दिलाने का प्रयत्न करना चाहिये। बोर्डों की आमदनी का तीसरा ज़रिया यह हो सकता है कि ज़िले में कुछ औद्योगिक कार्यों की वृद्धि की जाय। गाँवों में व्यवसाय फ़ी कमी है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तरह तरह के व्यवसाय खोलें और उनसे यथा उचित टैक्स वसूल करें। इन ज़रियों के अलावे बार बार किसानों और मज़दूरों की जेब टटोलना इस विकट ग़रीबी में एक बहुत बड़ा अन्याय है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को निम्नलिखित स्वर्चें बर्दाश्त करने पड़ते हैं :—

१—ज़िले में लोअर कक्षा से लेकर मिडिल स्कूल तक का स्वर्च।

२—कृषि की उन्नति के लिये पानी का प्रबन्ध करना पड़ता है। इसके लिये कुयें और तालाब बनवाने पड़ते हैं।

३—बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है।

४—स्वास्थ्य तथा बीमारियों के लिये अस्पतालों और डाक्टरों का प्रबन्ध करना पड़ता है।

५—सफ़ाई की देखरेख के लिये अफ़सर नियुक्त करने पड़ते हैं, तथा नुमायशों और मेलों का विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है।

६—ज़िले में सड़कें बनवानी पड़ती हैं और उनके किनारे पेड़ तथा फल-फूल लगवाने पड़ते हैं।

७—अकाल तथा महामारी के अवसरों पर विशेष रूप से स्वर्च का प्रबन्ध करना पड़ता है।

८—इनके अतिरिक्त व्यवसाय आदि की उन्नति के लिये कुछ रुपये स्वर्च करने पड़ते हैं।

स्थानीय संस्थाओं के कर्तव्यों का वर्णन करते हुये प्रो० कन्हैया लालजी वर्मा लिखते हैं “ स्थानीय स्वराज की संस्थायें तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तरह के काम करती हैं। उन सबका अलग अलग के कर्तव्य हाल लिखने के लिये बहुत ज्यादा जगह की जरूरत है। अतएव सुविधा के लिये हम उनका वर्णन निम्नलिखित ४ समूहों में करेंगे :—

- (१) सार्वजनिक स्वास्थ्य के काम ;
- (२) सार्वजनिक सुभीते के काम ;
- (३) सार्वजनिक रक्षा के काम ; और
- (४) सार्वजनिक शिक्षा के काम ।

प्रोफ़ेसर वर्मा के इस कार्य विभाजन से मैं सर्वथा सहमत हूँ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्तव्यों की कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती। कारण यह है कि जो संस्था जनता की सेवा के लिये बनाई गई है उसके कर्तव्य गिने नहीं जा सकते। यह बात बोर्ड की शक्ति और कार्य-कुशलता पर निर्भर है कि वह कहाँ तक अपने ज़िले को उन्नति कर सकता है। यदि कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चाहे तो अपने उद्योग से ज़िले की अनेक प्रकार से उन्नति कर सकता है। भौगोलिक परिस्थिति तथा आर्थिक प्रबन्ध के अनुसार इसके कर्तव्य भिन्न भिन्न हैं। अध्ययन की सुविधा के लिये इसके कर्तव्यों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं। एक तो आवश्यक और दूसरे अनावश्यक। पहिली कोटि में वे कर्तव्य हैं जिन्हें करने के लिये प्रत्येक ज़िला बोर्ड बाध्य है। यदि इनके करने की क्षमता उसमें नहीं है तो उसकी स्थिति क्रायम नहीं रह सकती। प्रान्तीय सरकार को विवश होकर उसका प्रबन्ध अपने हाथों में लेना होगा। दूसरे प्रकार के कर्तव्य वे हैं जिनका करना और न करना बोर्ड की इच्छा पर है। यदि वह इन्हें करता है तो उससे ज़िले की अच्छी उन्नति हो सकती है। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अनावश्यक कर्तव्यों में से अधिक से अधिक करने की कोशिश करते हैं। कारण यह है कि ‘ अनावश्यक कर्तव्य ’ का तात्पर्य यह नहीं है कि वे ग़ैर-ज़रूरी हैं और उन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पहले आवश्यक कर्तव्यों की ओर ध्यान दिया जाय और फिर अनावश्यक कर्तव्यों की तरफ़। पहिले प्रकार के कर्तव्यों को ठुकरा कर कोई बोर्ड दूसरे प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकता।

आवश्यक कर्तव्यों को निम्नलिखित ६ भागों में बाँट सकते हैं :—

(१) आवागमन के साधनों को बनाना । अर्थात् ज़िले में सड़कों की व्यवस्था करना ।

(२) अस्पताल, औषधालय, बाज़ार, धर्मशाला, तथा अन्य सामाजिक जगहों को बनाना और इन्हें चलाने की व्यवस्था करना ।

(३) सार्वजनिक कुयें, तालाब तथा अन्य स्थानों की मरम्मत करना ।

(४) अपर तथा मिडिल कक्षा तक शिक्षा दिलाना ।

(५) स्वास्थ्य, सफ़ाई तथा बीमारियों के टीके दिलवाना ।

(६) सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना और इनकी देख-रेख करना ।

इन आवश्यक कर्तव्यों के अतिरिक्त बोर्ड की कुछ और भी कार्य लोक प्रियता के निमित्त करने पड़ते हैं । उसके पास यदि पैसे हैं और उसके कर्मचारी इन्हें करने की क्षमता रखते हैं तो वह इन्हें किये बग़ैर नहीं रह सकता । बोर्ड के सभी सदस्य अवैतनिक होते हैं । चेयरमैन को छोड़कर उन्हें किसी प्रकार का भत्ता भी नहीं मिलता । इसलिये बोर्ड में आने का उनका यही मन्तव्य होता है कि जनता की अधिक से अधिक भलाई करें । यह स्वाभाविक है कि सार्वजनिक कार्य सबको आकर्षित करते हैं । थोड़ी भी गुंजाइश हुई तो सदस्य अनावश्यक कार्यों में से किसी को भी अपनाने में अपना गौरव समझते हैं । अनावश्यक कार्यों की सीमा अनन्त है । केवल समझने की सुविधा के लिये हम उन्हें ४ कोटि में रख सकते हैं । परन्तु इनके अतिरिक्त भी बहुत से कार्य जिले की भलाई के लिये किये जा सकते हैं । अनावश्यक कर्तव्यों की ४ कोटियाँ :—

१—अकाल तथा महामारी के समय जनता की सेवा करना । प्रत्येक बोर्ड अपनी शक्ति के अनुसार इस कार्य को कर सकता है । स्थानीय संस्था के नाते वह अपने पड़ोसों को भूखे, नंगे तथा बीमार नहीं देख सकता ।

२—यदि किसी ज़िले में बिजली और सड़कों का अच्छा प्रबन्ध है तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ट्रेमगाड़ी, टेलीफोन, छोटी मोटी रेलवे तथा रेडियो आदि का प्रबन्ध कर सकता है ।

३—बोर्ड चाहे तो अपने ज़िले में अच्छे प्रकार के अन्न के बीज, जानवर, षोड़े तथा तरह तरह की उन्नति के कार्य कर सकता है । कृषि की उन्नति के लिये वह देहातों में खेती की नुमायश लगवा सकता है । किसानों की भलाई के लिये वह नमूने की खेती का प्रबन्ध कर सकता है ।

४—जनता के सुत्र और उसकी उन्नति के लिये वह अन्य कार्यों के अपने हाथों में ले सकता है ।

कर्तव्यों के इस विभाजन में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सभी कार्य आ जाते हैं ।

अपने को लोकप्रिय बनाने के लिये यह जितने कर्तव्यों को चाहे कर सकता है। इसी अध्याय के अन्त में इस बात पर थोड़ा विचार किया गया है कि कहाँ तक मौजूदा बोर्ड इन्हें कर रहे हैं और क्या कारण है कि ये अभी तक लोकप्रिय नहीं हैं। इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिये अच्छे कर्मचारियों तथा एक लम्बी आय की आवश्यकता है। मौजूदा बोर्डों में इन दोनों की कमी है। प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय सरकार के कानों में जो बातें देर से पहुँच सकती हैं उन्हें तुरन्त करने का अवसर इन्हीं बोर्डों के कर्मचारियों को मिलता है। हर समय जनता के घनिष्ठ सम्पर्क में रहने के कारण कोई भी अपनी तकलीफों को इसके सामने पेश कर सकता है। थोड़ी भी असावधानी हुई कि बोर्ड को इसकी इत्तला पहुँचा दी जाती है। इसलिये बोर्डों को जनता के सन्तोष के लिये बहुत ही सतर्क और तत्पर रहना पड़ता है। सरकार का जो विभाग जनता के जितने ही निकट होता है वह उतना ही बदनाम होता है, परन्तु साथ ही उसे यह भी अवसर रहता है कि वह जनता का सबसे अधिक प्रीति-भाजन बन सके। इसके लिये उसे साफ़ दिल और नेकनीयत रहना पड़ता है।

ग्राम की स्थानीय संस्थाओं में दूसरा दर्जा ग्राम पंचायतों का है। इनका महत्व ज़िला बोर्ड से कम नहीं है। भारतीय इतिहास ग्राम पंचायतों में इन पंचायतों का वर्णन काफी किया गया है। यदि इस देश की प्राचीन राजनीति को ग्रामीण कहा जाय तो कोई अनुचित न होगा। कारण यह है कि ग्राम पंचायतों पर ही हिन्दू और मुसलमान बादशाह अपने शासन के लिये निर्भर थे। जो स्थान आज ज़िला बोर्ड को प्राप्त है उससे कहीं बड़ा स्थान पंचायतों को किसी समय प्राप्त था। ब्रिटिश राज्य में इनका महत्व कम हो जाने से हम अपनी पुरानी राजनीति को नहीं भूल सकते। वर्तमान धारा-सभाओं की चहल-पहल तथा दफ़्तरों की बढ़ती की चकाचौंध में प्राचीन ग्राम पंचायतें हमारी नज़रों से ओझल नहीं हो सकतीं। केवल चुनाव और मताधिकार को देखकर हम एकता और समानता के सच्चे अर्थ को नहीं भूल सकते। जिस समय इन ग्राम पंचायतों का बोलबाला था, और शासन की बागडोर सीधे जनता के हाथ में दी गई थी, उस समय मौजूदा राजनीतिक विकारों का कहीं पता भी न था। प्रजातन्त्रसाद के नाम पर आज साम्राज्यशाही की स्थापना की जाती है और अधिकार का बहाना लेकर जनता की बची खुची हस्ती पर भी आघात किया जाता है, परन्तु पंचायती राज्य में इस तरह के ढोंग की गुंजाइश न थी। प्रजा अपनी इच्छानुसार अपना शासन करती थी।

प्रत्येक गाँव एक छोटे से राष्ट्र के मानिन्द था। वहीं के निवासी अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कठिनाइयों को सुलभता से। देश की सरकार इनसे अलग न थी। राजा हर तरह से इनकी सहायता करते थे। जिस प्रजातन्त्रवाद की खोज में पाश्चात्य प्रदेश निवासी आज सदियों से दीवाने हो रहे हैं उसकी स्थापना हमारे देश में आज हज़ारों वर्ष पहले हो चुकी है। हमारी कमज़ोरी से यदि वे संस्थायें आज नष्ट हो गई हैं तो हम फिर उन्हें स्थापित कर सकते हैं। ये ग्राम पंचायत क्या हैं और इनके क्या क्या कर्तव्य हैं, इसका पूरा वर्णन अगले अध्याय में किया गया है।

शहरी शहरों के प्रबन्ध के लिये चार स्थानीय संस्थायें बनाई स्थानीय संस्थायें गई हैं :—

कारपोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और पोर्ट ट्रस्ट। कुछ शहरों में कारपोरेशन स्थापित किये गये हैं ; कहीं पर म्युनिसिपल बोर्ड हैं ; कुछ शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट दोनों हैं। लेकिन कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ इम्प्रूवमेंट हो किन्तु म्युनिसिपल बोर्ड न हो। म्युनिसिपल बोर्ड और कारपोरेशन के अलावे कुछ बड़े बड़े व्यापारी शहरों में पोर्ट ट्रस्ट बनाये गये हैं। पोर्ट ट्रस्ट आमतौर से उन्हीं शहरों में बनाये जाते हैं जो समुद्र के किनारे हैं और जहाँ विदेशों से माल आते जाते हैं। इन चारों प्रकार की संस्थाओं की स्थापना शहर की समस्याओं को हल करने के लिये की गई है। इसलिये इनके संगठन और कर्तव्यों की चर्चा करने के पहले हम शहरी जीवन की ओर थोड़ा दृष्टिपात करें। तभी हमें यह बात समझ में आ सकती है कि कहाँ तक ये संस्थायें अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं।

हिन्दोस्तान की अधिकतर जनता गाँवों में रहती है। कुछ थोड़े से लोग नौकरी तथा व्यापार के लिये शहरों में निवास करते शहरों की वृद्धि हैं। संसार के अन्य देशों में ऐसी बात नहीं है। केवल और उनकी चीन एक ऐसा देश है जहाँ की ८० प्रतिशत जनता समस्याएँ खेती का काम करती है। बाक़ी मुल्क व्यापारी हैं।

उनका काम विदेशों के लिये चीज़ें बनाना है। यदि वे ऐसा न करें तो भूखों मर जायँ। उनके यहाँ खेती के लिये ज़मीन नहीं है। सर्दी और पहाड़ी प्रान्त होने के कारण वहाँ खेती नहीं हो सकती। इसीलिये वे मुल्क नवीन वैज्ञानिक साधनों का सहारा लेकर तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं और उन्हीं को बेच कर अपना गुज़र करते हैं। यही वजह है कि उन्हें विवश होकर बिजली तथा अन्य साधनों के लिये शहरों में ही

रहना पड़ता है। फ्रांस में लगभग ५० प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। इंग्लैंड की ८० प्रतिशत जनता शहरों में निवास करती है। इसी तरह अन्य योरपीय देशों तथा अमेरिका में अधिक से अधिक आदमी शहरों में निवास करते हैं। परन्तु हिन्दोस्तान में ऐसी बात नहीं है। यहाँ केवल ११ प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। बाक़ी ८९ प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती है। बम्बई प्रान्त में शहरी आबादी हिन्दोस्तान में सबसे अधिक है। २२.६ प्रतिशत जनता शहरों में रहती है। बिहार व उड़ीसा प्रान्त में शहरी जन-संख्या सबसे कम है। वहाँ केवल १.७ प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। निम्नलिखित त्वाके से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी कि वृष्टिभ भारत में शहरी आबादी कितनी कम है :—

प्रान्त	प्रतिशत शहरों की जन संख्या	प्रतिशत गाँवों की जन-संख्या
बम्बई	... २२.६	... ७७.४
मदरास	... ११.८	... ८८.२
पंजाब	... ११.८	... ८८.२
संयुक्त प्रान्त	... १०.२	... ८९.२
मध्य प्रदेश	... ८.५	... ९१.५
बंगाल	... ६.५	... ९३.५
आसाम	... ३.४	... ९६.६
बिहार व उड़ीसा	... १.७	... ९८.३

हिन्दोस्तान में केवल ७ ऐसे बड़े शहर हैं जिनकी आबादी ४ लाख से ऊपर है। ३९ शहरों की आबादी १ लाख से अधिक है। कलकत्ते की आबादी हिन्दोस्तान के सभी शहरों से बड़ी है। इसकी आबादी २१ लाख के लगभग है। यह संसार के ७ बड़े शहरों में माना जाता है। लंदन में लगभग ८५ लाख आदमी रहते हैं। न्यूयार्क शहर की आबादी ८२ लाख से कुछ ऊपर है। संसार के तीसरे बड़े शहर टोकियो की आबादी ६९ लाख ३० हजार है। बर्लिन की जनसंख्या ५३ लाख १२ हजार है। पेरिस की जनसंख्या २८ लाख ७७ हजार है। मास्को में २८ लाख आदमी रहते हैं। इन शहरों की जनसंख्या को देखते हुये यह साफ़ ज़ाहिर है कि हिन्दोस्तान के शहर इनके सामने मामूली गाँव से हैं। फिर भी शहरों की समस्या हर जगह एक है। कहीं बड़े पैमाने पर और कहीं छोटे पैमाने पर निवासियों की रक्षा और उनकी सफ़ाई आदि का प्रबन्ध सबको करना पड़ता है। जहाँ थोड़ी सी जगह में बहुत से लोग निवास करते हैं, और सभी व्यक्ति व्यापार से ही अपना

गुजर करना चाहते हैं, उनकी सफ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा। पिछले बीस वर्षों से प्रत्येक देश की आबादी बढ़ती गई है। सबके सामने यह बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये भोजन तथा रहने की उचित व्यवस्था क्या हो। कुछ समय पहिले जापान ने एक १० वर्ष की योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य यह था कि १० वर्ष के अन्दर प्रत्येक कुटुम्ब में कम से कम ५ बच्चे ज़रूर हो जाने चाहिये। जहाँ संसार के मुक्त अपनी आबादी को घटाने की चिन्ता में हैं, वहाँ जापान की यह नीति कुछ समझ में नहीं आती। हमारे देश की भी जन संख्या काफ़ी बढ़ रही है। १९२१ ई० में हम ३३ करोड़ के लगभग थे; परन्तु १९३१ में ३६ करोड़ के लगभग तथा गत १९४१ की गणना में हम ४० करोड़ के लगभग पहुँच गये।

जब किसी देश की आबादी बढ़ती है तो गाँव और शहर दोनों पर एकसा प्रभाव पड़ता है। गाँव में खेतों की सीमा निश्चित है। जब आबादी बढ़ेगी तो यह स्वाभाविक है कि हर किसान को जोतने की ज़मीन कम मिलेगी। इससे गरीबी और बेकारी फैलेगी। आज भी किसानों के सामने यह समस्या मौजूद है। हर किसान के पास हिन्दोस्तान में अनुपात के हिसाब से एक एकड़ भी ज़मीन नहीं है। फिर भी हमें इससे घबड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब कि जापान की १ करोड़ ७० लाख एकड़ ज़मीन ५ करोड़ ६० लाख आदमियों को भोजन और वस्त्र दे रही है तो हमारे देश को क्या चिन्ता है। शहर की आबादी पर इसका गहरा असर पड़ा है। मौजूदा समय में शहरों की संख्या हमारे देश में बढ़ रही है। इसके कई कारण हैं। व्यापार और व्यवसाय की वृद्धि से अधिकतर लोग शहरों में रहते हैं। गाँवों में बेकारी और गरीबी के कारण लोग शहरों में चले आते हैं। वहीं नौकरी अथवा तिजारत करके अपना गुज़र करते हैं। शिक्षा तथा शासन-प्रबन्ध की सभी संस्थायें शहरों में स्थापित की गई हैं। उदाहरण के लिये इलाहाबाद ज़िले को ले लीजिये। समूचे ज़िले में ५ हाई स्कूल और एक या दो छोटे मोटे कारख़ाने होंगे। परन्तु अकेले इलाहाबाद शहर में २२ हाई स्कूल, ६ कालेज और एक यूनीवर्सिटी है। इनके अतिरिक्त कचहरियों और कारख़ानों की तो कोई बात ही नहीं है। सभी तरह की सुविधायें शहरों में बनाई गई हैं। ब्रिटिश सरकार गाँवों से उदासीन रही है। उसकी नीति शहरी है। इसीलिये गाँवों की ओर कम ध्यान दिया गया है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि लोग शहरों का ही आश्रय लें। इस समय शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। रेल आदि के चलने से नये नये

व्यापारी शहर बढ़ते जा रहे हैं। इनके प्रबन्ध के लिये सरकार को चिन्ता करनी पड़ती है।

शहरों में अनेक समस्याये हैं। लाखों की तादाद में जहाँ एक ही जगह लोग रहते हैं वहाँ तरह तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे पहले तो उनके रहने के लिये उचित घर चाहिये। अगर वे गन्दे मकानों तथा गन्दी गलियों में रहते हैं तो नाना प्रकार की बीमारियाँ फैलेंगी। इसके बाद इक्के, गाड़ी, मोटर आदि के लिये अच्छी अच्छी सड़के चाहिये। यदि सड़के धूल से भरी हुई हों तो यात्रियों को अनेक असुविधाये होंगी। गाँवों में तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी काम चल जाता है, क्योंकि न तो वहाँ मोटरे चलती हैं और न तिजारती सामानों का आयात और निर्यात होता है, लेकिन शहरों में तो २४ घंटे इक्के, ताँगे, मोटर, ठेले आदि इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। रोशनी और हवा के लिये ख़ास तौर से प्रबन्ध करना पड़ता है। यदि रोशनी न हो तो रात में डंके पड़ सकते हैं। शहर की दूकानों में हजारों लाखों रुपये के सामान बन्द रहते हैं। इसकी रक्षा के लिये प्रकाश का पूरा प्रबन्ध करना पड़ता है। हवा न मिलने से तरह तरह के रोग फैलेंगे। लोगों का स्वास्थ्य ख़राब होगा। इसलिये चौड़ी सड़कों और पार्क आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। लोगों की रक्षा के लिये पुलिस आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है। इतनी बड़ी आबादी के लिये कुये से पानी देना मुश्किल है। यदि किसी कुये का पानी ख़राब हुआ और पाने वालों में बीमारी फैली तो सारा शहर उसका शिकार बनेगा। इसलिये साफ़ और स्वास्थ्य-वर्धक जल की व्यवस्था निहायत ज़रूरी है। दूकानों के प्रबन्ध के लिये कुछ नियम उपनियम जब तक न बनाये जायँ तब तक सफ़ाई और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं की जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि सड़ीगली चीज़ें न बिकने पाये और एक प्रकार की दूकानें एक ही कतार में हों।

कुछ दिनों से हिन्दोस्तान में साम्प्रदायिक भगड़े ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। यह समस्या देहातों में उतनी नहीं है जितनी शहरों में। शहरों में कभी कभी त्यौहार अथवा उत्सव पर दंगे फ़साद हो जाने का डर रहता है। शहर की दूकानें हफ्तों बन्द हो जाती हैं, जगह जगह पर आग लगा दी जाती है, एक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय वालों पर नाना प्रकार से प्रहार करते हैं, लोगों को अपने घरों से निकलने की मनाही कर दी जाती है, इत्यादि इत्यादि कठिनाइयाँ शहर निवासियों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। शहरों में अपराध की संख्या अधिक होती है। धनी और ग़रीब में ज़मीन आसमान

का अन्तर होता है। एक ओर टूटी फूटी भोंपड़ियाँ होती हैं, लोग जानवर की तरह ठेले खींच कर और सड़के कूट कर अपना गुज़र करते हैं, लेकिन दूसरी ओर आलीशान इमारतें होती हैं, और लोग आराम से ज़िन्दगी बसर करते हैं। धनी वर्ग की मनोवृत्ति अधिक रुपये कमाने की होती है। अपने स्वार्थ के लिये ग़ज़त बातों का प्रचार किया जाता है। इसलिये मज़दूरों और धनियों की समस्यायें भी शहरों में कम नहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ग़रीबों और अनाथों का उचित प्रबन्ध हो और व्यापारी बेजा तरीक़े पर रुपये न कमायें। इन्हीं समस्याओं के अन्तर्गत शहरों की कुछ और भी छोटी मोटी समस्यायें हैं। इन्हें सुलभाये बिना नागरिक सुख और शान्ति से नहीं रह सकते।

इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिये कलकत्ता, कराँची, बम्बई और मदरास शहरों में कारपोरेशन की स्थापना की गई है। हिन्दोस्तान में कुल ४ कारपोरेशन और ७=१ म्युनिसिपल बोर्ड हैं। संयुक्त प्रान्त में म्युनिसिपलिटियों की संख्या २५ है। हिन्दोस्तान की म्युनिसिपलिटियों के अन्दर कुल २ करोड़ १० लाख आदमी रहते हैं। छोटे छोटे क़स्बों में टाउन एरिया की स्थापना की गई है। छोटे पैमाने पर ये भी वही काम करती हैं जो म्युनिसिपल बोर्ड करते हैं। कुछ बड़े शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड के अलावे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी स्थापित किये गये हैं। कलकत्ता, बम्बई, मदरास, रंगून, कराँची, चटगाँव तथा अदन में इस प्रकार के पोर्ट ट्रस्ट हैं। ये संस्थायें अपनी अपनी सीमा के अन्दर शहरों का प्रबन्ध करती हैं। यद्यपि इनके प्रयत्न से शहर की सारी समस्यायें हल नहीं हो जातीं फिर भी यदि ये अपना काम बन्द कर दें तो शहर की जनता एक दिन भी नहीं रह सकती। ६ मार्च सन् १९४१ ई० को इलाहाबाद में बिजली घर में आग लग गई। पानी और रोशनी दोनों लगभग २४ घंटे के लिये बन्द हो गये थे। मालूम पड़ता था मानों लोग पागल से हो रहे हैं।

कलकत्ता, बम्बई, मदरास और कराँची में कारपोरेशन स्थापित किये गये हैं। इन शहरों में म्युनिसिपलिटियाँ नहीं हैं। कारपोरेशन का र्पोरेशन एक प्रकार की म्युनिसिपल बोर्ड है। इसके काम वे ही हैं जो म्युनिसिपलिटि के। चूँकि बड़े शहरों के प्रबन्ध के लिये एक प्रभावशाली अथवा मज़बूत संगठन की ज़रूरत है, इसलिये वहाँ कारपोरेशन बनाये गये हैं। किसी एक कारपोरेशन के संगठन से यह बात साफ़ हो जायेगी कि इनका संगठन कैसे किया गया है। बड़ी कारपोरेशनों का सूक्ष्म वर्णन कर दिया जायगा। जहाँ तक इनके कर्तव्यों का सवाल है, यह बात म्युनिसिपल बोर्ड के कर्तव्य से स्पष्ट हो जायेगी। शहर

चाहे छोटे हों अथवा बड़े, सबकी समस्या एक सी है। कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी के कर्तव्य में कोई भेद नहीं है। इनके अधिकारों में थोड़ा बहुत फ़रक ज़रूर है।

कलकत्ता की आबादी २१ लाख के लगभग है। इसके प्रबन्ध के लिये यहीं के निवासियों की एक बोर्ड बनाई गई है। जिसका नाम कारपोरेशन है। कलकत्ता कारपोरेशन में कुल ६२ सदस्य हैं, जिनमें ७७ जनता द्वारा चुने गये हैं और १० को बंगाल की सरकार ने नामज़द किया है। इन ८७ सदस्यों को कौंसिलर कहते हैं। ये ८७ सदस्य एक साथ बैठकर ५ अन्य अनुभवी आदमियों को चुनते हैं। इस प्रकार ६२ सदस्य शहर का सारा प्रबन्ध करते हैं। सभी सदस्य ३ साल के लिये चुने अथवा नामज़द किये जाते हैं। कारपोरेशन के सदस्य अपना सभापति और उपसभापति स्वयं चुनते हैं। ये दोनों पदाधिकारी इसके सदस्यों में से चुने जाते हैं। इनका चुनाव प्रतिवर्ष होता है। सभापति तथा उपसभापति का नाम मेयर और डिप्टी मेयर है। इन पदाधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाता। कारपोरेशन सारे कामों की देख-रेख रखने तथा चलाने के लिये एक वैतनिक पदाधिकारी नियुक्त करता है। जिसे एक्ज़ीक्यूटिव अफ़सर कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक इंजीनियर, एक स्वास्थ्य अफ़सर, एक मन्त्री और एक सहायक एक्ज़ीक्यूटिव अफ़सर होते हैं। इन सबको कारपोरेशन स्वयं नियुक्त करता है, परन्तु प्रान्तीय सरकार से इनकी मंजूरी लेनी पड़ती है। प्रतिवर्ष वह अपने सदस्यों की १० कमेटियों द्वारा अपना कार्य करता है।

कारपोरेशन के सदस्यों का चुनाव उसी प्रकार होता है जैसे म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरो का। वोट देने का अधिकार अधिक से अधिक लोगों को दिया गया है। कहा जाता है कि 'ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर दूसरे दर्जे के शहर कलकत्ते में स्वराज की स्थापना की गई है।' जो कुछ भी हो अभी तक शहर के सभी बालिग व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मतदाताओं के लिये टैक्स, आय, तथा शिक्षा की शर्त लगाई गई है। मद्रास में केवल ५ प्रतिशत निवासियों को वोट देने का अधिकार है। बम्बई शहर में १० प्रतिशत नगर निवासी वोट दे सकते हैं।

कलकत्ता कारपोरेशन की आय २ करोड़ रुपये सालाना से कुछ अधिक है। यह आय विभिन्न मदों से होती है। इसके पहिले मेयर देश बन्धु चित्तरंजन दास थे। तब से बराबर यह संस्था राष्ट्रीय दल वालों के हाथ में रही है। अन्य कार्यों के अतिरिक्त शिक्षा में इसने अद्वितीय उन्नति दिखलाई

हे। आज वहाँ २५० प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें ३०,००० विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

इस कारपोरेशन की स्थापना सन् १८८८ ई० में की गई थी। इसमें कुल ११७ सदस्य हैं। इनमें ११८ प्रजा द्वारा चुने जाते हैं और बाक़ी ३ सदस्यों को सरकार नामजद करती है। वम्बई कारपोरेशन वम्बई पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन, वम्बई का पुलिस कमिश्नर और प्रेसीडेन्सी डिवीज़न का एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर इसके नामजद सदस्यों में होते हैं। सम्मिलित निर्वाचन पद्धति के अनुसार सदस्यों का चुनाव होता है। किसी सम्प्रदाय के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं रक्खा गया है। जो आदमी ५ रुपये महीने मकान का किराया देता है वह मताधिकारी समझा जाता है। १९४२ ई० से सभी बालिग आदमियों को मताधिकार दे दिया। कारपोरेशन की अवधि ४ वर्ष रक्खी गई है। सदस्य स्वयं अपना समापति (Mayor) चुनते हैं। इसका चुनाव प्रति वर्ष होता है। एक प्रचलित प्रथा के अनुसार इसका चुनाव प्रति वर्ष क्रमशः हिन्दू, मुसलमान, पारसी तथा अँग्रेज़ जाति के अनुसार क्रिया जाता है। इसके सदस्य कौंसिलर कहलाते हैं।

कारपोरेशन का एक्ज़ीक्यूटिव अफ़सर म्युनिसिपल कमिश्नर कहलाता है। वम्बई की सरकार स्वयं इसे ३ वर्ष के लिये नियुक्त करती है। यह आमतौर से इन्डियन सिविल सर्विस का सदस्य होता है। कारपोरेशन के कामों की देख रेख के लिये यह आवश्यक है कि एक निष्पक्ष और प्रभावशाली व्यक्ति इसके ऊपर हो। परन्तु यह भी ठीक नहीं है कि सरकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में कारपोरेशन की पूरी ज़िम्मेवारी दे दे। इससे नगर निवासियों का अधिकार जाता रहेगा। इसीलिये म्युनिसिपल कमिश्नर को कारपोरेशन के मातहत रक्खा गया है। यद्यपि इस अफ़सर की नियुक्ति प्रान्तीय सरकार द्वारा की जाती है, परन्तु कारपोरेशन के ७६ सदस्य एक राय होकर उसे अपने पद से हटा सकते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर की सहायता के लिये दो सहायक कमिश्नर नियुक्त किये जाते हैं। कारपोरेशन स्वयं इन्हें नियुक्त करता है। परन्तु प्रान्तीय सरकार से इनकी मजूरी लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त कारपोरेशन के अन्य कर्मचारी स्वयं कारपोरेशन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह ५०० रुपये मासिक तक के कर्मचारियों को स्वयं नियुक्त करे। कारपोरेशन का सालाना आय-व्यय वहीं तैयार करता है। वम्बई कारपोरेशन की सालाना आमदनी ३ करोड़ रुपये से कुछ अधिक है। म्युनिसिपल कमिश्नर और कारपोरेशन के बीच में

२६ सदस्यों की एक कमीटी बना दी जाती है। कारपोरेशन के सदस्य अपने ही में से इन्हें चुनते हैं। इस कमीटी के आधे सदस्य हर साल बर्खास्त कर दिये जाते हैं और उनकी जगह नये सदस्य चुन लिये जाते हैं। वास्तव में कारपोरेशन के कामों की जाँच पड़ताल तथा कमिश्नर के कामों की निगरानी यही कमीटी करती है। सोलह सोलह सदस्यों की दो और कमीटियाँ होती हैं। इनका नाम इम्प्रूवमेंट कमीटी और स्कूल कमीटी है। इन कमीटियों की नियुक्ति कारपोरेशन स्वयं करता है। इसके अतिरिक्त अन्य कमीटियाँ भी इसी के द्वारा बनाई जाती हैं।

मद्रास कारपोरेशन में कुल ६५ सदस्य हैं जिन्हें कौंसिलर कहते हैं।

इनमें २६ सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, एक प्रान्तीय

मद्रास सरकार द्वारा नामज़द किया जाता है, और बाकी ५ कारपोरेशन सदस्यों को कारपोरेशन के उपर्युक्त सदस्य को आष्ट करते हैं। अर्थात् शहर के अनुभवशील व्यक्तियों में से किन्हीं

५ को कारपोरेशन का सदस्य चुन लेते हैं। कोआष्ट किये गये सदस्यों में एक स्त्री भी रहती है। कारपोरेशन के सदस्य स्वयं अपना सभापति चुनते हैं। चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव अफ़सर म्युनिसिपल कमिश्नर कहलाता है। बम्बई कारपोरेशन के कमिश्नर की तरह इसकी नियुक्ति प्रान्तीय सरकार करती है। यह इन्डियन सिविल सर्विस का सदस्य होता है। अन्य पदाधिकारी कारपोरेशन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इसकी सालाना आमदनी ६७ लाख रुपये हैं।

कारपोरेशन और म्युनिसिपल बोर्ड के कामों में कोई अन्तर नहीं है। केवल ढ़ों का फ़रक है। शहरों के प्रबन्ध की समस्याएँ दोनों के सामने हैं इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड के कर्तव्यों के वर्णन में ही कारपोरेशन के भी कर्तव्य शामिल हैं। इन्हें अलग स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बड़े शहरों में जो संस्थाएँ इसके प्रबन्ध के लिये स्थापित की गई हैं उन्हें

म्युनिसिपल बोर्ड कहते हैं। छोटे शहरों में, जिन्हें कस्बा

म्युनिसिपल कहते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड नहीं होते। हिन्दोस्तान

बोर्ड और में कुल ७८१ म्युनिसिपल बोर्ड हैं और इनके अन्दर २ उनका संगठन करोड़ १० लाख आदमी रहते हैं। इनकी वार्षिक आमदनी ३८ करोड़ रुपये है। यदि सबके अन्दर सदस्यों का जोड़

लगाया जाय तो ७ फ़ीसदी सदस्य अपने पद के कारण (Ex-Officio), २५ फ़ीसदी नामज़द और बाकी ६८ फ़ीसदी जनता द्वारा चुने हुये होते हैं। ७१ म्युनिसिपैलिटियों को प्रत्येक की आबादी ५० हजार से ऊपर है। प्रान्तीय

सरकार शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना कर सकती है। यदि किसी म्युनिसिपल बोर्ड का प्रबन्ध ख़राब है, और जनता उसने सन्तुष्ट नहीं है, तो सरकार उसे अपने हाथों में ले सकती है।

म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिये शहर को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र को वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से २ या ३ सदस्य चुने जाते हैं। इन्हीं को बोर्ड का सदस्य कहा जाता है। कुछ व्यक्त अपने पद के कारण इसका सदस्य होते हैं और कुछ को प्रान्तीय सरकार नामज़द करती है। सदस्यों का चुनाव ३ वर्ष के लिये होता है, परन्तु प्रान्तीय सरकार इसकी आयु बढ़ा सकती है। इस वर्ष म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव लगभग ७ वर्ष बाद हो रहा है। जब सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो ये अपना सभापति और उपसभापति चुनते हैं। इन्हें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कहते हैं। चेयरमैन शहर का कोई प्रतिष्ठित और योग्य व्यक्ति होता है। उसके लिये बोर्ड का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है। इनके अतिरिक्त म्युनिसिपल बोर्ड एग्जीक्यूटिव आफिसर, हेल्थ आफिसर, म्युनिसिपल इंजीनियर, वाटर वर्क्स सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा सेक्रेटरी आदि कर्मचारियों को नियुक्त करता है। इनकी योग्यतायें प्रान्तीय सरकार की ओर से पहले से निर्धारित हैं। अन्य कर्मचारियों को बोर्ड स्वयं नियुक्त करता है।

म्युनिसिपैलिटी अपने कार्य की सुविधा के लिये सारा प्रबन्ध कमीटियों द्वारा करती है। कमीटियों में आम तौर से ६ से १० तक सदस्य होते हैं। सब काम कई विभागों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग की ज़िम्मेवारी किसी न किसी कमीटी को सौंप दी जाती है। कमीटियों की नियुक्ति बोर्ड स्वयं करता है। आमतौर से निम्नलिखित कमीटियाँ सभी म्युनिसिपल बोर्डों में होती हैं :—

१—फ़िनान्स कमीटी

२—शिक्षा कमीटी

३—स्वास्थ्य कमीटी

४—सड़क, मकान आदि देख रेख करने वाली कमीटी

५—पानी कमीटी

६—चुंगी कमीटी

७—सवारी कमीटी

८—खाद्य पदार्थ देख-रेख कमीटी

जो म्युनिसिपल बोर्ड उन्नतिशील हैं, और नागरिकों की भलाई का

अधिक ध्यान रखते हैं, वे और भी तरह तरह की कमीटियाँ बनाते हैं। इन सब में शिक्षा कमीटी का दर्जा बड़ा समझा जाता है। परन्तु कार्य की दृष्टि से सबका महत्व एक सा है। कुछ लोगों का विचार है कि कमीटियों को अपने कामों में मदद लेने के लिये अन्य जानकार व्यक्तियों को भी शामिल करने का अधिकार मिलना चाहिये।

म्युनिसिपल बोर्ड की जिम्मेवारी शहर की आर्थिक, राजनीतिक और शारीरिक उन्नति करना है। वह शहर में अच्छी से म्युनिसिपल अच्छी सड़कों बनवाये और उनकी देख-रेख का पूरा बोर्ड के कर्तव्य प्रबन्ध करे। शहर में गन्दी और सड़ीगली चीजों को आने से रोके। जो दूकानदार गन्दी चीजें बेचे उसे बोर्ड उचित दंड दे। इन वर्तव्यों का सभी म्युनिसिपल बोर्ड पालन करते हैं। इनके अतिरिक्त शहर में पानी और रोशनी का इन्तज़ाम करते हैं। शिक्षा के लिये अपर और मिडिल स्कूल खोलते हैं। सफ़ाई के लिये कूड़े फेंकने के लिये कर्मचारी नियुक्त करते हैं। बीमारी की देख-रेख के लिये अस्पताल और औषधालय खोले जाते हैं। स्वास्थ्य की जाँच के लिये अफसर मुक़र्रर किये जाते हैं। कुछ म्युनिसिपल बोर्ड अजायबघर और नमूने के फ़ार्म भा रखते हैं। हवा की शहरों में सबसे अधिक कठिनाई होती है। म्युनिसिपल बोर्ड इसके लिये पार्क और बगीचों का प्रबन्ध करते हैं। लोगों की शिक्षा के लिये पुस्तकालय और वाचनालय भी खोले जाते हैं। एक बार कानपुर की म्युनिसिपलिटी ने २००० रुपया इसलिये मंजूर किया था कि शहर के सारे बन्दर पकड़ कर बाहर भेज दिये जायँ। आर्थिक उन्नति के लिये तरह तरह के रोज़गार खोले जाते हैं। शहरों में बेकारों और अनार्यों की संख्या अधिक होती है। इनके रहने के लिये सार्वजनिक जगहों तथा काम के लिये कोई प्रबन्ध करना पड़ता है।

शहर में सबसे अधिक ध्यान सफ़ाई का करना पड़ता है। हज़ारों की तादाद में एक जगह रहने से बीमारी फैलने का डर अधिक रहता है। म्युनिसिपल बोर्ड शौचालय आदि बनवाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। उचित स्थान से बाहर जो किसी जगह को गन्दा करते हैं उन्हें कड़ा दंड दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि शहर के लिये जिन जिन प्रबन्धों की आवश्यकता होती है वे उसे करते हैं। मुहल्लों तथा सड़कों का नाम रखना, घरों का नम्बर लगाना, जगह जगह पर घर्मशालायें और प्याऊ बनवाना, आग से रक्षा का प्रबन्ध करना, जन्म और मृत्यु का हिसाब रखना, कब्र तथा स्मशानघाट की व्यवस्था करना, इत्यादि कार्य बोर्ड को करने पड़ते हैं। इनमें कुछ

कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें करना उसे लाजमी है, परन्तु बाकी को उसके सामर्थ्य पर छोड़ दिया गया है। कुछ म्युनिसिपल बोर्ड, जिन्हें अपने नगर निवासियों का अधिक ध्यान है, व्यापार भी करते हैं। इन्हे म्युनिसिपल तिजारत (Municipal Trading) कहते हैं। इन्से दो लाभ होते हैं एक तो लोगों को अच्छी से अच्छी चीजें उचित दाम पर मिल सकती हैं। और दूसरे बोर्ड की आय भी बढ़ती है। एक बड़ी संस्था के नाते वह चीजों को अधिक सुविधा पर खरीद सकती है। जो कुछ आमदनी होती है वह शिक्षा तथा अन्य सार्वजनिक कामों में व्यय की जाती है। परन्तु इससे थोड़ी हानि भी है। व्यक्तिगत व्यापार को इससे धक्का लगता है। जब बोर्ड स्वयं व्यापार करती है तो छोटे मोटे तिजारतों उसके मुकाबिले में अपनी चीजें नहीं बेच सकते। जो कुछ भी हो इसके लिये बोर्ड को काफी धन की आवश्यकता होती है।

शहर के प्रबन्ध के लिये बोर्ड को काफी रकम खर्च करनी पड़ती है। सड़कों के बनवाने तथा पार्कों की रक्षा के लिये उसे अपनी म्युनिसिपल आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा लगाना पड़ता है। शिक्षा बोर्ड का आय पर इसका खर्च सबसे अधिक होता है। इसके अतिरिक्त और व्यय सफाई, स्वास्थ्य और अश्नताजों पर काफी ध्यान देना पड़ता है। हर काम में उसे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। असाधारण परिस्थिति में उसके खर्चें और भी बढ़ जाते हैं। इन खर्चों को चलाने के लिये इसके पास आय के अनेक जरिये हैं। सबसे अधिक आय शहर की चुंगी और टैक्स से होती है। आमदनी के निम्नलिखित ५ जरिये हैं :—

१—चुंगी—शहर में आने वाली तमाम चीजों पर यह टैक्स लगाया जाता है।

२—टैक्स—प्रत्येक म्युनिसिपल बोर्ड की दो तिहाई आमदनी इसी जरिये से होती है। ये टैक्स पेशे, व्यापार, जानवर, सवारियाँ, पानी, रोशनी तथा रुकड़ाई पर लगाये जाते हैं।

३—म्युनिसिपल बोर्ड की निजी सम्पत्ति।

४—प्रान्तीय सरकार की इमदाद।

५—म्युनिसिपल व्यापार (Municipal Trading)

इनके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी हैसियत के अनुसार कर्ज़ भी ले सकती है। टैक्स के नये नये जरिये भी वह निकाल सकती है। कुछ म्युनिसिपलिटियों ने यात्रियों पर भी टैक्स लगाने की व्यवस्था की है। कभी

कभी पुलों से भी कुछ आमदनी होती है। यदि शहर किसी नदी के किनारे है तो घाट के ठेकों से उसे कुछ सालाना आय होती रहती है। शहर के गन्दे पानी से कभी कभी अच्छी आमदनी होती है। यदि पास में कोई बड़ा खेती का फार्म हुआ तो उसके गन्दे पानी का मूल्य काफी बढ़ जाता है। हिन्दोस्तान की सभी म्युनिसिपलिटियों का सालाना खर्च लगभग १८ करोड़ रुपये है। इसमें १३ प्रतिशत सर्वसाधारण के कामों में, और इतना ही पानी के प्रवन्ध में, १८ प्रतिशत स्वास्थ्य, और ११ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है। संयुक्तप्रान्त की म्युनिसिपलिटियाँ अपने खर्च का ५२ प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करती हैं। लेकिन इस प्रान्त में इसका शिक्षा खर्च बहुत ही कम है। केवल १३.५८ प्रतिशत आमदनी शिक्षा के ऊपर लगाई जाती है। कर्मचारियों के वेतन पर इस प्रान्त की म्युनिसिपलिटियाँ १२.५१ प्रतिशत खर्च करती हैं। संयुक्तप्रान्त की म्युनिसिपलिटियों की कुल आमदनी १७५३६२३५ रुपये सालाना है। अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति से ३ रुपये ८ आना १ पाई वसूल किया जाता है। सरकार से जो सहायता म्युनिसिपल बोर्डों को मिलती है वह बहुत ही कम है। १६३५-३६ ई० में संयुक्तप्रान्त की म्युनिसिपलिटियों को कुल ६३३७२६ रुपये प्रान्तीय सरकार से मिले थे। अर्थात् ४ प्रांतशत से भी कम इन्हें दिया गया था। जर्मनी में केन्द्रीय सरकार म्युनिसिपलिटियों को इनकी आमदनी का लगभग ३० प्रतिशत इनका के रूप में देती है।

चन्द्र बड़े शहरों से म्युनिसिपलिटियों को प्रवन्ध का कार्य चलाने में काफ़ी नहीं समझा गया। इसीलिये सफ़ाई, हवा, रोशनी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आदि के प्रवन्ध के लिये एक और स्थानीय संस्था बना दी गई है। इसका नाम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है। कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद आदि शहरों में इनकी स्थापना की गई है। यह संस्था अभी तक शहरी जनता के हाथ में नहीं है। इसके सदस्य कुछ तो पद के कारण और कुछ सरकार द्वारा नामज़द किये जाते हैं। इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में कुल ६ सदस्य हैं। इनमें ३ प्रान्तीय सरकार द्वारा नामज़द किये जाते हैं। नामज़द सदस्यों में ज़िले का कलेक्टर ज़रूर होता है। यह कोई लिखित नियम नहीं है, बल्कि एक प्रथा सी चली आती है। दो सदस्य म्युनिसिपल बोर्ड के प्रतिनिधि होते हैं। बोर्ड के सदस्य अपने में से किन्हीं दो सदस्यों को ट्रस्ट में भेज सकते हैं। बाक़ी एक सदस्य बोर्ड का चेयरमैन होता है। इससे स्पष्ट है कि ये सदस्य जनता के प्रतिनिधि नहीं होते। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति ३ वर्ष के लिये की जाती

है। तीन साल के बाद दूसरे नये ट्रस्टी भर्ती किये जाते हैं। ट्रस्ट की बैठक आमतौर से महीने में एक बार होती है। सभी सदस्य अपने में से किसी को चेयरमैन चुन लेते हैं। ट्रस्ट एक वैतनिक मन्त्री तथा अन्य कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है। कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में कुल १२ सदस्य हैं

विज्ञान तथा कला-कौशल की वृद्धि के कारण आजकल लोगों को रहन-सहन में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। घिरे मकानों तथा गन्दी गलियों में रहना लोग पसन्द नहीं करते। उनके मकान साफ़ सुथरे, हवादार, तथा किसी अच्छे वायुमंडल में होने चाहिये। सड़कें भी चौड़ी और सुन्दर होनी चाहिये। हर चीज़ में मनुष्य सौन्दर्य और सफ़ाई पसन्द करता है। लेकिन हमारे देश के शहर पुरानी चाल के बने हैं। उनके रास्ते पतले हैं और घरों की बनावट बहुत ही सफ़ाई है। जो नये मकान भी इधर बनाये गये उनमें स्वास्थ्य और रोशनी का ध्यान कम दिया गया है। हिन्दोस्तान के कुछ शहरों की आवादी लन्दन से भी घनी है। लन्दन में १२२ प्रतिशत आदमी एक कमरे में ही अपना गुज़र करते हैं। लेकिन लखनऊ में ५०४ प्रतिशत व्यक्ति एक कमरे में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बम्बई के ७४ प्रतिशत परिवार एक कमरे के मकानों में रहते हैं। इतनी तंग जगह में रहने से लोगों का स्वास्थ्य ख़राब होता है और इसका प्रभाव उनकी सन्तान पर भी पड़ता है। इसी का परिणाम है कि हिन्दोस्तानियों की औसत आयु अन्य देशवासियों की अपेक्षा आधी होती है। हमारे देश के २० प्रतिशत बच्चे एक वर्ष की आयु में मृत्यु के ग्रास होते हैं। जितने भी आदमी इस देश में मरते हैं उनमें पाँचवाँ हिस्सा दुधमुँहे बच्चों का है।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना इसी लिये की गई है कि वह शहर को नये ढंग से बसाने का प्रयत्न करे। जो हिस्से नये बसाये जायँ वे किसी खास नक़शे के अनुसार बनाये जायँ। घरों की बनावट, हवा तथा रोशनी पर काफ़ी ध्यान दिया जाय। शहर के जो हिस्से सिकुड़े हुये हैं और जहाँ सूर्य की धूप मुश्किल से पहुँचती है, उन्हें चौड़ा करने का प्रयत्न किया जाय। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट प्रान्तीय सरकार के सामने अनेक योजनायें शहर को सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिये पेश करे और मंजूरी मिलने पर वह उन्हें कार्यान्वित करे। शहर के भंगियों तथा ग़रीबों के रहने के लिये वह अच्छा से अच्छा प्रबन्ध करे। पैसे की कमी और शिक्षा के अभाव के कारण इनकी रहन-सहन बहुत ही गन्दी होती है। किसी उचित स्थान पर ट्रस्ट इनके लिये साफ़ खुला हुआ मकान बनाने की योजना बनावे। इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कई हज़ार रुपये खर्च करके ग़रीबों के लिये कितने ही अच्छे मकान

तैयार कराये हैं। यदि ये ट्रस्ट अच्छी तरह काम करते रहें तो कुछ दिनों में हिन्दोस्तान के सभी बड़े बड़े शहर बहुत ही आकर्षक और खुले हुये दिखाई पड़ने लगेंगे। शहरों को नये ढंग से बसाने में कुछ लोगों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। उनके मकान गिरा दिये जाते हैं और बहुत थोड़ी रकम उन्हें एवज़ में दी जाती, परन्तु ये दोनों बातें नहीं हो सकती कि एक ओर कुछ हानि भी न हो और दूसरी ओर हमारा घर साफ़ और खुला हुआ दिखाई पड़े। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के पास पैसे की कमी है। या तो सरकार इन्हें अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दे अथवा म्युनिसिपल बोर्ड की कुछ आमदनी इनके ज़िम्मे कर दे। अब तक इन्हें विकाही हुई ज़मीनों, सरकारी सहायता और कर्ज़ पर निर्भर करना पड़ता है।

उन बड़े बड़े शहरों में जो समुद्र के किनारे हैं कारपोरेशन, म्युसिपलिटि, तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अतिरिक्त पोर्ट ट्रस्ट भी स्थापित पोर्ट ट्रस्ट किये गये हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, काँची और चटगाँव में हिन्दोस्तान के प्रसिद्ध पोर्ट ट्रस्ट हैं। कलकत्ते के अतिरिक्त सभी पोर्ट ट्रस्ट में नज़द सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक होती है। अधिकतर सदस्य योरोपियन होते हैं। इन्हें भत्ता भी दिया जाता है। इनके कामों में सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के लगभग सभी सदस्य योरोपियन होते हैं। ट्रस्ट का मुख्य काम समुद्र के किनारे घाट बनवाना, मालगोदाम बनाना तथा व्यापार के सुविधे के लिये नाव और जहाज़ों का प्रबन्ध करना है। बन्दरगाहों में विदेशों से तरह तरह के माल अधिक आते हैं। पोर्ट ट्रस्ट इन्हें उतारने तथा इनकी निगरानी का पूरा प्रबन्ध करता है। इसीलिये ट्रस्ट को अपनी अलग पुलिस रखने का अधिकार दिया है। इसके सदस्य कमिश्नर वा ट्रस्टी कहलाते हैं। ट्रस्ट की आमदनी के मुख्य ज़रिये निम्नलिखित हैं :—

१—माल की लदाई और उतराई

२—गोदाम के किराये तथा

३—जहाज़ों के कर।

ऊपर स्थानीय सस्थाओं के संगठन और उनके कार्यों पर विचार किया गया है। अब यह देखना है कि कहीं तक इन्हें

स्थानीय अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई है। प्रोफेसर राम

संस्थाओं पर और शर्मा के कथनानुसार स्थानीय सरकार के मुख्य ४

आलोचनात्मक उद्देश्य हैं :—

दृष्टि

१—स्थानीय विषयों की जानकारी

२—शासन-प्रबंध की कुशलता

३—योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति

४—समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति ।

स्थानीय संस्थाओं के अपने उद्देश्य में काफ़ी सरलता प्राप्त हुई है । स्थानीय जनता के दिलों से विदेशी सरकार की भावना बहुत कुछ दूर हो चली है । कितनी ही स्थानीय संस्थाओं ने अपनी कार्यकुशलता का इतना अच्छा परिचय दिया है कि साइमन कमीशन ने मुक्त-कंठ से इनकी प्रशंसा की है । परन्तु साथ ही कुछ ऐसी भी संस्थाएँ हैं जिन्होंने अपने अधिकारों का बेजा फायदा उठाया है । इंग्लैंड तथा अमेरिका आदि प्रजातंत्रवादी देशों में भी स्थानीय संस्थाओं में तरह तरह की गन्दी बातें पाई जाती हैं । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गुलाम होने के नाते हम उन सबकी नक़ल करें । स्थानीय संस्थाओं ने अपने क्षेत्र में शिक्षा का जो प्रचार किया है उसे हम नहीं भुला सकते । यह सच है कि हमारे देश में शिक्षित आदिमियों की संख्या केवल २० फ़ी सदी है परन्तु इस क़ुर्मंडकता की ज़िम्मेवारी प्रान्तीय सरकार पर है । स्थानीय संस्थाओं के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे हर गाँव में एक स्कूल खोल सकें । आमतौर से हमारे देश में संस्थायें बहुत ही बदनाम हैं । कुछ व्यक्तियों को यहाँ तक कहते सुना गया है कि, 'स्थानीय संस्थाएँ बेकार हैं ।' जनता के अत्यन्त सम्पक में रहने के कारण इनकी टीका-टिप्पणियाँ अनिवार्य है । इससे घबड़ा कर इनके फायदों को हमें नहीं भुलाना चाहिये । यदि हमें इसमें कुछ कमी दिखलाई पड़े तो हम उसे बार बार सुधारने की कोशिश करें । जिस स्वराज के लिये आज हम कितने वर्षों से चिल्ला रहे हैं, उसके मूल को ही सम्हालने की क्षमता हम नहीं रखते तो इसे बढ़ कर हमारा अभाग्य और क्या होगा । स्थानीय स्वराज पूर्ण स्वराज की जड़ है ।

स्थानीय संस्थाओं के पिछले कारनामों से स्पष्ट है कि उनकी असफलता के मुख्य दो कारण हैं—बाह्य और आन्तरिक । इन संस्थाओं पर कुछ ऐसे सरकारी दबाव पड़ते हैं जिनके कारण इनकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है । प्रान्तीय सरकार, कमिश्नर और ज़िले के कलेक्टर इनके कामों में जब चाहें दखल दे सकते हैं । कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह इनके हुकमों को इस बूते पर रोक दे कि इससे सार्वजनिक शान्ति में बाधा पड़ती है । इनका सारा हिसाब-किताब कमिश्नर की सुट्टी में रहता है । वह इन्हें अपना खर्च घटाने का हुक्म दे सकता है । इन दोनों सरकारी पदाधिकारियों के अलावे

प्रान्तीय सरकार स्वयं स्थानीय संस्थाओं को अपने हाथ में रखती है। वह इन्हें जब चाहे तोड़ सकती है। स्थानीय शासन-प्रबन्ध में उसके कानूनों का प्रभाव गहरा पड़ता है। किसी स्थानीय संस्था का सभापति अथवा उपसभापति अपने आचरण तथा लापरवाही के कारण प्रान्तीय सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। इन संस्थाओं के कुछ कर्मचारी प्रान्तीय सरकार की मंजूरी के बिना भरती नहीं किए जा सकते। इनके द्वारा बनाये गये कानूनों को प्रान्तीय सरकार से तसदीक कराना पड़ता है। यदि किसी नई योजना को कार्यान्वित करने के लिये स्थानीय संस्थायें कुछ कर्ज लेना चाहें तो इसकी मंजूरी प्रान्तीय सरकार से लेनी पड़ती है। तात्पर्य यह है कि इनकी असफलता का बहुत कुछ कारण इस प्रकार के बाहरी दबाव हैं। जब तक ये कम नहीं किये जाते तब तक स्थानीय स्वराज सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता।

स्थानीय संस्थाओं की असफलता के कुछ आन्तरिक कारण भी हैं। अर्थात् संस्थायें स्वयं इनके लिये जिम्मेवार हैं। इनके कुछ सदस्य अपने स्वार्थ-साधन के लिये तरह-तरह की आन्तरिक बुराइयाँ फैलाते हैं। इसके कितने ही उदाहरण मौजूद हैं। थोड़ा-बहुत पैसा सार्वजनिक कामों में लगता है, और बाकी सदस्यों तथा कर्मचारियों की जेब में जाता है। स्थानीय संस्थाओं से यह आशा की जाती है कि वे योग्य से योग्य कर्मचारी नियुक्त करें, लेकिन कार्य रूप में दलबन्धियों के चक्कर में पड़कर कितने ही ऐसे गैरे केवल बातों की तनख्वाह लेते हैं। एक म्युनिसिपल बोर्ड के शिक्षा विभाग के चेयरमैन से मैंने अपने पद से इस्तीफा दे देने के लिये कहा। उन्होंने तुरन्त जवाब दिया कि, “हमें अपने पद की उतनी चिन्ता नहीं है, जितनी उन एक अन्धे और एक लँगड़े की है जो बोर्ड के दफ्तर में लगे हुये हैं।” सदस्यों को इस बात की चिन्ता नहीं होती कि योग्य से योग्य व्यक्ति अपने पदों पर नियुक्त किये जायें। उन्हें अधिकतर चिन्ता अपने सम्बन्धियों और मित्रों की होती है। संस्थाओं के चुनाव में कितने ही अयोग्य व्यक्ति चुन लिये जाते हैं। नागरिक शिक्षा की कमी के कारण लोग राजनीतिक अधिकारों के महत्व को नहीं समझते। क्षणिक प्रयोजनों और झूठी प्रतिज्ञाओं के चक्कर में आकर वे स्वार्थी तथा अयोग्य व्यक्तियों को अपना मत देने पर तैयार हो जाते हैं। संस्थाओं के कार्यों में व्यक्तिगत मनोभावों का प्रभाव पड़ता है इससे सार्वजनिक हित में और भी बाधा पड़ती है। संस्थाओं के अन्दर घूसखोरी और बेईमानी की जो बीमारी फैली हुई है उसका कारण हमारी नागरिकता की कमी है।

यदि स्थानीय स्वराज को सफल बनाना है तो जनता को उचित नागरिक

शिक्षा दी जाय। इसके अभाव में वह गन्दी बातों के प्रभाव से अपने आप को नहीं बचा सकती। सार्वजनिक कामों का महत्व हमारे दिलों में तब तक नहीं बैठ सकता जब तक हमें समाज-शास्त्र का थोड़ा ज्ञान न कराया जाय। मध्यम श्रेणी तक नागरिक शास्त्र को अनिवार्य विषय बना कर शिक्षा विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है। इससे स्थानीय संस्थाओं की भीतरी कमज़ोरियाँ बहुत कुछ दूर हो सकती हैं। जहाँ तक ऊपरी दबाव का प्रश्न है, प्रान्तीय सरकार इसे कम कर सकती है। लेकिन इसी से ये संस्थाएँ अपने मंज़िले मकसूद पर नहीं पहुँच सकतीं। हिन्दोस्तान की वर्तमान परिस्थिति इस बात की उम्मीद करती है कि देश में तरह-तरह के कारोबार खोले जायँ। स्थानीय संस्थाएँ निहायत खूबसूरती से इन्हें कर सकती हैं। लेकिन इनके आगे क्रम न बढ़ाने का कारण पैसे की कमी है। या तो प्रान्तीय सरकार इनकी इमदाद और बढ़ाये या इन्हें कोई ऐसा रास्ता दे जिससे इनकी आमदनी कम से कम ढ्यौड़ी हो जाय। इसी अध्याय में यह सलाह दी गई है कि ज़िला बोर्ड की आमदनी सरकार किस प्रकार ढ्यौड़ी कर सकती है। यदि ये कमज़ोरियाँ दूर कर दी जायँ, तो स्थानीय संस्थाएँ अपनी गुराहियों को दूर करने के साथ, देश की अधिक भलाई कर सकती है।

अध्याय १८

ग्राम पंचायत

‘ग्राम’ शब्द के लिये कोष की आवश्यकता किसी को न होगी। यहाँ तक कि कचहरियों में भी इस शब्द के स्पष्टीकरण का ग्राम की प्रश्न नहीं उठ सकता। यह शब्द आमप्रहम है। जब परिभाषा कोई विदेशी हिन्दोस्तान की जानकारी हासिल करना चाहता है तो उसे पहिली हिदायत यह मिलती है कि वह गाँवों का अध्ययन करे। जो हिन्दोस्तान के गाँवों का जीवन नहीं जानता वह भारतीय सभ्यता को नहीं पहचान सकता। जब देशी और विदेशी दोनों ही गाँवों से भलीभाँति परिचित हैं तो इसकी परिभाषा की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। परन्तु कुछ ऐसी ग़लत प्रहमियाँ फैली हैं, जिन्हें निवारण करने के लिये इसे दे देना अच्छा होगा। थोड़े दिन हुये एक पुस्तक* देख रहा

*Socrates in and Indian village.

था। उसमें लिखा था कि यदि कोई आदमी हिन्दोस्तान में किसी एकान्त स्थान में पड़ जाय और कोई रास्ता मालूम न पड़े तो वह नाक खोलकर चारों दिशाओं में सँस ले। जिधर से गन्दी हवा आती हो उधर को वह चल पड़े। कोई न कोई गाँव झरूर मिल जायगा। यह बात आमतौर से प्रचलित है कि जो मूर्ख हैं और जिन्हें कोई भी ठग सके वे गाँव के रहने वाले होते हैं। इधर दस बीस वर्षों से लोग गाँवों के छोड़ शहरों में आने लगे हैं। इसलिये नहीं कि गाँव बुरे हैं, बल्कि रोज़ी की तलाश में उन्हें विवश होकर गाँव छोड़ने पड़ते हैं। कुछ लोग इससे भी यह अनुमान करते हैं कि गाँवों का जीवन सभो प्रकार से बुरा है। वहाँ कोई रहना नहीं चाहता।

यदि हमारे देश के गाँव सचमुच बुरे होते, और लोगों को उनमें रहने की इच्छा न होती, तो अब तक कितने ही नये नये शहर बस गये होते। वास्तव में जो गाँवों के जीवन से परिचित नहीं हैं वे उसे पहचान नहीं सकते। एक छोटी सी मिसाल से यह बात अच्छी तरह साफ़ हो जायेगी। मिस्टर राय अपनी एक पुस्तक* में लिखते हैं कि, “जब कोई योरप निवासी हिन्दोस्तान की यात्रा करने के लिये प्रस्थान करता है तो उसे चन्द बातें पहले से ही दिमाग में बैठा दी गई रहती हैं। लड़कपन से ही विदेशियों को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि हिन्दोस्तान के रहने वाले असभ्य होते हैं। उनके शरीर पर ठीक तरह की पोशाक नहीं होती और वे हर समय जूते तथा दस्ताने नहीं पहने रहते। उनकी रहन सहन निम्न श्रेणी की है। वे नंगे बदन किसी से भी मिल सकते हैं और हर समय एक ही पोशाक में रहने के आदी होते हैं।” इसका परिणाम यह होता है कि जब कोई विदेशी इस देश में आता है तो वह उसी प्रकार का नज़रिया यहाँ देखता है। उसके मन में तुरन्त यह बात बैठ जाती है कि सचमुच हिन्दोस्तानी असभ्य हैं। परन्तु सच तो यह है कि विदेशी भारतीय सभ्यता की गहराई को नहीं जानते। उनकी सभ्यता की नाप दस्ताने और रूमाल तक ही सीमित है। ठीक यही दशा हिन्दोस्तानी शहरों की है। शहर के लोग ग्रामीण जीवन को पिछड़ा हुआ समझते हैं। नई सभ्यता की रोशनी में गाँवों का प्राचीन जीवन उन्हें नीरस मालूम पड़ता है। कोई भारतीय शहर ऐसा न होगा जिसकी आधी जनसंख्या गाँवों से घनिष्ठ सम्बन्ध न रखती हो। नौकरी अथवा व्यापार की सुविधा के लिये लोग शहरों में रहते हैं, परन्तु उनका असली घर तथा कुटुम्ब गाँव में ही होता है।

*The Spirit of Indian civilization.

यह कहना बड़ा कठिन है कि गाँव की ठीक ठीक सीमा क्या है, उनमें कितने कुटुम्ब होते हैं उनकी जनसंख्या कितनी है। हमारे देश में ७ लाख से अधिक गाँव हैं। प्रत्येक का क्षेत्रफल और जनसंख्या भिन्न भिन्न है। बौद्धायन और गौतम गाँवों की परिभाषा करते हुये लिखते हैं, “वह स्थान जहाँ सच्चे और पवित्र आदमी निवास करें गाँव कहलाता है।” बौद्धायन के कथनानुसार, “कोई भी सत्पुरुष गाँव में ही रहना चाहेगा क्योंकि वहाँ खान-पान की चीजें वृहतायत से मिलती हैं। प्रत्येक गाँव चोर-डाकुओं से सुरक्षित होता है। छोटे छोटे राजनीतिक परिवर्तनों का असर वहाँ नहीं पड़ता। वहाँ के निवासियों का जीवन शान्त और सुखमय होता है।” कौटिल्य के शब्दों में “गाँव वह स्थान है जिसमें १०० से ५०० तक कुटुम्ब निवास करते हों। सबका घर सुरक्षित हो और उनका जीवन सम्मिलित तथा सहयोगी हो।” गाँवों में जनसंख्या की कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। ५००० से ऊपर मनुष्य जब एक जगह निवास करते हों तो वह कस्बा कहलाता है। इससे कम जनसंख्या वाले स्थान गाँवों की कोटि में गिने जाते हैं। कुछ ऐसे भी गाँव हैं जिनमें १०० या २०० आदमी निवास करते हैं और उनमें केवल ४० या ५० घर हैं। लेकिन कुछ गाँव कस्बों का बराबरी करते हैं। हिन्दी साहित्य में ग्राम सम्बन्धी साहित्य की अभी कमी है। जो सभ्यता हमारे गाँवों में छिपी हुई है उसका आभास तक अभी पढ़े-लिखे लोगों को नहीं है। ऊपर से वे इसकी सराहना भले ही करें, परन्तु भीतर से वे नहीं जानते कि गाँवों की विशेषता क्या है ?

गाँव की परिभाषा अत्यन्त रोचक और सरल है। आजकल कुछ विशेष कारणों से हमें इसमें सन्देह हो सकता है, लेकिन इसकी असलियत वही है जो हिन्दू काल से लेकर अभी तक मौजूद है। पेड़ों तथा बागीचों से घिरे हुये वे स्थान जहाँ शोरोगुल का नाम भी न हो गाँव कहलाते हैं। प्रत्येक गाँव में आमतौर से १०० या २०० घर होते हैं। इसके चारों ओर खेत और बागीचे होते हैं। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा खेती और गोपालन है। इनका जीवन अत्यन्त सरल और पवित्र होता है। ये चोरी और दगावाज़ी का नाम नहीं जानते। स्वभाव से ही ये परिश्रम-शील और संयमी होते हैं। अपनी सभी आवश्यकताओं के लिये वे अपने गाँव पर ही निर्भर करते हैं। प्रत्येक गाँव स्वतन्त्र और स्वावलम्बी होता है। यहाँ के लोग अपनी आवश्यकतानुसार सभी चीजें पैदा कर लेते हैं। गाँव ही ऐसी जगह है जहाँ बिना रुपये-पैसे के भी आदमी सुख से रह सकता है। शहरों की तरह यहाँ बीमारी और गन्दगी का बाज़ार नहीं रहता है। सब लोग एक दूसरे का विश्वास करते

हैं। जिसे हम भारतीय सभ्यता कहते हैं, और जिसके ऊसर अब भी हमें गर्व है, वह गाँवों की चीज़ है। आज भी वह उसी जगह दिखलाई पड़ेगी। ब्रिटिश राज के अन्दर गाँवों की दशा में महान् परिवर्तन हुआ है। उनकी गरीबी और बेकारी की समस्या ने देश को चिन्ता की जाल में बाँध रक्खा है। इतने पर भी हमारे गाँव स्वर्ग की तुलना करते हैं।

यदि गाँवों की चर्चा छोड़कर भारतीय शासन-प्रबन्ध पर विचार किया जाय तो यह बात वैसी ही बेतुकी है जैसे प्राण को गाँव और छोड़कर शरीर का अध्ययन। शरीर में जो प्राण का भारतीय शासन स्थान है वह भारतीय राजनीतिक प्रबन्ध में गाँवों का।

इस देश में कोई शासन-विधान तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक इसकी जड़ गाँवों में न डाली जाय। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और सुधारक राजनीतिक अधिकारों की उधेड़-बुन में इस बात को भूल जाते हैं कि जब तक गाँवों को पूरी आज़ादी हासिल न होगी, तब तक प्रान्तीय स्वराज और संघ-शासन की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती। जिन गाँवों की बंदोबस्त ४० करोड़ हिन्दोस्तानियों का भरण-पोषण होता है, और जिनकी उन्नति-अवनति पर हमारी सभ्यता की दीवाल खड़ी की गई है, उन्हें हम कैसे ठुकरा सकते हैं ? कांग्रेस की तमाम राजनीतिक माँगों की आड़ में गाँवों का उद्धार इतनी पोशीदगी के साथ छिपा हुआ है, कि हम उसे वर्तमान वातावरण में नहीं पहचान सकते। जिन ग्राम पंचायतों का नक़शा कांग्रेस के दिमाग में बैठा हुआ है उसके महत्व को परिचामी प्रजातन्त्रवाद की आँधी में हम नहीं देख सकते। केवल केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कर्मचारियों के अधिकारों तथा चन्द कौंसिलों की बनावट से शासन-विधान का सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता।

हिन्दोस्तान गाँवों का देश है। यहाँ की ६० फीसदी जनता गाँवों में रहती है। उसका मुख्य व्यवसाय खेती है। जब तक शासन-विधान के अन्दर ग्राम-संगठन की व्यवस्था न की जायगी, वह सर्वथा अधूरा सिद्ध होगा। “हरेक शासन की मुख्य आवश्यकता इसीलिथे होती है कि प्रजा के जन-धन की रक्षा और उन्नति होती रहे। जो शासन इन दोनों बातों में असफल हुआ, नैतिक रीति से उसने अपने को नष्ट कर दिया।” * अनादि काल से गाँव शासन की जड़ समझे जाते हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों कालों में इनकी स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन में बाधा नहीं पड़ी। हिन्दोस्तान के

अन्दर बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुये, कितने ही विदेशियों ने इस देश पर हमला किया, परन्तु ग्राम अपनी पंचायतों द्वारा स्वतन्त्र रूप से काम करते रहे। उन्हें इन तमाम परिवर्तनों का पता भी न चला। इन गाँवों का संगठन इतना दृढ़ और स्थायी था कि छोटे-मोटे राजनीतिक परिवर्तनों अथवा सामाजिक क्रान्तियों के कारण उसकी दीवाल नहीं टूट सकती थी। यूरोप अपने प्रजातन्त्रवाद की डींग मारता है। ब्रुटेन आज भी हमें इस बात का आश्वासन दिलाता है कि हमारे देश में सच्चे प्रजातन्त्रवाद की स्थापना होने जा रही है। पाश्चात्य प्रजातन्त्रवाद की जड़ में जो खोखलापन मौजूद है उसका उदाहरण हमें साफ़ दिखाई पड़ता है। हमारे देश में जिस प्रजातन्त्रवाद की आवश्यकता है उसका सम्बन्ध गाँवों से है। पहले प्रत्येक गाँव को स्वतन्त्र और स्वावलम्बी बनाना होगा। जब ७ लाख गाँवों को सभी प्रकार की स्वतन्त्रता हासिल हो जायगी तो प्रजातन्त्रवाद अपने आप स्थापित हो जायगा। इस देश में शासन-विधान की उपयोगिता तभी है जब वह गाँवों के जीवन के अनुकूल हो। जिस शासन-विधान का निर्माण विदेशी अथवा थोड़े से शहरी लोग सभा भवन में बैठकर करेंगे उसकी उपयोगिता में हमें सन्देह है। गाँवों के प्राचीन संगठन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि शासन-विधान में इसका कितना महत्व था।

प्राचीन काल में गाँवों के संगठन की सराहना सभी विदेशियों ने मुक्त-कंठ से की है। सर चार्ल्स मेटकाफ़ लिखते हैं, "ग्राम संगठन पंचायतों के अन्दर प्रजातन्त्रवाद की सभी अच्छाइयाँ मौजूद हैं। प्रत्येक गाँव एक छोटा सा स्वतन्त्र देश है। बाहरी सम्बन्ध की इसे कोई ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों की रक्षा की कहीं सम्भावना नहीं है उनकी रक्षा इन गाँवों ने की है। ग्राम पंचायतों के इस संगठन से प्रत्येक गाँव एक स्वतन्त्र राष्ट्र के मानिन्द है। उनकी स्वतन्त्रता, स्वावलम्बन तथा प्रसन्नता के उँचे पैमाने को देखते हुये पंचायतों के महत्व को हम भली भाँति समझ सकते हैं।"* आज भी गाँवों का संगठन

* The village communities are little republics having nearly every thing they want within themselves ; and almost independant of foreign relations. They seem to last where nothing else lasts. This union of the village communities, each one forming a separate little state in itself.....is in a high degree conducive to their

सर्वथा नष्ट नहीं हुआ है। कितनी ही बातें वहाँ ऐसी दिखाई पड़ेंगी जिन्हें सब लोग मिलकर करते हैं। खेती के काम में सब लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। तालाब, कुएँ, नहर आदि बनाने के लिये वे एक साथ अपने घरों से निकलते हैं। यदि किसी के ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति पड़ जाय तो सभी अपनी पूरी ताकत से उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। गाँवों के तीन चौथाई भगड़े आज भी ग्राम पंचायतों में फ़ैलल होते हैं। ब्रिटिश सरकार के अन्दर ग्राम पंचायतों का कोई महत्व नहीं रहा है। इसीलिये इनकी उपयोगिता कम दिखाई पड़ती है। कुछ लोग तो इन्हें कहानी मात्र समझते हैं।

ग्राम संगठन का स्वरूप भिन्न-भिन्न समयों में अलग-अलग रहा है। ऐतिहासिक प्रमाण न मिलने से हम इसका क्रमिक विवरण नहीं दे सकते। हिन्दू काल में गाँवों का संगठन पंचायत के आधार पर किया जाता था। गाँव ही शासन की सबसे छोटी इकाई माने जाते थे। प्रत्येक गाँव का प्रबन्ध वहाँ की पंचायतें करती थीं। १० गाँवों को मिलाकर एक दूसरी पञ्चायत बनाई जाती थी। इस संगठन को संग्रहण कहा जाता था। फिर २०० गाँवों का एक दूसरा संगठन होता था, जिसे खरवालिका कहा जाता था। इसके ऊपर ४०० गाँवों का एक संगठन बनाया जाता था, जिसका नाम द्रोणमुख था। अन्त में ८०० गाँवों का एक संगठन होता था जो स्थानीय कहलाता था। मानव धर्म-शास्त्र में गाँवों का संगठन कुछ और बतलाया गया है। उसके कथनानुसार गाँवों का संगठन एक, दस, बीस, सौ, एक हजार के बीच में दो सौ, तीन सौ और पाँच सौ गाँवों का अलग अलग संगठन था। इस संगठन को मनु ने गुल्म कहा है।

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में इस देश का शासन गाँवों से आरम्भ होता था। श्रेणीबद्ध फिर तरीके पर इनका संगठन किया जाता था। संहिता के रचयिता ने कहा है कि देश शब्द का अर्थ है एक हजार गाँवों का संगठन। हर गाँव का क्षेत्रफल सामान्य रूप से २ वर्ग मील होता था। इसमें अलग अलग मार्ग होते थे। इनका नाम पद्म-वीथी, मार्ग तथा राजमार्ग था। इनकी चौड़ाई क्रमशः ३, ५, १० और १५ फ़ीट होती थी। राजमार्ग की चौड़ाई १५ से ३० फ़ीट तक होती थी। प्रत्येक गाँव में एक चौपाल (Rest house) होती थी। यात्रियों के ठहरने तथा

happiness, and to the enjoyment of a great portion of freedom and independence.

खाने का इसमें पूरा प्रबन्ध रहता था। शुक्राचार्य ने गाँवों का संगठन एक से दस हजार गाँवों तक माना है। प्रत्येक श्रेणी का संगठन सुदृढ़ और स्वावलम्बी था। ग्राम पञ्चायतें गाँवों का शासन करती थीं। परन्तु केन्द्रीय सरकार की ओर से भी उनकी देख-रेख का प्रबन्ध था। हर गाँव में एक सरकारी कर्मचारी रहता था, जो गोप कहलाता था। गाथा सप्तसती में इसका नाम ग्रामणी कहा गया है। एक से दस गाँव तक की ज़िम्मेवारी इन्ने दी गई थी। प्रति वर्ष गाँवों की जनसंख्या की गणना की जाती थी। सरकारी कर्मचारी पञ्चायत द्वारा इस कार्य को करते थे और केन्द्रीय सरकार को इसकी सूचना देते थे। जनसंख्या के समय हर गाँव में घरों की संख्या, आदमियों तथा पशुओं की संख्या, उनकी जाति तथा आयु आदि भी दिखाये जाते थे। गोप या गाँव का मुखिया हिसाब-किताब का व्यौरा रखता था। गाँव की जितनी आमदनी सरकार को देनी होती थी उसे वही वसूल करके भेजता था। शुक्र-नीतिसार के अनुसार गोप या मुखिया ब्राह्मण जाति के होते थे।

शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से गाँवों में कोई भेद नहीं है। जो संगठन किसी छोटे गाँव में बना हुआ है वही बड़े में भी है। हिन्दू गाँव की किरमें काल में कुछ गाँवों की आमदनी मन्दिरों तथा पाठ-शालाओं को दे दी जाती थी। परन्तु उनके शासन-प्रबन्ध में कोई अन्तर नहीं पड़ता था। गाँव का हिसाब-किताब रखने वाला उसकी आमदनी सरकारी खजाने में न भेज कर किसी संस्था को भेज देता था। प्रजा के अधिकारों में कोई कमी नहीं पड़ती थी। चन्द विद्वानों को कुछ गाँव माफ़ी में दे दिये जाते थे। सरकार उसकी आमदनी से कोई मतलब नहीं रखती थी। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो जितना चाहे गाँवों से वसूल कर ले। एक निश्चित आय से अधिक लेने का अधिकार किसी को तब तक नहीं था जब तक ग्राम पञ्चायत अथवा केन्द्रीय सरकार इसकी आज्ञा न दे दे। गाँव की आमदनी चाहे जिस मद में खर्च की जाय, उसके राजनीतिक प्रबन्ध में कोई फ़रक नहीं पड़ता था। मुसलमानों ज़माने में कुछ लोगों को जागीरें दी जाती थीं। कितने ही कर्मचारियों को वेतन के बदले दो एक गाँव दे दिये जाते थे। परन्तु शासन-प्रबन्ध में वे कोई उलट-फेर नहीं कर सकते थे। जब तक गाँवों के लोग एक निश्चित रकम सरकारी खजाने में भेजते रहते थे तब तक बादशाह तक उनके कामों में दखल नहीं दे सकता था।* किसी सरकारी अथवा ग़ैर सरकारी कर्मचारी को प्रजा

* It is fairly clear that during the period of Moham-
आ० भा० शा०—३५

से एक पाई भी अधिक वसूल करने का अधिकार न था। १०५४ ई० के एक शिलालेख से यह पता चलता है कि सरकार प्रजा के धन को उसकी एक सुरक्षित सम्पत्ति समझती थी। जिस प्रकार माली बगीचे से फल-फूल चुन लेता है परन्तु बगीचे की सुन्दरता और हरियाली में कोई अन्तर नहीं पड़ता, उसी तरह सरकार प्रजा की आय का एक छोटा सा हिस्सा वसूल करती थी। शिलालेख में एक स्त्री की कहानी लिखी गई है। गाँव के किसी कर्मचारी ने किसी स्त्री से कुछ अनुचित रकम टैक्स के रूप में लेना चाहा। स्त्री ने देने से इनकार कर दिया। कर्मचारी ने उसे कुछ बुरा-भला कहा। स्त्री ज़हर खाकर मर गई। आस-पास के गाँवों में इस विषय पर पञ्चायतें हुईं। १७ ज़िलों के गाँवों की पंचायतों में इस मामले पर विचार किया गया। कर्मचारी अपराधी ठहराया गया और उसे सख्त दंड दिया गया।†

गावों की आमदनी चाहे जिसके पास जाय, उसके शासन-प्रबन्ध में कोई फ़रक नहीं किया जाता था। गाँवों में पंचायतों का स्वरूप एक था। सरकारी टैक्स सबसे एक सा लिया जाता था। गाँवों की रक्षा और शान्ति की चिन्ता सरकार को एक सी करनी पड़ती थी। इतना ज़रूर है कि कुछ गाँवों की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ता था। इसकी वजह यह थी कि वहाँ के निवासियों का पेशा ऐसा होता था जिन्हें उत्पादित करना सरकार अपना कर्तव्य समझती थी। उनके कला-कौशल से सारे राज्य को लाभ पहुँचता था। निम्न लेखित उद्धरणों से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी। बौद्ध कालीन जातकों से यह पता चलता है कि गाँव में ५०० आदमी निवास करते थे। सभी बड़ई का काम करते थे। दूसरा गाँव लुहारों का था। इसमें सिर्फ़ लोहार ही बसते थे। १००० घर लुहारों के थे। इसी प्रकार एक तीसरा गाँव १००० लकड़हारों का था।* यदि इन्हें हम विभिन्न प्रकार के गाँव कहें तो कोई हानि नहीं है सुमकिन है इसी तरह किसानों, जुलाहों, मज़दूरों तथा सुनारों आदि के गाँव रहे हों। परन्तु

madan rule, the village communities were left more or less to their own resources; and practically no connection was maintained with the King's Government, except the due payment of the taxes.

† Madras Epigraphy. Annual Report, 1906—7.

* जातक, भाग २-४ नं० १५६, १८७, ४६६।

ध्यान रखती है कि जो लगान प्रजा से वसूल हो उसका कुछ हिस्सा ज़मींदार अपने पास रख ले और बाकी सरकारी खज़ाने में भेज दे। ज़मींदारी का हिस्सा लगभग $\frac{1}{3}$ माना गया है। लेकिन कार्य रूप में ऐसा नहीं होता। जो मालगुजारी ज़मींदार सरकार को अदा करते हैं उसका दूना और चौगुना प्रजा से वसूल करते हैं। गाँव की पत्तियाँ और जङ्गल आदि उस गाँव के ज़मींदारों की सम्पत्ति समझी जाती है। हर गाँव में एक मुखिया और पंचायत होती है। प्राचीन काल में इनकी शक्ति अधिक थी, परन्तु ब्रिटिश राज की मातहत में इन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। संयुक्त प्रान्त, पञ्जाब तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश में इस प्रकार के गाँव पाये जाते हैं। इस तरह के गाँवों की मालगुजारी प्रत्येक खेत पर नहीं लगाई जाती। सरकार हर गाँव से एक सम्मिलित रकम वसूल करती है। सारा गाँव मिलकर इसके लिये ज़िम्मेवार होता है।

अनादि काल से हिन्दोस्तान में गाँव ही शासन की इकाई माने गये हैं। शासन-प्रबन्ध के लिये प्रत्येक गाँव में कई पंचायतें ग्राम पंचायत होती थीं। प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार के जो जो विभाग आज हम देखते हैं, उनके लिये अलग अलग पंचायतें थीं। शिक्षा पंचायत, रक्षा पंचायत, सेवा पंचायत, सफ़ाई पंचायत इत्यादि इत्यादि पंचायतें गाँवों का प्रबन्ध करती थीं। जब कोई नया गाँव बसाया जाता था तो ये सभी प्रकार की पंचायतें वहाँ बना दी जाती थीं। गाँव बसाने का अधिकार केवल राजा को होता था। तेरहवीं शताब्दी के शिला-लेखों से पता चलता है कि जब कोई गाँव बसाना होता था तो यह पहले ही निश्चित कर लिया जाता था कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा और उसमें किस किस वर्ग के लोग कितनी कितनी संख्या में बसाये जायेंगे। प्रत्येक गाँव में कुछ जमीन पत्तियाँ रखी जाती थी। इसे कोई जोत नहीं सकता था। इस पर सभी लोग अपने जानवर चरा सकते थे। गाँव से बाहर जङ्गल होता था। लकड़ी आदि के लिये इससे सुविधा होती थी। गाँव के सभी लोग मिलकर एक या दो तालाब खोदते थे। बरसात के दिनों में इनमें पानी भरा जाता था। साल भर लोग इसमें स्नान करते थे और सिंचाई का काम चलाते थे। जो ज़मीन गाँवों के लिये चुनी जाती थी उसमें सुन्दर सुन्दर रास्ते चारों ओर जाने के लिये बना दिये जाते थे। हावेल लिखता है, “चन्द्रगुप्त मौर्य के ज़माने में शिल्पशास्त्र के नियमानुसार सैकड़ों गाँव बसाये गये थे।” ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में कितनी ही बंजर ज़मीनों को आबाद कराया है। ‘कनाल उपनिवेश’ इसी का परिणाम है। चर्च मिशनरी सोसाइटी ने भी

संयुक्त प्रान्त और बंगाल में इस तरह के कितने ही गाँव बसाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि इनका उद्देश्य इसाई धर्म का प्रचार करना है, फिर भी कितनी ही बंजर और उजाड़ भूमि उपजाऊ बनाई गई है। पूर्वी बंगाल में इन्होंने जो सन्थाल नामक उपनिवेश बसाया है उसका क्षेत्रफल १४ वर्ग मील है। इसके अन्दर १० गाँव हैं और प्रत्येक का मुखिया होता है। पूरे उपनिवेश के प्रबन्ध के लिये इन्हीं ग्राम निवासियों की कौंसिल बनाई गई है। आज वहाँ २५०० इसाई निवास करते हैं। यदि कोई बाहरी आदमी वहाँ रहना चाहता है तो उसे उपनिवेश की सभी शर्तें माननी पड़ती हैं*।

ऊपर कहा गया है कि प्राचीन काल में गाँवों का प्रबन्ध पञ्चायतों द्वारा होता था। हर गाँव में एक सर्वप्रधान पञ्चायत होती थी। कुछ अंग्रेज़ लेखकों ने इन पञ्चायतों को जाती पञ्चायते कहा है। लेकिन यह उनकी सरासर भूल है। इस देश में पञ्चायतें हमेशा से दो उद्देश्यों से बनाई जाती रही हैं। या तो शासन-प्रबन्ध के लिये अथवा पेशे की निगरानी के लिये। गाँव के सभी तजुरबेकार आदमियों की एक बड़ी पञ्चायत होती थी। मुखिया इसका प्रधान होता था। कार्य की सुविधा के लिये यह पञ्चायत अपनी ओर से कई कमीटियों को बनाती थी। सफ़ाई, रक्षा, शिक्षा, आदि के लिये अलग अलग कमीटियाँ होती थीं। कमीटी अथवा पञ्चायत के बनाने में जातीय अथवा पेशे के कारण कोई आदमी अछूत नहीं समझा जाता था। चारों वर्गों का विधान केवल पेशे के लिये बनाया गया था। † लोहार, बढ़ई, जुलाहे, कुम्हार तथा सोनार समाज में इज्जत की नज़र से देखे जाते थे। ‡ आनंद रंगा पिलाई, जो डूपले का एजेन्ट था, अपनी दिनचर्या में लिखता है, “एक गाँव में किसी मन्दिर के भगड़े का निपटारा करने के लिये पंचायत की बैठक बुलाई गई। इसमें ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक शामिल थे।”§

* Those who are not Christians sign a pledge to abstain from intoxicating drink and heathen sacrifices and to abide by the rules of the colony.

† The four-fold division of the people in itself is one according to profession.

‡ Hindu Administrative institution page 366.

§ The private diary of Anandaranga Pillay, page 332—3.

पञ्चायत शब्द के दो अर्थ लगाये जाते हैं। वह सभा जिसमें ५ आदमी काम करें पञ्चायत कहलाती है। अथवा गाँव के शासन-प्रबन्ध के लिये सभी अनुभवशील व्यक्तियों की मंडली पञ्चायत कहलाती है। वास्तव में पञ्चायत और ५ का कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। यह हो सकता है कि गाँव की बड़ी पञ्चायत किसी मामले का अन्तिम निर्णय करने के लिये ५ आदमियों की एक छोटी कमीटी बना देती रही हो। इस तरह की कितनी ही कमीटियाँ आजकल बनाई जाती हैं। मनु के ग्रन्थों से यह पता चलता है कि हर गाँव में शासन की पूरी जिम्मेवारी पञ्चायत को दे दी जाती थी। कुछ लेखकों ने इस तरह की पञ्चायतों का मुक्काविला ट्यूटन जाति के संगठनों से किया है। लेकिन इससे उनकी अदूरदर्शिता का परिचय मिलता है। ट्यूटन जाति में संगठन बनाये गये थे उनका उद्देश्य लूट-मार करना था। इसके विपरीत ग्राम पञ्चायतें शासन-प्रबन्ध करने तथा शान्ति की रक्षा के लिये बनाई गई थीं। पञ्चायतों का काम अत्याचार को दबाना था। इसके सदस्य चतुर और अनुभवशील होते थे। पञ्चायत की आज्ञा सबको माननी पड़ती थी। गाँव की सभी घटनायें इनमें पेश की जाती थीं। बारहवीं शताब्दी की एक घटना का उल्लेख मद्रास की एक सरकारी रिपोर्ट में किया गया है। एक गाँव में किसी आदमी ने अपने पड़ोसी को जान से मार डाला। ज़िले भर की पञ्चायतों ने यह फ़ैसला किया कि अपराधी की इच्छा प्राण लेने की न थी, अतएव इसे फाँसी का दंड नहीं मिलना चाहिये। अन्त में उसे यह सज़ा दी गई कि वह गाँव के मन्दिर में दीपक जलाये।*

छोटी छोटी बातों का फ़ैसला पेशे की पञ्चायतों में किया जाता था। गाँव की बड़ी पञ्चायत के अलावे हर पेशे वालों की एक अलग पञ्चायत होती थी। नाई, घोषी, दर्जी, कुम्हार, लोहार, सेनार आदि पेशे वाले अलग अलग पञ्चायत रखते थे, इन्हीं पेशे की पञ्चायतों को विदेशियों ने जाती पञ्चायत कह कर पुकारा है। जब कोई झगड़ा वा मतभेद उत्पन्न होता तो दोनों पार्टियाँ अपनी पेशे वाली पञ्चायतों को सूचित करती थीं। उन्हें यह अधिकार न था कि वे सबसे पहले सरकारी दफ़्तर में इसकी सूचना दे*। यदि जाती पञ्चायत अथवा ग्राम की बड़ी पञ्चायत की अबदेखना करके वे सरकारी दफ़्तर की शरण लेतीं तो दोहरे अपराध की भागी ठहराई जाती थीं। तामील जिले में एक ग्राम पञ्चायत के सामने चोरी का मामला पेश

* Madras Epigraphy, Annual Report, 1899-1900, p. 11.

हुआ। एक महीना पहिले किसी ब्राह्मण के घर में चोरी हुई थी। ब्राह्मण ने तुरन्त पुलिस को इसकी इत्तला दे दी थी। पुलिस को जब चोरी का कुछ पता न चला तो उसने यह कहकर इस मामले से हाथ खींच लिया कि चोरी का मामला भूटा है। जब यह बात ग्राम पञ्चायत के सामने पेश की गई तो पञ्चायत ने उस ब्राह्मण को २० रुपया इसलिये जुर्माना किया कि पञ्चायत की अवहेलना करके उसने पुलिस को इत्तला दी थी। यह रुपया ग्राम के सार्वजनिक कामों में खर्च किया गया। इसके बाद चोरी की जाँच-पड़ताल शुरू हुई। चार प्रधान व्यक्तियों को यह कार्य सौंपा गया कि वे चोरी का पता लगावें और चाहे जैसे हो ब्राह्मण को ३०० रुपये का ज़ेवर वापिस करें। इसी तरह की घटना का वर्णन रूस की एक ग्राम पञ्चायत में भी मिलता है।

ग्राम पञ्चायत के अतिरिक्त शासन प्रबन्ध के लिये कुछ और भी कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे। गाँव का मुखिया इनका प्रधान होता था। सरकार और ग्राम पञ्चायत के बीच में इसका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण था। जब कोई सरकारी फ़रमान जारी होता तो उसकी सूचना इसी को दी जाती थी। किसी अफ़सर को गाँव के मामले में इसकी आज्ञा के विरुद्ध दखल देने का अधिकार न था। सरकारी टैक्स वसूल करने का अधिकार इसी को दिया गया था। एक दूसरा कर्मचारी गाँव का हिसाब किताब रखता था। इसका काम खेतों का नाप पड़ताल तथा और हर कुटुम्ब की आय का हिसाब रखना था। गाँव के प्रत्येक घर से सालाना कुछ अन्न इसे वेतन के रूप में दिया जाता था। यही कर्मचारी आजकल पटवारी कहलाता है। गाँव का तीसरा कर्मचारी चौकीदार कहलाता था। चौकीदार दो होते थे। एक का काम अपराधियों का पता लगाना था। गाँव में जब कोई नया व्यक्ति आता तो उसकी जाँच पड़ताल के लिये यह तैयार रहता था। इससे बाहरी चोर-डाकू गाँव में प्रवेश न कर सकते थे। दूसरे चौकीदार का काम रात में पहरा देना था। वह खेती आदि की रक्षा करता था। पहले प्रकार के चौकीदार का दर्जा ऊँचा समझा जाता था। ये चौकीदार शूद्र जातियों में से नियुक्त किये जाते थे। इनकी यह जिम्मेवारी थी कि वे गाँव के प्रत्येक निवासी की रहन-सहन से परिचित हों। जब कोई चोरी आदि होती तो उन्हें अपराधी का पता लगाना पड़ता था। प्रत्येक घर से सालाना अन्न उसे वेतन के रूप में दिया जाता था। जब तक चोरी का पता नहीं लग जाता तब तक उसकी जिम्मेवारी ख़तम नहीं होती थी। ये गाँव से बाहर रहते थे और इनका पद पैत्रिक था।

गाँव का चौथा कर्मचारी अमीन कहलाता था। इसका काम गाँव की सीमा ठीक करना था। यदि एक गाँव के रहने वाले किसी पड़ोसी गाँव की कुछ ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते तो दोनों गाँव के अमीन इसका निपटारा करते थे। जब कभी दो व्यक्तियों में अपने खेतों की सीमा के लिये भगड़े पैदा हो जाते तो अमीन उसका फ़ैसला करता था। इनके अतिरिक्त गाँव का अध्यापक, पुजारी, ज्योतिषी तथा तालाब और पानी का निरीक्षक आदि कर्मचारी गाँव की देख-रेख के लिये रखे गये थे। इन्हें वेतन नहीं दिया जाता था। या तो इन्हें गाँव की कुछ ज़मीन बिना लगान के दे दी जाती थी अथवा हर साल प्रत्येक घर से कुछ अन्न दिया जाता था। बड़ई, कुम्हार, लोहार, धोबी, नाई, ग्वाला, वैद्य, गायक, कवि, नर्तक, भाँड़ आदि कर्मचारियों को सालाना अन्न दिया जाता था। ये अपने-अपने पेशे द्वारा गाँव की सेवा करते थे। किसी का दर्जा एक दूसरे से कम नहीं समझा जाता था। इन सब की अलग-अलग पञ्चायतें थीं। सभी पेशे वालों के अनुभवशील व्यक्ति ग्राम की बड़ी पञ्चायत में शामिल किये जाते थे। इन पेशे वालों को देखते हुये यह स्पष्ट है कि प्रत्येक गाँव अपनी आवश्यकताओं के लिये स्वावलम्बी था। फिर भी आस-पास के गाँवों में एकता स्थापित करने के लिये पञ्चायतें बनाई गई थीं। राजराजा चोला प्रथम (१८५-१०१३ ई०) के एक शिला-लेख से पता चलता है कि ४० गाँवों की एक पञ्चायत थी जो इन सब पर शासन-प्रबन्ध करती थी।* एक अंगरेज़ विद्वान लिखता है, 'गाँव का प्रबन्ध करने के लिये निम्नलिखित ६ कमीटियाँ होती थीं, ये सब प्रधान पञ्चायत की मातहतों में अपना कार्य करती थीं :—

१—वार्षिक कमीटी २—बाटिका कमीटी ३—तालाब कमीटी ४—स्वर्ण कमीटी ५—न्याय कमीटी ६—पञ्चवार कमीटी (यह अन्य कमीटियों की देख-रेख करती थी)।”

वर्तमान प्रजातन्त्रवाद के अन्दर वोट लेने की जो प्रथा प्रचलित है वह नई नहीं है। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों से यह पता चलता है कि ग्राम पञ्चायतों में वोट लेने की प्रथा प्रचलित थी। का चुनाव सभी व्यक्ति इनके सदस्य नहीं बन सकते थे। इसके लिये आयु, शिक्षा, तथा सम्पत्ति की शर्त लगाई गई थी। जिसके पास अपना मकान होता, जो निश्चित मात्रा में सरकारी टैक्स देता, जो मन्त्रों का ज्ञान रखता, और कम से कम एक धर्मशास्त्र की पूरी

*Archæological Survey of India, 1904—5, p. 130.

जानकारी रखता, वह पञ्चायत का सदस्य बन सकता था। जिसे एक वेद का पूरा ज्ञान रहता वह भी पञ्चायत का सदस्य बनने का अधिकारी समझा जाता था। इसके अतिरिक्त चरित्र और आयु का भी बन्धन लगाया गया था। ३५ वर्ष से कम और ७५ वर्ष से ऊपर की आयु का कोई व्यक्ति पञ्चायत का सदस्य नहीं बन सकता था। निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य बनने से सर्वथा अयोग्य ठहराये गये थे :—

१—जो सदस्य किसी कारणवश एक बार अपराधी क्रूरार दिया जाता था उसके सम्बन्धी पञ्चायत का सदस्य नहीं बन सकते थे। उसके भाई, बहिन, माता, पिता आदि को पञ्चायत में स्थान नहीं दिया जाता था।

२—ब्रह्म-हत्या करने वाला, शराबी, सोने की चोरी करने वाला, अथवा व्यभिचारी पञ्चायत का सदस्य नहीं बन सकता था। अर्थात् पञ्च महापातकी इस पद से वंचित किये गये थे।

३—चोर तथा डाकू, नीचों की संगति में रहने वाले, और उतावले पञ्चायत में शामिल नहीं हो सकते थे।

४—चरित्रहीन व्यक्तियों के लिये पञ्चायत में कोई स्थान न था।

५—त्याग्य भोजन करने वालों को पञ्चायत में स्थान नहीं दिया जाता था।

६—जालसाज़ी करने वाले तथा गदहे पर चढ़े हुये व्यक्तियों को पञ्चायत में शरीक नहीं किया जाता था।

चुनें हुये व्यक्तियों में से सबसे चतुर तथा अनुभवशाल १२ सदस्यों की एक कमीटी अन्य कमीटियों की देख-रेख के लिये बना दी जाती थी। इसे वार्षिक कमीटी कहा जाता था। दूहरे १२ सदस्यों की एक कमीटी बगीचों की देख-रेख के लिए और इन दोनों के अतिरिक्त ६ सदस्यों की एक तीसरी कमीटी तालाबों की देख-रेख के लिए बनाई जाती थी। इन कमीटियों का यदि कोई सदस्य किसी अपराध में पकड़ा जाता तो वह अपने पद से हटा दिया जाता था। इनके अतिरिक्त जो बाकी कमीटियाँ गाँव की देख-रेख के लिये बनाई जाती थीं उनका चुनाव फिर से होता था।

इन ३० सदस्यों का चुनाव इस वैज्ञानिक ढंग से किया जाता था कि किसी को इसमें आपत्ति की गुंजाइश न होती थी। गाँव को ३० बराबर हिस्सों में बाँट दिया जाता था। प्रत्येक हिस्से में रहने वाले योग्य व्यक्तियों को एक एक टिकट दिया जाता था। वे इस पर अपना नाम लिखकर किसी एक जगह रखते थे। तीसों मुहत्तलों की तीस डेरियाँ लग जाती थीं। हर डेरी पर

मुहल्ले का नाम लिखा रहता था। फिर हर डेरी के टिकट अञ्छी तरह रस्सी से बांध दिये जाते थे। यह सारा काम गाँव की सबसे बड़ी सभा के सामने, जिसमें गाँव के लगभग सभी लोग शरीक रहते थे, होता था। गाँव के छोटे बड़े सभी पुजारी मौजूद रहते थे। सबसे बड़ा पुजारी तीसों डेरियों की अलग अलग बँधी हुई गठरियों को एक मिट्टी के बर्तन में रखता था। इसके पश्चात् वह दोनों हाथों से बर्तन को उठाकर आँख ऊपर किये किसी बच्चे को बुलाता था। बच्चे को यह मालूम नहीं था कि मिट्टी के बर्तन में क्या रक्खा हुआ है। बच्चा बर्तन से एक गठरी निकाल लेता था। इसके बाद पुजारी उस गठरी के तमाम टिकटों को इधर उधर फेर कर किसी दूसरे बर्तन में रख देता था। फिर वह बच्चा इनमें से एक टिकट निकालता था। टिकट को लेने के लिये एक मध्यस्थ पहले से ही नियुक्त रहता था। यह कोई सरकारी अफसर होता था। मध्यस्थ दाहिना हाथ अञ्छी तरह खोलकर पाँचों उंगलियों को फैलाकर इस टिकट को बच्चे से ले लेता था। जिस व्यक्ति का नाम इस टिकट पर लिखा रहता था वह पञ्चायत का एक सदस्य घोषित कर दिया जाता था। इसी तरह बारी बारी से तीसों सदस्यों का चुनाव होता था। स्त्रियाँ भी पञ्चायत अथवा कमीटियों की सदस्या बन सकती थीं।*

मुसलमानी ज़माने में बादशाहों को गाँवों के मामलों में हाथ डालने की ज़रूरत कम पड़ती थी। जब तक उन्हें कर आसानी से गाँव और राजा मिल जाता तब तक वे गाँवों की चिन्ता से सर्वथा निर्द्वन्द्व थे। ग्राम पञ्चायत तथा कमीटियों का वे इतना आदर करते थे कि किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें हाथ डालने की सख्त मुमानियत थी। परन्तु हिन्दू काल में यह बात न थी।† राजा ग्राम पञ्चायतों का आदर करते हुये भी गाँव के प्रबन्ध का ध्यान रखता था। वह इसे अपने राज्य का एक अंग समझता था। राजा की ओर से अनेक कर्मचारी गाँवों की देख-रेख के लिये नियुक्त किये जाते थे। परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि गाँव और केन्द्रीय सरकार के बीच में एक तीसरी राजनीतिक संस्था थी। गाँवों का

*Madras Epigraphy, Annual Report, 1909-10, p. 98.

† For Metcalfe's famous description of the Indian Village Community see Baden-Powell Land System of British India, Vol. 1, p. 170.

सम्बन्ध सीधे केन्द्रीय सरकार से था। हितोपदेश में एक स्थान पर कहा गया है कि :—

त्यजेत्कुलार्थं पुरुषं, ग्रामस्थार्थं कुलं त्यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्थार्थं, आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत् ॥

अर्थात् कुटुम्ब की भलाई के लिये व्यक्ति को, ग्राम की भलाई के लिये कुटुम्ब को, राष्ट्र की भलाई के लिये गाँव को और अपनी भलाई के लिये व्यक्ति इस पृथ्वी को छोड़ने के लिये सर्वथा तैयार रहे।

मनु के कथनानुसार गाँव और राजा का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ था। गाँव का मुखिया वही नियुक्त करता था।* कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में इस विषय के अनेक वर्णन मिलते हैं कि राजा गाँवों के मामलों में सीधा हाथ डाल सकता था।† शुक्रनीति में राजा के अनेक कर्तव्यों में एक यह भी बात आवश्यक ठहराई गई है कि वह वर्ष में एक बार हर गाँव का भ्रमण करे। उसका यह भी कर्तव्य है कि वह प्रजा की तकलीफों को स्वयं सुने, और यदि कोई सरकारी कर्मचारी उस पर अत्याचार करता है तो उसे दंड देने की व्यवस्था करे। दक्षिणी भारत के शिला-लेखों से पता चलता है कि ग्राम पञ्चायतों और राजाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था। गाँव की एक सभा ने ग्राम-वासियों का कुछ रुपया खा डाला। यह रकम किसी मन्दिर के लिये रखी गई थी। मन्दिर के कर्मचारियों ने राजा से इसकी फरियाद की। राजा ने दोनों पार्टियों को बुला भेजा और सभा को दोषी साबित किया। सभा को जुर्माना किया गया और यह रकम मन्दिर को दे दी गई।‡ ११६१ ई० में एक ग्राम की पञ्चायत ने राजा से यह फरियाद की कि अमुक ब्राह्मण चरिबहीन है और एक विधवा स्त्री रखे हुये है। इस मामले में राजा का क्या फैसला रहा इसका जिक्र नहीं किया गया है। § इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि हिन्दू काल में राजा स्वयं गाँवों में जाते थे और प्रजा की हालत जानने की कोशिश करते थे। कुछ राजा तो वेष बदल कर गाँवों में घूमते थे ताकि प्रजा की ठीक ठीक दशा का ज्ञान हो। अतः राजा लोग प्रजा की दशा जानने के लिये गाँवों का चक्कर करते थे। लेकिन जब उन्हें गाँव के मामलों में हाथ डालना होता तो वे ग्राम पञ्चायतों द्वारा ऐसा कर सकते थे।

* मानव धर्मशास्त्र, अ० ८

† मैसूर पत्रिका, फरवी १६०८

‡ Madras Epigraphy Annual Report, 1906-7 p. 71.

§ Madras Epigraphy Annual Report, 1908-9, p. 83.

स्थानीय शासन की व्यवस्था का अपहरण होने से ग्राम पञ्चायतों का महत्व जाता रहा। गाँव के मुखिया, चौकीदार, पटवारी, वृष्टिश राज में अमीन सबके अधिकार छीन लिये गये। इनमें से कुछ ग्राम पंचायतों तो सरकारी कर्मचारी करार दिये गये और कुछ सर्वथा शक्तिहीन कर दिये गये। मुखिया आज भी है, लेकिन उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसका परिणाम इतना भयंकर हुआ है कि गाँव असंगठित तथा अशिक्षित होते गये हैं। जिन गाँवों को तमाम-भगड़े पञ्चायतों द्वारा फैसल किये जाते थे वे ही आज थानों और कचहरियों का मुँह ताकते हैं। छोटे छोटे भगड़ों तक की रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों की ओर से जब उनके ऊपर बेजा दबाव डाले जाते हैं तो उनकी सुनाई सरकारी महकमों में कम होती है। ज़िले का कलेक्टर और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की रक्षा के लिये ग्रामवासियों की कोई प्ररियाद नहीं सुनते। पुलिस के भय के कारण कोई गवाही तक करने के लिये तैयार नहीं होता। यदि गाँवों का जीवन संगठित होता, और सरकारी कर्मचारियों को अपनी बेजा हरकतों के लिये पञ्चायत का डर रहता, तो वे निहत्थे ग्रामवासियों पर अनाचार और अत्याचार न करते। स्थानीय स्वराज की वृद्धि के साथ पञ्चायतों का फिर से श्रीगणेश किया गया है। काँग्रेस की अनेक माँगों में ग्राम पञ्चायतों की भी माँग है। लेकिन इसका तात्पर्य केवल ऊपरी ढाँचे से नहीं है, बल्कि ग्राम पञ्चायतों को वे सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिये जो उन्हें हिन्दू और सुसलमानों ज़माने में दिये गये थे।

वर्तमान समय में पञ्चायतों की स्थापना फिर से की गई है। दक्षिणी हिन्दोस्तान में पञ्चायतों ने अधिक सफलता दिखलाई है। इसकी वजह यह है कि ज़मींदारी प्रथा न होने से प्रजा की कार्रवाइयों में कोई बेजा हाथ डालने की हिम्मत नहीं रखता। उत्तरी हिन्दोस्तान में पञ्चायतों की स्थापना के लिये विभिन्न सूबों में कितने ही कानून पास किये गये हैं। १९२० ई० में संयुक्तप्रान्त में एक ग्राम पञ्चायत ऐक्ट पास किया गया। बिहार और पंजाब में भी इसी प्रकार के पञ्चायत ऐक्ट पास किये गये। १९१६ ई० में बंगाल में एक ग्राम स्वराज ऐक्ट पास किया गया, तदनुसार बहुत से यूनियन बोर्ड की स्थापना की गई। १९२० ई० में संयुक्तप्रान्त में जो पञ्चायत ऐक्ट पास किया गया उसके अनुसार ज़िले के कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह ग्रामों में पञ्चायतें बना सके। गाँवों में पञ्चों को नियुक्त करने का अधिकार उसे दिया गया है। पञ्चों की संख्या कम से कम ५ और अधिक से अधिक ७ हो सकती है। यह पञ्चायत या तो प्रत्येक गाँवों में हो सकती है

अथवा ४-६ गाँवों के बीच में एक ही पञ्चायत बनाई जा सकती है। मौजूदा समय में ग्राम समूहों की पञ्चायतें स्थापित की गई हैं। सभी पञ्चों के लिये यह आवश्यक है कि वे उन्हीं ग्रामों के निवासी हों जिनके लिये वह पञ्चायत बनाई गई है। पञ्चों में से एक व्यक्ति इसका प्रधान होता है। इसे सरपञ्च कहते हैं। कलेक्टर इसकी नियुक्ति करता है।

पञ्चायत को दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के अधिकार दिये गये हैं। २५ रुपये तक के दीवानी के मुकदमों में फ़ैसल करने का अधिकार इसे दिया गया है। यदि किसी ने जान बूझ कर किसी की मवेशी पकड़ ली है अथवा ग्रामनिवासियों की सफ़ाई में बड़ा पहुँचाया है तो उसका मुकदमा पञ्चायत फ़ैसल करती है। जिसने १० रुपये तक की चोरी की है या किसी भी तरह से १० रुपये तक का नुक़सान पहुँचाया है तो उसका मुक़दमा पञ्चायत को सुपुर्द किया जाता है। मामूली मारपीट अथवा अपमान करने वाले फ़ौजदारी के मुक़दमों पञ्चायत में पेश किये जाते हैं। वह फ़ौजदारी के मामलों में १० रुपये तक, मवेशियों के मामलों में ५ रुपये तक, और स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों में १ रुपये तक जुर्माना कर सकती है। जिन व्यक्तियों को नम्बर १० करार दिया गया है उनके मुक़दमों की सुनाई पञ्चायत में नहीं हो सकती। सरकारी कर्मचारियों के मुक़दमों पञ्चायत में पेश नहीं किये जा सकते। पञ्चायत न तो किसी को जेल भेज सकती है और न १० रुपये से अधिक जुर्माना कर सकती है। इसका मुख्य काम गाँव की सफ़ाई करवाना, कुएँ और तालाबों की सफ़ाई का प्रबन्ध करना तथा शिक्षा, खेल-तमाशे, रोशनी, बगीचे आदि की व्यवस्था करना है। पंचायतों को कुछ और अधिकार दे दिये जायँ और सरकार पैसे से इनकी मदद करे तो इनसे दो बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं। एक तो सरकारी कचहरियों को छोटे छोटे मामलों से फ़ुरसत मिल जायेगी, और दूसरे गाँवों की उन्नति का रास्ता साफ़ हो जायेगा। स्थानीय संस्थाओं की हैसियत से पंचायतें जल्दी और सच्चाई के साथ फ़ैसला कर सकती हैं।

पाँचवाँ खंड

विभिन्न विषय

(MISCELLANEOUS)

अध्याय १६

भारतीय रियासतें

राजनीतिक दृष्टि से हिन्दोस्तान ४ भागों में विभाजित किया गया है— बृटिश प्रान्त, देशी रियासतें, फ्रांसीसियों के अधिकार रियासतों की और पुर्तगीजों की भूमि। बृटिश प्रान्तों का वर्णन संख्या और पिछले अध्याय में किया जा चुका है; फ्रांसीसी और इनका विभाजन पुर्तगीजों के अधिकार में हिन्दोस्तान में कुल १८३४ वर्ग मील भूमि और लगभग ६ लाख व्यक्ति हैं। बटलर कमीटी की रिपोर्ट के अनुसार रियासतों की संख्या ५६२ है। परन्तु ज्वॉयंट पार्लियामेंटरी कमीटी की रिपोर्ट से इनकी संख्या लगभग ६०० ठहराई गई है। इनमें १०६ बड़ी रियासतें हैं और इनमें शासकों को नरेन्द्र मंडल (Chamber of Princes) में स्थान दिया गया है। १२६ रियासतों को केवल १२ सदस्य नरेन्द्र मंडल में भेजने का अधिकार है। ३०० रियासतें जागीरदारों और तालुकदारों की हैं। सम्पूर्ण रियासतों का क्षेत्रफल ७१२५०८ वर्ग मील और इनकी जन-संख्या ८१३१०८४५ है। ४५४ रियासतों का क्षेत्रफल १००० वर्ग मील से कम है। ३७६ रियासतें ऐसी हैं जिनकी सालाना औसत वसूली एक लाख से भी कम है। राजपुताने की कुछ रियासतों का क्षेत्रफल १६ वर्ग मील से भी कम है। १५ रियासतें ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल एक वर्ग मील भी नहीं है। २७ रियासतों का क्षेत्रफल एक वर्ग मील है। कुछ रियासतों की जनसंख्या १०० से भी कम है और उनकी सालाना वसूली १०० रुपये के लगभग है। एक रियासत का क्षेत्रफल केवल ३० एकड़ है। लेकिन चन्द रियासतें ऐसी हैं जो योरप के बड़े बड़े स्वतन्त्र देशों से भी लम्बी चौड़ी हैं। हैदराबाद का क्षेत्रफल इटली के बराबर है और इसकी जन-संख्या १ करोड़ ४० लाख से ऊपर है, अर्थात् जापान से इसका

क्षेत्रफल केवल ८००० वर्ग मील कम है। काश्मीर का क्षेत्रफल ग्रेट ब्रिटेन से कुछ ही कम है। मैसूर का क्षेत्रफल डेनमार्क के दूने के लगभग है।

रियासते कई समूहों में विभक्त की जा सकती हैं। भौगोलिक, राजनीतिक और शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से इनमें अन्तर दिखाई पड़ेगा। जम्बू और काश्मीर की रियासत हिन्दोस्तान के उत्तर में स्वर्ग के मानिन्द इतनी सुन्दर और विशाल है कि इसे स्वयं एक समूह में रक्खा जा सकता है। पंजाब की ३४ रियासते एक समूह में रक्खी जा सकती हैं। संयुक्तप्रान्त में केवल ३ रियासते हैं। ये एक दूसरे से सर्वथा अलग हैं। बिहार और उड़ीसा में २६ रियासतों का एक अलग समूह है। बंगाल में २ और आसाम में केवल मनीपुर की रियासत है। २०६ रियासतों का एक दूसरा समूह वेस्टर्न इन्डियन स्टेट्स एजेन्सी के नाम से प्रसिद्ध है। राजपुताने में २१ रियासतों का एक अलग समूह है। मध्य भारतीय रियासतों (Central Indian States) में ६० रियासते हैं। मध्यप्रान्त में कुछ रियासते हैं। बम्बई में १५१ रियासतों का एक दूसरा समूह है। दक्षिण में हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद है। इसके बाद मैसूर की दूसरी बड़ी रियासत है। सुदूर दक्षिण में कोचीन और ट्रावनकोर की रियासते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह विभाजन रियासतों की जलवायु समझने में कुछ सहायक हो सकता है परन्तु राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है।

भारतीय रियासते इतने प्रकार की हैं कि इनका विभाजन किसी वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिये। इनका क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन-प्रबन्ध और ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध—ये बातें इनमें अलग अलग पाई जाती हैं। पद के अनुसार ये रियासते तीन श्रेणियों में रक्खी गई हैं :—

१—वे रियासते जो नरेन्द्र मंडल की सदस्य हैं। इनकी संख्या १०८ है। इन सबका क्षेत्रफल ५१४८८६ वर्ग मील और जनसंख्या ६ करोड़ के लगभग है। इन सबकी सालाना वसूली ४३ करोड़ रुपये के लगभग है। इन्हें 'सलामी वाली' (Salute States) रियासते भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त ८ अन्य रियासतों को भी सलामी का अधिकार दिया गया है, परन्तु वे नरेन्द्र मंडल (Chamber of Princes) की सदस्य नहीं हैं।

२—वे रियासते जिन्हें केवल १२ सदस्य नरेन्द्र मंडल में भेजने का अधिकार है। इनकी संख्या १२७ है। इनका क्षेत्रफल ७६८४६ वर्ग मील और जनसंख्या ८० लाख से कुछ अधिक है। उनकी सालाना वसूली ३ करोड़ रुपये हैं।

३—वे रियासतें जो नरेन्द्र मंडल में अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकतीं। इनके शासक एक प्रकार के जागीरदार अथवा ताल्लुकेदार हैं। इनकी संख्या ३२७ और क्षेत्रफल ६४०६ वर्ग मील है। जनसंख्या ८ लाख से कुछ ऊपर और सालाना वसूली ७५ लाख रुपये के लगभग है। ये रियासतें बहुत ही छोटी और नाममात्र के लिये क्रायम हैं।

रियासतों का यह विभाजन बहुतों को पसन्द नहीं है। सर चार्ल्स मेटकाफ़ ने इनका विभाजन 'स्वतन्त्र' और 'परतन्त्र' दो प्रकार से किया था। प्रत्येक रियासत के साथ ब्रिटिश सरकार ने एक सुलहनामा किया है। हर एक राजा को अधिकारों और कर्तव्यों की एक सनद दी गई है। इसमें यह सूचित किया गया है कि कौन रियासत किस दर्जे तक स्वतन्त्र है। कुछ ऐसी भी रियासतें हैं जो सरकार को कर अथवा नज़र नहीं देतीं। इसके अलावे कुछ रियासतों को प्रति वर्ष कुछ बोड़े, सिपाही और एक निश्चित रक़म देनी पड़ती है। काश्मीर के राजा को प्रति वर्ष १ घोड़ा, १२ बकरियाँ और ३ ऊनी शाल देने पड़ते हैं। लार्ड डलहौज़ी ने भी इस विभाजन को स्वीकार कर लगभग सभी परतन्त्र रियासतों को ब्रिटिश-राज्य में शामिल कर लिया था। गुदर के बाद यह विभाजन दूर कर दिया गया। उनके साथ नये तरह के सुलहनामों किये गये और उनके दर्जों में अनेक परिवर्तन हुये। कुछ भारतीय लेखकों तथा राजनीतिज्ञों ने रियासतों का बहुत ही सरल विभाजन किया है। उनका कहना है कि जो रियासतें क्षेत्रफल, जनसंख्या, वसूली तथा रूतबे में बड़ी हैं उन्हें एक कोटि में रक्खा जाय और बाक़ी को दूसरी कोटि में।

सरदार डी० के० सेन ने रियासतों को ७ श्रेणियों में बाँटा है। राजसत्ता के आधार पर उन्होंने यह विभाजन किया है। जो रियासतें जहाँ तक शासन-प्रबन्ध में आज्ञाद हैं उसी हिसाब से उनको एक कोटि में रक्खा गया है। रियासतों में इतनी विषमतायें हैं कि उनके विभाजन के लिये कोई निश्चित सिद्धान्त बनाना कठिन है। ३० रियासतों में घारा सभायें स्थापित की गई हैं; ४० रियासतें अपनी स्वतन्त्र हाईकोर्ट रखती हैं; ३४ रियासतों ने अपने राज्य में न्याय और कार्य-कारिणी विभाग को एक दूसरे से अलग कर रक्खा है; ५४ रियासतों ने पेंशन देने का नियम बनाया है; ४६ रियासतों में सरकारी पदाधिकारियों का वेतन और उनका कार्यकाल ब्रिटिश प्रान्तों की तरह है; ५६ रियासतों में राजा को एक निश्चित रक़म उसके निजी खर्च के लिये दी जाती है; २१२ रियासतें ब्रिटिश सरकार को कर देती हैं। इस प्रकार इनके आन्तरिक और बाह्य सम्बन्ध में बड़ा ही अन्तर है। शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से रियासतों को दो भागों में बाँटा गया है :—

१—वे रियासतें जो आधुनिक प्रजातन्त्रवाद के आधार पर अपना राजनीतिक प्रबन्ध करती हैं। इनमें निर्वाचन की प्रथा प्रचलित है और लोकमत का आदर किया जाता है। दक्षिण की कुछ बड़ी-बड़ी रियासतें और उत्तर और मध्य की लगभग एक दर्जन रियासतें इस कोटि में गिनी जाती हैं।

२—वे रियासतें जिनमें अभी पुरानी दकियानूसी जारी है। सारे अधिकार राजा को प्राप्त हैं और प्रजा उनके हाथ की कठपुतली है। राजपुताना की कुछ रियासतें और हिन्दोस्तान की शेष रियासतें इसी कोटि में रक्खी जा सकती हैं।

रियासतों की विषमतायें यहीं समाप्त नहीं हो जाती। हिन्दोस्तान में कुल १८ विश्वविद्यालय हैं, इनमें केवल २ रियासतों में हैं। केवल काश्मीर में अपना स्वतन्त्र तारघर है। द्रावनकोर, हैदराबाद और कोचीन में डाकघर हैं। हैदराबाद, उदयपुर, द्रावनकोर और कुछ राजपुताने की रियासतों में अपने निजी सिक्के चलते हैं। किसी भी रियासत को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अंगरेज कर्मचारी के वेतन पर इनकमटैक्स लगा सके। कुछ रियासतों की प्रजा को ब्रिटिश प्रान्तों की बराबरी में रक्खा गया है, परन्तु बाकी की जनता छोटे-छोटे अधिकारों के लिये तरसती है। शिक्षा और उद्योग-धन्वों की दृष्टि से इन रियासतों में कोई समता नहीं है। क्षेत्रफल में जम्बू और काश्मीर की रियासत हिन्दोस्तान में सबसे बड़ी है। परन्तु जन-संख्या में हैदराबाद का नम्बर सर्वप्रथम है। ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ रियासतें बहुत ही प्राचीन हैं। कुछ का निर्माण अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में किया गया है। मैसूर का निर्माण १७६६ ई० में किया गया था। १८८१ ई० में इसकी सीमा में कुछ परिवर्तन किया गया। टोंक, राजपिपला, भालावाड़, गढ़वाल, बनारस, कोल्हापुर आदि रियासतें ब्रिटिश राज्य दृढ़ हो जाने के बाद बनाई गई हैं। कुछ रियासतों में राष्ट्रीय भावनायें ब्रिटिश प्रान्तों की तरह फैली हुई हैं, परन्तु बाकी की जनता योरप के मध्ययुग की तरह कूपमंझक है। इन्हीं सब कारणों से कुछ राजनीतिज्ञों ने रियासतों को ११ भागों में विभाजित किया है।

चाहे जिस तरह से रियासतों का विभाजन किया जाय कोई न कोई कमी जरूर रह जायेगी। इसलिये अच्छा होगा कि उपरोक्त विभाजनों में से किसी को भी मानकर अपना काम चला लिया जाय। लार्ड इरविन ने भी इसे स्वीकार किया था कि रियासतों का विभाजन ठीक नहीं है। यदि सभी रियासतें दो श्रेणियों में बाँटी जायँ तो कोई बुरा न होगा।

१—वे रियासतें जो सरकार को कर (Tribute) देती हैं।

२—वे रियासतें जो कर से मुक्त हैं।

१९१९ ई० में भारतीय शासन-विधान की जो नई योजना बनाई गई उसमें इस बात की सिफारिश की गई थी कि देशी नरेश नरेन्द्र-मंडल अपना एक संगठन बनावें। ८ फ़रवरी १९२१ ई० को (Chamber of Princes) राजाओं के इस संगठन का उद्घाटन किया गया। इसी का नाम नरेन्द्र-मंडल (Chamber of Princes) पड़ा। तब से बराबर यह मंडल रियासतों की भलाई और अधिकारों पर विचार करता रहता है। वाइसराय इस मंडल का सभापति होता है। सभी रियासतें नरेन्द्र-मंडल का सदस्य नहीं बन सकतीं। ३२७ रियासतों का मंडल से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। केवल उन्हीं रियासतों को इसका सदस्य बनने का अधिकार है जिन्हें सलामी दी जाती है। नरेन्द्र-मंडल में कुल १२१ सदस्य होते हैं। १०९ रियासतों के, जो सबसे बड़ी गिनी जाती हैं, यहाँ के राजा और शेष १२७ रियासतों में केवल १२ रियासतों के राजा इस मंडल में आते हैं। राजा लोग स्वयं मंडल के पदाधिकारियों को नियुक्त करते हैं। चान्सलर और प्रोचान्सलर इसके सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं।

१९२८ ई० तक मंडल की कार्रवाइयाँ गुप्त रखी जाती थीं। इसकी बैठक में बाहरी व्यक्ति शरीक नहीं किये जाते थे। परन्तु १९२९ के फ़रवरी महीने में राजाओं ने यह प्रस्ताव पास किया कि आम जनता इसकी कार्रवाइयाँ सुन सकती है। नरेन्द्र-मंडल का दफ़्तर नई दिल्ली में है। उसमें इतनी जगह नहीं है कि बाहरी आदमी काफ़ी तादाद में वहाँ बैठ सकें। मंडल की बनावट को देखते हुये कोई भी इसे प्रजातन्त्रवादी संस्था नहीं कह सकता। राजा लोग अपने पद के कारण मंडल के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव नहीं किया जाता। २३६ रियासतों की ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि मंडल में अपने सदस्य भेज सकें। आधी से अधिक रियासतें इस अधिकार से वंचित रखी गई हैं। जब यह संस्था हिन्दोस्तान में सभी रियासतों की भलाई और बेहतरी के लिये बनाई गई है तो इतनी अधिक रियासतों को अलग रखने में कोई अर्थ नहीं मालूम पड़ता। यद्यपि वे रियासतें छोटी हैं फिर भी इन्हें संघ से एकदम अलग नहीं किया जा सकता।

वैसे तो मंडल का कार्य रियासतों और ब्रिटिश सरकार के सम्बन्ध को ठीक बनाये रखना है, परन्तु जबसे इसकी स्थापना हुई तभी से इसका ध्यान संघ-शासन की ओर आकर्षित हुआ। कई बार इस समस्या पर विचार किया

गया। रियासतों की यह अभिलाषा थी कि बृटिश प्रान्तों के साथ उनका सम्पर्क हो जाय, लेकिन साथ ही वे यह भी चाहती थीं कि उनकी स्वतन्त्रता में कोई बाधा न पड़ने पाये। गोलमेज़ सभा में इस पर विचार किया गया। राजाओं की इस पर दो रायें थीं। कुछ लोग संघ-शासन के पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में। बड़ी रियासतें मंडल में हमेशा से अपना अधिक हाथ रखती रही हैं। संघ-शासन के प्रश्न पर जब छोटी रियासतों के साथ उनका मतभेद हुआ तो उन्हें झुकना पड़ा। कारण यह है कि मंडल में छोटी रियासतों के राजाओं की संख्या अधिक है, इसलिये उनका सदैव ही बहुमत रहता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह चर्चा चलाई गई कि मंडल का संगठन नये सिरे से किया जाय। इसके लिये एक कमीटी बना दी गई है, परन्तु अभी तक इसका संगठन पहिले जैसा ही है।

नरेन्द्र-मंडल के अधिकार बहुत ही सीमित हैं। किसी रियासत के आन्तरिक प्रबन्ध के विषय में उसे विचार करने का अधिकार नहीं है। बृटिश सरकार के साथ जो उनकी सन्धियाँ हुई हैं उन पर भी सदस्यगण वाद विवाद नहीं कर सकते। मंडल इस विषय का कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकता कि बृटिश सरकार और रियासतों का सम्बन्ध बदल दिया जाय। यह संस्था एक प्रकार की सलाहकारिणी है। रियासतों के छोटे-मोटे प्रबन्ध के लिये यह सलाह देती रहती है। जब कोई ऐसा राजनीतिक प्रश्न उठ खड़ा होता है जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है तो इस विषय में यह वाइसराय को सलाह दे सकती है। कुछ रियासतें नरेन्द्र-मंडल को बेकार समझती हैं। काश्मीर, ट्रावनकोर, मैसूर, और हैदराबाद, जिनकी गणना सबसे बड़ी रियासतों में की जाती है, नरेन्द्र-मंडल के सदस्य नहीं हैं।

हिन्दोस्तान की २४ प्रतिशत जनता देशी रियासतों में रहती है। यदि बृटिश प्रान्तों को आज़ादी दे दी जाय, और रियासतों में रियासतों में कोई परिवर्तन न किया जाय, तो यह मुश्किल आज़ाद नहीं ज़िम्मेदार कहा जा सकता। वर्तमान परिस्थिति में देशवासियों की नज़र रियासतों की ओर भले ही न जाय, परन्तु समय किसी आन्दोलन का इन्तजार नहीं करता। रियासतों में रहने वाले लोग यह नहीं जानते हैं कि राजनीतिक अधिकार क्या है। जिस प्रकार एकतन्त्रवाद का ज़िक्र प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है उसी का जीता जागता उदाहरण रियासतों में मौजूद है। राजा के शब्द ही कानून कहलाते हैं। दो चार इनी-गिनी को छोड़कर किसी में भी प्रतिनिधि सभा नहीं पाई जाती। राजा स्वयं कानून बनाते, फैसला करते और उन्हें कार्यान्वित

करते हैं। जनता को यह अधिकार नहीं है कि वह स्वतन्त्रता-पूर्वक कोई संगठन बनाये और सभाये करे। ऐसे कितने ही उदाहरण मौजूद हैं जब कि मीटिंगों और भरी सभाओं में कर्मचारियों की ओर से गोलियाँ चलाई गई हैं। रियासतों में लेखन और भाषण की भी स्वतन्त्रता नहीं है। सरकारी कर्मचारी प्रजा को भेड़ और बकरी समझते हैं। नियमित कर से अधिक कर वसूल करना उनके लिये मामूली सी बात है। प्रजा अपनी तकलीफों को राजदरबार तक नहीं पहुँचा सकती। अगर किसी ने हिम्मत भी की तो उसे या तो रियासत से बाहर निकाल दिया जाता है अथवा तरह-तरह की तकलीफें दी जाती हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रान्तों में तो कोई न कोई कानून बतें जाते हैं, परन्तु रियासतों में कोई कानून नहीं है। अपराधी महीनों बन्द कोठरियों में पड़े रहते हैं, उनके मुकदमों की सुनाई नहीं होती।

एकतन्त्रवाद में जितनी बुराईयाँ हो सकती हैं वे सब देशी रियासतों में पाई जाती हैं। राजाओं को अपने पद और अधिकारों का इतना गर्व होता है कि वे अपनी एक भी बात टाल नहीं सकते। उनका लालन-पालन ऐसे वातावरण में होता है और उनकी शिक्षा इतनी एकांगी होती है कि प्रजा के प्रति सद्भावना की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। या तो वे महलों में बैठे चन्द चापलूसों की जी हुजूरी सुनते हैं, अथवा योरप की सैर करते हैं। सारा कार्य दीवान और चन्द कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है। वे जितना फायदा उठा सकते हैं, उसमें कोई कसर बाक़ी नहीं रखते। कर्मचारियों को यह भली भाँति मालूम है कि न जाने किस समय राजा उन्हें निकाल बाहर कर दें। इसलिये अपने कार्य-काल में वे प्रजा से अधिक अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं। रियासतों में जनता की राय सरीखी कोई चीज़ नहीं है। काश्मीर हिन्दोस्तान की बड़ी रियासतों में है। वहाँ के नायब दारोगा को यह अधिकार है कि वह जिसे चाहे गिरफ़्तार करके एक महीना जेल में बन्द रखे। अपराधी को यह भी अधिकार नहीं है कि वह अपने निरपराध होने का सबूत पेश कर सके। फ़्रांस के बादशाह चौदहवें लुई की तरह राजा लोग रियासत को अपनी सम्पत्ति समझते हैं। यदि रियासतों की आय और व्यय पर नज़र डाली जाय तो आधे से अधिक खर्च राजा का निजी खर्च कहलाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक कामों पर कम से कम व्यय किया जाता है।

कॉंग्रेस आन्दोलन का प्रभाव देशी रियासतों पर भी गहरा पड़ा है। यद्यपि रियासतों में कॉंग्रेस सीधे हाथ नहीं डालती, फिर भी इसके सिद्धान्त अधिकतर रियासतों को मान्य हैं। वहाँ की प्रजा यह हृदय से चाहती है कि

उन्हें भी आज़ादी हासिल हो जाय। बृटिश प्रान्तों में प्रजा पर केवल बृटिश सरकार का भार है, परन्तु रियासतों में सरकार और राजा दोनों का है। इसीलिये वहाँ के लोग अधिक दबू और जाहिल हैं। प्रान्तों की देखा-देखी उनके अन्दर कुछ उत्साह पैदा हुआ है, लेकिन अभी तक उनका भार हल्का नहीं हुआ। एक ज़िम्मेवार शासन के लिये जो जो बातें ज़रूरी हैं, उनकी माँग वे वर्षों से पेश कर रहे हैं, परन्तु अभी तक उनकी पूर्ति नहीं हुई। चन्द प्रगतिशील रियासतों ने इस दिशा में कुछ करने का वचन दिया है। रियासती प्रजा की माँगों में निम्नलिखित माँगें सबसे महत्वपूर्ण हैं :—

१—राजा को सलाह देने के लिये एक मन्त्रि-मंडल की स्थापना की जाय, जो प्रजा द्वारा निर्वाचित हो।

२—कानून आदि बनाने के लिये धारा सभायें स्थापित की जायँ। सभी बालिग व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार हो।

३—रियासत की आमदनी और खर्च धारा-सभा के हाथों में रखी जाय।

४—सरकारी कर्मचारियों की बेजा हरकतों को दूर करने के लिये उन्हें उचित वेतन दिया जाय, और उनका कार्य-काल निश्चित कर दिया जाय।

५—प्रजा को लेखन और भाषण की स्वतन्त्रता दी जाय।

६—अपराधियों को बिना उन्हें उचित कारण बतलाये गिरफ्तार न किया जाय। उनका मुक़दमा जल्दी से जल्दी फैसल किया जाय।

७—कानून में किसी के साथ पक्षपात न किया जाय।

८—उचित व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किये जायँ।

कितनी ही रियासतों में "प्रजा-मंडल" स्थापित किये गये हैं। इनका उद्देश्य रियासतों में ज़िम्मेवार शासन की स्थापना करना है। कुछ राजाओं ने इन्हें ग़ैर कानूनी करार दिया है। मंडल के सदस्यों पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। सारांश यह है कि रियासतों में अभी तक ज़िम्मेवार शासन की स्थापना नहीं हुई है। राजाओं के दिलों में अभी यह भाव उत्पन्न नहीं हुआ है कि वे प्रज्य के प्रतिनिधि हैं और उन्हें सारी सुविधायें उसी से प्राप्त हुई हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि समय बड़े ज़ोरों से बदल रहा है। वे इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। प्रजातन्त्रवाद की लपट सब जगह एक-सी फैल रही है। यदि राजा लोग इस गुर को समझ जायँ तो उन्हें अधिक सुख और शान्ति मिल सकती है। प्रजा की भलाई को यदि वे अपना कर्तव्य मान लें तो निर्भय होकर अकटक राज्य कर सकते हैं। हिन्दो-स्तान की एक चौथाई जनता की किरमत उनके हाथों में है। उनकी शिक्षा

तथा सभी प्रकार की उन्नति की ज़िम्मेवारी लेकर वे अपने मुल्क की अधिक भलाई कर सकते हैं ।

रियासतों को मनमाना अधिकार प्राप्त नहीं हैं । कुछ तो बृटिश सरकार से सुलह के कारण और कुछ उसकी नीति से वे बँधी हुई हैं । किसी भी राजा को अपनी रियासत में क़िले बनवाने का अधिकार नहीं है । बृटिश सरकार को यह भय है कि इससे उनकी शक्ति बढ़ सकती है । यदि किसी पुराने क़िले की मरम्मत करानी है तो सरकार से इसकी आज्ञा लेनी पड़ती है । यदि बृटिश सरकार किसी रियासत से होकर रेल की लाइन ले जाना चाहती है, अथवा तार या फ़ौज के लिये ज़मीन चाहती है, तो रियासतों को बिना मूल्य उसे देना होगा । अपनी फ़ौज और हथियारों की संख्या कोई भी रियासत नहीं बढ़ा सकती । कुछ रियासतों को योरोपीय निवासियों पर मुक़दमें चलाने का अधिकार नहीं है । हैदाराबाद, मैसूर और बड़ौदा आदि बड़ी बड़ी रियासतों तक को किसी अँगरेज़ अथवा अमेरिकन को फ़ौसी की सज़ा देने का अधिकार नहीं है । छोटी-छोटी रियासतों में बृटिश रेज़िडेन्ट कलेक्टर और जज दोनों होता है । किसी रियासत को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने राज्य का कोई भाग किसी दूसरी रियासत को बदले में दे सके । थोड़ी ही रियासतें अपना निजी सिक्का चला सकती हैं ।

१८५७ ई० में बृटिश सरकार ने यह क़ानून पास किया कि रियासतें आयात और निर्यात कर नहीं बढ़ा सकतीं । इस पर सम्राट् का दैवी अधिकार माना गया है । बृटिश सरकार की आज्ञा के बिना किसी रियासत को गोद लेने का अधिकार नहीं है । जब सम्राट् इस गोद को स्वीकार करता है तो रियासत को कुछ रकम उसे भेंट करनी पड़ती है । किसी विशेष कारण से यह रकम माफ़ भी कर दी जाती है । यदि किसी रियासत का निवासी हिन्दोस्तान से बाहर जाना चाहे तो उसे बृटिश सरकार से पासपोर्ट लेना होगा । भारत-सरकार का राजनीतिक विभाग (Political Department) जब चाहे इन रियासतों में दख़ल दे सकता है । ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जब कि राजा को रियासत से बाहर निकाल दिया गया है । दीवान, प्रधान मन्त्री तथा रियासत के अन्य कर्मचारी राजनीतिक विभाग द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । बड़ी से बड़ी रियासत को किसी दूसरी रियासत से लड़ाई की घोषणा करने का अधिकार नहीं है । यदि कोई राजा अपनी प्राज पर मनमाना अत्याचार करे तो बृटिश सरकार उसे ऐसा नहीं करने देगी ।

रियासतों को केवल इतनी स्वतन्त्रता प्राप्त है कि वे ब्रिटिश सरकार की सन्धि के अनुसार चलती रहें और आन्तरिक प्रबन्ध को ठीक रखें ।

यह विषय बहुत ही विवादग्रस्त है कि रियासतों को स्वतन्त्र कहा जाय अथवा नहीं । यह तो स्पष्ट है कि बाह्य और आन्तरिक सर्वोच्च अधिकार दोनों विषयों में उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं है । किसी Paramount बाहरी देशों से एक स्वतन्त्र राष्ट्र की तरह वे power सन्धि नहीं कर सकतीं । आन्तरिक मामलों में भी ब्रिटिश सरकार अनेक कारणों से दखल दे सकती है । इस दृष्टि से उन्हें स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता । कुछ लोगों का कहना है कि रियासतों की बाह्य राजसत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में और आन्तरिक राजसत्ता राजाओं के हाथ में है, इसलिये इन्हें अर्द्धराष्ट्र कहा जा सकता है । जान आस्टिन, जो राजसत्ता पर एक प्रमाण माना जाता है, राजसत्ता को अखंडित और अदेय बतलाता है । अर्थात् इसका विभाजन नहीं किया जा सकता । अतएव यह कहना ग़ज़त है कि रियासतों को राजसत्ता का कोई अंश प्राप्त है ।

रियासतों के राजा अपने आपको किसी स्वतन्त्र बादशाह से कम नहीं मानते । किसी अंश तक अपने आन्तरिक प्रबन्ध के लिये वे स्वतन्त्र ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो एक स्वतन्त्र शासक को होने चाहिये । रियासतें अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी स्वतन्त्र नहीं कही जा सकतीं । एक स्वतन्त्र राष्ट्र किसी भी सुलझनामे को जब चाहे तोड़ सकता है । रियासतें ऐसा नहीं कर सकतीं । उनके ऊपर इतनी शक्तें हैं कि उनके सामने उन्हें आज्ञाद होने का स्वप्न नहीं देखना चाहिये । जो रियासतें ब्रिटिश सरकार को कर देती हैं, और जिनकी फ़ौज तथा हथियारों की संख्या निश्चित है, वे राजसत्ता की अधिकारिणी नहीं कहला सकतीं । इनकी वास्तविक स्थिति का ठीक-ठीक वर्णन करने में कुछ लेखकों ने इतनी गोलमाल की बातें लिखी हैं कि उनसे कुछ समझ में नहीं आता । लेज़ली स्काट (Sir Leslie Scott) लिखता है, " आरम्भ में हर एक रियासत स्वतन्त्र थी । यह स्वतन्त्रता अभी तक क्रायम है । इसकी थोड़ी सी कमी का कारण यह है कि इनकी कुछ स्वतन्त्रता ब्रिटिश सम्राट् को दे दी गई । " * जिस राष्ट्र की स्थिति किसी

* As each state was originally independent, so each remains independent except to the extent to which any part of the ruler's sovereignty has been transferred to the Crown.

दूसरे राष्ट्र की मर्जी पर क्रायम रहे वह अपने आपको पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं कह सकता। भारतीय रियासतों का वर्तमान स्थान ब्रिटिश सम्राट् द्वारा निश्चित किया गया है। रियासतों की परिभाषा में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि सम्राट् ही उन्हें बना और बिगाड़ सकता है।*

रियासतों की राजसत्ता ब्रिटिश सम्राट् के हाथों में दी गई है। इसी को सर्वोच्च अधिकार (Paramount Power) कहते हैं। यह अधिकार स्पष्ट नहीं किया गया है। किस-किस दशा में सम्राट् इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। कहा जाता है कि तीन कारणों से सम्राट् अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राजा की भलाई, रियासत के लाभ, और सम्पूर्ण भारत की रक्षा तथा उन्नति का प्रश्न उपस्थित होने पर वह रियासतों में हाथ डाल सकता है। परन्तु कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि सर्वोच्च शक्ति (Paramount Power) ने अनायास और निष्प्रयोजन रियासतों में दखल दिया है। सर्वोच्च शक्ति इस बात का दावा करती है कि उसी के कारण राजाओं के अधिकार और इनकी मर्यादा सुरक्षित है। सम्राट् ने अपने इस सर्वोच्च अधिकार को वाइसराय को दे रखा है। आवश्यकता पड़ने पर वाइसराय रियासतों में दखल दे सकता है।

“सर्वोच्च अधिकार (Paramountcy) एक तरह की ईजाद है जो ब्रिटिश सरकार ने बड़े अनुभव से किया है।”† सच्ची बात तो यह है कि रियासतों को किसी तरह एक सूत्र में बाँधना था। इसीलिये ब्रिटिश सम्राट् को यह अधिकार दिया गया है कि वह इनकी रक्षा और आन्तरिक प्रबन्ध की जिम्मेवारी अपने हाथों में ले ले। ब्रिटिश भारत को एक सूत्र में बाँधकर सरकार बिलखी हुई रियासतों को स्वतन्त्र कैसे रख सकती है। वह कहना ठीक है कि सम्राट् की सर्वोच्च शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसका प्रयोग छोटी और बड़ी सभी रियासतों में एक सा किया जा सकता है। जो अधिकार राजाओं को दिये गये हैं वे सर्वोच्च अधिकार की बराबरी नहीं कर सकते। १९२६ ई० के लार्ड रीडिंग के एक पत्र से, जो उन्होंने हैदराबाद के

* Indian states means any territory, not being part of British India, which His Majesty recognises as being such a state, whether described as a state, an estate, a Jagir or otherwise.

† The idea of Paramountcy is an original political idea forged by the British in the factory of experience.

निजाम को लिखा था, यह बात और भी साफ़ हो जाती है ।* सम्राट् उन सुलहनामों से बाध्य नहीं है जो रियासतों के साथ समय-समय पर किये गये हैं । इसी सर्वोच्च शक्ति द्वारा रियासतों और ब्रिटिश सम्राट् के बीच में एकता स्थापित की गई है । दोनों का सम्बन्ध शासक और शासित का सा है । सम्राट् रियासतों का संरक्षक है । छोटी-छोटी बातों में वह दखल देता रहता है । भूपाल राज्य में एक क़तल हुआ । ब्रिटिश सरकार को यह शक हुआ कि इसमें राजा का भी हाथ है । वह तुरन्त गिरफ़्तार कर लिया गया । उसे जेल की सज़ा दी गई और एक ब्रिटिश भारत के जेल में उसे रख दिया गया । इसी से हम अनुमान कर सकते हैं कि राजाओं को कहाँ तक स्वतन्त्रता दी गई है । गत वर्ष महाराजा रीवा को बहिष्कृत कर इस अधिकार को और भी स्पष्ट कर दिया गया है ।

शासन-विधान का उपयोग जनता की इच्छा पर है । बुरे से बुरे शासन-विधान को अच्छी तरह कार्यान्वित करके कोई भी राष्ट्र रियासतें और अपना कल्याण कर सकता है । इतना ज़रूर है कि संघ-शासन उन्हें आपस में मिलने का अवसर प्राप्त होना चाहिये । अभी तक हिन्दोस्तान ही ऐसे राजनीतिक टुकड़ों में बँटा हुआ था कि एक के निवासी दूसरे से कोई सम्पर्क नहीं रखते थे । इस देश में संघ-शासन की उपयोगिता बहुत पहले से स्वकार की गई है । १९३५ ई० में यह योजना पूरी की गई और देशी रियासतों तथा ब्रिटिश प्रान्तों को एकत्र होने का अवसर दिया गया । यद्यपि यह संघ-शासन-विधान वैसा नहीं है जिसकी हमें आशा थी, फिर भी कार्यान्वित होने पर शायद इससे कुछ लाभ पहुँचता । परन्तु योरोप की लड़ाई के कारण इसकी अवधि अनिश्चित काल तक टाल दी गई । कुछ बुराइयों के कारण, जिनका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है, यह संघ-शासन-विधान सर्वथा दोषपूर्ण ठहराया गया है । काँग्रेस ने खुले आम इसका विरोध किया है । वह नहीं चाहती कि शासन की शकल ऐसी ही बनी रहे । विधान-सम्मेलन

* The sovereignty of the British Crown is supreme in India, and therefore no ruler of an Indian State can justifiably claim to negotiate with the British Government on an equal footing. Its supremacy is not based only upon treaties and engagements, but exists independently of them. (27th March 1926).

में वह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी कि इस संघ-शासन की क्या उपयोगिता है।

१९३० ई० में जब लंदन में पहली गोलमेज़ सभा बुलाई गई थी तो राजाओं ने यह क़ैसला किया कि संघ-शासन की योजना पर वे गहराई के साथ विचार करेंगे। राजाओं को अभी तक यह भय है कि काँग्रेस हिन्दोस्तान में समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। इसीलिये वे ब्रिटिश सरकार की छत्रछाया से बाहर निकलने में भयभीत होते हैं। संघ-शासन में उन्हें बराबरी की हैसियत से बर्ता जायेगा। यह बात उन्हें पसन्द नहीं है। इस शंका को दूर करने के लिये १९२९ ई० में लार्ड इरविन ने उन्हें यह आश्वासन दिलाया कि प्रत्येक दशा में उनके अधिकारों की रक्षा की जायेगी। १९३१—३२ में जो दूसरी और तीसरी गोलमेज़ सभायें हुईं उनमें राजाओं ने पूरा-पूरा भाग लिया। इतने आश्वासन दिलाने पर भी उन्होंने निम्नलिखित शर्तों के साथ संघ-शासन की योजना में शामिल होने का वादा किया :—

१—संघ-सरकार की शक्ति किसी भी तरह कमज़ोर न हो। उसे सभी वास्तविक शक्तियाँ (Real Powers) प्रदान की जायँ।

२—ब्रिटिश सरकार के साथ जो उनके सुलहनामें हुये हैं उनमें कोई कमी न पड़ने पाये। संघ-सरकार इन मामलों में तब तक दखल न दे जब तक रियासतें अपनी इच्छा से इन्हें छोड़ न दें।

३—संघ में शरीक होने और न होने का अधिकार राजाओं की मज़ी पर छोड़ दिया जाय।

४—संघ को रियासतों के आन्तरिक प्रबन्ध में हाथ डालने का अधिकार न हो।

५—जिन विषयों का सम्बन्ध सीधे ब्रिटिश सम्राट् से है उनमें संघ को हाथ डालने का अधिकार न हो।

जब संघ-शासन-विधान बनाया गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन बातों का ध्यान रक्खा, ताकि राजाओं को बिना किसी असुविधा के इसमें शरीक होने का अवसर मिले। अनुपात से अधिक उन्हें धारा-सभाओं में स्थान दिये गये हैं। ब्रिटिश प्रान्तों को संघ-शासन में शामिल होना अनिवार्य ठहराया गया है, परन्तु रियासतों को इस बात की स्वतन्त्रता है कि वे जब चाहें इसमें शरीक हों और इच्छा न होने पर वे इससे अलग भी रह सकती हैं। रियासतों को संघ-सरकार के कर्मचारियों से सर्वथा स्वतन्त्र रक्खा गया है। उन्हें यह अधिकार है कि संघ-सरकार से अपना सम्बन्ध वे स्वयं निश्चित कर लें। संघ की स्थापना के बाद भी ब्रिटिश सम्राट् के सुलहनामें वैसे ही बने रहेंगे।

आबादी के हिसाब से संघ धारा-सभा में उन्हें अधिक से अधिक २५ प्रतिशत स्थान मिलने चाहिये, परन्तु ४० प्रतिशत स्थान उन्हें दिये गये हैं। संघ-सरकार की ६० प्रतिशत आमदनी ब्रिटिश प्रान्तों से होगी और रियासतें केवल १० प्रतिशत देंगी। शासन-विधान में यहाँ तक कहा गया है कि जब तक सम्पूर्ण रियासतों की जनसंख्या की आधी से सम्बन्ध रखने वाली रियासतें संघ में शरीक न होंगी तब तक शासन-विधान कार्यान्वित नहीं किया जायगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि रियासते चाहें तो बने बनाये संघ-शासन को बेकार साबित कर सकती हैं।

संघ में प्रवेश करते समय रियासतें एक प्रकार का शर्तनामा करेंगी जिसके अनुसार वे अपने चन्द विषय संघ-सरकार की मातहतता में देंगी। यह शर्तनामा (Instrument of Accession) सभी रियासतों के साथ एक सा नहीं होगा। इससे संघ-सरकार का प्रभाव रियासतों पर भिन्न-भिन्न पड़ेगा। इस शर्तनामे को ब्रिटिश सम्राट् स्वीकार करेगा। संसार के किसी देश में इस प्रकार का संघ-शासन नहीं पाया जाता। सब जगह शासन की इकाइयाँ एक सा अधिकार रखती हैं। उनके स्थान भी समान रूप से दिये जाते हैं। परन्तु भारतीय संघ-शासन-विधान में रियासतें अपवाद स्वरूप हैं। संघ-धारा-सभा के सदस्य दो प्रकार के होंगे। प्रान्तों के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे यद्यपि यह निर्वाचन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से होगा। परन्तु देशी रियासतों के सदस्य राजाओं द्वारा नामजद किये जायेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संघ-सरकार की बड़ी धारा-सभा (Senate) में सभी रियासतों को बराबर स्थान दिया गया है। प्रत्येक रियासत, छोटी हो अथवा बड़ी, दो सदस्य भेजती है। छोटी धारा-सभा (House of Representatives) में स्थानों का वितरण रियासतों की आबादी के हिसाब से किया गया है। भारतीय संघ-शासन-विधान में ऐसा नहीं है। बड़ी धारा-सभा में रियासतों और सूबों को बराबर स्थान प्राप्त नहीं है। छोटी धारा-सभा में आबादी के हिसाब से रियासतों को केवल १ स्थान मिलने चाहिये, परन्तु उन्हें १ स्थान दिया गया है।

संघ-शासन-विधान में रियासतों और ब्रिटिश प्रान्तों को कोई समानता नहीं है। ऐसा दो कारणों से नहीं किया गया है। ब्रिटिश सरकार रियासतों के सुलहनामों को बदलना नहीं चाहती। दूसरे राजा स्वयं यह नहीं चाहते कि उनके व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ में बट्टा लगे। इन्हीं रियासतों के कारण संघ की शकल टेढ़ी-मेढ़ी हो गई है। एक ओर तो प्रजातन्त्रवाद का गिरोह है और दूसरी ओर एकतन्त्रवादी रियासतें हैं। इन दोनों का मेल

नहीं खा सकता। यदि संघ को सचमुच सफल बनाना है तो रियासतों में पहले जिम्मेवार शासन की स्थापना की जाय। संघ-सरकार के अन्दर उनका वही स्थान हो जो ब्रिटिश प्रान्तों का। राजाओं के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात न किया जाय और न उनसे शर्तनामों लिखवाये जायें। संघ में शरीक होना सबके लिये अनिवार्य ठहराया जाय। संघ-सरकार के कानून प्रान्तों और रियासतों में एक से बतें जायें। रियासतों के सदस्य राजाओं द्वारा नामजद न होकर प्रजा के प्रतिनिधि हों।

हिन्दोस्तान की वर्तमान राष्ट्रीय प्रगति को देखते हुये यह भली भाँति स्पष्ट है कि इसका कोना कोना प्रजातन्त्रवादी संस्थाओं

रियासतों का (Democratic Institutions) से ओतप्रोत होगा।

भविष्य रियासतों में जो धँधली चल रही है वह चन्दरोज़ा है। ब्रिटिश प्रान्तों की आज़ादी को देखकर उनके पड़ोसी कूपमंडूक नहीं रह सकते। वह दिन अब दूर नहीं है जब कि रियासतों में जिम्मेवार शासन की स्थापना के लिये राजाओं को बाध्य होना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार को स्वयं इस मामले में प्रजा की मदद करनी होगी। एक समय ऐसा भी आयेगा जब कि रियासतों और प्रान्तों की प्रजा एक प्लेटफार्म पर मिलेगी। जितनी तेज़ी के साथ संसार की काया पलट हुई है उससे हिन्दोस्तान की २४ प्रतिशत जनता किस प्रकार वंचित रही है, यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। परन्तु प्रजा-मंडलों की वृद्धि, उनकी मार्गों और राष्ट्रीय भावनाओं से उनके सहयोग को देखते हुये यह अनुमान किया जा सकता है कि कितनी तेज़ी के साथ हिन्दोस्तान की राष्ट्रीयता बढ़ रही है। इस चतुर्मुखी लहर से रियासतें क्योंकि अपने को अलग रख सकती हैं। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि किसी छोटें से देश की विजय का प्रभाव सारे महाद्वीप पर पड़ता है। जब जापान ने रूस को शिकस्त दी तो सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप को इसका गर्व हुआ था। उन्हें यह विश्वास हुआ कि पूर्व भी पश्चिम को हरा सकता है। अपनी सेवा और त्याग के कारण ब्रिटिश प्रान्तों को जो आज़ादी मिलती जा रही है उसका प्रभाव रियासतों पर पड़े बिना नहीं रह सकता।

अध्याय २०

स्वास्थ्य और सफ़ाई

किसी सभ्य जाति की पहली पहचान उसकी बाहरी सफ़ाई है। इसके पश्चात् उसकी बुद्धि और कला-कौशल की परीक्षा सभ्यता की जाती है। जो जाति गन्दे तरीक़े पर रहती है और जिसको रहन-सहन में पवित्रता की भावना कम है वह आगे को नहीं बढ़ सकती। उसका साहित्य और जीवन दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकता। पाश्चात्य सभ्यता की तमाम कमज़ोरियों के बावजूद, यह बात निर्विवाद है कि योरप निवासी बाहरी सफ़ाई पर अधिक ध्यान देते हैं। जब तक हमारे कपड़े गन्दे हैं और शरीर पर धूल और मैले हैं तब तक हमारी बुद्धि कोई साफ़ चीज़ नहीं पैदा कर सकती। संसार का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि गन्दी और बुरी तरह रहने वाली जातियाँ हमेशा गुलाम रही हैं। आज भी भारतीय समाज में जो वर्ग गन्दा जीवन व्यतीत कर रहा है उसकी आर्थिक और सामाजिक हालत बड़ी ही शोचनीय है। इसका बहूत कुछ कारण उसकी अशिक्षा और ग़रीबी है, फिर भी जो जाति अपने आपको किसी हद तक उठाने की सामर्थ्य नहीं रखती वह गुलामी की जंजीर से मुक्त नहीं हो सकती। ज्यों-ज्यों मनुष्य की रहन-सहन बदलती गई है, और वह जंगलों तथा पहाड़ों के कन्दरों से निकल कर हवादार भूकानों और नगरों में रहने लगा है, त्यों-त्यों उसकी सभ्यता ऊपर को उठती गई है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पाश्चात्य सभ्यता में ऊपरी सफ़ाई पर जितना ज़ोर दिया जाता है उतना अन्य मानसिक प्रवृत्तियों पर नहीं। किसी ख़ास दृष्टिकोण से यह बात ठीक हो सकती है, परन्तु विज्ञान और वर्तमान भौतिक उन्नति को देखते हुये हम उन्हें पिछड़ा हुआ नहीं कह सकते।

मनुष्य का यह पहला कर्तव्य है कि वह अपने शरीर पर ध्यान रखे। स्वास्थ्य और सफ़ाई का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिसे साफ़ रहने की आदत है

उसे बीमारियाँ कम होंगी और दवा की आवश्यकता उसे नहीं पड़ सकती ; उसका स्वास्थ्य हर समय ठीक रहेगा । स्वस्थ भोजन और पौष्टिक पदार्थों से बढ़कर साफ़ हवा और परवाह की आवश्यकता है । स्वास्थ्य के लिये सबसे ज़रूरी चीज़ें हवा और पानी हैं । इसके बाद भोजन और कसरत आदि का दर्जा आता है । शहरों में अच्छा-से-अच्छा भोजन करके लोग स्वस्थ और निरोग नहीं रह पाते । गन्दी गलियों और कारख़ानों के धुये के सामने बादाम और हरे फलों के रस कुछ काम नहीं करते । गाँवों में इतनी ग़रीबी होते हुये भी लोग स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं । जैसे भी हो स्वास्थ्य को ठीक रखना निहायत ज़रूरी है । इसी से मनुष्य के विचार पुष्ट होते हैं । राष्ट्र की उन्नति का एक वह भी लक्षण है कि अधिक से अधिक व्यक्ति निरोग और हृष्ट-पुष्ट हों । कमज़ोर और बीमार व्यक्ति समाज को खोखला करते हैं । प्राचीन काल में स्पार्टा नगर में किसी कमज़ोर व्यक्ति को रहने की इजाज़त न थी । जब लड़के पैदा होते तो उनकी परीक्षा की जाती थी । यदि वे कमज़ोर होते तो उन्हें मार डाला जाता था । वहाँ की सरकार का यह सख्त हुक़म था कि राज्य में कोई दुबला-पतला अथवा बीमार न रहे । सबको बच्चे से बूढ़े तक, चाहे वे स्त्री हों अथवा पुरुष, फ़ौजी शिक्षा दी जाती थी । सरकारी कर्मचारी विशेष रूप से स्वस्थ रखे जाते थे ।

ज्यों-ज्यों समय बदल रहा है, सफ़ाई और स्वास्थ्य की ओर लोगों का ध्यान अधिक दिलाया जाता है । मशीनों के कारण स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन जैसा युग होता है वैसी ही व्यवस्था बनानी पड़ती है । फ़ैक्ट्रियों तथा मिलों के अन्दर मज़दूरों का स्वास्थ्य ख़राब होना अनिवार्य है । रोज़ी के कारण वे अपना काम बन्द नहीं कर सकते । सरकार का यह फ़र्ज़ है कि यह इन मिलों में इस तरह के सुधार करे जिससे मज़दूरों का स्वास्थ्य अधिक से अधिक अच्छा रहे । जब उनसे १२ या १४ घंटे किसी बन्द कमरे के अन्दर काम लिया जायगा और उनके रहने के लिये गन्दे-से-गन्दे मकान दिये जायेंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता । तरह तरह की बीमारियाँ फैलेंगी और दूसरों को भी उनका शिकार बनना पड़ेगा । इसीलिये सरकार क़ानून द्वारा हवादार कमरे तथा खुले हुये मकान की व्यवस्था करती है । इतने पर भी विचारे मज़दूर ग़रीबी के कारण एक एक कमरे में दर्ज़नों गुज़र करते हैं । मशीनों के कारण मज़दूरों की दशा और भी बिगड़ती गई है । पहले गाँवों में लोग खुली हवा में काम करते थे । उनके घर भी खुले मैदान में होते थे । अधिक परिश्रम करने पर भी उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था । इसलिये पहले लोगों की आयु अधिक होती थी ।

आजकल ६० वर्ष में लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन पहले ८० या १०० वर्ष तक हट्टे-कट्टे रहते थे। उनका शरीर भी आजकल से भिन्न होता था। वर्तमान सभ्यता जितना ध्यान सफ़ाई पर देती है उतना स्वास्थ्य पर नहीं है। शहरों की संख्या बढ़ने तथा कल-कारख़ानों की वृद्धि के कारण स्वास्थ्य की समस्या बड़ी ही विकट हो गई है। स्थानीय संस्थायें इसे मुलभाने की कोशिश करती हैं लेकिन जब तक लोगों का आकर्षण गाँवों की ओर न होगा तब तक हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य नहीं सुधर सकता।

हिन्दोस्तान गाँवों का देश है। इने-गिने शहर आज भी यहाँ मौजूद हैं फिर भी अधिकतर जनता गाँवों में निवास करती है। गाँव और शहर ब्रिटिश सरकार की कृपा-दृष्टि गाँवों की अपेक्षा शहरों पर अधिक रहती है। म्युनिसिपल बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा सरकारी अस्पताल शहरों की सफ़ाई और बर्दा के निवासियों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं। कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें दो चार अस्पताल और इतने ही औषधालय सरकार की ओर से न खोले गये हों। इनके अलावे अनेक धनीमानी लोग जनता की सेवा के लिये दवाइयों का प्रबन्ध करते हैं। कितने ही वैद्य और डाक्टर अपनी निजी दुकाने शहरों में चलाते हैं। इस प्रकार दवाइयों का प्रबन्ध शहरों में क़ाफी रहता है। सफ़ाई के लिये भी शहरों में विशेष इन्तज़ाम रहता है। सरकारी कर्मचारी इसकी देख-रेख के लिये गलियो-गलियों में घूमते रहते हैं। कूड़े तथा सड़ीगली चीज़ों को फेंकने के लिये जगह जगह स्थान बने रहते हैं। लेकिन गाँवों में औषधि और सफ़ाई पर कम ध्यान दिया जाता है। बड़े-से-बड़े ज़िले के गाँवों में मुश्किल से १० या १५ मील की दूरी पर एक छोटा अस्पताल मिलेगा। छोटी-छोटी बीमारियों के लिये भी लोगों को शहरों की शरण लेनी पड़ती है। जहाँ तक सफ़ाई की बात है, गाँवों की अशिक्षित और अनभिज्ञ जनता को कोई यह भी बतलाने वाला नहीं है कि घर के कूड़े तक कहाँ रखना चाहिये। दरवाज़ों के सामने ही लोग घूर और कूड़े का ढेर लगाते हैं। हेज़े और प्लेग ऐसी भयंकर बीमारियों के लिये उनके पास घर छोड़कर किसी आस पास के बाग़िचे में निकल जाने के अतिरिक्त कोई दूसरी दवा नहीं है। गाँवों में लोग अपना घर बनाते समय हवा और रोशनी का ध्यान कम रखते हैं। लगभग सबके घर बिना खिड़की और ऊँची सीढ़ियों के होते हैं। कुछ तो गरीबी के कारण और कुछ कूपमङ्कतावश घरों की दीवारें छोटी बनाई जाती हैं। दरवाज़े भी इतने छोटे होते हैं कि कोई आदमी सीधे किसी कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। पुराने रसम-रवाज़ों के कारण स्त्रियों को

पदों में रखने के लिये रोशनी की परवाह नहीं की जाती। घर के आसपास हफ्ते में शायद ही कभी झाड़ू लग जाता है। यदि गाँवों के पास कोई जंगल हुआ तो लोग उसे इतना गन्दा रखते हैं कि सुबह-शाम उधर से कोई गुजर भी नहीं सकता। गाँवों के तालाब गन्दगी के घर होते हैं। उसी में जानवर पानी पीते हैं, स्नान करते हैं और वहाँ के रहने वाले भी उसी में नहाते हैं। सड़ीगली चूँ उसमें पड़ी रहती है। इसीलिये कुछ लोगों को बीमारी का शिकार बनना पड़ता है। यदि गाँवों की हवा और पानी शुद्ध न होता तो इतनी लापरवाही पर वहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य शहर वालों से भी बदतर रहता। परन्तु फिर भी गाँवों में दवा की आवश्यकता कम पड़ती है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि उन्हें सफ़ाई की मोटी-मोटी बातें बतला दी जायँ।

लापरवाही के कारण हमारे देश-वासियों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। यहाँ की मृत्यु-संख्या की औसत इंग्लैंड से दूनी है। जितने आदमी हमारे देश में मरते हैं उतने संसार के किसी सभ्य देशों में नहीं मरते। आँकड़ों पर हमें कोई विश्वास नहीं करना चाहिये। कितने ही बच्चे गाँवों में जन्म लेते ही मृत्यु के आस हो जाते हैं और उनकी कोई गणना नहीं की जाती। हमारे देश-वासियों की औसत आयु अन्य देश-वासियों की अपेक्षा कम है। विचारों मज़दूर खियाँ पेट में बच्चे लेकर खेतों और भित्तों में काम करता है। बच्चा होने के एक हफ्ते पहले तक उन्हें काम से छुट्टी नहीं दी जाती। इस अधःपतन का कारण देश की विफ़ट गरीबी है। एक और लोग अपनी रहन-सहन को ऊँचा बनाने के चक्कर में हैं, परन्तु दूबरी और अमानुषिक मृत्यु रोज़ उनके सामने होते रहते हैं। स्वार्थ और पाप के कारण यदि उनका ध्यान उधर को न जाय तो सेवा और त्याग का सारा ढोंग रत्तो भर भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। कहा जाता है कि लंदन में १००० बच्चों में ६६ जन्म लेते ही मर जाते हैं, परन्तु बम्बई में १००० में २७४ मृत्यु के आस बनते हैं। कुछ तो सामग्रियों के अभाव के कारण और कुछ अपनी लापरवाही से लोग अपना तथा अपनी सन्तान की आयु आधो कर देते हैं। कितने ही किसान घर की कमी के कारण एक ही बड़े कमरे में अपने तथा जानवरों तक को एक जगह रखते हैं। सभी बीमारियों की दवा पुष्ट भोजन है। लेकिन हमारे देश के ७१ प्रतिशत लोगों को अपने जीवन में कभी दूध नसीब नहीं होता। घो और अन्य पौष्टिक पदार्थों की ता बात ही और है। जिस देश में पत्थर की मूर्तियों तक को दूध से स्नान कराया जाता है वहाँ के जाते-जागते बच्चे दूध का दर्शन तक न करें—इससे बड़कर हमारे पतन की सीमा और क्या होगी।

ब्रिटिश राज से पहले अस्पताल और औषधालय नहीं होते थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों कालों में वैद्यों का अभाव न था, परन्तु सरकार की ओर से इनसे लाभ उठाने की व्यवस्था स्वास्थ्य और सफ़ाई की कुल्लु और थी। राज-दरबारों में वैद्य और हकीम प्राचीन रखे जाते थे। इन्हें सरकारी ख़ज़ाने से कुल्लु वेतन, व्यवस्थाये ज़मीन तथा चीज़ों के रूप में दिया जाता था। वास्तव में ये राज-कुटुम्ब की सेवा के लिये रखे जाते थे। परन्तु जनता को भी इनसे लाभ पहुँचता था। जिसे औषधि की आवश्यकता पड़ती वह जाकर उनसे ले सकता था। गाँवों में भी तजुरवेकार पंडित और वैद्य रहते थे। दोनों कोई दर्जे पास नहीं रहते थे, लेकिन लोगों को दवाइयाँ देते थे। इनकी कोई फ़ीस न थी। बीमारी अच्छी हो जाने पर अपनी खुशी से जो चाहता कुल्लु दे देता था। रुपये-पैसे न देकर लोग इन्हें अधिकतर चीज़ें दे दिया करते थे। आज भी गाँवों में इस तरह के वैद्य और हकीम मौजूद हैं जो अपनी फ़ीस नहीं लेते। उनकी दवाइयाँ भी बहुत ही सस्ती और आमफ़हम होती हैं। सफ़ाई के लिये गाँवों और शहरों में कमीटियाँ होती थीं। हर तरह की सफ़ाई का काम इन्हीं को सुपुर्द था। पहले आजकल की सी बीमारियाँ भी नहीं थीं। बीमारी को अच्छा करने से बढ़कर उसे रोकने की व्यवस्था करना है। यदि सरकार लोगों की सफ़ाई और उनके स्वास्थ्य पर उचित ध्यान दे तो उसे इतने अस्पतालों की आवश्यकता शायद ही हो। प्राचीन काल में इसी तरह की व्यवस्था थी। खान-पान की सुविधा के कारण लोगों को बीमारियों का और कम होता था। आजकल तो हज़ारों ग़रीब आदमी जाड़े में कपड़े की कमी के कारण मर जाते हैं। सरकार जाड़े की दवा क्यों नहीं करती ?

किसी प्राचीन ग्रन्थ में एक कहानी का ज़िक्र आता है। एक बुढ़िया किसी राजा के पास गई और फ़रियाद की कि उसका लड़का बीमार है। राजा ने पूछा, “क्या तुम्हारे लड़के को दूध मिलता है ?” बुढ़िया ने कहा कि “आजकल इसकी व्यवस्था नहीं है।” राजा ने हुक्म दिया कि सरकारी ख़ज़ाने से उसके बच्चे को तब तक दूध दिया जाय जब तक वह दृष्टा-कष्टा न हो जाय। तात्पर्य यह है कि शरीर-रक्षा पर इतना ध्यान दिया जाता था कि दवा की आवश्यकता कम पड़ती थी। जो पैसा सरकार आज दवाइयों पर खर्च कर रही है वही पहले लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च होता था। दोनों का उद्देश्य एक ही है लेकिन प्राचीन व्यवस्था का सिद्धान्त अच्छा है। हम स्वयं किसी का हाथ काट कर फिर डाक्टर को तलाश करे तो इसमें कौन सी आ० भा० शा०—३६

बुद्धिमानों है। आजकल की सरकार प्रजा से अधिक-से-अधिक टैक्स वसूल करती है। लोग गरीबी के कारण आधे पेट भोजन भी नहीं पाते। जब वे ही बीमार पड़ते हैं तो सरकार उन्हें अस्पतालों का रास्ता दिखाती है, और इस बात का गर्व करती है कि वह प्रजा की अधिक-से-अधिक सेवा करती है। इस तरह की दिखलावटी संस्थाओं से लाभ के बदले हानि अधिक होती है। इन्हें चलाने तथा इनकी वृद्धि के लिये सरकार को टैक्स की दर बढ़ानी पड़ती है। इससे प्रजा को और भी तकलीफें होती हैं।

स्वास्थ्य और सफ़ाई का काम हमारे देश में तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार और स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय संस्थायें इनकी देख-रेख करती हैं। केन्द्रीय वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य-विभाग की देख-रेख के लिए एक सरकारी अफसर (The Director General of the संगठन Indian Medical Service) रहता है। अपने कामों के लिये वह केन्द्रीय सरकार के प्रति ज़िम्मेवार होता है। इसके अतिरिक्त एक सफ़ाई अफसर (Sanitary Commissioner) भी रहता है। दोनों का काम प्रान्तीय सरकार के स्वास्थ्य और सफ़ाई की व्यवस्था का निरीक्षण करना है। ये दोनों व्यक्ति कभी कभी राष्ट्र-संघ (The League of Nations) की उन मीटिंगों में शरीक होते हैं जिनका काम स्वास्थ्य और सफ़ाई पर विचार करना है। राष्ट्र-संघ ने इस विषय में मनुष्यमात्र का काफ़ी कल्याण किया है और कितनी ही भयंकर बीमारियों का कारण खोज निकाला है। हमारे देश की भी इससे लाभ पहुँचा है। उपरोक्त दोनों अफसर अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाओं से हमारे देश को अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चूँकि ये दोनों अपने विषयों के विशेषज्ञ होते हैं इसलिये प्रान्तीय सरकारों को इनसे काफ़ी मदद मिलती है। देश के विभिन्न हिस्सों का वे समय-समय पर अध्ययन करते हैं। जिस हिस्से को किसी विशेष बात की परवाह करने की आवश्यकता महसूस होती है उसका प्रबन्ध वे केन्द्रीय सरकार से कराते हैं। ये दोनों पद अभी तक अंग्रेजों को ही दिये जाते हैं और इनकी नियुक्ति गृह-सरकार स्वयं करती है। इनके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के सभी उच्च पदाधिकारी गृह-सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

प्रत्येक प्रान्त में एक स्वास्थ्य-और सफ़ाई विभाग रहता है। यह विभाग किसी मन्त्री को सुपुर्द किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह इन विषयों में विशेषज्ञ हो। उसके नीचे प्रान्त में सबसे बड़ा पदाधिकारी, जो इस

विभाग की देख-रेख करता है, इन्स्पेक्टर जनरल आफ़ सिविल अस्पताल (Inspector General of Civil Hospitals) कहलाता है। बम्बई, मद्रास और बंगाल अडालों में इसे सरजन जनरल (Surgeon General) कहते हैं। कुछ सूबों में सफ़ाई कमिश्नर और स्वास्थ्य निरीक्षक भी नियुक्त किये गये हैं। प्रान्त के सभी अस्पताल और औषधालय इसकी अध्यक्षता में अपना कार्य करते हैं। इसके नीचे प्रत्येक ज़िले में एक सिविल सर्जन होता है। अधिकतर ज़िलों में हेल्थ आफ़सर और सफ़ाई-इन्स्पेक्टर भी होते हैं। ज़िला तथा म्युनिसिपल बोर्ड इन्हीं की सहायता से अस्पताल और सफ़ाई आदि का प्रबन्ध करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार का स्वास्थ्य और सफ़ाई विभाग बहुत ही सरल तरीके पर संगठित किया गया है। इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत थोड़ी है। इनका वेतन काफ़ी लम्बा होता है।

ऊपर कहा गया है कि शहरों में दवाइयों और सफ़ाई का प्रबन्ध काफ़ी अच्छा होता है, परन्तु गाँवों में इनका प्रबन्ध नहीं के अस्पताल और बराबर है। प्रत्येक शहर में सरकार की ओर से दो औषधालय चार अस्पताल खोले गये हैं। कुछ लोग सेवा के निमित्त भी दवाइयों का वितरण करते हैं। गाँवों में अभी तक सरकार का ध्यान कम गया था। जब काँग्रेस सरकार प्रान्तों में स्थापित हुई तो उसने गाँवों की ओर ध्यान देना आरम्भ किया। पहले ४० या ५० गाँव के बीच में एक अस्पताल हुआ करता था। काँग्रेस सरकार ने यह निश्चित किया कि ग्राम-प्रंचायतों को सरकार की ओर से कुछ दवाइयाँ दी जायँ और लोग उनसे फ़ायदा उठावें। इसी के फलस्वरूप प्रत्येक प्रान्त में सैकड़ों वैद्य और हकीम नियुक्त किये गये। सरकार का यह भी खयाल हुआ कि भारतीय वातावरण में अंगरेज़ी दवाइयाँ बहुत लाभ नहीं पहुँचा सकती। औषधालयों और सफ़ाखानों पर अधिक ज़ोर दिया गया। हर ४ या ५ गाँव के बीच में एक वैद्य रखे गये हैं। इन गाँवों के लोग वहाँ से हर समय दवाइयाँ ले सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर लोग इन्हें अपने घर भी ले जा सकते हैं। वैद्यों को निजी व्यापार करने की आज्ञा नहीं है। प्रति मास इन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं और कोई भी इनसे लभ उठा सकता है।

औषधालयों के अतिरिक्त प्रत्येक ज़िले में एक सरकारी अस्पताल होता है। किसी-किसी ज़िले में इसकी संख्या ३ या ४ तक है। स्थानीय संस्थायें भी अपनी ओर से अस्पतालों की व्यवस्था करती हैं। सफ़ाई के लिये प्रत्येक ज़िले में एक इन्स्पेक्टर होता है। यह शहरों और गाँवों में घूम-घूम कर

लोगों की रहन-सहन की जाँच करता है। जब से ग्राम-उद्योग-विभाग खोला गया है तब से सफ़ाई का और भी ध्यान दिया जाता है। हर ४ या ५ गाँव के बीच में एक व्यक्ति (Organiser) नियुक्त किया गया है। इसके कार्य निम्नलिखित हैं :—

१—गाँवों में कुओं की सफ़ाई कराना।

२—गाँवों के रास्तों को साफ़-सुथरा रखना।

३—घरों की नालियों को साफ़ रखने की तरकीबें बताना।

४—हवादार और रोशनी वाले घरों का नक़शा बनाकर लोगों को देना।

५—लोगों के दरवाजों की सफ़ाई कराना और घूरे आदि को गाँव से बाहर रखवाना।

६—समय-समय पर सफ़ाई और स्वास्थ्य पर व्याख्यान देना तथा इससे सम्बन्ध रखने वाली पुस्तिकाओं का प्रचार करना।

इन ग्रामीण संस्थाओं के अतिरिक्त ज़िले के अन्य कर्मचारी भी समय-समय पर लोगों की सफ़ाई और उनकी बीमारी आदि की जाँच-पड़ताल करते रहते हैं। हैजे, प्लेग, चेचक आदि बीमारियों को रोकने के लिये टीके लगाये जाते हैं। कुओं में ज़हरीले कीड़ों को मारने के लिये दवाइयाँ छोड़ी जाती हैं। गाँव के पटवारी से कोई भी पोटाश लेकर अपने कुएँ में डाल सकता है। कभी-कभी चौकीदारों को यह हिदायत कर दी जाती है कि वे अपने इल्के के सभी कुओं में पोटाश छोड़ दें। मलेरिया एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। लगभग ५० लाख आदमी प्रति वर्ष हमारे देश में इसके शिकार बनते हैं। इसे रोकने के लिये सरकार ने कुनैन-की गोली-का प्रबन्ध किया है। किसी भी डाकखाने में यह गोली मोल ली जा सकती है। जहाँ कहीं बीमारी का सदमा होता है वहाँ के ज़िले के कर्मचारी तुरन्त ध्यान देते हैं और कई युक्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। विशेष प्रकार से लेक्चर और तसवीरों का प्रबन्ध करके लोगों को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि विभिन्न बीमारियों से किस प्रकार बचना चाहिये।

कुछ वर्षों से सरकार का ध्यान स्कूलों के बच्चों की सफ़ाई और उनके स्वास्थ्य की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ है।

स्कूल और कालेजों में स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध १९३४ ई० से आगरा, इलाहाबाद, कानपुर तथा बनारस में विद्यार्थियों के लिये अलग अस्पताल खोले गये हैं। समय-समय पर प्रत्येक विद्यार्थी की परीक्षा ली जाती है कि कहीं उसे कोई छूत की बीमारी तो नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी से एक आना इस कार्य के

लिये फ्रीस ली जाती है। अकसर उनका बज़न किया जाता है और डाक्टर प्रत्येक विद्यार्थी की एक फ़ाइल रखता है। जब किसी स्कूल का विद्यार्थी बीमार पड़ता है तो डाक्टर तुरन्त उसकी देख-भाल करता है। अस्पताल की ओर से ग़रीब विद्यार्थियों के लिये भोजन और चश्में का भी प्रबन्ध किया जाता है। इस प्रकार के अस्पताल केवल विद्यार्थियों के लिये हैं। किसी बाहरी आदमी को इनमें दवा नहीं मिल सकती। विद्यार्थियों को साधारण स्वास्थ्य का ज्ञान कराया जाता है। कक्षा तक प्रत्येक विद्यार्थी के लिये स्वास्थ्य और सफ़ाई विषय का अध्ययन अनिवार्य ठहराया गया है। छोटी-मोटी बीमारियों को कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसकी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को दी जाती है। कुछ प्राइवेट परीक्षाओं का भी विधान बनाया गया है। जो विद्यार्थी इन्हें पास करते हैं उन्हें सर्टिफ़िकेट दी जाती है। स्वास्थ्य-विभाग की ओर से ज़हरीले कीड़े और उनसे बचने के इलाज सम्बन्धी नक़शे और चार्ट स्कूलों में दिये जाते हैं। छूत की बीमारियों को रोकने के लिये टीके लगाये जाते हैं।

गोरखपुर ज़िले के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपना एक अलग संगठन बनाया है। प्रत्येक विद्यार्थी से दो पैसे फ्रीस ली जाती है और इससे उनकी दवा का प्रबन्ध किया जाता है। विद्यार्थी स्वयं इसका सारा प्रबन्ध करते हैं। शहर के डाक्टरों से सहायता लेकर वे इस संगठन द्वारा विद्यार्थियों की काफ़ी सेवाएँ कर रहे हैं। यदि विद्यार्थियों को सफ़ाई और स्वास्थ्य के साधारण पाठ अच्छी तरह बता दिये जायँ तो सरकार की बहुत-सी परी-शानियाँ कम हो सकती हैं। उचित शिक्षा प्राप्त कर ये अपने घरों को साफ-सुथरा रखेंगे और गाँवों को भी गन्दगी से बचायेंगे। आने वाली सन्तान को छोटी-छोटी बातें अपने आप मालुम होती रहेंगी। स्कूलों में यह विषय निहायत ज़रूरी है। सरकार को सफ़ाई और स्वास्थ्य के लिये हाई स्कूल तक एक उचित पाठ्य क्रम बनाना चाहिये। इसकी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिये अनिवार्य होनी चाहिये।

जितनी आवश्यकता बच्चों की सफ़ाई और उनके स्वास्थ्य की है उससे अधिक उनकी माताओं का ध्यान रखना आवश्यक स्त्रियों की है। यदि स्त्रियाँ स्वस्थ और निरोग हों तो उनकी चिकित्सा सन्तान भी बीमारियों का शिकार नहीं बन सकती। हमारे देश में ग़रीबी के कारण कितनी ही स्त्रियाँ बीमारी और कमज़ोरी की हालत में भी काम करती रहती हैं। इससे उनका स्वास्थ्य तो ख़राब होता ही है, उनकी सन्तान को भी अपने स्वास्थ्य से हाथ

घोना पड़ता है। ४८ प्रतिशत बच्चे जन्म के समय ही मृत्यु के ग्रास होते हैं। ६ महीने के अन्दर २६ प्रतिशत बच्चे अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। इसका एकमात्र कारण उनकी माताओं का स्वास्थ्य है। कल-कारखानों में कितनी ही स्त्रियाँ अपने भरण-पोषण के लिये गर्भाधान समय में भी काम करती रहती हैं। उनकी रहन-सहन इतनी गन्दी होती है कि वे स्वस्थ सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकतीं। बच्चों का स्वास्थ्य माता पिता के स्वास्थ्य पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जो जाति एक बार अस्वस्थ और रोगी हो जाती है, उसकी आने वाली सन्तान वीर और पुरुषार्थी नहीं बन सकती। राष्ट्रीय उन्नति की दृष्टि से स्त्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सफाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

कुछ प्राचीन कुप्रथाओं के कारण भारतीय स्त्रियों के स्वास्थ्य-सुधार में अनेक कठिनाइयाँ हैं। पदों तथा अशिक्षा के कारण उनका ध्यान उन बातों की ओर नहीं दिलाया जा सकता जिनसे उन्हें लाभ पहुँचे। राष्ट्रीय तथा धार्मिक आन्दोलनों से इसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है। बड़े-बड़े शहरों में उनके लिये अस्पतालों की अलग व्यवस्था की गई है। हिन्दोस्तान के वाइसराय लार्ड डफ़रिन की स्त्री ने इस ओर काफ़ी ध्यान दिया था। १८८५ ई० में उनके सतत परिश्रम से स्त्रियों की दवा के लिये एक संघ की स्थापना की गई। वह संघ अभी तक अपना कार्य कर रहा है। व्यक्तगत सहायता के अतिरिक्त सरकार भी धन से इसकी मदद करती है। संघ के धन से जगह-जगह पर स्त्रियों के लिये अस्पताल खोले गये हैं। लेडी हार्डिंज की याद में दिल्ली में स्त्रियों के लिये एक मेडिकल कालेज खोला गया है। इसमें केवल स्त्रियों की चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है। स्त्रियों की विशेष चिकित्सा के लिये इलाहाबाद में एक कमला नेहरू अस्पताल खोला गया है। इसकी इमारत बनवाने में लगभग ६ लाख रुपये खर्च किये गये हैं। यह अस्पताल ग्रामीण स्त्रियों की अधिक सेवा कर रहा है।

स्वास्थ्य और सफाई के लिये सरकारी विभाग से अलग कुछ ग़ैर सरकारी संस्थायें भी हैं। सरकार इन्हें थोड़ी बहुत मदद ज़रूर देती है लेकिन इनका अधिकतर कार्य दान और चन्दों से चलता है। अखिल भारतीय सेवासमिति ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। इस संस्था की ओर से शहरों तथा गाँवों में अनेक अस्पताल और औषधालय खोले गये हैं। तीर्थ-स्थानों, मेलों तथा सार्वजनिक सभाओं में सेवासमिति बड़ी तत्परता के साथ सेवा का कार्य करती है। रेडक्रास सोसाइटी एक दूसरी ग़ैर सरकारी

संस्था है। यह भी स्वास्थ्य और सफ़ाई के लिये बहुत कुछ कर रही है। सेन्ट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन और कुछ छोटी-मोटी संस्थाएँ भी इस ओर विशेष कार्य कर रही हैं। कितने ही ईसाई मिशनरी अन्धों, बहरों, लुलों तथा कोढ़ियों की सेवा के लिये जगह-जगह पर अस्पताल खोले हुए हैं। दवा के साथ-साथ वे बीमारों की शिक्षा का भी प्रबन्ध करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना है। इस विशालकाय देश में स्वास्थ्य और सफ़ाई पर ध्यान देने के लिये बहुत बड़ा क्षेत्र खाली है। यह कहना ग़लत है कि पैसे की कमी के कारण हमारे देश में सार्वजनिक कामों की गुंजाइश कम है। व्यर्थ के दान के रूप में धन का जो अपव्यय हमारे देश में हो रहा है वह किसी और देश में दिखाई नहीं पड़ेगा। तीर्थस्थानों में पंडे-पुजारियों को जो रुपये दान में दिये जाते हैं, यदि उनका संगठन ठीक तरीक़े पर किया जाय तो इस देश के सेवक ईसाई मिशनरियों की तरह विदेशों में जाकर अपनी सेवा और त्याग का परिचय दे सकते हैं।

आँख मूँद कर दवाइयों के चक्कर में पड़े रहने से उतना लाभ नहीं हो सकता जितना बीमारियों को समूल नष्ट करने से। सरकार के विशेषज्ञों द्वारा इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि अन्वेषण कार्य भयंकर बीमारियाँ कैसे हटाई जा सकती हैं। इसके लिये अध्ययन और खोज की ज़रूरत है। जगह-जगह पर अन्वेषण कार्यालय (Research Institutes) खोले जायँ और विशेष डाक्टरों को इस बात का अवसर दिया जाय कि अपनी बुद्धि से बीमारियों के मूल कारण खोज निकालें। १८६६ ई० के पहले हमारे देश में प्लेग की बीमारी नहीं थी। इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इसका आरम्भ कैसे हुआ और उन कारणों को दूर करने का क्या इलाज है। इस दिशा में कुछ कार्य किया जा रहा है। कलौली में एक सेन्ट्रल रीसर्च इन्स्टीट्यूट स्थापित किया गया है। कलकत्ते में अखिल भारतीय स्वास्थ्य और हार्डजीन नामक संस्था की स्थापना की गई है। मद्रास और बम्बई में अन्वेषण के लिये जो संस्थाएँ हैं उनमें हैजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया आदि बीमारियों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। कोढ़ की बीमारियों का कारण जानने की कोशिश की जा रही है। तपेदिक की बीमारियों के लिये हिन्दोस्तान के बाइसराय लार्ड लिनलिथगो की स्त्री ने एक कोष इकट्ठा किया है। इससे एक ऐसे अस्पताल खोलने की योजना बनाई गई है जहाँ तपेदिक के सभी मरीज़ रह कर अपने को अच्छा कर सकें। इनके अलावा मेडिकल कालेजों में भी

तरह तरह की खोजें होती रहती हैं। आशा है कुछ दिनों में बहुत-सी भयंकर बीमारियों को रोकने का ठीक-ठीक प्रबन्ध किया जा सकेगा।

बीमारियों के लिये दवा से बढ़कर कोई दूसरा निदान नहीं हो सकता।

लेकिन कुछ बातों से यह अनुभव प्राप्त किया जा सकता है कि सरकार अस्पतालों और औषधालयों के मदों को नवीन कम करके वही पैसा दूसरे तरीकों पर खर्च करके जनता की कहाँ तक अधिक सेवा कर सकती है। अंगरेज़ों में

एक कहावत है कि संयम सभी दवाइयों से बढ़कर है (Prevention is better than cure)। यदि लोग स्वस्थ और साफ़ रखे जायँ और उनका जीवन नियमित हो, तो शायद उन्हें दवा की ज़रूरत कम होगी। कुछ नई योजनाओं को सरकार काम में लावे। जगह-जगह पर खेल-कूद के स्थान तथा व्यायाम-शालायें खोली जायँ। इस प्रकार की संस्थायें ज़िले में दस-बीस ज़रूर हों। यहाँ पर लोगों को कसरत, खेल-कूद आदि की शिक्षा दी जाय। त्योंहारों तथा उत्सवों पर पारितोषिक बाँटे जायँ। समय-समय पर दंगल कराये जायँ। ज़िले के दस-बीस चुने हुये आदर्श स्वस्थ व्यक्तियों को सरकार इनाम देने का प्रबन्ध करे। गाँवों में इस प्रकार की योजना अधिक सफल हो सकती है। हर ज़िले में वयस्क लोगों की नुमाइश लगाई जाय। जो सबसे स्वस्थ और वज़नदार हों उन्हें पारितोषिक दिया जाय। ज़िले में हर साल ५ इनाम इसलिये रखे जायँ कि जो ५ गाँव सबसे साफ़ होंगे उन्हें ये इनाम दिये जायेंगे। सरकार अपने खर्च से हर ज़िले में दो चार आदर्श गाँव बसाने की व्यवस्था करे। गाँव के होनहार नवयुवकों को सफ़ाई और स्वास्थ्य के लिये उत्साहित किया जाय। गाँवों में ट्रेन्ड दाइयाँ रखी जायँ जो बच्चे होने वाली स्त्रियों की ठीक-ठीक देख-भाल करें। साल में प्रतिवर्ष एक 'सफ़ाई सप्ताह' हर ज़िले में मनाया जाय। इन तरीकों से लोगों की सफ़ाई और उनके स्वास्थ्य में अधिक-से-अधिक उन्नति की जा सकती है। हमारा अनुमान है कि इससे अस्पतालों और औषधालयों की बहुत बड़ी संख्या कम हो जायेगी।

अध्याय २१

न्यायालय

(JUDICIARY)

धारा-सभा और कार्यकारिणी विभाग का कार्य कानून को बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना है। इनके अन्दर इस बात की न्यायालय योग्यता नहीं होती कि इन्हें कार्यान्वित करने में कहीं का महत्त्व तक न्याय बर्ता जा सकता है। इसीलिये सरकार का न्याय-विभाग बनाया गया है कि वह राज्य में न्याय की रक्षा करे। राज्य के तमाम उद्देश्य तब तक सिद्ध नहीं हो सकते जब तक वहाँ सब कामों में न्याय की बू नहीं है। अफ़लातून के कथनानुसार न्याय राज्य का अन्तिम उद्देश्य है। (Justice is the end of the State)। यदि धारा-सभा किसी कार्य के लिये एक लाख रुपये मजूर करे, और कार्यकारिणी विभाग केवल १० हजार खर्च करके बाक़ी अर्धना जेब में रखे, तो इसकी देख-रेख के लिये एक ऐसा विभाग आवश्यक है जो उसे उचित दंड दे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अच्छाई और बुराई का पारितोषिक और दंड मिलना चाहिये। जितने लोग कारागार की यातनायें भोग रहे हैं उनके साथ भी सरकार ने न्याय किया है। सच्चाई को अस्त्य से अलग करना इसी का कार्य है। जो सरकार अपने राज्य में छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, धनी-गरीब, का विचार कर कार्य करती है वह पक्षपाती और दोषी कहलाती है। इन्हीं कमज़ोरियों को दूर करने के लिये न्याय विभाग बनाया जाता है। कचहरियों का उद्देश्य केवल आँख मूँद कर कानून को बर्तना नहीं है, बल्कि उनके उचित प्रयोग से लोगों को इस बात की चेतावनी देना है कि सच्ची स्वतन्त्रता कानूनों के पालन में है।

नागरिकों के अधिकार, उनकी सुविधायें, उनकी स्वतन्त्रता तथा उनके उच्च जीवन की रक्षा न्यायालयों में होती है। यदि न्याय-विभाग द्वारा दंड प्रयोग न किया जाय तो कमज़ोर की रक्षा बलवान से नहीं हो सकती। इस विभाग की प्रधानता के कारण सरकार का बड़ा-से-बड़ा कर्मचारी अपने कर्तव्यों में सतर्क रहता है। न्याय का स्थान राज्य में जितना ही ऊँचा होता है उसी परिमाण में वहाँ सुख और शान्ति विराजती है। परन्तु न्यायालयों

आ० भा० शा—५०

में कार्य करने वाले पदाधिकारी योग्य और निष्पक्ष होने चाहिये। न्यायाधीश को अपने समय और परिस्थिति की पूरी जानकारी होनी चाहिये। उतावलेपन में आकर वह न्याय के बदले अन्याय कर सकता है। न्याय बर्तने में उसे निर्भय और निःसंकोच होना चाहिये, तभी वह कानून के वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। सरकार को स्वयं ऐसे व्यक्तियों को तलाश करना चाहिये और उन्हें अपने कर्तव्य-पालन का एक समुचित वातावरण तैयार करना चाहिये। न्याय के लिये समानता और समता का होना आवश्यक है। न्यायाधीश को शान्त, निष्पक्ष, निर्भय और प्रभाव से ऊपर होकर अपनी जिम्मेवारी निवाहनी होगी। वकीलों के तर्क-वितर्क को समझने के लिये उसमें पूरी योग्यता हो और मनुष्य तथा संसार दोनों का उसे अधिक-से-अधिक अनुभव हो। पद और पैसे के लोभी व्यक्ति न्याय-विभाग को गन्दा किये बिना नहीं रह सकते।

ब्रिटिश-राज्य से पहले आजकल की-सी कचहरियाँ न थीं। हिन्दू ज़माने में हमारे देश में छोटे-छोटे एकतन्त्र राज्यों का वर्णन मिलता है। इनमें कुछ तो वर्तमान नाज़ीवाद से भी बदतर थे, परन्तु अधिकतर प्रजातन्त्रवादी थे। राजा लोग प्रजा की अनुमति का आदर करते थे। लोकमत की अवहेलना करने में उन्हें संकोच होता था। न्याय-

विभाग यद्यपि अलग नहीं था, परन्तु इसके कर्मचारी स्थान-स्थान पर नियुक्त किये गये थे। बड़े-बड़े मामलों की फ़रियाद राजा स्वयं सुनता था। अपराधियों को कारावास का दंड आजकल की तरह नहीं दिया जाता था। दंड की व्यवस्था समय-समय पर बदलती रहती थी। किसी काल में कड़े दंड का विधान था और किसी समय अपराधी को समझा-बुझाकर अथवा आध्यात्मिक दंड देकर छोड़ दिया जाता था। कभी-कभी तो लोगों के हाथ-पैर तक काट लिये जाते थे। मुक़दमों का फ़ैसला पंचायतों द्वारा होता था। लोगों को कचहरियों की आवश्यकता नहीं होती थी। सरकार की ओर से जो कर्मचारी न्याय के लिये नियुक्त किये जाते थे वे धार्मिक और सात्विक विचारों के होते थे। मुसलमानी ज़माने में सूबों के गवर्नर मुक़दमों का फ़ैसला करते थे। क़ाज़ी और पंडित जिन मामलों को नहीं सुलझा पाते थे उनका फ़ैसला गवर्नर करता था।

प्राचीन काल की न्याय-पद्धति का पूरा वर्णन हमारे विषय से बाहर की चीज़ है। इसकी चर्चा इसलिये की गई है कि प्राचीन न्याय-संस्थायें थोड़ी थीं। उनका संगठन आजकल की तरह जटिल नहीं था। स्थानीय संस्थायें

स्वयं अपना फ़ैसला भी कर सकती थीं। गाँव का मुखिया जज का भी काम करता था। लोगों को धर्म का इतना अधिक भय था कि वे झूठ बोलने तथा धोखा देने में भयभीत होते थे। उन्हें यह डर था कि किसी को धोखा देकर हम ईश्वर के सामने अपराध से नहीं बच सकते। धर्म-ग्रन्थों में यह भलीभाँति स्पष्ट किया गया है कि परलोक की यातनायें इस लोक से कहीं सख्त हैं। इसी भय के कारण लोग अपने अपराधों को छिपाने का प्रयत्न कम करते थे। गंगा का पानी अथवा कोई धर्म-ग्रन्थ ज्योंही उनके सामने रक्खा जाता त्योंही वे साफ़ साफ़ बातों को कह देते थे। ऊपरी वातावरण भी ऐसा था कि लोग अपने कर्तव्यों का फल भोगने में अपना गौरव समझते थे। किसी अपराधी की रक्षा करना पाप समझा जाता था। यही वजह है कि कोई भी साधारण व्यक्ति अपराधियों को पहचान सकता था। कभी-कभी तो अपराध करने वाले स्वयं पंडितों और क्राज़ियों के पास चले आते और अपना उचित दंड चाहते थे। न्याय-ग्रन्थों में इस प्रकार के भी दंड पाये जाते हैं जब कि अपराधी अपने आप किसी पेड़ के खोखले में, अथवा पर्वत की गुफ़ाओं में बिना अन्नजल के महीनों बैठकर प्राण त्याग देते थे। कुछ अपराधी अपने आप अग्नि में जल लेते थे। दान और पुण्य का दंड अधिक दिया जाता था। ऐसे उच्च वातावरण में न्याय करने में सुविधा होती थी।

वैज्ञानिक युग के आरम्भ होते ही विश्वास की भावना जाती रही। लोगों को धर्म का भय एक ढोंग मालूम पड़ने लगा। बृटिश राज्य में विश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया। लोग अपने न्यायालयों अपराध को छिपाने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखते। का विकाश इसीलिये न्याय-विभाग का संगठन नये सिरे से करना पड़ा। जो मशीन आज दिखाई पड़ रही है वह अधिक से अधिक १५० वर्ष पुरानी है। न्याय का मुहक़मा नीचे से ऊपर तक जिस शकल में आज काम कर रहा है वह सब बृटिश सरकार की देन है। जब तक ईस्ट-इंडिया कम्पनी केवल व्यापार करती थी तब तक उसे न्याय करने का अधिकार नहीं था। परन्तु जब उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसकी मातहतों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई तो उसे इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि अपने क्षेत्र में छोटे-मोटे झगड़ों का निपटारा वह स्वयं करे। मुग़ल राज्य में न्याय की व्यवस्था कम न थी। कम्पनी को यह अधिकार आसानी से नहीं मिल सकता था। उसके कर्मचारी मुग़ल राज्य की प्रजा थे। अतएव उनका फ़ैसला नवाबों और क्राज़ियों के हाथ से अलग कम्पनी को कैसे दिया जा सकता था।

एलिज़बेथ के समय में कम्पनी को जो आज्ञा-पत्र मिला उसमें उसे वह अधिकार दिया गया था कि वह कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये अपने अधीन कर्मचारियों को दंड दे सकती है। इसका अर्थ यह नहीं था कि कम्पनी को न्यायालय बनाने की आज्ञा मिल गई, बल्कि अपने व्यापार की सुविधा के लिये उसे कुछ साधारण अधिकार दिये गये थे। १६६१ ई० में फ्रैक्ट्री के गवर्नरों को यह अधिकार दिया गया कि इंग्लैंड के क्रानून के अनुसार वे अपने कर्मचारियों को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार का दंड दे सकते हैं। १६६६ ई० में जब बम्बई कम्पनी को सुपुर्द किया गया तो कुछ समय के लिये वहाँ दो अदालतें बनाई गईं। छोटी कचहरी में एक अंगरेज़ और दो हिन्दुस्तानी जज रखे गये। बड़ी कचहरी का नाम सुपीम कोर्ट (Supreme Court) था, इसमें डिप्टी गवर्नर और एक कौन्सिल मुकदमों का फैसला करते थे। इसका फैसला अन्तिम माना जाता था। १६८७ ई० में जेम्स द्वितीय के समय में मदरास में एक म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष मेयर तथा उसकी समिति (Aldermen) को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों में फैसल करने का अधिकार दिया गया। १७२६ ई० में इसी तरह की अदालतें कलकत्ता और बम्बई में भी स्थापित की गईं। इन मुकदमों की अपील सुपीम कोर्ट में की जाती थी। ४०० रुपये से ऊपर के मुकदमों की अपील सम्राट की कौन्सिल में होती थी।

१७७३ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अनुसार बंगाल में एक प्रधान न्यायालय (Supreme Court of Judicature) की स्थापना की गई। १८६२ ई० तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त इसमें ४ सहायक न्यायाधीश रखे गये। इन सबकी नियुक्ति स्वयं सम्राट द्वारा की गई थी। इसे सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। बंगाल की प्रजा और कम्पनी के कर्मचारियों पर इस न्यायालय का अधिकार था। वारेन हेस्टिंग्स और प्रधान न्यायालय में मतभेद आरम्भ हुआ। यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि गवर्नर-जनरल और प्रधान न्यायालय इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है। न्यायालय के अधिकार स्पष्ट नहीं किये गये थे। अन्त में पार्लियामेंट ने एक कानून पास करके इसका निपटारा किया। १७८१ ई० में यह बात स्वीकार कर ली गई कि गवर्नर-जनरल और उसकी कौन्सिल का दर्जा प्रधान न्यायालय से ऊँचा है। किसानों, ज़मींदारों और पेंशन-आफ़ता कर्मचारियों पर न्यायालय का कोई अधिकार नहीं ठहराया गया। इनका फैसला मुग़ल राज्य के न्यायालयों में किया जाता था। कम्पनी की मातहत में हिन्दू और मुसलमान अपराधियों का फैसला दोनों के नियमों के

अनुसार क्रमशः किया जाता था। रसम-रवाज़ों तथा धार्मिक वसूलों का ध्यान रक्खा जाता था।

१७६५ ई० में जब कम्पनी को बंगाल और विहार प्रान्त को दीवानी मिली तो उसे मुक़दमों में फैसल करने का भी अधिकार मुग़ल राज्य की ओर से दिया गया। वारेन हेस्टिंगज़ ने मुग़ल राज्य के न्यायालयों के आधार पर कचहरियों का निर्माण किया। टैक्स वसूल करने तथा मुक़दमों को फैसल करने का कुल अधिकार अंगरेज़ कर्मचारियों को दे दिया गया। हर ज़िले में एक अंगरेज़ कलेक्टर और एक हिन्दुस्तानी दीवान रक्खे गये। इन दोनों के मेल में दीवानी अदालत बनाई गई। इसके अतिरिक्त हर ज़िले में एक फ़ौजदारी अदालत बनाई गई। इस अदालत में एक काज़ी, एक मुफ़ती और दो मौलवी रक्खे गये। कलेक्टर भी इनके साथ बैठता था, लेकिन वह चुपचाप इनकी कार्रवाइयों को देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता था। दीवानी अदालत की अपील सदर दीवानी अदालत में होती थी। यह अदालत कलकत्ते में थी। गवर्नर और उसकी कौंसिल और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर मुक़दमों का फैसला करते थे। फ़ौजदारी के मुक़दमों की अपील सदर निज़ामत अदालत में की जाती थी। एक दारोगा, एक मुफ़ती, एक काज़ी और एक मौलवी इसके जज होते थे। पहले यह अदालत कलकत्ते में थी, परन्तु बाद में यह मुर्शिदाबाद में कर दी गई। कचहरियों का कार्यक्रम वारेन हेस्टिंगज़ ने स्वयं निश्चित किया। यह पहला अवसर था जब कि अंगरेज़ी तरीक़े के न्यायालय हमारे मुल्क में स्थापित हुए।

१७७४ ई० में न्याय और मालगुज़ारी के मुदक़में एक दूसरे से अलग कर दिये गये। दोनों विभागों के कर्मचारी अलग-अलग नियुक्त किये गये। दीवानी मुक़दमों का फैसला करने के लिये हिन्दुस्तानी अमीन नियुक्त किये गये। १७८० ई० में १६ दीवानी अदालतें बनाई गईं। हर अदालत का प्रधान सुपरिन्टेन्डेन्ट कहलाता था। हमें यह याद रखना चाहिये कि न्याय विभाग के नये-नये तजुग्गे और विभिन्न न्यायालय बंगाल प्रान्त से आरम्भ होते थे। कम्पनी की जड़ पहले इसी प्रान्त में जमी थी। जब कार्नवालिस हिन्दुस्तान का गवर्नर-जनरल हुआ तो न्यायालयों के संगठन में अनेक परिवर्तन किये गये। १७६० ई० में सदर निज़ामत अदालत मुर्शिदाबाद से फिर कलकत्ता बुला ली गई। छुंटे-मोटे फ़ौजदारी के मुक़दमों को फैसल करने के लिये १७६३ ई० में ४ नई कचहरियाँ और स्थापित की गईं। इन्हें सरकुट कोर्ट (Court of Circuit) कहते हैं। कार्नवालिस ने कलेक्टर को फिर फ़ौजदारी के मुक़दमों का अधिकार दे दिया। इसी की देख-रेख के लिये

४ सरकुट कोर्ट स्थापित की गई थी। कलकत्ते में एक सबसे बड़ी फौजदारी की अदालत (Sadar Nizamat Adalat) खोली गई। गवर्नर-जनरल स्वयं इसका सभापति होता था। दीवानी के मुकदमों में विशेष जजों को दिये गये। इन्हें फौजदारी मुकदमों में भी फैसल करने का अधिकार था। इनकी अपील प्रान्तीय कचहरियों में होती थी। इन प्रान्तीय कचहरियों की संख्या ४ थी। दीवानी मुकदमों के अपील की सबसे बड़ी अदालत, सदर दीवानी अदालत, स्थापित की गई। गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल इसके जज नियुक्त किये गये।

लार्ड बेल्लेग्ली के समय में दोनों अपील की कचहरियों (Sadar Diwani and Nizamat Adalat) में १८०१ में कुछ संशोधन किये गये। गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल के अतिरिक्त ३ या इससे कुछ अधिक जज इनमें नियुक्त किये जा सकते थे। लार्ड विलियम वेंडिंग ने प्रान्तीय कचहरियों को बर्खास्त कर दिया और उनका कार्य जजों को सुपुर्द किया गया। कलेक्टर को फिर मजिस्ट्रेट के सारे अधिकार दे दिये गये। तब से आज तक कलेक्टर को ये दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। एक ओर तो वह अपने जिले में कार्यकारिणी विभाग का प्रधान है और दूसरी ओर मुकदमों का फैसला भी करता है। इसे अलग-अलग करने की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ किया नहीं गया। इन कचहरियों के अलावे कुछ और भी छोटी-छोटी अदालतें बनाई गई थीं।

१८६१ ई० में महारानी विक्टोरिया को यह अधिकार दिया गया कि वह कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना करे। सुप्रीम कोर्ट और अदालत कोर्ट बर्खास्त कर दी गईं। इस हाईकोर्ट ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक हाईकोर्ट में एक प्रधान जज और अधिक से अधिक १५ सहायक जज नियुक्त किये जा सकते थे। इनमें कम-से-कम एक-तिहाई जज बैरिस्टर हो और एक तिहाई इन्डियन सिविल सर्विस के सदस्य हों। १८६६ ई० में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई और इसी साल लाहौर में एक चीफकोर्ट खोली गई। १६११ ई० में एक दूसरा हाईकोर्ट ऐक्ट पास किया गया। इसके अनुसार जजों की संख्या १५ से २० तक कर दी गई। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रान्त में हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है। इसी ऐक्ट के अनुसार पटना, लाहौर और रंगून में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। अबध में एक चीफकोर्ट खोली गई। मध्यप्रान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश और सिन्ध में जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट की स्थापना की गई। यहीं पर न्यायालयों का ऐतिहासिक विकास समाप्त हो जाता है। अब यह देखना है

कि वर्तमान समय में इसका संगठन कैसा है और इनके क्या क्या अधिकार हैं भारतीय न्यायालयों का विभाजन तीन श्रेणियों में किया जा सकता है। इनके अधिकार और कार्यक्षेत्र का ध्यान रखते हुये न्यायालयों का यह विभाजन वैज्ञानिक कहा जा सकता है। इनके वर्तमान संगठन अलावे इंग्लैंड की प्रिवी कौंसिल भी हमारे देश के न्याय-विभाग से सम्बन्ध रखती है। यदि इसे हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी अपील की अदालत कहा जाय तो कोई ग़लती नहीं है। अतएव भारतीय न्यायालयों की श्रेणियाँ ३ के बदले ४ होंगी। ये श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं :—

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| १—प्रिवी कौंसिल | २—संघ-न्यायालय (Federal Court) |
| ३—हाई कोर्ट | ४—ज़िला कोर्ट |

प्रिवी कौंसिल हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। हाई कोर्ट तथा संघ-न्यायालय द्वारा फ़ैसल किये गये मुक़दमें इस कौंसिल में अपील किये जा सकते हैं। इनके संगठन आदि का वर्णन गृह-सरकार नामक खंड में किया जा चुका है। फौजदारी के मुक़दमें किसी विशेष परिस्थिति में ही इसमें अपील किये जा सकते हैं। दीवानी मुक़दमें भी तभी अपील किये जा सकते हैं जब इनका मूल्य किसी ख़ास रक़म से ऊपर हो ; १०,००० रुपये से कम क़ीमत का कोई भी मुक़दमा कौंसिल में अपील नहीं किया जा सकता। दोनों प्रकार की अपीलों की आज्ञा हाई कोर्ट से प्राप्त करनी पड़ती है। अपील के अलावे किसी नये मुक़दमें की उत्पत्ति प्रिवी कौंसिल में नहीं हो सकती। १९३२ के शासन-विधान के अनुसार जो संघ-न्यायालय स्थापित किया गया है वह क़ानून न प्रिवी कौंसिल से छोटा है। संघ-न्यायालय में फ़ैसल किये गये मुक़दमों की अपील प्रिवी-कौंसिल में नहीं हो सकती। लोगों का यह खयाल ग़लत है कि संघ न्यायालय हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। यदि प्रिवी कौंसिल का उपरोक्त अधिकार कम कर दिया जाता और सभी मुक़दमें संघ-न्यायालय में ही समाप्त हो जाते तो यह कथन ठीक हो सकता था।

प्रत्येक संघ शासन-विधान में संघ-न्यायालय का होना अनिवार्य है। संघ-शासन का निर्माण कई रियासतों अथवा सूबों के संघ न्यायालय मेल से होता है। केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त प्रत्येक और इसकी इकाई अपनी स्थानीय सरकार रखती है। संघ-शासन की योजना इन इकाइयों को संगठित कर इनकी शक्ति को और दृढ़ करने के लिये बनाई जाती है। केन्द्रीय

सरकार, जिसे संघ-सरकार भी कहते हैं, स्थानीय सरकारों को किसी भी तरह दवाने की अधिकारिणी नहीं है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिये संघ और स्थानीय सरकारों विषय अलग-अलग बाँट दिये जाते हैं। दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं। रियासतों या सूबों के घनिष्ठ सम्पर्क के कारण संघ की स्थापना होती है। किसी हद तक इनकी सहानुभूति और सहकारिता पहुँच जाने के बाद संघ का निर्माण किया जाता है। इतने पर भी दो प्रकार के भय सदैव बने रहते हैं। किन्हीं भी दो सूबों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। विषयों के विभाजन में संघ और स्थानीय सरकार को कोई-न-कोई कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। यह भी सम्भव है कि शासन-विधान की किसी धारा के दो अर्थ निकाल लिये जायँ। जब इस प्रकार की कठिनाइयों उत्पन्न हो सकती हैं तो एक ऐसी संस्था आवश्यक है जो इन्हें सुलझाने की योग्यता रखती हो। संघ-न्यायालय की स्थापना इसीलिये की जाती है। कोई भी संघ-शासन एक प्रधान न्यायालय के बिना नहीं चल सकता।

संघ-न्यायालय संघ-शासन-विधान का संरक्षक होता है।* इसमें काम करने वाले न्यायाधीशों के सूबों और संघ दोनों के एक दृष्टि से देखना पड़ता है। जिस प्रकार साधारण कचहरियाँ दो व्यक्तियों अथवा दो दलों में निष्पक्ष भाव से फ़ैसला करती हैं, उसी प्रकार संघ-न्यायालय का संघ और प्रान्तीय सरकार दोनों के बीच में फ़ैसला करना पड़ता है। संघ शासन-विधान की बारीकियों से इन्हें भली-भाँति परिचित रहने की आवश्यकता है। संघ-न्यायालय और अखिल भारतीय न्यायालय में कुछ अन्तर है। एक का कार्य शासन-प्रबन्ध में वैधानिक कठिनाइयों को सुलझाना है और दूसरे का कार्य हिन्दोस्तान में सभी प्रकार के मुकदमों का अन्तिम फ़ैसला करना है। १९२५ ई० में भारतीय असेम्बली में इस विषय का एक प्रस्ताव पेश किया गया था कि एक अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना की जाय। सरकार के विरोध करने पर यह प्रस्ताव पास न हो सका। प्रिवि कौंसिल के रहते हुए इस तरह के न्यायालय बनाने में सरकार को कोई लाभ नहीं जान पड़ा। जब

* "A Federal Court is an essential element in a Federal Constitution. It is at once the interpreter and guardian of the Constitution and a tribunal for the determination of disputes between the constituent units of the Federation.

१९३५ के संघ-शासन-विधान की कार्यवाहियाँ आरम्भ हुईं तो फिर इस प्रकार की माँग पेश की गई कि अखिल भारतीय न्यायालय स्थापित किया जाय। सफ़ेद पत्र (White Paper) में संघ न्यायालय और अखिल भारतीय न्यायालय दोनों की सिफ़ारिश की गई थी। संयुक्त पार्लियामेंटरी कमीटी ने इसे मंजूर किया और अखिल भारतीय न्यायालय निरर्थक साबित किया गया।

१९३५ के संघ-शासन-विधान के अनुसार १ नवम्बर सन् १९३७ ई० को संघ-न्यायालय की स्थापना की गई। शासन-विधान संघ न्यायालय में भली भाँति स्पष्ट किया गया है कि संघ-न्यायालय का संगठन में अधिक से अधिक ७ जज रह सकते हैं। यदि इससे अधिक जजों की आवश्यकता होगी तो संघ-धारा-सभा गवर्नर-जनरल के सामने इस आशय का प्रस्ताव रखेगी और अन्त में ब्रिटिश सम्राट् से इसकी अन्तिम अनुमति ली जायगी। जजों की नियुक्ति सम्राट् द्वारा होती है। चूँकि अभी संघ-शासन-विधान पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है इसलिये संघ-न्यायालय में केवल ३ जज रखे गये हैं। प्रधान जज एक अँग्रेज़ है और बाक़ी दो जजों में एक हिन्दू और एक मुसलमान हैं। संघ-न्यायालय के जज ६५ वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं, परन्तु इसके बीच में चरित्र अथवा शारीरिक अंगभंग के कारण अपने पद से हटाये जा सकते हैं। अपने पद से वे किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकते हैं। इस संगठन से यह भली भाँति स्पष्ट है कि संघ-न्यायालय पर भारतीयों का कोई अधिकार नहीं है। जजों का नियुक्त करने और उन्हें हटाने का अधिकार केवल सम्राट् को है। अर्थात् कार्य रूप में भारत-मन्त्री इसका सर्वेसर्वा रक्खा गया है। देश का सबसे बड़ा न्यायालय एक विदेशी सरकार के कब्जे में रहे, वह न्याय की दृष्टि से संगत नहीं है। लोगों का यह विचार था कि इस न्यायालय को संघ-धारा-सभा और गवर्नर-जनरल के कब्जे में रक्खा जाय, जजों की भर्ती करने और हटाने का अधिकार इन्हीं को दिया जाय, परन्तु पार्लियामेंट के सामने उनकी एक न चली।

संघ-न्यायालय में ३ से कम जज नहीं रखे जाते। आजकल इनकी संख्या इतनी ही रखी गई है। प्रधान जज को छोड़कर बाक़ी जजों की योग्यताये एक रखी गई है। जज के लिये निम्नलिखित योग्यता का रखना आवश्यक है :—

१—बृटिश भारत अथवा देशी रियासत की किसी हाईकोर्ट में कम से कम ५ वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। अथवा

२—इंगलैंड या उत्तरी आयरलैंड में १० वर्ष तक बैरिस्टर रहा हो। अथवा

३—स्काटलैंड में १० वर्ष तक ऐडवोकेट रहा हो। अथवा

४—हिन्दोस्तान की किसी हाईकोर्ट में १० वर्ष तक वकील रहा हो। प्रधान जज को इन योग्यताओं के अतिरिक्त दो और भी बातें पूरी करनी होंगी :—

१—उपरोक्त दो और तीन नम्बर के अनुसार उसे १५ वर्ष का अनुभव होनी चाहिये।

२—नियुक्ति के समय उसे इंगलैंड या उत्तरी आयरलैंड का बैरिस्टर, या स्काटलैंड का एडवोकेट या भारतवर्ष का वकील होना चाहिये।

प्रधान जज को ७००० रुपया और बाकी जजों को ५५०० रुपया महीना वेतन दिया जाता है। ६५ वर्ष की आयु होने पर जजों को पेंशन देने का विधान बनाया गया है। यह पेंशन अधिक-से-अधिक ३००० रुपये सालाना तक दी जा सकती है। प्रधान न्यायाधीश का स्थान खाली हो जाय तो गवर्नर-जनरल को यह अधिकार होगा कि वह सहायक जजों में से कुछ समय के लिये किसी को प्रधान न्यायाधीश बना दे। परन्तु किसी भी दशा में उसे सहायक जजों को भर्ती करने का अधिकार नहीं दिया गया है। संघ-न्यायालय का स्थान दिल्ली है, परन्तु प्रधान न्यायाधीश गवर्नर-जनरल की अनुमति से इसका स्थान तब्दील कर सकता है। संघ-न्यायालय का सब खर्च भारतीय खजाने से दिया जाता है, परन्तु संघ-धारा-सभा (अभी इसका निर्माण नहीं हुआ है) को जजों का वेतन घटाने-बढ़ाने का अधिकार नहीं है। वह केवल उसपर विचार कर सकती है। न्यायालय का पूरा खर्च गवर्नर-जनरल के निजी अधिकार में रक्खा गया है। इसकी फीस आदि की आमदनी संघ-सरकार की आमदनी समझी जाती है।

संघ-न्यायालय का सब काम अंगरेजी भाषा में होता है।

संघ न्यायालय इसके कर्तव्य दो प्रकार के हैं :—

के अधिकार

और कर्तव्य

१—संघ शासन की वैधानिक कठिनाइयों को सुलझाना।

२—प्रान्तीय हाईकोर्ट से दीवनी मुकदमों की अपील सुनना।

संघ-न्यायालय में नये और अपील दोनों प्रकार के मुकदमें आयेंगे। जब कभी किसी प्रान्त और केन्द्रीय सरकार में कोई मतभेद होगा तो इसका निपटारा संघ-न्यायालय में किया जायगा। यदि दो प्रान्तीय सरकारें आपस में लड़ बैठें तो उनका फ़ैसला संघ-न्यायालय करेगा। जो रियासतें संघ-शासन में शरीक होंगी उनके बीच में यदि किसी प्रकार का वैधानिक संकट उत्पन्न होगा तो न्यायालय इसका फ़ैसला करेगा। तात्पर्य यह है कि नये मुकदमें व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले न होकर सरकार से सम्बन्ध रखेंगे। अर्थात् संघ-शासन के अन्दर केन्द्रीय अथवा स्थानीय जितनी भी सरकारें होंगी उनके आपसी झगड़े संघ-न्यायालय में फ़ैसल होंगे। इसलिये यह व्यक्तियों का न्यायालय न होकर सरकारों का न्यायालय होगा। संघ न्यायालय जहाँ कहीं भी स्थापित किये गये हैं उनका मुख्य काम वैधानिक उल्लंघनों को सुलभाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस न्यायालय का पद शासन-विधान से ऊपर माना जाता है। शासन की प्रधानता होते हुये भी इसे स्पष्ट करने का अधिकार इसी न्यायालय को दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रधान न्यायालय (Supreme Court) को जो स्थान प्राप्त है वह भारतीय संघ-न्यायालय को नहीं दिया गया है। अमेरिका की संघ-रियासतों पर प्रधान न्यायालय का एक सा अधिकार है, परन्तु भारतीय संघ-न्यायालय रियासतों और ब्रिटिश प्रान्तों पर समान अधिकार नहीं रखेगा। प्रान्तों पर तो उसके अधिकार एक से होंगे, परन्तु रियासतों पर वे कुछ शक्तों के साथ लागू होंगे।

उपरोक्त वैधानिक मुकदमों के अतिरिक्त संघ-न्यायालय में कुछ मुकदमों की अपील भी की जाती है। जो मुकदमें प्रान्तों अथवा रियासतों की हाईकोर्ट में फ़ैसल होंगे उनकी अपील संघ न्यायालय में होगी, परन्तु इसकी आज्ञा हाईकोर्ट दे सकेगी। सभी मुकदमों की अपील की आज्ञा नहीं दी जा सकती। जिन मुकदमों में कोई कानूनी दाँव-पेच है अथवा किसी ऐक्ट के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, उन्हीं की अपील संघ-न्यायालय में होगी। जहाँ ऐसे प्रश्न उपस्थित होंगे वहाँ हाईकोर्ट दोनों पार्टियों को एक सर्टिफिकेट देगी कि इनमें कोई भी पार्टी संघ-न्यायालय में इसकी अपील कर सकती है। इस तरह के मुकदमों की अपील संघ-न्यायालय को छोड़कर और कहीं नहीं की जा सकती। प्रिवी कौंसिल में ऐसे मुकदमें हाईकोर्ट से सीधे नहीं जा सकते। उन्हें संघ-न्यायालय से होकर गुज़रना होगा। यदि संघ-न्यायालय इस प्रकार के किसी मुकदमें की अपील हाईकोर्ट से प्रिवी कौंसिल में करने की विशेष आज्ञा दे तब भी प्रिवी कौंसिल इनकी अपील नहीं सुन सकती।

क्रान्ती मामलों के अतिरिक्त कुछ मुकदमों की अपील हाईकोर्ट से संघ-न्यायालय में की जाती है। परन्तु इसकी आज्ञा केवल संघ-धारा-सभा गवर्नर-जनरल की अनुमति से देगी। यदि संघ-धारा-सभा इस प्रकार की अपीलों का विधान बनाना चाहती है तो वह गवर्नर-जनरल की सलाह से संघ-न्यायालय के अधिकार को बढ़ा सकती है। ऐसी दशा में दीवानी के कुछ मुकदमों हाईकोर्ट से प्रिवी कौंसिल में न जाकर संघ-न्यायालय में अपील किये जायेंगे। इनके लिये हाईकोर्ट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत न होगी। परन्तु इसमें एक बहुत बड़ी शर्त यह है कि आरम्भ में वह मुकदमा कम कम से ५०००० रुपये का और अपील के समय कम से कम १५००० रुपये का हो। इससे कम क्रीमट के माल के मुकदमों संघ-न्यायालय में तभी अपील किये जा सकते हैं जब संघ-न्यायालय इसकी विशेष आज्ञा दे। इस प्रकार की अपीलों को कार्यान्वित करने के पहिले संघ-धारा-सभा को एक क्रान्ति द्वारा इस बात का एलान कर देना होगा कि अमुक-अमुक प्रकार के मुकदमों हाईकोर्ट से सीधे प्रिवी कौंसिल में अपील न किये जायँ। ऐसा करने से प्रिवी कौंसिल के अधिकार कुछ कम ज़रूर हो जायेंगे, परन्तु हिन्दोस्तान से उसका नाता एकदम तोड़ा नहीं जा सकता। जो रियासतें संघ-शासन में शरीक होंगी उन्हें भी संघ-न्यायालय में क्रान्ती मुकदमों अपील करने का अधिकार होगा। ये अपीलों दो प्रकार की होंगी :—

१—रियासतों की हाईकोर्ट स्वयं किसी मामले को संघ-न्यायालय में सलाह के लिये भेज सकेंगी।

२—संघ-न्यायालय इस बात की आज्ञा जारी कर सकता है कि अमुक मामला उसके सामने पेश किया जाय।

कुछ लोगों ने संघ-न्यायालय के कर्तव्य को ३ भागों में बाँटा है :—

१—नये मुकदमों (Original Cases) को सुनना।

२—अपील के मुकदमों को सुनना।

३—गवर्नर-जनरल को क्रान्ति सम्बन्धी मामलों में सलाह देना।

पहले दो प्रकार के कर्तव्यों का वर्णन ऊपर किया गया है। तीसरे प्रकार का कर्तव्य गवर्नर-जनरल की इच्छा पर निर्भर है। यदि उसकी राय में कोई वैधानिक संकट उपस्थित हो, अथवा भविष्य में उसके उपस्थित होने की सम्भावना हो, तो वह इसे संघ-न्यायालय के सामने पेश कर सकता है। जजों का यह कर्तव्य है कि वे अपना बहुमत उसे दे दे। परन्तु यदि किसी जज को बहुमत पसन्द नहीं है तो वह अपना स्वतन्त्र निर्णय दे सकता है। संघ-न्यायालय की यह राय मुकदमों के फैसले की भाँति गवर्नर-जनरल पर

लागू न होगी। वह चाहे तो इससे लाभ उठा सकता है, वरन् इसका कोई मूल्य नहीं है। इससे एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि थोड़े ही परिश्रम से कितनी ही शासन सम्बन्धी अड़चनें दूर होती रहेंगी। परन्तु गवर्नर-जनरल को छोड़कर और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह संघ-न्यायालय से किसी प्रकार की कानूनी राय ले सके। यदि यह अधिकार प्रान्तीय कर्मचारियों को दे दिया जाता तो शासन-विधान का रास्ता और भी साफ हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। जब कभी प्रान्तीय सरकारों को सलाह की आवश्यकता होगी तो वे गवर्नर-जनरल की आज्ञा द्वारा संघ-न्यायालय से इसे प्राप्त कर सकेंगी।

भारतीय संघ-न्यायालय के कर्तव्यों को देखते हुये यह भली भाँति स्पष्ट है कि इसके कार्य केवल वैधानिक नहीं हैं। यह वैधानिक संघ-न्यायालय न्यायालय कहलाने का अधिकारी नहीं कहा जा सकता। **की कमज़ोरियाँ** दीवानी के मुकदमों की अपीलें भी इसमें नहीं होतीं। संसार के अन्य संघ-शासन-विधानों के अन्दर संघ-न्यायालय प्रधान माने गये हैं। उनके फैसले की अपील किसी दूसरी अदालत में नहीं की जा सकती। परन्तु भारतीय संघ-न्यायालय द्वारा फैसल किये गये मुकदमों की अपील प्रिवी काँसिल में होती है। ऐसी हालत में संघ-न्यायालय को संघ-शासन-विधान का संरक्षक कहना निरा भ्रम है। यह शासन-विधान पार्लियामेंट की ही संरक्षता में कार्य करेगा। इसीलिये यह कहा गया है कि, “संघ-न्यायालय अपील को आखीरी अदालत नहीं है। न तो इसका दीवानी के मुकदमों पर ही अन्तिम अधिकार है और न शासन-विधान की संरक्षता ही इसे प्राप्त है।”* बम्बई के गवर्नर ने इसे ‘महँगी विलासिता’ कहा है। इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी लोगों को संघ-न्यायालय से बड़ी-बड़ी आशाये हैं। उनका विचार है कि देशी रियासतों और बृटिश प्रान्तों में नैयायिक एकता स्थापित करने में यह सहायक सिद्ध होगा।

प्रान्त में सबसे बड़ी कचहरी हाईकोर्ट कहलाती है। १९३५ के शासन-हाईकोर्ट विधान के अनुसार हिन्दोस्तान में ७ हाईकोर्ट हैं—

कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, लाहौर, पटना और नागपुर। इनके अतिरिक्त अवध के लिये लखनऊ में एक चीफ कोर्ट स्थापित की गई

* It is not the final appellate authority—the last authoritative judicial interpreter of the constitution, or the ultimate declarer of the civil law of the land.

है। मध्य प्रान्त और बरार, पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा सिन्ध में जुडीशियल कमिश्नर कोर्ट स्थापित की गई है। सम्राट् को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रान्त में हाईकोर्ट की स्थापना कर सके। हाईकोर्ट में जजों की संख्या अधिक से अधिक बीस रखी गई है। इनकी नियुक्ति सम्राट् स्वयं करता है। गवर्नर-जनरल को यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी कौंसिल की सलाह से वह सहायक जज नियुक्त कर सके। परन्तु इसकी अवधि अधिक-से-अधिक दो वर्ष हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश का स्थान यदि किसी कारणवश खाली हो जाय तो गवर्नर-जनरल अपने विशेष अधिकार से सहायक जजों में से किसी को भी थोड़े समय के लिये उस स्थान पर नियुक्त कर सकता है। ६० वर्ष की आयु तक प्रत्येक जज कार्य कर सकता है। इसके पहले यदि वह इस्तीफा देना चाहता है तो वह गवर्नर को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। अपने चरित्र अथवा शारीरिक कमजोरियों के कारण वह हटाया भी जा सकता है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिये कुछ योग्यताओं का रखना आवश्यक है। या तो वह इंग्लैंड अथवा उत्तरी आयरलैंड में कम से कम दस वर्ष बैरिस्टर रहा हो; या इतनी ही अवधि तक स्काटलैंड में ऐडवोकेट रहा हो; या कम से कम दस वर्ष तक इन्डियन सिविल सर्विस का सदस्य रहा हो, और साथ ही कम से कम तीन वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, या पाँच वर्ष तक ब्रिटिश भारत में किसी कचहरी में जज रहा हो, या दस वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का वकील रहा हो। प्रधान न्यायाधीश के लिये इनके अतिरिक्त कुछ और भी शर्तें रखी गई हैं। उसे कम से कम तीन वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का जज होना आवश्यक है। नियुक्ति के समय उसे बैरिस्टर अथवा ऐडवोकेट होना चाहिये। नये शासन-विधान के पहले यह आवश्यक था कि कम से कम एक तिहाई जज इन्डियन सिविल सर्विस के सदस्य हों और एक तिहाई इंग्लैंड, स्काटलैंड या आयरलैंड के वकील या बैरिस्टर हों, परन्तु अब यह बन्धन दूर कर दिया गया है। इससे जजों को तलाश करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थीं। नियुक्ति के समय जजों को गवर्नर के सामने एक प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है।

जजों का वेतन, भत्ता, तथा इनकी पेन्शन आदि निश्चित करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट् को है। इनका वेतन इनके कार्यकाल में घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता।

१९३७ ई० में भारत-सरकार ने हाईकोर्ट के जजों का जो वेतन निश्चित किया है उसका ब्योरा निम्नलिखित प्रकार से है :—

संख्या	स्थान	सालाना वेतन
१	कलकत्ता हाईकोर्ट का प्रधान न्यायाधीश	...७२००० रु०
२	मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना और लाहौर हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश	...६०००० रु०
३	नागपुर हाईकोर्ट का प्रधान न्यायाधीश	...५०००० रु०
४	कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना और लाहौर के न्यायाधीश ; और अवध कोर्ट का चीफ़ जज	...४८००० रु०
५	अवध चीफ़ कोर्ट के जज ; सिन्ध का जुडीशियल कमिश्नर	...४२००० रु०
६	नागपुर हाईकोर्ट का जज	...४०००० रु०
७	पश्चिमोत्तर प्रदेश का जुडीशियल कमिश्नर	...३६००० रु०
८	सिन्ध तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के सहायक जुडीशियल कमिश्नर ।	...३६००० रु०

हाईकोर्ट के जजों का वेतन तथा सभी प्रकार के खर्चें प्रान्तीय खजाने से दिये जाते हैं । लेकिन प्रान्तीय धारा-सभा को इसे घटाने-बढ़ाने का अधिकार नहीं है । हाईकोर्ट के खर्चों की रकम प्रान्तीय गवर्नरों के निजी अधिकार में रक्खी गई है । प्रान्तीय स्वराज की दृष्टि से ऐसा करना सर्वथा अनुचित है । जिस प्रकार मंत्रियों के अधिकार अन्य विभागों पर रक्खे गये हैं उसी तरह हाईकोर्ट भी उनकी शक्ति से बाहर नहीं होनी चाहिये ।

कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के हाईकोर्ट को अपील तथा नये दोनों प्रकार के मुकदमों सुनने का अधिकार है । अन्य हाईकोर्टों में अधिकतर अपील के मुकदमों फैसल किये जाते हैं । दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों इसमें अपील किये जाते हैं । प्रान्त में सभी अदालतें हाईकोर्ट की मातहतती में काम करती हैं । हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि अपने प्रान्त के अन्दर किसी मुकदमों को एक कचहरी से दूसरी में भेज सके । यदि किसी छोटी कचहरी में संघ अथवा प्रान्त से सम्बन्ध रखने वाला कोई ऐक्ट, सम्बन्धी मुकदमा पेश है तो संघ अथवा प्रान्त के ऐडवोकेट-जनरल की आज्ञा पाने पर हाईकोर्ट उसे अपने पास तब्दिल कर सकती है । छोटी

कचहरियों का कार्यक्रम यही बनाती है। कचहरियों के कर्मचारियों का वेतन, मुकदमों की फीस तथा हिस्सा-किताब रखने का तरीका निश्चित करने का अधिकार इसी को दिया गया है। टैक्स से सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों-हाईकोर्ट में आरम्भ नहीं किये जा सकते।

सम्राट् की आज्ञा से हाईकोर्ट-कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। कुछ विषयों में इसके अधिकार सीमित रखे गये हैं। इसकी सारी कार्रवाइयाँ अंगरेज़ी भाषा में ही हो सकती हैं। गवर्नर-जनरल, सम्राट् तथा देशी रियासतों का सम्बन्ध, गवर्नर तथा भारत मंत्री—इनके विरुद्ध हाईकोर्ट में किसी तरह का विचार नहीं किया जा सकता। फौजदारी के सभी मुकदमों अधिक-से-अधिक हाईकोर्ट तक आ सकते हैं। फाँसी और कालेपानी का अन्तिम निर्णय देने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया है। परन्तु गवर्नर, जनरल को यह अधिकार है कि वह किसी फाँसी के अपराधी को माफ कर दे। १९१६ के शासन-विधान के अनुसार कलकत्ता हाईकोर्ट को छोड़ कर बाकी हाईकोर्ट प्रान्तीय सरकारों से सीधा सम्बन्ध रखते थे। अर्थात् प्रान्तीय सरकारें उनके खर्च आदि के लिये जिम्मेवार थीं। नये शासन-विधान के अनुसार न्याय विभाग प्रान्तीय विषयों की सूची में रख दिया गया है। लेकिन साथ ही संघ-सरकार का भी इसमें हाथ होगा। हाईकोर्ट न तो पूरी तरह प्रान्तीय हैं और न संघीय।

हाईकोर्ट से नीचे दीवानी और फौजदारी की अदालतें अलग-अलग हैं। प्रत्येक ज़िले में ये दोनों प्रकार की अदालतें प्राई जाती ज़िला कोर्ट हैं। ज़िले में फौजदारी के मुकदमों की सबसे बड़ी अदालत सेशन कोर्ट कहलाती है। इसका न्यायाधीश सेशन जज कहलाता है। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक जज इसमें नियुक्त किये जा सकते हैं। फौजदारी के सभी मुकदमों इसमें फैसल किये जाते हैं। यह अदालत किसी अपराधी को फाँसी की सज़ा दे सकती है, परन्तु इसका अन्तिम निर्णय हाईकोर्ट में किया जाता है। मजिस्ट्रेट की कचहरी से फैसल किये गये मुकदमों की अपील सेशन कोर्ट में की जाती है। सेशन कोर्ट से नीचे फौजदारी की दूसरी अदालत मजिस्ट्रेट कोर्ट है। ये मजिस्ट्रेट ३ प्रकार के होते हैं। अर्धवत्स दज़े के मजिस्ट्रेट को २ वर्ष सख्त जेल की सज़ा और १००० रुपया जुर्माना, दोयम दरजे के मजिस्ट्रेट को ६ महीने सख्त जेल की सज़ा और २०० रुपये जुर्माना, और तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट को १ महीने की सज़ा और ५० रुपये जुर्माना करने का अधिकार है। इन मजिस्ट्रेटों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग बटे होते हैं। ज़िले का

कलेक्टर अव्वल दर्जे का मजिस्ट्रेट होता है। फौजदारी के जो मुकदमें इनके अधिकार से बाहर होते हैं, उन्हें ये सेशन कोर्ट में भेज देते हैं।

ऊपर कहा गया है कि ज़िले का कलेक्टर अव्वल दर्जे का मजिस्ट्रेट होता है। ज़िले के और मजिस्ट्रेट उसकी देख-रेख में अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक ज़िले की हर तहसील में एक डिप्टी कलेक्टर होता है। अपने क्षेत्र में इसे भी फौजदारी के मुकदमें फ़ैसल करने का अधिकार होता है। कलेक्टर इनका कार्य वितरण करता है और इनकी देख-रेख रखता है। बड़े शहरों में सिटी-मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाते हैं। शहर के फौजदारी के मुकदमें इनकी कचहरियों में फ़ैसल होते हैं। इनके अतिरिक्त हर ज़िले तथा शहर में कुछ अवैतनिक मजिस्ट्रेट भी रखे जाते हैं। इनके अधिकार उपरोक्त मजिस्ट्रेटों की तरह अव्वल, दौयम और सोयम ३ दर्जों में बँटे हुए हैं। प्रान्तीय सरकार इन्हें नियुक्त करती है। ज़िले के प्रतिष्ठित अनुभवशील व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं। फौजदारी के छोटे-मोटे मुकदमें इनकी कचहरियों में फ़ैसल होते हैं।

हाईकोर्ट के नीचे प्रत्येक ज़िले में दीवानी की सब से बड़ी अदालत डिस्ट्रिक्ट जजेज़कोर्ट कहलाती है। बंगाल, आगरा तथा आसाम प्रान्त के हर ज़िले में दीवानी अदालतें ३ श्रेणियों में विभक्त की गई हैं—डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब जज कोर्ट तथा मुनिसिफ़ कोर्ट। अन्य प्रान्तों में इसकी श्रेणियों में कुछ भेद भाव किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। ज़िले की तमाम दीवानी अदालतें इसकी मातहत में काम करती हैं। नावालिग़ और पागल की जायदाद की रक्षा के लिये संरक्षक यही नियुक्त करती है। दीवानी की छोटी कचहरियों द्वारा फ़ैसल किये गये मुकदमें इसमें अपील किये जाते हैं। ५००० रुपये से अधिक से सम्बन्ध रखने वाले किसी मुकदमें की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं की जा सकती। डिस्ट्रिक्ट जजेज़ कोर्ट के नीचे की दीवानी अदालत सिविल जज कोर्ट कहलाती है। इसके अतिरिक्त हर ज़िले में एक मुनिसिफ़ कोर्ट होती है। इन दोनों कचहरियों का दर्जा लगभग बराबर सा है, अन्तर केवल इतना ही है कि मुनिसिफ़ कोर्ट में केवल २००० रुपये तक के दीवानी मुकदमें पेश किये जा सकते हैं। इन दोनों सहायक कचहरियों के फ़ैसल किये गये मुकदमों की अपील डिस्ट्रिक्ट जजेज़ कोर्ट में होती है। परन्तु यदि कोई मुकदमा ५००० रुपये से अधिक कीमत का है तो उसकी अपील सीधे हाईकोर्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट जजेज़ कोर्ट में नहीं। नक़द रुपये के मुकदमें ५०० रुपये तक रमाल काज़ कोर्ट में

फ़ैसल होते हैं। इनके फ़ैसल किये गये मुक़दमों में कहीं अपील नहीं किये जा सकते। यह कचहरी केवल बड़े ज़िले में होती है।

योरपनिवासियों को आरम्भ से ही कुछ विशेष सुविधायें दी जाती हैं। यद्यपि धारा सभाएँ सम्पूर्ण देशवासियों के लिये क़ानून योरप निवासियों बनाती हैं और कचहरियों का अधिकार सब पर एक सा है, फिर भी योरप निवासियों के साथ इस विषय में कुछ पक्षगत किया गया है। १९वीं सदी के मध्य में यह प्रश्न उठाया गया था कि अन्य लोगों की तरह

इनके भी मुक़दमों स्थानीय कचहरियों में फ़ैसल किये जायँ, परन्तु इसका कोई परिणाम न हुआ। प्रेसीडेन्सी शहरों में सुपीम कोर्ट में उनके फ़ौजदारी के मुक़दमों फ़ैसल किये जाते थे। जब इंडियन सिविल सर्विस का दर्वाज़ा हिन्दोस्तानियों के लिये खोल दिया गया तो यह प्रश्न उठा कि क्या उन्हें योरपनिवासियों के मुक़दमों फ़ैसल करने का अधिकार दिया जाय अथवा नहीं। अब तक जज और कलेक्टर के पद पर केवल अँगरेज़ होते थे परन्तु सिविल सर्विस का दर्वाज़ा खुल जाने से हिन्दोस्तानी भी इन पदों पर नियुक्त किये जाने लगे। एक ही पद पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों के अधिकार दो तरह के नहीं रखे जा सकते थे। गवर्नमेंट ने १८८३ ई० में इल्डर वित्त पास करना चाहा। इसका आशय यह था कि हिन्दोस्तानी जजों तथा कलेक्टरों को योरप निवासियों के मुक़दमों फ़ैसल करने का अधिकार दिया जाय। हिन्दोस्तान में रहने वाले योरप निवासियों ने इसका खूब विरोध किया। उन्हें यह बात खटकने लगी कि हिन्दोस्तानी और ग़ोरे एक नज़र से देखे जायेंगे। अन्त में सरकार को विवश होकर उनके सामने झुकना पड़ा।

१८८४ ई० में सुलह का एक मार्ग निकाला गया। हिन्दोस्तानी जजों और कलेक्टरों की योरप निवासियों के मुक़दमों फ़ैसल करने का अधिकार इस शर्त पर दिया गया कि एक जुरी की मदद से उनका मुक़दमा फ़ैसल किया जाय। जुरी के कम से कम आधे व्यक्ति योरोपियन हों। आज भी संघ तथा प्रान्तीय धारा-सभाओं में गवर्नर-जनरल की आज्ञा के बिना कोई ऐसा बिल पेश नहीं किया जा सकता जिसका प्रभाव योरप निवासियों के फ़ौजदारी के मुक़दमों की कार्यवाहियों पर पड़ता हो। जातीय भेद-भाव कमीटी (Racial Distinction Committee) ने इस मसले पर विचार किया था कि योरोपियन तथा भारतीयों का मुक़दमा हिन्दोस्तानी कचहरियों में किस तरह फ़ैसल किया जाय। कमीटी ने इस बात की सिफ़ारिश की कि पुराने भेद-भावों को बहुत कुछ दूर कर देना चाहिये। तब से हिन्दोस्तानी और

योरोपियन दोनों को समान रूप से यह अधिकार दे दिया गया कि उनके मुकदमों मिश्रित जुरी द्वारा फैसल किये जायँ। जुरी के आधे सदस्य उस राष्ट्र के निवासी हों जिसकी प्रजा अग्राधी ठहराई गई है।

अध्याय २२

सरकारी नौकरियाँ

किसी देश का शासन-प्रबन्ध वहाँ के सरकारी कर्मचारियों की योग्यता पर निर्भर करता है। जनता के साथ जैसा अच्छा या बुरा व्यवहार होगा, शासन-प्रबन्ध की महत्ता उसी मात्रा में अच्छी या बुरी समझी जायगी। यदि सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव चारी योग्य और सुशिक्षित हैं तो यह स्वाभाविक है कि वे शासन की मशीन को और अच्छी तरह चला सकेंगे। जब हम यह सुनते हैं कि अमुक देश में घूमखोरी अधिक चलती है और अत्याचार बहुत होते हैं तो हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि वहाँ के सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन नहीं करते। प्रत्येक देश की सरकार इस बात के लिये बदनाम है कि वह अपने कर्मचारियों को अधिक-से-अधिक वेतन और सुविधायें देती है। जिस काम के लिये व्यक्तिगत नौकरियों में पचास-रुपये वेतन है उसी के लिये सरकार सौ रुपये खर्च करती है। इसके अतिरिक्त वह पेन्शन तथा कुछ और तरह की सुविधायें भी देती है। सरकार के ऐसा करने में एक बहुत बड़ा कारण है। प्रजा के धन का वह दुरुपयोग नहीं करना चाहती। लम्बी-लम्बी तनझाहें वह इसीलिये देती है कि कर्मचारी बेजा तरीके से प्रजा से धन वसूल करने की इच्छा न रखें। जिस कर्मचारी को आवश्यकता से कम पैसे मिलेंगे वह ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। पैसे के लोभ से तथा सुविधाओं के कारण सरकारी कर्मचारी अधिक तत्परता और भय से कार्य करते हैं। कर्मचारियों से अलग सरकार कोई दूसरी चीज़ नहीं है। उनकी योग्यता, कार्य-कुशलता, सच्चाई तथा तत्परता का प्रभाव जनता के ऊपर गहरा पड़ता है।

कर्मचारियों के नियुक्त करते समय सरकार को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उनकी योग्यता के अतिरिक्त उसे सभी वर्गों की ओर एक नज़र रखनी पड़ती है। यदि किसी देश में एक ही वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में लिये जायँ तो अन्य वर्ग इस पक्षपात को सहन नहीं कर सकते। कर्मचारियों

की नियुक्ति के लिए ऐसे तरीके बनाने पड़ते हैं जिसमें सभी लोगों का शरीक होने का अवसर मिल सके। इसीलिये प्रजातन्त्रवादी देशों में बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों के लिये परीक्षाओं का विधान बनाया गया है। रूप, रंग, जाति, अथवा धन के कारण किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाता। परीक्षाओं में जिन्हें सबसे अधिक नम्बर मिलते हैं वे सरकारी विभाग में लिये जाते हैं। इससे दो प्रकार के लाभ हैं। एक तो योग्य व्यक्ति सरकारी नौकरियों में चले आते हैं। दूसरे प्रजा को यह कहने का मौका नहीं मिलता कि उनकी सरकार किसी वर्ग विशेष के साथ पक्षपात करती है। जिस विभाग में देश के योग्य से योग्य व्यक्ति काम करेंगे उसका प्रभाव साधारण जनता पर पड़े बिना नहीं रह सकता। कुछ तो अपने पद के कारण और कुछ अपने चरित्र अथवा व्यक्तित्व के कारण सरकारी कर्मचारी लोगों को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत योग्यतायें हर जगह काम करती हैं। जिनके अन्दर योग्यता का आभास अधिक है और जो अपने व्यवहार से दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं वे सरकारी विभाग में रहते हुये सार्वजनिक कामों को और अधिक उन्नत कर सकते हैं। शासन की मशीन अच्छी होने पर भी अयोग्य कर्मचारी इसे दूषित कर सकते हैं। स्थानीय संस्थायें अपने उद्देश्य में जो थोड़ी-बहुत असफल हुई हैं इसका मुख्य कारण उचित कर्मचारियों का अभाव है। सरकारी विभाग में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक-ठीक पालन कर अपने देश की सभी प्रकार उन्नति कर सकते हैं।

जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हमारे देश में हुई तो उसे अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी। व्यापार से बढ़ते-
भारतीय बढ़ते जब कम्पनी राजनीति में भाग लेने लगी तो
सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता और भी बढ़ने लगी।
नौकरियों का व्यापार कार्य गौण होता गया। शासन-प्रबन्ध को
इतिहास चलाने के लिये नये नये पदों का निर्माण करना पड़ा।
 कम्पनी को अपने सारे काम अंगरेजी भाषा में करने पड़ते थे। हमारे देश में अंगरेजी पढ़े-लिखे लोगों का सर्वथा अभाव था। यदि कम्पनी अपने कर्मचारियों को योरप से बुलाती तो उसे एक का तीन देना पड़ता। कम्पनी को अपना फौजी विभाग बहुत ही मज़बूत रखना था। जीते हुए देशों की रक्षा के लिये तथा नये-नये देशों को ब्रिटिश राज में शामिल करने के लिये उसे अपने सेना विभाग पर सबसे अधिक ध्यान देना पड़ता था। कुछ समय तक कम्पनी के कर्मचारी बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किये जाते थे। परन्तु जब कार्य अधिक बढ़ा तो गवर्नर तथा गवर्नर-जनरल

को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को स्वयं भर्ती कर लें। कम्पनी के कर्मचारियों के कारणों से भारतीय इतिहास में अच्छी तरह वर्णन किये गये हैं। बृटेन निवासी कुछ दिनों के लिये हिन्दोस्तान में कम्पनी की नौकरी करने के लिए आते और कुछ ही दिनों में मालामाल होकर अपने देश को लौट जाते थे। कहा जाता है कि १७५८ से १८१५ ई० तक यानी ५८ वर्ष के भीतर कम्पनी के कर्मचारी पचीस करोड़ रुपया तनखाह के रूप में अपने देश को ले गये। बुक्स ऐडम्स के कथनानुसार इन्हीं रकमों ने इंगलिस्तान की नई ईजादों को फलने का अवसर दिया।

जब लार्ड कार्नवालिस हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल हुआ तो उसका ध्यान बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों की शुद्धि की ओर आकर्षित हुआ। उसका कहना था कि बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियाँ हिन्दुस्तानियों को नहीं मिलनी चाहिये। कलकत्ता में सरकारी नौकरियों की ट्रेनिंग तथा पूर्वी भाषाओं की जानकारी के लिये एक कालेज की स्थापना की गई। १८०६ ई० में हेक्स बरी नाम का एक दूसरा कालेज इंगलैंड में खोला गया। यहाँ के उत्तीर्ण विद्यार्थी हिन्दोस्तान में कम्पनी की नौकरी में भेजे जाते थे। कम्पनी की बड़ी-बड़ी नौकरियाँ हिन्दोस्तानियों को नहीं मिल सकती थीं। वे केवल चररासी और क्लर्क बन सकते थे। १८५३ ई० के चार्टर ऐक्ट के अनुसार सरकारी पदाधिकारियों की नामजदगी का अधिकार डाइरेक्टरों से छीन लिया गया। बड़ी-बड़ी नौकरियों का दरवाजा अंगरेज और हिन्दोस्तानी दोनों के लिये एक समान खोल दिया गया। यह निश्चित किया गया कि इंगलैंड में बड़ी-बड़ी नौकरियों के उम्मीदवारों की परीक्षाएँ ली जायँगी। हिन्दोस्तानी उम्मीदवार भी इसमें हिस्सा ले सकते थे।

इंडियन सिविल सर्विस का दरवाजा हिन्दोस्तानियों के लिये खोल तो दिया गया परन्तु इसमें तरह-तरह की कठिनाइयाँ रख छोड़ी थीं। बहुत-थोड़े से धनीमानी उम्मीदवार हिन्दोस्तान से ६००० मील की दूरी पर जाकर एक नये वातावरण में रह सकते थे। इसके अतिरिक्त परीक्षा के लिये कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये थे जिनकी पूर्ति दो प्रतिशत भी उम्मीदवार नहीं कर सकते थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येन्द्रनाथ टैगोर पहले हिन्दोस्तानी थे जिन्होंने लंदन में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। इनके बाद दो चार और हिन्दोस्तानियों ने परीक्षा में सफल होकर अपनी बुद्धि का परिचय दिया। ब्रिटिश सरकार को यह बात खटकने लगी। अब तक उसे यह उम्मीद न थी कि हिन्दोस्तानी भी इंडियन सिविल सर्विस में अंगरेजों का मुकाबिला कर सकते हैं। जब उसकी आशाओं के विरुद्ध कुछ लोगों को

सफलता प्राप्त हुई और भविष्य के लिये हिन्दोस्तानियों को कुछ उत्साह मिला तो उनकी उमर की क़ैद २६ वर्ष से घटाकर १६ वर्ष कर दी गई। अर्थात् प्रत्येक हिन्दोस्तानी उम्मीदवार को १६ वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। इसने भारतीय उम्मीदवारों का दरवाज़ा बिल्कुल बन्द कर दिया। भारत-मन्त्री को अपने एक पत्र में लार्ड लिटन ने यह लिखा कि “जिन बातों को सुनकर हिन्दोस्तानियों को कुछ तसल्ली हुई थी उन्हें इनकार कर हम लोगों ने उनकी कमर तोड़ दी।”* अर्थात् सिविल सर्विस में उत्तर्ण होने की उनकी आशाएँ मिट्टी में मिल गईं।

१८७० ई० में एक ऐक्ट द्वारा हिन्दोस्तानी उम्मीदारों को सिविल सर्विस की नौकरियाँ कुछ आसान कर दी गईं। परन्तु बहुत थोड़ी जगहें इस ऐक्ट के अनुसार इन्हें दी गईं। १८७६ ई० में इंडियन सिविल सर्विस के नियमों पर पुनः विचार किया गया। खानदान और रुतबे वाले नवयुवकों को विशेष सुविधायें प्रदान की गईं। सरकार द्वारा इस बात के लिये कमीशन नियुक्त किया गया कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे हिन्दोस्तानियों को बड़ी-बड़ी नौकरियाँ मिल सकें। १८८७ ई० में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत-सरकार को दी। इसमें कुछ आवश्यक सिफ़ारिशों की गई थीं। इसके फल-स्वरूप सरकारी नौकरियाँ तीन श्रेणियों में विभाजित कर दी गईं :—

- १—इंडियन सिविल सर्विस (Indian Civil Service.)
- २—प्रान्तीय सिविल सर्विस (Provincial Civil Service.)
- ३—छोटी सिविल सर्विस (Subordinate Civil Service.)

कार्यकारिणी तथा न्याय विभाग की बड़ी-बड़ी नौकरियाँ प्रान्तीय सिविल सर्विस के सदस्यों को दी जाती थीं। इनमें प्रवेश करने के नियम तथा उप-नियम प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये जाते थे और भारत-सरकार से इनकी मंजूरी लेनी पड़ती थी। इन पदों के लिये नामज़दगी, परीक्षाएँ तथा छोटी नौकरियों से तरकियाँ—इन तीनों का विधान बनाया गया था। इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य तथा सभी विभागों के अखिल भारतीय पदाधिकारी ख़न्दन में ही चुने जाते थे। अन्य दोनों प्रकार की नौकरियाँ हिन्दोस्तान में दी जाती थीं। इससे प्रान्तीय सरकार की बड़ी-बड़ी नौकरियाँ भारतनिवासियों को कुछ आसानी से मिल सकती थीं। १९१२ ई० में इल्लिगटन कमीशन इस बात के लिये नियुक्त किया गया कि वह बड़े-बड़े सरकारी पदों पर

* We have broken to the heart the hopes held out to the ear.

हिन्दोस्तानियों को नियुक्त करने की समस्या पर विचार करे। १९१४ ई० में जर्मनी की बड़ी लड़ाई के कारण १९१७ ई० तक कमीशन की रिपोर्ट पर कुछ भी विचार नहीं किया गया। इसी बीच में १९१७ ई० के अगस्त महीने में भारतमन्त्री ने इस बात की घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की नीति भारतीय शासन में हिन्दोस्तानियों का अधिक-से-अधिक सहयोग प्राप्त करना है। मांटैग्यू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई थी कि लन्दन के अतिरिक्त हिन्दोस्तान में भी सिविल सर्विस के उम्मीदवार भर्ती किये जायँ।

१९१६ ई० के शासन-सुधार से सरकारी मर्शन का ढाँचा बहुत कुछ बदल दिया गया। भारतीय नौकरियों पर भी इसका १९१६ ई० का गहरा प्रभाव पड़ा। हिन्दोस्तानियों की ओर से बहुत शासन-सुधार दिनों से इस बात की माँग पेश की गई थी कि बड़ी-और सरकारी बड़ी नौकरियाँ कसरत से उन्हें दी जायँ। अँगरेज़ कर्मचारी इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि वे हिन्दोस्तानी अफसरों के हुकुम की तामील करें। चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में यह सलाह दी गई थी कि इंडियन सिविल सर्विस में ३३ प्रतिशत पदाधिकारी हिन्दोस्तानी हों। इनकी संख्या प्रतिवर्ष डेढ़ प्रतिशत बढ़ाई जाय। कुछ जातीय भेद-भावों को भी दूर करने की सिफारिश की गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा १९२१ ई० से हिन्दोस्तान में ली जाने लगी। दिल्ली इसका केन्द्र माना गया। इससे भारतीय उम्मीदवारों को अपनी प्रतिभा दिखलाने का अवसर मिला।

यद्यपि सिविल सर्विस की परीक्षा हिन्दोस्तान में आरम्भ की गई, परन्तु वेतन तथा नौकरी के नियम उपनियमों में अनेक सुधारों की आवश्यकता थी। योरपनिवासियों को जो सुविधायें इन नौकरियों में पहले से दी जाती थीं वे थोड़ी भी कम न की गईं। १९१६ के शासन-विधान में नौकरियों पर अलग विचार किया गया था। इसके अनुसार सिविल सर्विस के सदस्य तब तक अपने पद पर कार्य कर सकते थे जब तक सम्राट् की इच्छा हो। जिस व्यक्ति को उन्हें भर्ती करने का अधिकार दिया गया था वही उन्हें निकाल भी सकता था। यद्यपि ये कर्मचारी विभिन्न प्रान्तों में कार्य करते थे, फिर भी इनकी जिम्मेवारी भारतमन्त्री के प्रति थी। वह जिसे चाहता तरक्की या तनज्जुली देता। ऊपर कहा गया है कि सिविल सर्विस के अँगरेज़-कर्मचारियों को हिन्दोस्तानी अफसरों की बराबरी में एतराज़ था। साथ ही छोटे कर्मचारी हिन्दोस्तानियों की मातहत में काम करना पसन्द नहीं करते थे।

१९१६ के शासन-सुधार के अनुसार कुछ प्रान्तीय विभागों का प्रबन्ध भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया। इसलिये यह लाज़िमी था कि उन विभागों के बड़े-से-बड़े कर्मचारी मंत्रियों की देख-रेख में काम करें। सिविल सर्विस के अंगरेज़ सदस्यों ने भारतमन्त्री से इस बात की माँग पेश की कि उनके लिये जल्दी-से-जल्दी अपने पद से छुट्टी मिल जाने की कोई योजना बनाई जानी चाहिये।

भारतमन्त्री ने कुछ ऐसे नियम बनाये जिनसे पहली जनवरी सन् १९२० ई० के पहले नियुक्त किये गये भारतीय सिविल सर्विस के अंगरेज़ पदाधिकारियों को अपने पद से छुट्टी प्राप्त करने की विशेष सुविधायें दे दी गईं। वे अपनी अवधि पूरी होने के पहले ही नौकरी से छुट्टी लेकर पूरी पेन्शन के हकदार बन सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि १९२४ ई० के लगभग करीब ३४५ भारतीय सिविल सर्विस के अंगरेज़ सदस्य अपने पद से अलग हो गये। यद्यपि इन पदाधिकारियों के चले जाने से हिन्दोस्तान को कुछ हानि हुई परन्तु इसके लिये कोई दूसरा रास्ता न था। जिस सिद्धान्त से ये पदाधिकारी अपने स्वयं में काम करते थे वे नये शासन-विधान में पुराने क्रार दिये गये। प्रान्तीय धारा-सभायें इन कर्मचारियों की टीका-टिप्पणी करने लगीं। राष्ट्रीय भावनाओं की वृद्धि के कारण भारतीय जनता पुरानी नौकरशाही की कड़ी आवाज़ नहीं सह सकती थी। १९२२ के राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण विदेशी कर्मचारियों की असुविधायें और भी बढ़ गईं। इधर लड़ाई के कारण इंग्लैंड में चिंता का भाव बढ़ जाने से अंगरेज़ उम्मीदवार भारतीय सिविल सर्विस के लिये कम लालायित होने लगे। इस उदासीनता को देखकर ब्रिटिश सरकार बहुत ही चिन्तित हुई। वह किसी भी प्रकार से भारतीय सिविल सर्विस में अंगरेज़ीपन को कम करने के पक्ष में न थी। दूसरी ओर अंगरेज़ उम्मीदवार हिन्दोस्तान में पैर रखना ख़तरे से ख़ाली नहीं समझते थे।

लार्ड मैकडालन की अध्यक्षता में एक कमीटी इस बात की जाँच के लिये नियुक्त की गई कि वह भारतीय सिविल सर्विस में अंगरेज़ उम्मीदवारों की उदासीनता का कारण खोज निकाले। ब्रिटिश सरकार इतने ही से सन्तुष्ट न हुई। १९२३ ई० में लार्ड ली की अध्यक्षता में एक दूसरा कमीशन नियुक्त किया गया। भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने इस कमीशन का विरोध किया और इस पर एक पाई भी खर्च करने से इन्कार कर दिया। उसकी समझ में कमीशन बिल्कुल बेकार था और इस पर खर्च करने की कोई ज़रूरत न थी। परन्तु वाइसराय ने अपने अधिकार से कमीशन के खर्च की रकम भारतीय ख़जाने से मंजूर की। १९२४ ई० में ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट

दे दी। रिपोर्ट काफ़ी विस्तार के साथ की गई थी और इसकी बहुत सी सिफ़ारिशों को भारत-सरकार ने स्वीकार कर लिया। पहली बात जिसकी कमीशन ने सिफ़ारिश की वह यह थी कि भारतीय सिविल सर्विस, भारतीय पुलिस सर्विस, भारतीय जङ्गल सर्विस तथा सिंचाई विभाग की भारतीय इन्जीनियरिंग सर्विस भारतमन्त्री के हाथ में रखी जायें। भारतीय शिक्षा सर्विस, भारतीय कृषि सर्विस, भारतीय इन्जीनियरिंग सर्विस, भारतीय पशु चिकित्सा सर्विस तथा भारतीय औषधि सर्विस प्रान्तीय सरकार की मातहतती में दे दी जायें। इन कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा हटाने का अधिकार केवल प्रान्तीय सरकार को हो।

ली कमीशन की दूसरी सिफ़ारिश भारतीय सिविल सर्विस में हिन्दोस्तानियों को अधिक-से-अधिक संख्या में शरीक करने की थी। कमीशन की राय थी कि प्रान्तीय सिविल सर्विस के सभी पद भारतवासियों को दिये जायें। उनके ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सर्विस की बात थी उसमें कमीशन ने कुछ प्रतिशत हिन्दोस्तानियों के लिये निश्चित कर दिया। भारतीय सिविल सर्विस में बीस प्रतिशत स्थान हिन्दोस्तानियों के लिये निश्चित किये गये। कमीशन ने भारतीयकरण पर जोर देते हुये यह कहा कि १९३६ ई० तक भारतीय-सिविल सर्विस और १९४६ तक भारतीय पुलिस सर्विस में हिन्दोस्तानी और अँगरेज़ दोनों की संख्या बराबर हो जानी चाहिये। कमीशन की राय में सिविल सर्विस में अँगरेज़ पदाधिकारियों का होना आवश्यक ठहराया गया। भारतीय जङ्गल सर्विस में ७२ फ़ी सदी स्थान हिन्दोस्तानियों के लिये और २५ फ़ी सदी अँगरेज़ों के लिये उचित ठहराये गये।

अँगरेज़ उम्मीदवारों को भारतीय सिविल सर्विस में आकर्षित करने के लिये कुछ सुविधाओं की सलाह दी गई। उन्हें कुछ आर्थिक भत्ते आदि की सिफ़ारिश की गई। कमीशन का कहना था कि उनका वेतन बढ़ा दिया जाय तथा उनका कार्यकाल कुछ और सुरक्षित कर दिया जाय; अपने कार्य-काल में इंगलैंड आने-जाने के लिये चार बार छुट्टियाँ दी जायें। उनकी पेन्शन बढ़ाने की भी सिफ़ारिश की गई। यदि सिविल सर्विस का कोई अँगरेज़ पदाधिकारी हिन्दोस्तान में मर जाय तो उसके कुटुम्ब के लिये कुछ विशेष सुविधाओं की सिफ़ारिश की गई थी। कमीशन की रिपोर्ट में अखिल भारतीय सिविल सर्विस की रक्षा के लिये एक पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफ़ारिश की गई।

१९१६ ई० के भारतीय ऐक्ट में इस बात का विधान बनाया गया कि पाँच सदस्यों का पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाय । इसका सभा-पति भारतमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाय । यह कमीशन सरकारी पदाधिकारियों को नियुक्त करने के लिये बनाया गया था । इसका कार्य-विधान बनाने का अधिकार भारतमंत्री और उसकी कौन्सिल को दिया गया था । तदनुसार १९२५ ई० में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई । प्रान्तीय धारा-सभा के एक ऐक्ट के अनुसार १९२६ ई० में मद्रास प्रान्त में भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया गया ।

काँग्रेस के राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण भारतीय जनता की दृष्टि बदलने लगी । सरकारी पदाधिकारी जनता के सेवक समझे जाने लगे । लोग इस बात की माँग पेश करने लगे कि भारत-सरकार के अन्दर छोटी और बड़ी सभी प्रकार की नौकरियाँ लोगों को इस दृष्टि से दी जायँ कि वे भारतीय जनता की अधिक-से-अधिक भलाई कर सकें । लम्बी-लम्बी तनझाँहें लेकर बाबू बनने का युग पुराना ठहराया गया । लोगों का कहना था कि जब ये कर्मचारी भारतीय खजाने से अपना वेतन लेते हैं तो इनकी जिम्मेवारी भी हिन्दोस्तानियों के प्रति होनी चाहिये । इस बात की कड़े शब्दों में आलोचना की जाने लगी कि हमारे देश के बड़े-बड़े कर्मचारी भारतीय वातावरण से सर्वथा अनभिज्ञ हैं । वे अपने आपको सेवक के बदले जनता का स्वामी समझते हैं । बड़े आश्चर्य की बात है कि जो प्रजा उनका भरण-पोषण करे और जिनकी गाड़ी कमाई से वे लम्बी-लम्बी तनझाँहें लें, उन्हीं के ऊपर वे घोंस जमायें । ये बातें लोगों के दिमाग में बहुत जोरों से खटकने लगीं । प्रजातन्त्रवाद की स्थापना करने की घोषणा के कारण नौकरियों का मसला और भी जोर पकड़ने लगा । संघ शासन-विधान के लिये जब साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई उस समय भारतीय नौकरियों का भी प्रश्न उसके सामने रखवा गया था । कमीशन ने नौकरियों के भारतीयकरण के सम्बन्ध में उसी तरह की सिफारिश की जैसी ली कमीशन ने की थी । प्रत्येक प्रान्त में एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित करने की सिफारिश की गई थी ।

नये संघ-शासन-विधान के अनुसार भारतीय नौकरियाँ दो भागों में विभाजित की गई हैं :—

१— रक्षा सम्बन्धी नौकरियाँ (Defence Services)

२—सिविल सर्विस ।

सिविल सर्विस फिर तीन भागों में विभाजित की गई है :—

अ—वे अखिल भारतीय नौकरियाँ जो भारतमंत्री के हाथों में रक्खी गई हैं ।

ब—संघ-शासन के अन्दर वे नौकरियाँ जो गवर्नर-जनरल के हाथों में रक्खी गई हैं ।

स—प्रान्तीय नौकरियाँ जो गवर्नर के अधिकार में रक्खी गई हैं ।

संघ-शासन-विधान में रक्षा का विषय सुरक्षित विभाग है ।

यह एकमात्र गवर्नर-जनरल के अधिकार में रक्खा गया है । भारतीय मंत्रियों का इस पर कोई अधिकार नहीं है । इसीलिये इस विभाग में कार्य करने वाले पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये कुछ विशेष नियम बनाये गये हैं । इस विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी कमान्डर-इन-चीफ़ कहलाता है । इसका वेतन और भत्ता सब कुछ भारतमंत्री और उसकी कौंसिल के हाथ में रक्खे गये हैं । इस विभाग के सभी बड़े कर्मचारी भारत-मंत्री और उसकी कौंसिल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे । इससे सम्राट् के दैवी अधिकार पहले की तरह सुरक्षित रक्खे गये हैं । फौजी मुहकमों के सभी बड़े कर्मचारी भारतीय खज़ाने से वेतन लेते हुये भी ब्रिटिश सम्राट् के प्रति ज़िम्मेवार होंगे । यद्यपि सम्राट् को यह अधिकार है कि वह संघ-मंत्रि मंडल को कुछ पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दे दे, किन्तु कार्य रूप में इसकी सम्भावना कम है* । हवाई, जहाज़ी और स्थल हर प्रकार की सेना के बड़े कर्मचारी भारत-मन्त्री के इशारे पर काम करेंगे । अर्थात् गवर्नर-जनरल द्वारा वह इन कर्मचारियों पर अधिकार रक्खेगा ।

फौजी मुहकमों में कुछ भारत निवासियों को भी बड़े-बड़े पद दिये जायेंगे । इसके लिये गवर्नर-जनरल भारतीय मन्त्रियों की सलाह से कार्य कर सकता है । इस विभाग के अन्दर कार्य करने वाले किसी कर्मचारी को यदि किसी तरह की फ़रियाद करनी है तो वह सीधे भारतमन्त्री से कर सकता है । भारत-सरकार की फ़ौज ब्रिटिश सम्राट् की सेना समझी जाती है । फ़ौज का पूरा खर्च भारतीय संघ सरकार बर्दाश्त करेगी । परन्तु संघ धारा-सभा का इस खर्च में कोई हाथ न होगा । वह इस विभाग के किसी भी कर्मचारी के वेतन आदि पर विचार नहीं कर सकती । गवर्नर-जनरल अपने विशेष अधिकारों से इस विभाग की कार्यवाहियों को देखेगा । तात्पर्य यह है कि जो विभाग हिन्दोस्तान की रक्षा के लिये बनाया गया है और जिस पर प्रजा

का सबसे अधिक धन खर्च किया जाता है वही जनता के हाथ से एकदम बाहर रक्खा गया है। इस विभाग की थोड़ी-बहुत नौकरियाँ, जो चन्द हिन्दोस्तानियों को दी जाती हैं, दाल में नमक के बराबर हैं। मालूम नहीं क्यों जहाँ विभागों में भारतीयकरण की नीति बर्ती गई है वहाँ यह विभाग अपवाद में रक्खा गया है।

किसी देश के शासन-प्रबन्ध में सिविल सर्विस के कर्मचारियों का क्या महत्व है इसका वर्णन इस अध्याय के आरम्भ में ही सिविल सर्विस किया गया है। उसे सामने रखते हुये यह भली भाँति स्पष्ट है कि इस विभाग के कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें हटाने की व्यवस्था बहुत ही ठीक होनी चाहिये। इनका कार्य-क्रम और वेतन आदि निश्चित करने का अधिकार भारतीय प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। नये शासन-विधान में इनका कर्तव्य पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया गया है। सिविल सर्विस के कुछ सदस्य भारत-मन्त्री द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। इन्डियन सिविल सर्विस, इन्डियन औषधि सर्विस तथा इन्डियन पुलिस सर्विस—इस प्रकार के कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार भारतमन्त्री को होगा। वह ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन तथा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश से इन्हें नियुक्त करेगा। ये दोनों कमीशन उम्मीदवारों की परीक्षा लेंगे तथा उचित व्यक्तियों को चुनकर भारतमन्त्री के पास भेजेंगे। १९३६ ई० से इन्डियन सिविल सर्विस में अंगरेज सदस्यों की नियुक्ति नामज़दगी द्वारा इस शर्त पर की जाती है कि वे किसी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की आनर्स परीक्षा पास हो। सिविल सर्विस के जिन कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार भारत-मन्त्री को दिया गया है उसकी संख्या वह अपनी इच्छानुसार घटा-बढ़ा सकता है। इसका पूरा व्यौरा वह कामन सभा के सामने प्रति वर्ष पेश करेगा। इस तरह की नई जगहों की आवश्यकता पड़ने पर गवर्नर-जनरल का यह पहला कर्तव्य है कि वह भारत-मन्त्री को तुरन्त सूचना दे।

भारत-मन्त्री के इस अधिकार की कड़े शब्दों में आलोचना की गई थी। हिन्दोस्तान के किसी भी वर्ग को यह बात पसन्द न थी कि किसी भारतीय सरकारी कर्मचारी को उसे नियुक्त करने का अधिकार दिया जाय। यह बात प्रजातन्त्रवाद के बिलकुल विरुद्ध ठहराई गई। इसके बदले यह वसूल बनाया जा सकता था कि अखिल भारतीय पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार भारत-सरकार को दिया जाय; और छोटे और बड़े सभी कर्मचारी प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायँ। कोई भी विदेशी हमारी

आवश्यकताओं को उतना नहीं समझ सकता जितना हम स्वयं समझ सकते हैं। संघ-शासन-विधान में अन्य त्रुटियों की सूची में इसे भी शामिल किया जा सकता है।

भारत-मन्त्री के अलावे सिविल सर्विस के अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार संघ तथा प्रान्तीय सरकारों को दिया है। अखिल भारतीय सिविल सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति, उनका वेतन तथा कार्य-काल आदि निश्चित करने का अधिकार गवर्नर-जनरल को दिया है। इसी प्रकार प्रान्तीय सिविल सर्विस के कर्मचारी गवर्नरों के संरक्षण में रखे गये हैं। इन पदाधिकारियों को जो व्यक्ति नियुक्त करेंगे उन्हें छोड़कर किसी और को इन्हें हटाने का अधिकार नहीं है। धारा सभायें इनके वेतन आदि में हाथ नहीं डाल सकतीं। एक निश्चित सीमा के अन्दर इन्हें अपने मातहत कर्मचारियों को टीका-टिप्पणी करने का अधिकार ज़रूर दिया गया है, परन्तु यदि इन कर्मचारियों के कामों में किसी तरह की अड़चन डाली जाय तो इन्हें अधिकार है कि वे गवर्नर तथा गवर्नर-जनरल से सीधे क्रियाद कर सकें। यदि इन पर किसी तरह का मुकदमा चलाया जाय या इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाय तो वे गवर्नर और गवर्नर-जनरल से अपनी रक्षा करा सकते हैं।

१९२४ ई० में जब ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें यह बात भली भाँति स्पष्ट की गई थी कि भारतीय सिविल सर्विस में भारतीयकरण इस प्रकार किया जाय कि १९३९ ई० तक इसमें आधे हिन्दोस्तानी और आधे अँगरेज़ हो जायें। भारतीय उम्मीदवार हिन्दोस्तान और इंग्लैंड दोनों जगहों से सिविल सर्विस में आते रहे। परिणाम यह हुआ कि इन्डियन सिविल सर्विस में अँगरेज़ कर्मचारियों की संख्या घटने लगी। इसी कमी को पूरा करने के लिये यह विधान बनाया गया कि भारत-मन्त्री कुछ व्यक्तियों को बिना परीक्षा के ही इन्डियन सिविल सर्विस में नामजद कर सकता है। इतने से भी भारतीय उम्मीदवारों की संख्या कम न हुई और वे लन्दन में जाकर मुकाबिले के इम्तहान में सिविल सर्विस के पद को प्राप्त करते रहे। इसे रोकने के लिये जो नियम बनाये गये उनसे भारतीय उम्मीदवारों की संख्या कम होती गई। जो विद्यार्थी ब्रिटिश युनिवर्सिटी की आनर्स परीक्षा पास हों वे ही लन्दन में इन्डियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह नियम भारतीय दृष्टि से बहुत ही असंगत है। किसी देश के शिक्षित नवयुवकों को सरकारी विभाग द्वारा अपने देश की सेवा करने का अवसर न देना घोर अन्याय नहीं तो और क्या है ?

संघ-शासन-विधान में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का नियम

बनाया गया है। अखिल भारतीय नौकर संघ-पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा और प्रान्तीय विभाग के सरकारी कर्मचारी प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त किये जायें। संघ-पब्लिक सर्विस कमीशन के अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्त में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। पहले की स्थापना गवर्नर-जनरल द्वारा और दूसरे की गवर्नर द्वारा की जायेगी। ये दोनों पदाधिकारी अपने विशेष अधिकार से इनके सदस्यों को नियुक्त करेंगे। इनकी संख्या, वेतन, कार्यपद्धति तथा काल आदि निश्चित करने का एकमात्र अधिकार उन्हीं को दिया गया है। कमीशन के सदस्यों में कम-से-कम आधे व्यक्ति ऐसे होने चाहिये जो १० या १० से अधिक साल तक सम्राट् की मातहत में हिन्दो-स्तान में नौकरी कर चुके हों। धारा-सभायें इनके खर्च पर विचार नहीं कर सकतीं। यह भी विधान बनाया गया है कि यदि दो प्रान्त चाहें तो एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा काम चला सकते हैं। संघ तथा प्रान्तों में इन कमीशनों की स्थापना कर दी गई है। बम्बई और सिन्ध प्रान्त के लिये एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है।

सिविल सर्विस के कर्मचारी इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशनों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। ये कमीशन परीक्षाओं तथा मौखिक चुनाव द्वारा उम्मीदवारों को चुनते हैं। कमीशन की यह योजना अत्यन्त सराहनीय है। लेकिन इनकी बनावट में कुछ ऐसी कमी है जिससे ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। अच्छा होता कि इन्हें भारतीय मन्त्रियों की मातहत में रखवा जाता। प्रजा के प्रतिनिधि इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि देश में किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनके अन्दर कौन-कौन से गुण होने चाहिये। गवर्नर और गवर्नर-जनरल को इनका ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि तो दिमागी लोगों पर जायेगी अथवा धनीमानी लोगों की रक्षा पर। यही कारण है कि हमारे देश की सिविल सर्विस में बहुत कम ऐसे पदाधिकारी मिलेंगे जो राष्ट्र की आवश्यकताओं को महसूस कर अपनी पूरी ताकत उनमें लगायें।

हमारे देश को सरकारी नौकरियों में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिन्हें दूर किये बग़ैर हमारा राजनीतिक वातावरण साफ़ नहीं

सरकारी हो सकता। पहिले हम पाठकों का ध्यान उन चन्द **नौकरियों** बातों की ओर दिलाना चाहते हैं जिन्हें जाने बग़ैर **में सुधार** सुधार की योजना समझ में नहीं आ सकती। यह तो

सभी जानते हैं कि हिन्दोस्तान दुनियाँ के सबसे गरीब मुल्कों में है। यहाँ के निवासियों की गरीबी इतनी भयंकर है कि लाखों

आदमियों के एक समय भी भरपेट खाना नहीं मिलता। ऐसी दशा में कोई भी सरकार आँख मूँद कर अपने कर्मचारियों के मिट्टी की तरह चाँदी नहीं बाँट सकती। लेकिन हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों के इतनी लम्बी लम्बी तनखाहें दी जाती हैं कि दुनिया के धनी-से-धनी मुल्क उसका मुक्काबिला नहीं कर सकते। जिना वेतन हमारे यहाँ गवर्नर-जनरल को दिया जाता है उतना संसार के सबसे धनी देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसीडेंट तथा सबसे बड़े साम्राज्य (ब्रिटिश साम्राज्य) के प्रधान मन्त्री को भी नहीं दिया जाता। सरकारी विभाग के बड़े-बड़े कर्मचारी इतनी तनखाहें पाते हैं कि मुल्क की गरीबी सामने रखते हुये फ्रज़ूलशर्ची की मिसाल कोई दूसरी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिये सरकारी नौकरियों में पहला सुधार पैसे का होना चाहिये। काँग्रेस ने ५०० रुपये महीने का जो नियम बनाया है वह बिलकुल ठीक है। हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति में किसी भी कर्मचारी को ५०० रुपये से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये।

सरकारी नौकरियों की दूसरी कमी विदेशीय है। इन राष्ट्रीय उद्गार के युग में भी बड़े बड़े पदों पर अँगरेज़ और ईसाई दिखाई पड़ते हैं। मालूम पड़ता है मानो बड़ी बड़ी नौकरियाँ उनके लिये हमेशा के लिये सुरक्षित कर दी गई हैं। बड़े-बड़े शहरों में जो पोस्ट विभाग की नौकरियाँ हैं उनमें हिसाब लगाने से पता चला है कि १००० और २००० रुपये मासिक की नौकरियों में हर १०४ आदमी में केवल १२ हिन्दोस्तानी हैं। बाकी स्थान अँगरेज़ों को दिये गये हैं। २००० रुपये से ऊपर पाने वाले कर्मचारियों में केवल एक प्रतिशत हिन्दोस्तानी हैं। इसी तरह फौज, जंगल तथा कुछ अन्य विभागों में भी अधिक-से-अधिक कर्मचारी अँगरेज़ दिखाई पड़ेंगे। सुबों के गवर्नर लगभग सभी अँगरेज़ होते हैं। मुश्कल से १० प्रतिशत कलेक्टर हिन्दोस्तानी दिखाई पड़ेंगे। भारत-सरकार के अन्दर गवर्नर-जनरल के सलाहकार आदि अधिकतर अँगरेज़ होते हैं। इन विदेशी कर्मचारियों से दोहरी हानि उठानी पड़ती है। एक तो हमारे देश के योग्य से योग्य व्यक्ति बेकार रहते हैं, दूसरे विदेशी कर्मचारी अपनी सारी आमदनी अपने देश में खर्च करते हैं। जब तक वे हिन्दोस्तान में रहते हैं तब तक अधिक-से-अधिक पैसे बचाकर अपने देश को भेजते हैं। पेंशन हो जाने पर उनकी तनखाह क़ी एक पाई भी हमारे देश में नहीं खर्च होता। यदि मुग़ल-राज्य में कर्मचारियों का वेतन लम्बा था तो वह सब कुछ अपने ही देश में खर्च किया जाता था। अरब और फ़ारस में उसे भेजने की इजाज़त न थी। परन्तु आज जो प्रतिवर्ष पेंशन की एक लम्बी रकम इंग्लैंड को भेजी जाती है। वह हमारे ऊपर मानों

सदियों का ऋण लदा हुआ है। अतएव नौकरियों में दूसरा सुधार भारतीय-करण का होना चाहिये। हर विभाग में अधिक-से-अधिक कर्मचारी हिन्दोस्तानी रखे जायँ।

घन और संख्या से बढ़कर हमें एक और भी सुधार करना चाहिये। आजकल के बड़े-बड़े कर्मचारी अपने आपको जनता का स्वामी समझते हैं। उनके दिलों में प्रजा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। थोड़े से धनी मानी लोगों से परिचय प्राप्त कर लेने तथा दावतों और क्लबों में शरीक होने के अलावे वे गरीबों से मिलने में अपनी मानहानि समझते हैं। अपने भाइयों के बीच में रहते हुए भी उनकी रहन-सहन विदेशी होती है। दुखिये और मुसीबत जिदह लोग उनके बँगलों के अन्दर क्रुदम नहीं रख सकते। एक समय वह था जब कि अशोक ने अपने राज्य में इस बात का एलान कर रक्खा था कि शौचालय तक में उसे राज्य की खबर की जा सकती थी, और हर समय कोई भी आदमी उससे मिल सकता था। जहाँगीर ने अपने दरबार में एक सोने की जंजीर बाँध रखी थी, जिसे कोई भी खींच कर बादशाह से मिल सकता था। परन्तु आज वह दिन सामने दिखाई पड़ता है जब कि कलेक्टर और कमिश्नर के बँगलों के अन्दर साधारण आदमियों को जाने की इजाज़त नहीं मिलती। गवर्नर और वाइसराय की तो बात ही और है। इसकी वजह समय की कमी नहीं, बल्कि दिल की कमी है। कर्मचारियों को इस बात का हौसला नहीं है कि वे दीन-दुखियों को फ्रियाद सुनें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। जिस परिस्थिति में हिन्दोस्तानियों के दिन कट रहे हैं उसमें बड़ी-बड़ी दावतों और नफ़ासत की गुंजाइश कम है। इसलिये कर्मचारियों को एक ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है जिसमें उनके अन्दर देश के गरीबों और दुखियों की कहानी कूट-कूट कर बैठा दी जाय ताकि वे अपने भाइयों की असली हालत से मुँह न मोड़ें। उनकी ट्रेनिंग एक सच्चे सेवक बनने की होनी चाहिये।

इन तामाम सुधारों के बावजूद यदि हमारे बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी जनता के प्रतिनिधियों के अधिकार से बाहर रहें तो इनसे भलाई की आशा बहुत कम करनी चाहिये। यह सीधी सी बात है कि जो जिसका नमक खाये वह उसकी शरीयत दे। भारत-सरकार के अन्दर सभी कर्मचारियों का वेतन भारतीय खजाने से दिया जाता है। यही हालत प्रान्तीय नौकरियों की भी है। यह सारा घन प्रजा का है। इसलिये प्रजा को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपने कर्मचारियों को स्वयं नियुक्त करे और जब चाहे निकाल सके। अर्थात् सभी सरकारी कर्मचारियों को घारा-सभा की मातहत

में रहना चाहिये। भारत-मन्त्री, गवर्नर-जनरल तथा गवर्नर के विशेषाधिकारों से जो कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं वे प्रजा के हितैषी कर्षोकर हो सकते हैं। उनकी नौकरी की शर्त उन्हीं के हाथों में रखी गई है, उनकी जिम्मेवारी भी उन्हीं के प्रति है। इस तरह की व्यवस्था से एक जिम्मेवार शासन की स्थापना नहीं हो सकती। सभी कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें निकालने का अधिकार धारा समा को मिलना चाहिये। तभी वह प्रजा की आवश्यकतानुसार उनसे काम लेने में समर्थ हो सकती है।

अध्याय २३

शिक्षा

मनुष्य अपने जीवन को अधिक-से-अधिक सुखमय बनाने की चिन्ता में निमग्न रहता है। इसके लिये वह समाज को अपना शिक्षा की साधन बनाता है। उसे अलग होकर वह सांसारिक आवश्यकता सुख का अनुभव नहीं कर सकता। जब यही आवश्यकता सम्पूर्ण समाज की है तो उसके कार्यों तथा विचारों में एक प्रकार की समता लानी होगी। इसी के आधार पर मानव-समाज एकत्र होकर अपने सुख-दुःख का अनुभव कर सकता है। इसी उद्देश्य से जो वस्तु सम्पूर्ण समाज को एक सूत्र में बाँधती है उसे शिक्षा कहते हैं। हम कुत्ते, बिल्ली तथा चिड़ियों आदि को विचार-धारा से परिचित न होकर उनके सुख-दुःख का अनुभव नहीं कर सकते। उनकी उन्नति-अवनति की प्रगति हमारी बुद्धि से बाहर की चीज़ है। यदि हमारे और उनके बीच में विचारों के आदान-प्रदान का कोई साधन होता तो मानव-समाज से वृहत् एक प्राणी समाज की स्थापना हुई होती। शिक्षा के कारण मनुष्य अपने आपको मानव-समाज का एक अंग समझता है। समाज में रहने तथा लोगों के साथ व्यवहार करने की सामग्री उसे प्रचलित शिक्षा से प्राप्त होती है। अपनी उन्नति के साथ वह समाज की प्रगति को जानने में अपने को समर्थ पाता है। शिक्षा उसकी मस्तिष्क शक्ति को इतनी व्यापक बना देती है जिससे एकान्त में बैठे हुए भी वह मानव-समाज को देखता रहता है। शिक्षित मनुष्य के नेत्र दूर तक देखते हैं; उसके कान उड़ते हुए शब्दों को भी सुन सकते हैं और उसकी बुद्धि अदृश्य पर भी विचार कर सकती है।

शिक्षा मनुष्य के जीवन को सफल बनाने की एक कुंजी है। डेविडसन
आ० भा० शा०—४४

लिखता है, “ शिक्षा द्वारा मनुष्य अपने अन्दर एक ऐसे संसार की रचना करता है जो उसे वाह्य संसार में रहने के योग्य बनाता है ”।* शिक्षा द्वारा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियाँ वाह्य जगत को भली भाँति पहचानने लगती हैं। समय प्रतिक्षण बदलता रहता है। जिसे इसका ज्ञान न होगा और जो समयानुकूल अपने विचारों को बनाने में समर्थ न होगा वह दुःख और कठिनाइयों के जाल से नहीं निकल सकता। शिक्षा समय के परिवर्तन का ठीक-ठीक ज्ञान कराती है। किस समय हमें कैसे विचार रखने चाहिये, किन चीजों को प्राचीन समझ कर छोड़ देना चाहिये तथा किन पुरातन वस्तुओं को पुनः अपनाना चाहिये—इन सब का ज्ञान प्रचलित काल की शिक्षा द्वारा होता है। विचारों में पीछे रह कर जैसे कोई व्यक्ति अपनी और समाज किसी की भी भलाई नहीं कर सकता, उसी तरह कोई राष्ट्र अशिक्षित तथा कूप-मंझक रह कर दुनिया के सामने अपना सिर ऊँचा नहीं कर सकता। जो देश अपने आपको उन्नत करना चाहता है वह उचित शिक्षा को ग्रहण करे। मनुष्य स्वभाव से ही रूढ़िवादी है। जिन वस्तुओं को वह एक बार ग्रहण करता है उन्हें वह छोड़ नहीं सकता। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो उसे प्रतिक्षण नवीनताओं का पाठ पढ़ाती रहती है। यह एक साधारण कहावत है कि “जिस जाति को जैसा बनाना है उसे उसी प्रकार की शिक्षा दी जाय।”

शिक्षा द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को भली भाँति पहचान सकता है। इसी से स्वावलम्बन तथा स्वाभिमान की उत्पत्ति होती है। उसके अन्दर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो उसके जीवन को आगे बढ़ाती है। जिस युग में हम रहते हैं उसे समझने के लिये भूत और भविष्य की थोड़ी जानकारी आवश्यक है। शिक्षा द्वारा हम अपने आपको पहचान सकते हैं कि सृष्टि के आरम्भ से हम कितनी दूर पर खड़े हैं। शरीर को सुदौल बनाने के लिये व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है। हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिनका विकास शारीरिक अवयवों से कम आवश्यक नहीं है। वाह्य पदार्थ हमें जितना सुख और आनन्द दे सकते हैं उससे कहीं बढ़कर सुख हमारे आन्तरिक विचार देते हैं। इन आन्तरिक शक्तियों को बढ़ाने का एकमात्र साधन शिक्षा है। आत्मबल के सामने शारीरिक बल एक तुच्छ सी चीज है। अतएव हमारा ध्यान आन्तरिक विकास की ओर सबसे अधिक होना चाहिये। जीवन के आरम्भ में हमें जिस प्रकार की ट्रेनिंग मिलेगी उसी

*Education consists in building up an inner world that fits into the outer world.

प्रकार के कार्य हम करते रहेंगे। इसीलिए शिक्षा में सब से अधिक छानबीन की आवश्यकता है।

जिस शिक्षा में इतने अधिक गुण हैं और जिसे हमारी उन्नति-अवनति का मापदण्ड होने का श्रेय प्राप्त है उसकी बुराई से हमें उचित शिक्षा बचना होगा। जिस प्रकार शरीर पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है और हमारी सारी रहन-सहन अपनी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बन जाती है, उसी प्रकार शिक्षा का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ता है। उल्टी और बुरी शिक्षा किसी देश को अवनति के गड्ढे में डाल सकती है। इसके विपरीत आवश्यकता और अनुभव के आधार पर बनाई गई शिक्षा किसी पिछड़े हुए देश को उन्नति-शील बना सकती है। यह कहना असम्भव है कि उचित शिक्षा का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है। प्रत्येक देश या समाज को विभिन्न प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। एक ही समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। सबके विचार अलग-अलग होते हैं। इसी के अनुसार उचित शिक्षा का निर्माण किया जा सकता है। एक ही शिक्षा किसी समय उचित और किसी समय अनुचित हो सकती है। जैसे-जैसे हमारा विकास होता है उसी प्रकार शिक्षा में भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है।

उचित शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। हमें यह मालूम नहीं कि किन-किन घटनाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा, किस प्रकार की परिस्थिति का मुकाबिला हमें समय-समय पर करना होगा। हो सकता है कि किसी असाधारण परिस्थिति में पड़ कर हमारे देशवासी काहिल और निरुद्यमी हो जायँ और उनके अन्दर आशा और उत्साह लेशमात्र भी बाक़ी न रहे। उस अवसर पर हमारी शिक्षा का ढाँचा आजकल से भिन्न होगा। वर्तमान समय में हमारे देश की शिक्षा कोरी किताबी है। इसे प्राप्त कर लोगों के अन्दर रचनात्मक बुद्धि का विकास नहीं होता। देश के शिक्षित नवयुवक तथा नवयुवतियाँ बेकारी का शिकार बनती हैं। इसीलिये वर्तमान शिक्षा-प्रणाली पर टिप्पणियों के बौछार उड़ाये जाते हैं। यह बात सर्वसम्मति से मान ली गई है कि हिन्दोस्तान की मौजूदा शिक्षा-प्रणाली समय के अनुकूल नहीं है। इस समय हमारे देश को एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमारे हाथों को चलता कर दे अर्थात् हमारी बुद्धि किताबी न होकर व्यावसायिक और रचनात्मक हो। उचित शिक्षा वह है जो व्यक्ति की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करे। प्रकाशी शिक्षा उचित शिक्षा नहीं कही जा सकती।

उचित शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को किसी और पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षा समाज की आवश्यकताओं से परे होती है वह नवयुवकों के अन्दर एक प्रकार का विकार पैदा करती है। जब शिक्षा का तात्पर्य समाज को सुखी और सम्पन्न बनाना है तो इसका विधान समय और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिये। उचित शिक्षा समयानुकूल बदलती रहती है। वाह्य तथा आन्तरिक कारणों से कभी-कभी सामाजिक संगठन ढीला पड़ जाता है। उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिये शिक्षा की प्रणाली बदलनी पड़ती है। उचित शिक्षा प्रतिबन्धों से रहित होती है। जो शिक्षा केवल थोड़े से लोगों के लिये ग्राह्य है उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है जितनी उस शिक्षा की जिसका दरवाजा छोटे और बड़े सब के लिए एक-सा खुला हुआ है। उदाहरण के लिए हम अँगरेज़ी शिक्षा की ओर नज़र उठाकर देखें। यह शिक्षा केवल थोड़े से धनीमानी लोगों के लिये किसी विशेष उद्देश्य से बनाई गई है। इसके वर्तमान ढाँचे को देखते हुये यह निश्चित है कि ६० प्रतिशत हिन्दोस्तानी इसको ग्रहण नहीं कर सकते। अतएव यह शिक्षा-प्रणाली उचित नहीं कही जा सकती। जो शिक्षा सबको इस बात का अवसर दे कि वे इसे प्राप्त कर अपने जीवन की समस्याओं को हल करें वही उचित शिक्षा कहलाने की अधिकारिणी है। जब हम किसी देश की समस्याओं को विकट देखें और उन्हें सुलभाने का कोई मार्ग दिखलाई न पड़े तो इसका निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि वहाँ उचित शिक्षा का अभाव है। जीवन के प्रश्न बड़े ही गम्भीर होते हैं। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि किस वस्तु से और किन तरीकों से हमारा जीवन सुखी बन सकता है। इस प्रश्न को सुलभाने में शिक्षा सबसे अधिक सहायक होती है। परन्तु उसका आकार बहुत ही तजुबों के साथ बनना चाहिये।

हमारे देश में शिक्षा के इतिहास को देखते हुये यह पता चज़ता है कि इसमें परिवर्तनों की कोई गणना नहीं की जा सकती।

भारत में एक ऐसा भी समय था जब कि यहाँ की शिक्षा बहुत शिक्षा का ही बड़ी-चड़ी थी; उसका दरवाज़ा सबके लिये खुला इतिहास हुआ था; राजा-महाराजा विद्वानों का आदर करते थे;

शिक्षित वर्ग अपने आपको समाज का सेवक समझता था। परन्तु एक ऐसा भी समय आया जब पुस्तकालय जलाये गये; पुरानी पाठशालाओं का नामनिशान जाता रहा। किसी समय हमारे देश का एक-एक घर स्कूल था, प्रत्येक मन्दिर तथा मसजिद शिक्षा के केन्द्र थे, लेकिन आज वह दिन भी हमें देखने पड़ रहे हैं जब कि हमारे देश में केवल दस

प्रतिशत आदमी लिख और पढ़ सकते हैं। कभी तो हमारी शिक्षा धर्म से मिली हुई थी और कभी उससे अलग। कभी हमारे देश के शिक्षित व्यक्ति समाज के सेवक रहे और कभी उन्हीं के अत्याचार से आम जनता को तकलीफें उठानी पड़ीं। कभी शिक्षित व्यक्तियों का आचरण आदर्श माना जाता था और समाज में उन्हें हर तरह की सुविधायें प्राप्त थीं, लेकिन एक ऐसा भी दिन आया जब पढ़े लिखे लोग चरित्रहीन, निरुद्यमी और भार-स्वरूप समझे जाने लगे। किसी समय हमारे देश के पढ़े-लिखे लोगों को भारतीय सभ्यता पर नाज़ था लेकिन आज वह दिन भी हमें देखने पड़ते हैं जब कि शिक्षित वर्ग अपनी सभ्यता की जड़ अपने ही हाथों से काट रहा है। किसी समय ऋषि-महर्षियों के आश्रम विद्या के केन्द्र कहलाते थे और किसी समय कालेज और विश्वविद्यालयों की बड़ी-बड़ी आलीशान इमारतें बनवाई गईं। इतना परिवर्तन किसी सभ्य देश के इतिहास में शायद ही मिलेगा।

(अ) जिस हिन्दोस्तान की चर्चा विदेशों में की जाती है उसका नक्शा

आजकल से भिन्न है। यहाँ की सभ्यता की प्रशंसा

प्राचीन विदेशियों ने मुक्तकण्ठ से की है। यह तो सभी जानते

भारत में हैं कि किसी देश को सभ्य बनाने का मूल कारण वहाँ

शिक्षा की शिक्षा है। हिन्दूकाल की शिक्षा प्रणाली में कुछ

ऐसी विशेषतायें पाई जाती हैं जो दुनिया के किसी भी

देश में-दिखाई नहीं पड़तीं। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चार भागों में बाँट दिया गया था। आरम्भ के पहिले २५ वर्ष केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिये रक्खे गये थे। ६ वर्ष की आयु में ही माता-पिता बच्चे को किसी गुरु के पास छोड़ देते थे। गुरु का स्थान ही गुरुकुल कहलाता था। यह प्रणाली ब्रह्मणकाल में प्रचलित थी। २५ वर्ष की आयु तक बच्चे को गुरु के पास रह कर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। बौद्धकाल में इसका स्वरूप कुछ बदल गया। शिक्षा के लिये बड़े-बड़े केन्द्र स्थापित किये गये। इन्हें विहार अथवा महाविहार कहते थे। इनमें किसी विशेष आयु तक लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। प्रयाग में भारद्वाज ऋषि का आश्रम आजकल के किसी विश्व-विद्यालय से कम न था। विहारों में गुरु के अतिरिक्त शिक्षित संन्यासी भी रहते थे। वे घूम घूम कर आस-पास के गाँवों में लोगों को शिक्षा देते थे। नालन्द महाविहार में १०,००० विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। उपरोक्त दोनों प्रणालियों में विद्यार्थी की रहन-सहन पर कड़ी दृष्टि रक्खी जाती थी।

विशेष शिक्षा दी जाती थी। इसी विश्वविद्यालय ने पाणिनी और कौटिल्य जैसे विद्वानों को पैदा किया था। कएव विश्वविद्यालय में वेदों की विशेष शिक्षा दी जाती थी। उज्जैन में ज्योतिष की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया था।

(ब) मुसलमानी ज़माने में शिक्षा-प्रणाली हिन्दूकाल से कुछ भिन्न थी। शिक्षा के मुख्य दो प्रकार के केन्द्र थे। एक को मध्ययुग की मक़तब और दूसरे को मदरसा कहते थे। हर मसज़िद शिक्षा-प्रणाली में एक मक़तब होता था। लगभग दस वर्ष की आयु तक हर एक मुसलमान का बच्चा इसमें शिक्षा ग्रहण करता था। यह शिक्षा अधिकतर धार्मिक होती थी। कुरान की आयतें सबको कण्ठस्थ करा दी जाती थीं। इसके अतिरिक्त गणित, भूगोल और इतिहास का भी साधारण ज्ञान करा दिया जाता था। इन मक़तबों का खर्च कुछ तो व्यक्तिगत चन्दे और दान से चलता था और कुछ सरकार देती थी। मुसलमानी ज़माने में धर्म के नाते मसज़िदों को सरकार की ओर से इमदाद दी जाती थी। इसी इमदाद से मक़तब का खर्च चलाया जाता था। मक़तब के अलावे जगह-जगह पर मदरसे खोले गये थे। इनमें उच्च शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता था। सरकार इन्हें इमदाद देती थी। बदायूँ, आगरा, जौनपुर, दिल्ली, मुल्तान आदि शहरों में मदरसे खोले गये थे। इनमें केवल मुसलमान विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। हिन्दुओं की शिक्षा के लिये अलग संस्थाएँ क़ायम की गई थीं। सरकार की ओर से इमदाद नहीं दी जाती थी। सेठ-साहुकारों की इमदाद से इनका खर्च चलता था। पण्डित लोग अपने घर पर विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। संस्कृत-शिक्षा की उन्नति के लिये सरकार की ओर से कोई उसाह नहीं दिया जाता था। केवल थोड़े से इनेगिने बादशाहों को छोड़ कर हिन्दुओं की शिक्षा का उचित प्रबन्ध किसी के ज़माने में भी नहीं किया गया था।

मध्ययुग में मुग़ल बादशाह शिक्षा तथा कला कौशल के विशेष प्रेमी थे। हुमायूँ बादशाह के पास बहुमूल्य पुस्तकों का भण्डार था। अकबर स्वयं विद्वानों की मण्डली में बैठकर विद्या की चर्चा करता था। औरंगज़ेब कवियों का सम्मान करता था। हुमायूँ की बहिन को लिखने का बड़ा शौक था। हुमायूँ नामा ग्रन्थ उसी का लिखा हुआ है। कला-कौशल में इन मुग़ल बादशाहों ने भारतीय इतिहास में जो स्थान प्राप्त किया है उसका मुक़ाबिला दुनिया की कोई भी बादशाहत नहीं कर सकती। जीवन के सभी क्षेत्रों में इन बादशाहों की अमर कीर्तियाँ देश के कोने-कोने में पाई जाती हैं। इन

उद्धरणों से हमारा तात्पर्य केवल इतना ही है कि भारतीय इतिहास का मध्यकाल योरप के मध्ययुग की तरह अशान्ति और कुव्यवस्था का युग नहीं था। देश में शिक्षा का प्रचार था। फ़ारसी और अरबी के अच्छे-अच्छे विद्वान् इस काल में मौजूद थे। समाज में विद्वानों का आदर था। विद्या के क्षेत्र में मुग़ल बादशाह जाति पक्षपात कम करते थे। हिन्दी के धुरन्धर विद्वान् इसी काल में पैदा हुये। मुसलमान सूफ़ियों ने हिन्दू और मुस्लिम सभ्यता को मिलाने का जो सराहनीय प्रयत्न किया उसका प्रभाव आज भी दिखाई पड़ता है। मुसलमान युग की शिक्षा हिन्दू काल से अलग होते हुए भी एकता और समानता की विरोधी न थी। दोनों के सम्पर्क से एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। अरबी और फ़ारसी के गूढ़ रहस्य हिन्दुओं को और संस्कृत की गम्भीर बातें मुसलमानों को मालूम हुईं।

(स) ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना के बाद हिन्दोस्तान की राजनीतिक परिस्थिति ड़ाँवाडोल होने लगी। इसका प्रभाव शिक्षा आधुनिक शिक्षा संस्थाओं पर बड़ा ही गहरा पड़ा। जब कम्पनी की का विकास हालत कुछ मज़बूत हुई तो उसे शिक्षा की तरफ़ ध्यान देना पड़ा। कम्पनी की पहली आवश्यकता कर्मचारियों की थी। गोदाम और कारख़ानों में काम करने के लिये वह इंग्लैंड से कर्मचारी नहीं बुला सकती थी। उसके पास इतना रुपया नहीं था कि वह छोटी-छोटी जगहों पर लम्बी-लम्बी तनख़ाहों वाले अँगरेजों को रखती। वारेन हेस्टिंग का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। १७८१ ई० में उसने कलकत्ता-मदरसा नामक एक स्कूल खोला। इसमें विद्यार्थियों को फ़ारसी की शिक्षा दी जाती थी। यह स्कूल केवल मुसलमानों के लिये था। १७६१ ई० में लार्ड कार्नवालिस ने बनारस में एक संस्कृत कालेज की स्थापना की। इसमें केवल हिन्दू विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। इन शिक्षा संस्थाओं से कम्पनी को दो प्रकार के लाभ पहुँचते थे। एक तो कम-से-कम वेतन पर हिन्दोस्तानी क्लर्क मिल जाते, दूसरे पश्चात्य निवासियों को पूर्वीय विचारों को समझने में आसानी होती। कम्पनी के अधिकारी इन्हीं शिक्षालयों द्वारा हिन्दोस्तान के रसम-रिवाजों की जानकारी हासिल करते थे। इनके निकले हुये विद्यार्थी कम्पनी के न्यायालयों में मुक़दमा फ़ैसल करने में उनकी मदद करते थे।

उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त ईसाई मिशनरी भी शिक्षा का प्रचार करते थे। उनका उद्देश्य हिन्दू और मुसलमान दोनों को ईसाई बनाना था। हिन्दू समाज में इन मिशनरियों को किसी हद तक सफलता प्राप्त हुई। पैसे

तथा पद के लोभ के कारण कितने ही व्यक्ति ईसाई होने लगे। परन्तु मुसलमानों ने अपने को इनसे अलग रक्खा। १८१३ ई० में पार्लियामेंट ने कम्पनी को एक चार्टर में यह आदेश दिया कि वह हिन्दोस्तान की बेहतरी के लिये कम-से-कम एक लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करे। अब तक जो शिक्षा कम्पनी की ओर से लोगों को दी जाती थी उसका माध्यम संस्कृत या फ़ारसी था। परन्तु अब यह प्रश्न उठा कि शिक्षा का माध्यम क्या हो। लार्ड मेकाले ने (१८३५ ई०) अपना विचार प्रकट करते हुये यह कहा कि शिक्षा का माध्यम अँगरेज़ी होना चाहिये। कुछ ईसाई मिशनरियों ने भी इसकी ताईद की। राजा राममोहनराय ने भी इसका समर्थन किया। अन्त में लार्ड विलियम वेन्टिक के समय में यह फैसला किया गया कि शिक्षा का माध्यम अँगरेज़ी होगा। इससे कम्पनी को शासन-प्रबन्ध में अनेक सुविधायें प्राप्त हुईं। साथ ही कम्पनी ने यह भी घोषित किया कि धार्मिक मामलों में उसकी नीति निष्पक्ष रहेगी।

१८१६ ई० में कलकत्ते में एक हिन्दू कालेज की स्थापना की गई। राजा राममोहनराय तथा डेविड हेयर के उद्योग से इसकी नींव डाली गई थी। १८१८ ई० में बंगाल में सिरामपुर नामक स्थान में पहिला मिशनरी कालेज खोला गया। १८५२ ई० में सर चार्ल्स उड की अध्यक्षता में पार्लियामेंट ने एक कमीटी इस बात के लिये नियुक्त की जो भारतीय शिक्षा की जाँच करे। कमीटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रारम्भिक, माध्यमिक और यूनिवर्सिटी शिक्षा को अलग-अलग करने की सलाह दी। सर चार्ल्स उड का कहना था कि सरकार केवल अपने ही बनाये हुये कालेजों पर रुपया खर्च न करे। छोटे-छोटे स्कूलों तथा कालेजों को सहायता देने का भी नियम बनाया जाय। रिपोर्ट का यह परिणाम हुआ कि शिक्षा का एक अलग विभाग (Department of Public Instruction) बनाया गया। साथ ही अँगरेज़ी भाषा के मुक़ाबिले में देशी भाषाओं को पढ़ने-पढ़ाने की सलाह दी गई। इसी के फल-स्वरूप १८१७ ई० में कलकत्ता, मदरास और बम्बई नामक स्थानों पर तीन विश्वविद्यालय खोले गये। १८७१ ई० में भारत-सरकार ने शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों को दे दिया। परन्तु इसका खर्च केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होता था। १८८२ ई० में इन्टर कमीशन की नियुक्ति की गई। इसने प्रारम्भिक शिक्षा की वृद्धि पर बहुत ही ज़ोर दिया। लार्ड रिपन के समय में जब स्थानीय स्वराज की व्यवस्था बनाई गई तो प्रारम्भिक शिक्षा का भार म्यूनिसिपल बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सौंप दिया गया।

१९०२ ई० में लार्ड कर्जन के समय में यूनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त किया गया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर १९०४ ई० में यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास किया गया। इससे सरकार का अधिकार यूनिवर्सिटियों के ऊपर और कड़ा कर दिया गया। साथ ही इनका क्षेत्र निश्चित करके स्कूल तथा कालेजों पर इन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया। १९१० ई० में भारत-सरकार ने शिक्षा विभाग का मुहकमा बना कर इसका भार शिक्षा मेम्बर को सौंप दिया। तब से बराबर यह मेम्बर वाइसराय की कार्यकारिणी सभा का एक सदस्य होता है। इसका उद्देश्य प्रान्तीय सरकारों को शिक्षा में सलाह देना है। १९१७ ई० में भारत-सरकार ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की नियुक्ति की। इसकी रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी शिक्षा को फिर से संगठित करने का अच्छा विवरण दिया गया है। १९१९ ई० में भारतीय राजनीतिक सुधार के अनुसार शिक्षा का विषय पूर्णतया प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया गया। केन्द्रीय सरकार इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। प्रान्तों में भारतीय मंत्रियों को यह विषय सौंप कर उन्हें इस बात का अवसर दिया गया कि वे अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा संस्थाओं में सुधार करें। १९२७-२८ ई० में एक कमीशन की नियुक्ति की गई। सरफिलिप हरटाग इसके सभापति नियत किये गये। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा को जाँच करना था। कमीटी की रिपोर्ट में जो माकें की बात कही गई हैं उनसे हम काफी लाभ उठा सकते हैं।

१९३७ में जब प्रान्तीय स्वराज की स्थापना हुई तो काँग्रेस का ध्यान शिक्षा-सुधार की ओर आकर्षित हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा में अनेक सुधार किये गये। प्रौढ़ तथा रात्रि पाठशालायें खोली गईं। जगह-जगह पर पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित किये गये। शिक्षा के प्रचार के लिये शिक्षा-सप्ताह मनाने की योजना बनाई गई। माध्यमिक शिक्षा-सुधार करने पर अभी विचार किया जा रहा था कि काँग्रेस सरकारों को इस्तीफा दे देना पड़ा। फिर भी कितने ही प्रान्तों में हाई स्कूल तक की शिक्षा का माध्यम हिन्दी करार दिया गया। संयुक्त प्रान्त की सरकार ने तो एफ० ए० में भी शिक्षा का माध्यम हिन्दी घोषित कर दिया। विद्यार्थियों को यह सुविधा दी गई कि वे प्रश्नों का उत्तर हिन्दी या उर्दू में भी दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी शिक्षा पर भी काँग्रेस का ध्यान गया था। संयुक्तप्रान्त में एक कमीटी इस पर विचार करने के लिये बनाई गई थी। इन सुधारों के अतिरिक्त काँग्रेस का ध्यान बुनियादी शिक्षा की ओर दिलाया गया था। तब से यह नई योजना कितने ही प्रान्तों में काम में लाई जा रही है। यदि इस योजना में सफलता मिली और

उपरोक्त सुधारों का कार्य रूप में परिणत किया गया तो शिक्षा में एक महान् क्रान्ति की सम्भावना है।

अभी तक शिक्षा की प्रगति का वह इतिहास वर्णन किया गया है जिसका सम्बन्ध एकमात्र सरकार से है, परन्तु इसके अलावा हमारे देश में अनेक सार्वजनिक संस्थायें शिक्षा के प्रचार में लगी हैं। इनका प्रयत्न सरकार की योजनाओं से कम महत्त्व नहीं रखता। प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च श्रेणी की शिक्षा का प्रवन्ध करने में इन संस्थाओं ने सरकार को भी मात कर दिया है। कुछ तो साम्प्रदायिक भावनाओं के कारण और कुछ सेवा की लगन से आज कितनी ही शिक्षा-संस्थायें हरी-भरी दिखलाई पड़ रही हैं। हज़ारों लड़के और लड़कियाँ इनमें शिक्षा प्राप्त करती हैं। आर्य समाज ने शिक्षा को फैलाने में जो सफलता प्राप्त की है उसका मुकाबिला किसी देश की सरकार भी नहीं कर सकती। शायद ही कोई ज़िला या शहर बाकी हो जिसमें डी० ए० वी० स्कूल न हों। मुसलमानों के प्रयत्न से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ईसाई मिशनरियों के कितने ही स्कूल आज चल रहे हैं। सिख और हिन्दुओं की कितनी ही शिक्षा-संस्थायें काम कर रही हैं। पण्डित मदनमोहन मालवीय के प्रयत्न से हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। इनके अतिरिक्त संस्कृत की हज़ारों पाठशालायें और मुसलमानों के मक़तब विद्यार्थियों का शिक्षा दे रहे हैं। अभी तक शिक्षा का जो विकास हमारे देश में हुआ है, उसका संक्षिप्त इतिहास यहीं सामप्त किया जाता है। वर्तमान शिक्षा किन-किन श्रेणियों में विभाजित की गई है और उसका प्रवन्ध किस प्रकार किया जाता है। इसका वर्णन नीचे किया जाता है।

ऊपर कहा गया है कि १९१९ ई० में शिक्षा का पूरा प्रवन्ध प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया गया। प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डल में वर्तमान शिक्षा-संगठन शिक्षा मंत्री इसका प्रधान होता है। इसका विभाग शिक्षा-विभाग कहलाता है। यह मंत्री अपने कार्यों के लिये प्रान्त की धारा-सभा के प्रति ज़िम्मेवार होता है। शिक्षा मन्त्री के नीचे प्रान्त में एक डाइरेक्टर होता है जिसे 'डाइरेक्टर आव पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' कहते हैं। इसका कार्य प्रान्त के शिक्षा-विभाग के कर्मचारियों की देख-रेख करना तथा शिक्षा-मन्त्री को उचित सलाहें देना है। प्रत्येक प्रान्त कुछ विभागों में बाँट दिया जाता है। हर विभाग का प्रधान इन्स्पेक्टर कहलाता है। इसकी सहायता के लिये असिस्टेंट इन्स्पेक्टर तथा डिप्टी इन्स्पेक्टर होते हैं। प्रत्येक ज़िले में एक डिप्टी इन्स्पेक्टर होता है। उसके नीचे सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर होते हैं। यूरोपियन स्कूलों की

देख-रेख तथा संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षण के लिये अलग इन्स्पेक्टर होते हैं। जो संस्थायें किसी विशेष दस्तकारी अथवा कृषि आदि की शिक्षा देती है उसकी देख-रेख शिक्षा-विभाग से अलग उनसे सम्बन्ध रखने वाले विभागों द्वारा की जाती है। सरकार शिक्षा-संस्थाओं को कई प्रकार से सहायता देती है। कुछ को तो वह स्वयं चलाती है और कुछ को हमदाद देती है।

वर्तमान शिक्षा तीन श्रेणियों में विभाजित की गई है :—प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा यूनीवर्सिटी। माध्यमिक शिक्षा का तात्पर्य दो प्रकार की संस्थाओं से है, हिन्दी और अँगरेज़ी। मिडिल तक की शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। अँगरेज़ी में हाई स्कूल तक की शिक्षा भी माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। इन तीनों श्रेणियों का वर्णन अलग-अलग किया जायेगा।

हमारे देश में प्राइमरी शिक्षा का प्रायः अभाव है। यदि जड़ ठीक कर दी जाय तो सरकार का बहुत-सा धन व्यर्थ न होगा। प्रारम्भिक शिक्षा साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के बाद लोग अपने अध्ययन से कुछ लाभ भी उठा सकेंगे। प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट तथा म्यूनिसिपल बोर्ड करते हैं। कुछ तो अपनी आय से और कुछ प्रान्तीय सरकार को हमदाद से इनका खर्च चलता है। प्राइमरी शिक्षा कक्षा चार तक होती है। १९११ ई० में लेजिस्लेटिव कौंसिल में गोखले ने भाषण देते हुये कहा कि प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। अनिवार्य शिक्षा का विधान तभी सफल हो सकता है जब यह निःशुल्क करार दी जाय। पैसे की कमी के कारण सरकार ने इसे इन्कार कर दिया था। मद्रास प्रान्त में ६ और १० वर्ष की आयु तक कुछ विशेष जगहों में शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क की गई है। संयुक्त प्रान्त और बम्बई में भी इसका तजुर्बा किया जा रहा है। कहीं-कहीं पर यह नियम लड़के और लड़कियों के लिये एक सा बर्ता जाता है।

प्रारम्भिक शिक्षा का निरीक्षण प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी करते हैं। प्रान्तीय शिक्षा-विभाग द्वारा कोर्स की किताबें आदि निश्चित की जाती हैं। कहा जाता है कि प्रारम्भिक शिक्षा की बहुत-सी रकम बेकार चली जाती है। हिसाब लगाने से पता चला है कि केवल १५ फी सदी लड़के प्राइमरी शिक्षा को समाप्त कर पाते हैं। अर्थात् ८५ प्रतिशत लड़कों पर जो रुपया खर्च किया जाता है वह बिल्कुल बेकार चला जाता है। कारण यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा से कर्म दरजे पास करने पर विद्यार्थी को कोई लाभ नहीं पहुँचता। यहाँ तक कि इसे समाप्त करने पर भी इतनी कुशलता नहीं आती

कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में कुछ सफलता प्राप्त कर सकें। इस शिक्षा का आधार कोई-न-कोई व्यवसाय होना चाहिये। परन्तु अभी तक बच्चों को केवल किताबी ज्ञान कराया जाता है। बुनियादी शिक्षा में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि आरम्भ से ही बच्चों को हाथ के काम सिखाये जायें। प्रारम्भिक शिक्षा में कृषि एक अनिवार्य विषय होना चाहिये। इस कक्षा तक उन्हीं अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिये जो बालविज्ञान से कुछ परिचित हों। लेकिन आज-कल ऐसा देखा जाता है कि कम-से-कम पैसे देकर अयोग्य अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिये जो बालविज्ञान से कुछ परिचित हों। लेकिन आज-कल ऐसा देखा जाता है कि कम-से-कम पैसे देकर अयोग्य अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिये जो बालविज्ञान से कुछ परिचित हों। लेकिन आज-कल ऐसा देखा जाता है कि कम-से-कम पैसे देकर अयोग्य अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिये जो बालविज्ञान से कुछ परिचित हों।

माध्यमिक शिक्षा दो प्रकार की है। ४ से ७ तक जो हिन्दी की श्रेणियाँ हैं वे माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत गिनी जाती हैं।

माध्यमिक शिक्षा इनका प्रबन्ध स्थानीय संस्थायें करती हैं। हाई स्कूल तक की शिक्षा को भी माध्यमिक शिक्षा कहते हैं।

इनका प्रबन्ध विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग तरीके पर किया जाता है। कुछ प्रान्तों में ये स्कूल यूनिवर्सिटियों के अधिकार में रखे गये हैं। कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति तथा इनका कोर्स आदि सब कुछ ये ही बनाती हैं। कुछ प्रान्तों में इनका प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। संयुक्तप्रान्त में हाई स्कूल तथा इन्टरमीजियट के लिये एक अलग बोर्ड की स्थापना की गई है। यूनिवर्सिटियों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ये हाई स्कूल दो प्रकार के होते हैं। कुछ को गवर्नमेंट स्वयं चलाती है और बाक़ी जनता द्वारा चलाए जाते हैं। परन्तु इनकी मंजूरी प्रांतीय सरकार के शिक्षा-विभाग से लेनी पड़ती है। सरकार उन्हें कुछ इमदाद भी देती है। इन स्कूलों का निरीक्षण इन्स्पेक्टर तथा असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर द्वारा किया जाता है। कुछ हाई स्कूल उन्नति करते-करते इन्टरमीजियट कालेज भी हो सकते हैं। परन्तु इसकी मंजूरी बोर्ड से लेनी पड़ती है।

लगभग प्रत्येक ज़िले में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल होता है। कहीं-कहीं पर इसे इन्टरमीजियट कालेज भी बना दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा का माध्यम वर्नाक्युलर है। इस शिक्षा के विषय में लोगों की अनेक रायें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी के अन्दर सभी व्यावहारिक बातें बैठा दे। संसार के अन्य सभी देशों में इस श्रेणी तक के विद्यार्थी अपने आपको पूर्ण समझते हैं। हमारे देश में

हाई स्कूल पास लड़कों को छोटी-छोटी बातों का भी ज्ञान नहीं कराया जाता। किताबी ज्ञान पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। जब तक शिक्षा का माध्यम अँगरेज़ी था इन स्कूलों से निकले हुये विद्यार्थी भारतीय वातावरण के सर्वथा अयोग्य होते थे। परन्तु इधर थोड़े दिनों से कुछ सुधार के कारण इसमें थोड़ी उन्नति दिखाई पड़ती है। फिर भी इसका स्वरूप सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ करने वाले ७५ प्रतिशत विद्यार्थी इसी श्रेणी तक चल पाते हैं। इतनी बड़ी तादाद को देखते हुये यह नितान्त आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा बहुत ही सुलभ होई होनी चाहिए। इसके बाद ही देश के अधिकतर नवयुवक अपने जीवन में प्रवेश करते हैं। सुधार की जितनी आवश्यकता यूनिवर्सिटी-शिक्षा में है उससे कहीं अधिक आवश्यकता माध्यमिक शिक्षा के सुधार की है।

शिक्षा की सबसे ऊँची चोटी यूनिवर्सिटी कहलाती है। इस समय समूचे हिन्दोस्तान में कुल १८ यूनिवर्सिटियाँ हैं। इनमें दो यूनिवर्सिटी-देशी रियासतों में और एक बर्मा में है। अर्थात् ब्रिटिश शिक्षा भारत में केवल १५ यूनिवर्सिटियाँ हैं। पाठकगण यह भी याद रखें कि समूचे जापान में जिसकी जनसंख्या बंगाल से कुछ ही अधिक है, ४६ यूनिवर्सिटियाँ हैं। केवल टोकियो शहर में १८ यूनिवर्सिटियाँ हैं। १८५७ ई० में पहले-पहल कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में ३ यूनिवर्सिटियाँ बनाई गईं। इसके बाद १८८२ में पंजाब यूनिवर्सिटी, १८८७ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, १९१६ में बनारस तथा मैसूर यूनिवर्सिटी, १९१७ में पटना यूनिवर्सिटी, १९१८ में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, १९२० में रंगून, अलीगढ़ और लखनऊ यूनिवर्सिटी, १९२१ में ढाका यूनिवर्सिटी, १९२२ में दिल्ली यूनिवर्सिटी, १९२३ में नागपुर यूनिवर्सिटी, १९२६ में आन्ध्र यूनिवर्सिटी, १९२७ में आगरा यूनिवर्सिटी और १९२९ में अनामली यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी।

यूनिवर्सिटियाँ अपने प्रबन्ध के लिए सभी प्रकार से स्वतन्त्र हैं। प्रत्येक यूनिवर्सिटी का प्रधान चान्सलर कहलाता है। यह आमतौर से सूबे का गवर्नर होता है। इसके नीचे वाइसचान्सलर होता है। यह पदाधिकारी यूनिवर्सिटी की कार्यकारिणी द्वारा चुना जाता है। सारा प्रबन्ध सिनेट द्वारा किया जाता है। ये यूनिवर्सिटियाँ दो प्रकार की होती हैं। कुछ तो केवल परीक्षायें लेती हैं। उनमें पढ़ाई नहीं होती। बाक़ी यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाई का भी प्रबन्ध करती हैं। कुछ वर्षों से यूनिवर्सिटी-शिक्षा विलासिता की एक कुंजी समझी जाने लगी है। जिसके पास पैसे हैं वे अपना समय व्यतीत

करने के लिये वर्षों उसमें पड़े रहते हैं। विद्यार्थी और अध्यापक पढ़ने-पढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं देते जितना टाई और बूट पर। ऊँची शिक्षा का उद्देश्य जहाँ सरलता और चरित्र संगठन डहराया गया था वहीं आज विलासिता की सारी सामग्रियाँ इकट्ठी हो गई हैं। सारा वातावरण नौकरियों की चर्चा से ओत-प्रोत रहता है। सबकी इच्छा सरकारी विभाग में कोई-न-कोई पद प्राप्त करने की रहती है।

प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा यूनिवर्सिटी शिक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थियों को कुछ दस्तकारी आदि के काम सिखलाने के लिये औद्योगिक भी स्कूल खोले गये हैं। कृषि की शिक्षा देने के लिये शिक्षा सभी प्रान्तों में स्कूल तथा कालेज स्थापित किये गये हैं। अन्धों, गूंगों और बहरों के लिये भी स्कूलों का प्रबन्ध किया गया है। बड़े-बड़े शहरों में संगीतालय खोले गये हैं। डाक्टरों, इंजिनियरिंग तथा जङ्गल विभाग की शिक्षा देने के लिये अलग स्कूल और कालेज खोले गये हैं। हवाई जहाज़ तथा मशीनों की विशेष जानकारी के लिये अभी हाल में प्रबन्ध किया गया है। हमारे देश में औद्योगिक शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उनके सामने इन स्कूलों तथा कालेजों की संख्या कोई महत्त्व नहीं रखती। इन कालेजों से निकले हुए विद्यार्थी नौकरी के अतिरिक्त दस्तकारी आदि के कामों से परहेज़ करते हैं।

कुछ भारतीय विद्यार्थी विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। १९३०-३१ में उनकी संख्या २१०६ थी। परन्तु विदेशों में १९३२-३३ में वह घट कर १६०० के लगभग हो गई। शिक्षा ग्रहण करने के लिये विदेशों में जाना कोई बुरा नहीं है परन्तु जिस उद्देश्य से भारतीय विद्यार्थी विदेशों में जाते हैं वह एक-मात्र नौकरी है। अधिकतर विद्यार्थी इंग्लैंड में जाते हैं। कहा जाता है कि विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों में भारतीय विद्यार्थी सबसे अधिक पाये जाते हैं। इनका उद्देश्य यह होता है कि वे इंग्लैंड से कोई सनद लेकर जल्दी-से-जल्दी अपने देश को लौटें और किसी सरकारी मुद्कमें में नौकरी करें। १५०० से अधिक विद्यार्थी इंग्लैंड में अध्ययन करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी का खर्च २५०० रुपये साल रख लिया जाय तो ३८ लाख के लगभग रकम प्रति वर्ष इन पर खर्च की जाती है। हम यह न समझ बैठें कि अपने विषयों में विशेष अध्ययन करने के लिये ये विद्यार्थी विदेशों में जाने का कष्ट करते हैं। जिन विषयों का प्रबन्ध हमारे देश में हो सकता है उन्हें भी

वे विदेशों में जाकर सीखते हैं। यदि इनके साथ विदेशियों का व्यवहार अच्छा होता तो भी ग़नीमत थी परन्तु विदेशों की कितनी ही शिक्षा संस्थायें इन्हें प्रवेश तक की आज्ञा नहीं देतीं। उनमें रूस, रंग तथा जाति का भेद-भाव किया जाता है। भारतीय विद्यार्थी जिन दर्जों को यहाँ से पास करके इंग्लैंड में जाते हैं उन्हीं में उनका प्रवेश किया जाता है कुछ वर्षों से विदेशों में जाने की प्रथा कम हो चली है। यह भी हमारे देश का एक सौभाग्य है।

अंगरेज़ी शिक्षा की बेकारी को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान शिक्षा-सुधार की ओर आकर्षित हुआ। लोगों बुनियादी शिक्षा को यह मालूम पड़ने लगा कि शिक्षित लोगों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो गई है। परन्तु दूसरी ओर जब अशिक्षितों की संख्या पर ध्यान दिया गया तो पता चला कि ६० प्रतिशत आदमी अशिक्षित हैं। केवल २३ प्रतिशत आदमी अंगरेज़ी पढ़ सकते हैं। यह बात लोगों को और भी खटकने लगी कि पढ़े-लिखे लोगों की संख्या दाल में नमक के बराबर होते हुये भी शिक्षित लोगों में इतनी बेकारी क्यों कर है। अन्त में यह बात निश्चित ठहराई गई कि जो शिक्षा हमारे देशवासियों को दी जा रही है उसकी हमें क़तरई ज़रूरत नहीं है। वह हमें गुलाम और अकर्मण्य बनाती है। ज़ाकिर हुसेन की अध्यक्षता में एक कमीटी इस पर विचार करने के लिये बनाई गई। इसकी रिपोर्ट में यह बात ज़ाहिर की गई कि हमारी शिक्षा में उद्योग-घन्घों का कोई स्थान नहीं है। सिद्धान्त की बड़ी-बड़ी बातें पढ़ कर लड़कों के दिमाग़ तो बढ़ जाते हैं, परन्तु उनके मस्तिष्क से क्रियात्मक शक्ति निकल जाती है। हाथ और पैर दोनों से वे बेकार हो जाते हैं। अतएव कमीटी ने बुनियादी शिक्षा को प्रारम्भ करने की सिफ़ारिश की।

बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य व्यावहारिक ज्ञान से है। हमें जितनी आवश्यकता अपने दिमाग़ को बढ़ाने की है उससे बढ़कर आवश्यकता अपने रोटी और कपड़े की है। वह शिक्षा बेकार है जो हमारी साधारण आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं कर सकती। बुनियादी शिक्षा में शरीर के सम्पूर्ण अवयवों की उन्नति पर ज़ोर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी को शरीर और दिमाग़ दोनों से काम लेना चाहिए। जब हम ५ घंटे अपने दिमाग़ से काम लेते हैं तो कम-से-कम ४ घंटे हमें शारीरिक परिश्रम भी करना चाहिये। प्रत्येक विषय का ज्ञान किसी व्यवसाय द्वारा कराना चाहिए। शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी

अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। सारांश यह है कि उस ज्ञान से हमें कोई लाभ नहीं जिसे हम कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकते। बुनियादी शिक्षा का तजुरबा किया जा रहा है। कांग्रेस सरकारों ने इसकी सफलता पर काफ़ी जोर दिया था और आज भी यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। भविष्य में इसे कहाँ तक सफलता प्राप्त होगी यह हम नहीं कह सकते।

हमारे देश में स्त्री-शिक्षा का कभी भी अभाव नहीं रहा है। इतना ज़रूर है कि उनकी शिक्षा पुरुषों से भिन्न रही है।

स्त्री-शिक्षा इधर कुछ वर्षों से स्त्रियाँ भी कालेजों और यूनिवर्सिटियों में जाने लगी हैं और उनकी संख्या काफ़ी बढ़ रही है।

बड़े-बड़े शहरों में महिला-विद्यापीठ, सेवा-सदन, शिल्प-भवन आदि खोले गये हैं। अखिल भारतीय महिला-शिक्षा-परिषद् स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है? डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड भी लड़कियों की शिक्षा पर जोर देने लगे हैं। आर्य समाज ने स्त्रियों की शिक्षा के लिये कन्या-गुरुकुल आदि स्थापित किया है। इतना प्रयत्न करने पर भी अभी तक स्त्रियाँ केवल दो प्रतिशत पढ़ी-लिखी हैं। कुछ तो पढ़ें के कारण और कुछ धनाभाव से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पातीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों से कहीं आवश्यक है, परन्तु दोनों की शिक्षा में अन्तर होना चाहिये। दोनों की आवश्यकताएँ अलग-अलग हैं। समाज के दोनों दो अंग हैं। एक का क्षेत्र लड़ाई का मैदान है और दूसरे का कुटुम्ब को सुखमय बनाना। इसलिये दोनों को एक प्रकार की शिक्षा से समाज को हानि के बदले कोई लाभ नहीं हो सकता। अंगरेज़ी शिक्षा के प्रचार से हमारे घरों की नींव कमज़ोर होती जा रही है यह सभी महसूस करते हैं। स्त्रियों की शिक्षा का सम्बन्ध गृह-प्रबन्ध और पुत्र-पालन से होना चाहिये। कोरा किताबी ज्ञान उन्हें पुरुषों से अधिक हानि पहुँचायेगा। पाश्चात्य सभ्यता की नक़ल से हमें काफ़ी नुक़सान उठाने पड़े हैं। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। इसके सभी पाये अपनी भौगोलिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं पर टिकने चाहिये। हमारी मौजूदा आवश्यकता उद्यमी और कार्यशील बनने की है। अंगरेज़ी शिक्षा हमें काहिल और निष्क्रिय बनाती है। यदि समाज का एक अंग इसे पूरी तरह अपना ले तो हमारी संस्कृति का लेशमात्र भी बाक़ी नहीं रह सकता। स्त्रियाँ इस गुर को समझने की कोशिश करें।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली केवल दिमागी है। शरीर को खोकर मस्तिष्क

शिक्षा में सुधार की आवश्यकता

को बढ़ाया जाता है। इसमें पहिला सुधार यह होना चाहिये कि शारीरिक परिश्रम को स्थान दिया जाय। इससे कार्य का महत्व बढ़ेगा और बेकारी भी दूर होगी। उद्योग-धंधों से सम्बन्ध रखने वाले तरह-तरह के स्कूल और कालेज खोले जायँ। इनमें विद्यार्थियों को ऐसी व्यावहारिक शिक्षा दी जाय जिसके द्वारा वे अपनी रोज़ी आसानी से कमा सकें। ऊँची शिक्षा पर जो रकम खर्च की जा रही है उसे कम किया जाय। वह धन गाँवों में छोटे-मोटे कारोबार की वृद्धि में लगाया जाय। जितनी शिक्षा-संस्थाएँ आज शहरों में खुली हुई हैं उनसे रुपये और समय की हानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। शिक्षा-विभाग को चाहिये कि अधिकतर स्कूल गाँवों में खोले और कृषि उनमें एक अनिवार्य विषय हो। सरकार हाथ के कामों का मूल्य उतना ही समझे जितना दिमागी कामों का। हमारे समाज में यह कमी है कि एक हाई स्कूल पास क्लर्क १०० रुपये मासिक पाये और दिन भर दौड़ने वाले चपरासी को भर पेट भोजन भी न मिले। यदि शिक्षा में परिश्रम को स्थान दिया जाय तो यह अन्तर नहीं रह सकता।

शिक्षा लोगों की आवश्यकतानुसार मिलनी चाहिये। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये 'शिक्षा ज्ञान के लिये' वाला सिद्धान्त नहीं चल सकता। शिक्षित वर्ग की भयंकर बेकारी इस बात का एलान कर रही है कि शिक्षा में एक महान् क्रान्ति की आवश्यकता है। प्रान्तीय सरकारों को जनता की आवश्यकताएँ जाननी चाहिये और उनकी संतान को वही शिक्षा देनी चाहिये जो उन्हें मौजूदा संकट से निकाल सके। किसी भी विद्यार्थी को तब तक सनद न दी जाय जब तक उसे कम-से-कम एक दस्तकारी का पूरा ज्ञान न हो। सूत कातने से लेकर मूहल बनाने तक का काम उसे सिखाया जा सकता है। लेकिन ये तमाम सुधार एक से नहीं होने चाहिये। लड़के और लड़कियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम अलग-अलग हों। दोनों को दो प्रकार की शिक्षा दी जाय। प्रचलित विषयों का साधारण ज्ञान दोनों को कराया जाय, परन्तु इनकी आवश्यकताओं और जिम्मेवारियों को देखते हुये इनके स्कूल एक दूसरे से अलग हों और उनमें भारतीय वातावरण की पुंठ हो।

अध्याय २४

सरकारी आय-व्यय

(INDIAN FINANCE)

अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिये सरकार को प्रजा से धन वसूल करना पड़ता है। परन्तु ये सारे कर्तव्य प्रजा के ही प्रति होते हैं। जो सरकार अपनी प्रजा का धन व्यर्थ खर्च करती है, अथवा निष्प्रयोजन विदेशों में भेज देती है, वह आर्थिक आवश्यकतायें अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करती। सार्वजनिक कामों को एक व्यक्ति नहीं कर सकता। सरकार की स्थापना इसीलिये की गई है कि वह व्यक्तिगत चिन्ता से ऊपर सम्पूर्ण समाज की भलाई सोचे। हर आदमी स्कूल और कालेज नहीं खोल सकता और न १०-२० आदमी रेल और तार का संगठन कर सकते हैं। दो-चार गाँव पूरे राष्ट्र की रक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते। इस तरह के कामों को सरकार कर सकती है। उसकी शक्ति अनन्त है। यद्यपि यह शक्ति उसे जनता से ही मिली है, लेकिन वह इसे वापिस नहीं ले सकती। समाज में हम जिन-जिन चीजों से लाभ उठाते हैं उन पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। इस धन का कुछ अंश हमारी जेब से भी लगा हुआ है। तभी अपना अधिकार समझ कर हम उन्हें अपनी चीज़ समझते हैं। अगर इन चीजों पर नज़र डाली जाय तो पता चलेगा कि इन्हें बनाने तथा इनकी रक्षा के लिये जितने रुपये की ज़रूरत है उसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते। पुलिस, अस्पताल, रेल, तार, डाक, सड़क, पुल, जहाज़, रक्षा इत्यादि इत्यादि मर्दों में जो रुपये लगाये जा रहे हैं उनकी उपयोगिता हमारे लिये कम नहीं है। इन्हीं को संभालने के लिये सरकार को धन की आवश्यकता पड़ती है। उसे तरह-तरह के टैक्स लगाने पड़ते हैं।

इस रकम को वसूल करने के लिये सरकार को कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। वह जिससे जितना रुपये चाहे वसूल नहीं कर सकती। प्रजा की हैसियत के अनुसार ही वह टैक्स ले सकती है। भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त जो रकम प्रजा के पास बच जाती है उसका कुछ अंश सरकार लेती है। यह कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से लिया जाता है। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ग़रीबों पर टैक्स का भार कम-

से-क्रम पड़े। जो रकम प्रजा से वसूल की जाती है उसके उचित खर्च का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि १० रुपये वसूल करने में १५ रुपये का खर्च पड़ता है तो सरकार इस तरह की बेवकूफी नहीं कर सकती। उसकी आवश्यकतायें प्रजा की इच्छानुसार बढ़ती हैं। जब धन की ज़रूरत अधिक होती है तो वह प्रजा की आमदनी को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। इससे प्रजा की भलाई के साथ साथ सरकार को भी टैक्स वसूल करने में आसानी पड़ती है। जिस राज्य में प्रजा की माली हालत अच्छी होती है वहाँ की सरकार भी धनी समझी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर वह अधिक-से-अधिक धन इकट्ठा कर सकती है। जिस प्रकार माली बगीचे से फूलों को चुन लेता है और फिर पानी देकर उसे हरा भरा रखता है, उसी तरह सरकार अपनी प्रजा को सुखी और सम्पन्न बना कर उसकी आय का थोड़ा-सा अंश ले लेवे।

हिन्दोस्तान की विकट गरीबी को देखते हुये यह बात समझ में नहीं आती कि किस प्रकार यहाँ की सरकार प्रजा का पेट भारत सरकार काटकर टैक्स वसूल करती है। लाखों आदमियों को और भर पेट भोजन तक मुयस्सर नहीं होता। सुप्रसिद्ध भारतीय प्रजा इतिहास लेखक सर विलियम हंटर लिखता है, “चार करोड़ हिन्दोस्तानी अपर्याप्त भोजन पर अपने दिन काटते हैं।” सर चार्ल्स इलियट का अनुमान है कि “किसान वर्ग में से आधे किसानों की भूख वर्ष के आरम्भ से लेकर अन्त तक कभी भी पेट भर भोजन करके शान्त नहीं हुई।” * १८६१ की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट में यह बात दर्ज है कि “यह निश्चित प्रतीत होता है कि क़रीब-क़रीब ७ करोड़ भारतवासी यह भी नहीं जानते कि दो बार भोजन किसे कहते हैं।” हिन्दोस्तान के क़रीब १० करोड़ आदमी १८ बिस्वे ज़मीन जोतकर अपना दिन काटते हैं। रैम्से मेकडानल अपनी “हिन्दोस्तान की जागृति” नामक पुस्तक में लिखते हैं, “५ करोड़ कुटुम्ब (अर्थात् २५ करोड़ मनुष्य) साढ़े तीन आने की आय पर अपना गुज़ारा करते हैं।” इस तरह के उद्धरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। इतने पर भी सरकार इन गरीबों से टैक्स वसूल करने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखती। टैक्स वसूल करना सरकार का फ़र्ज़ है, लेकिन जिसके पास खाने और शरीर ढकने तक का ठिकाना नहीं वह टैक्स कैसे दे सकता है। यदि भारत-सरकार अपनी ज़िम्मेवारी को मइसूस करती, और

भारतीय प्रजा की लम्बी रकम वह विदेशों में न भेजती, तो इस भयंकर दरिद्रता का मुक्राबिला न करना पड़ता ।

१८५८ ई० तक बृटिश सरकार की नीति सभी क्षेत्रों में शक्ति-संचय की थी । आर्थिक मामलों में भी भारत-सरकार को सभी बृटिश सरकार अधिकार दिये गये थे । प्रान्तीय सरकारों को किसी की टैक्स भी प्रकार का टैक्स लगाने अथवा उसे खर्च करने का सम्बन्धी नीति अधिकार न था । वे केन्द्रीय सरकार की एजेन्ट मात्र का इतिहास थीं । उसकी आज्ञानुसार वे टैक्स वसूल करके उसे भेज देतीं और अपने खर्च के लिये केन्द्रीय सरकार की इमदाद पर निर्भर रहती थीं । जान स्ट्रेची लिखता है, “यदि प्रान्तीय सरकार को कोई सड़क बनवाने के लिये २० पौंड की भी ज़रूरत पड़ती……तो उसे केन्द्रीय सरकार से इसकी आज्ञा लेनी पड़ती थी ।” * प्रान्तीय सरकारों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार एक बँधी हुई रकम देती थी । उसी में उन्हें अपना खर्च चलाना पड़ता था । यह रकम घटती-बढ़ती रहती थी और सभी दृष्टियों से अपर्याप्त थी । केन्द्रीय सरकार में जिसकी जितनी पहुँच थी वह उतनी रकम मंजूर करा लेती, बाकी प्रान्तीय सरकारों को सब करना पड़ता था । उन्हें टैक्स की वसूली में कोई दिलचस्पी न थी और न खर्च में ही मितव्ययी बनने का ध्यान था । जब इन दोनों से उन्हें कोई फ़ायदा न था तो वे अनायास कष्ट क्यों करतीं । इस उदासीनता से प्रान्तीय-प्रजा को सरासर नुकसान हुआ । सरकार पैसे की कमी के कारण उनकी भलाई की परवाह नहीं कर सकती थी ।

१४ दिसम्बर सन् १८५० को लार्ड मेयो की सरकार द्वारा एक घोषणा-पत्र निकाला गया । इसके अनुसार खर्च के कुछ ज़रिये प्रान्तीय सरकारों को चन्द शर्तों के साथ सौँ दिये गये । आर्थिक विषयों में शक्ति वितरण का यह पहला क़दम था । अब तक प्रान्तीय सरकारों को एक पाई भी खर्च करने का अधिकार न था । परन्तु लार्ड मेयो की कृपा से उन्हें यह अधिकार मिला कि पुलिस, शिक्षा, सड़कें, रजिस्ट्री, जेल, अस्पताल आदि के खर्च वे स्वयं करें । इनके खर्च के लिये केन्द्रीय सरकार रुपये देती थी, परन्तु यदि कमी महसूस होती तो स्थानीय करों से वे इसकी पूर्ति कर सकती थीं । १८७७ ई० में लार्ड लिटन के ज़माने में शक्ति-वितरण का दूसरा क़दम उठाया

* India : Its administration and progress (Third Edition) pp. 112—13.

गया। केन्द्रीय सरकार की इमदाद के अतिरिक्त प्रान्तीय सरकारों को कुछ और भी विषय दे दिये गये। सरकारी आमदनी के कुछ ज़रिये ३ भागों में बाँट दिये गये :—

- १—केन्द्रीय विषय
- २—प्रान्तीय ”
- ३—सम्मिलित ”

इनका तात्पर्य यह था कि केन्द्रीय विषयों की आमदनी और उनका खर्च केन्द्रीय सरकार के हाथ में रक्खा गया, प्रान्तीय विषयों की ज़िम्मेवारी प्रान्तीय सरकार को दी गई। इनके अतिरिक्त सम्मिलित विषयों की आमदनी दोनों सरकारों में विभाजित कर दी जाती थी। अफ़ीम, नमक, तार और डाक, देशी रियासतों से कर, तथा रेलवे इत्यादि—इनकी आमदनी केन्द्रीय सरकार के हाथों में रक्खी गई। शेष विभागों की आमदनी प्रान्तीय सरकार को दी गई। भूमिकर तथा इनकम टैक्स की आमदनी दोनों सरकारों में बाँट दी जाती थी। इन रूप्यों को क़र्ज करने के लिये प्रान्तीय सरकारों को केन्द्रीय सरकार से कुछ रलाहें लेनी पड़ती थीं। उन्हें क़र्ज लेने का अधिकार न था और न वे कोई नया कर लगा सकती थीं। यह प्रबन्ध केवल ५ वर्ष के लिये किया गया। हर पाँचवें वर्ष फिर इसे नया करना पड़ता था। १८८२ ई० में लार्ड रिपन के प्रबन्ध के अनुसार केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकारों की इमदाद बन्द कर दी गई। उपरोक्त तीन प्रकार के विषयों का बटवारा फिर नये सिरे से किया गया। १९०४ ई० में लार्ड कर्ज़न ने इस प्रबन्ध को अर्धस्थायी करार दिया। हर पाँचवें साल इसे नया करने की ज़रूरत जाती रही। किसी असाधारण परिस्थिति के कारण इसमें तबदीली की जा सकती थी। केन्द्रीय सरकार की इमदाद को फिर से जारी किया गया। १९०८ ई० में इस पर विचार करने के लिये एक कमीशन निर्धारित किया गया, परन्तु उसने किसी प्रकार के परिवर्तन की सलाह न दी।

१९११ ई० में लार्ड हार्डिज ने उपरोक्त प्रबन्ध को स्थायी करार दिया। अर्थात् १९१६ के शासन-सुधार तक सरकारी आमदनी और खर्च तीन भागों में बाँटे हुये थे। चुंगी, नमक, अफ़ीम, रेलवे, तार और डाक, टकसाल और देशी रियासतों के कर—इनकी आमदनी केन्द्रीय सरकार लेती थी। रजिस्ट्री, पुलिस, शिक्षा, क़ानून और न्याय, अस्पताल तथा छोटी-छोटी सिंचाई के काम इत्यादि—इनका प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों को दिया गया था। इन मदों की आमदनी और खर्च प्रान्तीय सरकारें स्वयं करती थीं।

भूमिकर, इनकम टैक्स, आवकारी-कर, इनकी आमदनी दोनों में बाँट दी जाती थी।

१९१९ के शासन-सुधार में सरकारी आय-व्यय के प्रबन्ध में अनेक परिवर्तन किये गये। एक ज़िम्मेवार शासन की स्थापना के लिये यह आवश्यक था कि हिन्दोस्तानियों को आर्थिक शासन-सुधार क्षेत्र में कुछ और अधिकार दिये जायँ। मन्टेग्यू और सरकारी चेम्सफोर्ड ने इस बात की सिफारिश की थी कि प्रान्तीय आय-व्यय स्वराज्य की पहली शर्त आर्थिक ज़िम्मेवारी है। इसका तात्पर्य यह था कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को टैक्स सम्बन्धी और भी ज़रिये दे दे और उन्हें खर्च करने की पूरी आज़ादी भी दे दी जाय। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सार्वजनिक भलाई के कामों में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। स्थानीय संस्थाएँ पहले से ही इस बात के लिये बदनाम थीं कि वे अपने क्षेत्र में कोई नई योजना कार्यान्वित नहीं करतीं। राष्ट्रीय उत्थान के साथ-साथ लोगों की आवश्यकतायें और माँगें बढ़ रही थीं। इधर प्रान्तीय सरकारों के हाथ बँधे हुये थे। न तो उनके पास पैसे के साधन थे और न उन्हें कर्ज़ लेने का अधिकार था। वे सभी प्रकार से अकर्मण्य थीं और स्थानीय जनता की टंका-टिप्पणियों का लुपचार सुनती रहती थीं। शासन सुधार के समय इन बातों पर विचार किया गया। सम्मिलित आय के मद तोड़ दिये गये। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों को आमदनी के स्वतन्त्र ज़रिये अलग-अलग बाँट दिये गये। प्रान्तीय सरकारों को इस बात का अवसर दिया गया कि वे अपने क्षेत्र में नये-नये कार्य करें और प्रजा की माँगों की पूर्ति करें।

शासन के कार्यान्वित हुये अभी दो वर्ष भी व्यतीत न हुये थे कि केन्द्रीय सरकार की आर्थिक स्थिति ड़ाँवाडोल होने लगी। मेस्टन अवार्ड १९२०-२३ के बजट में उसे ६८३ लाख रुपये की कमी महसूस हुई। इसे पूरा करने की चिन्ता सरकार को ज़रूरी थी। १९२० ई० में लार्ड मेस्टन की अध्यक्षता में एक कमीटी इसकी जाँच के लिये बनाई गई। कमीटी ने जो फ़ैसला किया, उसे मेस्टन अवार्ड (Meston Award) कहते हैं। इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि बिहार और उड़ीसा प्रान्त को छोड़कर शेष प्रान्तों से यह कमी पूरी की जाय। १९२१-२२ में निम्नलिखित रकम प्रान्तों से ली गई :—

प्रान्त	केन्द्रीय सरकार को दी गई रकम (लाख की संख्या में)		
१—मद्रास	३४८
२—बम्बई	५६
३—बंगाल	६३
४—संयुक्तप्रान्त	२४०
५—पंजाब	१७१
६—ब्रह्मा	६४
७—मध्यप्रान्त और बरार	२२
८—आसाम	१५

कुल जोड़ ६८३ लाख रुपया

बिहार और उड़ीसा को इसलिये छोड़ दिया गया था कि उसकी आर्थिक स्थिति स्वयं अच्छी न थी। इसीलिये अन्य प्रान्तों से ६८३ लाख की कमी पूरी की गई। पहली किश्त देने के बाद बंगाल प्रान्त की सरकार ने इस बात की मजबूरी जाहिर की कि वह एक पैसा भी देने की क्षमता नहीं रखती। अन्त में केन्द्रीय सरकार ने यह फैसला किया कि १९२२-२३ से बंगाल प्रांत-से ६ वर्ष तक कोई किश्त न ली जायेगी। मेस्टन कमोटी ने यह भी सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार आर्थिक मामले में जल्दबाड़ी से जल्दी स्वतन्त्र हो जाय और प्रान्तों पर निर्भर न करे। प्रान्तीय धारा-सभाओं को नये टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया। कुछ शर्तों के साथ उन्हें कर्ज लेने को भी इजाजत दे दी गई। केन्द्रीय सरकार का दबाव बहुत कुछ कम कर दिया गया। मेस्टन अवार्ड से कोई भी प्रान्त सन्तुष्ट न था। उसे केन्द्रीय सरकार को जो एक लम्बी रकम हर साल देनी पड़ती वह उनकी आर्थिक नींव को कमजोर कर देती थी।

मेस्टन अवार्ड से किसी को भी लाभ न हुआ। प्रान्तों के असन्तोष के साथ साथ केन्द्रीय सरकार की भी माली हालत बिगड़ती गई। चारों ओर से इस बात की माँगें पेश की जाने लगीं कि प्रान्तों की किश्त बन्द कर दी जाय। १९२६ ई० के लगभग केन्द्रीय सरकार के बजट में कुछ बचत हुई और अन्त में १९२७-२८ ई० में प्रान्तों की किश्त बिलकुल बन्द कर दी गई। नये टैक्स लगाकर केन्द्रीय सरकार ने अपनी कमी पूरी की। प्रान्तों को भी किश्त बन्द हो जाने से कुछ राहत मिली। लेकिन जर्मनों की बड़ी लड़ाई का असर १९२८ के बाद मालूम पड़ने लगा। एक तरफ लोगों की आवश्यकतायें

बढ़ती जा रही थीं और दूसरी ओर भारत सरकार कर्ज के सूद से दब रही थी। इसी समय संघ-शासन की योजना पर विचार आरम्भ किया गया।

किसी भी संघ-शासन में आर्थिक बटवारा ठीक ठीक नहीं हो सकता।

कितनी ही सफ़ाई के साथ इसका विभाजन किया जाय, संघ-शासन कोई-न-कोई कमी रह जाती है। संसार का कोई भी और आर्थिक संघ-शासन इस कमी से वंचित नहीं है। कारण यह है संगठन कि इसके अन्दर दो स्वार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है।

एक तो संघ-सरकार को अपनी जिम्मेवारी निवाहने के लिये पैसे वसूल करने पड़ते हैं और दूसरी ओर स्थानीय सरकारें भी टैक्स लगाकर अपना खर्च चलाती हैं। दोनों का साधन एक ही जनता का बनना पड़ता है। यह भी सम्भव है कि आर्थिक बटवारे में दोनों में उलझन पैदा हो जाय। हो सकता है कि दोनों की आवश्यकतायें इस क्रम में बढ़ जायँ कि टैक्स की भरमार हो जाय और प्रजा दोनों के बीच में पिस जाय। संघ-शासन के अन्दर जितनी इकाइयाँ रहती हैं उनमें भी समानता बर्तनी पड़ती है। यदि एक से कम और दूसरे से अधिक कर वसूल किया जाय तो न्याय में फ़रक पड़ेगा। केन्द्रीय और स्थानीय सरकारों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुये उनकी आय के ज़रिये इस प्रकार अलग करने पड़ते हैं कि किसी को अपने इक़्त के लिये एतराज़ न हो। ज्वायंट पार्लियामेन्टरी कमीटी ने भारतीय संघ-शासन में भी इन कठिनाइयों को महसूस किया था। अपनी रिपोर्ट में इसका ज़िक्र करते हुये उसने लिखा है कि, "किसी भी संघ-शासन में आय-व्यय का बटवारा एक कठिन विषय है। कारण यह है कि दो सरकारें एक ही प्रजा से स्वतन्त्रता-पूर्वक टैक्स वसूल करती हैं।"*

आधुनिक शासन-विधान में अनेक परिवर्तनों के कारण सरकारी आय-व्यय का नये सिरे से बटवारा किया गया है। ब्रह्मा के भारतीय संघ अलग हो जाने से केन्द्रीय सरकार की आय में ३ करोड़ शासन-विधान रुपये की हानि हुई है। सिन्ध और बिहार दो नये और आर्थिक प्रान्तों के बनने से केन्द्रीय सरकार की और भी हानि प्रबन्ध हुई है। बम्बई अहाते से सिन्ध को अलग कर देने से

* In any Federation the problem of the allocation of resources is necessarily one of difficulty, since two different authorities (Federal and Provincial) each with independent powers, are raising money from the same body of tax-payers.

बम्बई को ६० लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा है। इसी प्रकार उड़ीसा के बनाने में मद्रास और बिहार प्रान्तों को क्रमशः २० लाख और ८ लाख रुपये प्रतिवर्ष का घाटा पड़ा है। केन्द्रीय सरकार को इन तमाम कमियों को पूरा करना पड़ा है। संघ-शासन को कार्यान्वित करने के लिये १३ करोड़ रुपये की जरूरत और पूरी करनी पड़ी है। बम्बई और बंगाल प्रान्त इस बात की बार-बार माँग पेश कर रहे हैं कि इनकम टैक्स की आमदनी में केन्द्रीय सरकार उन्हें कुछ हिस्सा दे। रियासतों पहले से ही चिन्ता रही है कि संघ-सरकार को यह अधिकार न दिया जाय कि वह उनके अन्दर कोई प्रत्यक्ष कर लगा सके। संघ के खर्च से वे सभी प्रकार से बँचना चाहती हैं। इसका परिणाम यह है कि उनके संघ-शासन में शरीक होने से केन्द्रीय सरकार को आर्थिक लाभ के बदले हानि होने की सम्भावना है।

कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी सारी आमदनी केन्द्रीय सरकार अपने लिये खर्च करेगी। वह इन टैक्सों को घटा-बढ़ा भी सकेगी। आर्थिक बटवारा जुंगी, कारपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स पर सर चार्ज आदि मद इस कोटि में रक्खे जा सकते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी आमदनी वसूल करने का अधिकार संघ सरकार का होगा, परन्तु वह इसे प्रान्तों अथवा रियासतों में बाँट देगी। स्टैम्प कर, चेक, सरखत, बीमा, रेल की चीजों अथवा यात्रियों पर कर इत्यादि मद इस कोटि में रक्खे गये हैं। कुछ मदों की आमदनी संघ-सरकार वसूल करेगी और उसका कुछ हिस्सा वह प्रान्तों अथवा रियासतों को देगी। इनकम टैक्स, जूट निर्यात कर, नमक कर, अप्रोम, आबकारी, निर्यात कर इत्यादि विषय इस कोटि में रक्खे गये हैं। इनके अतिरिक्त संघ-सरकार की आमदनी के कुछ और भी ज़रिये हैं। रेल, तार और डाक, देशी रियासतों ने कर, तथा टकसाल की आमदनी संघ-सरकार को आय समझी जायगी। केन्द्रीय सरकार इस आय को कुछ तो हिन्दोस्तान में और कुछ इंग्लैंड में खर्च करेगी। जो सूबे अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते उन्हें वह कुछ वार्षिक सहायता देगी, जिसका व्यौरा निम्नलिखित है :—

१—पश्चिमोत्तर प्रदेश को १०० लाख रुपया सालाना।

२—उड़ीसा प्रान्त को ४७ लाख रुपया सालाना १९४२ तक, ४३ लाख रुपया सालाना १९४२ से १९४६ तक और, ४० लाख रुपया सालाना १९४६ के बाद।

३—आसाम को ३० लाख रुपया सालाना।

४—संयुक्त प्रान्त को २५ लाख रुपया सालाना १९४२ तक।

५—सिन्ध प्रान्त को ५० वर्ष तक संघ सरकार वार्षिक सहायता देती रहेगी :—

- १९३७-३८ में ११० लाख रुपया ।
- १९३९-१९४० तक १०५ लाख रुपया सालाना ।
- १९४१-१९४२ तक ८० लाख रुपया सालाना ।
- १९४३-१९४४ तक ६५ लाख रुपया सालाना ।
- १९४५-१९४६ तक ६० लाख रुपया सालाना ।
- १९४७-१९४८ तक ५५ लाख रुपया सालाना ।

प्रान्तीय सरकारों को आमदनी के स्वतन्त्र जरिये भी दिये गये हैं। केन्द्रीय सरकार जो इनकम टैक्स वसूल करेगी उसका कुछ हिस्सा प्रान्तों को दिया जायगा। भूमिकर, खेतीकर, आवकारी, पेशाकर, जीवकर, तथा अन्य प्रकार के टैक्सों से जो आय होगी, वह प्रान्तीय सरकार की आय समझी जायगी। केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों को किसी हद तक कर्ज लेने का अधिकार दिया है। प्रान्तीय स्वराज की स्थापना होने से प्रान्तों को कुछ नये-नये टैक्स लगाने का भी अधिकार दिया है। संयुक्त प्रान्त तथा मध्य प्रान्त में कांग्रेस सरकारों ने कुछ नये टैक्स लगाया है। संघ-सरकार की आज्ञा के बिना प्रान्तीय सरकारों को विदेशों से कर्ज लेने का अधिकार नहीं है।

संघ-शासन विधान में रियासतों और संघ-सरकार के आर्थिक सम्बन्ध पर अलग विचार किया गया है। अब तक रियासतें संघ-सरकार केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित रकम कर (Tribute) और देशी के रूप में देती रही हैं। परन्तु संघ में शरीक होने पर रियासतों का वे इन करों से मुक्त कर दी जायेंगी। ब्रिटिश सम्राट् आर्थिक को यह अधिकार दिया है कि वह २० वर्ष के अन्दर सम्बन्ध धीरे-धीरे इन्हें इस कर से मुक्त कर दे। कहा जाता है कि इस प्रकार की सुविधायें रियासतों को इसलिये प्रदान की गई हैं कि वे अधिक-से-अधिक तादाद में संघ-शासन में शरीक हों। संघ-सरकार रियासतों में कोई प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकती। यदि वे स्वयं चाहें तो यह कर लगाया जा सकता है। संघ-शासन की स्थापना के १० वर्ष बाद उन रियासतों में जिन्होंने संघ-शासन को स्वीकार किया है कारपोरेशन टैक्स लगाया जा सकता है। काश्मीर, मैसूर, बड़ौदा आदि चन्द रियासतों को संघ-शासन में शरीक होने से आर्थिक लाभ होने की विशेष सम्भावना है। इन विषयमताओं को देखते हुई भली भाँति स्पष्ट है कि संघ-शासन-विधान में आर्थिक बटवारा ठीक नहीं है। यह कहना ग़लत है कि

“ भारतीय संघ-शासन के अन्दर धन का समान और वैज्ञानिक विभाजन नहीं किया जा सकता । ”* यदि ब्रिटिश सरकार रियासतों का विशेष सुविधाओं का ख्याल छोड़ दे, और सूबों तथा उनमें कोई अन्तर न समझे तो आर्थिक कठिनाई का बहाना दूर हो सकता है ।

संघ तथा प्रान्तीय विभाजन से ही आर्थिक कठिनाई का अन्त नहीं हो जाता । सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रजा के प्रति-गवर्नर-जनरल निधियों को इसे कहाँ तक खर्च करने का अधिकार तथा गवर्नरों दिया गया है । गवर्नर-जनरल के वर्णन में यह बात के आर्थिक कही जा चुकी है कि केन्द्रीय सरकार की सारी आमदनी अधिकार उसी के हाथ में रखी गई है । धारा-सभा की इच्छा के विरुद्ध वह कोई रकम खर्च कर सकता है । प्रौज के खर्च को वह जितना चाहे बढ़ा सकता है । इसी तरह गवर्नरों को भी कुछ ऐसे विशेष अधिकार दिये गये हैं जिनसे वे प्रान्तीय आमदनी को मनमाना खर्च कर सकते हैं । कुछ पदाधिकारियों के वेतन आदि निश्चित करने का अधिकार उन्हीं को दिया गया है । संघ-सरकार की आमदनी और खर्च को जाँचने के लिये एक अफसर (Auditor General of India) ब्रिटिश सम्राट् द्वारा नियुक्त किया जायगा । इसका दर्जा वही रखता गया है जो फ्रेडरल कोर्ट के जजों का । इसे ६०,००० रुपया सालाना वेतन दिया जायगा । ५५ वर्ष की आयु तक यह अपने पद पर कार्य कर सकेगा-। इस तरह का एक पदाधिकारी प्रत्येक प्रान्त में नियुक्त किया जा सकता है । गवर्नर-जनरल तथा गवर्नर को, अपने-अपने क्षेत्र में हिसाब ठीक रखने के लिये, नियम बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है । जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में इन दोनों पदाधिकारियों को विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रखता गया है ।

इस बात के अनेक प्रमाण मौजूद हैं कि हमारे देश में प्रजा का धन मिट्टी की तरह बहाया जाता है । दुनिया के मुकामिले प्रजा के धन में हमारी दशा सबसे हीन और गई गुजरी है । यदि इस गरीबी का वर्णन किया जाय तो यह विषय हमारी प्रस्तुत पुस्तक से बाहर चला जायगा । थोड़े से आँकड़ों

* The Federal System of Public finance in India cannot be logical and uniform.

से यह बात भली भाँति समझ में आ सकती है कि दुनिया के मुकाबिले में हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है ।

देश	वार्षिक आय प्रति व्यक्ति
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	...१०८० रुपया
ग्रेट ब्रिटेन	...७५० ”
जर्मनी	...४५० ”
जापान	...१२० ”
हिन्दोस्तान	...६० ”

इतनी भयंकर गरीबी में भी प्रजा का धन खर्च कर खर्च किया जाता है । देश से प्रतिवर्ष ४० करोड़ रुपया “ होम चार्जेज ” के मद में इंग्लैंड को जाता है । वहाँ इस लम्बी रकम से हमारे देश-वासियों को रत्ती भर भी फायदा नहीं पहुँचता । जहाँ तक घरेलू खर्च का सम्बन्ध है, इसका भी बटवारा उचित तरीके पर नहीं किया गया है । हमारे देश में केवल ६ प्रतिशत लोग लिखना-पढ़ना जानते हैं । ब्रिटेन में ६७ प्रतिशत, जापान में ६० प्रतिशत ; जर्मनी में १०० प्रतिशत ; डेनमार्क में १०० प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं । इसे देखते हुये भारत-सरकार का यह पहला फ़र्ज़ होना चाहिये कि वह शिक्षा पर अधिक-से-अधिक रकम खर्च करे । परन्तु निम्नलिखित आँकड़ों से यह प्रकट है कि हमारी शिक्षा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता ।

देश	शिक्षा पर प्रति व्यक्ति सालाना खर्च
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	५५ रुपया
ग्रेट ब्रिटेन	२० ”
फ़्रांस	१० ”
हिन्दोस्तान	केवल ६ आने जैसे

कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है । ७० प्रतिशत व्यक्तियों की रोज़ी इसी पर निर्भर है । परन्तु सरकार अपनी आमदनी का केवल १३ प्रतिशत इसकी बेहतरी पर खर्च करता है । अस्पताल और औषधालयों की संख्या को देखते हुये कोई भी दाँतों तले उँगली दबा सकता है । समूचे हिन्दोस्तान में कुल ७००० अस्पताल हैं । ५०,००० व्यक्तियों के लिये एक अस्पताल की व्यवस्था की गई है । और १६० मील की दूरी में एक अस्पताल बनाया गया है । उद्योग-धन्धों के ऊपर सरकार केवल ३ प्रतिशत खर्च करती है । यही वजह है कि काम की कमी के कारण “ १० करोड़ ७० लाख आदमियों को साल भर में कम-से-कम चार महीने बेकार रहना पड़ता है । ” इसी

प्रकार अन्य सार्वजनिक कामों पर सरकारी आय का कम-से-कम हिस्सा खर्च किया जाता है।

अब सवाल यह है कि जब सार्वजनिक कामों पर बहुत थोड़ी रकम खर्च की जाती है तो बाकी रकम किन मदों में लगाया जाता है। पहली खटकने वाली बात तो सरकारी उच्च पदाधिकारियों की लम्बी-लम्बी तनझाहें हैं। अगर दुनियाँ के और मुल्कों से इसकी तुलना की जाय तो हम देखेंगे कि प्रजा के धन का सरासर दुरुपयोग हो रहा है। हिन्दोस्तान ऐसे गरीब मुल्क में इतनी लम्बी-लम्बी तनझाहें देना कहाँ तक जायज़ है, पाठक इसे स्वयं समझ सकते हैं। गवर्नर-जनरल के बराबर तनझाह पाने वाला पदाधिकारी संसार में कोई दूसरा नहीं है। निम्नलिखित आँकड़ों से यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी :—

पदाधिकारी		मासिक वेतन
जापान का प्रधान मन्त्री	...	६२२ रुपया
टर्की का सर्वप्रधान अफसर	...	३१८ "
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रेसीडेन्ट	...	१७००० रुपया
इंग्लैंड का प्रधान मन्त्री	...	११००० "
हिन्दोस्तान का वाइसराय	...	२१००० "
भत्ता लेकर १८ लाख रुपया सालाना। }		
जापान के अन्य मन्त्री	...	३७० "
ब्रिटिश प्रान्तों के मन्त्री	...	४००० "
अमेरिका के प्रेसीडेन्ट की कैबिनेट के सदस्य		३५०० "
हिन्दोस्तान के वाइसराय की कौंसिल के सदस्य	...	७००० "

ऊपर के आँकड़ों से यह पता चलता है कि भारत-सरकार अपने कर्मचारियों को अधिक-से-अधिक वेतन देती है। सरकारी नौकरियों को आकर्षित बनाने के लिये यह सबसे अच्छा तारीक़ा है, परन्तु इससे प्रजा को जो हानि पहुँचती है वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। सरकारी आमदनी का ४० प्रतिशत रुपया केवल शासन-प्रबन्ध (Civil Administration) पर खर्च कर दिया जाता है। इसका अधिकतर हिस्सा अफसरों की तनझाहों और उनके भत्ते पर खर्च होता है। २५ प्रतिशत आमदनी फ़ौज पर खर्च की जाती है। यदि अँगरेज़ी फ़ौज के बदले हिन्दोस्तानी फ़ौज हमारे देश में कर दी जाय तो ८ करोड़-रुपये सालाना की बचत हो सकती है। एक अँगरेज़ सिपाही का खर्च हिन्दोस्तानी सिपाही से चार गुना अधिक पड़ता

है। सरकारी आय का १० फ्रीसदी पुलिस पर खर्च किया जाता है। तात्पर्य यह है कि सारा रुपया रक्षा और हथियारों पर ही लगा दिया जाता है। सार्वजनिक कामों के लिये पैसे का सर्वदा अभाव रहता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश भारत पर १२०० करोड़ रुपये का कर्ज़ है। प्रतिवर्ष इसकी सूद की लम्बी रकम देनी पड़ती है। मालूम नहीं हमारे देश में कौन-सा बड़ा कार्य किया गया जिसके लिये इतने रुपये कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ी। भारतीय राजनीतिज्ञों का कहना है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने स्वार्थ के लिये किये गये खर्चों को भी हमारे ऊपर लाद दिया है। अफ़गान, फ़ारस, चीन, नेपाल तथा मिश्र आदि लड़ाइयों का खर्च हमें को देना पड़ा। गुदर में ६० करोड़ रुपये का कर्ज़ हमारे देश पर लादा गया। जर्मनी की बड़ी लड़ाई में हिन्दोस्तान के ऊपर ४० अरब रुपये का और कर्ज़ लाद दिया गया। इस प्रकार प्रजा के धन का अपव्यय शायद ही किसी देश में दिखाई पड़ेगा। संयोगवश गत महायुद्ध में वह सब कर्ज़ अदा कर दिया गया और ब्रिटेन को कुछ कर्ज़ भी दे दिया गया।

यदि भारत-सरकार प्रजा के धन का सदुपयोग करना चाहे तो वह निःसंकोच कर सकती है। हमारे देश की वर्तमान भारत सरकार परिस्थिति को देखते हुये किसी भी बड़े से बड़े कर्मचारी के आर्थिक को ५०० रुपये मासिक से अधिक वेतन नहीं मिलना कर्त्तव्य चाहिये। कांग्रेस सरकारों ने इसका विधान तो बनाया, परन्तु वे अपने भत्तों को कम न कर सकीं। यदि सरकार इस नियम पर डढ़ हो जाय तो उसे अपनी आमदनी को खर्च करने के लिये नये-नये ज़रिये तलाश करने होंगे। दूसरी विचारणीय बात नौकरियों का भारतीयकरण है। कोई वजह नहीं है कि हमारे देश के शिक्षित नवयुवक बेकार रहें और बाहरी लोग दूनी तनज़ाह पर रखे जायँ। यदि सभी विभागों में इस स्वदेशीपन का ध्यान रक्खा जाय तो बेकारी और ग़रीबी दोनों एक साथ हल की जा सकती हैं। रक्षा और शासन का खर्च इस क्रूर बड़ा हुआ है कि अन्य विभागों में हमेशा अकाल पड़ा रहता है। भारत-सरकार इन खर्चों को भी घटा सकती है। रोज़गार और उद्योग धंधों में हम इतने पिछड़े हुये हैं कि हमें बार-बार अपने पिछले दिनों की याद आती रहती है। सरकार इन कामों को फिर से जागृत करे और हमारे देश-वासियों को वैज्ञानिक अनुसन्धानों से लाभ उठाने का मौक़ा दे।

अध्याय २५

पुलीस और जेल

(१) पुलीस

लोगों की यह धारणा गलत है कि पुलीस का काम जनता को डरवाना और परीशान करना है। गाँवों में मातायें अपने बच्चों को 'सिपाही' कह कर डरवाती हैं। 'लाल पगड़ी' देखकर पुलीस की उपयोगिता अब भी अशिक्षित ग्रामीण भय खाते हैं। इधर पिछली शताब्दी में पुलीस का व्यवहार इतना बुरा था कि लोग इन्हें मनुष्य कोटि से बाहर गिनने लगे थे। घूसखोरी की बीमारी जितनी इस विभाग में चलती रही है उतनी सरकार के किसी भी मुद्दकमें नहीं। आज भी जब कि लोगों में राष्ट्रीय भावना काफ़ी जागृत हो गई है, पुलीस निर्दोष और सेवक की दृष्टि से नहीं देखी जाती। जब किसी गाँव में थाने के दारोगा या कोई सिपाही पहुँच जाते हैं तो लोगों को यह शक हो जाता है कि देखें किसकी तलाशी होती है और कौन चोरों अथवा बदमाशों की सूची में शरीक कर लिया जाता है। पुलीस का किसी गाँव में जाना अशुभ समझा जाता है। पढ़े-लिखे लोगों की यह दलील है कि इस विभाग में देश के नवयुवक तो भर्ती किये जाते हैं, परन्तु वे इतने जाहिल और संकुचित विचार वाले होते हैं कि इनसे लाभ के बदले हानि होती है। अधिकतर व्यक्ति रुपये कमाने की गरज़ से इसमें भर्ती होते हैं। चूँकि इनका सम्पर्क सीधे जनता से होता है इसलिये वे अपने अधिकारों का बेजा फ़ायदा उठाते हैं।

वास्तव में पुलीस का काम रक्षा करना है। सरकार लोगों के धन-जन की रक्षा इसी विभाग द्वारा करती है। राज्य में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग होते हैं। पुलीस का यह कर्ज़ है कि वह गुंडे-बदमाशों पर कड़ी नज़र रखे। उसकी थोड़ी सी लापरवाही से अशान्ति बढ़ सकती है। यदि यह विभाग इतना तत्पर और सख्त न हो तो अच्छे और भलेमानुष लोग सुख की नींद नहीं सो सकते। चोरी, व्यभिचार, डाका, फ़ौजदारी अथवा किसी भी प्रकार का गुनाह सबसे पहले पुलीस के सामने आता है। इसी की जाँच पर न्यायालयों में बहस और फैसले किये जाते हैं। यदि इस विभाग के कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी को महसूस करें तो राज्य में दुष्ट मनुष्यों की

वेना हरकतें जाती रहें। पुन्नीस हमारे गाँवों और शहरों की रखवाली के लिये बनाई गई है। कम-से-कम वेतन लेकर ८ और १० घंटे तक एक खास पोशाक में इन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इनकी नियमबद्धता बड़ी ही सख्त होती है। छिपी-से-छिपी कारवाइयों का इन्हें पता लगाना पड़ता है। बड़ी-बड़ी गिरोहों का सामना करने के लिये इन्हें अपनी जान पर खेल जाना पड़ता है। राज्य के सभी व्यक्ति अपने प्रति किये गये अपराधों की रिपोर्ट पहले थानों में करते हैं। पुलीस इस बात की अधिक-से-अधिक कोशिश करती है कि उसके हल्के में किसी प्रकार के लड़ाई-भगड़े न हों, कोई किसी को तकलीफ न पहुँचाये और सब लोग सरकारी नियमों का पालन करें। जब कभी हम अपने पड़ोसी द्वारा ज़ेर किये जाते हैं तो पुलीस हमारी रक्षा करती है। यदि देश के पड़े-लिखे लोग सेवा का थोड़ा भी भाव लेकर इस मुहकमें में शामिल हों तो उनसे दीन-दुखियों की अधिक सेवा हो सकती है।

अंगरेजों के नये प्रबन्ध के पहले मुसलमानी ज़माने में पुलीस और ज़मींदार का काम एक में शामिल था। अर्थात् जो ज़मींदार **अंगरेजी राज से पहले** होते थे उन्हें अपनी सीमा के अन्दर धन-जन की रक्षा करनी पड़ती थी। छोटे और बड़े सभी प्रकार के ज़मींदारों को यह अधिकार दिया गया था कि वे अपने मातहत कार्तकारों की सभी प्रकार रक्षा करें। जब कहीं चोरी, डाका, अथवा किसी तरह की घटना होती तो ज़मींदार को इसका पता लगाना पड़ता था। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ज़मींदार स्वयं रखवाली करते थे। गाँवों में पंचायतों द्वारा सारा प्रबन्ध होता था। हर गाँव का एक चौकीदार होता था, जो रात में इसकी रखवाली करता था। गाँव के रहने वालों की चाल-चलन से यह वाकिफ रहता था। जब कभी कोई अजनबी आदमी आता तो उसे इसकी जाँच करनी पड़ती थी। गाँव के मुखिये के पास वह छोटी-छोटी बातों की खबर पहुँचाता रहता था। यदि इतनी चौकसी करने पर भी किसी का सामान चोरी चला जाता तो चौकीदार और मुखिया को इसका पता लगाना पड़ता था और चोरी वाले की हानि पूरी करनी पड़ती थी। गाँवों की देख-रेख के लिये उपरोक्त तरीके के अलावे कोई अलग थाने और चौकियाँ न थीं। शहरों की रखवाली के लिये केतवाल रखे गये थे। हर शहर में एक केतवाल होता था। उसकी सहायता के लिये चन्द पुलीस भी रखे गये थे। इन्हें सरकारी खजाने से वेतन मिलती था। जिस प्रकार शासन की मशीन सीधी-सादी थी उसी तरह पुलीस का मुहकमा भी आनकल

आ० भा० शा०—४८

की तरह जटिल न था। अधिकतर भगड़े पंचायतों द्वारा फ़ैसल किये जाते थे और लोगों को पुलिस से मदद लेने की कोई ज़रूरत ही न थी। छोटे-छोटे किसानों को अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुक़दमेवाजी में खर्च नहीं करना पड़ता था। लोगों के अन्दर सहन करने का भाव अधिक था। पंचायत, चौकीदार, ज़मींदार, केतवाल इन्हीं को देश में पुलिस के सारे काम सुपुर्द किये गये थे। इससे सरकार का खर्च भी कम पड़ता था और सब की रक्षा भी होती थी।

लार्ड कार्नवालिस पहला गवर्नर-जनरल था जिसने पुलिस विभाग की नींव डाली। इसने ज़मींदारों को रक्षा और रखवाली भारतीय पुलिस के भार से मुक्त कर दिया। लेकिन उनके साथ जो का विकास इस्तमरारी बन्दोबस्त किया गया उसमें इस विभाग का खर्च जोड़ दिया गया। हर ज़मींदार से मालगुजारी के साथ कुछ रकम वसूल कर पुलिस विभाग को दी जाती थी। कार्नवालिस ने १७८३ ई० में बंगाल प्रान्त के ज़िला-न्यायाधीशों को हुक्म दिया कि वे अपने-अपने ज़िले में हर ४०० मील की दूरी पर एक थाना बनावें। इससे जो अधिकार अब तक ज़मींदारों को मिले हुये थे वे सब ज़िले के कलेक्टर को दे दिये गये। प्रत्येक थाने में थानेदार और कुछ सिपाही रखे गये। मुखिया और चौकीदार भी अपना काम करते रहे, परन्तु धीरे-धीरे इनके अधिकार कम होने लगे। कहने के लिये तो आज भी ये दोनों कर्मचारी बने हुये हैं और जब कभी थानेदार को किसी गाँव में आना पड़ता है तो इन दोनों से उसे मदद मिलती है। लेकिन इनकी बातों का वह मूल्य नहीं रहा जो पहले था। विभिन्न प्रान्तों में इसका संगठन एक ही साथ नहीं हुआ। मदरास में थामस मनरो ने १८१६ ई० में इसे संगठित किया। इसी प्रकार ज्यो-ज्यो कम्पनी का राज्य बढ़ता गया, यह विभाग नये सिरे से संगठित होता गया। १८०१ से १८६० ई० तक सभी प्रान्तों में यह मुहकमा अच्छी तरह संगठित कर दिया गया। १८२७ ई० के ग़दर ने अंगरेजों को चौकन्ना कर दिया। उन्हें फिर इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि इसका नये सिरे से संगठन किया जाय।

१८६० ई० के अगस्त के महीने में भारत-सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया। इसका काम सारे हिन्दोस्तान के पुलिस संगठन का अध्ययन करना था और इस पर अपनी राय जाहिर करनी थी। १८६१ ई० में इसकी रिपोर्ट तैयार हुई और उसी आधार पर एक ऐक्ट बनाया गया जो अभी तक काम में लाया जा रहा है। पुलिस विभाग के संगठन का जो सिद्धान्त

निश्चित किया गया वह आज भी प्रचलित है। कमीशन की रिपोर्ट में सबसे बड़ी माकें की बात यह थी कि पुलीस का मुहकमा प्रान्तीय बना दिया जाय। इसी के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में एक इन्सपेक्टर-जनरल नियुक्त किया गया। पुलीस विभाग का यह सबसे बड़ा अफसर था। इसके नीचे हर जिले में एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस और सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस होते थे। ये तीनों पद केवल अँगरेजों को दिये जाते थे। थाने पर एक थानेदार और एक सहायक थानेदार रखे गये। कुछ पुलीस के सिपाही भी रहते थे। १८०६ के कमीशन ने इस बात की सिफारिश की थी कि हर एक मील के घेरे में एक थाना बनाया जाय। अथवा एक हजार जनसंख्या के ऊपर एक थाना हो। सरकार ने इतने थानों की ज़रूरत न समझी और आज २५ या ५० मील तक के घेरे में इसकी संख्या एक रखी गई है।

१६०२ ई० में पुलीस विभाग के पुनर्संगठन के लिये एक दूसरा कमीशन नियुक्त किया गया। इसकी रिपोर्ट में बहुत-सी नई बातों की सलाहें दी गई थीं। इनमें से चन्द बातें निम्नलिखित थीं:—

१—खुफिया पुलीस की व्यवस्था की जाय।

२—हिन्दोस्तानी थानेदार बनाये जायँ।

३—हर जिले में सिपाहियों की भर्ती हो और उन्हें उचित ट्रेनिंग दी जाय।

रिपोर्ट की अधिकतर सलाहें मान ली गईं। लगभग सभी प्रान्तों ने इससे लाभ उठाया। वर्तमान पुलीस संगठन इसी के अनुसार काम कर रहा है।

पुलीस का मुहकमा अखिल भारतीय नहीं है। यह विभाग प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया गया है। प्रान्तों में पुलीस और जेल विभाग की देख-रेख के लिये एक मन्त्री होता है। अपने कामों वर्तमान पुलीस के लिये वह प्रान्तीय धारा-सभा के प्रति जिम्मेवार है।

संगठन शान्ति और रक्षा (Law and Order) विभाग के मन्त्री को इसकी जिम्मेवारी दी जाती है। प्रान्त का सबसे बड़ा पुलीस अफसर इन्सपेक्टर-जनरल (I. G.) कहलाता है। इसी की मातहत में इस विभाग के कर्मचारी काम करते हैं। प्रत्येक प्रान्त कई हिस्सों में बाँट दिया जाता है। हर एक हिस्सा रेंज (Range) कहलाता है। रेंज का प्रधान डिप्टी इन्सपेक्टर-जनरल होता है। इन्सपेक्टर जनरल की मातहत में यह कार्य करता है।

एक रेंज में आमतौर से ८ या १० जिले होते हैं। जिले में पुलीस विभाग

का प्रधान सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (D. S. P.) कहलाता है। इसकी सहायता के लिये एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस रहता है। इन दोनों कर्मचारियों की जिम्मेवारी दोहरी होती है एक ओर तो ये इन्सपेक्टर-जनरल और डिप्टी इन्सपेक्टर-जनरल के प्रति जिम्मेवार होते हैं और दूसरी ओर जिले के कलेक्टर की मातहत में काम करते हैं। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह जिले भर की शान्ति सम्बन्धी सूचना कलेक्टर को देता रहे। जहाँ कहीं कलेक्टर को आवश्यकता महसूस हो वह पुलिस की मदद ले सकता है। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस उसकी आज्ञाओं को टाल नहीं सकता।

प्रत्येक जिला पाँच या सात हिस्सों में विभाजित किया गया है। इन्हें सरकिल कहते हैं। हर सरकिल का प्रधान इन्सपेक्टर कहलाता है। एक सर्किल में ८ या १० थाने होते हैं। थाने का प्रधान सब-इन्सपेक्टर कहलाता है। हर थाने पर एक मुंशी और मुहरीर होते हैं। इनका काम अपने हलके की रिपोर्ट लिखना और कागजों को रखना है। इनके अलावे वहाँ १० या १५ पुलिस के सिपाही रहते हैं। चौकीदारों का यह हिदायत रहती है कि वे अपने गाँवों की इफ़तावारी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाते रहें। लगभग १०० वर्ग मील घेरे के लिये एक थाने की व्यवस्था की गई है। जिले पर कुछ सुरक्षित पुलिस भी रक्खी जाती है जिनकी संख्या २०० के आस-पास होती है। इनमें से कुछ सिपाही हर समय हथियार बन्द तैयार रक्खे जाते हैं। जब कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है, और थाने की पुलिस काफी नहीं होती, तो यह वहाँ भेजी जाती है। हर जिले पर सरकारी खजाना होता है। जिनकी रक्षा का भार इसी सुरक्षित फौज पर रहता है। पुलिस की भर्ती जिले पर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस द्वारा की जाती है। १९३२ ई० में हिन्दोस्तान में पुलिस की कुल-संख्या २२६५१२ थी। इन पर १३ करोड़ रुपया खर्च पड़ा था।

शहरों में केतवाल होते हैं। इनकी मातहत में कुछ पुलिस और दस-बीस छोटे-छोटे थाने होते हैं। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास शहर में पुलिस का प्रधान पुलिस कमिश्नर कहलाता है। यह इन्सपेक्टर-जनरल की मातहत में नहीं होता। इसका सम्बन्ध सीधे सरकार से होता है। रेलवे विभाग अपनी अलग पुलिस रखता है। इनका प्रबन्ध जिले की पुलिस से भिन्न होता है। यद्यपि इन दोनों का सहयोग रहता है, परन्तु इनके अफ़सर अलग-अलग होते हैं। खुफिया पुलिस (C. I. D.) का मुद्दमा इन दोनों से अलग होता है। लार्ड कर्ज़न के समय में १९०३ ई० में इसकी व्यवस्था की गई थी। इसके कर्मचारी डिप्टी-इन्सपेक्टर-जनरल की मातहत में काम करते हैं। इनका काम छिपी हुई बातों का पता लगाना और गुप्त संगठनों तथा

अपराधों की सूचना देना है। सरकार इस विभाग में काफ़ी विश्वास करती है, इसी लिये इसके कर्मचारी किसी भी व्यक्ति पर मुक़दमें चला सकते हैं। सरकार को इनके द्वारा छोटी-छोटी बातों की ख़बरें मालूम होती रहती हैं। बहुत से अपराध इतनी पोशीदगी से किये जाते हैं कि वर्षों अपराधी का पता नहीं चलता। फिर भी इस विभाग के कर्मचारी तरह-तरह की हिक़मतों से इन्हें खोज निकालने में समर्थ होते हैं।

जनता की रक्षा और भलाई के लिये सरकार ने पुलिस का जाल-सा फैला रक्खा है। बीहड़ से बीहड़ जगहों में बसे हुये पुलिस की कुछ गाँव इससे बाहर नहीं रखे गये हैं। लेकिन पत्र-वेजा हरकतें पत्रिकाओं तथा कचहरियों में कुछ ऐसी बातें देखने में आती हैं जो मनुष्यत्व से बाहर होती हैं। कभी-कभी तो झूठे मुक़दमे चलाकर लोगों को पुलिस परेशान करती है। शारीरिक यातनायें अभी तक लोगों को दी जाती हैं। हमारे देशवासियों की अशिक्षा और सादगी का बेजा फ़ायदा इस विभाग के कर्मचारी भली भाँति उठाते हैं। जब कहीं कोई मामला हुआ तो उसकी जाँच आरम्भ होती है। पुलिस अपनी सफ़ाई के लिये तथा अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिये कितने ही बेगुनाह आदमियों को फँसा देती है। इसके सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। मैं यह मानता हूँ कि उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लोग आसानी से सच्ची बातों को खोल नहीं सकते, लेकिन इस स्वतन्त्रता और समानता के युग में सच्चे और भलेमानुष व्यक्तियों को अपराधी ठहराना सर्वथा अन्याय है। पुलिस के कर्मचारियों को इसे रोकना चाहिये। शिक्षा की वृद्धि से कालेजों और यूनिवर्सिटियों के उत्तीर्ण विद्यार्थी अब इस विभागों में जाने लगे हैं। आशा है वे इन कमज़ोरियों को काफ़ी अंश तक दूर कर सकेंगे।

(२) जेल

जेलों का इतिहास कोई पुराना नहीं है। बृटिश काल में इसकी नींव आज से १०० वर्ष पहले डाली गई थी। उससे पहले भी जेल थे, परन्तु जेल का उनका वर्णन करना हमारे विषय से बाहर की चीज है। ऐतिहासिक इतना जरूर ध्यान रखना चाहिये कि ऐतिहासिक युग में कोई भी ऐसा राजनीतिक प्रद्वैन्ध नहीं मिलता जिसमें जेल की व्यवस्था न की गई हो। अपराधियों के दंड की

व्यवस्था भिन्न-भिन्न होते हुये भी जेलों का जिक्र हर समय मिलता है। १८३६ ई० में एक कमीटी जेल-सुधार के लिये बनाई गई। लार्ड मेकाले इसके एक सदस्य थे। १८६४ और १८८२ ई० में दो और कमीटियाँ नियुक्त की गईं। १८६२ ई० में एक चौथी कमीटी फिर नियुक्त की गई। इन सबकी रिपोर्ट के आधार पर १८६४ ई० में एक जेल क्रानून (Prison Act) पास किया गया। इसी के अनुसार आजकल भारतीय जेलों का संगठन किया गया है। पुलिस की तरह यह विभाग भी प्रान्तीय सरकार की मातहत में रखा गया है।

वर्तमान जेल ३ प्रकार के होते हैं :—
संगठन

१—सेन्ट्रल जेल—इनमें लम्बी-लम्बी सजाओं के अपराधी रक्खे जाते हैं। एक साल से कम के अपराधी इसमें नहीं रक्खे जाते। इस प्रकार के जेलों की मौजूदा संख्या ५१ है।

२—डिस्ट्रिक्ट जेल—प्रत्येक जिले पर एक जेल होता है। इनकी संख्या इस समय १८२ है। हर तरह के अपराधी इसमें रक्खे जाते हैं।

३—हवालात—इन जेलों में अधिकतर वे कैदी रक्खे जाते हैं। जिनका मुकदमा कचहरियों में चलता रहता है। जिन्हें १० या २० दिन की सजा होती है वे भी इनमें रक्खे जाते हैं। इनकी संख्या ६७० है।

इनके अलावे जब कभी कैदियों की संख्या बढ़ जाती है तो सरकार कैम्प जेल बना लेती है। प्रान्त में जेल विभाग का सबसे बड़ा अफसर इन्स-पेक्टर-जनरल कहलाता है। यह आमतौर से इन्डियन मेडिकल सर्विस का सदस्य होता है। सेन्ट्रल जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट की देख-रेख में रहते हैं। इसके नीचे वार्डर आदि अनेक कर्मचारी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल का प्रधान सिविल सर्जन होता है। वह लगभग रोज इसका निरीक्षण करता है। जो कर्मचारी २४ घंटे कैदियों की देख-रेख करते हैं उनमें जेलर सर्वप्रधान होता है। उसके नीचे सहायक जेलर, वार्डर तथा अन्य छोटे-छोटे कर्मचारी होते हैं। स्त्रियाँ पुरुषों से अलग रक्खी जाती हैं। एक ही जेल में इनका वैरेक पुरुषों से अलग होता है। इसकी देख-रेख के लिये स्त्रियाँ वार्डर नियुक्त की जाती हैं। जिन कैदियों को लम्बी सजायें दी गई होती हैं उन्हें अकसर वार्डर वगैरह बना दिया जाता है और ३ या ४ रुपया मासिक वेतन भी दिया जाता है।

लोगों की यह आम शिकायत है कि भारतीय जेल-दुनियाँ के और मुल्कों के जेलों से बुरे हैं। हमारे यहाँ कैदियों के जेलों का पशु से भी बदतर समझा जाता है। जेल के कर्मचारी सुधार इन्हें सुधारने के बदले और बिगाड़ देते हैं। कैदी सुविधाओं की कमी के कारण चोरी, व्यभिचार तथा झूठ बोलने की आदतें सीख जाते हैं। जेल का तात्पर्य यह नहीं है कि वहाँ कैदियों को जानवरों की तरह कुछ दिन तक बाँध रक्खा जाय और अवधि पूरी होने पर उन्हें छोड़ दिया जाय। हमारे देश में इसका यही तात्पर्य समझा जाता है। यही वजह है कि अधिकतर व्यक्ति बार-बार गुनाह करते हैं और जेल उनका घर हो जाता है। लेकिन सरकार का यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि कुछ लोग इसे धर्मशाला या बैठक समझ लें। जेल केवल सुधार की दृष्टि से बनाये जाते हैं। कुछ लोग अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं जानते। वे अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं जिनसे उन्हें और दूसरों को हानि होती है। इसी से बचने के लिये उन्हें जेल की सजा दी जाती है। सुधार के अतिरिक्त यहाँ पर एक प्रकार की चेतावनी भी दी जाती है। जेलों का जीवन बहुत ही नियमित होता है। हर काम ठीक समय पर किया जाता है। खाना, सोना, नित्य कर्म, काम करना इत्यादि इत्यादि कामों के लिये ठीक समय निर्धारित होते हैं। उद्योग-धंधों के तरह-तरह के कार्य वहाँ किये जाते हैं। कैदियों को इस बात का मौक़ा दिया जाता है कि वे तरह-तरह के हुनर सीख कर जेलों से बाहर निकलें और यदि चाहें तो उनसे अपनी जीविका कमा सकें। भारतीय जेलों को अभी इतनी सफलता प्राप्त नहीं है।

राष्ट्रीय आन्दोलन की वृद्धि के कारण सरकार को विवश होकर जेलों के सुधार के ऊपर ध्यान देना पड़ा। जब राजनीतिक कैदी जेलों में गये और उन्हें वहाँ की सारी दिक्रतें उठानी पड़ीं तो उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। १९१६ ई० में एक जेल कमीटी भारत सरकार की ओर से बनाई गई। इसे यह कार्य सौंपा गया कि वह भारतीय जेलों का निरीक्षण करके इस बात की रिपोर्ट दे कि इनमें किस-किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। वास्तव में जेल-सुधार की यह पहली कमीटी थी। इसने बड़ी गहराई के साथ जेलों का अध्ययन किया और सरकार को इस बात की सलाह दी कि भारतीय जेलों की दशा बड़ी ही शोचनीय है। रिपोर्ट में कैदियों के सुधार के लिये कुछ नई-नई योजनायें रक्खी गई थीं। इनमें से एक सलाह यह भी थी कि फ़ौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के कैदी

अलग-अलग रखे जायँ। तनहाई और शारीरिक दण्ड देने की व्यवस्था को दूषित ठहराया गया था। कितने ही प्रान्तों ने इन सलाहों को स्वीकार किया और तदनुसार जेलों में अनेक सुधार किये गये। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय जेलों की समस्याएँ हल हो गईं।

हमारे देश के जेल कैदियों का सुधार नहीं करते। उनके अन्दर उन्हें ऐसी शिक्षायें नहीं दी जातीं जिनसे वे अपने जीवन को सुधार सकें। जिस वेरहमी के साथ आँखें बन्द करके उनके साथ व्यवहार किये जाते हैं उन्हें सामने रखते हुये जीवन को सुधारने की अभिलाषा उनके हृदय से जाती रहती है। कर्मचारियों की धौंस इतनी कड़ी होती है कि उनसे कुछ सीखने की बात बिलकुल बेतुकी हो जाती है। छोटी-छोटी भूलों के लिये तनहाई और चक्की का दण्ड दिया जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार ने जेलों में कुछ व्यवसाय सिखलाने का प्रवन्ध किया है, परन्तु जेल से निकल कर लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे उन्हें अपना पेशा बना सकें। अपराधी होने के नाते कैदियों को हम मनुष्य की कोटि से बाहर नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमें मनोरंजन और विश्राम की आवश्यकता है उसी प्रकार कैदियों को भी वे मिलने चाहिये। इतनी सुविधायें तो दूर रहनी, गुड़ और मिर्च के लिये भी भारतीय कैदी तरसते रहते हैं। जो तुला हुआ भोजन उन्हें दिया जाता है उसके अन्दर न तो कोई स्वाद है और न पौष्टिकता।

१९३७ ई० में जब काँग्रेस ने मन्त्रिपद ग्रहण किया तो उसका ध्यान जेलों की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ। उनकी कठिनाइयों का उन्हें पूरा पूरा अनुभव था। संयुक्त प्रान्त की काँग्रेस सरकार ने एक ऐसी सोसाइटी (Discharged Prisoners Aid Society) प्रत्येक जिले में स्थापित की जो छूटे हुये कैदियों की हर तरह से मदद करे। सोसाइटी का प्रधान कार्यालय लखनऊ रखा गया। इसकी ओर से प्रतिमास एक पत्रिका जेल-सुधारों पर निकाली जाती थी। कुछ विशेषज्ञों की एक कमीटी इस बात के लिये नियुक्त की गई जो कुछ ऐसे तरीके खोज निकाले जिनसे जेलों का जीवन एकदम बदल दिया जाय। इसकी कुछ सलाहें तो तुरन्त मान ली गईं, परन्तु बड़ी-बड़ी बातों के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई। कमीटी ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ ऐसे विशेष प्रकार के जेल खोले जायँ जिनमें बार-बार अपराध करने वालों का सुधार किया जाय। जेल के कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिये विशेष प्रवन्ध किया जाय। जेलों में पञ्चायतों कायम की जायँ और अपराध सयानों को शिक्षा दी जाय। इस प्रकार की रायें इसी बुनियाद पर दी गईं कि जेल एक आध्यात्मिक संस्था होनी चाहिये और उसके चलानेवाले

आध्यात्मिक पुरुष होने चाहिये। अमेरिका, इंग्लैंड तथा अन्य देशों में जेलों का उपयोग इसी दृष्टि से किया जाता है। जेलों के सुधारने के लिये तथा कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिये संयुक्त प्रान्त की सरकार ने एक बहुत बड़ा कालेज स्थापित करने का विचार किया था। इसके लिये एक जगह चुन ली गई थी। रुपया भी मंजूर कर दिया गया था और यहाँ तक कि उस कालेज के प्रिन्सिपल की भी नियुक्ति हो गई थी। परन्तु इसी बीच में सरकार को हस्तीफा दे देना पड़ा था। कांग्रेस-सरकार फिर इस पर विचार कर रही है।

बच्चों के लिये जेल की अलग व्यवस्था की गई है। मिर्जापुर जिले में बच्चों का एक जेल स्थापित किया गया है। नाबालिग व्यक्ति इन्हीं जेलों में रखे जाते हैं और उन्हें उचित शिक्षा दी जाती है। राजनीतिक कैदी साधारण कैदियों से अलग रखे जाते हैं। इन्हें अ, ब और स तीन श्रेणियों में रखा जाता है। पहिली दो श्रेणियों में जो सुविधायें इन्हें दी गई हैं वे काफ़ी अच्छी हैं, परन्तु तीसरी श्रेणी के कैदियों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। हमारे देश में कुछ लोगों को आजन्म अपराधी करार दिया गया है। यहाँ तक कि इनके लड़के बच्चे जन्म से ही अपराधी गिने जाते हैं। ये लोग एक विशेष प्रकार के जेलों में रखे जाते हैं। इन्हें अपराधी जाति (Criminal Tribes) कहते हैं। दिन में ये साधारण लोगों की तरह स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करते हैं, परन्तु रात में जेल के अन्दर इन्हें आ जाना पड़ता है। इन्हें सुधारने के लिये भारत सरकार प्रतिवर्ष एक लम्बी रकम खर्च करती है। अब तक यह कार्य इसाई मिशनरियों के हाथ में रहा है। उन्होंने न तो इनका सुधार किया है और न कोई ऐसी योजना ही तैयार की है, जिनसे भविष्य में इनका सुधार हो सके। संयुक्त प्रान्त की सरकार ने मिशनरियों से यह कार्य छीन कर हरिजन-सेवक-संघ को सुपुर्द कर दिया। देखें संघ कहाँ तक इस अपराधी वर्ग को सुधारने में समर्थ होता है।

सहायक ग्रन्थों की सूची

प्रस्तुत पुस्तक में निम्नलिखित ग्रन्थों से सहायता ली गई है। भारतीय शासन-पद्धति के विस्तृत अध्ययन के लिये ये ग्रन्थ पाठकों को विशेष रूप से सहायक होंगे।

Archbold ...Outlines of Indian Constitutional History.
Anderson, G....Development of Indian Polity.

- Anderson, G. ... Indian Administration.
- Arora, F. C. ... The New Constitution of India.
- Bose, S. M. ... The Working Constitution in India.
- Banerji, P. ... Public Administration in Ancient India.
- Banerji, D.N. ... The Indian Constitution.
- Beni Prasad ... The Problem of Indian Constitution.
- Bhattacharya, K.K. ... Indian Constitution.
- Baden Powell, B.A. ... Land Systems of British India,
3 vols.
- Chintamani, C. Y. ... Indian Politics since the Mutiny.
- Chudgar ... Indian Provinces Under British
Protection.
- Campbell, G. ... India as it may be.
- Cotton, H. ... New India.
- Cumming ... Political India.
- Cross, C. M. P. ... The Development of Self-Govern-
ment in India.
- Curtis, L. ... Dyarchy.
- Chesney, G. ... Indian Polity.
- Dutt, R. C. ... Economic History of India.
- Digby, W. ... Prosperous India.
- Gwynn ... The Indian Politics.
- Gangulee, N. ... The Making of Federal India.
- Horre, F. A. ... The Political System of British India.
- Hardinge ... A Study in Indian Politics.
- Haksar and Panikkar Federal India.
- Ilbert ... The New Constitution of India.
- Joshi, G. N. ... Indian Administration.
- ” ” ” ... The New Constitution of India.
- Jathar and Beri ... Indian Economics.
- Keral Putra ... The Working of Dyarchy in India.
- Kale ... Indian Administration.
- Khan, S. A. ... Indian Federation.

- Krishnamurti, Y. G...Indian States and Federal Plan.
 Kunzru, H. N. ...Public Service in India.
 Kaye ...Administration of the East India
 Company.
 Lahiri and Banerjea...The New Constitution of India.
 Lathe ...The Problem of Indian States.
 Lajpat Rai ...The Political Future of India.
 Martineau, H. ...Suggestions towards the future
 Government of India.
 Mazumdar, A. C. ...Indian National Evolution.
 Malley, O. ...The Indian Civil Service.
 Macdonald R. ...The Government of India.
 Munro ...Governments of Europe.
 Palande, M. R. ...Indian Administration.
 Prasad, R. S. ...India Social and Political.
 Phillips ...Our Administration of India.
 Paranjpye ...The Crux of Indian problem.
 Panikkar, K. M. ...Working of Dyarchy in India.
 Pole, D. G. ...India in Transition.
 Prichard, J. T. ...Administration of India, 2 Vols.
 Ram and Sharma ...Indian Civics and Administration
 Ram Murti ...Problem of Indian Polity.
 Roy ...The Spirit of Indian Civilization.
 Sastri, R. S. ...Evolution of Indian Polity.
 Sapre ...The Growth of Indian Constitu-
 tional Administration.
 Shah, K. T. ...Provincial Autonomy.
 " " " ...Federal Structure.
 " " " ...Federal Finance.
 Singh, G. N. ...Indian States.
 Sarkar, J. N. ...Economics of British India.
 Share ...Notes on Indian Affairs, 2 vols.
 Srivastava ...Indian Constitutional Development.

- Sobei MogiThe Federal India, 2 vols.
 Sastri, S. ...Self-Government for India under
 the British Flag.
 Sastri, K. R. R. ...Indian States and Responsible
 Government.
 Stark, H. A. ...India under Company and Crown.
 Shelvankar, K. S. ...The Problem of India.
 Strachey, J. ...India, Its Administration and
 Progress.
 Venkatarangaye, M. ...Federalism in Government.
 Whyte, F. ...India a Federation.
 Wheeler, J. T. ...India Under British Rule.
 Reports on the Home Administration of Indian Affairs.
 Government of India Act, 1919.
 " " " " 1935.
 Indian Year Book 1940—41.
 Proceedings of the U. P. Legislature 1938—39.
 Madras Epigraphy Annual Reports.
 कन्हैयालाल वर्मा ...भारतीय राजनीति और शासन पद्धति
 वालूभाई मेहता ...खादी मीमांसा
 पट्टाभिषीतारामैया ...काँग्रेस का इतिहास
 भगवानदास केला ...भारतीय शासन, भारतीय राजस्व
 हितोपदेश मानव-धर्मशास्त्र
-

U. P. INTERMEDIATE EXAMINATION

Civics

SECOND PAPER

(Indian Civics)

Time—Three hours

Attempt five questions. All questions are of equal value

1939

1. Describe the composition, mode of appointment, and extent of authority of the Federal Executive under the Government of India Act, 1935.

2. Explain what are the legislative functions and powers of the Governor-General, and how he is required to exercise them under the Act of 1935.

3. In which of the Indian provinces has the Act of 1935 provided a legislature consisting of two chambers? What are the functions and powers of these chambers? How does a bill become an Act in the Provinces, and what is the method of removing conflict between the chambers?

4. Explain how an Indian State becomes a member of the Federation, and describe the effects of federation on the authority of the State.

5. State what are the sources of revenue of a Municipal and a District Board. On which activities are the revenues mainly spent?

6. Give a brief description of some of the religious movements which have attempted to reform the different communities of India.

7. What are the principal social evils from which Indian society suffers? What efforts have been made to uproot them and with what results?

8. Discuss the causes of India's poverty.

9. Narrate briefly the history of the nationalist movement from 1885 to 1919.

10. Discuss the advantages which India derives from its membership of the League of Nations. What duties and rights does this membership involve ?

1940

1. Describe the methods by which the British Parliament exercises control over the Government of India.

2. Briefly mention the Special Responsibilities of the Governor-General under the Government of India Act of 1935.

3. Enumerate the various powers of the Governor in accordance with the Act of 1935.

4. Suppose a Bill has been introduced in the Legislative Assembly of the United Provinces. What are the various stages through which it must pass before it becomes an Act ?

5. Describe the functions of the High Court of Judicature in the United Provinces.

6. Mention some of the Institutions of Local Self Government in your province, and discuss the functions of any one of them.

7. Briefly narrate the programme and policy of the Indian National Congress from 1909 to 1935.

8. What is the Harijan problem ? How should it, in your opinion, be solved ?

9. How do you account for the poverty of peasants in the United Provinces ? Can you suggest any measures for its removal ?

10. Write short notes on *any three* of the following :—

(a) Basic Education.

(b) Joint v. separate electorates.

(c) The Indian Civil Service.

(d) The Upper Chamber in the provincial legislature.

(e) Prohibition.

(f) Famine-relief.

1941

1. Write short notes on *any three* of the following:—

- (a) Concurrent Legislative List.
- (b) Instrument of Instructions.
- (c) Instrument of Accession.
- (d) Reserve Bank of India.
- (e) Statutory Railway Authority.
- (f) Advocate-General for the Federation.

2. In what respect has the position of the Secretary of State for India and his Council been affected by the introduction of the Government of India Act of 1935 ?

3. Enumerate the chief subjects of administration and legislation allotted to (a) the Central Government and Provincial Governments, under the Act of 1935 ; and describe the principle of their division.

4. Describe the structure of Federal Legislature as contemplated by the Act of 1935.

5. Discuss the relations between a Provincial Governor and his Ministers under the Act of 1935.

6. Describe the main provisions of the Communal Award. What are the chief points of criticism against it ?

7. What are the causes of Unemployment in India ? What steps in your opinion, should be taken to remove it ?

8. What means have recently been adopted in your Province for the uplift of the rural classes ? How far have they been successful ?

9. Discuss the influence of religious and social reform on the Indian Nationalist Movement.

10. Describe the main features of the educational system in the United Provinces.

1942

1. Write short notes on *any three* of the following:—

- (a) Dominion Status.
- (b) The Indian Federal Court.
- (c) Pakistan.

(d) Public Service Commissions.

(e) Governor's Acts.

(f) The Single Transferable Vote.

2. Give an account of the powers and functions of the Federal Legislature under the Act of 1935.

3. How far has Provincial Autonomy been introduced in British India under the Act of 1935? What are its limitations?

4. Explain the procedure by which an Indian State can become a member of the Indian Federation, and describe the position of such a State in the new system of Government.

5. Describe the powers and functions of the Provincial Governors in India.

6. Discuss the Communal Problem in India. What are, in your opinion, the remedies for its solution?

7. What do you understand by Local Self-Government? Describe the structure and functions of a Municipal Board in these provinces.

8. Give a brief survey of the social and religious movements in modern India, and estimate their influence.

9. Enumerate the chief causes of India's backwardness, and suggest remedies for its removal.

10. Describe the distribution of powers between the Central and the Provincial Governments under the Act of 1935.

1943

1. Describe the composition and functions of the Indian Legislative Assembly.

2. What are the Local Self-Government bodies which are functioning in your province? How far have they been successful?

3. Describe the judicial system of the United Provinces.

4. Describe the powers and functions of the Provincial

Cabinets under the Act of 1935. How far are they limited by the 'special responsibilities' of the Governor ?

5. Briefly describe the powers and functions of the Secretary of State for India, and discuss his relations with the Indian Government.

6. What are, in your opinion, the defects of the present system of education ? How would you improve it ?

7. What are the social and economic handicaps from which Indian women are suffering at the present time ? What measures of reform would you suggest ?

8. Discuss the aims and objects of the National Movement in India to-day. What are its chief difficulties ?

9. Give the causes of the poverty of the Indian cultivator. How would you improve his condition ?

10. Discuss the position of the Indian States under the Act of 1935. What will be their gain and loss in joining the Indian Federation ?

1944

1. State the financial, legislative, and administrative powers of the Governor-General under the Constitution of 1935.

2. Mention the chief subjects of administration and legislation allotted to the Provincial and Central Governments respectively under the Act of 1935. What is the principle underlying the division ?

3. What safeguards should, in your opinion, be provided in the future constitution of India for the protection of Minorities ?

4. What are the qualifications of electors and candidates in the United Provinces for the Municipal Boards, Provincial Legislative Chambers, and the existing Central Legislative Assembly ?

5. What are the chief benefits, political or economic, that in your opinion are likely to accrue to Indian States and to British India from a Federal Union ?

6. What are the important safeguards provided for the All-India Services in the Constitution Act of 1935? How do they affect the working of Responsible Government in the provinces?

7. Some maintain that social reforms should precede political reforms in India, while others are of opinion that it should be just the contrary. Give your own comments.

8. What and how was the Indian National Congress established? Discuss its contribution to the political and economic life of the country.

9. What are the functions of the District Officer, the Commissioner, and the District and Sessions Judges in the United Provinces?

10. Write short notes on *any three* of the following:—

(a) Joint *versus* separate electorates.

(b) Rural uplift.

(c) Instrument of Accession.

(d) Labour movement in India.

(e) The problem of adult education.

1945

Note—Attempt five questions only, of which at least two must be from each section. All questions carry equal marks.

Section A

1. What were the salient features of Provincial Government according to the Government of India Act of 1919, and how far have the changes introduced by the Act of 1935 improve it in terms of provincial autonomy and popular control?

2. State the constitution, functions, and powers of the existing Central Legislative Assembly.

3. In what way does the Secretary of State for India exercise his powers of direction and superintendence over the Government of India?

4. Clearly distinguish between a Federal and a Unitary Constitution. Which will suit India ? Give clear and full reasons to support your views.

5. Describe carefully the main features of the Constitution of the Government of India under the Act of 1935.

Section B

6. Mention the aims, methods and programme of the chief political parties in India during the last ten years.

7. Describe the demands made by the depressed classes and women in India, and show how far they are justified.

8. What is meant by the terms 'paramountcy' and 'suzerainty' ? State the nature of the tie between Indian States and the Crown.

9. What advantages and disadvantages have, in your opinion, resulted from the institution of District Boards as they are at present in the United Provinces ? What are the sources of their income ?

10. Write short notes on any four of the following:—

(a) Bicameral Legislatures. (b) Wardha Scheme and Basic Education in the U. P. (c) League of Nations and its success. (d) Post-war Reconstruction. (e) Industrialization of India. (f) Prohibition.

1946

NOTE.—*Attempt five questions only. All questions carry equal marks.*

1. Discuss the position and functions of the Secretary of State for India. Is the retention of the India Office desirable ?

2. When and why was the Federal Court established ? Give an account of its composition, powers, and functions.

3. Give an account of the powers and functions of the Governor-General, his Advisers and Ministers as planned by the Act of 1935.

4. What is the procedure laid down for the appointment of Provincial Ministers ? Discuss their constitutional relations with (a) the Governor of the Province, and (b) the Provincial Legislatures.

5. Comment on the statement that the District Officers are 'the real rulers of India.'

6. What are the chief defects which you observe in the working of local bodies in the United Provinces ? What measures would you suggest for remedying these defects ?

7. How far and by what means does the 'Crown Representative' (Viceroy) influence and control the policy of Indian States ?

8. What are the main causes of the poverty of the Indian peasant ? What measures would you suggest to improve his lot ?

9. What are the aims of the Congress Movement ? By what methods does it seek to achieve these aims ?

10. Discuss the causes which prevent the growth of national unity in India. Do you regard the achievement of such unity as impossible ?

11. Write short notes on *any three* of the following:—

(a) The High Commissioner for India.

(b) The Wavell plan.

(c) *Pakistan*.

(d) Instrument of Accession.

(e) The Village *Patwari*.

(f) Compulsory and Primary Education.

3. Give an account of the powers and functions of the Governor-General, his Advisers and Ministers as planned by the Act of 1935.

4. What is the procedure laid down for the appointment of Provincial Ministers ? Discuss their constitutional relations with (a) the Governor of the Province, and (b) the Provincial Legislatures.

5. Comment on the statement that the District Officers are 'the real rulers of India.

6. What are the chief defects which you observe in the working of local bodies in the United Provinces ? What measures would you suggest for remedying these defects ?

7. How far and by what means does the 'Crown Representative' (Viceroy) influence and control the policy of Indian States ?

8. What are the main causes of the poverty of the Indian peasant ? What measures would you suggest to improve his lot ?

9. What are the aims of the Congress Movement ? By what methods does it seek to achieve these aims ?

10. Discuss the causes which prevent the growth of national unity in India. Do you regard the achievement of such unity as impossible ?

11. Write short notes on *any three* of the following:—

(a) The High Commissioner for India.

(b) The Wavell plan.

(c) *Pakistan*.

(d) Instrument of Accession.

(e) The Village *Patwari*.

(f) Compulsory and Primary Education.
